

आधुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता

लेखक
न० वि० गाडगिल

जयपुर पुस्तक सदन
चौड़ा रास्ता, जयपुर

मूल्य १२.५०

प्रकाशक : गोरीशकर शर्मा, मैनेजर, एस० चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली ।
मुद्रक . रसिक प्रिट्स, करोल बाग, नई दिल्ली ।

यस्येयं जन्मकुण्डली

प्रस्तुत ग्रन्थ की जन्मकुण्डली का बताना जरूरी है। ग्रन्थ १६६० के प्रते महीने में गुरुकृष्ण कांगड़ी विद्वविद्यानय की हीरक जयन्ती मनायी जाने वाली थी। उस निमित्त में अनेक कार्यक्रम होने वाले थे तथा उनमें से एक कार्यक्रम के लिए निर्मनशुल्क मिला था। मुख्य दीर्घांत समारम्भ राष्ट्रपति के हाथों होना था। उस समारम्भ से लगभग १५ दिन पहले उनकी तवियत स्वारव हो गई और जब में उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझाव दिया कि दीक्षात प्रभिमापण में हूँ, और में उसे मंजूर कर दिया।

ऐसे महत्वपूर्ण घबराओं पर दीक्षान्त प्रभिमापण देना कोई चार पर भी आमंगकर मत्यनारायण करना नहीं है, इस बात का प्रतुभव हुआ। रोजमर्मा का विषय लेकर भाषण तैयार करना भी मन को प्रिय नहीं लगा। प्रतः निश्चय किया कि भाषण किसी तात्त्विक एवं तात्कालिक परिस्थिति के प्रतुकूल विषय को लेकर तैयार किया जाए। उस हाटि से भाषण की तैयारी की तथा उसमें स्वतन्त्रता, समता, कानून तथा लोकतन्त्र इन चार विषयों पर विचार किया। यह भाषण हिन्दी में था तथा अनेकों ने उसे पढ़कर उसकी प्रशंसा की। उससे मन में आया कि इस भाषण के विषय को ही अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाए तथा उस पर एक धोड़ा-सा ग्रन्थ लिखा जाए। निश्चय स्थिर किया, भाषणक ग्रन्थ इकट्ठे किए तथा दूँ; महीनों में इस ग्रन्थ को लिखकर पूरा भी कर डाला। अब यह ग्रन्थ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

राज्य-विषयक कल्पनाग्रो का विस्तृत विचार 'राज्य-शास्त्र-विचार' नामक ग्रन्थ में मैंने किया है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता, समता तथा लोकतन्त्र का विचार 'राज्यव्यवहार-शास्त्र' एवं 'राज्यकारभार-शास्त्र' नामक ग्रन्थों में मैं कर चुका हूँ। 'विधिशास्त्र-विचार' नामक ग्रन्थ में मैंने कानून के तत्वज्ञान एवं व्यवहार पर विचार किया है। 'राज्योपनिषद्' नाम की छोटी सी पुस्तिका में वही विचार संक्षेप में प्रस्तुत किए हैं। तापापि इस ग्रन्थ में जो विचार मैंने पाठकों के सामने रखे हैं, वे राजनीतिगत दार्शनिक हाटिकोण से रखे गए हैं। यह सही है कि कानून, एवं समता के सम्बन्ध में विचारों को लेखबद्ध करते समय, एक विशेष कानून, एवं विशेष स्वतन्त्रता एवं एक विशेष क्षेत्र की समता मालों के सामने रही है, तथापि अधिक मात्रा में विचार इन सब विषयों के पीछे विद्यमान तात्त्विक सिद्धान्त एवं दार्शनिक हाटिकोण के सम्बन्ध में ही है। लोकतन्त्र सम्बन्धी विचार भी इसी हाटि से किया गया है। स्वातन्त्र्य एवं समता जिन बातों द्वारा मनुष्य के जीवन को मुक्ती पावं सम्पूर्ण बनाते हैं, वे बातें लोकतन्त्रात्मक राज्य ही में लोगों को

ग्रंथिक-से-ग्रंथिक मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। लोकतन्त्र का कार्यान्वयन कानून के द्वारा होता है। इस हिटि से कानून के महत्व, उसके द्वारा ही गई आशा के पालन की आवश्यकता एवं उसकी सीमा प्रादि बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता गत ढेढ़ सो बरसो में बढ़ी है। उसका पर्याप्त प्रचार हुआ है। यह सही है कि आज हमें अनेक प्रदेशों एवं राज्यों में स्वतन्त्रता की स्थापना हुई हिटिंगत होती है, तथापि उसकी रक्षा के लिए हमें सदैव जागरूक रहने की बहुत ग्रंथिक आवश्यकता है। 'यो जागार तमुच्चः कामयन्ते । यो जागार तमु सामानि यन्ति ।' इस वेदवाच्य के पीछे छिपे सत्य को ठीक से जान लेना बहुत जरूरी है। जो जाग्रत रहेगा वही स्वतन्त्र भी रह सकेगा, यह एक ठोस सत्य है। स्वतन्त्रता एवं ग्रंथिकारों का भास्तु का सम्बन्ध वैसा ही है, जैसा कि चडने और उतरने वाले समुद्र का तथा भूमि का होता है। ग्रंथसर पाते ही ग्रंथिकार या सत्ता स्वतन्त्रता पर हमला कर देते हैं। ग्रंथः सीमा पर का पहरा सदैव सजग होकर दिया जाना चाहिए। आज के पुण में जाग्रति की कितनी जरूरत है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। स्वतन्त्रता को साथक बनाना हो तो व्यक्तिमात्र को ग्राह्यिक क्षेत्र में सम्पन्नता, सामाजिक क्षेत्र में न्याय एवं समता तथा जीवन में पूर्णता का आनन्द प्राप्त होना चाहिए। इसी सिद्धान्त को विभिन्न हिटिकोणों से प्रतिपादित करने का इस ग्रन्थ में यथाशक्ति प्रयत्न किया गया है। इसमें आलोकिक ग्रंथवा नई बात कुछ नहीं कही गई। अनेक विचारकों ने जो कुछ इन विषयों पर कहा है, उन्हीं के विचारों का अनुसरण करते हुए, अपने अनुभवों की कसीटी पर उन्हें अच्छी तरह कस कर अपने कुछ एक स्वतन्त्र विचारों के साथ उनका प्रतिपादन मेने किया है। पाठकों को मेरा यह प्रयास इच्छिकर प्रतीत होगा, ऐसी आशा है।

न० वि० गाडगिल

अनुक्रमणिका

१. स्वतंत्रता सम्बन्धी कुछ स्थूल विचार	१
२. विचार स्वतंत्रता के विविध स्थैर्य	५१
३. स्वतंत्रता तथा सामाजिक अंकुश	१४२
४. स्वतंत्रता, समता तथा कानून	२१६
५. एक दृष्टिकोण	२६८

स्वतंत्रता संवंधी कुछ स्थूल विचार

आजकल की दुनिया में जिन राष्ट्रों को पहले दर्जे का माना जाता है, उनमें भारत की भी गणना की जाती है। सन् १९४७ के प्रगत महीने में भारत स्वतंत्र हुआ। संविधान-सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया तथा २६ जनवरी १९५० को उसे लागू किया गया। इस प्रकार भारत एक प्रमुख सम्प्रभु लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बना। संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य पूरा करके नवम्बर १९४६ में भारतीय जनता द्वारा उसे स्वीकृत कराया। भारत का यह संविधान भवीत के अनुभवों के आधार पर, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उच्चब्रह्म भविष्य के निर्माण के हेतु सावधान विचार विषय के मन्त्रित तैयार किया गया। प्रत्येक समाज भविष्य को ध्यान में रखकर ही वर्तमान काल के प्रयत्नों की दिशा निर्धारित किया करता है। समाज सदा बदलता रहता है। समाजगत नीतिक मूल्य बदलते रहते हैं। सामाजिक विचार क्षेत्र में एक भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती, जो बदलती न हो। आप किसी भी सावधानी क्षेत्र न बरतें, कोई कानून हर परिस्थिति में एक-सा तथा अपने आप में पूरा नहीं उत्तर मिलता। इस कारण बदलनी ही परिस्थिति के अनुसार ही सामान्य कानून एवं संविधान का भी बदलता अभीष्ट मिल होता है। भवन-निर्माण में जिस प्रकार सामान्य मरम्मत तथा मौलिक स्वरूप के परिवर्तन में भिन्नता रहती है, उसी प्रकार कानून में किये जाने वाले परिवर्तनों को भी दो भिन्न-भिन्न स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। एक वह जो सौकिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्वरूप का परिवर्तन कानून में किया जाता है तथा दूसरा वह जो उसमें मौलिक रूप का परिवर्तन किया जाता है। पर को रण देना, ट्रॉफ़िक को ढीक करना, दरवाजों परवाला लिडिंगों में घोड़ा-बदूत बदल करना एक भाव ही है। परन्तु घर के आकार को ही बदल डालना, उसके चबूतरों को तोड़कर नया रूप दे डालना दूसरी भाव ही है। जिस प्रकार इसी भवन की नींव तथा चबूतरा होता है तथा उसी पर सारी भवनरखना प्रवृत्तिन्वत रहती है, उसी प्रकार किसी भी समाज एवं राज्य की नींव की तरह कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं, जिन्हें बदल डालने का अभिप्राय होता है एक प्रकार की क्राति को जन्म देना।

सन् १९५० में भारत का संविधान लागू हुआ एवं उसके अनुसार लोकतन्त्र-हार का नियमन, निर्णयशुल्क तथा मानेदर्शन आरंभ हुआ। दो सावेजनिक चुनाव भी हो चुके हैं। एक दस दसों में संविधान में कुछ अहस्तकूरु संशोधन भी हो चुके हैं। जो सामाजिक एवं धार्यात्मक व्येष भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, उन्हें कार्यान्वयित करने की हाईट से संविधान का उपयोग करना होता है। यह कार्य सोगों की भासामों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करना होता है। भारत का राज्य भोक्तव्यात्मक गणराज्य होने के कारण नागरिकों को संविधान द्वारा

स्वतंत्रता प्राप्त है तथा प्रत्येक नागरिक को, उचित सीमा में रहते हुए, अपनी भीतरी प्रतिक्रिया को प्रकट करने का पूरा अधिकार है। मुद्रण भाषण स्वतंत्रता संगठन की स्वतंत्रता संविधान द्वारा उसे प्राप्त है तथा उम्मा यदि वह उपयोग करे तो उसे उचित ही माना जाना चाहिये। जो वस्तु विषय नहीं है, उसे नहने का उसको पूरा अधिकार है। उसे कहने का काम वह व्यक्तिगत रूप से करेया सामूहिक रूप से करें, उसकी इच्छा पर निर्भर है। कलियुग में शक्ति व्यक्ति में न होकर संघ में है, ऐसी उक्ति है। यदि कोई भ्रेता भाद्री सड़क पर चिल्लाता हो तो वह पागल कहनायेगा। पर यदि एक समूह बनाकर लोग चिल्लाते हुए तिक्कले तो उसे 'मोर्चा' अथवा 'प्रदर्शन' नाम दिया जायेगा। भौलिक अधिकार का उद्देश्य यही है कि अपने विकास के लिये व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, वह एक उचित सीमा में रहकर कर सके। केवल चुनावों के समय ही इस अधिकार को बास में लाने की बात नहीं है, वह उसका सार्वकालिक अधिकार है। भाषण एवं संगठन की स्वतंत्रता का व्यक्ति के जीवन में वही स्थान है, जो स्थान शब्दोंमें राज्य का हो सकता है। राज्य का कानून तथा कामकाज कागज पर किसी भी रूप में क्यों न लिखा जाय, उसका वास्तविक रूप वही है, जो व्यक्ति के अनुभव में प्राप्ता है। इसलिये व्यक्ति को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह समाज की डरोंमें पर जाकर अपने उस अनुभव को मुना सके। तथा सर्वसाधारण व्यक्तियों के अनुभव एवं सम्मति को ध्यान में रखते हुए मारात्मक का विचार करके शासन को राज्य का काम-काज करना चाहिये। लोकतान्त्रिक राज्य-प्रणाली का यह एक महत्वपूर्ण नियम है। इस दृष्टि से गत दस वर्षों में जो कुछ घटित हुआ है, उसे ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिये। तथा जिस नीति पर, एवं करनामों पर लोकतान्त्रिक राज्य की निर्निति हुई है, उन्हें भी निरन्तर अपनी दृष्टि के सम्मुख रखना चाहिये। भाज भारत में अनेक व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि राज्य के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, उससे उनकी भीनिक स्वतंत्रता कम हो गई है। लोकतन्त्र के सिद्धान्तों में जिस सम्पत्ति का प्रतिशादन किया जाता है, वहाँ को लगता है कि, भारत के लोकतन्त्र में उसका अनुभव जितनी मात्रा में होना चाहिये, उतनी मात्रा में नहीं होता। भाजः हर कोई अपनी बुद्धि के अनुमान उभार दृष्टि साताता है। ऐसी धरमस्था में, राज्य तथा उसके आधारभूत सिद्धान्तों का विचार करना भावशक प्रीत होता है। तथा इसी दृष्टि को सामने रखकर प्रस्तुत धन्य में विचार किया जा रहा है।

हम वह पाये हैं कि भारत एक प्रभुत्वसम्बन्ध लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है। जिस प्रभार मारत स्वतंत्र राष्ट्र है, उसी प्रभार मारत के निवासी भी स्वतंत्र नागरिक हैं, यह स्पष्ट है। स्वतंत्र राष्ट्र वे हैं, जो किसी धन्य राष्ट्र की भाजा नहीं मानते एवं उसे मानने के लिये नेतृत्व अथवा कानूनी किसी भी दृष्टि से वापित नहीं हैं। प्रभुत्व-सम्बन्ध राज्य वह है, जो किसी धन्य वी भाजा नहीं मानता एवं उसके अपने देश में धर्म कोई उसकी भाजा को न माने वो उसे निवित स्था से दण्ड किया जाय। इस बात 'वो सामने रखते हुए हमें देवना है कि भाषुविक राज्यों में स्वतंत्रता का वज्र भर्य है तथा उससे वज्र मीमांसा है। स्वतंत्रता का सामान्यता धर्म होता है किसी प्रभार के बंधन का अपरा सीमा का न होना। व्यक्ति को भारत में जीवन विताने के लिये

जिस परिस्थिति की आवश्यकता अनुमत होती है, उस परिस्थिति का होना ही, उसकी हृष्टि में स्वतंत्रता है। उस पर यदि किसी प्रकार का निपत्रण तथा प्रतिबंध लगा दिया जाय तो उसे संगता है कि उसका सुच कम हो गया है तथा उसकी स्वतंत्रता पर हमला किया गया है। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति को वंशक्रिय के लिये आवश्यक प्रतीत होने वाली परिस्थिति, जिस समाज एवं राज्य में वह विवास करता है, उसके उद्देश्यों एवं भावों के विपरीत नहीं होनी चाहिये। इस संगति को बनाने का अर्थ यह हूपा कि राज्य की शक्ति पर भी कुछ नियन्त्रण एवं प्रतिबंध होने चाहिये। व्यक्ति तथा समाज के दीच जो मवध हैं, उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समाज अथवा राज्य की सुरक्षा को हृष्टि में रखते हुए देखा जाना चाहिये। स्वतंत्रता का अर्थ बन्धनों का न रहना एक सीमित अर्थ में सही है। परन्तु व्यक्ति के विवास को ध्यान में रखते हुए उस स्वतंत्रता की कल्पना में एवं वस्तुस्थिति में भी प्रगति के लिये गुआपश रहनी चाहिये। व्यक्ति के वंशक्रियक विकास में बाहरी फ़रावट पैदा हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्ते पूरे रूप में नहीं रह पायेगी। व्यक्ति पर कोई स्वतंत्रता नाद नहीं करता। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कोई सीमा भी तोड़कर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। सीमा को स्वीकार करना अथवा कानून का पूरी तरह पालन करना स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार हिसी भी कानून को न मानना अथवा किसी भी सीमा को स्वीकार न करना ही स्वतंत्रता है, यह भी नहीं कहा जा सकता। सीमाएँ यदि व्यक्ति के विवास में बाधक न बनती हों तथा उसमें विफलता की भावना पैदा न करती हों, तो यह रहने में कोई आपत्ति नहीं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता असुरुण है। इसके विपरीत, व्यक्ति का मन जिस बात को नहीं मानता, उसे करने के लिये उसे बाध्य होना पड़े, तो यह कहना अनुचित न होता कि व्यक्ति भी स्वतंत्रता असुरुण नहीं है। समाज के हित एवं सुरक्षा को हृष्टि में रखते हुए व्यक्ति को अनियंत्रित एवं निःसीम स्वतंत्रता देना कोई भी अभीष्ट अथवा उचित नहीं मान सकता। तथा समाज के आत्मवंतिक हित की हृष्टि से किन्हीं बातों में राज्य के द्वारा नियंत्रण से काम लिया गया, तो उससे स्वतंत्रता असुरुण नहीं रही, ऐसा कोई स्वीकार नहीं करेगा। देवों का ठीका लगाना, प्राथमिक निष्ठण तथा मेलों के घबराहो पर ठीका लगाना आदि बातों में राज्य द्वारा जबर्दस्ती से बाप लिया गया तो उसमें स्वतंत्रता की हानि नहीं होती। किन्तु जहाँ जबर्दस्ती तो होती हो पर जिमका संबंध सावंजिक हित अथवा सुरक्षा से न हो, तो वहाँ यह कहना ही पड़ेगा कि इस प्राचरण से स्वतंत्रता की हानि होती है।

जब स्वतंत्रता पर लादे जाने वाले बन्धनों पर हम विचार करते हैं, तो हम यह मानकर चलते हैं कि कोई-न-कोई सत्ता ऐसी है, जो स्वतंत्रता पर बन्धन लादती है। जहाँ यह अमर्याद सत्ता बिन्ही थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में रहती है, वहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता का ठीक-ठीक उपयोग नहीं कर सकते। इतिहास में ऐसा एक भी उश्छाहरण नहीं, जहाँ किसी के हाथ में निःसीम भत्ता पाइ हो और उसका उपयोग विवेक से किया गया हो। इसके विपरीत निःसीम भत्ता मनुष्य में निःसीम अर्हकार को जन्म देती है तथा सत्ताधारी व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसका हर बाप ठीक ही होता है,

उसका हर कथन मध्य ही होता है। सत्ताधारी लोग यह भी मानते हैं कि वे जो कुछ करते हैं, वह सब लोगों के कल्याण के लिए होता है, और यदि सत्ता उन लोगों के हाथ में न रहे, तो राष्ट्र को मुसीबत वा सामना करना पड़ेगा तथा राष्ट्र उन्नति-पथ पर आग्रसर नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप, उनकी यह धारणा हो जाती है कि लोगों के कल्याण के लिए सत्ता का उनके हाथ में रहना बहुत आवश्यक है। इतिहास के इस अनुभव से हमें ज्ञात होता है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सत्ता के ऊपर नियन्त्रण आवश्यक है। नि.सन्देह स्वतंत्रता का उपयोग सत्ता पर ही निर्भर करता है। और तब तक स्वतंत्रता का उचित उपभोग असम्भव है, जब तक सत्ता पर भी किसी का उचित अंकुश नहीं रहता। इसी प्रकार समाज की स्वतंत्रता की रक्षा तब तक असम्भव है जब तक उसके बासावरण में निर्भयता न हो। सत्ता के आदेश के पालन की भाँति उसकी अनुचित आज्ञाओं का विरोध करना भी स्वतंत्र नागरिक का एक मौलिक सिद्धान्त है। हम वह चुके हैं कि स्वतंत्रता का सामान्य धर्य बन्धनों का न रहना है। परन्तु बन्धनों वा एकदम अमाव ही स्वतंत्रता है, ऐसा बहना भी ठीक नहीं। जिस समाज में नीतिक तथा कानूनी किसी प्रकार वा कोई बन्धन व्यक्ति पर न हो तो उस समाज का अस्तित्व सतरे में पड़ जायेगा। वहाँ शान्ति तथा व्यवस्था सतरे में पड़ जायेगी। 'मात्रमन प्रतिदूतानि परेणा न समाचरेत्' इस नियम का पालन जब तक व्यक्ति नहीं बरेगे, तब तक समाज की रचना सम्भव नहीं। यदि ही जाय तो वह बहुत विशृंखल रहेगी। समाज की नियमिति का यह एक मौलिक नियम है। समाज में घनेक व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक की बुद्धि, आशा, आकाशा आदि सब मिश्र होती है। इस कारण समाज की धारणा के लिए विन्ही नियमों एवं बन्धनों का रहना प्रतिकार्य हो जाता है। ये न रहे हो समाज में गठबंध फैल जायेगी तथा व्यक्ति वा मुख एवं मुखारा सतरे में पड़ जायेगी। अतः व्यक्ति एवं समाज दोनों वा साम इसी में है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ नियन्त्रण बना रहे। मनुष्य समाज में कही भी व्यक्ति को संवेदा उच्छृंखल स्वरूप की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। प्रधिक से प्रधिक प्रयत्न यह होना चाहिए कि व्यक्ति एवं समाज इन दोनों की इच्छामो तथा आदानों के मध्य नोई उचित सम्पुर्ण सन बनाए रक्षा जाय। सत्ताधारी व्यक्तियों द्वारा सोनों पर जो भी नियन्त्रण किया जाय, उसमें व्यक्ति के दिवास के लिए हर प्रकार की गुंजायश रखी जानी चाहिए।

यह सही है कि स्वतंत्रता के मानी बन्धनों वा न होना है तथापि हमें यह समझ सेना चाहिए कि यह सापेख है। एकदम बन्धनों वा अमाव ही स्वतंत्रता है, यह सही नहीं। कोई भी पन्था अपनाया जाय और कहीं भी नोरसी भी जाय इस बारे में व्यष्टि न हो सकी इसके मानी यह नहीं होते कि वह व्यक्ति दृष्टि समाज पूरी तरह स्वतंत्र है। नोरसी में हियरता न हो, घने में आमदनी न हो, और बेहारों वा दर सामने शोरूर हो सो ऐसी दबावस्था में यदि यह कहा जाय कि व्यक्ति वो पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है तो यह एक गिरावाहर बात ही होगा, अग्रनियत नहीं। स्वतंत्रता वा अपेक्षित याहूरी परिस्थिति की स्वतंत्रता नहीं, उग्रा गाढ़न्य व्यक्ति की मानविक व्यक्तिगति के गाय भी है। जीवा है इन्हिं जिनी भी गांव वो मंदूर बरदे नोहरी बरता परन्तु आसार-दन्धा बरते मुक्त घनेक मानविक व्यक्तियों में चीटि रहता

कोई स्वतन्त्रता का सिद्धाण्ड नहीं। ग्रायुवेद में स्वास्थ्य की व्याख्या करते हुए बढ़ा है कि शरीर, मन तथा शात्मा इन दोनों की प्रगतिशीलता वा ही नाम स्वास्थ्य है। ठीक इसी प्रवार शरीर रथा मन दोनों वी स्वतन्त्रता ही वास्तविक स्वतन्त्रता है। जब मनुष्य वा मन निदित्वन्त न हो, तब मतदान इत्यादि दोनों की स्वतन्त्रता कोई मानी नहीं रखती। आधिक चिन्ता का अभाव भी स्वतन्त्रता का सिद्धाण्ड नहीं है। अगर गुलामी को सानेपीने के मामले में सब प्रकार की छूट रहे तो भी वे गुलाम ही बने रहेंगे। अगर किसी के सामने एक घोर स्वर्ग घोर दूसरी घोर स्वतन्त्रता रथ दी जाय घोर निसी एक को चुन लेने के लिए कहा जाय तो निःसन्देह यह चुनाव उसके लिए एक टेढ़ी खीर ही जादेगी। यदि जीवन में आधिक सुमित्रिति न हो तो स्वतन्त्रता के कोई मानी नहीं; क्योंकि यह देखा गया है कि स्वतन्त्रता के घोर उपासक भी अधिष्ठित वी चिन्ता से आधिक सुमित्रिति की घोर मुक्ति है। नाम को स्वतन्त्रता ही घोर स्वतन्त्रता से प्राप्त होने वाला मुख न हो तो यह स्वतन्त्रता बेकार है। स्वतन्त्रता के मानी तभी पुरे होते हैं जब मनुष्य की आधिक स्थिति भी ठीक हो। तो भी आधिक सुमित्रिति ही स्वतन्त्रता है, यह समीकरण भी ठीक नहीं। यिस दुनिया में हम सौंप से रहे हैं, वहाँ हमें आधिक सुमित्रिति एवं स्वतन्त्रता के बीच साईं नजर आती है। इस दाईं को पाटने की वशमत्र जारी है। बुद्ध राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ आधिक परिस्थिति के प्रच्छाह होते हुए भी मनुष्य का जीवन जकड़ना गया है और उसकी विचार-शक्ति नुस्खाप्राय हो गई है। यिस तरह प्राजकल दुकानों पर 'रेटिमेड' कपड़ा विकने लगा है ठीक उसी प्रकार रेटिमेड विचार घोर तिहान्त भी विकने लगे हैं; या कहिए, लोगों को उन्हें खरीदना पड़ रहा है। यह कोई मुख लक्षण नहीं है। वैचारिक स्वतन्त्रता एक मूल्यवान बस्तु है। उम्रां गंवा यैठना कोई अच्छी बात नहीं। प्राप्त स्वतन्त्रता को काम में लाना भी कोई ध्यासान बात नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है घोर इस दाक्ति को हासिल करना कोई हँसी-बेस नहीं है। इस शक्ति की प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी शिक्षा की आवश्यकता है घोर इस कारण व्यवित को शिक्षा प्राप्ति की अधिकाधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए। ज्ञान एक शक्ति है घोर यिसके पास ज्ञान का संबद्ध जितना अधिक होगा, वह उतना ही अधिक प्रभावशाली खिद्द होगा। ज्ञान प्राप्ति का अवसर प्रदान करने से इन्कार करना स्वतन्त्रता से विचित रखना ही नहीं है, बल्कि व्यवित को उसके अधिकारों से विचित रखना है एवं उसे समर्थ न होने देना है। अगर कोई किसी व्यवित पर पदार्द्ध-लिखाई के लिए जबदंस्ती करे तो इसके मानो यह नहीं कि वह उस व्यवित को स्वतन्त्रता का अपहरण कर रहा है; क्योंकि पदार्द्ध-लिखाई से ज्ञान प्राप्त होगा घोर वह ज्ञान व्यवित की स्वतन्त्रता के लिए बहुत उपयोगी खिद्द होगा। यथा: इस मामले में जबदंस्ती से काम लेना भी उस व्यवित के लिए बहुत बड़ा शक्ति-दान है। अपने अनुभवों की अधिक असंबृत हृष में रामायन के गम्भुज उपस्थित करने के कार्य में ज्ञान बहुत अधिक सहायक होता है। जब तक मनुष्य अपने अनुभवों को उचित हृष में अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, तब उसके उसकी स्वतन्त्रता पूर्ण नहीं होती। घोर स्वतन्त्रता का सही मानों में उपभोग करने के लिए मन का चिकित एवं सुसंस्कृत होना परम आवश्यक है।

व्यक्ति को जिस समाज में रहना है, उस समाज में यदि बहुत अधिक विषयमताँ हो, तो व्यक्ति स्वतन्त्रता का उपभोग नहीं कर सकता। जिस समाज में कुछ ही व्यक्तियों को विशेष मुविधाएँ भव्यवा अधिकार प्राप्त हों तो उस समाज के नागरिक को स्वतन्त्र बहना उपहासात्पद सिद्ध होगा। इसी प्रकार धर्म, जाति एवं जन्म की हृष्टि से समाज के अलासंरूपकों पर बहुसंख्यक अत्याचार करें, वहाँ भी नागरिक की स्वतन्त्रता सन्देह में पड़ जाती है और यह उसकी स्वतन्त्रता पर एक असह्य प्रहार सिद्ध होता है। स्वतन्त्रता के लिए समाज में समता का होना बहुत जरूरी है। इसमें सन्देह नहीं कि सत्ताधारी वर्ग के अत्याचारों से प्रेता को मुक्त करना भी स्वतन्त्रता का एक भर्त्य है। सत्ताधारी चाहे कोई व्यक्ति हो, वश हो या कोई वर्ग हो, सब सत्ता को इस रूप में क्रियान्वित करते हैं कि हर व्यक्ति को उनका कहा मानना पड़ता है और उनके आदेश के अनुसार काम करना पड़ता है। यदि कोई उनका कहा न माने तो उसे स्वतन्त्रता के फल से बचित रहना पड़ता है। उस पर अत्याचार के पहाड़ न भी ढूँढ़ते ही उसे उपेक्षित तो होना ही पड़ता है और इसी कारण स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सत्ता को सीमित किया जाता है तथा स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ही कुछ भौतिक अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं तथा राज्य इस बात का आश्वासन देता है। ससार के सभी देशों का अनुभव है कि अनियन्त्रित सत्ता स्वतन्त्रता का घोर शत्रु है। यदि सत्ता पर नियन्त्रण न हो तो किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है और इसमें व्यक्ति के थेण्ठ एवं उदात्त गुणों का भीतर ही भीतर लोप हो जाता है, जिसके फल-स्वरूप समाज को भी उत्तम गुणों से बचित रह जाना पड़ता है। यदि सत्ता के अनियन्त्रित होने पर व्यक्ति को अपने गुणों का विवास करने का अवसर मिलता हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के उन गुणों से पूरे समाज की प्रगति न होकर केवल सफेद पोश, मालदार अथवा सब प्रकार से सम्पन्न व्यक्तियों का ही हित होगा। सत्ता का उपयोग करने वाले समाज के जिस स्तर से अथवा जिस वर्ग से सम्बन्धित होते हैं, उसी वर्ग के हित के लिए सत्ता का उपयोग किया जाता है। मतदान का अधिकार जिस वर्ग के पास है, उसी वर्ग का हित किया जाता है। इतिहास का यही अनुभव है। जिन दिनों मतदान का अधिकार देखकर हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। यदि समाज के निसी व्यक्ति अथवा समूह को राजकीय काम-काज में भाग लेने का अधिकार न ही धर्यात् उन्हें अपने विचार प्रकृत करने का अधिकार न हो, तो कहना होगा कि उन व्यक्तियों अथवा समूहों की नागरिकता अधूरी है। वे सत्ता से ही बचित नहीं, अपितु गुलोपभोग से भी बचित हैं। धर्म, वंश, शिक्षा अथवा सम्पत्ति किसी भी हृष्टि से अवैतियों की नागरिकता के अधिकार से बचित वयों न किया जाय, फल एक ही होता है; इसलिए स्वतन्त्रता को हर हृष्टि से स्वयंपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में उमड़ा उपयोग समता वी हृष्टि से होना चाहिए। समता ही स्वतन्त्रता नहीं है। परन्तु समता के अभाव में स्वतन्त्रता अपूर्ण है। लोग वहते हैं कि समता

और स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी बनते हैं तथा आज भारत में इस विरोध की बहुत अधिक चर्चा है। एक पक्ष का कहना है कि राज्य द्वारा व्यापार तथा उद्योग पर नियंत्रण से स्वतन्त्रता की हानि हुई है। यह भी कहा जाता है कि कानून द्वारा समता स्थापित करने से स्वतन्त्रता के वास्तविक रूप की हानि हुई है। दूसरे का यह भी कहना है कि जब निमंत्रण: मनुष्यों में तथा उनकी बुद्धि में समता नहीं है, तब कानून की सहायता से इस नैसर्गिक विषयता को बदलकर समता लाने से व्यक्ति के विकास में एक प्रकार से वाधा उत्पन्न हुई है तथा उनकी स्वतन्त्रता की हानि हुई है। समता की मौज से स्वतन्त्रता की हानि होती है यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। समता तथा स्वतन्त्रता में विरोध नहीं है बल्कि ये दोनों वस्तुएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। किसी निरंकुश शासक के राज्य में प्रजा के हर व्यक्ति पर समान रूप से प्रतगाचार होता है, तो वहाँ समता तो है पर स्वतन्त्रता नहीं। जहाँ आवश्यक मात्रा में समता न हो वहाँ स्वतन्त्रता का दोक से उपभोग नहीं हो सकता। समाज में, विशेषजट उम समाज में, जहाँ विषयता अधिक है तथा अधिक तीव्र है, समता की इच्छा भी अधिक तीव्र रहती है। जहाँ विषयता साधारण मात्रा में हो वहाँ समता की इच्छा उसनी तीव्र नहीं होनी और वह रेष का इष धारणा नहीं करती। परन्तु वहाँ विषयता अधिक तीव्र होती है वहाँ समता की मात्रा भी अधिक तीव्र होती है तथा उसका फ़्लान्टर सामाजिक ढैर में होता है और वहाँ क्रान्ति की मात्रा जन्म लेती है। विषयतायुक्त समाज की विषयता का भावार कोई नैसर्गिक स्थित नहीं होता। जो खोल सम्पन्न होते हैं, उनकी सम्पन्नता में मनुष्य द्वारा निर्मित वास्तुव व्यवहा मनुष्य द्वारा निर्मित भामाजिक परिस्थिति का हाथ रखता है। शरीर के रंग व्यवहा ऊँच-नीच को देखकर जोगों को गुस्सा नहीं पाता। कोई व्यक्ति बगंर मैदान के मातदार या मुर्ही हो तथा कोई व्यक्ति हिन्दी नैसर्गिक व्यवहा शारीरिक दुरुणों या अयोग्यताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के कारण इनसे व्यक्ति तथा उपेक्षित होती है, इन दोनों वर्गों के बीच के सम्बन्ध क्रान्ति की पृष्ठभूमि बन जाते हैं और इस क्रान्ति का मार्गदर्शन करते हैं ऐसे गुणों एवं योग्यता रखने वाले लोग, जिनके गुणों की पूरी तरह उनका एवं व्यवहेनना की गई होती है। सम्पत्ति एवं समृद्धि के बल पर मुख पर अधिकार जताने वाले लोग व्यवसंस्था में होते हैं। इस कारण बहुसंख्यक लोग उनके विलक्षण उठ सड़े होते हैं। सम्पत्ति की प्राप्ति एवं रक्षा सत्ता के द्वारा की जाती है तथा यह सत्ता एवं सम्पत्ति इच्छा होकर समाज के बहुसंख्यक वर्ग को मुक्तोपमोग से बचिन रखते हैं। ऐसी बात नहीं कि मुख की प्राप्ति वही होती है, जब सत्ता हाथ में हो तथा ऐसी भी बात नहीं कि सत्ता के न होने पर मुख भी प्राप्ति होती हो। बिन्दु इनका अवश्य स्थित है कि सत्ता के प्रमाण में जो मुख की प्राप्ति होती है, उसकी मात्रा बहुत सीमित रहती है। सत्तासम्पन्न व्यक्तियों के उपभोग के बाद जो बचा-नुचा मुख रह जाता है, वही सत्ताहीन व्यक्ति की नसीब हो पाता है। भ्रतः जहाँ समता है, जहाँ सामाजिक अधिकार समान है, वहाँ मुखोपमोग का वितरण अधिक भव्यरूप होता है और इसी कारण स्वतन्त्रता का उपभोग भी अधिक मात्रा में तथा अधिक घटनी सरह होता है। इतिहास हमें देताता है कि जिन दोनों में विशेष मुविधाओं एवं विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है, वहाँ जोगों के

गुणोपभोग में वृद्धि ही होते हैं। विषय सह ही जटी गमता घटित हो, वही रागनिषद् का उपभोग एवं उपयोग घटित होता है तथा घटित उत्तम रीति में होता है।

विषय प्रसार रागनिषद् का गुणोपभोग में विषय उपरे प्रसीद गमता गो थीक-ठीक गमता घटावद्धता होता है, उगी प्रसार गमता को भी थीक-ठीक गमता में विषय है उपरे विषय घटों का प्रसारण करता होता है। विषय प्रसार इत्यनिषद् के उपभोग में विषय उपरे विषय घटों का गमता घटावद्धता होता है, उगी प्रसार गमता में विषय भी कुछ निष्ठात्मा घटावद्धता होते हैं और उन निष्ठात्मा में ही गमता का निष्ठात्मा घटावद्धता को ग्राह करता है। यदिगर्विक निरकृत एवं निष्ठात्मा हीन गमता की इच्छा की जाप ही उपरे गमता को घटावद्धता नहीं ग्राह होती और परम्परिति का विषय होता है। गमता का घर्यं निररोक्ष गाहृत्य घटता प्रस्त्रेण वृक्षिति के गाप एह ही गमते में हृषा हृषा वृद्धहार मही है। यनुष्ट निष्ठीर नहीं है। उपरे दारीर का घटावद्धता भी गमता नहीं घटता और उपरे भव भी विषय घटता घटता का घटावद्धता तो वह तथा घोटी दीनों ही के गमत्यं गे यादूर भी थात रही है। यत्तपरम्परा से प्राप्त हीने वासी यातिर गमति को कानून द्वारा घम या घटित रिया जा गता है; परन्तु मानवित गमति को कानून द्वारा घम या घटित नहीं रिया जा गता, भने ही यह गमति उप वृक्षिति को वह परम्परा से ग्राह कुई हो। ग्राम प्रस्त्रेण वृक्षिति को वृद्धपरम्परा से रियो न रियो यात्रा में गानवित विधारो का उत्तराधिकार ग्राह होता है तथा गामाजिक परिस्थिति के वारण्य मनुष्य के इकमात्र पर जो ग्रामव घड़ता है, उग्हे परम्परा प्रस्त्रेण वृक्षिति का इकमात्र घम या घटता भी जा बदला है। घत. गमता में इन्हीं विविषताओं एवं विषयताओं का होता अनिवार्य है। 'मुन्दे-मुन्डे मतिभिन्ना' याता गिरान घयोष्य नहीं है। यह मति घमता इकमात्र गामाजिक परिस्थिति तथा यत्तपरम्परा से पहले घाने याने गहरारो से निभित होता है। मनुष्य का भव कोई निररोक्ष यस्तु नहीं है; शलिन यह ऐतिहासिक निभित है। उसे यांगान घम में साने के लिए घनेह पीड़ियों का रामय लगा है। थीक इसी प्रसार घनेह पीड़ियों नक प्रवर्णन करने से उसके यांगान इकहृष्ट को बदला भी जा सकता है। यह घमता ताँगत है। तथापि यात्र गमता के घन्दर वृक्षिति घमता में हृषिकेयर हीने वाली विविषता एक ठोग सारण्य है और उसकी उपेक्षा नहीं को जा मरती। योहे और घमते सब तो एक जैसा समझार वृद्धहार करना घस्तम्भव नहीं है तथापि घयाढ़नीय है। मुद्रेर से सेकर भितमंगे तक सबके गाप एक ही जैसा वृद्धहार करना गमता का गही घर्यं नहीं हो सकता। प्रस्त्रेक मनुष्य की गुणोपभोग की कामना रहती है; परन्तु प्रस्त्रेक मनुष्य की गुणोपभोग गमधन्यी विचारपरा एक जैसी नहीं होती। इस कारण गमता में रहते हुए गुणोपभोग के लिए मनुष्य को जिस परिस्थिति की घावद्यकता होती है, वह भी एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए प्रस्त्रेक मनुष्य को घपनी इच्छा के भनुतार गुल की प्राप्ति का घवसर समाज द्वारा मिलना चाहिए। यदि कोई मटर पसन्द करता हो और दूसरा मेधी पसन्द करता हो, तो उसकी घपनी इच्छानुमार वस्तु खरीदने की सूख देना गमता के विशद्ध आचरण करना नहीं होगा। योहे वृक्षिति घकीस बनना चाहता है,

कोई डायटर सथाकोई व्यक्तिकारीगर बनना चाहता है। यदि समाज इन सब व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार अपने दो बनाने का अवसर प्रदान करे, तो इसे विषमता का नाम नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार कृषिन स्वस्थ के बन्धन एवं नियंथणों से यदि जीवन के किन्हीं दोषों को किन्हीं निश्चित व्यक्तियों प्रथमा समूहों के लिए सीमित कर दिया जाए तो निश्चित ही यह बात समता की कलाना के बिल्ड होगी। समता का अर्थ है स्तर की समानता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति एवं कोशल को विकसित करने का अवसर समान रूप से मिले तो यह समता होगी। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्तिको उसके धर्म प्रथमा उसकी जाति के बारण इन प्रधिकारों से वचित रखना विषमता होगी। मौलिक अधिकारों में यदि किसी प्रकारको ऊंच-नीच बनाए रखने पड़े तो यह देख लेना चाहिए कि वह किसी उचित उद्देश्य के लिए है तथा उसमें सांबंजनिक हित होता है। साथ ही यह भी देखना होगा कि वह ऊंच-नीच लोगों को स्वीकृत है या नहीं। जो बातें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के एवं ग्राम्यात्मक विकास के लिए आवश्यक हों वे सब की सब प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। उनके प्राप्त होने के बाद यदि किन्हीं गोण वातों में किसी प्रकार का कोई भेद हो जाए तो उसका उतना विरोध नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को मालपूरा और स्वीकार साने का अधिकार तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक समाज के हर व्यक्ति को रोजमरा का दोनों समय का खाना नहीं बना न हो। किसी भी व्यक्ति को बहुत ऊंचे दर्जे की पढ़ाई-लिखाई का अधिकार तब तक नहीं मिलना चाहिए, जब तक प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यक शिक्षा नहीं मिलती। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो समता का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। समता का अर्थ हूँगा कि व्यक्ति मात्र को समाज में रहते हुए मास्मोर्यति के लिए समान अवसर का प्राप्त होना। तथा यदि किसी को यह अवसर कम मिलता हो अथवा किसी को कम अवसर देना हो, तो यह देख लेना चाहिए कि वैसा करना समाज के हित में है या नहीं। यह बात स्वर्यसिद्ध हीनी चाहिए। शहरियों को शिक्षा की ज़रूरत है, यह देखकर गांव 'वालों की शिक्षा में कभी करना अथवा विद्विद्यालयीन शिक्षण की आवश्यकता अधिक है, यह देखकर प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले सर्वे में कटोती करना समता के मिदान्त के अनुकूल नहीं बँठता। किसी कार्यविदेश के लिए किसी व्यक्तिविदेश को, उसकी योग्यतां को देखते हुए, प्रधिक अनुकूल समझने से समता की हानि नहीं होती। ही, उस व्यक्ति वा चुनाव उसके गुणों को देखकर किया जाना चाहिये। सम्पत्ति को गुणों पर रीफ़ार व्यक्ति के पास आना चाहिए, वेवल व्यक्ति के वंश अथवा जन्म पर रीफ़ार नहीं। गुणों के मनुपार व्यक्ति को इनाम दिया जाये तो इससे समता के अर्थ की हानि न होकर उस पर प्रकाश पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के वैयक्तिक स्वार्थ की पूति के लिए राज्य द्वारा व्यक्ति नहीं रखा जाएगा, उसकी उपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि यह अवश्य ही सो दूसरे समता में बृद्धि होती है। यदि कोई ऐसी दिक्कत हो जो हर व्यक्ति के सामने समान रूप से आई हुई हो तो व्यक्ति को उसके बिल्ड कोई शिकायत नहीं होती। समान अवसर देने के बाद यदि किसी को वस्त्र और किसी को प्रधिक लाभ होता हो तो उसका दोष समाज के भव्ये नहीं मढ़ा जा सकेगा तथा इस

पास्त्र विकार' नामक पंथ में दिया गया है। भारतीय तत्त्वज्ञान इस गम्भीर में थोड़ा-सा भिन्न है तथा ग्रामीण भारत में राजदण्डियक वलना के विचार का इतिहास मनो-रखक है। तथापि उत्तर विचार के गम्भीर में तिगों दंग प्रमाण में विचार करने की प्रस्तुत सेवक की मनीषा है। सामाजिक यो बहाजा गता है जि सर्वभूत गमानता हिन्दू सत्यता की भारता है। यतः राजनीति पर भी इस तरह का प्रभाव पड़ा है। जो कुछ प्रात्मवग है, वह स्वतन्त्रता है और जो परवग है, वह प्रभावशाला है, यह विचार-पारा भारतीय समाज में प्रायोनवाले गे खसी धा रही है। भारत में समाज की रक्षा एक विशिष्ट विचारपारा पर आधारित होने के बारण समता की विचारपारा कुछ मात्रा में गीभित हो गई है। तथापि स्वपर्वानुमार अवहार करने में स्वतन्त्रता एवं मुक्त रहता है, इस हाट से समाज में यगों की रक्षा बरबे घर्य इत्यर्था बनाई गई है। भारतीय समाज के रूपादां यपों के इतिहास में हम देखते हैं जि विचारों की पूर्ण स्वतन्त्रता है। उन्हें बहने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। परन्तु अवहार में घने की हापि से एक प्रकार का दृश्यन है। भारत के राजनीतिक विचारों में जो अवहस्ता है, वह घर्य पर आधारित है। इस बारण स्वतन्त्रता तथा समता के विचार को वही भीलिक नहीं माना गया, वह बहना भनुचित नहीं होगा। पाइनाट्य राष्ट्रों में जो राजनीतिक तत्त्वज्ञान विचित हूमा उगमे थुस्मे ही स्वतन्त्रता एवं समता को भूताधिर मात्रा में स्थान दिया गया है। ग्रीक देश के राजनीतिक विचारों से लेस्टर पांग देश की क्रान्ति के समय के राजनीतिक विचारों तक स्वतन्त्रता का घर्य निरंकुन स्वतन्त्रता नहीं समझा गया। राज्यकर्त्ताओं अथवा राज्य की भीमा में रहने हुए तथा राज्य के सनदभूमि में जो स्वतन्त्रता होती है, वही वास्तविक स्वतन्त्रता है। जर्मन राजनीतिक विचारों के अनुसार तो राज्य की धाजाधो पा पालन करना ही स्वतन्त्रता का मुख्य लक्षण हो गया था। स्वतन्त्रता का घर्य केवल दम्भनों का भ्रभाव न होकर अवित को अपनी इच्छा के अनुमार निर्णय करने का अधिकार उपर्युक्त विचारपारणी के अनुसार स्वतन्त्रता का लक्षण था। तथापि यदि प्रत्येक अवित को अपनी-अपनी इच्छा के अनुमार निर्णय करने का अधिकार दिया जाए तो वडी ही विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अत राव अवितयों के निर्णय में जो वस्तु समाज हो, उसी को समाज की इच्छा भानना चाहिए तथा उस इच्छा पा राज्य प्रतिनिधि राज्य को मानना चाहिए तथा राज्य की इच्छा के अनुमार अवहार करना एवं राज्य की धाजाधो का पालन करना ही स्वतन्त्रता का लक्षण है, ऐसा उत्तर विचारधारा का स्वरूप था। अवित कोई कट-पटीग निर्णय ले सकता है। अवित की इच्छा अनगेल हो सकती है। अवित के विचार अवधवस्थित हो सकते हैं। इन सब रोमों का एकमात्र इच्छा एक बार निर्दिष्ट हो जाती है, तब अवितयों की अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार किए गए निर्णयों की अनगेलता एवं अव्यवस्थितता दूर हो जाती है। इसका यह अभिप्राय लिया गया कि अवित राज्य की इच्छा के अनुमार जैसे-जैसे अवहार करेगा तथा राज्य की भाजा का पालन करेगा, वैसे-वैसे उसकी स्वतन्त्रता बढ़ती चली जाएगी। राज्य तथा अवित, समाज तथा अवित के बीच सम्बन्धों की कल्पना कुछ इस प्रकार की है-

कि राज्य धर्मया समाज की इच्छानुसार व्यवहार करना ही स्वतंत्रता का लक्षण है। इसी विचारधारा को स्वीकार करने से अनेक कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो धर्म है, वही राज्य की भाजा में निहित है तथा जब मैं राज्य की भाजा का पालन करता हूँ तब मैं पपनी ही भाजा वा पालन बिया करता हूँ, ऐसा इस विचारधारा वा धर्म होता है। जैन-जैने राज्य के धर्म और उद्देश्यों वा साधारण मुक्ते होता जाता है, वैने-वैने राज्य के धर्मों और उद्देश्यों में मुक्ते परने ही धर्म एवं उद्देश्य प्रतिविविदन दिखाई देते हैं। इस कारण राज्य की इच्छानुसार व्यवहार करना मुक्ते परनी इच्छानुसार व्यवहार करना प्रतीत होने लगता है। राज्य भाजा देता है इसका धर्म यह हृषा कि मैं ही भाजा देता हूँ। इस प्रकार की विचारधारा के मूल में राज्य के भ्रन्तर्गत व्यक्तियों की इच्छायों एवं भाजायों का सामुदायिक रक्खन् राज्य की इच्छायों और भाजायों में समाप्ति है, यह भाव काम करता है और इसीलिए यह बात प्रभासित होती है कि राज्य की इच्छा न केवल व्यक्ति की इच्छायों का प्रातिनिधि करती है बरन् उनी वो प्रमुखता प्राप्त है और उसके अनुकूल व्यवहार करने से मेरा व्यक्तिगत कल्पाण ही होता हो, ऐसी बात तभी, बरन् राज्य के हित में ही मेरा धरना भी हित है। और यदि वह हित मिठ दृष्टा तो समझना चाहिए कि मेरा धरना हित मिठ दृष्टा। 'सर्वे पदा हृष्टिरदे निमनाः' ऐसा समझना चाहिए। यदि एक ही शब्द में कहें तो कहना होगा कि राज्य की भाजा के पालन में ही स्वतंत्रता निहित है। स्वेच्छा से किए गए निरुद्धों में स्वतंत्रता नहीं, अपितु राज्य द्वारा आदेगए निरुद्धों में स्वतंत्रता निहित है, यह इस विचारधारा का निष्पर्य है।

१६वीं सदी के भारती की यह विचारधारा, जिसका धूरोग पर बड़ा असर रहा है, बहुत देर तक न टिक सकी। इस विचारधारा को स्वीकार कर लें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्य ही नहीं रह जाएगा। उसकी इच्छाएँ मूल्यहीन ही जाएंगी। उसका निश्चय लेगड़ा पड़ जाएगा। तथा प्रत्येक व्यक्ति के इस स्वभावसिद्ध अनुभव के लिए कि वह भी कुछ है, तथा अन्यों को अपेक्षा अपने में भिन्नता रखता है, कोई अवकाश ही नहीं रह जाएगा। राज्य में व्यक्ति का प्रतिक्षण वास्ता पड़ता है तथा व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि राज्य एक हृकृप देने वाला संगठन है। या तो वह व्यक्ति राज्य की भाजा को स्वेच्छा से स्वीकार करे या फिर उसे अपरिहार्य मान कर स्वीकार करे। परन्तु यदि वे भाजाएँ उसकी मौलिक धारणा के विरह हों, तो उसका विरोध करने वी तात्त्विक भूमिका प्रदद्या नैतिक अधिकार इस विचारधारा में उसके लिए नहीं रह जाएंगे। व्यक्ति को किसी ऐसे काम के करने में, जो उसे अद्योग्य तथा अप्रिय प्रतीत होता हो, स्वतंत्रता को अनुभूति करने हो सकेगी? बाहु जगत् के साथ सम्बन्ध आने के बाद व्यक्ति को जो कार्य उचित प्रतीत होता है, उसे वह करने न दिया जाए तो भले ही वह कानून के अनुकूल हो तो भी उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। निश्चित ही वही नैतिकता की इटि से थूँ जाता है। व्यक्ति के धरने अनुभवों को अनुवित कह कर उसे धन्य व्यक्तियों के अनुभवों के अनुसार काम करने को बाध्य करना उसका अपमान करना है तथा इससे व्यक्ति के गुणों का हनन होता है। हरे व्यक्ति

तरह से विचार होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। धर्माधिक विचार शक्ति हर व्यक्ति में रहती है। व्यक्ति वा उग्रे जगत्त्रीयन में अन्यों के साथ सम्बन्ध पाता है तथा उग्रे ग्रन में गैदा होने वाले विचारों वा जगत्त्री ग्रन्थों से होता है। वे विचार सर्वशापारण समाज के विचारों से मिसेन-जुमेन हैं। तपाति उनमें प्रत्येक व्यक्ति की भवनी विशेषता भी होती है। साम एक ही है। पर उने जोई पूर्ण कर सायेगा, कोई भाकू से दुष्टा करके सायेगा, तथा जोई उमड़ा रग निरामकर सायेगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भवनी विशेषता रहती है। याहू जगत् के साथ आने वाले सम्बन्धों से बलान् प्रतिक्रियाघों को भवने विचार रूपी इमामदस्ते में कूट कर हर व्यक्ति एक प्रशार का रामयन निर्माण करता है। व्यक्तिगत स्वर्ग में विए गए विचारों को, व्यक्तिगत स्वर्ग में निश्चित की गई बातों को व्यक्ति समाज के सामाजिक व्यवहार में अवतरित करता है। जब यह ऐसा करने में समर्पय होगा, तभी कहा जा सकेगा कि उस व्यक्ति को स्वतन्त्रता प्राप्त है।

जहीं तरह हो गके व्यक्ति को समाज एवं राज्य के हृष्टिकोण के साथ भवने विचारों वा धर्मिक सामर्ज्जस्य स्थानित करना चाहिए, इसी में धर्मिक स्वतन्त्रता है। इस विचारपारा में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर के थोक्त तत्त्वों को छान ने रक्षकर ही राज्य के आदेशों की गृहिणी होती है। परन्तु इसका धर्मिक प्राप्त यह नहीं कि व्यक्ति केवल थोक्त तत्त्वों का ही सचय है। प्रत्येक व्यक्ति गुण-दोषमय होता है तथा व्यक्ति की हृष्टि एवं रूप न होकर उपभयस्य रहती है। भर्यान् उसके विचारों की सूचिभने तथा बुरे दोनों प्रशार के अनुभवों से होती है। व्यक्ति वा अस्तित्व उन सब वस्तुओं एवं सकलों वा सकलन है, जो गतिर में विद्यमान हैं। भर्यान् व्यक्ति के जीवन के किसी एक घंटे को पृथक् करके उस पर विचार करना उचित नहीं। व्यक्ति अर्थने जीवन में जो भी प्रयास करता है, उनका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है तथा उसमें प्राप्त अनुभव उस व्यक्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होने हैं। व्यक्ति के सारे प्रयास इस उद्देश से होते हैं कि उसे भवने जीवन में मार्घस्ता प्रतीत हो। अत राजकीय आदेशों अथवा सामाजिक हृष्टिकोण में प्रत्येक व्यक्ति का पूरा-पूरा हृष्टिकोण समाविष्ट हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पौर इसी कारण उस अश तक मह कहना पड़ेगा कि जिन बातों का अनुभव व्यक्ति को नहीं प्राप्त हुआ उनके मामले में उसे अन्यों के अनुभवों पर निर्भर रहना होगा। इसका स्वाभाविक फल यह होगा कि 'व्यक्ति स्वतन्त्र है' ऐसा कहना अनुचित हो जाएगा। यह पूर्णतया सत्य नहीं कि समाज के हृष्टिकोण अथवा राज्य के आदेशों में उन्हीं बातों का समावेश होता है जो प्रत्येक व्यक्ति में समान हैं। 'मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना' ऐसी बास्तविक परिस्थिति है। ऐसी अवस्था में, जो अनुभव एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, वही दूसरे को भी प्राप्त होता है, यह सिद्धान्त सर्वांश में सच नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि भिन्न-भिन्न मनोरचना वाले लोग राजनीतिक क्षेत्र में तथा सामाजिक क्षेत्र में निवास करते हैं। काल की हृष्टि से भी मनोरचना में भिन्नता होती है। आज जो अनुभव होता है वही सदैव अनुभव होता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। इनना ही नहीं, जो वस्तु आज जैसी प्रतीत होती है, वह सदा वैसी ही प्रतीत होती रहे, ऐसी भी बात नहीं।

इस प्रकार प्रतिशोण बदलने वाली मनोरचना की पृष्ठभूमि में मनुष्य किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में कोई निश्चित एवं अगरिवर्तनीय मत नहीं बना सकता। आज हर कोई चाहता है कि संभार में शांति रहे तथा भारत को समृद्धि में वृद्धि हो। परन्तु मसार दी शान्ति के सम्बन्ध में हर व्यक्ति की धारणाएँ भिन्न हैं एवं भारत की समृद्धि के सम्बन्ध में भी हर व्यक्ति की इच्छाभिन्न-भिन्न है। किसी के मत में उत्तापन की अधिकता ही राष्ट्र की समृद्धि का लक्षण है तो किसी के मत में उत्तराप्ति के विभाजन को अधिक समर्पण ही समृद्धि का लक्षण है। समृद्धि एवं शान्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रांत में बहुत-सी बातें समान हैं; तथापि प्रत्येक के अनुभव एवं इच्छाओं में भेद हो रहे हैं। इन सब अनुभवों एवं इच्छाओं को स्थूल रूप से एकत्र करके उनमें समन्वय को स्थापना का प्रयत्न किया जाय, तो उससे भी हर व्यक्ति का मानसिर सन्तोष हो जायगा ऐसा कहना बहिन है। राजनीतिक सेत्र का तो अनुभव मह है कि स्थूल रूप से एक ही हित्यकोण वाले लोग जब एक जगह पर जमा होते हैं, तब उनकी भिन्नता और पृथकता और अधिक स्पष्ट होकर सामने आती है। यहाँ तक कि एक वस्तु को यदि एक व्यक्ति रचनात्मक ममकर्ता है तो दूसरा व्यक्ति उसी को चिनायात्मक समकर्ता है। एक वस्तु यदि एक व्यक्ति को सफलता प्रतीत होती है, तो वही वस्तु दूसरे को ममकर्ता प्रतीत होने लग जाती है। इन बातों को देखते हुए यह कहना बहिन है कि किसी भी एक वस्तु के सम्बन्ध में सम्मूर्ख समाज की एक ही धारणा है। तथापि कुछ घुंघले रूप में यह बात कही जा सकती है कि सारे समाज की इच्छा का स्वरूप बया है। किन्तु प्रत्येक व्यक्ति की धारणा अपने पास में एक-दूसरे से सर्वेषा भिन्न हो रहती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को जान नहीं सकता। यदि मदकी इच्छाओं को एक जगह इच्छा करके उसकी एक ढेरी बना दी जाए, तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का स्वरूप स्पष्ट रूप से हित्योचर नहीं हो सकता। अतः राजनीतिक तत्वज्ञान का आधार यह मानना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट इच्छा को ध्यान में रख। र ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वरूप निश्चित किया जाना चाहिए।

जब हम यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा एवं हित्यकोण सर्वेषा भिन्न होता है, तो 'सारे समाज की इच्छा' यह वार्ष्य-श्वयोग एक सीमित पर्यं में ही उचित माना जाना चाहिए। साथ ही राजप जो कुछ करता है वह, तथा उनकी धारणाएँ समाज की ही इच्छा का प्रतिक्रिया है, यह भी एह सीमित पर्यं में ही सही मानना चाहिए। समाज के जीवन में सब कुछ तर्क की हित्य से उचित होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तथा समाज में जो कुछ धरित है, वह पूर्ण विचारपूर्वक ही धरित होता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जिसे हम 'समाज का मत' कहते हैं, वह वस्तुतः कोई ठोक सबाई नहीं होती। समाज के व्यक्तियों को इच्छाओं में मौजूद एक स्थूल रूप की ममानता को वह नाम दे दिया जाता है। अनेक व्यक्तियों से पिलकर वहाँ समाज, अनेक उद्दिष्टों के विचारों से उत्तर होने वाला सामाजिक व्यवहार भी किन्तु पूर्वनिश्चित योजनाओं तथा प्रणालियों के अनुमार ही होता हो, ऐसा हित्यगत नहीं होता। सामाजिक व्यवहार में कुछ नियमबद्धता दिखाई देती है, यह यहूँ^३.

इस नियमबद्धता के जन्मदाता नियम भी किसी के द्वारा बनाये गये होते हैं, यह भी उतना ही सही है। निःसंन्देह इन नियमों के निर्माण में बहुतों का हाथ रहता है। समाज के सासकीय प्रतिनिधि राज्य का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। राज्य का अर्थ है अनेक नियम तथा कानून, जो अपने क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों का नियमन एवं नियन्त्रण किया करते हैं। अपने क्षेत्र में राज्य का पूर्ण प्रभुत्व रहता है तथा वह अपनी सत्ता के बल पर समाज में होने वाले नाना प्रकार के वैष्विक एवं सामाजिक व्यवहारों का नियंत्रण करता है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य बलप्रयोग द्वारा अपनी आज्ञाओं एवं नियमों का पालन करवाता है तथा उसका दावा होता है कि यह बलप्रयोग समाज के हित की हृष्टि से किया जाता है। ये सामाजिक हित धर्मिक होते हुए भी समाज के तथा राज्य के स्थायी हितों का ही एह भाग होते हैं। तथा इसी कारण राज्य मानता है कि उसका यह बलप्रयोग उचित है। समाज में रहने वाले कुछ व्यक्ति राज्य द्वारा शक्ति के प्रयोग को प्रजा के हित में नहीं मानते। तथा कुछ व्यक्ति ऐसा ममकर्ते हैं कि राज्य के हाथों जो कुछ भी होगा, वह प्रजा के हित के लिए ही होगा तथा राज्य कभी गलती कर ही नहीं सकता। इस दूसरी विचारधारा को मान लिया जाय तो समाज में सच्ची स्वतंत्रता नामक वस्तु कभी पनप ही नहीं पायेगी। तथा आज जीवन को विकल वस्तु मानने की जो विचारधारा लोगों में घर कर गई है, वह इसी का फल है। यह सही है कि राज्य सब का है। पर यह तभी हो सकता है, जब सब लोग स्वीकार करें कि राज्य उन सब का है तथा सब राज्य के प्रति निष्ठावान् रहे, सब में एकता की मावना हो एवं मब लोग राज्य की आज्ञाओं को शिरसावन्ध माने। परन्तु यह समझ लेना चाहिए कि राज्य की आज्ञाओं का पालन यदि विचार-हीनता एवं अज्ञानपूर्वक किया जाये तो वह एक निःसार वस्तु हो जाती है। राज्य द्वारा दी गई आज्ञा के भीतर जो नवच दिग्ग है, उम्हों ठीक-ठीक समझ कर उसका पालन करना ही सच्चा आज्ञापालन है। योगवासिष्ठ में लिखा है कि—'स्वभावात् न तु भयात् य पश्यति स पश्यति।' दण्ड के ढर से किया जाने वाला आज्ञापालन निःष्टि कोटि का आज्ञापालन होता है तथा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत जो आज्ञापालन समझ-दूर्भ के साथ दिया जाता है, वही सच्चा और टिकाऊ होता है। इसमें यह अभिप्राय निरुलता है कि राज्यविषयक निष्ठा के लिए कुछ शर्तें हैं। वह निरपेक्ष नहीं है। सब कहीं लोगों को निष्ठा को प्राप्ताणिक मानकर काम करना राज्य के लिए विषय का भूल हो सकता है। १६वीं सदी के उत्तराद्द में यह विचार-धारा सर्वमम्भत हो चली थी। राज्य सबका है तथा सबके हित के लिए है, वह सबको उचित न्याय प्रदान करता है, यह मानना इस हृष्टि से उचित है। यदि व्यक्तिमात्र को अपने व्यावहारिक जीवन में इस सचाई का भनुभव हो तो किर राज्य के बारे में शिरायत की कोई बात ही नहीं रह जाती। पर लोगों का अनुभव ऐसा नहीं है। उनका अनुभव बतलाता है कि राज्य तो सब लोगों वा है, पर शक्ति किसी विशेष वर्ग के हाथ में है, और उसका लाभ कुछ ही इते-गिते लोगों को होता है। 'यत्तद्युश का, मुलक बादशाह का तथा धामन कमनी सरकार का।' यही सचाई हमें सब कहीं दियाई देनी है। भत्ता कात्पनिक न्यायप्रिय एवं निरोग राज्य का विवेचन हमें की घोषा प्रत्यक्ष

भनुमत में आने वाले राज्य का ही विवेचन हमें करना चाहिए। राज्य करने वाले सत्तापीक गर्वपाशरण नागरिकों जैसे ही होते हैं। वे सब मनुष्य ही होते हैं। भत्ता उन सब प्रतोग्नों वा वे विचार बनते हैं, जो सामाजिक सौर्यों को अपने चंगुल में ले लेते हैं। इसी कारण उन सत्तापीकों के सारे भावेषों को बसीटी पर टीक नहीं से कर कर देखना चाहिए तथा उनके प्रयत्न एवं गुण उद्देश्यों की परम की जानी चाहिए। समाज के घनुमतों के उनका मिलान करने के बाद ही उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए। सत्तापीकों के घनुमत का शैव व्यक्ति होता है। तथा बहुत बार ही उनके प्राप्तगत में डराने वाले स्तुतियाँहों के सम्बन्धों से ही उसकी गृहिणी होती है। अतएव सत्तापीकों के आचरण को निर्देश एवं सर्वपा योग्य मानने से व्यक्ति एवं समाज को स्वतंत्रता प्राप्त होने में पढ़ मारी है। विष वस्तु में अपने मन का विद्यमान न हो, उमेर के बल राज्य के कहने पर मान लेना अपने व्यक्तित्व, व्यक्तित्व तथा स्वाभिमान को विनाशित देना है। प्राच रंगार में हमें जो स्वतंत्रता दीखती है, उसका कारण राज्य की भाजाओं को बर्तर किसी ननुमत के स्वीकार करना नहीं; बरन् विद्यमान राज्यमत्ता के विरह अपनी भावाज को लुप्त करना है तथा अपनी सदृश्यविदेश युद्ध की राज्य के कानून से अधिक पवित्र एवं अधिक विद्यमानी मानता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके मन्दरह नहीं; परन्तु उसकी महता तथा शक्ति उसके पृथक्का में तथा उसकी विशेषता में निवास करती है। उसके घनुमत की भीति ही उसकी इच्छा एवं समर्पण भी वैयक्तिक ही होती है। इस कारण यदि वह इन वस्तुओं में दूसरों का गुलाम हो जाय तो उसे इतन्हीं कहना निर्यक हो जायेगा। भारीतिक गुलामी की अपेक्षा मानविक गुलामी अधिक भयानक होती है। भत्ता वारतविक स्वतंत्रता का प्राप्तार मानविक हृतन्त्रता है। 'मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोदयोः।'

मनुष्य का राज्य के अन्दर रहने का मह मन्त्रिय कदापि नहीं कि राज्य के साथ उसकी तदात्मता स्थापित हो पई है। उम प्रवस्था में तो वैयक्तिक तथा सामाजिक इसी प्रकार की भी स्वतंत्रता पर विचार विषये करना अपर्य ही जायेगा। राज्य एवं व्यक्ति में वह एकदम 'भैत' हो जाय तो स्वतंत्रता के मूल में विद्यमान 'द्वैत' हो विनुप हो जायेगा तथा स्वतंत्रता की कहना ही समाप्त हो जायेगी। स्वतंत्रता या अपर्य ही यह है कि किसी भरप व्यक्ति, बन्धन तथा सीपा से छुटकारा। जहाँ कोई सीपा नहीं, कोई बन्धन नहीं, कोई भाजा देने वाला तथा कोई भाजाओं का पालन करने वाला नहीं, वही स्वतंत्रता दाढ़ ही भ्रासज्जिक हो जाता है। भत्ता जब भी कभी हम स्वतंत्रता दाढ़ का प्रयोग करते हैं, तब वहाँ इस द्वैत की उत्तिष्ठति को मानना ही पढ़ता है। समाज के भीतर व्यक्ति की मोहूदी को देखकर, समाज एवं व्यक्ति के बीच के सम्बन्धों को देखकर हम विचार करते हैं कि व्यक्ति इसी भावा में स्वतंत्र तथा कितनी मात्रा में बन्धन युक्त है। इसी प्रकार एक नागरिक के नाते व्यक्ति के समाज में रहने के कारण हम राज्य के बन्धनों तथा सीपाओं पर विचार किया करते हैं। व्यक्ति समाज में रहता है तथा उसका जीवन अनेक घारों तथा जातियों से सम्बन्धित रहता है। इन सभी सम्बन्धों तथा व्यवहारों से युक्त प्रवस्था में उसे अपने जीवन को मुखी

तथा परमार्थियों के बनाना होता है। यामे परिवार कामों में, दिवों में, घटेह गम्भीरों के अभागों में तथा इत्यादी मंसाधों में उग्रता गम्भीरता होता है। तथाति शुद्ध गम्भीर होते हैं, जिनकी गृहिणी उनमें इत्यादी होती है तथा शुद्ध गम्भीर होते हैं, जो उनके जन्मने से मात्र ही जन्म में है तथा शुद्ध तथा इत्यादी होते हैं। याम-पिता, यहन, भाई प्राप्ति गम्भीर उनके जन्मने से मात्र ही जुट जाते हैं। यामी तथा अप्य घटेह स्थावरात्रिक गम्भीर उनके जन्मने से शुद्ध होते हैं, जिन्हें यह अत्यन्ती इच्छानुग्राह तोह भी गम्भीर है। यामी जो तमाक दे गम्भीर है; नीचरी तोह गम्भीर है; परम्परुष्व मातापिता को बदल नहीं सकता। इसमें यह गिर्द हृषा कि यह प्राप्ति बनाये गम्भीरों को तो तोह गम्भीर है, जिन्हें तिन गम्भीरोंने उने बनाया है, उने यह नहीं तोह सकता। अप्य यह बदल गम्भीर है, जिन्हें जिन राज्य में यह वैशा हृषा है, उनकी नागरिकता को यह आमामी से नहीं बदल सकता। जन्म द्वारा प्राप्ति अग्राम जन्म के गम्भीर विद्यवान भागरिक के बानून द्वारा प्राप्ति नागरिकता का यह परिवर्तन नहीं कर सकता। उस राज्य को राज्यकर माहूर जो जाने पर भी उनकी नागरिकता याया ही भानि उनके जाप जाय कितो रहती है। भतः राज्य का नागरिक होने तथा उन नागरिकता का परिवर्तन करने में रायं परम्पर्य होने के कारण राज्य के पाल्यों व प्राज्ञायों का वयत उत्त पर जन्म ही से रहता है। नागरिकताहीन (Stateless) व्यक्ति किमी भी प्रधिरार-व्यवस्था पर प्रवना अधिकार नहीं जता सकता। निष्ठाएं शरीर की-सी उपकी अवस्था हो जाती है। गत महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति के बारण ऐसे व्यक्ति घटेह जगह पाये जाते हैं। हमें यहीं उन व्यक्तियों का विचार करना है, जिन्हें नागरिकता प्राप्त है। राज्य नागरिकों को भाजा देता है, इसका पर्यं पह है कि यह भाजा या तो कोई व्यक्ति देता है या कोई समूह देता है तथा उन भाजामों का पालन करना अनिवार्य होता है। भतः व्यक्ति को कितनी मात्रा में स्वतन्त्रता हो तथा उस स्वतन्त्रता का स्वरूप क्या हो, इस बात पर विचार करना सार्थक सिद्ध होता है। श्रुति उन्हाँ स्मृतियों की भाजा का पालन न करने से कोई किसी को जेल में नहीं डालता। पुरुष को एक ही स्त्री से विवाह करते का विधान भर्म ने भले ही किया हो तथापि उसका पालन करना अनिवार्य बस्तु नहीं है। किन्तु इस सम्बन्ध में राज्य का बना दे तो फिर वही अनिवार्य बस्तु हो जाती है तथा जो व्यक्ति उसका पालन नहीं करेगा, उससे राज्य अपनी शक्ति से पालन करायेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी सूख्या का सभासद हो तो उसका यह नीतिक बन्ध हो जाता है कि वह उस सूख्या की भाजाओं का पालन करे। परन्तु उन भाजाओं का पालन न करने वाले व्यक्ति का अधिक से अधिक यदि कुछ बिगड़ेगा तो यही कि उसे संभासदत्व से हाथ धोना पड़े जायेगा; इससे अधिक कुछ नहीं। किन्तु यदि कोई राज्य की आज्ञामों का पालन न करे तो उसे दण्डित होना पड़ेगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सूख्या से त्यागपत्र देकर अलग हो सकता है, उस प्रकार वह राज्य की नागरिकता से त्यागपत्र नहीं हो सकता। उस व्यवस्था में उसके सामने दो ही विकल्प रहते हैं, या तो राज्य की आज्ञाओं का पालन करे, या फिर कैद की सजा भुगते। यदि राज्य की आज्ञाओं का पालन अनिवार्य हो, तो फिर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उसकी स्वतन्त्रता कहीं रही? राज्यव्यवस्था की तीव्र है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा राज्य के कानून का पालन। यह

उसका मूल आधारतर है। परन्तु यदि कानून व्यवित के मुखों का हतन करने वाला हो तो व्यक्ति क्या करे? तब उसके लिए एक ही मार्ग है, उसे जो प्रिय है, वह सही हो या गलत, उसके अनुसार आचरण करे तथा राज्य जो सजा दे उसे चुपचाप सहन करें। इम रिप्टि में उसे यह प्रतीत होगा कि राज्य की आज्ञाओं को न मानने में ही उसकी मानसिक स्वतंत्रता निहित है। राज्य की आज्ञाओं के पालन में स्वतंत्रता की अनुभूति तभी होती है, जब उसे यह घनुभव हो कि कानून के पालन से उसके अपने संवितक विकास पर भयबह अपनी नैतिक मानवा पर किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं आती। इस प्रकार की अनुभूति जिस परिस्थिति में उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति की विद्यमानता ही स्वतंत्रता है, ऐसा कहना होगा। अतः नागरिक जब स्वतंत्रता को उम्मीद करता है, तब उपरिनिर्दिष्ट परिस्थिति का समाज में रहना अनिवार्य हो जाता है। सुखप्राप्ति एवं अपनी ध्येयपूर्ति के लिये नागरिक जीवन के मार्ग पर चलते समय राज्य के आदेशों के कारण उसके मार्ग में धाराएं नहीं आती चाहिये, किसी किसम का खतरा नहीं देंदा होना चाहिये। तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ स्वतंत्रता मौजूद है। यह परिस्थिति स्थायी नहीं होती। तथा उसमें सोलहों आने स्वतंत्रता को गारटो भी नहीं होती। यद्य परिस्थिति सर्वव्यापी भी नहीं होती। राज्य आपको भाषण-स्वतंत्रता का आदानपान दे सकता है, पर वह आपके लिये शोताओं को नहीं जुटा सकता। एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता वह आपको दे सकता है, पर लोगों को इकट्ठा करने का इन्तजाम वह नहीं कर सकता। एक निश्चित उम्र होने पर स्त्री-पुरुषों के विवाह के मार्ग में कानून कोई रुकावट वह नहीं ढालेगा। वह इस बात की छूट दे सकता है कि कोई भी स्त्री या पुरुष किसी भी पुरुष या स्त्री से विवाह करे। पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह आपको ऐसी स्त्री या पुरुष पत्नी या पति के रूप में प्राप्त करा दे, जिस पर आपको बहुत अधिक स्नेह है। धार्मिक कारणों ग्रथय अन्य किन्हीं कारणों से उत्पन्न संबंध आधारों को राज्य दूर कर सकेगा। पर सामाजिक मामलों में वह किसी पर दबाव नहीं ढाल सकता। नौकर किसे रखना है, यह राज्य नहीं बतायेगा; पर नौकर रखने के बाद वह छुटियों, बेतन, बीमा आदि के मामलों में दबाव अवश्य ढालेगा।

स्वतंत्रता की वल्पना स्थूल होने पर भी अनेक विवरणों से उसका स्वरूप स्पष्ट होता है। मनुष्य वा जीवन विविध प्रकार का होता है एवं उसके आचरण का लेत्र भी विविध प्रकार का होता है। यदि हम मानें कि व्यक्ति को उन धेनों में स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसका अर्थ यह हूँगा कि व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने की पूरी छूट हासिल है। यदि वह छूट न रहे तो कहना होगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता हासिल नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि किसी को अपनी इच्छानुसार बाम करने से, रोका न जाय। परन्तु हर कही व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की पूरी छूट दे देना अन्य व्यक्तियों को एवं समाज की स्वतंत्रता की दृष्टि से दीक नहीं है। अतः विस दोनों में कितनी छूट दी जाय, इसका विचार करते समय व्यक्ति के अधिकारों एवं उसके समाज तथा राज्य से सम्बन्धित कर्तव्यों का विचार करन्।

भी परम आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए तथा राज्य को सुव्यवस्था चाहिये। व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्धों का औरेवार विवेचन करना आसान काम नहीं है। राज्य के किस नियम से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण होता है, यह व्यक्ति ही बता सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कब राज्य के नियमों की उपेक्षा कर देंगा, यह कोई नहीं बता सकता। राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ही स्वतंत्रता है, यह व्याख्या ठीक नहीं है। अठारहवीं सदी की इस विचारधारा को आज भी दुनिया में कोई मंजूर नहीं करेगा। अतः व्यक्ति के जीवन में कानून भग करने के प्रसंगों का आना कोई अनहोनी बात नहीं है। यदि हम मानें कि किन्हीं खास मौकों पर व्यक्ति को कानून भग करने का नैतिक अधिकार प्राप्त है, तो हमें बताना होगा कि वे खास मौके कौनसे हैं। सामान्यतया, व्यक्ति को समाज में रहते हुए अपने गुणों का विकास करने की सब प्रकार की अनुकूलता प्राप्त हो, तो कहा जा सकता है कि नागरिकों की पूरी स्वतंत्रता है। इस प्रकार का बातावरण निर्माण करना समाज का काम है, राज्य का नहीं। यदि हम चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में विफलता की प्रतीति न हो, घुटन की प्रतीति न हो, तो हमें सामाजिक एवं राजकीय जीवन में किन्हीं ऐसे मूल्यों को स्वीकार करना होगा, जो नित्य तथा शाश्वत स्वरूप के हों तथा हमें उन मूल्यों को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करना होगा। इसके लिए सविधान में किन्हीं मौलिक धर्मिकारों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा सामाजिक प्रचलनों एवं परम्पराओं को इतना शक्तिशाली बनाना होगा कि राज्यकर्त्ताओं को उनके विश्व आचरण करने का साहस ही न हो। सविधान में तो नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई हो, पर नागरिकों के अनुभव में उसका लेश भी न हो, तो उसे बैन स्वतंत्रता कहेगा? सत्याग्रहों का उद्देश्य कितना भी ऊँचा क्यों न हो, जब तक वे लोगों के अनुभव के विषय नहीं ध्यान पाते, तब तक उनका होना न होना बराबर है। समाज का बातावरण इस बात का विश्वास दिलाने वाला होना चाहिए कि जब तक हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तब तक राज्य की व्यवस्था धर्मवा कानून हमारी राह में रोड़े नहीं झटकायेगा। इसके अभाव में स्वतंत्रता एक औपचारिक वस्तु बनकर रह जायेगी, बास्तविक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमें उचित प्रतीत होता है, वह हम कर सकते हैं तथा जब तक हमारा आचरण उचित सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, तब तक हमें कोई अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। यदि हम कोई नया काम करना चाहें तो उसे करने का ध्यास हमें मिलना चाहिए। यदि हम अन्यों से सर्वेषा भिन्न जीवन व्यतीत करें, भिन्न विचार रखें, तो देसा करने की दिक्षित हम में होनी चाहिए तथा हमें इस बात का विश्वास होना चाहिये कि देसा करते समय समाज हमें इसी प्रकार का निष्ठ नहीं पहुँचायेगा। तभी स्वतंत्रता वा कुछ अर्थ होगा। हम दौनसा व्यवसाय करें, अपने जीवन की रूपरेखा बनायें इतरादि बातों को निश्चित करने की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिये तथा इन्हें निश्चित करते समय अवधा निश्चय के अनुमार आचरण करते समय समाज द्वारा इसी प्रकार की रकावट नहीं होनी चाहिए। इसके माय हमें इस बात का भी शयाल रखना होगा कि जो स्वतंत्रता हम चाहते हैं तथा जो हमारे जीवन के लिये आवश्यक प्रतीत दीरी

है, वह अनियन्त्रित नहीं है तथा वह स्वतंत्रता राज्य के बानूनों के मनुकूल होनी चाहिये। राज्य के बानूनों द्वारा उक्त स्वतंत्रता के लिये पूरा-पूरा आश्वामन दिया जाना चाहिए। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में एक ऐसा भी स्थान होता है, जहाँ राज्य वा बानून प्रवेश नहीं कर सकता। वही व्यक्ति की स्वतंत्रता अनियन्त्रित रहती है; किन्तु समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक मूल्यों का नियंत्रण वही भी बना रहता है।

जैसा कि अभी हमने कहा स्वतंत्रता में राज्य के बानूनों तथा समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक मूल्यों दोनों का अन्तर्मांड होता है। स्वतंत्रता सत्ताधारी व्यक्तियों के भ्रत्याचारों से व्यक्ति वीर रक्षा करने का एक साधन है। अब तक का मनुभव हमें बताता है कि जिसके हाथ में शक्ति रहती है, वह उसका दुरुपयोग लिये बिना नहीं रहता। केवल निरंकुश राजतंत्र में ही ऐसा होता हो, सो बात नहीं है। प्रजातंत्र में भी बहुसंख्यक पक्ष अल्पसंख्यक पक्ष पर भ्रत्याचार कर सकता है। अधिकार की प्राप्ति से एक प्रकार का बद आ जाता है तथा उन अधिकारों का दुरुपयोग होने लगता है। अधिकार चाहे किसी व्यक्ति के हाथ में हों या किसी दल के हाथ में, सभी वही उनका दुरुपयोग हो सकता है। अतः उन अधिकारों पर नियंत्रण रखने के लिये तथा उनके उपयोग वो उचित रूप में होने देने के लिये राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता का होना जरूरी हो जाता है। केवल प्रजातंत्र की स्थापना से ही सब की स्वतंत्रता अवाधित हो जाती हो, ऐसी बात नहीं। प्रजातंत्र में भी हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के द्वारा भ्रत्याचार किये जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बंद शुद्धि के नाम पर किया जाने वाला अन्याय भी इसी का उदाहरण है। राज्य में रहने वाले राजकीय अल्पसंख्यकों पर भी अन्याय होता रहता है। इन हट्टियों से देखने पर प्रतीत होगा कि केवल व्यक्ति को स्वतंत्रता देने से ही काम नहीं चलता। व्यक्ति की भाँति राज्य में रहने वाले वह, घर्म, व्यवसाय प्रादि के कारण निर्मित समुदायों को भी अपनी उन्नति करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही नहीं, आज बहुत से ऐसे भी देश हैं, जिन पर अन्य देशों का शासन है और वे, परतन्त्रता में हैं। वह परतन्त्रता चाहे उपनिवेशों के रूप में हो या सरकार व्यवस्था के रूप में हो परन्तु चौंकि वे अन्य देशों के अधीन हैं; अतः वे परतन्त्र हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। अतः स्वतंत्रता पर विचार करते समय केवल इतना ही नहीं देखना चाहिये कि वह कानून के मुताबिक है या नहीं, बल्कि यह भी देखना चाहिये कि शासन करने वाले कौन हैं तथा उनके राज्य का स्वरूप क्या है।

यह माना कि प्रजातन्त्र में बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रति अन्याय होता है, तथापि हमें मानना पड़ेगा कि अन्य सभी शासन-प्रणालियों के मुकाबले प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली में व्यक्ति को तथा अल्पसंख्यक समुदायों को सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जहाँ प्रजातन्त्र नहीं है, वही स्वतंत्रता कुछ-एक सोनो के या बांधविशेष के हाथ में ही रहती है। इतिहास के मनुभवों के आधार पर हमें मानना पड़ेगा कि व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए प्रजातन्त्र अभीष्ट ही नहीं; प्रत्युत भावशक भी है। तो भी भारत में मानते हैं कि प्रजातन्त्र वस्तु है तथा चुनाव एक भवाद्यनीय

सोग यह कहते हैं कि प्रजातन्त्र धर्मीष्ट हो है, मिन्हु उमड़ी कुछ एक पद्धतियाँ जो मान प्रचलित हैं, ठीक नहीं हैं। उनमें मनुष्य के मद्दुण्डों का विचार नहीं होता; यहिं के स्वार्थी हो जाते हैं। अन्य कुछ सोग मानते हैं कि प्रजातन्त्र की प्रणाली द्वारा उचित सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाती। प्रजातन्त्र द्वारा इन्हीं द्वारा उन्हें सोगों के हाथ में ढेर सारी सम्भाल गयी जाती है तथा ऐसे जनगम्भीर गरीब ही बना रहता है। अतः जनसाधारण के हित की हानि से प्रजातन्त्र मनुष्युना गिर जाता है। माज़बून तो भारतीय विद्वानों में प्रजातन्त्र का उपहार करने वा एक फैशन ही खत पढ़ा है। प्रजातन्त्र न हो तो उनके स्थान पर कोई अन्य कुछ जैसे अधिनायक तंत्र या नीकरणार्थी जैसी कोई वस्तु आ जाएगी। इम बात भी और सोगों का बहुत बड़ा ध्यान जाता है। प्रजातन्त्र न रहे तो व्यक्ति की महत्ता रात्र हो जाएगी। शासक सोग व्यक्ति के मनुभवों का रायाल नहीं रखेगे। प्राचिक हानि से भवे ही थोड़ा-बहुत संतोष प्राप्त हो, पर मानसिक प्रगमनता नहीं प्राप्त हो राकेगी। प्रजातन्त्र में ठीक इसके विपरीत होता है। प्रजातन्त्र का अर्थ है प्रजा द्वारा दी गई सत्ता से युक्त सरकार तथा प्रजा के हित के लिये किया जाने वाला राजकाज। कहा जा सकता है कि इसमें कुछ न कुछ वास्तविकता भवश्य होती है, जिसका बहुमत होता है। यह प्रजातात्त्विक सरकार होती है। इस पद्धति से स्थापित सरकार द्वारा जो कानून बनते तथा भादेश दिये जाते हैं, वे सबके लिए समान होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि प्रजातन्त्र की स्थापना के कारण अधवा कानून के सबके लिए समान होने के कारण नागरिक बहुत मुख्य रहते हैं। व्यक्ति तभी अपने को मुख्य मनुष्यवाकरता है, जब वह देखता है, उसकी पूछताछ करने वाला कोई मोरूद है, उसकी सम्मति अधवा कानून का सम्मान किया जाता है, होने वाले राजकीय कार्य-कलापों में उसका भी कहीं कोई स्थान है तथा योग्यता के होने पर उसे किसी भी अधिकार पद पर काम करने से विचित नहीं किया जायेगा। प्रजातन्त्र में सार्वजनिक मतदान का अधिकार होने के कारण व्यक्तियों को पूरा महत्व प्राप्त होता है। निर्वाचन के दिनों प्रत्येक नागरिक को एक प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है; उसकी कीमत बड़ जाती है। मनुष्य को विवाह के समय प्रतिष्ठा होती है—“लक्ष्मीनारायणस्वरूपिणी वराय” कहकर उसे सम्मानित किया जाता है। लगभग ऐसी ही प्रतिष्ठा का अवमर मतदाता नागरिक को चुनाव के दिनों में प्राप्त हुआ करता है। पांच बर्ष तक उसे कोई पूछेगा नहीं। पर ज्यों ही चुनाव के दिन आये कि देखिये, वे लोग जिन्होंने उसकी ओर फूटी आँख से भी नहीं देखा हीगा, उसके दरवाजे पर चले आते हैं। उम्मीदवार तथा दल के प्रचारकर्ता तोग उसके पास आने लगते हैं। कहने का अभिभाव यह है कि उस समय नागरिक का महत्व बड़ जाता है तथा उसे प्रपनी राजनीतिक एवं सामाजिक इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। तब वह अनुभव करता है कि वह राज्य की स्वामी है। मतदान का अधिकार न रहे तो यह सब नहीं हो पाता। अतः कहना होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये, उसके विकास के लिए तथा उसके सुख के लिये उसके हाथ में मतदान के अधिकार या होना नितान्त आवश्यक है। जिन दिनों भारत में सामान्य जनता को मतदान का

प्रधिकार नहीं था, उन दिनों उसे कोई भी नहीं पूछता था। राजनीतिक नाटक मंटपियाँ शहरों की सीमा के बाहर अपेना नाटक दिलाती ही नहीं थी। जबसे इन राजनीतिक चुनावों का शोगणग हुआ है, तब मेरा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा उम्मीदवार लोग गाँवों में भी जाने लगे हैं। कोई स्थूल खोलने की बात कहता है, कोई सड़कें बनवाने की बात कहता है, तथा कोई लगान बमूची से छूट दिलाने की बात कहता है। इसी किसी की बातें शहरों में भी कही जाने लगी हैं। अन्तर्यज लोगों के मुहल्लों में जाकर बड़े बड़े तिलकथारी ब्राह्मण, प्रथवा बड़े-बड़े क्षत्रियों के घराने में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी खाड़ लगाने लग गये हैं तथा हरिजनों की संफार्द्ध करने लग गये हैं। ज्ञचित का बहना है, चुनाव के दिनों में समाज में जितनी समता स्थापित होती है, उतनी प्रभ्य किसी भी विस्थिति में नहीं होती। प्रजातन्त्र में हजार खराबियाँ हो सकती हैं; पर मतशन का प्रधिकार उम सब खराबियों की दूर करने का सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। उसके कारण बड़े-बड़े लोगों सत्ताधारियों को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। सरकार का सामान्य जनता के काटों को और ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह सबमें बड़ा साधन है। मत देने के मानो हैं, राज्य कोन करे, इस बात का निश्चय करना। यह कुछ मानों में स्वयंवर जैसी वस्तु है। इस से व्यक्ति को उस व्यक्ति प्रथवा दल को चुनने का अवसर प्राप्त होता है, जो उमे सुधो कर सके तथा उसकी अपनी हृषि में ठीक से राजनाज चला सके। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भनुष्य की आवश्यकताएँ तथा इच्छाएँ बदलती रहती हैं। भ्रतः किसी एक दल को सदा के लिए सत्ताहृष्ट बनाना ठीक नहीं होता। इसी कारण प्रजातन्त्र में किसी दल प्रथवा व्यक्ति के सत्ताहृष्ट बने रहने की एक प्रवृत्ति निश्चित रहती है। प्रजातन्त्र का सबसे महत्व का हिंदा यह है कि लोगों के अनुभव तथा इच्छाओं के अनुरूप राज्य का काम-काज चलाना हो तो कभी भी किसी व्यक्ति प्रथवा दल को मदा के लिए निरंकुश सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। यदि किसी दल को सदा के लिये सत्ता दी जाय तो उसका फल यह होता है कि जनहित के स्थान पर उम दल के हाथों के बल स्वजनहित ही होता है। इतिहास इस तथ्य का साथी है। प्रजातन्त्र की दूसरी महत्व की बात यह है कि सत्ताधारी दल को प्रथवा सरकार को उत्तरदायी होना चाहिये। यदि सत्ताधारी दल प्रथवा सरकार उत्तरदायी न हो तो राज्य का काम-काज सामान्य जनता के लिए नहीं होता; बल्कि जनता सत्ताधारियों के हाथ की कठुपुतली बन जाती है। उस अवस्था में शासक-वर्ष प्रथा के मुख का साधन नहीं बनता; बल्कि प्रथा शासक-वर्ष के मुख का साधन बन जाती है। प्रजातन्त्र का अनुभव तथा लोगों द्वारा स्वतंत्रता के लिए लिया गया प्रयत्न हमें बनाता है कि सामान्य जनता के हाथ में कुछ ऐसे प्रधिकार अवश्य होने चाहिये जो मौदूदी सरकार प्रथा शासक-वर्ष की इच्छा पर निर्भर न हों। वास्तविक प्रजातन्त्र वही है, जहाँ सरकार के सिर पर हमेशा पदचयुत होने की नंगी तलझार लटकती रहे। तभी सरकार प्रथा को भलाई के लिए कुछ कर सकेगी। साथ ही सरकार को यह अनुभव होने रहना चाहिए कि यदि वह प्रथा की इच्छा के बिरुद्ध कुछ भी काम करेगी या उसके स्वातन्त्र्य का अपहरण करेगी, तो वह देर तक शासन की गदी पर नहीं टिक सकेगी। इस कारण ये मौलिक प्रधिकार किसी की-

उदारता या सहिष्णुता पर निर्भर नहीं होने चाहिए । उन्हें स्वयंभू होना चाहिए । नागरिकता के साथ मे अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए । ऐसा न होना चाहिए कि जब मर्जी मे घाये तब वे प्राप्त हों, तथा जब मर्जी मे घाये तब वे छले जायें ।

जिन भूलभूत अधिकारों पर व्यक्ति की तथा अत्यसंस्थकों की रवतंत्रता निर्भर करती है, उनका कभी उस्तवन नहीं होना चाहिए । यदि कोई उनका उल्लंघन कर देंठे, तो उसका इलाज करने की ध्यास्या मंविधान मे मौजूद रहनी चाहिए । अन्यथा ये अधिकार के बल एक विद्म्बना बनकर रह जाएँगे । इस हिट से विचार करने पर सबान् यह पैदा होता है कि इस व्यवस्था या स्वस्थ यथा हो । यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ पड़े अथवा किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का अन्याय हो जाए, तो उसके निराकरण के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है । पर यहाँ हम जिन बातों पर विचार कर रहे हैं, उनका सम्बन्ध व्यक्तियों के आपस के लड़ाई-भगड़े से नहीं है बल्कि उनका मम्बन्ध बनकि एवं राज्य के बीच उठ सड़े होने वाले झगड़ों से है तथा हम चाहते हैं कि ऐन भवसर पर कोई ऐसा इन्तजाम जहर होना चाहिए, जिससे किसी के प्रति अन्याय न हो सके । इसके लिए चाहे साधारण न्यायालय की शरण लेनी पड़े या किसी दिशेप न्यायालय की शरण लेनी पड़े । इस हिट से यह प्रश्न अधिक महस्त्र का है कि न्यायाधीश किसे बनाया जाय तथा बनाने वाला कौन हो । जिन्हे हमने शासन की बागड़ोर सौंपी है, वे सोग अन्त तक निष्पक्ष एवं निःसृह रह सकेंगे, यह नहीं कहा जा सकता । अतः निष्पक्ष न्यायदान अच्छे राज्य की आत्मा है । यदि न्यायदान निष्पक्ष न हो तो समझ सेना चाहिए कि अराजकता का बातावरण दीघ्र ही उपस्थित होने वाला है । यदि आप चाहते हैं कि समाज मे स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, तो समाज के नियमों का सबके लिए समान होना अनिवार्य है । उसमे किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि उन नियमों मे कभी किसी किसम का हेर-फेर नहीं होगा । राज्य मे कानून के अनुसार काम करने वाली शासन व्यवस्था आधुनिक राज्यों मे बहुत बड़े पैमाने पर होती है तथा उसे बहुत अधिक काम करने पड़ते हैं । तो भी शासन के भी दोनों मे निष्पक्षता से काम लिया जाना चाहिए । अन्यथा स्वतंत्रता के कुछ मानी नहीं रह जाएँगे । अतः न्यायदान का कार्य उचित रूप मे तथा निष्पक्ष रूप मे होता है, इस बात का विश्वास राज्य के हर व्यक्ति को होना चाहिए । इसलिए न्यायदान का काम तथा कानून का अर्थ लगाने का काम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्तियों के हाथ से किया जाना चाहिए । राज्य के थोटे-बड़े सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति मौजूदा सरकार के हाथों होती है । अतः इस हिट से उनकी नियुक्ति का प्रश्न भी महस्त्रपूर्ण सिद्ध होता है । एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और राज्य के बीच पैदा होने वाले दोनों प्रकार के मामलों मे न्याय से काम लिया जाना चाहिए । यदि राज्य बिना कारण किसी व्यक्ति को नज़रबन्द कर दे, उसके खिलाफ राजद्रोह का अभियोग चलाये, या उसकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध संगा दे, तो इन सब मामलों मे हिमी नि सृह न्यायाधीश को न्याय देने का काम करना चाहिए । यदि न्यायाधीश को ऐसा लगे कि उसकी नौकरी सरकार की मर्जी पर

प्रबलमित है, तो उसके लिए नि.स्पृह भाव से न्याय देना ग्रममन्मय हो जाएगा। अतः न्याय देते समय न्यायाधीश को पूरा विश्वास होना चाहिए कि जब कभी वह ग्रन्ती सुदसद् विवेकबुद्धि से काम लेकर न्याय देने वेंठे, तब उसकी पदोन्नति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पहुँचेगा, न कोई गड़बड़ होयी और न ही किसी प्रकार का खात-पात होगा। फैसला यदि सरकार की मर्जी के लिलाक भी होता हो, तो भी न्यायाधीश पर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अतः एक बार न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हो जाने के बाद तब तक न्यायाधीश के काम में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, जब तक उसकी उम्म सेवानिवृत्त होने की न हो जाए। सदोपर्ण में जब तक उसका आचरण ठीक रहे, तब तक उसे ग्रपने पद से हटाया नहीं जाना चाहिए। ग्रगर उसका आचरण ठीक न रहे, वह चरित्रधृष्ट अथवा दारीरिक हृष्टि से ग्रसमर्थ हो जाए, तो अवश्य उसे सेवा से निवृत्त कर देना चाहिए। ग्रमेरिका में न्यायाधीशों का भी चुनाव होता है। अतः वहाँ किर से चुने जाने की इच्छा से जो न्याय दिया जाता है, उसके पीछे लोकप्रियता का हृष्टिकोण काम करता है; नि.स्पृहता का नहीं। जैसे यह ग्रन्तुमिति है, वैसे ही उनकी नियुक्ति का मोजूदा सरकार की मर्जी पर ग्राधित रहना भी ग्रन्तु-मिति है। घड़ों की इच्छा अथवा लोकमत को ध्यान में रखकर फैसला करना सर्वथा ग्रवाक्षनीय एवं हानिकारक है। अतः एक बार नियुक्ति हो चुकने के बाद तब तक न्यायाधीश को ग्रपने पद पर बने रहने देना चाहिए, जब तक उसका आचरण ठीक है। उसमें सरकार के हस्तक्षेप की गुन्जाइश नहीं रहने चाहिए। परन्तु यह कहना भी कठिन है कि दलिलमित अवश्य के रहते व्यक्ति नि.स्पृह तथा निष्पक्ष रहेगा ही। अकारण यो हृष्टि में ग्रुणद न होता हृप्रा भी बाबत कभी-कभी सर्वथा निरर्थक रहता है। अतः जो व्यक्ति न्यायाधीश बनने जा रहा है, उसको मूलवृत्ति में नि.स्पृहता तथा निष्पक्षता होनी चाहिए तथा सही-सही फैसला करना उसे ग्रपना ग्राद्य कर्तव्य समझना चाहिए। फैसला करते समय न तो उसे घड़ों की मर्जी का खायाल करना चाहिए और न ही लोकमत की इच्छा-अनिच्छा का। साथ ही यह भी ग्रावश्यक है कि किसी भी राजकीय मतामत को ध्यान में रखकर वह फैसला न दे। यदि कोई न्यायाधीश न्यायदान के समय इस बात का ध्यान रखने लगे कि उसके न्यायदान से किस राजनीतिक दल की वया हालत हो जाएगी—कौन दल फले फूलेगा और कौन दल मुरझा जाएगा, तो उसके फैसले न्यायानुकूल नहीं कहे जा सकेंगे। यदि न्यायाधीश यह सोचकर काम करे कि सेवा से निवृत्त होने के बाद उसे राज्यपाल का पद मिलेगा या नहीं, तो उसका दिया फैसला न्यायाचित कैसे कहा जा सकेगा? यहूँ बार देखा गया है कि न्यायाधीश लोग सत्ताधारी दल की इच्छाओं का खायाल रखकर फैसला करते हैं तथा वे सत्ताधारी सरकार के पुरस्कार के पात्र बन जाते हैं। अतः सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायाधीशों को ऐसे बड़े पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए; इससे निष्पक्ष न्याय के मार्ग में बाधा उपस्थित हो सकती है।

यदि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष न्यायदान के मार्ग में बाधा न उपस्थित हो, तो हमें चाहिए कि सत्ताधारी सरकार के हाथ में ऐसा कोई अधिकार न सौंपें, जिससे वह न्यायाधीशों को पदवृद्धि ग्रादि के मामलों में हस्तक्षेप कर सके। इसी प्रकार

साधेंगामी होने के बारण पाणुनिक राग्य की शार्यंवानिता के जीवन ने प्राप्त, गमी दोषों को घपने में गमेट रिया है। पाणुनिक राग्य वेष्ट गरदार का ही वाप मही बरगा, यरन् यह अपनित एवं समाज दोनों के गरदें वा उत्तरदादित भी घाने छार सेता है। जन्म गे सेकर मृत्युपर्यंता नागरिकों के विभाग, योगदेश एवं व्याग्य की मारी जिम्मेदारी राग्य ने ताल्लू दिया विषयान द्वारा घने छार की हृदै दैत्या इन गव बातों को नियमित एवं नियन्त्रित करने के हेतु ने यह नागरिकों में राग्य विषयान समाजों के द्वारा वाग्न बनाया बरगा है। परिवारीस्त्रियों में जाकर वानून बनाना विषयान समाज के लिए समय नहीं होता। उनना समय उम्हे याग नहीं होता। तथा यह भी नहीं बहा जा सकता कि वारीस्त्रियों में जाकर विषयान बनाने की विदेश योग्यता विषयान समाज के हर समाजद में होती है। इग्निए पाणुनिक प्रत्युति यह है कि पहले सामान्य तात्यों को प्रवित करने वासा मुख्य कानून बना लिया जाता है तथा उसके बाद उन स्वीकृत तत्त्वों के अनुगार वारीस्त्रियों में जाकर नियम बनाने का प्रधिकार कार्यंवानिता को दे दिया जाता है। पौर तब कार्यंवितार पर्यात् राजकीय काम-काज करने वाले विभिन्न विभाग प्रमुख नियमों वा नियमित करते हैं। नियम बन जाने पर उन्हें क्रियान्वित करने वा प्रधिकार उन सोगों को दे दिया जाता है, किन्तु इस कार्य के लिए नियुक्ति होती है। पौर यदृत बार यह प्रदन उठ गहा होता है कि जिने नियमों के क्रियान्वयन का प्रधिकार सोना जाता है, उसके हाथों बनाये गए नियम मुख्य कानून के अनुगार हैं या नहीं। अनुभव बताता है कि इन नियमों के क्रियान्वयन के समय भवेत् बार अवित की स्वतन्त्रता रातरे में पह जाती है। अवित के प्रधिकारों पर प्राक्रमण होता है। पौर तब न्यायालय को देता पड़ता है कि वाम्तय में अवित के प्रधिकारों पर प्राक्रमण हुआ है या नहीं, तथा बनाये गए नियमों के अनुसार आचरण हो रहा है या नहीं। साधारणतया नियमों को क्रियान्वित करने वाले प्रधिकारियों घटवा दासों को वकीलों से घटवा कानून के यथावत् पालन के विषय से प्रधिक स्नेह नहीं होता। नियम बनाने वाले ही जब उन्हें क्रियान्वित करने समते हैं, तब यह बहता कठिन हो जाता है कि वे लोग निष्पद्ध होकर आचरण करेंगे ही। राजकीय काम-काज की भाव-शक्तिनानुसार प्रनेक छोटे छोटे केन्द्र बनाये जाते हैं तथा गव कही निरन्तर नागरिकों के जीवन के सम्बन्ध में फैसले किये जाते हैं। जाहिर है कि इन फैसलों को नियमों के अनुहृत ही होना चाहिए। अतः कोई न कोई ऐसा सरदार उपाय अवश्य किया जाना चाहिए जिससे अवित के प्रधिकारों का अपहरण न हो सके। प्रथात् काम-काज की प्रक्रिया (प्रोसीजर) विलक्षुल विशिष्ट होनी चाहिए। सम्बन्धित नागरिकों को अपना पक्ष उपस्थित करने वा पूरा प्रधिकार दिया जाना चाहिए। जहाँ जल्ली हो, वहाँ उसे वकील देने का भी प्रबन्ध होना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ नियमों के अनुसार फैसला न हुआ हो, वहाँ अपील करने का प्रधिकार अवित को होना चाहिए। कार्यकारी प्रधिकारी भट्टपट फैसला बरना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा प्रशंसनीय है; पर इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि इससे किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का बलिदान न हो जाए। किन्हीं-किन्हीं कानूनों के अनुसार कुछ बातों के विलङ्घ नागरिकों का अन्य प्रदालतों में फरियाद करने का प्रधिकार नहीं है। सार्वजनिक कामों के लिए भूमि तथा

'अन्य सम्पत्ति को धनने अधिकार में सेने का अधिकार मरकार को प्राप्त है। परन्तु किन्हें सुरक्षार सावंजनिक कायं का नाम देती है, वे कायं सावंजनिक नहीं हैं, पहले जिसी पदान्सन के मामने मिट्ठ करने का अधिकार जिसी को प्राप्त नहीं। सरकार वा इसी कायं को सावंजनिक वह देना ही पर्याप्त है। उनके बाद उस मामले में दोई फैकार नहीं दिया जा सकता। नागरिक को यह कहने का अधिकार अवश्य है कि उसको जो मुख्यावज्ञा दिया गया है, वह बहुत बड़ा है। एक हृष्टि से यह अनुचित भी नहीं। तथापि नागरिक यो धनने कायं को मिट्ठ करने का कुछ अधिकार होना चाहिए। यदि निर्धारित नियमों एवं न्यायशाल की मूलभूत प्रक्रिया के विरुद्ध काई पदाधिकारी शानदारण करे, तो धनने कायं को मिट्ठ करने का अधिकार सोगों को अवश्य दिया जाना चाहिए। आवश्यक बहुत में राज्यों में प्रशासनसम्बन्धी कानून (Administrative Law) होता है और उसके काम की प्रक्रिया निर्दिष्ट की जाती है। इसमें नागरिक स्वतंत्रता पर धनने कायों किपति बहुत कुछ दूर हो जाती है। उचित हो यह है कि मुख्य धनालहों के प्रधिकारों में विभिन्न शासकीय बेन्डों में इए जाने वाले निर्णयों से किसी प्रकार की न्यूनता नहीं धानों चाहिए। आप-कर के मम्बन्द में एक द्रिघूतस नियुक्त किया गया, मानामात के साधन के बारे में एक अन्य मठल नियुक्त किया गया। इस प्रकार की व्यवस्था राजीव काम-काज की हृष्टि में मूलिधारनक है, इसमें मन्देह नहीं। तथापि इन मठनों के हाथों यदि न्यायशाल के मौलिक सिद्धान्तों के मार्ग में इकायट धनने लगे, तो उनके सम्बन्ध में सामान्य धनालत से फरियाद करने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। राजीव काम-काज वा दोनों भी इतना अधिक तात्परी ही गया है कि न्यायशाल की हृष्टि में सामान्य न्यायाधीश को सब बानों का इरा-पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं है। अतः ऐसे भामलों में, जहाँ उस विषय के विदेशीों की आवश्यकता होनी है, फैसला करने का काम विदेशीों के मठल ही को सौंपा जाना चाहिए। यदि उन विदेशीों का नियंत्रण न्यायसम्बन्धी सामान्य कल्पनाहों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल न हो, तो सामान्य धनालहों में फरियाद करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। भाजकत धनने के स्वतन्त्र मठल राजीवीय काम-काज के होत्र में काम करते हैं और उनके बारारण काम-काज सम्बन्धी धनेक नियुक्त बहुत शीघ्र किए जा सकते हैं। तथापि इन मठनों द्वारा न्याय का अवश्य करने का चर्य हुआ कार्यपालिका के हाथ में ही न्याय-पालिका वा कायं सौंप देना। कार्यपालिका के हाथ में इस प्रकार निरकुदा धनिकारों का सौंप देना व्यक्ति की स्वतंत्रता की हृष्टि से ठीक नहीं। अतः राज्य धर्यांत्र कार्य-पालिका धर्यवा सरकार कोई अन्याय या दरहृत्य कर देंठे, तो उसके विहृद फरियाद करने का अधिकार व्यक्ति को अवश्य होना चाहिए; नहीं तो स्वतन्त्रता का कोई धर्य नहीं रह जाएगा। धर्याय चाहे राज्य के इसी पदाधिकारी ने किया हो धर्यवा राज्य द्वारा नियुक्त हिसी मठल ने किया हो, उसके विहृद फरियाद करने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। राज्य का काम-काज अन्ततोगत्वा अधिक द्वारा ही किया जाता है। अतः राज्य के किसी भी नौकर के हाथों धर्याय वयों न हुआ हो, उसका उत्तरदायित्व राज्य ही पर होता है। अतः राज्य के विहृद फरियाद करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। धनने मालिक की नौकरी करते समय नौकर के हाथों ही हर भूल का

भाषुनिक राज्य तथा स्वतन्त्रता

हम क्या कह सकते हैं कि स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए कायंपालिका एवं न्याय-पालिका को एक-दूसरे से पृथक् रखना चाहिए। उतने से स्वतन्त्रता की पूर्ण रक्षा हो सकेगी, यह कहना बठिन है। स्वतन्त्रतासम्बन्धी जो कानून बनेंगे, उन्हीं का प्रधान होना चाहिए तथा कायंपालिका प्रधान द्वारा सरकार उन्होंने कानूनों को कार्यान्वित करेगी। इसका अर्थ यह है, या तो राज्य के संविधान में स्वतन्त्रताविषयक कानून मीडर होने चाहिए या किंतु राजकीय परम्परा एवं प्रधानों को अधिक प्रभावशाली होना चाहिए या किंतु राजकीय परम्परा एवं प्रधानों में हटायत होती है। संविधान में हटायत होती है। संविधान में सभी संविधानों में हटायत होती है।

फ्रेंच राज्य-क्रान्ति के पश्चात् नागरिक स्वतन्त्रता को दियेप महत्व प्राप्त हुआ है तथा प्रत्येक विधान एवं संविधान में उसका उल्लेख किया जाने लगा है। कानून द्वी प्रकार के होते हैं—एक संविधानात्मक कानून तथा दूसरा सामान्य कानून। संविधानात्मक कानून द्वारा राज्य का स्वरूप, रचना, उद्देश्य तथा भाइंडन नियन्त्रित किए जाते हैं तथा सामान्य कानून में संविधानात्मक कानून तथा दूसरा सामान्य कानून में उसका उल्लेख किया जाने लगा है। कानून द्वी प्रकार के होते हैं—एक संविधानात्मक कानून तथा दूसरा सामान्य कानून। संविधानात्मक कानून द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। संविधान का महत्व एवं पावित्र भगवनी के द्वारा नियन्त्रित के व्यवहारों वा नियमन किया जाता है। संविधान का महत्व एवं पावित्र भगवनी के द्वारा परिवर्तन महीं किया जा सकता। संविधान का महत्व एवं पावित्र भगवनी के द्वारा परिवर्तन महीं किया जा सकता। संविधान में परिवर्तन करने के लिए कुछ विदेष उपायों से आम निया जाता है। उसकी सारी व्यवस्था ही भिन्न होती है तथा इसकी व्यवस्था संविधान में ही ही जाती है। सामान्य कानून के बनाने, बदलने तथा संतुलन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है। इगलंड में संविधानात्मक कानून बना हुआ नहीं है। वही प्रवेक कानूनों के द्वारा राज्य की रचना से सम्बन्धित व्यवस्था की गई है। संविधानात्मक कानून के न रहने के कारण वही हिसी भी कानून जो बदलने की एक ही प्रक्रिया है। त्रिस प्रक्रिया से धाय-कर एवं यातायात के साधनों में परिवर्तन होने के द्वारा राज्य की रचना से सम्बन्धित व्यवस्था से राजा रहे या न रहे, House of Lords रहे या न रहे इत्यादि विधयों पर भी विचार किया जा सकता है। एक ही सेवानी से गारे कायं किए जा सकते हैं। परन्तु जहाँ संविधानात्मक कानून है, वही परिवर्तन करने की एक विदेष प्रक्रिया होती है। संविधान में संविधान में परिवर्तन करने के द्वारा राज्य की रचना से सम्बन्धित व्यवस्था के बदलने से एक विदेष प्रक्रिया होती है। त्रिस प्रक्रिया से धाय-कर एवं यातायात के साधनों में संविधानात्मक कानूनों में हिया जाता है। उसी प्रक्रिया से राजा रहे या न रहे, House of the Representatives में उस उपरोक्त के पाय होने से काम नहीं चलना। उसी लिए पटक राज्यों को विधान गमायों द्वारा भी उक्त संघोपन का पाय होना धारवद्या होता है। भारतीय संविधान के घनुगार सोहमगार में कुन गम्या के बहुमत से एक उपरियत समांगदों के हो-तिहाई समांगदों द्वारा घनुपति प्राप्त होने पर ही कोई संघोपन महर हो सकता है। वहने का मनिशाक यह है कि पटियाला के घनुर नामिरिय स्वतन्त्रता एक योगिता यपिशारों के सम्बन्ध में कोई घन्या कर दी जाए तो नि तांड उत्तरन्त्रता की रक्षा परिवर्त होती है, पर उपरियाम्यक कानूनों में नामिरिय स्वतन्त्रता एक योगिता यपिशारों के सम्बन्ध में कोई घन्या कर दी जाए तो नि तांड उत्तरन्त्रता का उन्नेश होते हैं बाटा परिवर्तने उन्हीं संघोपन नहीं कर सकती। इसी प्रधार नामिरिय घन्या गरजार को भी इन सामनों में, इस्ता ही या न हो, परन्तु स्तोत्रिय घन्या करनी ही पर्याप्त है। इसको बदलना धारणा नहीं

होता। सामान्य कानूनों को बदलना आसान होता है। इस हृष्टि से संविधानात्मक कानूनों में भौतिक अधिकारों पा उल्लेख किया जाना उचित एवं स्वतन्त्रता की रक्षा की हृष्टि से बाध्यनीय है। भारतीय संविधान में भौतिक अधिकारों के लिए एक स्वतन्त्र अध्याय अध्यवा प्रकरण है, जिसमें भाषण, संगठन इत्यादि स्वतन्त्रताधियों का तथा उसकी सीमाधो का स्पष्ट उल्लेख है। भाषुनिक राज्यों के सभी संवंधानिक कानूनों में न्यूनाधिक भाषा में भौतिक अधिकारों का उल्लेख रहता है। संवंधानिक कानूनों में सब प्रदाता को व्यवस्था कर देने से नागरिकों को स्वतन्त्रता की निश्चित रूप से रक्षा हो सकती, यह नहीं कहा जा सकता; तो भी इतना तो सही है कि मुश्तिधित नागरिकों के सामने भौतिक अधिकारों का विचार अवश्य बना रहता है। भौतिक अधिकारों का उन्धोग दैनिक जीवन में हुआ करता है तथा एक हृष्टि से वे अधिकार नागरिकों के जीवन का एक स्वाभाविक अंश बन जाते हैं। एक जगह इकट्ठा होना, किसी विषय पर चर्चा करना, सभाएं करना, भाषण देना, अपने विचारों को नेतृत्व के द्वारा सोगों के सामने पेश करना, राज्यों में कही भी घूमने-फिरने की मूली धूट, अपनी हचि के अनुसार रोडगार करना इत्यादि बातें नागरिकों के लिए अत्यन्त स्वाभाविक हो गई हैं। भाषण करने वाला मूँझों की तरह बोलता हो, सभा में गढ़वाड़ होती हो, अध्यवा काम-धन्वे में नाना प्रकार की अवध्यनीय बातें होती हों और इन सब बातों की नागरिक देख रहा हो, तो भी उसे कभी यह अनुभव नहीं होगा कि इन अधिकारों पर प्रतिबन्ध सागा जाए। संविधान द्वारा केवल समाज के जीवन का ही नियन्त्रण नहीं होता; बल्कि व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन का भी धनजाने नियन्त्रण होता रहता है। इसी कारण नागरिक स्वतन्त्रता को व्यवस्था प्राप्त वस्तु है। इसका अर्थ यह नहीं कि संविधान में लिखित होने भर से व्यक्ति के धनुभवों में वह अवश्येण हो जाती है। बहुत बार समाज में धोम उत्पन्न हो जाना है, जनता विवेक से कोसों दूर चर्ची जाती है तथा संविधानगत स्वतन्त्रता दायिक सिद्ध होती है। इसी प्रकार संकटकालीन परिस्थिति की धोपणा करके अध्यवा उसका दावा करके भौतिक संरक्षक थोड़े समय के लिए ही वयों न हो संविधान में उल्लिखित स्वतन्त्रता को कम-जोड़ और धर्यहीन बना सकती है। अतः स्वतन्त्रता की सच्ची रक्षा नागरिकों के नियन्त्रण पर जितनी अवलम्बित रहती है, उतनी धन्य किसी व्यवस्था पर नहीं। सोगों का नियन्त्रण जितना अधिक पञ्जवृत होगा, संविधानगत स्वतन्त्रता भी लोगों को उतनी ही अधिक दरसाव देंगी। निरोक्त प्रतिवन्ध के कानून से गिरफ्तार बरने की परिस्थिति है या नहीं, यह सब काल्पनिका द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस सम्बन्ध में अदालत को हस्तांत्र करने वा अधिकार नहीं है। अदालत केवल इतना ही देख सकती है कि एक निश्चित समय के भीतर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को, उसकी गिरफ्तारी के कारण बता दिए हैं या नहीं तथा यह गिरफ्तारी नियमानुसार हुई है या नहीं। यदि इस प्रकार को धन्वा बार-बार होने लगे और जनता उन्हें चुनाव सहती रहे, तो यह कहना कि वहाँ लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्त है, जितन नहीं होगा। अतः सच्ची स्वतन्त्रता वो बताए रखने के लिए जनता का जाप्रत होना

बहुत आवश्यक है। तभी स्वतंत्रता का मुख लोगों को मिल सकता है। स्वतंत्रता की कीमत है अताष्ठ जाप्रति।

जिस प्रकार स्वतंत्रता की मजबूती के लिए लोगोंवा जायद होना आवश्यक है, उसी प्रकार उनका विवेकशील होना भी आवश्यक है। मदि समाज वा लोकमत विवारवान् एवं विवेकशील होगा तो न्यायाधीश के लिए न्याय करना आसान हो जाएगा। न्यायदान जनता की स्वतंत्रता के लिए तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। न्यायाधीश भी समाज का एक भाग है। समाज में उठता-र्हना है। उसके भी मिश्र होते हैं, जिनके साथ वह भी चर्चा किया करता है। समाज में बया बोला और बया निखा जाता है, इस सब की जानकारी उसे रहती है। समाज की नीतिसम्बन्धी कल्पनाओं का उसके मन पर भी संस्कार पड़ा रहता है। समाज में वर्गों के अस्तित्व के कारण व्येक्षियक भावना से वह भी सर्ववा अतिष्ठ नहीं रह पाता। जाने या भनजाने, समाज के जीवन में काम करने वाले किन्तु भ्रस्तच भावों का प्रभाव उसके मन पर भी होता रहता है तथा उसके फैलतों पर इन सब वार्ताओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही रहता है। तो भी इन प्रभावों की माझा बहुत खोड़ी होती है। वर्गोंके न्यायाधीश को अपने पद की प्रतिष्ठा की रक्षा का भी उभरदायित्व प्राप्तने ऊपर लेना पड़ता है। ऐसी प्रकार अनुभव एवं अप्पयन के द्वारा उसके आचरण या स्वभाव में एक प्रकार का मनुलन भा जाता है। सामाज्य जनता विवेक ने जितनी ही दूर होगी, उतना ही उसमें विवारशीलता का अभाव रहेगा। ऐसा देखने में आया है कि जब किसी मुकुटमें के बारे में लोगों में नीत्र प्रसन्नोप उत्पन्न हो जाता है तथा जहाँ पंचोंद्वारा अपनी सम्मति प्रकट करनी होती है, वहाँ विशुद्ध एवं निराकार न्याय के काम में पंचों की ओर से बहुत अधिक सहायता नहीं हो पाती। ये पंच लोग सामाज्य जन होते हैं तथा पंच होने के कारण समाज की आरण्या एवं दृष्टिकोण से प्रभावित होकर ही वे लोग अपना निर्णय देते हैं। ऐसी स्थिति में इच्छा होने पर भी न्यायाधीश के लिए न्याय करना सम्भव नहीं हो पाता। इसका एकदम ताज़ा उदाहरण बम्बई का नानावटी केस है। पंचोंद्वारा किया गया निर्णय पूरी तरह विकृत तथा विपर्येक्ष था, यह जाहिर है। यदि विहृ चाहने हैं कि समाज में न्याय एवं स्वतंत्रता की उत्तम रौति से प्रतिष्ठा हो, तो हमें लोकमत को विवारवान् एवं विवेकशील बनाना होगा। स्वतंत्रता को मजबूत बनाये रखने के लिए समाज में ऐसा वातावरण होना चाहिए, जिसमें अपहृत्य अवधारणा अपराध करने वाले अविवित को सजा जाहर दी जाए। यदि सरकार अवधारणा सरकार का कोई अधिकारी अपने अधिकार का दुष्प्रयोग करे तथा उसके हाथों कोई अपराध या अनुचित कार्य हो जाए, तो लत्काल उसके विरुद्ध कोई आवश्यक वार्षव ही अवश्य की जाएगी, ऐसा जनता में विश्वास होना चाहिए। बहुत बार समाज का वातावरण धुक्क रुद्र हो जाता है तथा मंकटकालीन परिस्थिति का नाम देकर सरकार कुछ कदम उठाती है और बहुत बार अधिकारों का बहुत दुर्घटना होता है तथा अक्षम्य कृत्य किए जाते हैं। उन कायों के विहृ आवश्यक आवश्यक वार्षव ही अपने के लिए संकटकालीन परिस्थिति के समाप्त होने के बाद कोई न कोई अवश्या अवश्य होनी चाहिए। अधार्युक्त गोली चलाई गई हो, संकटों आदियों को

जन से हाथ धोना पड़ा हो तो इन मामलों में राकारी जीव की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इसी ने कोई अनुचित बायं किया हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। यह ठीक है कि संघट का मुश्वरा करने के लिए पुलिम को गोली चलानी पड़ती है। यदि ऐसा करने का अधिकार पुलिम को न दिया जाए तो शान्ति एवं सुधारस्था सतरे में पड़ जाती है। सोक समूह के क्षुद्र होने पा भय है प्रविचार एवं अविवेकपूर्ण कार्यों का श्रीगणेश। जब जनता विंगड़ खड़ी होती है तो उसको कानू में लाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सोगों के प्रिय नेता भी जनता के खोब को शान्त नहीं कर पाते। ऐसी बातें भारत में ही नहीं होती वल्कि दुनिया के सभी देशों में ऐसा ही होता है। इस कारण प्रत्येक गोनीवाड़ी की अदालती जीव करवाने का आप्रह जहाँ अविवेकपूर्ण है वहाँ राजनीति हृष्टि से भ्रूरदाता का सूचक एवं भराजकता का सहायक भी है। अतः आवश्यक मात्रा में एवं आवश्यक ममथ के लिए गोनी चलाना तथा अन्य कई कार्यवाही करना आवश्यक समझा जाना चाहिए। राज्य मत्ता का वह एक आवश्यक वर्तमान हो जाता है। परन्तु जहाँ आवश्यकता से अधिक मात्रा में तथा अधिक काल तक गोनो चलाई गई हो अथवा अतावश्यक मात्रा में बड़ी कार्यवाही की गई हो वहाँ उनकी जीव जरूर हो जानी चाहिए तथा उसके लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों को अवश्य सजा मिलनी चाहिए। ऐसा करना समाज की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मन् '३० में शोलापुर के घन्दर फौजी कानून जारी किया गया। वहाँ सैनिकों ने या अन्य अधिकारियों ने जो कुछ किया वह सब आवश्यक था ऐसा नहीं कहा जा सकता। सामान्यनाय फौजी कानून के लागू हो जाने पर जो कुछ किया जाता है उपरे विषय में सम्बन्धित अनिकारियों के विशद दीवानी या फौजदारी मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। परिस्थिति इतनी संकटपूर्ण है इस विषय में सम्बन्धित अनिकारियों की सम्मति को ही प्रमाण माना जाता है और एह हृष्टि से यह उचित भी है। तो भी जहाँ स्पष्ट रूप से निर्देशता से काम लिया गया हो वहाँ वैसा करने वालों के विशद किसी प्रकार की कोई आवश्यक कार्यवाही न करना भी अनुचित है। सन् १९१६ में पंजाब में फौजी शासन शुरू हुआ और खुल्लमखुल्ला अनावश्यक मात्रा में गो री चलाई गई तथा लोगों से निर्देशतापूर्ण अवहार किया गया। तो भी उस मामले की जीव तक नहीं की गई। यह ठीक है कि पुलिस की अथवा फौज को राज्य की सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए कहा जाए और उनके सिर पर जीव तथा सजा की तलवार भी ढंगी रहे यह उचित नहीं कहा जा सकता। तो भी पुलिस अथवा फौज पर कुछ एक प्रतिबन्धों का न लगाया जाना नागरिक स्वतंत्रता की हृष्टि से बाध्यनीय नहीं है।

यह मानना ठीक नहीं कि नागरिकों की स्वतंत्रता तथा राज्य की रक्षा इन दोनों के बीच कोई विरोध है इसी प्रकार यह भी ठीक नहीं कि व्यक्ति एवं समाज के हितों में भी कोई ऐसा विरोध है जिसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। राज्य अथवा शासन की प्रणाली एक प्रकार से लेल की दूद का-सा स्वभाव रखती है। जिस प्रकार लेल की दूद को पानी पर ढानने से वह फेंती है उसी प्रकार अब प्रणाली भी फेंती है। तो भी शासनसत्ता का मूल स्वभाव निष्पक्ष रहने का है। अब अपने -०८ नटस्ट

पाणुनिक राज्य तथा स्वतन्त्रता

रहती है। उत्तरा सद्गुरु उग्नी काम में लगे थे औ इच्छा के प्रभुगुरु यत्ता है। लोटों काम कर रहती है; उग्नी भी कर रहती है, और पाण भी उग्नी गती है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह लोटों है, उग्नी जो इच्छा होगी उनके प्रभुगुरु यत्ता है। व्यक्ति के नामिकों के प्रभुगुरु यत्ता उग्नी मत्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य के नामिकों के प्रभुगुरु यत्ता उग्नी मत्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य के नामिकों के प्रभुगुरु यत्ता उग्नी मत्ता नहीं है। इच्छा एवं गुणिता पर काम करती है। ऐसी स्थिति में राज्य के नामिकों के प्रभुगुरु यत्ता उग्नी मत्ता नहीं है। इच्छा एवं गुणिता पर अनुसार कुछ मौलिक धर्मिकार तथा पुरुष नियमण राज्य तथा पर विविधान में ढाले जाते हैं। केवल सामिक्षण्य के अन्दर राज्यता पर प्रतिक्रिया लगाने पर अनुसार कुछ मौलिक धर्मिकार तथा पर विविधान में ढाले जाते हैं। इस विविधान के प्रभुगुरु यत्ता के सामान्य अनुसार उग्नी नहीं है। अनुसार कुछ मौलिक धर्मिकार करता है। परमारा से इन मौलिक धर्मिकारों की सच्चा बुल्लमधुलना उग्नी के मन में जड़ जाया लेते हैं इसलिए राज्य-प्रतिक्रिया एक घटना के जनना नहीं है। प्रतिक्रिया न करना या बारे में सतर्क रहे तथा राज्यसत्ता की प्रायेक हरकत को बारीबी से दें, उग्नी जीव-पड़ताल करती रहे तो निश्चित ही यह स्वतन्त्रता प्राप्ति की होती है। और बहुत रसवाली ठीक तरीके से की जाती है उसकी पैदावार भी ठीक रहती है। और बहुत बार एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता का उपयोग दूसरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता की राह में रोड़ा बनकर सड़ा हो जाता है। सामान्यतया व्यक्ति को अपनी तुल्द की स्वतन्त्रता के बारे में प्रधिक चिन्ता रहती है कि जो कुछ वे करते हैं और समझते हैं वह उन्हें स्व-तन्त्रता का दुष्ययोग प्रतीत होता है। सामन्त मन से तथा विवेकपूर्वक विवार करके काम करने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। जो सन्तुलित मनोवृत्ति न्यायाधीश की होती है वह सर्वसामान्य जनता में नहीं दीख पड़ती। अतः यह ठीक है कि सामिक्षण्य में उल्लेख करने से बही ठीक है और जो भी स्वतन्त्रता में बहुत धर्मिक राज्यता प्राप्त होती है। तथापि जनता का सजग रहना आवश्यक है। साध ही जनता को सन्तुलन एवं विवेक से पुकार भी होना चाहिए। जनता कभी-कभी उनके स्वतन्त्रता नियर्थक हो जाती है। वैसा होने से अपेक व्यक्तियों के प्रति अन्याय होता है और उनकी स्वतन्त्रता नियर्थक हो जाती है। देश का सामान्य जनता ही विभुत्य होती है उसी नहीं रहता और वह भी विवेक से बढ़ती है। जिस प्रकार यास्त्राय में लगे हुए व्यक्ति पराजित हो जाने पर 'देश को पेन पूरयेत्' इस न्याय के प्रभुगुरु यत्ता में सत्ताधीश लोग सार और यसार का विवार करके काम करने का प्रयत्न करते हैं। परम्परा जहाँ उनके अपने हितों का साथाल उठ सड़ा होता है वहीं वे युक्तिवाद को एक और हटाकर विरोधयोंकी स्वतन्त्रता एवं मौलिक धर्मिकारों पर हमला करने वा कोई तरीका निकाल लेते हैं।

सकटकालीन परिस्थिति न हो तो भी वे लोग सकटकालीन परिस्थिति को धोपणा कर देते हैं। पौर यदि वास्तविक सकटकालीन परिस्थिति हो तो उम बाल में काम में लाने के लिए गविधान में दिए गए अधिकारी का उपयोग उस परिस्थिति के टल जाने पर भी करते चले जाते हैं। विरोधी पक्ष की अतिरेक्युक्त आलोचना से घ्रन्थन होकर सामान्य विरोध को अराजकीय विरोध मान कर कानून में दिए गए सारे अधिकार राजसत्ता अपने काम में ले गाती है एवं विरोध को पूरी तरह छोड़ कर डालने का प्रयत्न करती है। अब: स्वतन्त्रता की वास्तविक रक्षा और वृद्धि के लिए जहाँ एक और जनता को विवेक्युक्त होना चाहिए वही सरकार का भी विवेक्युक्त होना बहुत जरूरी है। विरोधी पक्ष की विवारणारा भले ही प्रतिप हो तो भी उसका सम्मान करना चाहिए। वहने का भभिन्नाय यह है कि दूसरों को सम्मति के बारे में समाज के भीतर सहिष्णुता का बातावरण होना चाहिए। विवारों में संतुलन तथा व्यवहार में सहिष्णुता मनुष्य को जन्म से प्राप्त नहीं होती उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अनुभवों एवं अम्माम से काम लेना पड़ता है। जिस प्रकार स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोगों को सशा जाग्रत रहना पड़ता है पौर यदि सामान्य जनता जाग्रत न रहे तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है ठीक उसी प्रकार विवारों में संतुलन एवं व्यवहार में सहिष्णुता की बहुत सहज जहरत है। नहीं तो स्वतन्त्रता मुझे भर व्यक्तियों के एक विशिष्ट वर्ग की बपौती बन जाती है और सामान्य जनता को उससे बचित रह जाना पड़ता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता का अनुभव न करे तब तक स्वतन्त्रता पूर्ण तथा अर्थपूर्ण नहीं हो सकती। समाज एक हॉटिं से नित्य तथा दूसरी हॉटिं से अनित्य है। कुद्य मामलों में वह निरंतर निर्भीत रहता है तथा कुद्य मामलों में सर्वथा स्वतंत्र, स्थिर एवं गतिशील रहता है। समाज के इस स्वरूप को ध्यान में रखने से यह प्रतीत होता कि स्वतन्त्रता को कहना एवं स्वरूप समझ के साथ-साथ बदलना रहता है। किन्तु उम्हा अन्तर्भिर सदा एक ही बना रहता है। अब: एक ही अन्त विड याने एवं भक्षण के साथ बदलने वाले स्वतन्त्रता के स्वरूप पर बार-बार विवार करना पड़ता है। जिस प्रकार मन्त्र वाहान का संघर्ष एवं गायत्री का जप अनिवार्य है ठीक उसी प्रकार एक सच्चे नागरिक के लिए स्वतन्त्रता हवी मन्त्र का जाप अनिवार्य है। नागरिक मतकर रहे जागरूक रहे तो उसकी स्वतन्त्रता अवधित रहेगी। दुनिया के बाजार में उठने-बैठने वाले व्यक्तियोंको सावधान रहना चाहिए तभी वे दुर्गति से अपने बो बचा सकते हैं।

स्वातन्त्र्य वा सही माने में संरक्षण तभी सम्भव है जब उस पर होने वाले हमें के विनाक निर्भीक होकर बोलने एवं उम के लिए आवश्यक कदम उठाने की बुद्धि नागरिक सोगों में मोजूद रहे। अन्याय के प्रति रोष एक स्वामाविक बस्तु बन जानी चाहिए। प्राजन-गालन जितना समाज की स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक होता है उतना ही आज्ञा वा उल्लंघन भी होता है। अन्याय को चुनावाप सुन्नन कर जाना, स्वतन्त्रता पर होने वाले भाक्षण के प्रति उदासीन बने रहना समाज की स्वतन्त्रता के दीर्घ जीवन के लिए यतरनाक है। नागरिकों में अन्याय के प्रति विद्रोह की वृत्ति की उत्तम हो अथवा वह कैसे उत्पन्न होती है, इस विषय पर विवार करना आवश्यक

है। मुद्रा इतेनिमे सोगों में पट वृत्ति काम के हो काम गती थम गरता। यदीकि इन मुट्ठी भर सोगों को उठाया, प्रतोभग तथा धर्माभार द्वारा नियमण कर जानवा सता-पारियों के लिए बहुत मजबूत हो जाता है। यदी नहीं, तब गामान्य जनभग उत्तमोन् एवं निकिता हो गब धर्माय के लिए धाराव उठाने वाले इन मुट्ठी भर सोगों को गामल तथा इत्यहरयन्य भी गमधा जाता है। यह धर्माय का विरोग करने की वृत्ति तथा इत्यरामा के गंतव्यातु के लिए लाग बरने की वृत्ति गमधा के द्वारा इत्यरिता में होनी पाहिजा। यह न हो तो इत्यरामा की रक्षा तथा तामाज की नीतिर उत्तमि रामदय नहीं। अत गामन के कार्य में नामरितों का नियमन धर्मिर मृद्दना गाएगा उतने ही सोगों में यह वृत्ति धर्मिर उत्तम होनी। राम्य की शक्ति यदि केन्द्रित हो तो उत्तरा गामान्य जनगा ने बहुत एवं गामदय गाएगा। वह धर्माय में बहुत योड़े सोगों के अनुभवों के गामधा पर बहु-बही नीतियों का नियांदरण होना तथा योड़े से सोगों की गमधति को भी गावेत्यरित गमधति सामनकर काम दिया जाएगा। इत्या इही युमता है यह बात इत्या परमंत वाचा (ी बात गरेगा, उने उन्हें वाचा दुश्मनश्चर नहीं। जिनके जीवन पर गवनंतिर धर्मशा गामरोप निरुप्यों का प्रमाण पटता है, उन्हीं के अनुभवों की यहस्य दिया जाना पाहिजा। यदि देन में घब्बे राम्य की रक्षापता करना है तो उसके लिए शाकिता। विरोन्दीदरण करना नियमन गामदयक है। विरोन्दीदरण से समाज के धर्मिवायिक व्यक्ति गामन के साम्रिध्य में जाते हैं और उनका गहयोग प्राप्त होता है। यकि एवं इत्यनन्दता के इत्युत्तम होने से गमर्य दूर हो जाते हैं। नामरित एवं गामाज दोनों पक्षों की मुदिष्या की ओर इत्याभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। गामन की प्रक्रिया से गमर्य रक्षापति होने के बारण स्वतन्त्रता का वही प्रयहरण होने लगे हो सोगों को उत्तरा जान सीधे ही हो जाता है तथा सोगों में जागहक रहने की वृत्ति प्राप्त होने भाव उत्तम हो जाती है। नामरितों को अनुभव होता है कि यद्य उनकी जानाह से बाय दिया जाने समाह है। यह अपन ही निरुप्यों का वासन करने का नीतिर उत्तरदायित्व सोगों में वैदा हो जाता है। इति-हास का अनुभव हमें बताता है कि मुराज्य नितने भी महत्व की वस्तु खोनी न हो स्वराम्य के साथ उसको कोई युसना नहीं। जो बीड़ सोगों पर जबदंस्ती खोनी जाए वह कितनी भी दोचित्यपूर्ण खर्यों न हो सोगों को दिय नहीं प्रतीत हो सकती। वे सोग उसके प्रति उदासीन ही बने रहेगे। परन्तु जो बात सोगों से पूछकर उनकी जानाह से तथा उनकी इच्छाभों को समझकर की जाती है उससे जनता में उल्लास आ जाता है। स्वाभाविक प्रेरणा से मनुष्य के भीतर जिन श्रेष्ठ युणों की उत्तमि होती है वे युण किसी दूसरे की जान से अवश्य धार्मह से नहीं उत्तम हो पाते। प्रवेक व्यक्ति को प्रवृत्ति एवं प्रेरणा के अनुसार सर्वथा निरकुश रूप से काम करने देना भी थीक नहीं होता। समाज में जीवन के किन्हीं दोनों से तथा किन्हीं विषयों से एकता एवं समानता का रहना भी गामदयक होता है। गाम ही व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप से विचार करने की तथा अपने विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत करने को चूट है इम बात की जानकारी के रहने से स्वतन्त्रता की रक्षा करने की बुद्धि एवं प्रवृत्ति उगमे उत्पन्न होती है तथा विवसित होती है।

समाज तथा व्यक्ति के हृष्टिकोण तथा आवश्यकताओं में विचारपूर्वक समझौता आवश्यक होना आवश्यक है। यह समझकर कि वह अपने आप ही जाएगा उसकी उपेक्षा करना ठीक नहीं। इस उपेक्षा के कारण बहुत-सी अच्छी बातों की भी उपेक्षा हो जाया करती है। बहुत बार ऊपर से गुज़ और दानिंह वी दिखाई देने वाली परिस्थिति भी बहुत विस्फोटक एवं विघटनात्मक मिथ्या होती है अतः व्यक्ति, समाज, दल इत्यादि विषयक किन्हीं सिद्धान्तों को स्थिर करने से पहले उन्हें अपने मन में ठीक ने विचार करके स्थिर कर लेना चाहिए। समान्यता उनका वर्णकरण कर सेना चाहिए और जो सिद्धान्त स्थिर हो चुके हों उन्हें आवश्यकतानुसार बाबून वा रुद्र दे देना चाहिए तथा कभी उन्हें सामाजिक संबंध एवं प्रयोगों पर लोह देना चाहिए। प्रत्येक वस्तु की व्यवस्थित मूली बनाकर उनके विवरण को स्थिर कर देना प्रगतिशील समाज में प्रायः सम्भव नहीं होता। तथापि अनेकों ने व्यक्तिगत एवं मामाजिक, नागरिक तथा राजकीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में विचार किया है। समाज में व्यक्ति को कपड़े पहनने चाहिए, कपड़े पहने बगैर न नीं हालत में सार्वजनिक स्थानों पर जाना अनुचित है। यह सार्वजनिक व्यवहार का देश राज्य एवं समाज का है। कपड़े पहनना चाहिए, यह राज्य का आदेश मानना चाहिए एवं रन्तु अमुक नरह का तथा अमुक रंग का कपड़ा ही पहना जाए, ऐसा आम्रह राज्य नहीं करेगा। उस सम्बन्ध में व्यक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक आवरण करने की पूरी शुद्धी रहती है। सामाजिक प्रथाएँ इन मामलों में भी व्यक्तियों की इच्छाओं पर अंकुश लगाती हैं। किन बातों पर विचार किया जाय, क्या खाया जाए, ये व्यक्ति के देश में आने वाली बातें हैं। क्या पढ़ा जाय, किन प्रकारका ज्ञानार्जन किया जाय यह भी सामान्यता व्यक्ति के देश में आने वाली बातें हैं। तथापि समाज एवं राज्य अन्वेषता एवं पराजकता का विचार करके इन बातों पर कुछ अंकुश व्यवस्था का होना आवश्यक है। जिन प्रकार व्यक्ति एवं समाज के बीच किसी व्यवस्था का होना आवश्यक है उसी प्रकार कुछ व्यवस्था नागरिक एवं राज्य के सम्बन्ध में भी होनी चाहिए। उसी प्रकार रवतन्त्रता की वृद्धि की हृष्टि से भी व्यक्ति का विकेन्द्रीकरण अभीष्ट एवं आवश्यक भान लेने के बाद भव प्रश्न उठता है कि विकेन्द्रीकरण का रुद्र क्या हो। जौनसे काम और कौनसे विषय मुख्य शासन सत्ता के हाथ में हों तथा कौनसे विषय स्थानिक सामग्री की दिए जाएं। यदि राज्य-व्यवस्था संयुक्त हो तो केन्द्रीय सत्ता के हाथ में कौन से काम हो तथा घटक राज्य के हाथ में कौनसे काम हो, इस सम्बन्ध में भी निश्चित सिद्धान्तों वा होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में जो काम वा विभाजन किया गया है वह इस देश के पहले के अनुभवों पर तथा अन्य संयुक्त राज्यों के अनुभवों पर आधारित है। संयुक्त राज्य की हृष्टि से जो आवश्यक कायें हैं वे केन्द्रीय सरकार के हाथ में आने चाहिए, यह साफ जाहिर है। देश का मंत्रकार सारे देश का काम है; अन: इस संराजन की व्यवस्था का भार बेन्द्रीय सरकार पर होना उचित है। महाराज्य राज्य की बेन्द्रीय नीति तथा वंतान की बेन्द्रीय नीति भिन्न नहीं हो सकती वर्षोंकि मन्तराज्यीय दृष्टि में भारत एक राज्य है तथा उसके घटक राज्यों का निर्माण भारत राज्य के राज-काज की मुखिया की दृष्टि से किया गया है; वे दोई स्वतन्त्र

राज्य नहीं है। अन्यथा ये धनेक पट्टे ही होते हैं, उनमें मैं नियी एक पट्टे को निशाच और असदृश भी निया जा सकता। धनेक राज्य का आवास इनमें अविद्या है जिन्हें एक-दूसरे में असदृश भी निया जा सकता। देश में युद्ध एक ऐसी घोटी पाइए। आगरिक भीति भी एक ऐसी ही घोटी घाटिए। आवायाज की इच्छाएँ में भी एक युद्ध भी होते घाटिए। यह इन गद नियों का केंद्रोंपर गरबार के शब्द में आवास उपलिख एवं आवधिक विद्य होता है। इसी गरबार जो आप धोह जो थोड़ा व्यापिता स्वरूप के है; जिनका आवधन भाषुवित आवश्यकताओं के आप धरित है, मैं आप स्वभावक व्यापिता गरबार के हृष्ण में अवका ग्रनुक राज्य के गरबे में बहुत भी तो पटक राज्यों के हृष्ण में हीं घाटिए। युवा गढ़ की गरबे में भी यों बहुत भी तो आताखीस वी, एक शात का विचार युवा को गरबारनिका ऐसी बरता घाटिए। दण्ड-वा विचार महाराज राज्य की मुख्य उत्ता एवं संगे तो यह उपलिख नहीं होता। इसी प्रदार जगतों को विचार एवं गुरुदित्त आवाजाएँ धरपता उनमें गृहिणी की जगत, निशाच की अवस्था (नीति नहीं) वर्णी हो। यह भी पटक राज्य हो जो तथ बरता घाटिए। छोटी-मोटी बातों को निशाच आप-व्यापियों को हर बार बघबद्द जाना यहेतो व्याप-जाज टीक से नहीं हो सकेगा। तथा सोगों को गल्लोर नहीं होंगा। एक शात जाहिर है कि सामाजिक एवं राजनीय दोषों के अवलिख एवं गमनाज के एक राज्य के आपगी समझों में, जिनका अधिक गमनव्यवहारित विचार जाय, उनका अच्छा।

व्यापित एवं गमनाज के गमनाज, नागरिक एवं राज्य के गमनव्यवहार हैं, यह तथ बरते गमन अधिक में अधिकतमों की इच्छा का अध्यान रखता घाटिए। इसी प्रदार उक्त निरुद्योग का अपना भी स्थान है, ऐसा अवलिख को प्रतीत होना घाहिए तथा जब विचार निरुद्योग से जबरदस्त दोषाने पर धनतोद विवरण होता है, उग गमन उग निरुद्योग को जबरदस्ती सादता। राज्य की लिपरता एवं इच्छाना की हृष्टि से ग्रनभीष्ट सिद्ध होता है। सोगों के मन हो भौंर लेता तथा उनकी इच्छाओं का अधिक में अधिक गमनाज करना भाषुवित राजनीतिक तत्त्वज्ञान को हृष्टि से राज्य का मुख्य कर्तव्य माना जाता है। सोगों की इच्छाओं नी जान लेना पहल्कपूर्ण होते हुए भी कोई आसान बात नहीं है। जिन बातों में सोगों को गलोर मिलेंगा, इसे निश्चित रूप ने समझ लेना मुश्किल बात है। परन्तु उक्ता जानना बहुत जल्दी है। यद्योंकि राज्य जो निरुद्योग तोता है, वह गमन में कानून का रूप धारण कर लेता है। यत् वह न.गरिकों के लिए बन्धनवारक हो जाता है। तथा राज्य की आज्ञा एवं कानून का पालन करना ही राज्य सत्या का सबसे बड़ा आधार-स्तम्भ होता है। नागरिक सोग कानून को मजूर करते हैं, इसीलिए राज्य बाम कर सकता है। वैसा न हो तो वह राज्य राज्य नहीं रह जाता बल्कि अराजवता उत्पन्न हो जाती है। कोई विसी की सोग यावर नहीं लेता। 'जिसकी लाठी दसकी भेंस' की-सी भ्रवस्था एवं अव्यवहार्या मन जाती है। इस हृष्टि से राज्य के कानून के दोषे अधिकाधिक माना में लोगों का अनुभव प्रभावी होना घाहिए यह साफ जाहिर है। अधिकाधिक सतोद विचार विनिमय में अधिकाधिक विचार विनिमय करने से होती है। सलाह मनविरे से सतोद की उत्पत्ति होती है ऐसा वहना अनुचित न होगा। जब नागरिकों को यह अनुभव होता है कि उनके साथ सलाह

मदावरि किया गया है, तो वे निर्णयों का पालन अधिक मने लगाकर करते हैं। वैयक्तिक व्यवहार में भी हम यही देखते हैं। जब व्यक्ति को लगता है कि लोग उससे सलाह लेते हैं, तब वह उन बातों में अधिक अच्छा सहयोग प्रदान करता है तथा अधिक संतोष अनुभव करता है। जब हम किसी से विचार-विनिमय करते हैं, तो उसे लगता है कि मेरा भी कुछ महत्व है, मैं कोई अनुपयोगी अवया कुछ व्यक्ति नहीं हूँ, समाज के जीवन में मेरा भी कोई स्थान है। इस अनुभूति से उसका मन प्रसन्न होता है तथा उसका दृष्टिकोण अधिक मृजनशील हो जाता है। जब वह देखता है कि राज्य उसकी माध्यकारिताओं का स्थान रखता है, तब उसकी राज्य के प्रति निष्ठा दिगुणित हो जाती है। हम जब किसी से कुछ पूछते हैं, तब वह विचारोन्मुख होता है। और एक बार विचार करने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है, तो किर वया सम्भव है, वया असम्भव एवं वया उचित है, वया अनुचित है, इन सब बातों पर वह विचार शुरू कर देता है। इससे किसी भी सवाल पर वह अधिक सन्तुलनपूर्वक एवं अधिक विवेकपूर्वक अपना विचार बनात करने में समर्थ हो जाता है। यदि किसी बात पर उससे विचार-विभास न किया जाए तथा उस पर कुछ बातें जाद दी जाएं तो स्वभावतः उसकी मानसिक प्रतिक्रिया विरोधी स्वरूप की हो जाएगी। राज्य हारा प्रमुख-प्रमुख विषयों पर नागरिकों में विचार-विमर्श किये जाने के कारण नागरिक अधिक विवेकशील बनते हैं तथा अपने अधिकारों के सम्बन्ध में अधिक जागरूकता से बाम लेते हैं। उनके इस प्रकार जागरूक हो जाने से अधिक सही माने में वे लोग स्वतन्त्रता के संरक्षक बनते हैं। भगव राज्य उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करे तो वे उसका विरोध करेंगे। और यदि राज्य उनके विरोध एवं निर्दा की परवाह न करके कुछ करेगा तो उससे राज्य को स्थिरता खतरे में पड़ जायेगी। जो सरकार प्रजा के प्रतिनिधियों की बनी होती है, उसे इस बात की पूरी जानकारी होती है, अतः वही वह लोकमत का एकदम तिरस्कार नहीं कर सकती। लोकमत भले ही जागरित वयों न हो, मोर्जुश सरकार को उत्तराफ़ फ़ौकने के लिए प्राणपण से काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत हो कम होती है। तथापि यह भी मानता होगा कि ये योड़े से लोग भी अपने आदर्श आचरण एवं सही निष्ठा के कारण सम्मूण्यं जनमत को अच्छी तरह से भड़का सकते हैं। ये मुट्ठी भर लोग ही स्वतन्त्रता के सच्चे संरक्षक होते हैं। सासार के स्वतन्त्रता के इतिहास में हम देखते हैं कि इन्हीं मुट्ठी भर अविजितों ने अपनी निर्भीकीवृत्ति से एवं निदंषय शक्ति से बहुत बड़े-बड़े कानों का थोगणेग किया है तथा ये दोनों वृत्तियों भागे चलकर किन्हीं इने-निने अविजितों की ही बस्तु न रह कर अविजित व्यापक बन जाती है तथा अन्याय के प्रति रोष की भावना उस समाज का लक्षण बन जाता है एवं वही समाज में स्वतन्त्रता पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाती है।

सामान्यतया होता यह है कि समाज में अधिकांश व्यक्ति प्रचलित वस्तुओं के प्रति अधिक आसक्ति प्रदर्शित करते हैं। और यदि वह यदूत प्रिय न हो तो अधिक से अधिक यही होता है कि वे उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। समाज में जो कुछ जन

रहा है, यह प्रदत्त एवं प्रतिशार्थी है। ऐसा गोपनीय वे प्रजाहार सभा धर्मिता ही जाने हैं। यहूं पोरे बाति प्रवर्तनीय होते हैं तथा जो धार्मिकी की गोपनीय गोपनीय वाले हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। मुख्य सोग गमात की तुलित वृत्ति वे तिरार बनते हैं। तिरार गमार वे बड़े यहैं इनिहाये वे घोष की बदलने वाली वाले हैं। पोरे गोपनीय विश्वविद्यालयीयों वे गोपनीय ही गोपनीय होती है। गमात के आदतों का वातावरण करने की यह गमारपर्याय गर्वगमान्य सोगों के हाथ में नहीं होती। गमात जापन रहने का बास भी गव नागरिकों के हाथ में नहीं होता। धार्मिक प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में यह जापनि का बास प्रतिनिधियों के हाथों किया जाता है। जो धर्मिकों के द्वारा किया जाना पाहिए, यह राज्यीय मंस्तक के मार्फत किया जाता है। एक हृष्टि में गमात यह कार्यान्वयन को सौंप देता है, तथा गार्व-गमान्य सोग प्राप्ते प्रतिनिधि चुनावर प्राप्ते उपार का भार प्रतिनिधियों के हाथों पर डाल देते हैं। जिस प्रकार पुरोहित द्वारा किया गया पर्व जन्म संबंधित नहीं माना जाता, इसी प्रकार केवल प्रतिनिधियों का चुनाव कर देने भर में नागरिक की इतिहासितता पूरी ही गई, ऐसा नहीं मानता पाहिए। चुनाव में सोहमत का अनुमान होता है, यह गही है। नागरिक मनमत है कि उनकी प्राप्तिकान्तामो का पूरा-पूरा जात उनके प्रतिनिधि को ही ही प्रति उनकी वित्तावाली की ठीक-ठीक गुरुत्वार्थी हो सकेगी। नागरिकों की स्वतन्त्रता की गुरुत्वा का भार प्रतिनिधि ने प्राप्ते जन्मों पर से तिया है, ऐसा विद्वान् उन्हें ही जाता है। पर केवल प्रतिनिधियों को चुनने से उनका वर्तिकर्ता पूरा ही गया, ऐसा यदि नागरिक समझे तो वह ठीक नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिनिधि संघर्ष योग्य, नि-सूद एवं वर्त्तिकर्ता होगा। प्रजातन्त्र का मतलब है 'पढ़ेवाजी'। तथा ऐसी पढ़ेवाजी की राजनीति में कब राजा का रक्त एवं रक्त का राजा हो जाय, इसका भरोसा नहीं होता। गमी प्रतिनिधि ऐसे नहीं होते, जो प्राप्ते हितों के बारे में उदासीन रहे। यहूं वार तो वे प्राप्ते हितों को ही मतदातामो का हित मानकर चुनते हैं तथा इस प्रकार वे गुलचम युलचा प्राप्ते स्वार्थ भागन में लग जाते हैं। भारत के लिए प्रजातन्त्र एकदम नई चीज़ है, भ्रतः सारा भार प्रतिनिधियों के कन्धों पर डालकर निश्चित हो जाना ठीक नहीं। उससे स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो सकेगी। सारा भार सन्तों के गिर मढ़ देने से काम नहीं चलेगा। भ्रतों दो भी कुछ भार प्राप्ते अपर तेना चाहिए। गाय ही प्रजातन्त्रात्मक राज्य का काम-काज किस प्रकार चलता है, इसका विचार करते समय यह कहना भी ठीक न होगा कि सप्तद (पालियामेट) अकेली ही स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकेगी। पांचव वित्तियि चुने गये, पालियामेट ने भी अच्छा कानून पास कर दिया। पर इतने से ही यह नहीं कहा जा सकेगा कि कार्यपालिका पालियामेट के उद्देश्य की पूर्ति पूरी तरह से कर ही सकेगी। आजकल के राज्य के बड़ते हुए कार्यक्षेत्र को देखते हुए सरकार नया करती है, किम सरह करती है तथा कब करती है इस बात की ओर नागरिकों को अधिक ध्यान देना चाहिए। चुनाव पौच बरम बाद एक बार होगा। पालियामेट जो कानून पास करेगी वह शुद्ध धमाहे कभी एक बार। परन्तु नागरिकों के जीवन में प्रतिक्षण तथा प्रतिदिन जो सम्बन्ध आता है, वह सरकार ही का आता है। भ्रतः ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे शासन व्यवस्था की हृष्टि से सरकार पर

मततु निरीक्षण बना रहे तथा उसे नागरिकों के जीवन पर एवं स्वतंत्रता पर हमला करने का मौका न मिले। पह व्यवस्था दासत के निवेद स्तर के केन्द्र से लेकर उस विभाग के मुख्य वेन्ट्रतक रहनी चाहिये। कानून की अच्छाई बुराई, उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता यह नागरिकों के जीवनों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आधार पर स्थिर वी जानी चाहिये। आम जारी से यीका तथा परा हुआ सगता हो पर खाने पर भीतर से घटा जिवने तो उम्रका उम्रयोग कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार कानून की भी बात है। देखने में कानून कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका प्रभाव जिन लोगों के जीवन पर होगा, उनकी हास्ति से पदि वह ठीक न हो, तो उम्रका क्या लाभ? यतः उचित यही होगा कि जिन स्त्रीों पर कानून का साक्षात् प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे पूर्वार तथा उनकी सत्ताह से उसका निर्माण होना चाहिये। इस हास्ति में, जैसा हम पहले कह आये हैं, सत्ता का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये। दिल्ली में वैठकर मावृद्ध की राजनीति का विचार संभव नहीं होगा। साधारणतया कानूनी प्रतिवन्ध लगाने का वाय मुख्य तथा केन्द्रीय सरकार के ही हाय में होना चाहिये तथापि खोटी-मोटी बातों में, जिनका प्रभाव बहुत ही सीमित प्रदेश तथा सीमित जनसमूह पर पड़ता हो, स्थानीय लोगों की सत्ताह प्रबल्य सो जानी चाहिये। लोगों पर उत्तरदायित्व दासने से वे उत्तरदायित्व को महसूस करने लगते हैं। उत्तरदायित्व के महसूस होने पर लोग उसी ठीक-ठीक निमाने की हास्ति से विचार करने लगते हैं। और इस प्रवार विचार करना आरम्भ करने पर उनमें चातुर्व उत्तरदायित्व होने लगता है। कार्यकुशलता उद्दित होती है। सामुदायिक स्वरूप का उत्तरदायित्व होने के कारण सामुदायिक एवं नामान्य आवश्यकताओं का विचार लोग अधिक करने लगते हैं तथा इस बात का भी अहमार होने लगता है कि सामान्य एवं सामुदायिक आवश्यकताएँ बढ़ा हैं? सामुदायिक आवश्यकताओं का अहसास हो तथा उन्हें पूरी करने के लिये हाय में कुछ अधिकार भी हों, तो लोगों द्वारा उसी अतीत होता है तथा उनके प्रयत्नों पर तेज बढ़ने लगता है। एवं प्रयत्नों की सफलता से उन्हें जो आनन्द प्राप्त होता है, उसमें उनके व्यक्तिगत के विकास में सहायता होती है तथा उनकी सामुदायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अपर से कुछ चीज़ लाद दी गई, वर्गेर मैदान के कुछ मुविधाएँ हासिल हो गईं, तो उसमें आनन्द के होने पर भी व्यक्ति के नैतिक जीवन पर उत्तरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज सारे देश में विकास के क्षेत्र दिखाई देते हैं। भनेक गाँवों में रास्ते, कुएँ, स्कूल, पुस्तिकालिकाएँ तथा आवृत्तिक सेतों वी जानकारी कराने के वेन्ट्र याज उपलब्ध हो गये हैं, पर मे सारी चीज़े सरकार की माफ़त तथा सरकार द्वारा प्रणीत व्यवस्था के कारण ही हैं। लोगों में आत्मीनन्दि की वृद्धि तथा विकास की सीधा इच्छा भी बहुत बड़े प्रमाण पर दिखाई नहीं देती। गाँवों का विकास हो रहा है पर गाँव वालों का विकास नहीं हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि गाँव वालों का विकास हो। इसका यह अभिप्राय नहीं कि गाँव वालों का विकास कुछ महश्य नहीं रखता। गाँव वाले सुधर जायें, तो गाँव भी सुधर जाते हैं तथा उस सुधार का ग्रोप अवैद बना रहता है। यतः इस हास्ति से जो कुछ भी किया जाय वह उन्हीं लोगों के हाथों से होना चाहिये, जिनके लिये सब जिया जा रहा

रहा है, वह पटल एवं प्रतिवायें हैं, ऐसा गोनार ये प्रशाद्वन् तथा भवतिह हो जाने हैं। बहुत थोड़े वक्ति प्रयत्नशील होते हैं तथा जो प्राचीन शक्ति की गीता में याहूर की बातें हैं, उन्हे बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ सोग सकार भी हो जाने हैं। कुछ सोग समाज की कुर्तिमत वृत्ति के लियार बनते हैं। तथारि गतार के बड़े-बड़े इतिहास के धोष को बदलने वाली बातें इन्ही थोड़े में निश्चयी व्यवसियों के गोमुख ही से उद्गत होती हैं। समाज के प्रादर्शों का पालन करने की यह तपशनर्या सर्वसामान्य सोगों के हाथ में नही होतो। रात जाप्रत रहने का वाम भी भव नागरिकों वे हाथ में नही होता। आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में यह जाप्रत वा वाम प्रतिनिधियों के हाथों किया जाता है। जो व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए, वह राजकीय संस्था के माफन किया जाता है। एक हृष्टि में गमान यह कायंपालिका वो सौप देता है तथा सावं-सामान्य लोग अपने प्रतिनिधि चुनाव भरने ऊर का भार प्रतिनिधियों के कधों पर डाल देते हैं। जिस प्रचार पुरोहित द्वारा दिया गया धर्म-भर्ष सर्वथेठ नही मात्र जाता, इसी प्रचार के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव कर देते भर से नागरिक की इतिहर्तव्यता पूरी हो गई, एवं नही मानता चाहिए। चुनाव से लोकपत का भनुपान होता है, यह सही है। नागरिक समझता है कि उपर्योग वरप्रतापों का पूरा-पूरा ज्ञान उसके प्रतिनिधि वो ही ही अन् उसकी दिक्षावदों की ठोक-ठीक सुनवाई हो सकेगी। नागरिकों की स्वतन्त्रता की सुरक्षा का भार प्रतिनिधि ने अपने कन्धों पर ले लिया है, ऐसा विश्वास उन्हें ही जाता है। पर केवल प्रतिनिधियों वो चुनने से उनका कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा यदि नागरिक समझे तो वह ठीक नही। यह नही कहा जा सकता कि प्रतिनिधि सदैव योग्य, नि स्मृह एवं कर्तव्यदक्ष होगा। प्रजातन्त्र वा मतलब है 'धडेवाजी'। तथा ऐसी धडेवाजी की राजनीति में कब राजा वा रक एवं रक का राजा हो जाय, इसका भरोसा नही होता। भभी प्रतिनिधि ऐसे नही होते, जो अपने हितो के बारे में उदासीन रहे। बहुत बार तो वे अपने हितो को ही मतशालापो वा हित मानकर चलते हैं तथा इस प्रकार वे सुलनम खुलना अपने स्वार्थ साधन में लग जाते हैं। भारत के लिए प्रजातन्त्र एकदम नई चीज है, अतः सारा भार प्रतिनिधियों के कन्धों पर डालकर निश्चित ही जाना ठीक नही। उससे स्वतन्त्रता की रक्षा नही हो सकेगी। सारा भार सन्तों के मिर मढ देने से काम नही चलेगा। भक्तों वो भी कुछ भार अपने कपर लेना चाहिए। साथ ही प्रजातन्त्रात्मक राज्य का काम-काज किस प्रकार चलता है, इसका विचार करते समय यह कहना भी ठीक न होगा कि सप्तद (पालियामेट) अकेली ही स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकेगी। योग्य प्रतिनिधि चुने गये, पालियामेट ने भी अच्छा कानून पास कर दिया। पर इन्हें से ही यह नही कहा जा सकेगा कि कायंपालिका पालियामेट के उद्देश्य की पूर्ति पूरी तरह से कर ही सकेगी। आजकल के राज्य के बढ़ते हुए कायंक्षेत्र को देखते हुए सरकार नया करती है, किम सरह करती है तथा कब करती है इस बात की ओर नागरिकों को अधिक ध्यान देना चाहिए। चुनाव पाँच बरम बाद एक बार होगा। पालियामेट जो कानून पास करेगी वह नुठे द्वामाहे कभी एक बार। परन्तु नागरिकों के जीवन में प्रतिक्षण तथा प्रतिदिन जो सम्बन्ध आता है, वह सरकार ही का आता है। अन: ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिससे शासन व्यवस्था की हृष्टि से सरकार पर

मतुत निरीक्षण बना रहे तथा उसे नागरिकों के जीवन पर एवं स्वतंत्रता पर हमला करने का भौमा न मिने । पह व्यवस्था आमन के निचले स्तर के केन्द्र से लेकर उस विभाग के मुख्य बैन्ड तक रहनी चाहिये । कानून की अच्छाई बुराई, उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता यह नागरिकों के जीवनों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के प्राधार पर स्थिर की जानी चाहिये । आम लार मे पोता तथा पक्षा हुआ लगता हो पर सारे पर भीतर से खट्टा निकले तो उसका उपयोग कुछ भी नहीं । ठीक इसी प्रकार कानून को भी बात है । देखने में कानून कितना भी अच्छा बर्यों न हो, उसका प्रभाव जिन लोगों के जीवन पर होगा, उनकी हृष्टि से पढ़ि वह ठीक न हो, तो उसका क्या लाभ? अतः उचित यही होगा कि जिन लोगों पर कानून का साझात् प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे पूछकर तथा उनकी सलाह से उसका निमिण होना चाहिये । इस हृष्टि से, जैसा हम पहुँचे कह प्राप्त है, सत्ता का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण विया जाना चाहिये । दिल्ली मे बैठकर मारुड़ की राजनीति का विचार संभव नहीं होगा । साधारणतया कानूनों प्रतिवन्ध लगाने का काम मुख्य तथा केन्द्रीय सरकार के ही हाथ मे होना चाहिये तथा अब छोटी-मोटी शासी मे, जिनका प्रभाव बहुत ही सीमित प्रदेश तथा सीमित जनसमूह पर पड़ता हो, स्थानीय लोगों की सलाह प्रवश्य ली जानी चाहिये । लोगों पर उत्तरदायित्व डालने से वे उत्तरदायित्व को महसूस करने लगते हैं । उत्तरदायित्व के महसूस होने पर लोग उसी दीक्ष-ठीक निमाने की हृष्टि से विचार करने लगते हैं । और इस प्रकार विचार चरणों धारम करने पर उनमें चारुर्प उत्पन्न होने लगता है । कार्यकुशलता उद्दित होती है । सामुदायिक स्वल्प का उत्तरदायित्व होने के कारण सामुदायिक एवं नामान्य प्रावद्यकताओं का विचार लोग अधिक करने लगते हैं तथा इस बात का भी अहमगाम होने लगता है कि सामान्य एवं सामुदायिक आवश्यकताएँ व्या हैं? सामुदायिक आवश्यकताओं का अत्यास हो तथा उन्हें पूरी करने के लिये हाथ मे कुछ प्रधिकार भी हों, तो लोगों वो उत्साह प्रतीत होता है तथा उनके प्रयत्नों पर तेज़ पड़ने लगता है । एवं प्रयत्नों की सफलता से उन्हें जो आनन्द प्राप्त होता है, उससे उनके व्यक्तिगत के विकास मे सहायता होती है तथा उनकी सामुदायिक प्रतिष्ठा मे वृद्धि होती है । कार से कुछ चीज़ लाइ दी गई, वर्गर मेहनत के कुछ मुविधाएँ हासिल हो गई, तो उसमे आनन्द के होने पर भी व्यक्ति के नैतिक जीवन पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । आज सारे देश मे विकास के क्षेत्र दिखाई देते हैं । अनेक गांवों मे रास्ते, कुएँ, स्कूल, पुस्तिकालीनता की जानकारी कराने के केन्द्र प्राज उपलब्ध हो गये हैं, पर ये सारी चीज़े सरकार को माफेन तथा सरकार द्वारा प्रणीत व्यवस्था के कारण ही हैं । लोगों मे आत्मोन्नति की वृद्धि तथा विकास की तीव्र इच्छा अभी बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं देती । गांवों का विकास ही रहा है पर गांव वालों का विकास नहीं हो रहा है । प्रावद्यकता इस बात की है कि गांव वालों का विकास हो । इसका यह अभिशाय नहीं कि गांव वालों वा विकास कुछ महत्व नहीं रखता । गांव वाले सुधर जायें, तो गांव भी सुधर जाते हैं तथा उसे सुधर का घोष प्राप्त बना रहता है । अतः इस हृष्टि से जो कुछ भी विद्या जाय वह उन्हीं लोगों के हाथों से होना चाहिये, जिनके लिये सब इया जा रहा

है। लोग सरकारी काम काज में रुचि से तथा उन्हें उसमें आनन्द अनुभव होने लगे, तो समझिये सरकार सही अर्थों में सरकार है। सामाजिकतया हम देखते हैं, नियम, नमूने, प्रवक्त तथा परिचिट प्रादि में ही सरकार के कामकाज की परिसमाप्ति हो जाती है। फल की अपेक्षा कार्यपद्धति पर ही समय एवं पैमे वा व्यय होता है। व्याकरण शुद्धता की ओर प्रधिक ध्यान देने से जिस प्रकार प्रर्थसोरभ एवं पदलालित्य की धृति होती है तथा कार्य में शृंखला एवं एकरसता आती है, वैसा ही कुछ तब होता है, जब सत्ता प्रधिकाधिक बेन्द्रित हो जाती है। बेन्द्र में भीपण चहल-पहल तथा दूररूप थेंट्रो में पूरांतया निश्चिदता। बेन्द्र में कथवायु तथा परिधि में अधीगवायु—ऐसा चित्र हटिगोचर करता है। (ऐपिलेस्पी इन सेन्टर एण्ड रेलेशिस ऐट दि सरकमफरेन्स)।

राजकीय कार्यव्यवहार में बेन्द्रीकरण नहीं होना चाहिये। बेन्द्रीकरण से भले ही ऊपरी हटिं से व्यवस्था वयों न हटिंगत हो, पर वास्तव में अव्यवस्था ही रहती है। सब थेंट्रो वी भ्रावश्यकताओं में समानता के न होते हुए भी राजकीय कार्यव्यवहार सब वही समान होता है तथा उसका मुख्य उद्देश्य—अर्थात् लोक सन्तोष—पूरा नहीं हो पाता। राजकीय कार्यव्यवहार वितना भी कार्यक्षम वयों न हो, उसकी सफलता की एकमात्र कस्ती लोगों का सतोष ही है। काम ठीक चल रहा हो, पर लोग नाराज हो तो इससे राज्य की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। काम नियमानुकूल भले ही हो, वह मनोनुकूल नहीं हो पाता। लोग राजकीय काम-काज में हाथ बटायें और दिलचस्पी लें तो सामाजिक शान्ति एवं सतोष की स्थापना प्रधिक होती है। सामाजिक सतोष तब होता है, जब लोग समझें कि काम उनके हाथों से हुआ है। दक्षिण के मन्दिरों में भक्त को खुद पूजा नहीं करने दिया जाता। वह पुरोहित को पैसे देता है, तथा पुरोहित उसकी ओर से पूजा करता है। इससे भक्त को उतना सतोष नहीं होता, जितना उसे अपने हाथ से पूजा करने पर होता। इसी प्रकार राजकीय काम-काज भी केन्द्रित हो जाय तथा केवल नीकरशाही के हाथों होने लगे, तो लोग नाराज हो जाते हैं और सब वही एक जैसे काम-काज के होते हुए भी लोग सतुर्प्त एवं प्रग्नन नहीं होते। अत लोगों का राजकीय-काम-काज के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता चाहिये। इससे सहयोग बढ़ता है। ‘जिस काम को गाँव कर सकता है उसे राव नहीं कर सकता, इस उक्ति का आशय ध्यान में रखना चाहिये। इस हटिं से स्थानीय मामलों में स्थानीय स्वराज्य विधायक कामकाज में—किवा गाँवों से सम्बन्धित शासन के मामलों में लोगों का प्रधिक से प्रधिक हाथ होना चाहिये। जितनी समानता अनिवार्य हो, उतनी रहने दी जानी चाहिये तथा अन्य सारा काम-काज स्थानीय इकाइयों को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। वह इकाई चाहे कोई गाँव हो, या गाँवों का कोई समूह हो। सर्वसाधारण नीति के अनुरूप एवं कार्य क्षमता की हटिं से बनाये गये नियमों के अनुरूप राजकीय काम-काज वरने की स्थानीय लोगों को पूरी छूट होनी चाहिये। इस व्यवस्था में विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होने वाला अनुभव सम्पूर्ण राज्य के लिये उपयोगी सावित होता है। एक निश्चित सीमा में रहकर परीक्षा करने की छूट हो तो अनेक स्थानीय स्वरूप के परीक्षण होंगे तथा उनमें से कुछ ऐसे अनमोल अनुभव प्राप्त

होए, जो व्यापक राज्य की हृष्टि के बहुत महत्व के सिद्ध होगे। जहाँ परिस्थिति समान हो, वही समान इप के कानून एवं नियम लागू हों तो कोई आपत्ति नहीं। पर 'सब थोड़े बारा टक्के' यह न्याय ठीक नहीं। रोग एक ही हो, तो भी सब रोगियों का इलाज एक ही दवा से करना शास्त्रीय हृष्टि से घुद प्रक्रिया नहीं है। 'युक्तियुक्त रसायनम्' यह न्याय जिस प्रकार देखो के लिये ठीक है, उसी प्रकार राजकीय व्यवहार के लिये भी ठीक है। व्यवहार में तारतम्य का रहना बहुत जहरी है। एकांगी कल्पना राजनीति में अनुचित साधित होती है तथा कभी-कभी घातक भी साधित होती है। भाषा के याधार पर प्रान्तों की रचना ठीक है तथापि सब कही एक ही प्रकार से उसे सागू करना योग्य नहीं होता। इतिहास, परम्परा तथा अन्य सामाजिक बारगुणों का उचित इप से विचार करके ही विसी भी सिद्धान्त को काम में लाना चाहिये। लोगों को अपनी गर्जों के भूताविक स्थानीय राजकाज चलाने का भौका देने से, तथा उनपर उसका उत्तरदायित्व ढाल देने से लोगों को इस बात का अहसास होता है कि उन्हें अपने सबालों को अपने धाप ही हल करना चाहिये तथा उत्तम रीति से हल करना चाहिये। तथा इस प्रकार अनुभव प्राप्त करते हुए वे कुशल होते जाते हैं, पवन होते जाते हैं तथा इससे उनका नागरिकत्व थ्रेण्ठ होता जाता है। उनमें विचार करने की समता बढ़ती है। राज्य का साधेजनिक जीवन उन्नत हो जाता है। वेवल अधिकार के बीत पर काम-काज चलाना भयंकर कानून को अमल में लाना, कुछ देर के लिये, अधिक मुग्ध प्रतीत हो सकता है, पर बास्तविक कार्यक्षमता इस मामले में नहीं दिपाई देगी। जो बस्तु अपनी इच्छा एवं खुशी से स्वोकार नहीं की जाती, वह देर तक टिक नहीं सकती तथा कब उसके विरुद्ध विद्रोह भड़क उठे, नहीं कहा जा सकता। सरकार कानून बनाती है इसके मानो यह हुए कि उसे कानून एकदम उचित ही है। कानून की नीतिक प्रतिष्ठा नागरिकों के संतोष एवं स्वीकृति पर अवलम्बित है। अतः सामान्यतः जनसत वा विचार करके, लोगों की भावना एवं विचारधारा को ध्यान में रखकर यदि ऐसा कानून बनाया जाए, जो उक्त बातों के विरुद्ध न जाता हो तो निश्चय से उसे नीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तथा उसे अमल में लाने में जनता को किसी प्रकार का विपाद नहीं होगा। वह उसका पालन योग्य रीति में करेगी। जब जनता यह जानती है कि यह काम-काज अपना ही है, हमी ने यह नियम बनाये हैं तब वह प्रसन्न रहती है।

प्राधुनिक समाज धर्म पहेली की भाँति नहीं रह गया है। पहले वह जिस धर्म-ध्यवस्था पर भाषारित था, वह अब रह नहीं मई है। समाज के व्यवहार एवं धर्म-सीय इतने बढ़ गये हैं कि पुरानी परम्परा तथा पुराने भूत्य धर्म अनुपयोगी साधित होने लग गये हैं। पुरानी वागवन्दी (भर्यात्मागरसा) धर्म कोई नहीं पहनता है। जैसे हर साल बप्पो का फैजन बदलता है, उसी तरह सामाजिक विचारधारा भी बदलती है। नई-नई निर्णाएं, नई-नई अस्मिताएं तथा धारणाएं निर्माण होती जाती हैं। धर्म कोई भी राष्ट्र प्रवेसा नहीं रह गया है। किसी भी राष्ट्र में घटित घटना की प्रतिक्रिया गोल गुम्बज की भाँति मारे संसार में सुनाई देती है।

दुनिया के किसी भी कोने में कोई लटन/वयों न घटे, उसका प्रभाव दुनिया के पिछड़े हुए हिस्मे पर भी अवश्य पड़ेगा। युद्ध छिड़ जाय तो अब युद्ध-भूमि वा विस्तार बेथल प्रत्यक्ष युद्ध में पड़े हुए राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर उस युद्ध का प्रभाव सारे सासार पर पड़ता है। युद्धछिड़ा कोरिया में और पूना में चीजों के दाम बढ़ गये। यह अनुभव अब सार्वत्रिक हो गया है। राजनीतिक क्षेत्र वी भाति सामाजिक विचार एवं व्यवहार क्षेत्र में भी जो बात एक स्थान पर होती है, उसकी प्रतिध्वनि सब कही गुनाई देती है। इस हिट से विचार करने पर, जिस प्रकार स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखत हुए प्रादेशिक हिट से विवेच्नीकरण अभीष्ट प्रतीत होता है, उसी प्रकार वह काम वी हिट से भी अभीष्ट है। समाज में अब यकीन, व्यापारी, बैद्य तथा उद्योगी काम वी हिट से आधुनिक समाज में आधुनिक राज्य में सगठित होते जा रहे हैं। बकीलों का मण्डल, बैद्यों का मण्डल, व्यापारी संघ आदि सारे सगठन बायं-विषयक हिट से बने हुए हैं। उनमें प्रादेशिक भाव का महत्व मुहूर्य नहीं है। अब सबाल महं पैदा होता है कि उनका उन-उन कार्यक्षेत्रों में नियमन बरने की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। उन व्यवस्थायों को अपनाने वाले लोग ही अपनी आवश्यकताओं को समझ भकते हैं। चूंकि वे अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं, अत उन लोगों को भी कुछ-एक प्रतिवर्धों के गाय अपने व्यवसाय का नियमन करने का अधिकार देना उचित प्रतीत होता है। आज अनेक राज्यों में यह व्यवस्था हिटगोवर होती है। सारे भारत के बकीली पेशी के लोगों का एक सगठन बनने जा रहा है। कुछ सामान्य स्वरूप के प्रतिवर्ध राज्य निश्चित कर देगा तथा उसके अनुरूप ही उस पेशी की व्यवस्था तथा तत्सन्दर्भी अनुशासन की व्यवस्था उस पेशी के मण्डल को ही करनी होगी। ऐसा ही विभिन्न प्रकार के पेशी के सम्बन्ध में भी होगा। जो पेशी के क्षेत्र की बात है वही उद्योग-धरों के क्षेत्र की भी बात है। होना अभीष्ट भी है। मजदूर तथा मालिकों के सम्बन्धों को निश्चित तथा नियमित करने वाले कानून सर्वसामान्य रूप में गरकार बना देगी। तथापि विभिन्न व्यवसायों के मुहूर्य नक्कों को ध्यान में रखकर मुख्य कानूनों के अनुसार अनेक नियम बनाने पड़ेंगे। क्योंकि उन-उन धरों की परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही वैसा करना उचित होगा। इस रीति में यदि राज्य का काम-काज चले, तो केवल आवश्यक मात्रा में ही भमानता रखकर शेष सभी क्षेत्रों में पूरी लूट देने से लोगों को स्वतंत्रता का अनुभव अधिक होगा तथा लोगों के वर्तुत्व को अधिक अवसर प्राप्त होगा। इसमें सन्देह नहीं कि उनको वृत्ति अधिक विधायक स्वरूप की होगी। स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व दोनों जहाँ एकत्र होते हैं वही प्रयत्न हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, यह अनुभव है।

अब ताके विवेचन में हमने बताया कि कानून ऐव नियमों का पालन बल-प्रयोग द्वारा न होकर सतोषपूर्वक होना चाहिए। कानून अथवा नियम बेथल इसी-लिए टीक नहीं माने जा सकते कि उन्हें बनाने वाले वही व्यक्ति हैं, जिन्हें उनके बनाने वा ग्रन्थिकार मिला हुआ है। यो हम कानून की हिट से देखें तो किसी मुलतान ऐवं व्यवहाराचारी शासक को मनमाने का अधिकार है। पर बेथल इसलिए उसके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता कि उसे उनके

बनाने वा अधिकार प्राप्त है। कानून की बोद्धनीयता अथवा औचित्य का निश्चय लोकमत एवं सोक-प्राकांशिकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अधिकारयुक्त व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा जारी किया गया आदेश ही कानून बहलता है, ऐसा बहना संकुचित हृष्टि का द्योतक तो है ही परन्तु इस विचारधारा में नीतिकता एवं वैधत्व भी नहीं है। (कान्स्टीट्यूशनल) कानून सोक-व्यवहार के नियमन के लिए होते हैं। अतः लोगों की इच्छाओं एवं मानवान्मों की अधिक महत्व प्रदान करना चाहिए। 'आग रामेश्वरी' एवं बम्ब सोमेश्वरी, ऐसी बात यदि कानून द्वारा होने समें तो कानून वेकार हो जाता है तथा कानून का मुहूर प्रयोगन—जोक व्यवहार का नियमन—सिद्ध नहीं होता। नीती मात्रा में वह समाज की विवारधारा तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, उतनी ही मात्रा में उसे सोग अन्तःकरणपूर्वक स्वीकार करेंगे। प्रसन्न अनियंत्रित कारण किसी बात को मज्जूर करने में तथा वैवल दण्ड के भय से किसी बात को मंजूर करने में बहुत बड़ा मौलिक भेद है। लोगों की इच्छाओं को ठीक से समझ कर कानून बनाना चाहिए। कोईक कानून का कानूनपना, उसकी वैधता तथा उसकी नीतिक प्रतिष्ठा लोगों की अन्तःकरणपूर्वक दी गई मंजूरी पर ही अवलम्बित है। लोगों की इच्छाओं को जानने का उपाय यह है कि जिस प्रणाली से कानून बना करता है, उस प्रणाली की प्रत्येक अवस्था में सरकार को लोगों की इच्छा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक अवस्था में सरकार को लोगों वा सहयोग प्राप्त करना चाहिए। लोगों को जो बातें मौलिक प्रतीत होती हैं, नीतिक जीवन के लिए अपरिहर्य प्रतीत होती हैं, यदि कानून की व्यवस्था उनके विश्वेषणी हो, तो लोग उन्हें मंजूर नहीं करेंगे, उनका विरोध करेंगे तथा समय पड़ने पर वे क्राति द्वारा प्रतिष्ठित शासन को उत्थापकर कहें देंगे। यह हो सकता है कि लोगों की मौलिक अद्धा अथवा नीतिक भविना गलत हो या पागलपन की हो, संकुचित हो। परन्तु उनकी भौजूदगों से इन्हाँ नहीं किया जा सकता। योड़ी देर के लिए मान सीजिए कि उपयोगिता की हृष्टि से गोप्य अनुचित नहीं है तथा वि चूँकि लोग गों को माँ के समान आदर एवं अदा वी वस्तु समझते हैं, अतः आप उनके विश्वेषण कानून नहीं बना सकते। यदि आप कोई ऐसा कानून बना दालें, जो लोगों वी इन अदा को छेस पहुँचाने वाला हो, तो निःसन्देह लोकमत विशुद्ध हो उठेगा। यह सही है कि लोगों की अदा एवं मान्यता एकदम निररेखा नहीं है। समयानुमार वह भी बदनती है। तो भी जब तक वह अदा एवं मान्यता चालू सिरके का बाम करती है, तब तक उनका भी मूल्य है तथा यदि समाज के व्यवहार में उन्हें माना न गया तो इसमात्रतः अमन्त्रोष पेश होगा। एक नहीं गयेगा। अतः इत मौलिक अदाओं के बारे में शासक को बहुत ही सावधानी से बाम लेना चाहिए। हर कठोर कानून का उल्लंघन होने लगे, हर छोटी-मोटी धीड़ों पर सत्याप्रह होने लगे, तो अराजकता फैन जाएगी, सरकार भड़ हो जाएगी इत्यादि बारों के उत्तरैश से जनता अपनी मौलिक अदा को तिनांजलि देने के लिए राजी नहीं होगी। प्रत्येक पुण में ऐसे दो चार व्यक्ति अवश्य होने हैं जो अराजकता को प्रसन्न करेंगे जिन्हु सरकार द्वारा रिए जाने वाले दृष्टियों को सहन नहीं करेंगे। मैं लोग सरकार के विश्वेषण की बात परते हैं तथा निर्भीक होकर अन्य अदा के उत्तरांग

पार्शुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता

के विषय प्रचार करते हैं। गम्य पाने पर इसी सोगों का हिटिंगोंग पाण मनता का हिटिंगोंग यन जाता है। गम्य के हिटिंग में बितने भी यहे यहे सामाजिक युपार के घान्दोलन हुए हैं, उनका जग्म इसी सोगों के हिटिंगों के पानग-गरोड़र में दृष्टा हिटि-

द्या हिटि से विचार करने पर यह साफ जाहिर हो जाता है कि राज्य का बादून तभी सही मानो में प्रपत्त में साया जा सकता ही, जब जनता की महत्वति एवं स्वीकृति उपर प्राप्त हो। बादून एवं जनता का विचार होतर प्रेष-विचार होना चाहिए। इस स्वयं में साध्य भी है पश्चुनिकति भी। बादून में यस साया नहीं है, वह एक सामनव्य है। उम बादून में तथा उमसी अवस्था में जनता को पाने प्रत्युभय का प्रतिविम्य दिगाई देना चाहिए। यादा को किरण दिगाई देनी चाहिए। उम बादून स्वेष का स्टोरोग प्राप्त करने तथा उमसी तात्पत्ति उपर लगाने के साथ उस होना चाहिए। इस स्वयं में साध्य भी है पश्चुनिकति भी। बादून में जनता को प्रत्युभय यह है कि यदि बादून सोगों की मर्मी के गिताक भी साति नष्ट हो जाती है तथा इस तथा जनता का छापक एवं रमनामक स्वेष प्रधिकारिक सेवा में सोगों के साथ उस पालन करवाने के लिए कानून बनने से प्रृथक् प्रधिकारिक सेवा में सोगों के साथ उस पर विचार-विनिमय दिया जाना चाहिए। और पार्शुनिक राज्य का प्रत्युभय यह है कि यदि बादून सोगों की मर्मी के गिताक भी साति नष्ट हो जाए। बादूनी बात का नियम नहीं रह जाता कि एवं जनता का गर्भ के लिए दराव नहीं रह जाए। ऐसी स्थिति में बादून बनाने वालों को इस बात की जानकारी प्रवस्थ होनी चाहिए कि जनता को बादून के बादून बनाने वालों को इस बात की जानकारी प्रवस्थ होनी चाहिए कि जनता के ये प्रधिकार जहरी दीसने अधिकार हासिल हैं तथा जो भी बादून बने उसमें जनता के ये प्रधिकार जहरी दीसने चाहिए। नागरिक को यह प्रतीत होना चाहिए कि बादून उचित तथा सब हिटियों से भ्रमित है। यदि यह प्रतीत नहीं होगा तो जाहिर है कि उम बादून को मानने के लिए प्रेरणा देने वाली कोई वस्तु-स्थिति नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में बादून का पालन करना भपने को नापसन्द पति के साथ वेवाहिक जीवन अप्तीत करने की सीधा प्रवस्था हो जाएगी। मन में खुटन पैदा होगी। बुद्धि निष्प्रभ हो जाएगी। अक्ति का विवास रक जाएगा। विकलता तथा विमनस्वता शर्म-शर्म उसके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। कल यह होता है कि जीवन एवं दम कुछित हो जाता है। गमाज की हिटि से समाज का नैतिक सामर्थ्य घट जाता है तथा बादून को स्वीकार करने का सीधा गर्भ हो जाता है भपनी स्वतंत्रता से हाथ थोकेना। यह सही है कि लोग इस स्थिति में भी ऊपरी तौर से कानून को मानेंगे प्रीत उसका पालन भी करेंगे। परकुछ-न-कुछ लोग ऐसे जहर निकलेंगे जो उस बादून का विरोध करेंगे तथा भपने नैतिक बल से इस समाज-जीवन रूपी वृक्ष को जड़मूल से हिला डालेंगे। भत अधिक-से-अधिक मात्रा में अधिक-से-अधिक लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, उनके अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए, बादून की रचना की जानी चाहिए। पार्शुनिक राज्यों में, सास करके प्रजातात्प्रिक राज्यों में, राज्य सत्ता वेवल भपनी सत्ता के बल पर भनिविचत बाल तक भपना शासन नहीं चला सकती। जितनी मात्रा में राज्य-सत्ता जनता को इस बात का विवास दिला सकेगी कि उसका शासन अच्छा है तथा जनता के लिए हितकर हासिल करने के मानी उनकी ऊपरी सहमति हासिल करना नहीं है। उनके घन्त-

करण वो इस बात का विद्वाम होना चाहिए। अन्ततः, राज्य तो नागरिकों का है और एक नागरिक भने ही खुद वयों न दिखाई दे, वास्तव में वह खुद नहीं है। उसकी मानसिक शक्ति में से समाज की नीतिक शक्ति उत्पन्न होती है। उसके विचारों में से भवाज के नीतिक मूल्यों का निर्माण होता है और राज्य अन्ततोगत्वा इन्हीं नीतिक मूल्यों पर टिका होता है। जो मन को सही नहीं प्रतीत होगा, उसे मन स्वीकार नहीं करेगा। तथा अन्त में उसकी श्रद्धा उसे सारी दुनिया के विषद् निर्भय हो जड़े होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यदि आप चाहते हैं कि लोग राज्य के प्रति निष्ठावान् रहें, तथा बासून का पालन करें, तो उसके लिए आपको उनकी सहमति से ही काम करना होगा। कहना होगा, जनता वो सहमति एवं स्वीकृति समान धारणा का थ्रेप्ट जीवन-सत्त्व है। कोई भी राज्य-सत्ता इसकी उपेक्षा करेगी तो वह स्वयं भी उपेक्षित हो जाएगी।

उपरिनिश्चित विचारधारा के विषद् यह कहा जा सकता है कि यदि यह मान लिया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई बात उसकी बुद्धि को न जेज़, तो संघर्ष उच्च-खल रूप में व्यवहार करने का अधिकार है, तो इसमें समाज में भ्रातृज्ञाना फैल जाएगी तथा समाज की स्थिरता नष्ट हो जायेगी तथा समाज में आए दिन संघर्ष मचने लग जायेगा। इसी प्रकार यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र एवं स्वेच्छाचारी होने लग जाय तो समाज धारणा का मूल तत्व—पर्वात् व्यक्तियों का परस्पर मिल-जुल कर काम करना तथा जो मार्वजनिक हित की बात है उसे मानना—ही नष्ट हो जाएगा। 'भिन्नहरित् लोकः' इस अनुभव की भाषा पर सामुदायिक हित रूपी व्याकरण वा नियन्त्रण अवश्य रहता चाहिए। व्यक्ति भेद के रहते हुए भी उन व्यक्तियों के बीच जो साधारण है, संप्रभु तथा सौजन्य आदि, उसे तो समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। समाज की प्रगति के लिए योग्य एवं सुधारवस्था की नितान्त आवश्यकता है। व्यक्तियों में अनेक बातें समान रहती हैं। अनुभव लगभग सबका समान ही रहता है, तथापि यिन्हें की भाँति उनमें असमानता भी रहती है। एकता रहती भी है, नहीं भी रहती। एक व्यक्ति का अनुभव यत् प्रतिशत मात्रा में दूसरे व्यक्ति के अनुभव से नहीं मिलता। अतः एक व्यक्ति को इच्छा को पूरी तरह से सभी व्यक्तियों की इच्छा नहीं कहा जा सकता। गोक बुनते समय भिन्न-भिन्न तरों आपना भेद दूर करके गोक में एकत्र हो जाते हैं। आपना पृथग्भाव दूर करके गोक नामक वस्तु में स्वतंत्र को भूल जाते हैं। तथापि सपूर्ण सायुज्यता यहीं भी नहीं रहती। एक-एक तात्पर्य वहाँ रहता है। दूसरी उपमा गुड़दानी की लौजिये। उसके गुड़ में हर दाना मिला रहता है। तथापि प्रत्येक दाने का अस्तित्व अनुभूत होता है। वही स्थिति व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्धों के बारे में भी होती है। वहाँ ऐकात्म्य भी है पार्यंवय भी है। अतः व्यक्ति अपनी सारी स्वतंत्रता समाज रूपी सामग्रिक व्यक्तित्व में विलीन नहीं करना चाहता। जीवन के किसी क्षेत्र को व्यक्ति अपने लिए अलग से रखना चाहता है। उसमें वह अन्य किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता। राज्य वीं आज्ञाओं को वह अपने क्षेत्र की सीमाओं में प्रवेश करने नहीं देगा। उसे अपने उस क्षेत्र में अन्य किसी का अधिकार प्रिय नहीं होगा। उस क्षेत्र में उसकी अपनी कुछ नीतिक आवश्यकताएँ

प्रायुक्ति का राज्य सम्बन्ध

होती है; उद्य मूल्य होने हैं पर वह उनके साथ सम्बन्ध प्राप्त करता है। कहा जसका व्यवितरण एवं वे व्यक्तिगत मूल्य एवं दूसरे के बावजूद सामाजिक प्राप्त कर सकते हैं। इस हालत में, यदि उस पर कुछ ऐसी बाने साद भी जाएं, जो उने जेवती नहीं है, तो वह सम्भवता है कि उसकी स्वतंत्रता का अपहरण हो रहा है। उगे सगता है कि कोई उसमें गुनामों जैसा बाम तो रहा है। इसमें उगाहे जीवन में सत्त्वस्त्रना भी जाती है। यह सोचता है कि वह जिसी के हाथ का जीवन बनाया जा रहा है, वन नहीं पाता, तब उने लगता है कि कानून एवं विश्वासी है, तथा उनके द्वारा उनके व्यवितरण पर हमता किया जा रहा है। उने लगता है कि उसकी इलाना का विरक्षितम गया है। यदि माप चाहते हैं कि व्यक्ति या जीवन उपरी हृषिकेश इच्छा के एवं सहमति परिपूर्ण हो तो राज्य के कानून प्राप्त हो उनकी भवित्वात् इच्छा के एवं सहमति के भवुल्य बनाने पड़े तथा उनमें 'मारेदा' या स्वतंत्रता का वृत्ति भी वृद्धिगत तभी व्यक्ति का व्यवितरण नष्ट नहीं हो। एवं उनकी रक्षणात्मक वृत्ति भी वृद्धिगत होगी। व्यक्तिमान को अपनी सदसिद्धिक बुद्धि वो जेवने वाली बात वो बहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसकी सदसिद्धिक बुद्धि का मान-इतन करने जीवन में स्वतंत्रता का होना चाहिए। सामाजिक परम्परा, वाली सामाजिक परम्पराएँ एवं संस्कारों ही मात्र हैं। तथापि यह बात जाहिर है कि वह मार्ग-प्रदर्शन उपे कभी-कभी भव्यामों प्रतीत होता है। सामाजिक परम्परा, संस्कार तथा देश के कानून प्रभुभव पर माधारित हों तो उनमें उसका मान-इतन करने की भवुल्यता हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं। तथापि यह बुद्धि को जेसा जेवे बैता व्यवहार करने की छूट रहनी चाहिए। तथापि यह छूट या स्वतंत्रता निःसीम नहीं होती। उस पर समाज के मौलिक हित वी सीमाएँ रखती हैं। व्यक्ति को इन सीमाओं का व्यक्तिय रखीकार करना चाहिए। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है तथा जन्मते ही उसे हमारो वर्यों के अनुभव एवं जान का उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। समाज के घनत उपचार व्यक्ति पर उसके जन्म से ही हो जाते हैं। अत उसे समाज की मौलिक बातों के विरुद्ध बाम नहीं करना चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के सन्दर्भ में सूझता किरता है। अराजवता को स्थान न देते हुए अपने घेय की प्रति एवं अपने मूल्यों का परिपोषण करने की वृत्ति व्यक्ति में सामान्यतया रहनी चाहिए। तथापि ऐसे अवसरों का माना असंभव नहीं, जब व्यक्ति के लिए समाज वी परपरा के अनुसार काम करना अथवा राज्य की आज्ञाओं का मानना—उसकी मौलिक अद्वा के अनुरूप न होने के कारण—संभव नहीं होता। और तब उसका कर्तव्य एवं धोरण असंभव हो जाता है, अपनी सदसिद्धिक बुद्धि की जेवे उसके अनुसार व्यवहार करना। यह जानकर भी कि मन्याय हो रहा है, जो लोग तुप बैठे रहते हैं, उदासीन प्रेक्षण बने रहते हैं, वे भने ही अधिक व्यावहारिक समझे जाएं पर उन्हें मन ही मन ऐसा लगता है कि उनमें कही कोई अपराध हो रहा है। जो लोग तुल्यमुख्या विरोध करते हैं, यह सही है कि उन्हें उम विरोध का

प्रायदिवस करना पड़ता है तथापि उन्हें एक प्रकार कों आर्थिक मंत्रोप भवदृश्य प्राप्त होता है। जो लोग उदासीन रहते हैं, वे कुछ काल पश्चात् धन्याय के स्तुति के पाठक बनते हैं, यह भी संसार का भ्रमभय है; अतः स्वतंत्रता का धर्य अपनी अदा के प्रति निष्ठावाच् रहना तथा उसकी रक्षा के लिए धैर्यपूर्वक विरोध खोना है। तथा इस प्रकार का धैर्य जिस समाज में नहीं है वही सबीं स्वतंत्रता नहीं रह सकती। तथा इस प्रकार का धैर्य जिस व्यक्ति में नहीं है वह प्रपने तईं ईमानदार भी नहीं रह सकता।

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अदा के भ्रमसार व्यवहार करने देना उसके व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित होने देना है। इससे वह भूजनशील बनता है तथा उसकी रचनात्मक बृत्ति का संपोषण होता है। तथापि यह परिस्थिति समाज एवं राज्य की स्थिरता के लिए स्वतरणाक है इस आधेष्ट से इन्कार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति-स्वतंत्रता के स्वल्प को इतना व्यापक बना देने से व्यक्ति को प्रबलित सरकार के विषद् विद्रोह करने का अधिकार है, ऐसा मानना तन्त्रशुद्ध एवं प्रनिवार्य हो जाएगा। विचारशील व्यक्ति के सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि उसे व्यक्ति स्वतन्त्र चाहिए या व्यवस्था, सत्य का आघात चाहिए या मुदिधा? तथा इस प्रश्न का उत्तर देना किसी के लिए भी आसान नहीं रह जाता। व्यवस्था का यदि यह धर्य किया जाय कि जो कुछ हो रहा है, उसे चुपचाप सहते जाना तो यह स्थिति समाज की प्रगति की हृष्टि से इष्ट नहीं है। व्यवस्था के नाम पर व्यक्ति की आशाओं पर तथा स्वतन्त्रता पर पानी फेर देना कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। राज्य का विरोध यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह एकदम भलत है ऐसा समझना भी ठीक नहीं। शान्ति एवं व्यवस्था के नाम पर विरोधकों को कुखल डालने से सरकार की शक्ति का प्रदर्शन तो होता है पर उसमें भ्रवलमंदी खोजने पर भी नहीं मिलेगी। मुत्सद्दीगिरी (राजनीति-पाण्डित्य) खत्म हुई कि गुदेगिरी (मुक्काबाजी) शुरू हो जाती है। ऐसा ही भ्रम भ्रम सब कही हृष्टिगत होता है। इसी प्रकार हर तरह सारासार का विचार न करके भ्रान्ति-क्रान्ति चिल्लाते रहता तथा सत्याग्रह एवं मोर्चों का आलाप अतापना तथा भूख हड़ताल करके न जेवने वाली बात को मंजूर कराना यही आज की राजनीति हो गई है। सत्ताधारियों को सत्ता प्रदर्शन के लिए सत्ता नहीं प्रदान की जाती, बल्कि सत्ता को साधन बनाकर राज्य के भ्रमस्त नागरिकों के जीवन को सुखी बनाने की व्यवस्था करने के लिए दी जाती है और यदि उसका उपयोग लोगों के कल्पालु के लिए न हो तो सत्ताधारियों के कृत्य दृष्ट्युर्ण एवं लोक-भ्रमालु विरोधी होंगे। लोगों को जो वस्तु चाहिए, उससे उन्हें जब दंस्ती बंचित रखा जाता हो तो जनता को या तो उस सत्ता का विरोध करने के लिए संगठित हो जाना चाहिए या किर अपनी मौलिक स्वतंत्रता की तिलांजलि दे देनी चाहिए। आज हमें संसार की जो प्रगति दिखाई देती है, उसका श्रेय प्रत्येक युग में श्रेष्ठ धैर्यशाली व्यक्तियों ने अपने समय की सत्ता का जो विरोध किया तथा जो कार्य किया, उसको है। मेरे लोग तत्काल यशस्वी (मफल) हो जाते हो, सो बात नहीं है। अपपथ (प्रसरणता) का फल उन्हें फौसी के तस्ते पर भूख कर भोगना पड़ता है। जेत की चहारदीवारी के पीछे बंद रहकर सत्य का मूल्य छुकाना, पड़ता है।

स्वाभाविक है। जो लोग शराब पीते थे, उन्हें स्पष्टभावतः लगा कि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण किया जा रहा है। शराब के दूकानदारों को अपना रोजगार छिन जाने के कारण सरकार पर दुरी तरह गुस्सा आया। शराबवन्दी के कारण शराब के अड्डे के आस पास का शोरगुल कम हो जाने तथा गुड्डागर्दी के रुक जाने से सामान्य नागरिकों को भला प्रतीत हुआ। कहने का मतलब यह कि हर किसी का अनुभव एक जैसा नहीं होता तथा वह 'पेटेट मेडीसिन' की भाँति मोत लिया हुआ नहीं होता। हर किसी का अनुभव उसकी अपनी मिलिकता होती है। अनः राज्य के किसी आचरण से किसी को मुख होता है या दुख, यह प्रत्येक वर्गित को स्वयं तय करना होता है। जो अनुभव एक वर्गित को प्राप्त हुआ, वही सब का अनुभव है, ऐसा सिद्धान्त बना बैठना ठीक नहीं। प्रत्येक वर्गित के अनुभव को भाँखों के सामने रख कर काम करना जहरी तथा स्वतन्त्रता की हड्डि से प्रगतिशील राज्य का लक्षण समझा चाहिए। अतः हर किसी को सुने तोर पर अपने अनुभव को कह सुनाने की पूरी दूट होनी चाहिए। भाषण स्वतन्त्रता, मुद्रण स्वतन्त्रता तथा संगठन स्वतन्त्रता आदि बातें तथा अधिकार मानसिक स्वतन्त्रता की हड्डि से बहुत जहरी साबित होती हैं। कहना होगा कि इस प्रकार मानसिक स्वतन्त्रता का स्वरूप तीन प्रकार का है। मानसिक स्वतन्त्रता की पूर्णता के लिए, मन में जो कुछ है उसे कहने का अधिकार; जो हम चाहते हैं उसे आपने का अधिकार तथा जो कुछ हमारे मन में है, उसके संबंध में भीरो से मिलकर विचार विमर्श करने तथा उसे अपनी जापा पहनाने का अधिकार अत्यन्त आवश्यक है। कहना होगा, इन अधिकारों के अभाव में स्वतन्त्रता अधूरी है। उसका प्रस्तितव शून्यप्राप्य है। यदि मनुष्य को अपने मन की बातें प्रकट करने का अधिकार न रहे, तो जीम रहते हुए भी वह गौंगा है। हाथ पैर के रहते हुए भी वह निकटा है। समाजवद्वया तथा राज्य के कामकाज को निगाह में वह उपेक्षित है। जिस प्रकार ढोरों के बाजार में बेचे तथा भोल लिए जाने वाले ढोरों की जो भवस्या होती है, वह उसकी भी हो जाती है। यदि तीनों प्रकार की मानसिक स्वतन्त्रता न रहे; सगठन की स्वतन्त्रता न रहे तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसे समाज की ओर से गुरुशा प्राप्त हो सकेगी। वर्गित के नैतिक जीवन तथा मानसिक विकास के लिए मानसिक स्वतन्त्रता का होना बहुत जहरी है। भने ही जो बात उसके मन में है, वह गलत हो, पर उसे कहने, लोगों को बनाने तथा संगठन बनाए उसे अपनी जापा पहनाने का अधिकार उसको अवश्य मिलना चाहिए। उसका यह आचरण अनुचित हो, प्रवतित सामाजिक भावशों के विरुद्ध हो, तो उस पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार समाज एवं राज्य को है, यह वह कर वर्गित के अधिकारों का भरहरण कर सेना ठीक नहीं। उसके अधिकारों को स्वीकार करना ही चाहिए। अधिकारों के दरायों को सीमा समाज को राज्य के माध्यम से निर्दित करनी चाहिए। उसके मूल अधिकारों में उसे विन बरने का अर्थ हुआ वह स्वतन्त्र न होने रुकान है। भाषण की स्वतन्त्रता के प्रदर्शन का अर्थ यह हुआ कि समाज में जो कुछ अप रहा है, उस की भाँती बना न होने देना। जो झट-फटीं बातें, स्वाधिकारों का वेट भरने वाली तथा अन्यथा की बातें समाज में बन रही हैं, उन्हें बद्धूर आपम रखना। जरी मारणु

की स्वतंत्रता नहीं वहाँ सत्ताधारी लोग अपने हृष्टिकोण को ही समूचे समाज का हृष्टिकोण समझने लगते हैं, अपने हितों को ही वे सामाजिक हित समझते हैं तथा अपनी राय को ही वे समूची जनता की राय समझने लगते हैं। उन्हें समगता है कि वे स्वयं ही समाज हैं तथा उनका मत ही जनसत है। वयोंकि जनता पर भाषण की दब्दी है, अतः विरोध मुनाई नहीं देता, और चूंकि विरोध नहीं मुनाई देता अतः उन की धारणा ही जाता है कि उनका समूचा क्लिया-कलाप जनता को पूरी तरह मंजूर है। वयोंकि लोग बोलते नहीं हैं अतः उनका 'पीरन् सम्पत्तितथणम्' मान लिया जाता है। फल यह होता है कि वह कानून, जिसे जनसत का प्रतिविम्ब होना चाहिए; जिस में समूची जनता की आवश्यकताओं का विचार किया जाना चाहिए; मुट्ठी भर सत्ताधारियों की इच्छा बनकर रह जाता है। उन्हीं की इच्छाओं का निर्देशक बन जाता है। संसार की कान्तियों का इतिहास माथी है कि तानाशाही एवं घडपशाही की यात्रा इसी बातावरण से हुआ करती है।

विचार की स्वतन्त्रता, भाषण की स्वतन्त्रता तथा संगठन की स्वतन्त्रता यों देखने को जुदा-जुदा नजर आती है, पर हैं वे एक ही। मान लीजिए मुझे बोलने की पूरी स्वतन्त्रता है, पर मे किसी से बात नहीं कर सकता—इसके मानी हैं कि मुझे वस्तुतः बोलने की स्वतन्त्रता ही नहीं है। अतः यदि भाषण की स्वतंत्रता को सरा साक्षित होना है, तो उसके लिए संगठन की प्रथात् एकत्रित होकर विचार-विनिमय करने की स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। एक जगह जमा हो जाइए, परन्तु बोलिएगा नहीं, इसके मानी हैं कि ग्रापकों संगठन की कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो लोग एक जगह जमा होते हैं वे किसी उद्देश्य से बैसा करते हैं। उस उद्देश्य के सम्बन्ध में विचार-विनिमय या चर्चा करना है तो एक जगह आने वालों को बोलने की तथा बहस करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अन्यथा लोगों का एकत्र होना किसी भी किसम के विचार-विनिमय के अभाव में ढोरों का बाजार लगने जैसा हो जाएगा। मान लीजिए भाषण लोग एक जगह आकर जमा हो गए, पर भाषण लोग एकत्रित नहीं हुए। इससे ग्रापकों शरीर तो इकट्ठे हुए; पर मर्नों को इकट्ठा होने वा भौका नहीं मिला। अतः भाषण की स्वतंत्रता तथा संज्ञान की स्वतंत्रता एक ही सिवके के दो पहलू हैं। इन दोनों मे रो किसी एक से इन्कार करना दोनों से ही इन्कार करना हो जाता है। प्रथात् अवित की रूपतंत्रता से ही इन्कार करना हो जाता है। और जब राज्य सत्ता इन स्वतन्त्रताओं से इन्कार करती है तो उनका अर्थ यह होता है कि राज्य-सत्ता को किन्हीं लालू हित-सम्बन्धों की रक्षा करना है। उन्हें संरक्षण देना है। भाषण की स्वतन्त्रता अथवा संज्ञान की रूपतंत्रता अथवा अन्य गौलिक स्वतन्त्रता योई निरपेक्ष अथवा असीम वस्तु नहीं है। इन स्वतन्त्रताओं की कीन-कीनती सीमाएँ हैं, कीनसी होनी चाहिए, उनकी मात्रा तया हो, तथा कब ये सीमाएँ उतकी हों, प्रादि बातों पर हम यथावकाश विचार करें। पर इन सब सीमाओं का एकमात्र उद्देश्य यहीं होना चाहिए कि समाज की हृष्टि से ये सारी स्वतन्त्रताएँ हर अवित को उपलब्ध होनी चाहिए। मे सीमाएँ, प्रचलित सत्ता की हृष्टि से समाज-विरोधक प्रतीत हो या उनकी हृष्टि में समाज की रितरता एवं दाति के लिए आव-

स्वरां प्रतीत हो तो उठो भर से उत्तरा धोक्षिरा निःशब्द हो जाता । विचार करने की तथा भाषण की स्वतंत्रता समाज की प्रवादी के विषय मानवदार है । इन धाराएँ का पौराणिक प्रभाव से निःशब्द करने की प्रायशःस्थिता नहीं है । महिला राग गमभन्ना है कि उनका एकमात्र उद्देश्य प्रवाद का गुण है—जैसा कि प्राचीर धार्मिक रागमें दूसरे मंडल द्वितीय है—तो उने ठीक से समझ लेता आहिए कि प्रवाद का गुण इन बातों में है । और यदि वह इग बात को समझना आहुता है तो उने प्रवाद को घटावा घन-करण रौप्य भर प्रकट करने का पूरा अवसर देना चाहिए । प्रवाद को—सोनों की बाया आहिए, इसे समझने के लिए उनके मन को बात को ध्यान में ध्यान में लाने का प्रयत्न दिया जाना चाहिए । निःशब्द धर्मानुष विद्यार्थी के सामने में, किन-किन भी गोंद का राधार्दि इति-साम्बद्ध खोड़ी-खूना गावा में भाता हो, उत्त-उत्त की मन यी भातों की ध्यानिक विगतार से गुना जाना चाहिए । धारा धारारों यदृद्गुरों के गंवंथ में शान्तुन बनाना है, तो लक्षिताः धयवा गम्भायों के धारायम से गानिर्दो एवं मंडलों को घणवी भातों की बहने की पूरी छृंग लेनी चाहिए । धारा गाहुं है कि गांठ यद्यों का एक दिन हो, या शान्तुन बनाना जाए, तो उनके विषय भावारों यदृद्गुरों का इन्टिक्सेल गमभन्न लेना चाहिए । परन्तु यदि धारा इग सामने में देवन उद्योगारतियों एवं उनके खेदों की ही बात गुनवर धाम चालाने की बात ही जाएती । इगमें शान्तुन एकाग्री हो जाएगा । यथः यदृद्गुरों की भी राय वस्त्र सेनी चाहिए । उनकी सावरण्यतामों की भी धौती के सामने जहर रखना चाहिए । दग धेष्टे वाय करके मन्त्रूर यक्ष जाता है, और उसका जीवन रखहीन हो जाता है, नि गत हो जाता है । यदोहि धाम में वायस माने हात उसका धारा उत्तम हो जाता है । मनुष्य के लिए धम, धस्त्र आदि धाते जिती जहरी होनी है, उसी ही जस्ती होती है—विषयानि एवं मनो-रंजन । मंडलूर कोई मसीन नहीं है, यह मनुष्य है । जिस परिस्थिति में वह धाम करता है, उसका उसके जीवन पर व्या मगर होता है, यह वही यता सत्ता है । यथ, उसकी राय भी जानी चाहिए । यह ठीक है कि धाराराने का उद्देश्य उत्पादन है । पर वह उत्पादन धरामाजिक रूप से नहीं होना चाहिए तथा उसमें गे सामाजिक अवासित उत्पन्न नहीं होनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि शान्तुन बनाने समय वा किसी और काम के करते समय राज्य-मत्ता को उन राय की राय जान लेनी चाहिए, जिनके जीवन पर उनका सीधा भ्रस्तर होता हो क्या सदा इस विचारधारा को धरने सामने रखना चाहिए कि उसके बृत्यों से धर्मिक-से-धर्मिक गुस्त तथा कम-से-कम दुःख की उत्पत्ति हो । तत्त्वक का कान्तुन बनाने समय हित्यों की भावनायों का भी विचार किया जाता चाहिए तथा पुरुषों की भावनायों का भी विचार किया जाना चाहिए । और इसके निए दोनों को खुलकर धरने विचारों को प्रकट करने का पूरा अवसर देना चाहिए । इसलिए विचार की स्वतन्त्रता की सावश्यकता है । भाषण की स्वतन्त्रता की भावरण्यता है । इसी प्रकार इकट्ठा होकर अपनी इच्छायों को व्यक्त करने वी स्वतन्त्रता की भावरण्यता है । ऐसा होने से राज्य-सत्ता वी धर्मिक-से-धर्मिक मात्रा में तोपों के मन की भातों को जानने का अवसर मिलता है । सामाज्यतपा इन स्पतंत्र-

साधी के दिए जाने के यामल में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जब इन स्वतन्त्रतामों का भाष्य किया जाता है, उस बहु लोगों के मन में शंका घर करने लगती है। यहूव से तो कभी-कभी इनका विरोध भी कर बैठते हैं। सामान्यतया होता यह है कि जो बातें प्रचलित हैं, उनकी सुन्ति की जाती है तथा जब तक विद्य-मान हित-सम्बन्धों पर हमला नहीं होता, तब तक भाषण तथा सङ्गठन की स्वतन्त्रतामों को पुचकारा जाता है। पर जब राज्य-प्रस्ता की निन्दा की जाती है, उस पर मन्यायो होने तथा पश्चाती होने वा दोषारोपण किया जाता है, तब इन मालोचकों द्वा उपद्रवी करतर दिया जाता है तथा कहा जाता है कि समाज के शांत बातावरण को उनमे लतरा है। और समाज के इस शांत बातावरण का अर्थ वह विचारधारा है, जो इस बात में विश्वास करती है कि समाज में जो कुछ इस समय प्रचलित है, वही सही है। जो प्रचलित है, उसके पीछे समाजपुरुष वा सहस्रों वर्षों का अनुभव लगा है, ऐसा मानकर भी नवीन विचारों तथा नवीन भानुभवों को अपने से दूर रखने की इच्छा होने नग जाती है। जब लोग भहते हैं कि समाज में जो विषमता या ऊनीच दिशाई देती है, वह केवल जन्म के आधार पर निश्चित की जाती है और इसी बारण वह धन्याय है, तो तत्काल बुद्ध लोग आगे बढ़कर सरकार को सुभाव देने लगते हैं कि इससे समाज की शांति चोपट हो जाएगी भ्रतः सरकार को चाहिए कि वह इस विचारधारा को बुचल दाले। अगर आप चाहते हैं कि समाज आगे बड़े, तो आपको व्यक्तियों को नया विचार करने, नये अनुभवों को हासिल करने तथा अपने विचारों को स्पष्टरूप से प्रकट करने का अवसर देता ही होगा। लोग मदि कहना चाहते हैं कि समाज में दिशाई देने वाली आर्थिक विषमता मानवनिमित है तथा जिस कानून ने उसे प्रस्थापित किया है या उसे प्रतिष्ठा दी है, उस कानून को बदल दाना चाहिए, तो उन्हें बैरा कहने को पूरी-पूरी सूट दी जानी चाहिए। सम्भवति समूचे समाज की सहायता से निमित होती है, भ्रतः समाज को उस सम्पत्ति के निर्माण में भागीदार समझा जाना चाहिए। जो विषमता निर्माणनिमित नहीं है, मानव के मंवल्य एवं कृत्यों से निमित होई है, उसे नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसा कहने की सूट यदि आप लोगों को नहीं देंगे, तो वह विषमता मदा के लिए बनी रहेगी तथा लोगों के मन में जो धृत्य चुमा हुआ है, वह धृषिक असल्य होता चला जाएगा। उस अवस्था में, राज्य का जो ध्येय है—समाज को सुखी बनाना—वह सिढ़ नहीं हो पाएगा। राज्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मदि कोई भहते कि आर्थिक समता के दिना समाज में धृषिकाधिक सुख की प्रतिष्ठा नहीं दी जा सकती, तो उसके ऐसा कहने में रती भर भी राज्यद्वाह या समाजविरोध नहीं है। भाषण की स्वतन्त्रता के ये मानी नहीं कि जो कुछ प्रचलित है, उसकी तारोंक की जाय उपरा सत्ताधारियों की सुन्ति में स्तोत्र पाठ किया जाए। भाषण की स्वतन्त्रता में—दोर्पों की ओर बदैत करना, धन्याय वा विरोध करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, नवीन विचारों को पेश करना, नवीन समाज की रखना की रूपरेखा बतनाना मादि सभी बातों का समावेश होता है। बुद्धिमत्ता धन्या दूरदिनिता किसी एक व्यक्ति अथवा जाति या जमात की बोती नहीं है। कोई भी सर्वज्ञता वा दम नहीं भर सकता। और यदि कोई ऐसा दम

पाणिनिक राज्य तथा स्वतंत्रता

मरे गया दूसरा धर्मिता उग्रों तिरोपी को बाट को मुक्तना चाहिए। गारा गार्य येती है एवं उन्नियाँ में भरा पड़ता है, और यादृच्छा बहने का मै घटुपुरात गवित होता है। 'ओ भारत में वर्षी पट वर्षी भी वर्षी' ऐसा बहने का मै घटुपुरात गवित होता है। 'ओ भारत के गद्यायु तिरी धोर में विचार वर्षे की पात्रता ही नहीं है। प्रदेश दुष्के गाप परिवर्तित हो गया था वर्षे का गमन में एक घटावृ प्रयाह यात्री गंगा है। गमाज भी गद वर्षी लगा गद वासी में एक जंता नहीं रहा। याः तिरी यात्री को बदले गये वर्षे का गमन चमित नहीं बदला जा सकता। विचारों की स्वामाना है, तो हर वर्षा को लोका जाता है। गमाज के पाइंडों पर हर वर्षा है, वर्षा इस प्रवार चन्दन युगों के गाय आजार पाते हैं गमाज जाता है। गमाज के युग में घटुपुरात प्रतिवादन (कठुन्नामान) एक व्यवार से विरोध को कठुन्नामान चाहिए जो घटने को गन्धे हैं प्रहट बरना हूपा। यह ऐसे विचारों को मुक्तना चाहिए जो घटने को पराना की जा सकती है। घटुपुरात के गाय आजार पाते हैं गमाज हम सातोवना भी घटनों में हो हर वार को घटना जाती है। घटने के बृंदावन के गमन में एक घटावृ व्यवार से घटना भी घटना चाहिए जो घटने को घटना नहीं रहा। याः तिरी यात्री को स्वामान के विरोध एवं रानातन भान लिया है, उन्होंने विरोध भी घटुपुरात का घटित व्यवार विरोध दिया जाना चाहिए। यह इस प्रवार की घटुपुरात है, तथा प्रथित वातों के विरोध यावाज उठाई जाय, तो इसी द्वारा सोगों को पह गमन करना चाहिए हि यावाज हम घटुर्णता है, घटुरापन है, ऐसी प्रतीति समाज में पर करने सक गई है।

जो विचार समाज को प्रिय तथा राज्य गता को भयानक प्रतीत होते हैं, यदि उन्हें प्रहट होने का घबरान दिया गया या उन्हें कुचलने की बोलिता की गई, तो निश्चय ही इससे उन यात्रों को टाला नहीं जा सकेगा जो घटावृ है। समाज घुण-रक घागरकर का लीक विरोध हूपा। जीवित द्वासामें ही उनकी शायदाना निवासी गई। इन समसे उनके विचार मरे नहीं बरन हजारों मुरों से बाहर निवासने से। जो सोग किया। पर स्त्री स्वातन्त्र्य को कोई रोक नहीं सका। उन्होंने बगाकर विरोध 'प्रथ नायस्तु पूर्वस्ते, रमन्ते तत्र देवता।' इस मनिल पर जा पहुंची है। ७५ वर्षों तक की भरसक कोशिश की, पर उसे टाल न सके। घटुपशाही से विचारों की स्वतंत्रता पर प्रतिवध लगा देने पर भी क्रान्तिकारकों तथा समाजमुपराको की उत्पत्ति को रोका नहीं जा सका। जिन लोगों ने समाज की गन्धगी, दोष तथा राजद्वीप काम-काज में फैले भट्टाचार एवं राजनीति में माई हुई शीलभट्टा को उलाड़ केरने का बीड़ा उठाया है, उन्हें राज्य सत्ता घरनी पूरी ताकत लगा कर भी उनके हड़ निश्चय से डिगा नहीं सकती। प्रथिक घट्याचारों से तो उनकी ताकत भीर बढ़ती है। सोकप्रियता में वृद्धि होती है। दयाव ढालकर किसी की राय को बदला नहीं जा सकता। शारीरिक वन्त-प्रयोग से किसी के मन को नहीं जीता जा सकता। यदि किसी विचारधारा प्रथवा घटुपोलन को कुचलने को चेष्टा की जाय, तो उससे उक्त विचार-

पारा एवं आनंदोलन के प्रति लोगों में कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। जो लोग उक्षासीन थे, वे उसमें दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। समाज में उन सब नई बातों के बारे में कुतूहल पैदा होता है, जो अब तक समाज की अनुभूति का विषय नहीं बनी थी। मुँह पर हाथ रख देने से भन को दबाया नहीं जा सकता। सभा पर प्रतिवन्द लगाने का फृण यह होता है कि जिन बातों पर चौराहों में विचार-विनिमय होता, उन पर तहवाजों में विचार-विनिमय होने लग जाता है। सभा पर लगाया प्रतिवन्द्य पट्ट्यन्त्र को जन्म देता है। राज्य या समाज यदि किन्हीं बातों पर प्रतिवन्द लगा दे, उनकी उपेक्षा करे या उन्हें मुनरे से इन्कार कर दे तो उमका परिणाम प्रधिक भीषण होता है। ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो प्रधिक भीषण ग्राधात् उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार का भीषण विस्फोट होता है कि बहरों को भी मुनाई दे जाय। कोई स्नेहजलता प्राप्तमहत्या करके दहेज के सवाल को प्रधिक शीघ्रता से जनमत के मामने प्रत्युत कर देती है। कोई गुदीराम पिस्तोल की ऐसी खनि उत्पन्न करता है कि भारतीयों के मन में दबी पड़ी भावनाओं की प्रतिवर्ति सारे विश्व में गूँज उठे। मत प्रदर्शन बंद कर देने से वे बातें समाज की और्हाँ के सामने था जाती हैं, जो अब तक इसी उपेक्षित कीने में पड़ी हुई थी तथा अब तक कभी न गुनाई देने वाली आवाज कान के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। जो विचारपारा भयवा भावना समाज के जन सामान्य के मन में नहीं आई थी, वह उसके मन में थाने लगती है। यही नहीं, वह मन को अभिभूत भी कर डालती है। सन् १९२६ से पहले भारत में साम्यवाद के सम्बन्ध में किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं थी। परन्तु मेरठ काण्ड के कारण साम्यवादी तत्कालीन चर्चा का विषय बन गया। जिस विषय का अध्ययन धर के पिछावाहे के थोटे से कमरे में किया जाता था, वही अब गतियों और चौराहों में, होटलों तथा हैयर कॉटिंग संलग्नों में चर्चा का विषय बन गया। कहने का अभिप्राप यह है कि किसी भी विचारपारा को कुचला नहीं जा सकता। अनेक बार सत्य को पैरों के तले रौद्रने की कोशिश की गई, उसका प्रपत्तन दिया गया; पर उसे रोदा नहीं जा सका। वह एक अमर वस्तु है। उसे जितना तोड़ा जाय या खोदा जाय, वह हरियाली की भूति और बड़ जाता है। इसा को क्रूप पर चढ़ाया गया, उसके शरीर वा धन्त कर दिया गया, पर उसके द्वारा प्रतिपादित सत्य सारी दुनिया में फैल गया, धमर हो गया—क्रूप की मदद से। सत्यम् यह है कि सत्य यह है, यह शासन सत्ता नहीं निश्चित कर सकती। यदि शासन सत्ता अभिभान भयवा भावेश के दश हो बिन्ही विरोधी विचारों को कुचलने की कोशिश करे, तो ग्राज नहीं तो कल उसकी वह कोशिश निष्फल हो जाएगी। तथा मताधारियों का तथाकथित सत्य उनके प्रस्तित्व के साथ ही एक इतिहास की वस्तु बन जाएगा। परामर्श हो जाएगा। जात इनिहास में ऐसा तरीका विसी के हाथ नहीं लगा, जिससे विचारपारा एवं भावनामों को इस तरह कुचला जा सके कि वे किर अनना सिर न उठा सकें। इसा को क्रूप पर चढ़ाया गया, मुकरात को जहर दिया गया; अनेकों को देशनिकाला दे दिया गया; पर इतिहास बताता है कि अन्ततो गत्वा सत्य की जीत होकर रही।

भरे तथा दूसरा व्यक्ति उसके विरुद्ध होते, तो उसे विरोधी की बात को सुनना चाहिए। सारा सत्य वेदों एवं उपनिषदों में भरा पड़ा है, ऐसा आप्रह प्रजातंत्र के युग में अनुपयुक्त सामित्र होता है। 'जो भारत में नहीं वह कही भी नहीं' ऐसा अहने वा मतलब यह हुआ कि महाभारतकार के पश्चात् विसी और मे निचार करने की पात्रता ही नहीं है। प्रत्येक युग के सत्य परिस्थिति के साथ-साथ बदलते रहते हैं। ज्ञान एक अखण्ड प्रवाह वाली गंगा है। समाज भी सब कहीं तथा सब कालों में एक जैसा नहीं रहा। अतः विसी बात को बड़े आप्रह के साथ प्रतिपादन करने का प्रयत्न उचित नहीं कहा जा सकता। विचारों की स्वतंत्रता रहे, तो हर बात की ठीक से परख की जा सकती है। अनुभवों के पलड़ों पर हर बात को तोला जाता है। आलोचना रूपी छानी में से हर बात को छाना जाता है तथा इस प्रकार उन्नन युगों के सत्य आगार पाते हैं तथा स्थिर होते जाते हैं। प्रजातंत्र के युग में आप्रद्युक्त प्रतिपादन (कठमुल्लापन) एक प्रकार से व्यक्ति की कर्तृत्व-शक्ति पर सन्देह प्रकट करना हुआ। अतः ऐसे विचारों को भी सुनना चाहिए जो अपने को 'पसन्द न हो या ठीक न जैचते हो। जिन सत्यों एवं आदर्शों को समाज ने शाश्वत एवं सनातन मान लिया है, उनके विरुद्ध भी आलोचना का अधिकार व्यवित्रमात्र को दिया जाना चाहिए। जब इस प्रकार की आलोचना हो, तथा प्रचलित बातों के विरुद्ध आवाज उठाई जाय, तो इसी से हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि आज हम जिसे सनातन एवं त्रिकालावधित सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उसमें भी कहीं कोई अपूर्णता है, अधूरापन है, ऐसी प्रतीति समाज में घर करने लग गई है।

जो विचार समाज को अप्रिय तथा राज्य सत्ता को भयानक प्रतीत होते हैं, यदि उन्हे प्रकट होने का अवसर न दिया गया या उन्हे कुचलने की कोशिश की गई तो निश्चय ही इससे उन बातों को टाला नहीं जा सकेगा जो अटल है। समाज मुधारक आगरकर का तीव्र विरोध हुआ। जीवित दरामे ही उनकी दावयाना निकाली गई। इन सबसे उनके विचार मरे नहीं वरन् हजारों मुखों से बाहर निकलने लगे। जो लोग 'न स्त्री स्वातन्त्र्यमहंति' इस विचार में विश्वास रखते थे उन्होंने कसकर विरोध किया। पर स्त्री स्वातन्त्र्य को कोई रोक नहीं सका। उलटे अब समाज की प्रगति 'यत्र नायंस्तु पूर्ण्यते, रमन्ते तत्र देवता।' इस मजिल पर जा पहुँची है। ७५ वर्षों तक अधिक-मे-अधिक घडपशाही से काम लेकर अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता को टालने की भरतक कोशिश की, पर उसे टाल न सके। घडपशाही से विचारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा देने पर भी क्रान्तिकारकों तथा समाजमुधारकों की उत्पत्ति को रोका नहीं जा सका। जिन लोगों ने समाज की गम्भीरी, दोष तथा राजकीय काम-बाज में फंसे भट्टाचार एवं राजनीति में आई हुई शीलध्रष्टवा को उखाड़ फेंने का बीड़ा उठाया है, उन्हें राज्य सत्ता अपनी पूरी तारत लगा कर भी उनके हड़ निश्चय से डिगा नहीं सकती। अधिक यत्याचारों से तो उनकी ताकत और बढ़ती है। सोहित्यता में बृद्धि होती है। दबाव डालकर किसी की राय को बदला नहीं जा सकता। शारीरिक बल-प्रयोग से किसी के मन को नहीं जीता जा सकता। यदि किसी विचारपारा भयना मान्दोत्तन को कुचलने की चेष्टा की जाय, तो उसमें उक्त विचार-

धारा एवं प्रान्तोलन के प्रति लोगों में कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। जो सीमा उदासीन थे, वे उसमें दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। समाज में उन सब लड़कों के बारे में कुतूहल पैंदा होता है, जो अब तक समाज की अनुभूति का विषय नहीं बनी थी। मुँह पर हाथ रख देने से मन को दबाया नहीं जा सकता। सभा पर प्रतिवन्द लगाने का फन यह होता है कि जिन बातों पर चौराहों में विचार-विनिमय होता, उन पर तहवानों में विचार-विनिमय होने लग जाता है। सभा पर लगाया प्रतिवन्द पट्टवन्द को जन्म देता है। रात्रि सत्ता या समाज यदि किन्हीं बातों पर प्रतिवन्द लगा दे, उनकी उपेक्षा करे या उन्हें सुनने से इन्कार कर दे तो उनका परिणाम अधिक भीषण होता है। ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो अधिक भीषण आधात उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार का भीषण विस्फोट होता है कि वहरों को भी सुनाई दे जाय। कोई स्नेहलता भास्तव्यता करके दहेज के सुवाल को अधिक तीव्रता से जनसत के सामने प्रस्तुत कर देती है। कोई शुद्धीराम पिस्तौल वी ऐसी घनि उत्पन्न करता है कि भारतीयों के मन में दबी दबी भावनाओं की प्रतिवन्नि सारे विश्व में गूँज उठे। यत प्रदर्शन वंद कर देने से वे बातें समाज की आँखों के सामने आ जाती हैं, जो अब तक किसी उपेक्षित कोने में पड़ी हुई थी तथा अब तक कभी न सुनाई देने वाली आवाज कान के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। जो विचारधारा अपवा भावना समाज के जन सामान्य के मन में नहीं आई थी, वह उसके मन में पाने लगती है। यही नहीं, वह मन की अभिभूत भी कर डालती है। सन् १९२६ से पहले भारत में साम्यवाद के सम्बन्ध में किसी को कोई विशेष जानकारी नहीं थी। परन्तु भेरछ काल्ड के कारण साम्यवादी तत्त्वज्ञान चर्चा का विषय बन गया। जिस विषय का अध्ययन घर के पिछवाड़े के छोटे से कमरे में किया जाता था, वही अब गलियों और चौराहों में, होटलों तथा हैमर कटिंग सेन्ट्रलों में चर्चा का विषय बन गया। कहने का अभिप्राप्य यह है कि किसी भी विचारधारा को कुचला नहीं जा सकता। यनेक बार सत्य को पैरों के तले रोने की कोशिश की गई, उसका अस्मान दिया गया; पर उसे रोक नहीं जा सका। वह एक अमर वस्तु है। उसे दितना तोड़ा जाय या खोदा जाय, वह हरियाली की भाँति और बड़ जाता है। इसको क़ूप पर चढ़ाया गया, उसके शरीर का अन्त कर दिया गया, पर उसके द्वारा प्रतिरोधित सत्य सारी दृनिया में फैल गया, अमर हो गया—क़ूप की मदद से। तात्पर्य यह है कि सत्य बना है, यह दासत्व सत्ता नहीं निश्चित कर सकती। यदि नासन सत्ता अभिभाव अपवा भावेश के बश ही किन्हीं विरोधी विचारों को कुचलने वी कोशिश करे, तो भाज नहीं तो कल उसकी वह कोशिश निष्फल हो जाएगी। तथा मत्ताधारियों का तथाकथित सत्य उनके प्रस्तुतव के साथ ही एक इतिहास वी बहु बन जाएगा। परास्त ही जाएगा। ज्ञात इनिहाम में ऐसा तरीका विसी के हाथ नहीं लगा, जिसमें विचारधारा एवं भावनायों वो इम तरह कुचला जा सके हि वे किर अपना सिर न उठा सकते। इस को क़ूप पर चढ़ाया गया; मुकरान को जहर दिया गया; यनेको को देयनिकाना दे दिया गया; पर इतिहास बनाता है कि अन्ततो गत्वा सत्य की जीत होकर रही।

वहने का प्रभिप्राय यह है कि विवारों की संया भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध संगाने या कुचल ढासने का फल यह होता है कि सत्तापारियों को अपनी सत्ता से ही हाथ थोना पड़ जाता है। इसी प्रकार प्रचलित विचारधारा भी सानातन स्वरूप की नहीं हो सकती। जो बातें समाज को आज प्रिय प्रथा समाजविरोधी प्रतीत होती हैं, वही कल सोशलिय बन जाती हैं तथा एक थ्रेट कल्याणहारी वस्तु मानी जाती हैं। नया विचार पहले-पहल विसी एक व्यक्ति के मन में पैदा होता है। गोमुक से निकलने वाली गोदावरी की नर्ही-सी धारा बढ़ने-बढ़ते एक विस्तीर्ण जलधारा का रूप धारण करती है। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति के मन में उत्तम हुआ विचार प्रनेकों के साथ होने वाली चर्चा के माध्यम से अनेक व्यक्तियों में फैलते-फैलते वह एक व्यक्ति का विचार नहीं रह जाता तथा वह समाज की वस्तु बन जाता है। देवत नवीन विचार होने के नाते उस पर प्रतिबन्ध संगाना सामाजिक हित की हाईट से उचित नहीं है। नया विचार गलत हो सकता है। समाजविधाता हो सकता है। पर ऐसे इस हेतु से उसे कुचल ढासना कि वह नया विचार है, ठीक नहीं। 'पुराणमित्येव न साधु सर्वम्' अर्थात् जिस प्रकार यह बहना सही नहीं कि जो कुछ पुराना है, वह सब भज्या है, उसी प्रकार यह भी सही नहीं कि जो कुछ नया है, वह सब बुरा है। अतः समाज को सारासार का विचार करके स्वयं निर्धारित करना चाहिये कि प्राणु बया है तथा भग्नाशु बया है। इसके लिये विचार-विनियम की आवश्यकता है। विचार-विनियम के लिये भाषण की स्वतंत्रता अपेक्षित है। आज समाज में जो विचार प्रचलित हैं, उनका निरीक्षण करने से प्रतीत होगा कि आज से ५० वर्ष पूर्व जब इन विचारों को समाज के सन्मुख पेश किया गया था, तब उन्हीं को समाज ने समाजविरोधी ठहराया था। 'न वदेद यावनी भाषां प्राणः कण्ठगतैरपि' अर्थात् मौत भली है पर यदनो की भाषा नहीं। पिछली सदी का यह विचार अब लुप्त हो चुका है। आज से १०० या ५० वर्ष पूर्व जो विचारधारा समाज के प्रत्येक धोष में सम्मानित थी, वह अब केवल इतिहास समालोचकों का एक आलोच्य विषय बन चुकी है तथा अतीत के वस्तु संग्रहालयों में रखने योग्य वस्तु बन गई है। कहने का तात्पर्य यह कि समाज का जीवन कोई अपरिवर्तनशील एवं नियत वस्तु नहीं है। वह हर धड़ी तथा हर युग में बदलता रहता है। इसी प्रकार समाज की नीतिविषयक धारणा एवं दर्शन शास्त्र भी बदलता रहता है। जो वस्तु आज बुद्धि को ठीक नहीं जैचती वह कल ठीक जैचने लगती है। जो वस्तु आज असत्य प्रतीत होती है, वही कल एक प्रतिष्ठित सत्य हो जाती है। सत्य विशेषता, सामाजिक एवं राजनीतिक सत्य—एक सापेक्ष वस्तु है। और इसी कारण सत्य क्या है तथा असत्य क्या है, इस बात का विचार सदैव सामाजिक सन्दर्भ में किया जाना चाहिये। शासन सत्ता के कहने या घोषित करने से कोई वस्तु सत्य या असत्य सिद्ध नहीं हो सकती। सत्य तथा असत्य का निर्णय चर्चा तथा अनुभव की सहायता से किया जाता है। जो बात बुद्धि को ठीक नहीं जैचती, उस पर विस्तारपूर्वक विचार होता है तथा उसकी सत्यता एवं प्रतिष्ठा को प्रतिपादित करने का योग्य उसके समर्थकों को दिया जाता है। सम्पत्ति, धर्म, उत्तराधिकार तथा विवाह आदि से सम्बन्धित कल्पनाएँ ऐसी नहीं हैं जो कभी बदलती ही न हो। 'श्रुतिः, स्मृतिः, सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः'

अर्थात् किसी वस्तु की योग्यता की में चार वसीटियाँ शास्त्रों ने मानी हैं। किसी भी अवस्था में—यहीं तक कि सर्वसम्मति से भी वर्षों न ठहराई गई हो—समाजविरोधी मानी जाने वाली बातों की चर्चा पर प्रतिवन्ध नहीं लगाना चाहिये। जो प्रसरण होगा, समाज को न जेवने वाला होगा, उसका स्वरूप भी समाज के सभुख तभी स्पष्ट होगा, जब उस पर प्रचल्य तरह चर्चा को आयेगी। जो स्वभावतः असत्य होगा, उसका स्वरूप खुलो चर्चा के थातावरण में कभी दिख नहीं रहेगा। कभी यह भी हो सकता है कि पूर्ण चर्चा के पश्चात् जिस असत्य को समाज असत्य ठहरा देता है, उसी को जब कुछ स्वार्थी लोग हठातूंक सत्य सिद्ध करने को कोशिश करने लगें तब उससे समाज का प्रहित होने लगेगा, तो उस समय समाज के हित को भौतिकों के सामने रखते हुए, उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित कर देना योग्य एवं अभीष्ट सिद्ध हो जाय।

थब यहाँ एक और प्रश्न नपस्तियत होता है। चुने विचार-विनिमय के पश्चात् जो वस्तु समाज के लिये भवाद्योग एवं भावितव्य सिद्ध हो जाती है, उस पर प्रतिवंध कीन लगाये तथा उसे सीमित करने के इस प्रयत्न को भवदादात्मक ही समझना चाहिये। तथा इस मामले में यदी ही द्यानदीन के बाद कोई कदम उठाया जाना चाहिये। प्रतिवन्ध लगाने के लिये कुछ कसीटियाँ अवश्य होती चाहिये। केवल इता कह देने से काम नहीं बलेगा कि वह प्रतिवन्ध समाज के हित में लगाया जा रहा है अथवा जो लोग वैसा करने के लिये कह रहे हैं, वे समाज के हितेषी हैं तथा तिःस्वार्थ वृत्ति के हैं। मान लीजिये कृष्णराव नाम के कोई सञ्जन वडे ही समाजिमानी हैं, वडे ही समाजहितेषी हैं। वे पदि किसी लेख को अस्वीकृत वह बैठे तो वया इसी आधार पर कि यह बात कृष्णराव जी कहते हैं, समाज या सरकार भी उसे अद्वील मान ले तथा उसके विद्ध कोई प्रतिवंधक कदम उठाये? शिष्ट अथवा भविष्य, इनील अथवा अद्वील, सदभिद्विष्टुणुणं अपवा कुरुचिपूणुणं वया है, इस बात का निर्णय कोई आसान काम नहीं है। इम निर्णय की क्रिया मन वा भाग है, वस्तुस्थिति नहीं। एक उदाहरण लीजिये। मैं इम जगह कुमों पर बैठा हूँ, वह लिखने का काम मन लगाकर कर रहा है या नहीं, वह मत का प्रश्न है। सदाचार कहीं स्वतंत्र होता है तथा स्वैराचार कहीं से शुल्क होता है, पह सौमा अभीष्ट होनी है और जौँकि यह मानसिक मृदित मे होनी है अतः जिस प्रकार हम जीवन पर रेता हो व सहते हैं, उसी प्रकार यहाँ नहीं छीन सकते। जो भी मत हम अनुकरें, वह तत्त्वानीन समाज की परिस्थिति को अपान में रक्षकर व्यक्त किया जाना चाहिये। एक समय या, जब ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं था, जो टोपी न पहनता हो। पर अग्रज हजारों में कोई एक विद्यार्थी मिलेगा, जो टोपी पहन कर बालेज जाता होगा। अतः कुछ काल पहने का सदाचार अथवा स्वैराचार वर्तमान समय में धरते उसी रूप में नहीं बना रह सकता। समय के साथ बनमत भी बदलता रहता है। अतः ऐसी स्थिति में किसी वस्तु को समाजविरोधी या अद्वील सिद्ध करना आसान बात नहीं है। अदालत में होने वाले फैले भी इस मामले में निर्दिष्ट स्वरूप से कुछ नहीं बदलते। वे भी यद्या-तद्या की ही भाषा काम में लाते

है। भारत में अश्लीलता के सम्बन्ध में कानून की स्थिति यहा है, इस पर बम्बई के 'आलमगीर' में कुछ लेख छपे हैं। उनमें भी लेखक अश्लीलता को परखने की कोई निश्चित वसीटी नहीं बता सका। सच तो यह है कि कोई भी इसकी वसीटी नहीं बतला सकता। इस हृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होगा कि यदि कोई व्यक्ति अथवा सत्या साहित्य का फौजदार बनकर श्लील एवं प्रश्लील का निर्णय करने की बात वहे तो वह ठीक नहीं हो सकती। यही बात सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में भी सही है। जिन लोगों का जन्म भर साहित्य से कोई सम्बन्ध नहीं आया, उन्हें किसी लेख के अश्लील अर्थ को पता चलाने का अधिकार देना उचित नहीं होगा। प्रचलित धारणाओं तथा परम्परागत रीति रिवाजों के विषद् कुछ अंश किसी लेख में मिल जाय तो अधिकारी वी हृष्टि में वह भी खतरनाक प्रतीत होता है। उसे लगता है कि उस लेख से समाज लड़-पुलट हो जायेगा। किन्हीं-किन्हीं अधिकारियों के स्थान ऐसे होते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आयेगा, वह भूठा तथा धोखेबाज ही होगा, ऐसी धारणा उन स्थानों पर लोगों की हो जाती है। वे सोग सशयी वृत्ति के बन जाते हैं। सामान्य नियम के अनुसार आरोपी को तब तक अपराधी नहीं माना जाना चाहिये, जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाय। यह कानून का आद्य तत्त्व है। तथापि अधिकारी लोग यह मान लेते हैं कि चूंकि छानबीन के लिये आई पुस्तकों को पुलिस बालों ने भेजा है, अत वे अश्लील निश्चित ही होगी। और तब वे उनकी छान-बीन करते हैं। सामान्य मनुष्य को विसी लेख के पढ़ने के बाद उसमें कुछ भी अश्लील अर्थ नहीं प्रतीत हुआ तो भी सेन्सर को या अधिकारी को उसमें अश्लीलता की दृ जहर आयेगी, चित्रपट नियन्त्रण मण्डल के विषद् लोगों की यही शिकायत है। जिन प्रसगों को देखकर सामान्य दर्शक को कुछ भी सास बात नहीं प्रतीत होगी, उन्होंने पर नियन्त्रण मण्डल की कंची चल जायेगी। अत समाज की हृष्टि से योग्य अथवा अयोग्य वया है, समाज को बीन सा साहित्य पढ़ना चाहिये तथा कीन से नियन्त्रण देखने चाहिये भावित मामलों के लिये विन्ही सामान्य वसीटियों का होना बहुत जहरी है। मनुष्य जो कुछ पढ़ता है, सुनता है, या देखता है, उन सब से प्रेरणा लिया करता है। वह इस सामग्री में से अपने लिये विन्ही विशेष प्रादर्शों का निर्माण किया करता है। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि जो लेख असम्मता से भरे हो, अश्लील अथवा धातक स्वरूप के हो, उन पर रोक जहर लगनी चाहिये। तथापि कानून में, जैसा हम पहले कह चुके हैं, इस बात की स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती कि निश्चित रूप से अश्लील तथा धातक किसे कहा जाय। 'समाज स्वास्थ्य' नामक मामिक पत्रिका के अकों को अश्लील बतला कर उसके सम्पादक के विषद् सरकार ने बारंबाई की थी। पर उस मुद्रणमें भी निश्चित रूप में यह मिद नहीं किया जा सका कि अश्लील विसे कहा जाय। यीन विषयों पर चर्चा को एक जमाने में अश्लील समझा जाता था। माना जाता था वह समाज की नीति के विषद् है। पर आजकल इस बात का प्रचार किया जाता है हि यीन विषयों की विधा विद्यार्थी तथा विद्यालियों को दी जानी चाहिये। एक जमाने में बर्नार्ड दाँ ने नाटकों पर भी इग्लैण्ड की सरकार ने पावड़ी लगा दी थी। सामान्यतया, अश्लील वया है, समाज की नीति पर हमसा बरने वाना वया है, यह टहराने समय जिस प्रकार

समाज में मौजूद मानवों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उसी प्रकार डिक्टॉर भी भाषण-स्वतंत्रता तथा विवार-स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। केवल मौजूदा नेतिहासीनों तथा पारलग्गों का इसी विवार करने से समर्जन की प्रगति नहीं हो सकेगी तथा नये विवारों का पहने ही गता थोड़ा दिया जायेगा। अतः उर्ध्वक दोनों हितों में विवार करके समाजीन को इन मामले में फ़ैकरा देना चाहिए। राज्य में कानून लोकमत के अनुपार रहेगा इस बात का दान-प्रतिशत प्राचीनता परिपूर्ण प्रजातन्त्र में भी नहीं प्राप्त होता। लोकमत आगे चढ़ना जाता है। नये-नये विवार अप्पण की भाँति आगे-आगे चलते हैं। समाज में जो दूरदर्शी तथा थ्रेट धैर्यशील व्यक्ति होते हैं, वे विवार किया करते हैं। उनके विवार खलबली मध्यने वाले होते हैं। सामान्यतया नये विवारों को धीमे-रीमे समर्वन प्राप्त होता है। एक व्यक्ति का मत अनेकों का मत बन जाता है। और तब उनका कानून के रूप में रुकान्तर होता है। कानून के बन जाने से मौजूदा विवारों तथा आदानी को प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। तब वे आदाने समाज के जीवन का अंग बन जाते हैं। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उससे आगे और प्रगति होती ही नहीं। लोकमत आगे चलता चला जाता है, और कानून अपने को उसके साथ बनाये रखने की कोशिश करता रहता है। लोकमत के लिये अप्पतिकर्त्त्व नहीं होता तथा कानून का भी कोई अन्त नहीं होता। अतः भइलील तथा अनुचित का निर्णय करने समय सरकार को प्रचलित एवं प्रतिशील दोनों प्रकार की बातों का विवार करके निर्णय करना चाहिये। सामान्यतया जनता में अभिविष्ट एवं सम्पदा की एक ऐसी मानवता होती है, जिसका बाहुन करना कठिन है। उसका स्वरूप क्या है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। तथापि वह रहती है और हर किसी को उसकी जानकारी भी रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अतः उसकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को जो वस्तु विसंगत प्रतीत हो, उसे प्रयोग एवं प्रशिष्ट कहने में कोई प्राप्ति नहीं होती चाहिये। न्याय की करवना जनता में होती है तथा उसकी जानकारी हर किसी को होती है। जब कभी अन्याय हो जाता है, तब सहज ही व्यक्ति के मूँह से निहल पड़ता है—‘मला यह भी कोई न्याय है?’ इससे जाहिर होता है कि उसके मन में न्याय एवं अन्याय वस्तु की जानकारी मौजूद है। इसी प्रकार अस्तीलता एवं श्लीलता के सम्बन्ध में लोगों की यह धारणा होती है कि जिस नाटक या चित्रपट को बीबी-बच्चों सहित देखने से हमें संकोच नहीं होता वह अस्तील नहीं है। यह कसीटी तात्पर्य सहेज केलकर की बताई दूरी है। संकोच में, कसीटी यह होती चाहिये कि जो वस्तु सर्वमापारण लोगों को शिष्ट प्रतीत हो, वह शिष्ट समझी जानी चाहिये। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें हर नयी लीज अविष्य लगती है। वे इन्हें वेदान्यासज्ज होते हैं कि किवित भी मनोरंजनतंत्रक वस्तु उन्हें अविष्य लाती है। समाज का हित-कोण दो चार स्वयंवर शिष्ट व्यक्तियों का हितकोण नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार को निश्चित करना चाहिये कि मुख्यिमुख्य एवं कुरुचिरुण व्या है। यदि ऐसी एवं अदूरदर्शी हितकोण से विवार किया जाय तो रामायण एवं महाभारत जैसे धर्मग्रन्थ भी अस्तील सावित होंगे। अभिवान शाकुन्तलम् के अनेक संवादों को हटा

देना पड़ेगा । तथा सामाजिक मामलों में प्रगति की हृषि से दिले गये सभी विचार गतरात सकते जाएंगे । यीन दिनों पर ही कोई विचार नहीं बढ़ेगा ।

अस्तीत यदा है ? समाज के हित के लिये इन यातों पर दोन समाज हैं, सामाजिक वातों का विचार उत्तरितिनिधि रीति में आजार एवं प्रतिशीत हृषि में लिया जाता जाहिये । समाज के जीवन के लिये दोनों में नाना प्रकार की गमध्यात् उठ गयी होती है, उनके सम्बन्ध में यीना जाता है, लिया जाता है तथा लिया जाता है । समाज का यातायरण जब पर्यादिरण हो जाता है, तब मन में दिले हुए सदैद तथा अनजाने में मन पर भ्रातर करने वाले पूर्णपद बाहर पा जाते हैं तथा उम्मे राम्यनिधि घट्कि का जीवन एवं मन प्रधिक प्रगति हो जाता है । बैंगे हीरे में धन्त्रात्र एवं भ्रतिरेक से युक्त होतर मनुष्य जब पुरानी बातों में लिया हर कर लियनी भ्रातर भरता है तब यह प्रधिक माप्रही एवं प्रगति पराद्भूत हो जाता है । मीमा में बाहर की मोर्चा-सत्ता एवं सनातनीपन समाज में—विदेशनवा प्रतिशीत समाज में—इष्ट नहीं होता । इसका पर्यं यह फ़दारि नहीं कि जो युद्ध नई यात दीरे, उसी के पीछे दोहना शुल्क लिया जाय । भ्रातान जिस प्रशार स्वतंत्रता के लिये बाधक है, भ्रन्यजान भ्रमया विकृत जान भी उसी प्रशार स्वतंत्रता के लिये बाधक होता है । भ्रत समाज में स्थापन हृषि तथा स्वतंत्र बुद्धि से विचार करने की प्रवृत्ति को स्वतंत्रता की हृषि से यड़ावा मिलना चाहिये । यह यात सदैव ध्यान में रखनी चाहिये कि विचार करने की जैसी स्वतंत्रता भ्रमने को है, जैसी धोरों को भी है । भ्रत: जो ध्यक्ति स्वतंत्रता लया विचार स्वतंत्रता के मर्म को जानता है, वह कभी भी दूसरों की भ्रावनाप्रो का निरादर नहीं करेगा । दूसरों की धार्मिक भ्रावनाप्रो का तिरस्कार करना जिस प्रशार गौजन्य का लक्षण नहीं है, वैसे ही स्वतंत्रता के मर्म के बोध का भी लक्षण नहीं है । आजवत्स मराठी के समाचारपत्रों में जो युद्ध लिया जाता है, उसमें गौजन्य तथा सदमाय की मात्रा बहुत कम नजर आती है । समाचारपत्रों के मार्गदर्शक तथा समाज के नेतृत्वक मादशों का रक्खक होना चाहिये । और इसी बारण मुद्रण की स्वतंत्रता को एक मोलिक प्रधिकार माना जाता है । तथाति इस प्रजातंत्र के युग में जिस पर वया प्रारोप लिये जायेंगे, यह नहीं कहा जा सकता । हाथ में समाचारपत्र हो तो सचाई पर परदा डाल कर, असत्य का ढोल पीटकर जिसी बनते हुए काम का पूरी तरह से नाश किया जा सकता है । जिस सत्य का बोध बाद विवाद द्वारा होना चाहिये, उसी की पहले भ्रममूल्य हो जाती है । उसके बाद जो बाद-विवाद होता है वह गाली-गलीज की धूल से सारे समाज को कलंकित कर डालता है । एक बार जब किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, तब सूक्तामूकत एवं योग्याद्योग्य किसी का विचार न करके बिछुपूर्वक एवं विकृत रूप से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं । विवाद विषय भले ही सार्वजनिक स्वरूप का हो तो भी वैयक्तिक जीवन की कथित एवं तथाकथित बातों को तूल देकर बदनामी एवं भ्रपक्षीति का उच्चाक हासिल किया जाता है । वार्य के स्थान पर वर्त्ता की आलोचना की जाती है । गाना मीठा है या नहीं इस बात का विचार न करके गायक की शक्तो-भूरत पर बहस की जाती है । तथा इस प्रकार मुद्रण की स्वतंत्रता तथा की स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग किया जाता है और तब पता चलता है कि

राज्य के द्वारा इन स्वतंत्रताओं के दुरुपयोग को रोकने के लिये उठाये जाने याते बदल वितने चाह्ये हैं। जब तक समाज में हमारी भपरीति भयवा भयमान नहीं होता, तब तक समाज में चलने वाले हृष्टदंग को हम आनन्द से देखते रहते हैं। जब हमारे घपने कार बोई भग्नाय हो, तभी हम उसके प्रतिकार के लिये कुछ करें यह बात ठीक नहीं, जिसी भी अवित पर भग्नाय होता हो, तो हमारा व्यतीक्षण है कि हम उसके विद्ध भी भावात उड़ायें। विरोधी दस बालों की समा में पश्चर सुधा चण्डलों की वर्षा होने का समाचार मुनकर कुछ सोंग मन-ही-मन आनन्द घनुभव करते हैं। पर ऐसे भी बहुतेरे होते हैं, जिन्हे यह मुनकर बुरा लगता है। पर वे नीतिज्ञापूर्वक चुप रहते हैं और जब प्रसंग उन पर आता है, उनकी धोती शोली जाती है, तब वे सामाजिक नीतिमता वी तथा सार्वजनिक जीवन की पुढ़ता की बड़ी-बड़ी बातें करते लग जाते हैं। इस प्रकार के दोनों एवं उदासीन सोंग सामाजिक स्वतंत्रता के दुरमन होते हैं, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसमें सत्य का अंश रहता है। जो बात सार्वजनिक जीवन के मामले में सही है, वही बात पार्मिक मामलों के बारे में भी सही है। अग्न धर्मीय भोग आपस में लड़ते भगड़ते रहे, तो लोगों की अच्छा लगता है। मुसलमान और ईसाई आपस में लड़-भगड़े, या ईसाई लोग किन्हीं अग्न धर्मियों के साथ लड़-भगड़े, तो साधान्य रूप से हिन्दू धर्मी लोग उशाईन बने रहते हैं। यदि सामाजिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, तो समाज में पार्मिक प्रस्तुताका विरोध किया जाना चाहिये। इसी प्रकार विचार स्वतंत्रता भयवा भारतीय संविधान में दी गई पार्मिक स्वतंत्रता तथा पार्मिक प्रवार की स्वतंत्रता का यह धर्म नहीं कि ये स्वतंत्रताएँ प्रसीम हैं। किसी धर्म की श्रेष्ठता एवं उदाततता का प्रदर्शन करना जुदा बात है। निन्तु विचार स्वतंत्रता का जाम लेकर उन-उन धर्मों के भावार तथा अदा स्थानों के विद्ध घपमान-जनक बातें कहता भयवा उनका उत्ताप्त करना सम्य सावित नहीं होता। धर्म विषयक विचार-विनियम तो अत्यन्त शेष बातावरण में होना चाहिये। सबाल यह पैदा होता है कि क्या इस गती-गतों घनुत्तरदायितापूर्ण आचरण तथा सामाजिक अद्याति को उसी प्रकार चलने दिया जाय? अवश्य ही उस सीमा तक मुद्रण पर बंदिम लगा देनी चाहिये। समाज का हिल तथा समाज की सांति के लिये यदि उत्तरा पैदा हो जाय, तो हर बोई कहेगा कि उन पर रोक लगाई जानी चाहिये और यह रोक स्वतंत्रता का अपहरण न होकर स्वतंत्रता की रक्षा ही है, यह बात भी मूँझम इसी से देखने पर बुद्धि को जेबने वाली है।

यदि साधुनिक राज्य के व्यापक पार्मित्र की ओर ध्यान से देखा जाये, तो ज्ञात होगा कि व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों पर राज्य का नियन्त्रण रहता है। भाषण, सभा तथा विचार की स्वतंत्रता है पर विचार स्वतंत्रता को मोड़ देने वाली उपमूलि ऐसी हीनी चाहिये, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप एक निर्पारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये। गत ४० वर्षों का इतिहास बताता है कि घनेक राष्ट्रों में वचपन से ही लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिसमें उनके मन तथा आदर्श एक विशेष संचय में ढंककर निकलें। शोवियत रूप में शिक्षा का सारा कार्यनाम सरकार ने घपने ऊपर से रखा है। वहाँ पाठ्यक्रम की वितावां से लेकर कवायद तक

वो सारी अवध्या राज्य के नियंत्रण में रहती है। 'विद्या रातो पावराधी दोगे
तो देगा उद्धरी' (पर्माणु नियन्त्रण में प्रभाव को बतायी है, जो देश का उद्यात्त
गाती है।) वा विद्यालय जाने विभिन्न घरों में हाथार घनुमत का विषय बन रहा है।
अब विद्या देने वाला तो बया, प्रभाव की रक्षा वो भी तात्पर में तोने वाला इतिहासी
रह गया है, ताकि राज्याधी वे शासी में बाह्य किये जा रहे हैं। महिलाएँ राज्य
पर गईं ति उन्हें बचने दात्यों के प्रधिकार में, बड़े हुए ति राज्य के प्रधिकार में;
राज्य उमरे घनन्तर गमान की नियोजन अवध्या के घटोन। इस अवध्या में जो कुछ
घण्टान में तिलाया जायेगा, उमरे घनुमत ही बचने को बुद्धि भी विद्यित होती।
इसका घर्षण यह हृषा कि उग्रता भन विकार करने के एक विदेशी गवर्नर में इन्हरे निक-
सेना तथा यह बुद्धि उत्तम होती ति जो कुछ गिलाया गया है, वही ऐसा एवं योग्य
है। इस सचाई की ओर ध्यान देने से यह प्रगति होगा कि विद्यार्थी की इच्छाका देने
भर से ही बात नहीं चलेगा। भन की रक्षागतागूर्वक विचार करने की प्राइवेट भी होनी
चाहिये। भारत में राज्य निपर्वत है, भ्रतः सामान्य वा से सूखों में धारित विद्या
नहीं दी जाती। इत्याही नहीं, नीति विषयक विद्या भी अब पश्चात् विद्याई का हित्या
नहीं रह गयी है। इसका थोड़ा-सा प्रभाव विद्यार्थियों की घनुगामन-हीनता में दिखाई
देता है। भारत में घनेक घर्षण है, जिनमें हिन्दू, गुगलमान, किंविष्यन आदि प्रमुख हैं।
वास्तव में सब पर्वों के पात्रतात्त्व एवं ही हैं, उनमें भेद नहीं है। नीति विषयक वत्प-
नाएँ भी सामान्य हा से एक जंगी ही हैं। तथाति विद्यी भी विद्या रास्था की इग्नो-
सास घर्षण की विद्या देने की धूट नहीं होनी चाहिये। वयोः कि घर्षणनिष्ठा वय घर्षण-
घत्ता में परिणत हो जाय, इसका बोई भरोसा नहीं। और जब एक भार घर्षणिता का
पागलपन समाज में आ जाता है, तब घर्षणित्युता उत्पन्न हो जाती है। और घर्षण-
हित्युता के बातावरण में स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो पाती। भ्रतः बचपन ही में बच्चों
में सहिष्णुता एवं सद्मादना वा बातावरण रहे, तो बच्चों में विचार-सीलता की
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जो बात घर्षण विषयक विद्या के बारे में है, वही बात सर्वधर्मी
सामान्य रूप से समाजसात्त्व की विद्या के बारे में भी समझनी चाहिये। परंतु राज्य तथा
राजनीति द्वारा वी विद्या देते समय वठमुल्लेपन से बाह्य नहीं रोना चाहिये। विभिन्न
मतों एवं विचारधाराओं का ज्ञान अवश्य दिया जाना चाहिये, उससे तुलनात्मक
विचार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ज्ञान प्रथमत, दिया जाना चाहिये। विचार
शक्ति के लिये घ्रवसर दिया जाना चाहिये तथा सारे विद्या के द्वेष में भनुहूल बाता-
वरण होना चाहिये। प्राचुनिक राज्य में विद्या वा महत्त्व बहुत अधिक है। हवियारी
के जमा करने की उपेक्षा की जा सकती है, पर विद्या की नहीं। शस्त्रास्त्रो की
सामर्थ्य किती भी बयो न हो, उन्हें चलाना मनुष्य ही को है; भ्रत मनुष्य की सामर्थ्य
अधिक होनी चाहिये। यदि उसका भन न हो तो वह वही बात को करेगा नहीं।
करेगा भी तो विगड़ कर करेगा। राज्य का ग्रन्थ है नागरिक। किसी दीवार की तात्पत्ति
उसमें लगी हुई ईटों पर आधित रहती है। कच्ची ईटों की दीवार पवरी नहीं हो
सकती। एकानी विद्या वाले नागरिक व्यापक हृष्टि के तथा मनुजित बुद्धि के नहीं
होते, यह स्पष्ट है। भ्रत, यदि आप चाहते हैं कि स्वतन्त्रता की रक्षा हो, तो

धापको सन्तुलित एवं व्यापक दुष्टि के नागरिक निर्माण करने होंगे। और ऐसे नागरिक निर्माण करना शिक्षा-शेष का काम है। अतः शिक्षा-शेष के सम्बन्ध में गरकार को सर्वसामान्य रूप से एक हपरेता खीच देनी चाहिये और तब उसमें आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। विद्यार्थी दशा में किसी खास विचार एवं उद्देश्य से बताये गये पाठ्यक्रम की पुस्तकों द्वारा मतों का लादना उचित नहीं। विद्यार्थियों में ज्ञान के सम्बन्ध में कुतूहल उत्पादन करने तथा सम्बन्धित विषयों में इच्छि उत्पन्न करने की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, ह्रास नहीं।

विद्यार्थी दशा में क्या पढ़ा जाय, इस बारे में सामान्य सीमाएँ सरकार द्वारा निश्चित हो जाने के बाद, जो भभीष्ट हो, जिसकी इच्छा हो, उसके पढ़ने की दूरी होनी चाहिए। विद्यमान सरकार या सत्ताधारी दल को जो सिद्धान्तत प्रिय है, वही पढ़ाया जाने का आप्रह ठीक नहीं। सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक शास्त्र से सम्बन्धित मत निरपेक्ष नहीं हो सकते। समाज के बदलते ही समाज-विषयक सिद्धान्त भी बदल जाते हैं। अतः समाज-शास्त्र सम्बन्धी किसी भी बात के प्रतिपादन में हठ से काम नहीं लिया जाना चाहिए तथा व्यक्ति को विविध हृष्टिकोणों से जानकारी दी जानी चाहिए व उसे स्वतन्त्रतापूर्वक निरांय करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। मत भले ही नवीन हों, विपरीत हों, घर्मन्धित से युक्त हों, भश्लील हों, इतिहास-विश्व हों, या धर्मासामाजिक हों, तो भी उनके प्रदर्शन पर राज्य की ओर से प्रतिबन्ध नहीं सगाए जाने चाहिए। सामान्य रीति से वे ही प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए, जो राज्य के आत्मनिक हित की हृष्टि से आवश्यक हों। अन्य प्रतिबन्धों का लगाना ठीक नहीं। पुस्तक प्रकाशन पर ही प्रतिबन्ध लगा देना एक अनुचित प्रतिबन्ध है। इस प्रतिबन्ध के लगाने से लोगों को पुस्तक में प्रतिपादित विषय की तथा लेखक के हृष्टिकोण की जानकारी नहीं होगी तथा उसके सम्बन्ध में नाना प्रकार के संशय लोगों के मनों में घर कर जाते हैं। इसी प्रकार विसी भी एक अधिकारी वो प्रतिबन्ध लगाने का हक दे डालना भी ठीक नहीं। जिस धर्मिकारी को नाट्य-शास्त्र की गन्ध नहीं; साहित्य से परिचय नहीं, वह यदि उठकर यह बहने लगे कि कलौं नाटक समाज के हित में नहीं है, तो इसे कहीं तक उचित ठहराया जा सकता है? यदि एक सिरे से लेकर सब पर रोक लगाई जाने लगे, तो समाज में नये विचारों के पनपने के लिए अवसर ही नहीं रह जायेगा। समाज का वैचारिक जीवन एक बन्द पानी वाले जोहड़ जैसा हो जायेगा। जहाँ किसी भी बात पर केवल इतने ही से प्रतिबन्ध लगे कि वह परंपरा तथा रीति-रिवाज के अनुसार नहीं है, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। और एक बार नये विचारों पर रोक लगाने के सिद्धान्त को मान लिया गया कि वह वही वही सही माना जायेगा जो इस बक्त प्रचलित है। तथा लोग समझेंगे कि इस समय शासन की बागड़ोर जिन लोगों के हाथ में है, उन्हें छोड़ अन्य कोई आदमी दुनिया में समझदार ही ही नहीं। सामान्य रूप से यह कोई नहीं बहेगा कि मत स्वतन्त्रता में विवेक या प्रतिबन्ध से काम लेना ही नहीं चाहिए। जो प्रतिबन्ध हों, उनके पीछे क्या

हिट्टिकोण हो, यह भी समझ लेना चाहिए। सामान्य रूप से उनके पीछे समाज के थेट्ट हित ही का हिट्टिकोण होना चाहिए। जिस मत स्वतंत्रता का हम विचार करते हैं, उसका अर्थ है वे सामान्य प्रदेश, जो समाज में निर्माण होते हैं तथा जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक जीवन से है। किसी व्यक्ति के अथवा उसके कृत्य के सम्बन्ध में बोलने तथा उसके सम्बन्ध में अपना मत प्रदर्शित करने जैसी बातों पर स्वभावतः अधिक प्रतिबन्ध होगे। व्यक्ति के जिन कृतयों का स्वरूप एकदम वैयक्तिक है, तथा जिसका सम्बन्ध किसी भी सार्वजनिक सावाल अथवा नीतिमत्ता से नहीं आता, उन पर मत देने के सम्बन्ध में देश में जो कानून बने हुए हैं, वे विचार करेंगे। अब तक हम जिस मत स्वतंत्रता का विचार करते आये हैं, वह स्वतंत्रता इससे भिन्न है। मत स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति की बदनामी अथवा अपमान करना स्वतंत्रता के अधिकार का सदृप्योग नहीं कहा जा सकता। किसी को शराबी, दुराचारी, पत्नी को मारने-पीटने वाला या वैईमान कहते किरना मौलिक स्वतंत्रता की थेणी में नहीं आता। अतः वह अपराध हो जाता है। हाँ, जब किसी व्यक्ति का आचरण सार्वजनिक महत्व का हो, तो उसकी आलोचना मौलिक स्वतंत्रता की थेणी में आ जाती है। कोई व्यक्ति कपटी हो, घोर कोई यह कहे कि उसके साथ व्यवहार करना सतरनाक होगा तो यह कहना क्षम्य ही माना जायेगा। क्योंकि ऐसे कपटी से सारे समाज को खतरा होता है। अतः ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रकट किये गए विचार अपराध नहीं होते। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में जो भी कुछ वहा जाय, वह सही हो तथा लोगों की भलाई में हो। मत स्वतंत्रता का अर्थ किसी की निन्दा करना कदापि नहीं। भूदण स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि भूठ-भूठ का जो भी मन में आये, वह निख दिया या लोगों की बदनामी कर दी या किसी की पगड़ी उछाल दी। विचारों का प्रकट करना या लिखना ऐसा न हो जो अपराध बन जाये। जो व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, उसकी आलोचना होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। पर कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में आये तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसके वैयक्तिक जीवन को लेकर समाज के चौराहे पर उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाय। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा करना शोभा नहीं है। कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो, तो उसकी पार्टी तथा उसके प्रोग्राम की आलोचना करना अनुचित नहीं। पर उसके वैयक्तिक जीवन ही की आलोचना करने लग जाना अनुचित है। यदि किसी व्यक्ति को दुराचारी तथा वैईमान होने के कारण नोकरी से हटा दिया गया हो, तो सार्वजनिक महत्व की बस्तु होने के नाते इस बात को कहना उचित ही होगा, बशर्ते कि यह बात सही हो। सभी सही बातों का सार्वजनिक महत्व नहीं होता। बेबल उन्हीं बातों को जनता के सामने लाना चाहिए, जो सार्वजनिक महत्व की हो। यदि किमी गवेंगे का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही निर्दय हो, तो उस समय इसका उल्लेख करना योग्य नहीं, जब उसकी गायकी की आलोचना हो रही हो तथा ऐसी बातों के उल्लेख को मत स्वतंत्रता नहीं कहा जा सके गा। क्योंकि इस सचाई का कोई सार्वजनिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत, यदि पार्टी का प्रोग्राम नशावन्दी का है, तो उम्मीदवार सब शराबी हों, तो उम्मीदवार के शराबी होने की आलोचना

अनुचित नहीं कही जायेगी, वशतें कि वह सचमुच ही शारीरी हो। किसी भी व्यक्ति के विलाप जो जी में आये सो बोलने, तथा जैसा जी में आये वैसा उसका अपभान करते या उसे नीचा दिखाने का अधिकार या स्वतंत्रता किसी को नहीं है। इस नियम का जो एकमात्र अपवाद है, वह हम ऊपर बता आये हैं। भत स्वतंत्रता का उपयोग समाज के हित में किया जाना चाहिए। सार्वजनिक हित की हृष्टि से मत स्वतंत्रता को काम में लाकर व्यक्ति जो बात करेगा, उसे संरक्षण मिलना चाहिए। बहुत दफा आलोचना में अतिशयोवित से काम लिया जाता है। पर अतिशयोवित का प्रायदिवस आसीचक को उचित मात्रा से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। उदाहरणार्थं चुनाव के लिए उम्मीदवार रड़ा है। आलोचक ने उनकी योग्यता एवं वकृत्व के बारे में बोलते हुए कहा—‘श्रीमुहूर्त ‘श’ जमुहाई लेने भर को समाशृंह में मुँह खोलते थे। इस कथन में बक्षता एवं दुर्जनता स्पष्ट है तथापि यदि इसमें सचाई हो, तो उनका यह कथन समाज के लिए हितकर ही सिद्ध होगा। सार्वजनिक जीवन घब इतना पेंचोदा हो गया है कि घब दिल्कुल नाप-तोलकर बोलना या लिखना उत्कृष्ट ध्येय होते हुए भी उस पर अमल करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रजातंत्री समाज-व्यवस्था में हजारों व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, भाग लेते हैं तथा सभी १०० फीसदी उत्तर-दायित्व से काम लेने वाले नहीं होते भतः जो कुछ भाषण में खोला या लेख में लिखा जाता है, उसके बारे में अदालत के सामने कोई ममला पेश हो तो अदालत को उस ममले में अधिक व्यापक दृष्टि से तथा सहानुभूति से काम लेना चाहिए। एकाध शब्द मुँह से निकल गया हो तो उसके लिए नुकसान भरपाई या दण्ड की सजा देना कानून के अनुसार होते हुए भी दिशेष न्याय का सूचक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों को विचारपूर्वक बोलना तथा संतुलित होकर लिखना चाहिए, यह हम भानते हैं, तथापि वैसा नियम या बोला गया है या नहीं इसका विचार करते समय बहुत बारीकी में काम नहीं लेना चाहिए।

समाज में व्यक्तियों के विश्वद बोलते समय विचार-स्वतंत्रता के सम्बन्ध में, तथा स्वतंत्रता की सीमाओं के सम्बन्ध में हम थोड़ा-सा मत प्रदर्शन तथा दिग्दर्शन पहले कर आए हैं। व्यक्ति के विश्वद मतप्रदर्शन के सम्बन्ध में हमें तभी विचार करना चाहिए, जबकि व्यक्ति का सम्बन्ध सार्वजनिक क्षेत्र से हो, अन्यथा वह अप्राप्तिक सावित होगा। समाज के रीति-रिवाज, समाज की परम्परा, धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक प्रथाएँ—धर्मति सामाजिक क्षेत्र में जो कुछ है या होता है, उसके बारे में मत प्रकट करते समय अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तथा उस स्वतंत्रता की सीमा या होनी चाहिए, इस पर थोड़ा-सा विचार हम कार कर आए हैं। तथापि राजकीय एवं धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता का विचार करते समय भत स्वतंत्रता का सबाल कुछ देढ़ी तीर हो जाता है। मनुष्य को कौनसे कपड़े पहनने चाहिए, कौनसा रोजगार करना चाहिए, इस सबाल में बहुत जबर्दस्त अन्तर है। मनुष्य का साना-सीना, पहरना-झोड़ना भादि बातें गोए हैं। भतः राजकीय क्षेत्र के मत स्वतंत्रता का सुकाल अधिक महत्व वा है। भतः उसका विचार हमें अधिक विस्तार से करना होगा। अब

मनुष्य पैदा होता है, उस समय समाज की जो परिस्थिति होती है, उसको उसी रूप में उसे स्वीकार करना पड़ता है। उसके पैदा होते समय जो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक रचना तथा राजनीतिक संगठन होंगे, उन्हे उसे वयस्क होने तक स्वीकार करना पड़ता है। उस समय उसके लिये कोई विकल्प या चुनने का मौका नहीं होता। मनुष्य पत्नी का चुनाव कर सकता है, पर माता-पिता का नहीं। उसी प्रकार पैदा होने से पूर्व मनुष्य यह नहीं कह सकता कि कलीं राज्य या फलीं समाज ही में उसे पैदा होने दिया जाना चाहिए। हाँ, पैदा होने के बाद, पैदा होने के समय की परिस्थिति को बदलने तथा बदलने की कोशिश करने का उसे पूरा हक हासिल है। डॉ० अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि 'भले ही मैं हिन्दू के रूप में पैदा हुया होऊँ, पर मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूँगा।' उनका यह बहुता उनके वैयक्तिक निश्चय का दोतक तो ही ही, साथ में उसमें मानवीय समाज के सम्बन्ध में एक विरन्तत सत्य की ओर भी संकेत होता है। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीय व्यवस्था को बदलने का व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार निविदाद है। जन्म देवायत है; पर पौहप पुर्यायत है, यह ध्यान में रखना चाहिए। तथापि सबाल यह पैदा होता है कि जन्म-सिद्ध अथवा सविधान-सिद्ध अधिकार एवं स्वतन्त्रता निरपेक्ष, नि.सीम अथवा सन्दर्भ-धूम्य हैं या नहीं? बोलने तथा प्रकाशित करने से सम्बन्धित मत स्वतन्त्रता में कुछ अन्तर है या नहीं? इसी प्रकार संकट-कालीन तथा शान्तिकालीन मत स्वतन्त्रता में कुछ अन्तर है या नहीं? जब चारों ओर हड्डताल, सत्याग्रह, विश्वोभ आदि का बोलबाला हो, उस समय राज्य की आलोचना करने की किसी स्वतन्त्रता होनी चाहिए? इसी प्रकार भाषण कहाँ दिया गया, इस बात का विचार होना चाहिए या नहीं, इत्यादि प्रश्न उपस्थित होते हैं। सामान्यतया यह नहीं कहा जा सकता कि सभी आलोचनाएँ, सद्वृद्धि या सद्भावनापूर्वक नहीं होती। इसी प्रकार सभी आलोचनाएँ दुष्टवृद्धि या हेपभाव से नहीं की जाती। कुछ आलोचनाओं में क्रियात्मक एवं उपयोगी सुझाव होते हैं तथा कुछ में मन को क्षतिशक्त करने वाले 'वाक्षत' होते हैं। सार्वजनिक मामलों में मत स्वतंभरता वा विचार करते समय सम्बन्धित व्यक्तियों अर्थात् आलोचनाओं वा उद्देश्य प्रघान नहीं होता वरन् आलोचना की सत्पत्ता तथा सार्वजनिक हित को हटिट से होने वाला उसका प्रभाव प्रघान होता है। सरकार के राजनीय कृत्यों की आलोचना होनी चाहिए, उसके सम्बन्ध में मत प्रदर्शन होना चाहिए। प्रजातन्त्री राज्य व्यवस्था में आलोचना तथा चर्चा प्रजातन्त्र की आत्मा है; उसका जीवन तत्व है। तथापि हर समाज व्यवस्था में अथवा राज्य व्यवस्था में कुछ दाइवत, मनातन तथा राज्य संस्था को जीवन लक्षित, प्रदर्शन, बरते वाली दातृ यथवद्य होती है। यद्यपि सबाल यह पैदा होता है कि दैनिक सामान्य वातों की आलोचना में तथा उन वातों की आलोचना में, जिन पर समाज सड़ा है, या जिन पर राज्य मनस्ति हुआ है, हमें कुछ पक्के बरना चाहिए या नहीं? लोहमान्य तिलच ने राज्य तथा मरकार ऐसा उपयोगी पक्के किया था। राज्य एक अचन्य-प्रतिष्ठ-मूर्ति है तथा सरकार एक उत्तम शूर्ति है। उत्तमवालीन शूर्ति की पूजा भी की जाती है और समय आने पर उसे विनाशित भी बर दिया जाता है।

‘प्रचन-प्रतिष्ठ मूर्ति है वह प्रचन-प्रतिष्ठ ही रहती है। इसी प्रकार प्रत्येक

राज्य को व्यवस्था एवं संविधान में शाश्वत, मौलिक एवं अपरिवर्तनीय तथा आशा-श्वत, अमीलिक एवं परिवर्तनीय तत्त्वों का निर्देश एवं संबोध अवश्य होता है। प्रचलित सरकार अथवा भौजूदा सत्ताधारी मन्त्रिमंडल की आलोचना करना या आलोचना की भरमार कर देना जुदा बात है तथा राज्य के मौलिक सिद्धान्तों की आलोचना करना जुदा बात है तथा प्रजातन्त्री राज्य व्यवस्था का एकदम विरोध करना जुदा बात है। सरकार के विषद्व बोलने या लिखने के मामले में स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा उस प्रकार भत प्रकट करना सरकार-द्वारा होगा पर राज्यद्वारा होगा। किसी गरकार विशेष के प्रति प्रनिष्ठाप्रकट करना योग्य है पर विसी भी प्रकार की सरकार नहीं चाहिए ऐसा कहना राज्य के विरोध में है। भत: वैसा कहना अयोग्य होगा। तथापि यह कहना आसान नहीं होता कि कोई भी आलोचना या भत स्वतंत्रता विद्यमान सरकार के विषद्व है या विद्यमान व्यवस्था के विषद्व। अंग्रेजों के राज्य में जिस आलोचना या लेखन को राज्यद्वारा कहा जा सकता था, उसे भव राज्यद्वारा नहीं कहा जा सकता। उस जमाने में सरकार तथा राज्य के बीच अन्तर नहीं किया जाता था। भव वह स्थिति नहीं रह गई है। सरकारें भव राज्य की मुनीम हैं और उनकी नियुक्ति एक निश्चित समय तक की जाती है। उस प्रवधि को बढ़ावाजा सकता है या घटाया जा सकता है। किसी नोकर को नोकरी से अलग करना हो तो उसे एक महीने वा नोटिस दिया जाता है। पर प्रजातन्त्र में विसी भी मन्त्रिमंडल को जनता अर्थात् राज्य की मालिक एक धरण का भी नोटिस दिये बर्गर हटा सकता है। भत: भत स्वतंत्रता का विचार करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी राज्य व्यवस्था प्रजातन्त्री है। भारत में सबसे पहला राज्यद्वारा का अभियोग लोकमान्य तिलक के विषद्व १८६६ में लगाया गया। उसके बाद स्वतंत्रता भिलने तक ऐसे अभियोग कई लगाए गए। सरकार के विषद्व आलोचना करने के अधिकार को साक तौर से कभी मन्त्रूर नहीं किया गया। केवल यही कहा गया कि आलोचना से सरकार के विषद्व अप्रीति या द्वेष उत्पन्न होने की सम्भावना है। भव यह स्थिति नहीं रह गई है। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को भाषण की स्वतंत्रता दे दी है। भव प्रश्न सिर्फ़ यही रह जाता है कि जो योग्य (रीजनेट) मर्यादाएँ हमने बताई हैं उनका पालन होता है या नहीं।

प्रस्थापित समाज-रचना के विषद्व, आधिक व्यवस्था के विषद्व, राजकीय व्यवस्था के विषद्व बोलना अपराध नहीं बरत् नागरिक को प्राप्त मौलिक प्रधिकारों का उपयोग है। भाज की परिस्थिति को पुराने मानो में राजद्वारा कहा जा सकता है। यह अपराध भव रह नहीं गया है। यदि आलोचना सीमा के बाहर हो जाय तथा कोई वह कि प्रस्थापित सरकार को हिंसा के रास्ते से हटाना चाहिये तो वह स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग है। इसी प्रकार संविधान में बताये गए वैध मार्ग से न बदल कर हिंसा के अवैध मार्ग से बदलने का प्रचार करना भी स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग है। हिंसा का आधय लिये बिना किया गया प्रचार हमेशा अपराध होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर जो प्रचार हिंसा का प्रावध लेकर किया जाता है, वह जिसंतर्याम प्रपराध

रिद होगा है, इसमें संदेह नहीं। तथापि प्रभार के गोपी और वय विद्या गदा इस बात का पर्याप्त स्थन, बात एवं गामाजिक परिभिति का विभार इन्हें दिना कोई निर्णय नहीं देगा। निर्दित तथा मोगिक दोनों प्रभार के प्रभारों का एक ऐसा ही हृषीका है, ऐसी बात नहीं। मोगिक प्रतिरोग का प्रभार मुख्यमन्त्री में हिन्दू मोग सीशन से करें, तो उसका जो फल होगा, वह हिन्दू ममी में करने में नहीं होगा। इसी प्रभार गोपय के बारे में एक दोभी प्रभागिक करने में जो फल होगा, वह गमा में इन्हें गमे अध्यास्यानात्मक प्रभार में फल गे जुदा होगा। यदि कोई गाम्यतादी सेवा एक निवन्ध लिंगे घोर उसमें यह प्रतिशादा करे कि भारत का सविधान पूँजीयादी स्वतन्त्र का है तथा सामान्य जनता को सूचने में इरादे में बनाया गया है; यह सोनों को चाहिये कि वे उसके विरुद्ध आन्दोखन करें तथा जनता के राज्य की न्यायता करें, तो यह नहीं कहा जा सकेगा कि उसने प्रभानी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग विद्या है। जैसा कि हम पहले पह आये हैं; समाज-रखना तथा राज्य-रखना को बदलने का अधिकार अविभाग को हासिल है। प्रश्न यही रह जाता है कि उसे बदलने के लिये इन उपायों का प्रतिशादन विद्या गया है तथा उस प्रतिशादन का समाज पर बया असर हुआ है। यदि उस प्रतिशादन में हिता के मार्ग का स्पष्ट एवं प्रशोधक निर्देश होगा, तो सीमा का प्रतिष्ठान साक है। तथापि वेदन सीमा के अतिक्रमण को देखकर ही गरकार को उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाने चाहिये। यान सीजिये कि उस विद्यम वी बात विनी पुस्तक या प्रन्थ में नहीं गई हो, तो हस बात का भी विचार करना चाहिये कि पाठी पर उसका क्या असर हुआ है। तथा सामान्य स्पृष्ट से नागरिकों की राजकीय चतुरता पर, समझदारी पर, कुछ न कुछ विद्वारा अवश्य करना चाहिए। जहाँ लोगों को पूरी जानकारी है कि वे मतदान द्वारा सरकार को बदल सकते हैं तथा अहितक क्राति कर सकते हैं, वहाँ लोग हिस्फ मार्ग का आधय करनी सके तथा ऐसी विचारधारा की उपेक्षा करेंगे। इसी मालोचनात्मक निवन्ध में केवल आलोचना ही हो, दोनों पक्षों का सन्तुलित मानोचन नहीं परवा एक ही पक्ष का आलोचन विद्या गया हो, दूसरे पक्ष को हाथ ही न लगाया गया हो, तो केवल इसे वह निवन्ध या प्रन्थ मत स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं सावित होता। मौजूदा बातों की स्तुति न करने के कोई भी आलोचना स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं हो सकती। प्रजातंत्र का यह अर्थ नहीं कि जो अच्छा है उसी को देखा जाय या जो बुरा है, तिर्क उसी की आलोचना की जाय। यदि कोई वैसा करता है तो वह अपराध भी नहीं। यह ठीक है कि चर्चा में साधक-बाधक दोनों ही पक्षों का समावेश होना चाहिये। तथापि यदि उसमें कोई एक पक्ष रह जाय, तो उसे मोतिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कहना चाहिये। राज्य के काम-काज के तथा शासन के दोषों को "दिलाना नागरिक का कर्तव्य है। वह यदि उन्हें दिलायेगा नहीं तो राज्यकर्त्ताओं को लगेगा कि उनके कामकाज में कोई शुटिन ही है। उनकी यह धारणा हो जाना कि वे सर्वथा शुटिहीन हैं; लोगों की स्वतन्त्रता की हृषिक से वह ठीक नहीं तथा भत में वह बहुत भयानक बात हो जाती है। आज भारत में इत्ती विचार-स्वतन्त्रता है कि गत १२ वर्षों में आशेषार्ह समझ कर जब्त किये जाने वाले राजनीतिक लेखों की संख्या बहुत ही नगण्य है। भारतीय सविधान की आलोचना करने वाली कित्ती ही पोथियाँ लिखी गई

हैं, इसी प्रकार राजकीय विचारधारा की दृष्टियो से किते ही निवंध भड़कीले भाषा में लिखे गये हैं। गत १२ बरसों में भारतीय जन-साधारण की राजनीतिक बुद्धि एवं राजनीतिक चतुरता पर्याप्त मात्रा में बढ़ी है। केवल निवंध से, चाहे वह 'शावहं' का हो या 'दामाडी' का, सामान्य जनता धुमध नहीं होती। जिन्हें अनुभवी तथा अन्यस्त कहा जा सकता है, ऐसे मनुष्यों को सत्या भारत में शर्नः-शर्नः बढ़ती जा रही है। भाज पूँजी-बाद के विरुद्ध जो भी कुछ पुस्तकों या अस्थारों में लिखा जा रहा है, वह बहुत ही मधुर एवं मिलनसारी से युक्त भाषा में लिखा जाता है। कठोर अथवा कटु भाषा का प्रयोग खुलम-खुल्ला नहीं होता। तथापि यदि इस मामले में किसी प्रसंग में कुछ अतिरेक हो जाय, तो उसे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता। यदि हिंसा का आश्रय लेने के लिए कहा जाता हो तथा उसके कुछ प्रभाव दृष्टिगत होने लगे हों; या हो चुके हों तो अवश्य वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग एवं अतिक्रमण होगा तथा उसे रोकने के उपाय करना सामाजिक हित की दृष्टि से उचित होगा। केवल हिंसा की गद आने भर से लेख को आक्षेपाहं समझ लेना—या जब्त कर लेना शासन की दृष्टि से व्यावहारिकता तथा राष्ट्र की दृष्टि से राजनीतिज्ञता का द्योतक सावित नहीं होगा। केवल राज्य के लिये या सार्वजनिक शान्ति के लिये खतरे की सम्भावना भर से स्वतंत्रता का अपहरण करना ठोक नहीं। खतरे या सार्वजनिक शान्ति के भंग की पूरी निदिच्छति होनी चाहिए; तथा यदि वह खतरा बहुत ही नजदीक प्रान पड़ा हो, तो सरकार द्वारा उठाये जाने वाले बदम समर्थनोप ही सिद्ध होंगे। और माथ हीं किसी एक शासक अथवा मन्त्री के यह कहने पर कि वैसी परिस्थिति है, सरकार द्वारा वीं गई कार्रवाई समर्थनोप नहीं मानी जा सकती। संयुक्त महाराष्ट्र के प्रान्दोलन में जिन व्यक्तियों को यह कहकर पकड़ लिया गया कि वे दोनों करेंगे, उनके सम्बन्ध में सरकार के कृत्य सर्वदा असमर्थनोप थे। तथा जिस मंत्री ने यह कहा कि यदि उन्हें पकड़ा न जाता तो आन्दोलनकारी सरकार पर कड़ा कर लेते, उसका यह कथन अद्वारदरिता-पूर्ण था। इसमें राजनीतिक भ्रातालासिकता भी थी। परिणाम की सम्भावना के आधार पर किसी के लेख पर रोक लगा देना नागरिकों के धर्षिकार का अपहरण करना है। और यदि इस शीति से लेंसों पर रोक लगाई जाने लगे, तो उसका असर विचार-स्वतंत्रता पर पड़ेगा तथा लोग विचार करने की आदत ही भुला बैठेंगे। मन निरिक्षण हो जायेगा तथा जीवन नि सत्त्व ही जायेगा। समाज का जीवन निस्तेज ही जायेगा तथा जो विद्यमान है, उसकी स्तुति नागरिक धर्म बन जायेगा। तथा विचारशून्य आज्ञा पालन नागरिकों का श्रेष्ठ कर्तव्य माना जायेगा। शासन समझने लगेगा कि वह संवर्जन है। तथा चूँकि लोग उसके बहे को मुनते हैं अतः उमे लगेगा कि लोगों को उसकी सब बातें मंदूर हैं। विस सरकार की आलोचना नहीं होती, जिस सरकार के कुछों को जीव जनता द्वारा नहीं की जाती, वह सरकार आगे चलकर मुट्ठी भर लोगों के हितों का ही ध्यान रखने लग जाती है। इसीलिये जीवों के राज्य में राजकीय विचारों की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। राजकीय विचार सामाज में टपकते नहीं हैं। उनके शिखर समाज में होने वाली दैनन्दिन बातों की नींव पर ही दृष्टि जाते हैं। उनका आकार एवं जित्तन-

व्यक्तिमान को प्राप्त होने वाले रोज के घनुभूमि द्वारा निर्मित होता है। जब कोई नागरिक कहता है कि पूँजीवाद यत्थ होना चाहिए; तो उस रामय उसकी आँखों के सामने पूँजीवादी-रचना में मज़दूरों का दौषण, ग्राहकों की आँखों में भोक्ती जाने वाली धूल तथा मालिकों का स्वार्थयुक्त बर्ताव रहता है। नानाविध लोगों की सम्मतियों पर आधारित विचारों में से मारे चलकर राष्ट्रीय नीति का निर्माण होता है तथा राज्य की प्रगति होती है।

मत स्वतंत्रता का विचार करते समय उसके माध्यम का विचार करना चाहिए, ऐसा हम पहले कह आये हैं। विचार स्वतंत्रता का माध्यम सामान्यतया भाषण, मुद्रण, आदि के प्रतिरिक्षित शिल्प, वित्तकला आदि भी हो सकता है। भाषण में सगीत एवं काव्य गायन इत्यादि का भी समावेश होता है। शायर डक पर थाप देकर शूरवीरों की पौवाडा गाये, तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। वह भाषण न भी हो, तो भी विचार-प्रदर्शन का एक प्रभावी साधन तो ही है। यही बात कीतन, काव्यगायन, आदि के बारे में कही जा सकती है। एक चहिका की मूर्ति बनाई जाय भीर उसके भाले का आघात अप्रिय व्यक्ति तथा विचार-सरणी पर होता हुआ दिखाया जाय, तो पह भी विचार-प्रदर्शन का माध्यम हो जायेगा। लिखित मरणा भाषित न होने पर भी वित्तकला, वला एवं शिल्प के द्वारा मत स्वतंत्रता का दृश्यप्रयोग किया जा सकता है। जब मत स्वतंत्रता का धाविकार प्रकाशन अथवा पुस्तक के द्वारा होता है, तब उस पर केवल इस बारण प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए, कि वह फलां व्यक्ति ने या फलां दल ने प्रकाशित किया है। शान्तिकाल में किसी प्रकाशन पर सामान्यतया प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। प्रकाशन से पूर्व भी प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये। बाद में भी प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये। तथापि किसी भी विचारधारा के उन्मुक्त एवं निप्रतिबन्ध रूप से समाज में प्रसूत होने से राज्य के लिये लतरा पैदा हो जायेगा ऐसा मानना उचित नहीं। सबाल यह पैदा होता है कि इस पर कुछ पावन्दी होनी चाहिये या नहीं। किन्तु आधुनिक राज्यों में संनिको के हाथ में उन्मुक्त रूप से प्रकाशित पुस्तकों को जाने नहीं दिया जाता। राज्य की सुरक्षा तथा प्रस्तिति अततोगत्वा संनिको की निष्ठा पर निर्भर करता है भीर यदि कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित हो जाये, जो संनिको की निष्ठा को विचलित करने वाली हो, तो ऐसे समय सभावित रतरा राज्य को भोल लेना चाहिये क्या? उसके विरुद्ध समय रहते प्रतिबन्धक उगाय करने चाहिए। क्या समतावादी समाजार-पत्रों पर संनिको के लिये प्रतिबन्ध होना चाहिये? लोक सभा में यह प्रतिपादित किया गया था कि प्रतिबन्ध होना चाहिये तथा यह भी दिक्षायत की गई थी कि संनिको के हाथों में सदा वामपक्षियों के ग्रस्तवार नजर आते हैं। संनिक एक नागरिक है तथा केवल इसलिये कि उसने वर्दी पहनी हुई है, उसे नागरिक के हक से वचित नहीं किया जा सकता। क्या संनिको को राजनीतिक स्थानों में जाने या उपस्थित होने का अधिकार होना चाहिये? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरिकता वी हॉट्स से प्रत्येक संनिक को मतदान का अधिकार है भीर किसे मत दिया जाय, इस बात का निर्णय करने के लिए उमे भी हर पक्ष की विचारधारा को समझने की प्रावधानता है। उसे मुनने का मवस्तर उसे मिलना चाहिये। यह तर्क

चरित है। साथ ही यदि सेनिकों में मुद्द गढ़वाल मध्य जाय, तो राज्य की मुरदाएँ बढ़िया हो जाती हैं और राज्य ही नहीं रह जाता, तब राज्य द्वारा दिये गये सारे प्राप्तिसामन, सारे अधिकार तथा स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। शहर की आवश्यकता कुछ नहीं न हो, पर राज्य तो एक युग की वस्तु है तथा उसको मुरदा एवं अस्तित्व को मौलिक एवं अप्राधिकार युपत माना जाना चाहिये। प्रस्तुत लेखक के मन में सेनिकों का राजनीतिक समाजों में जाना रुपा हर किसी का निटरेवर पृष्ठा अभीष्ट नहीं है। उम पर किन्तु बन्धनों का होना जल्दी है। सेनिकों को दिड़-मूड़ करने वाली परिस्थिति उत्पन्न करने में सरकार वा व्यवहार भी कारण बन सकता है। तथापि सरकार को सही रास्ते पर साना अपेक्षा उसे बदल दालना राज्य के मुरदा विभाग का काम नहीं है। सेना का काम नहीं है। वह वास सामान्य नागरिकों का है। मान सीज़िये, राज्य मौजूदा सरकार से बढ़कर किसी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दे और सेनिक वहने लगे कि यह युद्ध को घोषणा ठीक नहीं है; भरतः युद्ध करने में इच्छार कर चैंड़ तो क्या होगा? राज्य का खातमा हो जायेगा तथा पराजयता फैल जायेगी। इसी प्रकार मान सीज़िये देश में व्यवस्था उत्पन्न हो गई है, जिनता प्रसुध्य होकर दगा करने लग गई है, उसे शांत करने के लिए सेनिकों की बुला लिया गया है। ऐसे समय यदि सेनिक लोग कहे कि हम दंगों को नहीं रोकेंगे, तो क्या होगा? उसका फल समाज की हट्टि से निर्दिचत ही बहुत भयानक होगा। यह माना कि सेनिक लोग यंत्रवत् निर्जीव नहीं हैं। यह भी माना कि वे नागरिक हैं तथापि जो व्यवसाय उन्होंने स्वीकार किया है, उस व्यवसाय के मैतिक आदर्शों को तो उन्हें स्वीकार करना ही होगा। यदि वसाई वो बकरा काटते समय रखाई आ जाय, तो वहना होगा कि वह उस धर्म की हट्टि से अयोग्य है। सेनिक का वर्तम्य है कि उसे जो आदेश गिसे, उसका बर्गर किसी न नुन च के तथा पूरे तरह से पालन करे। दिया गया आदेश योग्य है या अयोग्य; इस बात का निर्णय करना उसका नाम नहीं है। भगव वह आदेश उसे अनुचित सगता हो, तो भी उसका कर्तव्य एवं धर्म यही बहुता है कि उसे उसका पालन करना ही चाहिये। विद्यमान कानून के अनुसार न्यायाधीश को न्याय देना चाहिये। वह ही सकता है, गलत हो, अनिष्टकारक हो तथापि उसे ताक मेरखकर न्याय देना सम्भव नहीं। यदि न्यायाधीश भपने भर्जी के मुताबिक न्याय देने लग जाय तो समाज में निर्दिचति नहीं रह सकेगी तथा कोई भी यह बताने में भस्मर्थ रहेगा कि कानून क्या है। यदि कानून के मुताबिक फैसला देना पसन्द न हो, तो न्यायाधीश की चाहिये कि वह भपने पद से हट जाय। दिया गया आदेश पालन करने की इच्छान हो, तो सेनिक को नीकरी घोड़ देनी चाहिये। परन्तु यदि नीकरी घोड़ने वी लूट दे दी जाय तो समाज की हट्टि से वह भी अयोग्य ही साक्षित होगा। देश की रक्षा के लिए जिन सेनिकों को वधों से लालीम देकर तैयार किया गया है, वे यदि मुरदा वा बवत आते ही नीकरी से हट जाया करें तो वही मुश्किल का सामना करना पड़ जायेगा। भरतः सेनिकों को यह अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। वहने वा अभिप्राय यह कि भरत स्वतंत्रता का अर्थ भले ही यह हो कि जो जी में आये सुनो, जो जी में आये लियो, जो जी में आये बोलो, तो उस पर समाज के हित को व्याप में रखते हुए, आवश्यक प्रतिबन्ध तो लगाने ही चाहिये।

इस हिंट से सेनिकों की राजनीतिक समाझों में जाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। विचारस्वतंत्रता के सम्बन्ध में सेनिकों को हिंट से प्रतिबन्ध होना चाहिये। इता ही नहीं, इकट्ठे होने तथा संगठन स्वतंत्रता के अधिकार पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिये। इस विषय में हम आगे विचार करेंगे।

कोई कह सकता है कि ऐसे भावण सुनने या उन्हें पुस्तक को पढ़ने से क्या होता है। संसार का अनुभव हमें बताता है कि विचार तथा कल्पना सामान्य बातें नहीं हैं। ये क्लान्ति के जन्मदाता होते हैं। बल्पनाएँ स्फोटक होती हैं। अतएव हर किसी विचार एवं कल्पना को खुली छूट दे देने तथा उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाने का फल जान बूझकर सामाजिक अशांति एवं सघर्ष को दुलावा देना होगा। इस विचारधारा में फुल तथ्य है। परन्तु साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि विचारों पर पावनी लगा देने से सामाजिक प्रगति में रुकावट पड़ जाती है। कल्पनाओं पर लगाया गया प्रतिबन्ध सामाजिक विकास के लिये प्रतिबन्धकारक हो जाता है। अग्नि रचनात्मक भी है, विद्वसक भी। इसी प्रकार मनुष्य की विचार-शक्ति तथा कल्पना-शक्ति भी रचनात्मक एवं विद्वसक दोनों ही प्रकार की होती है। अतः विचारों पर प्रतिबन्ध लगाना अभीष्ट नहीं। अप्रतिबन्ध छूट देना भी अभीष्ट नहीं तथापि इस बात का फैसला करना आसान नहीं कि कौनसी कल्पनाएँ घातक हैं या विनाशकारी हैं। इसकी व्याख्या करने वेंठे तो अनेक अडब्बते पैदा हो जायेंगी तथा अन्न में यह सारा पचड़ा एक वेवडूफो की बात साक्षित होगी। कर्णा विचारधारा से राज्य खतरे में पड़ जायेगा, यह कैसला बैठन करे? जो सोग सत्ताधारी हैं, उन्हे यह काम सौंग जायें, तो जो बात या विचारधारा उनके मन के विश्वद होगी, उसी को वे खतरनाक मानेंगे। समाज के भीतर, राज्य के लिये खतरा पैदा करने वाले जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे किसी वीं विवि वन्यना नहीं होते। विचार अनुभवों की देव होती है। जब तक कोई अनुभव न प्राप्त हो, तब तक व्यक्ति के मन में विचार जाप्त नहीं होते। किसी-न-किसी माझा में यह बात सौंगों की बुद्धि को जैच चाती है और इसलिए वह महसूस करने सिद्ध होती है। उस विचारधारा को जन्म देने वाला अनुभव समाज को आये, तो इसका यथं यह हूपा कि राज्य व्यवस्था में कहीं-न-कहीं कोई अभीया दोष है, यह स्पष्ट है। सामान्यतया मनुष्य की प्रवृत्ति वेदार के पचड़े या भूमें में पहने की नहीं होती। मनुष्य सदा धाराम से जिन्दगी विताना पसंद करता है तथा जो बुद्धि करने सके जाने हैं यथवा धर्मने विचारों वा प्रदर्शने वरना धारम्भ कर देते हैं तो इसमें मानी ये ही जाते हैं कि कोई बात ऐसी हो गई है, जिसका यहन बरना उनके लिये कठिन हो गया है। जब तक कोई बात मर्डों के विरुद्ध न हो जाये, व्यक्ति को ज्ञाप नहीं दाता, यह सामान्य अनुभव है। जब सोग गरवार या राजनीय वाम-वाम के विरुद्ध धोनने सकते हैं, तब वैसी ही कोई बात राज्य की सरकार के द्वारा हुई होगी, तो यह समुदान बरना गमत नहीं होगा। सरकार के विरुद्ध जब धर्मनों पर नियंत्रण होता है, तब उसे वामजूं का पता चमाना चाहा उन्हें दूर

करना हो युद्धिमत्ता की बात होती है। शक्ति का प्रदर्शन करके जबर्दस्ती जनता के असतोष को दबाने को कोशिश करना राजनीति शास्त्र के ज्ञान का परिचायक नहीं है। राज्य का सच्चा स्वरूप इस बात से जाहिर होता है कि उस राज्य के नागरिकों को राज्य की आलोचना का कितनी मात्रा में अधिकार है। यदि नागरिकों वो राज्य की आलोचना करने का अधिकार न हो, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के नागरिकों को सच्चे मानों में स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि आलोचना का अधिकार है, भत्तस्वतंत्रता की पूरी गैंजायश है, तो इसके मानों ये हुए कि वह राज्य प्रजाजनों के दुःख निवारण के लिये पूरी तरह तत्पर है। लोगों के दुःखों को दूर करने में राज्य जित्ती तत्परता दिखायेगा, उत्ती मात्रा में उसे लोगों की निष्ठा एवं प्रेम की प्राप्ति होगी। लोगों को आलोचना करने तथा अपने दुःखों को मुनाने की पूरी स्वतंत्रता हो, तो लोग गडबड नहीं करते। यद्योऽकि उस अवस्था में बंसा करने की उल्लंग ही नहीं रह जाती। तत्पर सरकार उपाय हूँड निकालती है तथा की गई आलोचनाओं की उपेक्षा नहीं किया करती। जहाँ कोई मुनवाई नहीं होती, पर्वाह नहीं की जाती, जहाँ अधिक आलोचना का फल अधिक उपेक्षा एवं अधिक उद्धासवृत्ति होता है, वहाँ लोगों का क्षोभ बढ़ जाता है और यदि उसके विहृद दबाव से नाम लिया जाय, तो गुप्त आनंदोलन युख हो जाते हैं तथा परिणाम अधिक भयानक होता है। लोगों की शिकायतों तथा दुःखों के आविष्कार पर प्रतिवंध लगाने से लोगों का असतोष कम नहीं होता। स्वतंत्रता के लिये की गई चोशिश, जित्ती दवाई जाय, उत्ती ही सिर ऊपर उठाती है। भाषण की स्वतंत्रता छिन जाने पर जो बात एक सभा में होती, वह गुप्त रूप में संकड़ों सभाओं में होने सक जाती है। जनता के नेताओं को बंदी बना ढालने से या निर्वासित कर देने से उनका प्रमाव कम नहीं होता बरन् दुगना हो जाता है। उनकी विचारधारा लुप्त नहीं होती, बरन् वह चारों ओर फैल जाती है। तिलक वो जेल में ढाल देने से स्वतंत्रता की इच्छा अनेक मुना बढ़ गई। सत्य को कुचलने से वह चिरन्तन हो जाता है। उसे मारने वी कोशिश करने से वह अधिक सम्मानित होता है। अतः स्वातंत्र्य तत्त्व तथा नीति दोनों ही इटियों से अधिक अभीष्ट सिद्ध होता है। जो लोग स्पष्ट बतता हैं, अप्रिय सत्य बोलने वाले हैं, वही सच्चे मित्र हैं। यह ठीक है कि सत्ताधारियों वो सुनिष्ठाओं की भ्रावश्यता रहती है; पर उनके सच्चे सम्बन्धी या मित्र वे होते हैं, जो अप्रिय होते हुए भी सत्य कथन करते हैं। जो सत्ताधारी लोग सत्य को दबा देते हैं, अपनी आलोचना नहीं होने देते वे अतंतोगत्वा विनाश की ओर चले जाते हैं।

विचार स्वतंत्रता के सेख द्वारा तथा भाषण द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों में अन्तर है, यह हम कह आये हैं। जब मनुष्य किसी लिखित पुर्जी को भी पढ़ता है, तो उस समय वह अपने ही सन्दर्भ में रहता है। चाहे वह उसे द्राम में पढ़े, ट्रैन में पढ़े या बस-स्टैण्ड पर पढ़े पर उसका वह पढ़ना वैयक्तिक रहता है। औरों को उसका ज्ञान नहीं होता। अतः उसका जो भी असर होता है, वह उसी के मन पर होता है। सभा में होने वाले भाषण की स्थिति इससे भिन्न है। वहाँ के भाषण का तथा थोताओं की भ्रतिक्षिया अर्थात् चेहरे में आने वाला फूंक, लोगों की तालियाँ, चौकाना-चिल्नाना-

पादि—दोगे प्रवार वता के खेदों में घाने पाते परं तथा एविट्ट धारि दा भी असर पड़ता है। भाषण वा पातापरण एवं गर्वने मायूरिंद्र होता है। जब कोई लक्ष्मि कोई सेता या गुलक पड़ता है, उग गमय सेता का व्यविश्वाय उनके लाभमें नहीं होता। आविभवि और अभिनय भी गही होते। सेता का यही पाठर को एवं व्याप्ति मानतर उनके मन पर प्रवार दालने वो व्योगिय करता है। घानी वशानामी वो उनके मन-घाने की व्योगिय करता है। यही सेता तर्वं वा पात्रप्रय सेतर पाठर के मन को प्रतिपादित विषय की ओर मायूरिंद्र रिया करता है। पाठर भी पृष्ठ-पृष्ठ या पहुँचने के बाद खोता-खिलाता नहीं है। 'ऐंगा होता ही खाहिं' इत्यरुपरात्मा नहीं है। पढ़ने के बाद सामान्य रूप से लोगों की प्रवृत्ति मनन की ओर होती है। मनन करने के बाद वह सामान्य रूप से उनके सम्बन्ध में घरनी राय जाहिर रिया करता है। पर सभा में ऐंगा नहीं होता। यही घोतामी वो प्रतिक्रिया उमों वरन् नजर भा जाती है तथा वे तात्पर्यों द्वारा प्राप्ता दम्य भावान्तः द्वारा घरनी रमन्द और नामन्द उमीं समय व्यता पर देते हैं और सामान्य रूप से यह सब इसी शीघ्रता से होता है कि गुनने तथा राय जाहिर करने के बीच प्रत्याविराम भी भी गुणजाइया नहीं रहती। जिन्हे सभामों वा—विदेशकर ऐंगे समय की सभामों वा, जबकि समाज में वापी थोभ हो—ग्रनुभव है, वे लोग जानते हैं कि एक सम्बद्धत एवं चलुर वक्ता सभा में इस प्रवार शाग भड़ा सदता है। महाराष्ट्र में तो मह मनु-भव सर्वविदित है। सभा सत्रम हुई कि लोगों ने परों में शाग लगाना शुल्क पर दिया, सभा सत्रम हुई कि राह चलते धादमियों पर हमले शुह ही गये, दुकानों को सूट लिया गया—यह रिस्ता हर किसी का जानाय-हनाना है। इसी प्रवार वह भी महत्व रखता है कि जो भाषण हुआ है, वह कही हुआ है? हरिजनों की वस्तियों में जाफर ज़ंजे वर्ण के लोगों द्वारा सामाजिक धर्माय के विश्व विषये गए भाषण वा वया घरतर होता, यह यात्रा प्रायः निश्चित रहती है। यदि वही भाषण सामान्य वस्तियों में हो, तो फल युदा होता। अतः हर किसम का भाषण करने की, हर किसी जगह भाषण करने की सूट देना, तथा उस सम्बले में राम्युणं स्वतन्त्रता देना समाज की दृष्टि से भर्मीष्ट नहीं। भुङ्ड बनाकर चलने (जुस्तम) का अधिकार, मोर्चा ले जाने वा अधिकार आदि सब अधिकार ग्रनुचित तो नहीं हैं, किर भी वातावरण धुम्प ही, तो जुलूम और मोर्चा ले जाने का फल मारपीट, शिरफुटीबल तथा भागजनी आदि हो जाता है, यह भी ग्रनु-भव यसाता है। अतः, सरकार की समाज की दृष्टि से, समाज की भलाई एवं सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी न करने देना या करने का अधिकार थीन लेना हितकारक नहीं है। जिन भाषणों से हिंसा को बढ़ावा मिलता हो, या मिलने की पूरी सम्भावना हो, तो भाषण पर वावदी लगाना उचित ही नहीं, सरकार का कर्तव्य कर्म हो जाता है। तथापि ऐसा समझ लेना कि वातावरण में थोभ होने तथा लोगों के युरी तरह कुद होने के कारण उस समय जो भाषण होता, वह हर हालत में लोगों को हिंसा पर उतार करने वाला होता होता, ठीक न होता। जैसा हम पहले वह आए हैं, परिस्थिति ऐसी हो कि खून-खराबी की पूरी सम्भावना हो, और यदि उस पर रोक न लगाने से वह सम्भावना एक ठोस सत्य बनने जा रही हो, तो सरकार द्वारा भाषण पर वावदी लगाना

योग्य है या नहीं, यह बात अधिकारी लोग युद्ध अपनी मर्जी से निश्चित करें यह ठीक नहीं। जिस परिस्थिति में उन्होंने प्रतिवाद दिया हो, उस परिस्थिति पर पूरी तरह विचार करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को उसके औचिरण की प्रतीति होनी चाहिए। इत्ता सोचने-विचारने के बाद वह पावंदी सगाई जानी चाहिए। भाषण ही चुकने के बाद पावंदी लगाने की बात यो अन्य कोई कारंबाई करने की बात सरतरी निगाह से देखने पर उचित प्रतीत होती है। बहुत कम वक्ताओं के प्रश्नोभजनक भाषण करने की उम्मीद रहती है। अतः भाषण से पूर्व ही किसी प्रवान्दीय घटना की समावना की लेकर सभा न होने देना सामान्यतया अनुचित प्रतीत होता है। तथापि हिन्दी सास परिस्थितियों में वक्ता पर या सभा पर अग्राह पावंदी सगाना समाज को हृष्टि से हितावह एवं आवश्यक मिठ्ठ होता है। वक्ता ने भड़कीला भाषण दिया तथा उसके फलस्वरूप दंगा-फसाद हो गया और उसके बाद कुछ उपाय किये गए तो वे निरर्थक मिठ्ठ होंगे, क्योंकि जो कुछ होना या वह तो हो ही गया होता है। अतः जिस वक्ता का पूर्व चरित्र ज्ञात है, सभा में जिस विषय पर चर्चा होने वाली है भयवा जो वक्ता लोगों वाले हैं, जिस स्थान पर वह सभा होने जा रही है, तथा जो लोग वहाँ आने वाले हैं, उन सबका ध्याल करके तथा भड़कीले भाषणों तथा दंगा-फसाद की समावना की पूरी तरह अखियों के सामने रखकर ही प्रतिवंधक उपायों की योजना की जानी चाहिए। जो अस्याचार होते हैं, उनके फल अन्य लोगों की भोजने पड़ते हैं। समाज के मुद्री-भर आन्दोलनकारियों को खुलकर लोगों की सूट दे देना समाज की हृष्टि से हितावह नहीं। भाषण होने पर यदि यह सावित हो जाय कि वह भाषण बहुत अधिक भड़काने वाला या तथा उससे दंगा-फसादों का होना या समाज में गड़बड़ी का मध्य जाना निश्चित हो जाय, तो उसके लिलाफ कदम उठाना तथा वक्ता को सजा देना उचित होगा। ही, इत्तो बात जल्द है कि वह भाषण स्पष्ट रूप से दंगा-फसादों को भड़काने वाला होना चाहिए। यह भाषण बैसा या या नहीं, इस बात का विचार करते समय वक्ता का बैसा करने का इरादा या या नहीं, इस बात का विचार करना जहरी नहीं। ही सकृता है, उसके इरादे बुरे न हों, तथापि उसके भाषण में जो शब्द प्रयुक्त हुए तथा जिस दौली एवं अभिनय के साथ वह भाषण दिया गया, उन सबसे यदि दंगा-फसादों का होना या हिसात्मक प्रचार का होना स्पष्ट हो, तो उस भाषण वो दोषकुपत माना जाना चाहिए। कोई भाषण इत्ते से दोषकुपत नहीं हो जाता कि सामान्यतया उस भाषण से समाज में अव्यवस्था तथा गड़बड़ी मध्य मतती है। निःसदै वह भाषण कब दोषी सिद्ध होता है कब नहीं, यह निश्चित करना न्यायाधीश का काम है। तथा उसी को देखना चाहिए कि उस भाषण का सामान्य जनता पर क्या भ्रमर होगा और तब भ्रमना फैसला देना चाहिए। सभा में विस लेवल के लोग ये, इसका भी उसे विचार करना होता है। इसी प्रकार भाषण के समय समाज में क्या स्थिति थी, इसका भी विशेष विचार करके उसे भ्रमना फैसला देना चाहिए। अगर कुछ ही लोगों को वह भाषण अत्रिप्य लगा हो, या समाजविरोधी लगा हो, तो न्यायाधीश को अपनी हृष्टि उनकी भाँति नहीं बनानी चाहिए। सामान्य जनता को उस भाषण के बारे में क्या सगता है तथा सामान्य जनता पर उसका क्या असर होता, इस बात या विचार किया जाना चाहिए। यह सम्भव है

कि भाषण में सरकार कठिनाई में पड़ गई हो, नाराज हो गई हो। तथापि सरकार की कठिनाई या नाराजगी पर व्यापारीयों वा फैसला प्रबन्धित नहीं रह सकता। भाषण स्वतंत्रता नागरिकों वा अधिकार है तथा समाज वा गुरुत्वा सरकार वा कर्तव्य है, इन दोनों वालों को ध्यान में रखने हुए फैसला दिया जाना चाहिए। भाषण में प्रतितित सरकार पर धरण्यन्त छठोर लालों में वास्तोचना हुई है, इसे ने उत्तरों आदेशांग नहीं गमनना चाहिए। समाज में कुछ सोच ऐसे होते हैं, जो गमनना में जो कुछ चल रहा है, उसके विरुद्ध एक लाल भी गुनने वो संघार नहीं होने। तथा कुछ ऐसे भी स्वयमन्य एवं अपने को सर्वज्ञ समझने वाले हठों अकिञ्चना भी सरकार में होते हैं, कि उन्हें इस प्रकार की भासोचना सहन नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भी भासोचना को राजदौह मानते हैं। नवीन विचार तथा प्रयोग उन्हें बाईं की तरह गटकते हैं तथा ये इस प्रकार के नव-विचार-प्रवर्तक लोगों को जैसे में दासकर समझते हैं कि हम समाज का भला ही कर रहे हैं। तथापि नागरिकों की मत स्पन्दनता का विचार करते समय तथा उम पर लगी सीमाओं वा निरेंग करते समय विस्त मुख्य सूत्र वा गवाल रखना होता है, वह है समाज वा आज्ञा का तथा आने वाले वस्तु का हित तथा वह हित भी किन्हीं इन-गिने खोगी वा या किन्हीं थोटे-मोटे दल का नहीं; यरन् गवं कामान्य जनता का हित।

उल्लिखित विचारधारा वा मुख्य भुदा यह है कि राज्यवर्तीयों के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण गुमाम नहीं होना चाहिये। इस विषय में अलिखित या लिखित संविधान द्वारा कुछ-न-कुछ सीमाएँ अवश्य होनी चाहिये तथा उनका पूरी तरह पालन किया जाना चाहिये। घृत बार ऐसे विचार प्रतिपादित किये जाते हैं कि नागरिक की हृष्टि से तथा राज्य की हृष्टि से जो सीमाएँ होती हैं, उनका विचार करते समय शान्तिकाल तथा सकट एवं सर्वप्रथम बाल का भेद अवश्य किया जाना चाहिये। दोनों स्थितियों में सरकार पर एक जैसे बन्धनों का रक्षा जाना तथा नागरिकों को एक जैसी स्वतंत्रता का प्रदान किया जाना ठीक नहीं। न वह अभीष्ट है, न व्यायोचित ही। समाज तथा राज्य व्यक्ति को गुखी रखने के लिये हैं। जहाँ यह दोनों सुव्यवस्थित रहते हैं, वहाँ शांति वनी रहती है और तभी व्यक्ति तरक्की कर सकता है। समाज की प्रगति भी तभी हो सकती है। राज्य का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के नागरिकों की रक्षा हो—जाहरी आक्रमणों से भी तथा भीतरी दंगों-फसाडों से भी। सुषुप्ति संरक्षण के बल राज्य ही से प्राप्त हो सकता है। राज्य का मुख्य लक्षण तथा कर्तव्य भी वही है। जब तक जीवन और धन के बारे में विश्वस्तता न हो, तब तक नागरिक स्वतंत्रता का उपयोग सम्भव नहीं हो सकता। 'सिर सलामत तो पगड़ी पचास' वाला व्याय यहाँ भी लागू होता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता वनी रहे तो राज्य में शांति और सुव्यवस्था को बनाये रखना बहुत ज़रूरी है। और नूँकि यह काम राज्य का है; अतः उस काम के लिये अवश्यक शक्ति राज्य के हाथ में ज़रूर होनी चाहिये। जब राज्य में गदर मचा हो, बाहरी दातु का राज्य पर आक्रमण हुआ हो, उस समय विचार स्वतंत्रता के गोलिक अधिकारों में कमी करने या उन्हें कुछ समय के लिये उठा रखने की शक्ति भी राज्य के

हाथ में होनी चाहिये। तात्त्विक हप्ट्या आन्तरिक विद्रोह पथवा याहुरी आक्रमण के कान्द में राज्य के हाथ में उल्लिङ्गित शक्ति के दिये जाने में इकार नहीं किया जा सकता। जब आन्तरिक विद्रोह मध्या हो, राज्य में फूट पड़ी हो, राष्ट्र विभक्त हो गया हो, समाज के दो टुकड़े हो गये हों, और उभय विचारसंरणी के लोगों ने वैष्ण मार्ग वो खोड़ अन्य मार्ग का अवलम्बन किया हो, उस समय भाषण तथा विचार संवेदी स्वतंत्रता का विचार तात्त्विक सादित होता है। जो बोलना होता है, वह बोला ही जाता है। वैष्ण मार्ग एक और हट जाते हैं तथा हिंसा ने लोगों के मन पर कब्जा किया होता है। ऐसी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं देता बस्तुतः हिंसा तथा स्वतंत्रता ये दो बातें एक हूँसरे के विरुद्ध हैं। और हिंसा के लोगों के मनों पर अधिकार कर लेने के बाद सच्ची स्वतंत्रता लोगों के मन से निर्वापित हो जाती है। जब चारों ओर तलबारे लगता रही हों, क्रान्ति की चीजों-पुकार मुनाई दे रही हो, उस समय उसका उच्चारण तक कोई नहीं करता। और जब दो पक्षों में से किसी पक्ष की जीत हो जाती है और वह सत्ताधारी बन जाता है, तब उसका पहला काम पराजित पक्ष को नेस्तोनावूद करना होता है। आपसी फूट में जो आपसी मुढ़ होता है, उसमें हारे हुए पक्ष को स्वतंत्रता से तो हाथ धोना ही पड़ता है, प्राणों की भी निर्दिचन्त्रता नहीं रह पाती। सफल क्रान्तिकारकों के सत्ताधारी बन जाने पर वे आतोचना के लिये इत्ये तुनुक्पिजाज बन जाते हैं कि तनिक भी आतोचना करने वाला व्यक्ति उनकी निगाह में प्रतिक्रियावादी एवं क्रान्तिकिरोधी बन जाता है तथा वे उसे नेस्तोनावूद कर डालते हैं। विजयोन्माद से युक्त होने पर शक्ति का दुरप्रयोग होता है तथा विजय से पूर्व के घ्येयदर्दी लोग विजय के उपरात प्रतिक्रान्तिकारक आपही एवं भसहिष्यु बन जाते हैं। इतिहास हमें बताता है कि क्रान्ति के सफल होते ही व्राती के जनक तथा नेतागण ही उनकी पहली बलि बनते हैं। विजयों पक्ष के कुछ अविरेकी बोलने लगते हैं तथा शक्ति की प्राप्ति के लिये लोकहिन तथा लोकानुनय का नीलाम किया जाता है और जो नेता उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्रान्तिकिरोधी माना जाता है तथा उन्हें शक्ति से दूर हटा दिया जाता है और उनकी रखानगी या परलोक में होती है या परदेश में होती है। रॉवर्ट स्टिवर का उत्तररण हमें यही बतलाता है। मार्च, १८१३ की रुक्षी क्रान्ति के जनक बो जो दिन देखने पड़े, वे भी यही दरसाते हैं कि क्रितिकारक जब सफल हो जाते हैं, तब शायद ही कहीं वे समाज प्रश्नापनों तथा राज्य के मुश्तिष्ठित करने के काम में नेता बन पाते हैं तथा सफल हो पाने हैं। ऐसा मनुभव सिंक्रान्ति भारत ही में भामा है। इसका बारण यह है कि सत्ता की प्राप्ति के बाद नागरिकों को सब प्रकार की स्वतंत्रताओं के उपयोग के अवसर मुक्त स्वयं दे दिये गये। शांति के बाल में मुराज्य की हृष्टि से राज्य के कामकाज की आतोचना होनी चाहिये। गृहयुद्ध के दिनों में तो आतोचना वा सबल ही नहीं उठता। गृह-युद्ध के सत्तम होने पर सरकार को स्पापना के बाद यदि स्वतंत्रता न रहे, तो वह सानाशाही शायन हो जाता है। क्रान्ति का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। 'क्या

यही भेरी तरस्या और त्याग का फल है, ऐसा कहने का प्रवसर आ उपस्थित होता है। गृहयुद्ध तो न हो, पर समाज में गड़बढ़ हो; राज्य सत्ता की तीव्र आलोचना होती हो; राज्य वी शांति भग होने की सम्भावना हो, तो उस स्थिति में नागरिकों की स्वतंत्रता पर किस प्रकार का अंतुष्ट होना चाहिये इसका विचार हम पहले कर आये हैं। जहाँ कही क्लान्ति हुई, वहाँ सत्ताधिकारियों ने जब भी विरुद्ध आलोचना को बंद करने की कोशिश की, उसे दबाना चाहा, तब वहाँ लोकमत को सत्ताधारियों को उखाड़ फेंडना पड़ा। गृहयुद्ध के बाल में नुस्ख प्रश्न होता है कि सत्ता किसके हाथ में रहे, कौन राज्य की बागहोर सेभाले। गृहयुद्ध न हो; पर राज्य में संघर्ष मचा हो, तो उस समय मुख्य प्रश्न होता है कि राज्य सत्ता की नीति क्या हो तथा उसका अवधार कैसा हो। यह भी सच है कि गृहयुद्ध से पूर्व का संघर्ष मदि किसी संगठित पक्ष के द्वारा निर्माण किया हुआ हो तो शनै-शनैः उसका मुकाब गृहयुद्ध की ओर हो जाता है। और यदि वेद रीति से सना हाय में न प्राई हो, या सम्बन्धित पक्ष ने अवैध मार्ग को अपनाया हुआ हो, तो राष्ट्र गृहयुद्ध की मंजिल पर पहुँच जाता है। गृहयुद्ध का फल सामान्यतया निरुपिक कुश्ती के समान होता है। एक पक्ष के हाथ में सत्ता आ जाती है और दूसरा पक्ष परास्त हो जाता है। नट हो जाता है। सत्ता प्राप्ति के बाद नागरिक स्वतंत्रता का मवाल पैदा होता है। पर उस समय जो लोग पराभूत हो जाते हैं, वे देशबोही माने जाते हैं। जो लोग विद्रोही थे, वे सफलता मिलने पर सत्ताधीश बन जाते हैं। सफल क्लान्तिकारकों के सामने प्रश्न मह उठ रहा होता है कि उनके विरुद्ध विद्रोह न हो, इनके लिए तथा तरीका विद्या जाय। और तब जो तरीका बास में लाया जाता है, उसके धाराहर पर यह निरिचित विद्या जाता है कि जो राज्य ग्रस्तितव में भाग्या है, उसका स्वरूप क्या है। सच देता जाय तो दोनों ही दल यस्तात्त्वों वो काम में लाते हैं; प्रत्येक पराभूत पक्ष के लोगों द्वारा, हिंग वा अवस्थान बरने के बहाने, एक सिरे से फौसी पर बड़ा देना या फौजी घटालत के मार-फत गोली से उड़ा देना न्याय के मनुकूल नहीं होता। पर उस समय जो लोग सच्चायारों बनने हैं, वे न्याय वो एक वेदार का अडगा मानते हैं। जिन लोगों ने उग धार्मोत्तम में भाग नहीं लिया, उन्हें भी सत्ताधारी लोग स्वतंत्रता हथा मीलिक प्रधि-वारी वा उत्तमोग नहीं बरने देने। जहाँ कही लेगा होता है, वह नागरिक स्वतंत्रता भी हाटि गे अनुचित है। सत्ता हस्तगत बरने वालों वो याद रखना चाहिये कि जिन लोगों ने गृहयुद्ध में भाग लिया है, वे लोग गृहयुद्ध से पहले एक ही राज्य के नागरिक थे। एक ही राष्ट्र वे गभागद थे तथा गृहयुद्ध के पश्चात् भी उगी भवस्था वो गुन न्यायित बरने में ही न्याय है, भौवित्य है तथा नवे सनापरियों के लिए निरिचितता है।

गामान्य ग्रनुभव हमें बताता है कि वाति वे पदवान् बहुत दद ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ गमा हानिर बरने वालों ने गमा वा दुरामोग न लिया है। धार्षुनिक भारत में एव तर गृहयुद्ध की वरिग्यिति नहीं थाई, तथारि उसमें पूर्व के बास में गृहयुद्ध उगापिकार की धगद भाग्य बरला था। जब लेगा मौरा भाग्य था, तब उगापिकारियों-उगापिकारियों के बोच समझा होगा था। दद दो दम बन जाने में और

उनमें सज्जाहृषुल हो जाती थी। जो लीतता यह गदी पर बैठता। गदी पर बैठने पर या तो उसे यमतोक जाना पड़ता या राज्य से बाहर निकल जाना पड़ता। उन दिनों प्रजातंत्र नहीं होता था अतः मानव जनता इस गृहयुद में भाग नहीं लेती थी। सरकार लोग या उत्तराधिकारियों के इष्टमिश्र ही उसमें भाग लेते थे। माहजर्ही के पुत्रों में हुई सज्जाइयी उस काल के गृहयुद के स्वरूप पर प्रकाश डानती हैं। इतिहास में भ्रातृहत्या तथा पितृहत्या तक के उदाहरण निल जाते हैं। मगा हाथ में आते ही प्रतिप्रशब्द के उदाहरण मराठों के इतिहास में उत्तराध नहीं हैं। जो राजगदी पर हो या जो आने वाला हो, उसका मुलतम-मुलना वध किया जाता था। नायनिक स्वतंत्रता की कल्पना उन दिनों प्रचलित नहीं थी। इस कारण सत्तरा प्राप्ति के बाद किम्बा वध हुआ, औन मधिकारच्युत किया गया, इस बात की महत्व प्राप्त नहीं था। जिसके नाम की मुरादी हुई या छंका वध, प्रजा उसी के लिए हो जाती थी। ही, एक बात जहर है कि सत्ता प्राप्त होने के बाद सत्ताधारी लोग हाथ में आई सत्ता का दुश्ययोग ही करते हैं। अमेरिका के इतिहास में गत शताब्दी के मध्य में, उत्तर के तथा दक्षिण के राज्यों के बीच युद्ध हुआ तथा उस गृहयुद में जो विजयी हुए, उन्हींने हाथ में आई सत्ता का दुश्ययोग ही किया। इसी प्रभार माधापारण तथा संकटकालीन परिस्थिति के उत्तम हो जाने पर कानून दारा दिये गये विशेष मधिकारों का भी दुश्ययोग हुए बिना नहीं रहा। १६१६ में भारत में, विशेषतः पंजाब में, माझंत नौ लाख कर दिये जाने के बाद जो कुछ हुआ उसका तात्पर्य यही है कि हाथ में मधिकार के साथ ही पनुष्य मदमत हो उठता है। उसका विवेक रह नहीं जाता। मधिकार तथा कानून दोनों का दुश्ययोग होता है। न्याय के साधारण तर्फों की भी उपेक्षा कर दी जाती है। दोडे से प्राराघ पर कड़ी-मे-कड़ी सजा दी जाती है। वामकाज की रोति की भी उपेक्षा कर दी जाती है। कोजो कानून का यही घर्षण सागरा जाता है। अमूल-सर में जो कुछ हुआ, उसमें भी यही कुछ प्रकट होता है। १६३० में शोलायुद में जो हुआ वह भी यही प्रकट करता है। जहौ-जहू जोर-जबरदस्ती की गई, वहू-वहू जोर-भी घटनाये हुई हैं, उनमें यही प्रकट होता है कि एक बार जोर-जबरदस्ती से काम लिया जाने वाला कि व्यक्ति के सारे मधिकार, सारा मालमता, खोबन, प्रतिष्ठा आदि सब नष्ट हो जाता है। राज्यकर्ता समझने लगते हैं कि वे तन्दार तथा साक्ष के बल पर शाति तथा व्यवस्था बनाये रख सकते हैं तथा लोगों की प्रीति भी प्राप्त कर सकते हैं। शाति और व्यवस्था हो तो जाती है, पर घस्तोप की एवं द्वेष की भाग भी तर ही भीतर लोगों के मन में सुनिश्ची रहती है। समूद्र में जिस प्रकार बड़वानल प्रवर्षित होता है, उसी प्रकार लोगों के मनहों समूद्र में द्वेष प्रवर्षित होता रहता है। और राज्य के प्रति लोगों की निष्ठा कम हो जाती है तथा राज्यकर्तामों को जनता का प्रेम प्राप्त नहीं होता। उसी राज्यक्रान्ति में पहले जारीही ने यही किया तथा जारीही को यही अनुभव प्राप्त हुआ। और मन्त्र में १६१७ में विद्र में एक अमूल-पूर्व भाति हुई। यही कुछ अमूलसर तथा शोलायुद की घटनायों के बाद हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के आनंदोत्तन को ५० वर्ष तक कुचलने की कोशिश की गई पर उसे कुचला नहीं जा सका। उससे स्वतंत्रता आनंदोत्तन की और ज्यादा बढ़ावा पिला,

उसी तात्पुर और ज्यादा यही तथा उमे प्रधिक प्रगतराष्ट्रीय प्रतिष्ठान हासिल हुई। जोर-जुल्म से भले ही कोई न्याय वा स्वांग भर सके, पर उठी मानों में ज्यादातीम के हाथों न्याय नहीं मिल पाता। ज्यादातीम वही तथाम सरकार ने हाथ में होनी है। धार्मिकरणी (एकीश्वरित्व) द्वारा ज्यादात वा धर्म होता है ज्यादात ने इत्तर करना। और शांति एवं अपरस्पा की रक्षा के नाम पर सरकार को पहुँच करना पड़ता है, ऐसी जब सरकार की ओर से दुश्मानों ने जाती है, तब उसका धर्म इत्तर होता है कि शांति स्वाधान के नाम में ज्याय बुद्धि वा गता पांडित दिया गया है।

अब ताह हम यह विचार कर रहे हैं कि विचार स्वतंत्रता की वया सीमाएँ होनी चाहिए—शांति वाल में, शांति भंग होने के बान में तथा प्रत्यभा दृह-युद्ध दिल जाने के कान में। अब हम इस विषय पर विचार प्रस्तुत करने कि विचार स्वतंत्रता की उस समय वया सीमाएँ हों, जब देश पर दूसरे देश वा प्राक्षण्य हुआ हो, तथा देश युद्ध में लगा हुआ हो। युद्ध के समय उत्तरित की स्वतंत्रता एवं नागरिक धर्मिकारों का जो सवाल पैदा होता है, उसका हर पर्याप्त भिन्न होता है। उस समय गवर्नर महत्व वा विषय होता है जीवित रहना। राष्ट्र यदि जीवित रहा, तभी नागरिकता की बात की जा सकेगी। राज्य वया रहा तभी नागरिक स्वतंत्रता की बात की जा सकेगी। तात्पर्य यह कि सिर गलामत रहे, तभी पगड़ी की बात हो सकेगी। मान सीजिये कि परदेशी सेनाएँ हुमारे देश की सीमा पर राढ़ी हैं या सीमा के भीतर आगई हैं। ऐसे समय यदि कोई नागरिक धर्मिया वा प्रचार करने लगे, वह कि सदो मत, सेना में भर्ती मत होगो, सरकार को पैसे में मदद मत दो। सो उस समय सवाल यह पैदा होता है कि नागरिक धर्मिकारों एवं विचार स्वतंत्रता के नाम पर उसे वैता प्रचार करने दिया जाय या उसे पकड़ कर जेल में डाल दिया जाय। और हम सवाल का एक ही जवाब यह है कि उसे राष्ट्र के हित की दृष्टि से जेल में डाल देना चाहिये। इसी प्रवार वेवल यही न हो कि दुश्मन की खेनाएँ सीमा पर राढ़ी हैं या भीतर चली आई हैं, चलिए एक-एक करके हुमारे गौव और कस्बे दुश्मन द्वारा जीते जा रहे हों, उस समय यदि कोई भाषण एवं प्रवादन की स्वतंत्रता वा उपयोग करते हुए लोगों के हौसले को कम करना घुरु कर दे, तो उसे भी वैता नहीं करने दिया जाना चाहिये, यह बात हर कोई स्वीकार करेगा। शांति के बाल में व्यक्ति के धर्मिकारों में एक प्रकार की वैयक्तिकता बनी रहती है। और उन पर भंडुश लगा भी दिया जाय तो वह केवल व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। पर दुश्मन के हमले के दिनों में वैसी व्यक्ति विषयक भावना नहीं रह जाती। जो हमला हुआ होता है, वह सारे राज्य पर होता है। जो रक्षा करनी होती है, वह व्यक्ति की नहीं, बल्कि सारे राज्य की करनी होती है। इस अवस्था में, राज्य के व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाते, वे सब राज्य एवं राष्ट्र का संगठित रूप बन जाते हैं। वह एक असामान्य परिस्थिति होती है। जिदेंगी और मौत का सवाल व्यक्ति की दृष्टि से नहीं; राष्ट्र की दृष्टि से उत्पन्न होता है। ऐसी हालत में दार्शनिक विचार प्रधंहीन हो जाते हैं। वैयक्तिक धर्मिकार अप्रस्तुत मानित हो जाते हैं। सब के मन एक ही बात पर केन्द्रित रहते हैं या उन्हे होना चाहिये। अतः शांति तो दूर, गृह-युद्ध के काल में भी जो विचार धर्मिक महत्व

रहते हैं, उन्हें भी इस समय अर्थात् युद्ध के प्रसंग में स्थान नहीं रहता तथा रहना भी नहीं चाहिये। तथापि प्रत्यक्ष युद्ध होने के समय, युद्ध के बालू रहते समय, युद्ध स्वरूप हो जाने पर तथा सबसे महत्व की बात पह कि युद्ध शुरू होने से पहले व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में क्या दृष्टि होनी चाहिये; इन सब बातों का विचार करना बहुत जटिल है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति विगड़ रही हो, युद्ध होने की सम्भावना बहुत बढ़ चली हो, भासमान में बादल घुमड़ रहे हों, हवायें बहने लगी हों, विजलियाँ भी चमकने लगी हों, ऐसी अवस्था में नागरिकों को क्या करना चाहिये—क्या वे चुप रहें तथा अपने विचारों को मन ही में रखकर निश्चिय बने रहे? कुछ लोगों के मत में सम्मव है कि मौजूदा सरकार की नीति गलत हो, कुछ लोगों की राय में युद्ध होने से देश का संवर्णना होता हो; तो सबाल यह पैदा होता है कि उस समय उन्हें अपने विचारों को प्रकट करना चाहिये या नहीं। यदि एक और यह आशंका हो कि अपनी राय को मुल्लमुल्ला प्रकट कर देने से शत्रु का समर्थन होता है, उसे अच्छा लगता है तो दूसरी ओर यह भी खतरा बढ़ जाता है कि राय के जाहिर न करने से मौजूदा सरकार की ग्रनुत्तरदायिता और अधिक बढ़ जाय। जो लोग सरकार के विरोधी होते हैं, उनका भी अपना एक दृष्टिकोण होता है, उनके भी कुछ सिद्धात होते हैं तथा यदि वे प्रत्यक्ष संकट के उपस्थित होने से पहले अपने विचारों को जनता के सामने न रखें तो एक दृष्टि से उनकी बड़ी भारी कर्तव्यचयुति होगी। नागरिक के कर्तव्य उस समय निश्चित रूप से क्या है यह बताना नागरिक के लिए भी कठिन हो जाता है। क्योंकि उस समय वह जो कुछ करेगा, उसके परिणाम बहुत दूरगामी होगे। उसका प्रसर केवल देश पर ही पड़े सो बात नहीं, विदेशों पर भी उसका प्रसर होता है। केवल इसलिये कि युद्ध की परिस्थित उत्तम हो रही है, क्या नागरिकता के अधिकारों को तिलाजनि दी जाय? या उन्हें निप्रभ कर दिया जाय? या युद्ध के पारम्पर होने के बाद सब प्रकार की स्वतंत्रताओं को स्थगित कर दिया जाय? इन प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल होता है। युद्ध शुरू होने से नागरिकता स्थगित हो जाती हो, ऐसी बात नहीं है। युद्धकालीन स्थिति के नाम से राज्य हमसे अधिक सेवा तथा सहयोग की इच्छा रखे इत्ता ही नहीं अनिवार्य भी बरदे, तथा हम उसके बारे में कुछ भी न बोलें, कुछ भी न लिखें, युद्ध विरोधी कुछ भी काम न करें, इस बात की हमसे सिर्फ उम्मीद ही न रखें बरन हम पर बैमा न करने के लिए ददाद भी ढालें, तो उस अवस्था में सरकार का भह काम उचित होगा या ग्रनुचित यह कहना कठिन हो जायेगा। आप भी सोचिये, राष्ट्र ने जिस युद्ध की घोषणा की है, वह यदि किसी की सम्मुच ग्रनुचित लगता हो, तो वह या करे? युद्ध किसी छोटे राष्ट्र के साथ हो या बड़े राष्ट्र के, छोटे पैमाने में हो या बड़े पैमाने में, प्रस्तु यह उठ खड़ा होता है कि उसका उद्देश्य उचित है या नहीं यह निश्चित करने पर आधिकार, युद्ध के घोषित हो जुकने के बाद, व्यक्तिगत नागरिक की है या नहीं। केवल इसलिये कि सरकार ने युद्ध घोषित किया है, नागरिक अपने मन की बात को जाहिर न करे तथा युद्ध के बारे में विचार तक धरना छोड़ दे तो इसका धर्य यही होगा कि मौजूदा सरकार को कोरे कागज पर दस्तखत करके दे दिया है, आगे उस पर चढ़ो जो जो में ग्राम सो लिय दाले। सच पूछिये तो संकट के पाल में सरकार को आओ-

चना की मावश्यकता उदादा होनी चाहिये । तथापि इतिहास हमें बताता है कि जो सोग सात्त्विक दृष्टि से तथा व्यावहारिक दृष्टि से युद्ध का विरोध करते हैं, सरकार उनके विष्ट लोकमत को बलुवित करने का प्रयत्न किया करती है । जिन लोगों को लगता है कि जो युद्ध घोषित हुआ है, वह उचित है तथा उसमें सरकार की कोई गतती नहीं, उनके बारे में कोई प्रश्न उपलिख्यत ही नहीं होता । वे लोग अपनी बात कहते भी हैं तथा युद्ध में सहायता भी करते हैं । पर जिन्हे यह संगता है कि युद्ध की घोषणा उचित नहीं है, वे क्या करें? उन्हे दिन से यह महसूस होता है कि जो युद्ध होने जा रहा है या हो रहा है, वह सब तरह से अनुचित है तथा उससे राष्ट्र का प्रहित होगा । तब उन्हे अपना मत प्रदर्शित करना चाहिये या नहीं? पुनर्श्च, वेघल मत प्रदर्शित करके ही एक जाये या युद्ध-विरोधी कोई मोर्चा भी खड़ा करें? और मान सीजिये, उन सोगों ने दौसी कोई बात की, तो मेरा राज्य की रक्षा के लिये मौद्रिक सरकार को बधा करना चाहिए? पहले विश्वयुद्ध के समय इगलेंड के वित्तने ही मजदूर नेताओं को युद्ध प्रिय नहीं था । उन्हे अपने मत को स्पष्ट रूप से प्रकट करना एक नीतिक कर्तव्य प्रतीत हुमा तथा उन्होंने उसके अनुरूप व्यवहार भी किया । युद्ध शुरू होने पर अपने मतों का त्याग करके सरकार की नीति को मजूर करने में नि संदेह देशभक्ति का काम है । पर इससे थेष्ट नीतिकता को बहुत संगता है । बहुतों को यहीं संगता है कि युद्ध या अर्थ है वहें पैमाने पर तथा बहुत बड़ी तादाद में भनुत्यों की हत्या करना । यदि एक अवित्त दूसरे अवित्त को जान से मार डालता है, तो उसे हत्या या खून का नाम दिया जाता है । पर यदि हजारों ने हजारों को जान से मार डाला तो उसे युद्ध का नाम दिया जाता है, तथा उसमें हिस्सा लेने वालों को देशभक्त, स्वार्थ-त्यागी तथा वीर पुण्य इहकर सम्मानित किया जाता है । एक आदमी खाये तो कहेंगे गोदर और यदि एक समूह उसे खाये तो कहेंगे भ्रावणी । जो सोग सिद्धान्तत, हिस्सा के विरुद्ध हैं, उनके लिये युद्ध का अर्थ होगा हिस्सा का एक पैदाचिक काण्ड । यदि वे उस समय अपनी आवाज न बुलन्द करें तो क्या शीति के समय बुलन्द करें? जिन दिनों समाज में शांति रहती है, उन दिनों अहिंसा के प्रचार वी उत्ती जहरत नहीं होती । जब युद्ध के नगाड़े बजने लगते हैं, तभी लोगों को तथा राष्ट्र को अहिंसा का उपदेश देना समयोचित बहा जा सकता है । उस समय यदि देशभक्ति से पूर्ण हृदय बाला मनुष्य चुप बैठ जाय, तो कहना होगा कि उसका अहिंसा-प्रेम महो नहीं है । देशभक्ति वी तीव्र भावना के सामने यदि वह टिक न सके तो सोगों का आरोप होगा कि वह अहिंसा खरी अहिंसा नहीं, खोटी अहिंसा है । पिछले महायुद्ध में ऐसा ही प्रमाण भारत के भ्रनेक विचारकों के सामने पेश हुमा था । कौप्रेस में पूर्ण पड़ने वी नीत था यह थी । बहुतों की सम्मति थी कि यदि भारत को आजादी दे दी जाय, तो वह युद्ध में भाग लेने को तैयार है, यह कहना इस बात का द्योतक है कि ऐसा कहने वालों का अहिंसा पर पूरा विश्वास नहीं है । जो सोग यह कहते थे कि भले ही स्वतन्त्रता न मिले या उसके मिलने में देरी लग जाय; पर हम किसी भी नर्त पर अहिंसा का परित्याग नहीं करेंगे, उन्हे भी लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है । गांधीजी की अहिंसा यदामय अहिंसा थी, यदि उनका युद्ध का विरोधी होना याक ही था । अतः युद्ध के शुरू होने से पूर्व अपनी राय को जाहिर करने का

मीका हर किसी को मिलना चाहिये । और यदि कोई व्यक्ति अपने मत को राष्ट्र-साक्षरताओं में बहकर नहीं सुनाता, तो इसका भयं यह होगा कि वह प्रपत्ते कर्तव्य से विमुच्य हो रहा है ।

व्यक्ति को जो कुछ कहना था सो उसने कह दिया तबापि राष्ट्र ने युद्ध की घोषणा कर दी । तो उस समय व्यक्तिगत नागरिक का कर्तव्य क्या हो जाता है, इस पर विचार करना चाहिये । युद्ध के युक्त होने का अर्थ यह हुआ कि राष्ट्र प्रपत्ती रक्षा के लिये लड़ रहा है । उस समय यह भावना प्रवल हो जाती है कि राष्ट्र की रक्षा से ही हमारी भी रक्षा है । ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का युद्ध के प्रपत्तों के विषद्य कुछ भी लिखना, दोलना या कुछ और करना राष्ट्र की रक्षा के काम में रुकावट ढालने जैसी बात हो जायेगी । युद्ध शुरू हो जाने से हर व्यक्ति को चाहिये कि वह उसे सफल बनाने की प्राणपत्र से कोशिश करे । विरोधी मत जाहिर करके जनता के मन में विकल्प उत्पन्न करना अहितकर होगा तथा उसका फल जनता के निश्चय, यद्यें तथा ही सबके लिये बुरा होगा । एक बार मन में संशय ने स्थान बना लिया कि मत कमज़ोर पड़ता चला जाता है । संकल्प डगमगाने संतुता है । अदा में कभी आ जाती है । अतः युद्ध काल में सबको ऐसी ही कोशिश करनी चाहिये जिसमें जनता के मन में धैर्य, छठ संकल्प तथा आशा पकड़ी रहे । युद्ध शुरू होने के बाद 'युद्ध नहीं होना चाहिये या' ऐसा कहना बेसामोह जाता है । जो सामने आ गया है, हमें उसी का विचार करना चाहिये, उसी से ज़बका चाहिये । उस बढ़ इम कहने का कोई मूल्य नहीं कि 'यदि ऐसा न हुआ होता, तो मरवा होता ।' सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह युद्ध-विरोधी राष्ट्र को जाहिर होने से रोके । इसके मानी यह नहीं कि युद्ध सम्बन्धी विषयक हॉटिं से को जाने वाली आलोचना पर भी रोक लगा दी जाय । युद्ध प्रपत्तों को किस प्रकार चलाया जाय, किस क्षेत्र में अधिक प्रयत्न किये जाने, चाहिये, युद्ध का ध्येय बदा हो, युद्ध के साधन बदा हों, तथा युद्ध के बाद परिस्थिति कंसी हो इत्यादि का विचार करने के मामले में मत-स्वतंत्रता अवश्य हीनी चाहिये । जहाँ प्रजातंत्र मौजूद है, वहाँ यह सब हो सकता है । पर जहाँ तानाशाही है, वहाँ तो शांतिकाल में भी मत की स्वतंत्रता नहीं रहती ऐसी परिस्थिति में युद्ध काल में उसके होने का सबाल ही नहीं उठता । अनेकों के मन में युद्ध की सफलता के लिये एकमुखी अधिकार प्रमाणी (अंगारिटीयन) स्वरूप की सरकार हीनी चाहिये । इसके विपरीत जहाँ सरकार प्रजातन्त्रात्मक हीती है, वहाँ सफलता निश्चित होती है, ऐसा भी कुछ सोग मानते हैं तथा इतिहास भी साक्षी है कि दोनों विश्वयुद्धों में सफलता प्रजातन्त्री सरकारों को ही प्राप्त हुई है । प्रजातन्त्री राज्य के निर्णय सामान्यतया जनता के ही निर्णय होते हैं । और इसी बजह से जनता युद्ध के समय मी अधिक से अधिक त्याग करने के लिये तैयार रहती है । चूँकि युद्ध का निर्णय लोकमतानुसार 'हुआ होता है, अठ, युद्ध शुरू होने के बाद मत की तया विचारों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबन्धों पर होना चित्त जहरी है, उसा ही जहरी है विचारों की स्वतंत्रता का होना । युद्ध काल में पूरी तरह से इसे स्थगित नहीं कर देना चाहिये । दोनों विश्वयुद्धों में, हांगनैंड तथा अमेरिका के नागरिकों की स्वतंत्रता पूरी तरह स्थगित नहीं हुई थी ।

इत्ता ही थयों, महायुद्ध जब अपने पूरे योवन पर था, तब मन्त्रिमंडल बदले गये। एस्ट्रिवय दूर हुए और लायड जाजं ने प्रधान मंत्री का पद स्वीकार किया। तथा युद्ध को सफलतापूर्वक चलाया। दूसरे महायुद्ध में भी वैसा ही कुछ हुआ। चेंबरलेन हटे तथा चर्चिल प्रधान मंत्री बने तथा अपने प्रभावी व्यक्तित्व तथा वक्तृत्व से युद्ध का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। युद्ध काल में मन्त्रिमण्डल का बदलना कोई सीधी सारी बात नहीं है। वह लोकमत की जीत है। और यदि लोकमत को कुचल दिया गया होता तो नालायक या अधोग्य नेताओं के हाथ में बांगड़ोर आ गई होती तथा सफलता भी न मिली होती। अतः कहना होगा कि युद्ध शुल्ह हो जाने के बाद भी मत सम्बन्धी स्वतंत्रता का होना राष्ट्र के हित की हास्ति से उचित है। राष्ट्र में ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं, जिनका ज्ञान तथा अनुभव राष्ट्र की सम्मति होती है। भौजूदा हालत में भले ही वे अधिकार पद पर न हो, तो भी उनकी सम्मति ग्राह्य होती है और इसी से उन्हे अपना मत निर्भीकतापूर्वक राष्ट्र के कल्याण की हास्ति से कह डालना चाहिये। तथा भौजूदा सरकार को इसके लिये अनुकूल बातावरण निर्माण करना चाहिये। राष्ट्र में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनकी वृत्ति यह होती है कि वह कुछ हो जाप वे सुलह समझौता करने को तैयार नहीं होंगे, वे पूरी तरह फैलता करना ही पसद करेंगे। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो सम्मानयुक्त समझौता पसद करके मनुष्य-हानि तथा वित्त-हानि को टालना चाहते हैं। यदि किसी ने सुलह-समझौते की बात उठाई तो उसे एक दम देशद्वाही कह बैठना ठीक नहीं। तथा कोई निरायिक कुश्ती के पथ में हो तो उसे भी व्यवहार शून्य कहना ठीक नहीं होगा। कहने का अभिप्राय यह कि युद्ध-काल में भी मत स्वतंत्रता को स्थान दिया जाना चाहिये।

युद्ध-काल में मत स्वतंत्रता की सीमायें क्या हो तथा उसे किती मात्रा में छूट दी जानी चाहिये, इस बारे में योड़ा विचार हमने कपर किया है। बुद्ध लोग कहते हैं कि सरकार की युद्ध की नीति का समर्थन करने वाली आलोचना को ही छूट दी जानी चाहिये तथा उसी सीमा तक लोगों को मत की स्वतंत्रता होनी चाहिये। उनके इस हास्तिकोण का कुछ भी अर्थ नहीं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। तथापि इतनी ही सीमा हो इस कथन का यह अर्थ निरुलता है कि जब युद्ध चल रहा हो, तब कार्यकारी सत्ता अर्थात् सरकार की जो भी नीति हो, जनता उसे मजूर करती है। यदि सरकार यह समझने लगे, तो उसमें एक प्रकार का खतरा है। सेना लड़ाई के मैदान में है तथा वहाँ लड़ाई जारी है, राष्ट्र के भीतर किसी प्रकार का आतंरिक सघर्ष नहीं है तथा किसी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है, तो सरकार को लगने लगता है कि उसका अपना मत ही लोगों का भी मत है। और यह स्थिति किसी भी हास्ति से अभीष्ट नहीं कही जा सकती। वास्तव में युद्ध का प्रसंग एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है तथा युद्ध के परिणाम भौजूदा पौढ़ी तक ही सीमित नहीं रहते। ऐसी अवस्था में सही-सही आलोचना का न होने देना उचित नहीं। सरकार ने सार मतभेद प्रशंसित करने वाली सही-सही आलोचना को यदि बर ढालने से सरकार की पोर से हुई अपवा होने वाली गतियों तथा अनुचित वृत्तियों के बारे में पहले से ही पक्का बन्दोबस्त कर ढालने जैसी बात हो जायगी। युद्ध में यामिन हुए राष्ट्रों का इतिहास

यही बताता है कि जहाँ आलोचना पर रोक लगा दी जाती है, वही निःमंदेह गतिशील होती है। इतना ही नहीं, सरकार की वृत्ति भी उत्तापादिकी की हो जाती है तथा सत्ताधारी लोगों की लगता है कि विरोधी आलोचना करने वाले एक-दम देशद्रोही हैं। आलोचना के जहाँ होने की प्रवस्था में आवश्यक एवं सही-सही जानकारी लोगों के सम्मुख नहीं आ पाती तथा लोग भी सरकार की नीति के सम्बन्ध में अपनी उचित राय जाहिर नहीं कर पाते। सरकार की ओर से दिये गये विवादों को शुद्ध सत्य मानना यह जाता है। इससे यह होता है कि सरकारी विवादों में सचाई को तिलोइलि दे दी जाती है, तथा जो सचाई नहीं होती, उसे प्रकट किया जाने लगता है। और यदि सरकार प्रवार के काम में प्रबीण हो तो, वह जनता की भाँति जनता की भाँति में पून नहीं भोकी जा सकती। तथापि दुश्मन की आकाशवाणी के काम में दृश्यवटें पैदा करने का भी वैज्ञानिक उपाय प्राविष्ट हो चुका है। इसी प्रकार एक और भी बात है। युद्ध काल में लोगों को वही समाचार एवं विचार प्रिय लगते हैं, जो अपने राष्ट्र के लिये घनकूल होते हैं। कलश्वर्ण प्रतिकूल परिस्थिति सम्बन्धी बातें लोगों के मन को भासी नहीं। सरकारी प्रचार का संगठन भी इसी हृष्टि से काम करता है। यदि वस्तुस्थिति लोगों को न मुझानेवाली हो, तो भी उसे मुझानेवाली बनाने का प्रयत्न दिया जाता है। छोटी-मोटी जीतों की बड़ा-बड़ा कर पेश किया जाता है। यदि कहीं हार हो जाए तो उने ऐसा दिखाया जाता है कि वह हार नहीं बरत जीत की पूर्व तथ्यारो है। यदि सेना को पीछे छोड़ा पड़ा हो तो वही कहा जायेगा कि यह सब लडाई के मोर्चे को बदलियठ करने के लिये किया गया है। सेनिकों की दुरंता को जनता तक पहुँचने नहीं दिया जाता। सामाजिक की कमी हो तो उसे भी छिपाने की कोशिश की जाती है। युद्धकाल में सरकार अहम्मन्य, विड़विड़ी तथा अद्वित सत्य से भाक भी उत्कृष्ट होती है। ऐसी प्रवस्था में उसे दिजपिल्लु बनाना तथा उसके कामों में सञ्चुनत की स्पानना करना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्र की रक्षा के लिये यह प्रतिवार्य भी है। यदि यह सब होना है तो उसके लिये सहतार की नीति के तथा विशेषकर उसके क्रियावयन के लिये मेरी भावित्व सावधानी से आलोचना का होना चाहत जरूरी हो जाता है। यदि इस प्रकार भी आलोचना देशद्रोह मानो जाने से, तो उससे राष्ट्र की नीतिक प्रतिष्ठा पर भी ब्राह्म प्राप्ति है। युद्ध के बाद के काल में जो आदर्श राजनीति की एकता तथा प्रगति के लिये जरूरी पाने गये थे, उन पर भी बुरा असर होता है। यह: युद्धकाल में भी सामर्थ्य युद्ध स्वतंत्रता का होना जरूरी है। इसका यह अर्थ नहीं कि यह स्वतंत्रता उत्तीर्णी होनी चाहिये जितनी कि भाँति के काल में होती है। युद्ध, जैसा कि हम आर कह पाये हैं, एक राष्ट्रीय विभाति है और उस मौके पर हर नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये तथा इमानदारी से करना चाहिये तथापि राष्ट्र के हित की हृष्टि से नागरिकों की स्वतंत्रता पर कुछ अङ्गुष्ठ का छढ़व जरूरी है, यह साक है। प्रत्यंग विशेष में यह कहना बुरा नहीं कि

गतस्ती पर है तथा उगमे मध्यिकाराद्यं राम किया है। पर ही, मरकार के हर काम पर निरंतर कटु मालोचना करते थे जाना थीक नहीं, पर्याप्ति उगमे राष्ट्र के मातृप्रविश्वास के नष्ट होने की मात्रांश पैदा हो जाती है। ऐसी मालोचना न रहना कि उसमें राष्ट्र के हीरने पस्त हो जावे, एक भारी हीरने का हो जाप है। क्योंकि युद्ध के दिनों में सामान्य जनता बहुत प्रविधि भाष्य करती है। कालांक, ऐसी मालोचना को उच्छ्वासने में सरकार को बहुत मेहनत नहीं भरनी पड़ती। तथापि की गई प्राचीयता का सरकार के काव्यों पर कुछ प्रतर प्रवर्ण होता है। बहुत दर्शा इन कित्तम की मालोचना से युद्ध के सामाजिक होने में मदद मिलती है। पहले महायुद्ध में यह प्रतुभूत आ चुका है। युद्धकाल में राष्ट्र में पूरी एतता का एवं ऐतिहासिक कांहोना जम्हरी है, यह माना, पर पहले कुछ वेचारिक मन्यन का कर होना चाहिये। उपरा कुर माला का नहीं होना चाहिये भवयता रबर के स्टेप जैसा नहीं होना चाहिये। कोई भी मरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उमरा किया शवकरिता सही है। तथापि युद्ध जीतने के लिये वह जो भी प्रयत्न करती है, उगमे वाधा न पड़े, देश में विरारीत भावना उत्तराप्त न हो, पराभूत मनोवृत्ति का निर्माण न हो, इन बातों की चिन्ना भालोचनों को प्रवर्ण होनी चाहिये। कालिकारक पराभूत मनोवृत्ति के निम्न प्रवादन्त्र में कोई स्थान नहीं, पर्यं कही हो तो हो। तात्पर्य यह है कि युद्ध युद्ध होने के बाद से युद्ध के सामाजिक तक सरकार का प्रतुभूत्युक्त एवं रखनात्मक मालोचना द्वारा मार्ग दर्शन किया जा सके इनी मत स्वतन्त्रता राष्ट्र में प्रवर्ण होनी चाहिये। युद्धकाल में समय-समय पर आलोचना तथा निर्भीक भालोचना को यदि मीठा न किया जाय तो युद्ध में मिली जीत भी कभी-कभी हार से ज्ञादा महेंगी पड़ती है। कभी-कभी युद्ध के बाद स्थापित हुई शांति अधिक स्फोटक हो जाती है। युद्ध के बाद के इनजाम के बारे में उचित प्रवचन न होने से कभी-कभी युद्ध में शामिल हुए सभी राष्ट्रों को बहुत बड़ी चिना का ग्रास बनना पड़ता है। और वह शान्ति का काल, शान्ति का काल न होकर आगामी युद्ध की तैयारी का काल बन जाता है। गत दोनों विश्वयुद्धों का यनुभव इस इतिहास में विचार करने योग्य है। युद्धकाल में तथा युद्ध के थोगणेश के काल में युद्ध के उद्देश्य दोनों महायुद्धों में घोषित किये गये थे। पहले महायुद्ध के काल में अमेरिका ने जो नीतिक भूमिका वीरी थी तथा घोषणा की थी कि नसार में लोकतन्त्र की स्थापना के लिये तथा उसके विकास के लिये यह युद्ध लड़ा जा रहा है और जिस पर विश्वास करके युद्ध में शामिल हुए राष्ट्रों की जनता ने युद्ध के प्रयत्नों की सहायता की थी, वह सब युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भागक सिद्ध हुई। कमल के डोडे में बन्द भेवरा मन ही मन-उन्मीद लगाये बैठे कि सूर्योदय होने पर यह कमल का डोडा लित उडेगा और तब मैं बाहर निकल आनंद करूँगा, पर हाथी आकर उस कमल की बेल ही को जड़मूल से उखाड़कर फेंक दे, ऐसी ही अवस्था उन लोगों की भी पहने महायुद्ध के बाद हुई। लोकतन्त्र तो दूर, संसार में शांति स्थापना के उद्देश्य से जो 'लीग ऑफ नेशन्स' नाम वी संस्था बनी, वही आगामी महायुद्ध का कारण बन गई। युद्धकाल के युद्धोदेश्यों पर, घोषणाओं पर विजयी राष्ट्रों ने विवार ही न होने दिया। उलटे दुश्मन के लिलाक

प्रवार करने का प्रयत्न किया गया। युद्ध में जीत होते ही जीत के सम्बन्ध

में परमेश्वर के भाभार माने गये तथा साथ ही जर्मनी को नेस्तोनायूद करने वाले कंसर को फौसी देने की घोषणा की गई। लोगों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई कि के उस पक्ष को मत देंगे, जो ज्यादा से ज्यादा बदला लेगा तथा परान्ति जर्मनी तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों को ज्यादा से ज्यादा सजा देगा। इंग्लैण्ड में १९१६ में जो चुनाव हुए उसमें भावुकता भपने उच्चतम शिक्षण तक पहुँच गई थी। जर्मन जनता जर्मन सरकार के अपकृत्यों के लिये दोपी ठहराई गई तथा बात इस सीमा तक पहुँची कि जर्मन व्यक्ति को राजस समझा जाने लगा। सारा स्तर विचार पूरी तरह से सुन्त हो गया तथा राजनीतिक आकाश 'बैला' 'बदला' की घोषणाओं से भर गया। फ्रान्स्वरूप जो मुलह हुई, उससे धांति का निर्माण नहीं हुआ बरन् उससे भावी युद्ध के बीज वो दिये गये तथा उसीसे दूसरा विश्वयुद्ध हुआ। यदि युद्ध काल में सभी युद्धरत राष्ट्रों के लोगों की विचार स्वतन्त्रता मिली होती, तो इस क्रिया को मुलह न हुई होती, ऐसा विश्वात राजनीतिज्ञों का कहना है। केवल मत की स्वतन्त्रता दे देने से ये सब बातें दूर हो गई होती, ऐसा निश्चित रूप से कहना कठिन है। पर ही इतना जल्द कहा जा सकता है कि मुलहनामे की बैठकों में ज्यादा विदेश एवं सन्तुलन के माय विचार-विनियम हुआ होता। परम्भूत राष्ट्र विद्य अवश्यियों के रूप में वहीं न आये होते तथा बदले की एवं सभा देने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा न बढ़ी होती। इसी प्रकार यदि युद्धकाल में मत की स्वतन्त्रता की पूरी शूद होती, तो अनेक युक्त सन्धियाँ न हुई होती तथा जब बोल्डेविया ने बड़े-बड़े राष्ट्रों की उन युक्त सन्धियों का भाष्टा कोड किया उस समय उनकी प्रतिष्ठा की जो बट्टा लगा, वह न लगा होता। मत स्वतन्त्रता के न होने के कारण ये सरकारे सारी सन्ताई लोगों के सामने खेल न करते में सफल ही गई। सवाई को छिपा दिया गया तथा उसके कारण सरकार को उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में जो मार्गदर्शन मिलना चाहिये था, वह न गिन सका। तारखे यह कि युद्ध चालू रहते समय भी युद्ध-गत विजय के लिये मत स्वतन्त्रता एवं जहरी वस्तु है। इसी प्रकार युद्ध की समाप्ति के बाद के काल में बास्तविक धार्ति की स्थापना के उद्देश्य से भी मत स्वतन्त्रता की उतनी ही आवश्यकता है। उसी की न्याययुद्ध जागरित रहती है, जो भावुकता का यात नहीं बनता। ऐसे ही लोग सन्तुलित दुष्टि से विचार कर सकते हैं। ऐसे ही सोय राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सकते हैं। विदेश: मंकटकाल में—समर प्रसंग में ऐसे लोगों को विचारों की स्वतन्त्रता भवद्य होनी चाहिये।

मत स्वतन्त्रता की वल्पना में व्यक्ति की भौति समुदाय की मत स्वतन्त्रता का भी समावेश होता है। व्यक्ति जब समाज में जन्म लेता है, उस समय अनेक सम्बन्ध भी उसके बारे में उत्पन्न होते हैं। और उन सब सम्बन्धों का व्यक्ति के जीवन पर असर होता रहता है। बचपन से विवृता जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त व्यक्ति अनेक प्रयंगों से अनेक संदर्भों में अपना व्यवहार किया जाता है। उसे अनेक अनुभव हासिल होते हैं, अनेक मुसीबतें उसके सामने आती हैं—जिनमें से होता हुआ वह अपनी राह याता है। अनेक बार वह अपने युद्ध के प्रयत्नों से रापलता या असफलता प्राप्त करता है। पर अनेक बार उसे मात्र व्यक्तियों की सहायता से बाहर करना पड़ता है। जाहे पह थोड़ा गाँधीजित हो, ग्रीयोगिक हो, व्यावसायिक हो या व्यवित्रगत व्यवहार से

सम्बन्धित हो, बहुत बड़े पैमाने पर उसका वास्ता समाज से पड़ता है। व्यक्ति अकेता भी विचार कर सकता है, विश्वाति ले सकता है। इस प्रकार के कुछ कामों को, जो अन्यों के सम्पर्क के बिना भी किये जा सकते हैं, छोड़ अन्य सब बातों में व्यक्ति का जीवन समाज के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ होता है। बच्चों को मनाने के काम में उसे पत्नी की मदद लेनी पड़ती है। घर मालिक को मकान की मरम्मत करवाना हो तो अपने साथ रहने वाले किरायेदार से सलाह-मशविरा करना पड़ता है। नौकरी में वृद्धि के लिए उसे मजदूर सघ से सम्बन्ध रखना पड़ता है। इन्हीं राजनीतिक मतों की चर्चा करने के लिए किसी सघ या समिति से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। यदि वह साहित्यिक है, तो उस विषय की सस्याओं से उसका सम्बन्ध आता है। किंवद्दुना नाना प्रकार के सघों, समूहों का चाहे वे संगठित हो या असंगठित हो, आधुनिक युग में व्यक्ति तथा उसके जीवन से इतना अधिक सम्बन्ध आने लगा है कि ये संघ एवं समूह व्यक्ति के जीवन की हाईट से अनिवार्य हो गए हैं। वहा जाता है कि हर अप्रेज़ का एक बलव, एक अल्पवार तथा एक हॉबी होती है। भारत में भी ६०-७० वर्षों से धीमे-धीमे व्यक्ति के जीवन में सघ एवं समूह का महत्व बढ़ता जा रहा है। और जहाँ विचार-स्वतंत्रता है, वहाँ विचार-विनियम तो होगा ही। मुझे यदि विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो इसके मानी ये हुए कि मुझे जो कुछ प्रतीत होता है, मैं उसे या तो भाषण द्वारा या लेख द्वारा प्रकट करूँगा। इसके मानी ये हुए कि मुझे कोई न कोई श्रोता या दाठक चाहिए जो मेरे कहे को सुने तथा लिखे को पढ़े। मैं जो कुछ बोलूँगा या लिखूँगा उसे सुनने या पढ़ने वाले के मन पर कुछ असर पड़ता है। तथा वे भी अपनी प्रतिक्रिया को बोलकर व्यक्त करते हैं। इसका अर्थ यह हृष्णा कि मत की स्वतंत्रता समाज में कार्यान्वित हुआ करती है। मत की स्वतंत्रता के लिए समाज की ज़रूरत होती है। अर्थात् कुछ व्यक्ति एक जगह इबटु हुए कि उनका पारस्परिक विचार-विनियम होता है। वे संगठित हो या असंगठित हो, पर दो आदमी एक जगह जमा हुए कि वहाँ सभा हो गई। सभा के लिए कम से कम एक वक्ता तथा एक श्रोता तो होना ही चाहिए। सभा का एक अर्थ में सार्वजनिक स्वरूप होता है। तथापि थोड़े लोगों का एक अर्थ होना, विशिष्ट बातों के बारे में सर्वसामान्य चर्चा करना प्रजातंत्री समाज का, किंवद्दुना आधुनिक स-ज का एक जीवनतत्व माना गया है। व्यक्ति के विकास के लिए समाज में पूरा मोका होना चाहिए। और वह मोका वेवल समाज में ही उपलब्ध ही सकता है। आम गायक अपने आनन्द के लिए गाता है यह कहना एक हृद तक सही है। तथापि उसके व्यक्तित्व एवं कला के विकास के लिए रसिक श्रोताओं की निरात आवश्यकता होती है। यही बात साहित्य-सम्बन्धी वसा की भी है। कला निरवेद रूप में सत्य नहीं है। यदि वैमा होना तो किसी भी साहित्यिक वो पाठ्वा की आवश्यकता महसूस न होती। किसी विवरार को दर्शाने की ज़रूरत न महसूस होती। सन्त तुलसीदास ने स्वान्त्र सुखाय रामवरित्मानस लिखा यह सही है। पर उसे भी जो मुख हुआ वह समाज के संदर्भ ही में हुआ। अपनी रचना से जन-मनोरजन होगा, भक्तिभाव बढ़ेगा, इस कल्पना से स्वान्त्रः सुख का जन्म हुआ है। प्रत. वसा, वान्य, शिल्प इत्यादि सारी बातें समाज में ही होती हैं, और उनमें

समाजिक भाव होता है। उस प्रकार के भाव के उत्पन्न होने के लिए समाज में व्यक्तियों का एक जगह आना ज़रूरी हो जाता है। आधुनिक समाज में एवं त्र होने की पूरी दृढ़ होनी चाहिए। भाषण एवं मंत्र की स्वतंत्रता का वह एक ग्रन्थिक्षम अंग है। किंवद्वाना, जिस भौतिक प्रेरणा से व्यक्ति के जीवन के लिए समाज की निमित्ति है, उसी का पोषण एकत्र होने की स्वतंत्रता द्वारा हुआ करता है। व्यक्ति के लिए राज्य एवं समाज की जिती ज़रूरत रहती है, उत्ती ही ज़रूरत है एकत्र होने की तथा संगठन स्वतंत्रता की। समान विचार वाले व्यक्तियों को एक जगह आना चाहिए तथा उन्हें जो भी उचित प्रतीत हो संगठन की हृषिटि से उसे करें। इससे जहाँ समाज-भावना का विकास होता है, समाज की स्थिरता बढ़ती है, वहाँ इस एकत्र आने से किन्हीं सतरों के भी पैदा होने की सम्भावना रहती है। अतः इस एकत्र आने के ग्रधिकार पर, संगठन स्वतंत्रता के ग्रधिकार पर राज्य एवं समाज के हित एवं रक्षा की हृषिटि से कुछ एक अंकुशों का रहना भी बहुत ज़रूरी है।

स्वतंत्रता कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, यह हम पहले ही बता चुके हैं। स्वतंत्रता के उचित उपयोग के लिए राज्य द्वारा किन्हीं अंकुशों का रखा जाना अनिवार्य हो जाता है। ये अंकुश राज्य कानून बनाकर या क्रियान्वयन के आदेश देकर उपयोग में लाये जा सकते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ कानून के मुताबिक स्वतंत्रता (लिबर्टी अंडर लो) है। अतः संगठन स्वतंत्रता वा विचार करते समय भी उस पर आने वाले अंकुशों का विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सामान्य रूप से प्रतिबंधों को पसन्द नहीं करता। भले ही वे लेखक के बारे में हों, भाषण के बारे में हो या कही भी घूमने-फिरने के बारे में हों। पर चूँकि व्यक्ति को रहना समाज ही में है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अन्य सभी व्यक्तियों के समान ही अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए स्वतंत्रता का यथोचित लाभ हरेक को प्राप्त कराने की हृषिटि से रज्य के लिए सम्बन्धित प्रतिबन्धों का लगाना ज़रूरी हो जाता है। कानून बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग इकट्ठे हों, संघ स्वापित करें तथा उस संघ में शामिल होने वाले सभासदों पर नि.सी.म अधिकार चलाएं या उन्हें सजा दें, और यह सब संगठन स्वतंत्रता के नाम पर हो, यह कोई भी पसन्द नहीं करेगा। संघ का सभासदत्व ऐच्छिक होता है तथा संघ के नियमों का उल्लंघन होने पर यदि संघ किसी सभासद पर जुर्माना करदे और वह सभासद उसे देने से इन्कार कर दे तो संघ उसे समासदत्व से हटा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। राज्य एक ऐसी संस्था है कि उसका सभासदत्व ऐच्छिक नहीं होता तथा राज्य एक ऐसा संघ है कि उसके नियमों का पालन न करने वाले को सजा भोगनी ही पड़ती है। राज्य में जो अन्य संघ निर्माण होते हैं तथा जो रजिस्टर्ड किये जाते हैं, उन सबका सभासदत्व ऐच्छिक स्वरूप का होता है तथा किसी भी संघ को सजा देने का हक नहीं होता। यदि उन्हें बैसा अधिकार दे दिया जाय, तो वे सबके सब राज्य के प्रतिस्पर्धी सावित होंगे तथा राज्य में अराजकता भव जायेगी। इन सब बातों से बचने के लिए राज्य संगठन-स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। सबाल यह पैदा होता है कि ये अंकुश किस प्रकार के हों, उन्हें क्या उपयोग में लाया जाय तथा किस प्रकार उपयोग में लाया जाय। समाज में भलेक किस्म के लोग होते हैं। भलेक सिर-फिरे इकट्ठे

सभी गवों ने वरित वर रखा है। तथानि जब कानून द्वारा ये बंद करने का प्रदर्शन किया गया था तिथा जो रहा है, तब तिसी गाराना की वस्त्रीर थी, उसी गाराना हासिल नहीं हुई। जो बात गारान-वस्त्री नो है, वही गारे सामाजिक गुणारों की भी है। इधरायों प्रतिवेषक कानून को सोशलिंग घनाने के लिए गमात्र गुणारों द्वारा ये समझन ४० गवों तक सोशल को नेतार बरता रहा। गमात्रिक गुणारों के बहुपहुँच सोशल हृषि में हीं तथा अन्यांशक सोशल उदाहरण हीं तथा नीतिविधेयी शोई न हीं, तो गमात्र-गुणार गारान-वस्त्री कानून गारा हो जाता है तथा गोरों से गारान-वस्त्र में माम्यता के बारता प्रतिविविद्या होता है। इतिहासिक दोनों का अनुसार यही बनाना है। गाराना कानून १९२६ के समझन द्वारा तथानि उग समय गारान-वस्त्र अनुसार नहीं पा। फन यह हूँया कि इग कानून का पाग होना न होना बराबर ही गया। गर्ने-गर्ने-सोशल स्ट्रूच अनुसार होता गया और यद्य यात्र-विवाह बहुत बड़े पैसों पर बढ़ हो गया है। तथानि इस विषय में सोशल कंसार द्वारा बाने जो अविकाशपत्र गम्यार्थी, उन पर प्रतिवेष नहीं लगाया गया। उन्हें पूर्ण मत की स्वतंत्रता दी गई। गारान-वस्त्र की यह प्राप्ति इतिहासर हो रही है। एक गमप या, जब गमात्र-नियमन के बारे में सोशल इसा विवेचीया था कि इस विषय का ऊर्ध्वोह घटया घर्षा करता तक घटाय ही गया था तथा गतित-नियमन के प्रशारकों को कानून की विदित में से लिया गया था। पर गमात्र मंत्रित-नियमन के लायनों का सम्मरण तथा स्वतंत्रपी प्रचार शुन्नमगुन्नता चल रहा है। तातार्व यह है कि गमात्र में भत् की स्वतंत्रता की प्रदर्शित करने-करते सोशल कंसार ही जाता है, वही कानून द्वारा सही मानों में वेषता प्राप्त बरा देता है। और तब उस कानून की नीतिक प्रतिष्ठा सर्वमान्य हो जाती है।

जो मत स्वतंत्रता गमात्रिक दोनों में होनी चाहिये, वही तथा उसी ही मत-स्वतंत्रता गमिक दोनों में भी होनी चाहिए। गमात्रिक दोनों में जिस प्रकार व्यक्तियों तथा सम्यादीयों को गंगठित होकर कुछ बाम करने की सूट रहती है, उसी प्रकार गमिक दोनों में भी होना चाहिए। गमात्रिक दोनों में कानून द्वारा जिस बस्तु पर नियित रूप से प्रतिवेष न लगा हो, उसके लगाने की पूरी सूट रहती है। जिस बाम को कानून द्वारा प्रतिविधित किया गया हो, उसे नहीं किया जा सकता, यह सत्य है। तथापि उसके बारे में भी विचार करने की, उसे कह सुनाने की तथा उसके सम्बन्ध में प्रचार करने की सूट होनी चाहिये, यह सत्य है। इसका घर्षण यह हूँया कि विचार-स्वतंत्रता तो है, पर ग्रामात्र-स्वतंत्रता नहीं। सारों सम्पत्ति गमात्र में निर्माण होती है; भत् उस पर सारे गमात्र का अधिकार है, ऐसा विचार प्रतिपादित करना अनुचित नहीं। सम्पत्ति का मूल चोरी एवं गम्याय है, ऐसा कहना या दृष्टि-कोण प्रतिपादित करना अनुचित नहीं। आवश्यकता से अधिक कोई भी बस्तु घपने पाग रखना चोरी है, ऐसा उपनिषदों का उपदेश देना अनुचित नहीं। इसी प्रकार 'तेन स्वतंत्रेन भूञ्जीया' खहना भी अनुचित नहीं। परन्तु इन उपदेशों के नाम परं यदि 'अ' के पास की अधिक सम्पत्ति को 'ब' छीन ले तो यह उचित नहीं होगा। गमात्र-सत्तावाद को कानून द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, जोर-जबदेस्ती में नहीं। सपत्ति के विषय विभाजन को कर लगा कर करना होता है, चोरी या डाकेतनी के मार्ग-

से नहीं। समाज में नई स्तरनामों के प्रचार की सूट होने का ग्रथ यह नहीं कि आचरण भी उनके अनुरूप करना शुल्क कर दिया जाए। अतः समाज में जो आचरण व्यक्तियों को करना है, वह मोदूदा कानून के अनुरूप होना चाहिए। जो कानून प्रतिकर हो, कदाचित् प्रतेक लोगों को वह अहितकर एवं प्रतीक्षिक प्रतीत होता हो, तो भी उसके विश्व आचरण करना समाज की दृष्टि से अहितकर है। उस कानून को बदल डालना तथा उसे बदलने की दृष्टि से अधिकाधिक प्रचार करना, संगठित होकर प्रचार करना ठीक रहता है। जो गभोषण हो, जो हितकर हो, उसको निर्माण करने की दृष्टि से संगठित होकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसका ग्रथ हड्डताल करना भी हो सकता है। जिस बाप को करना व्यक्ति के लिए सम्भव है, उसे करना संगठन के लिए भी सम्भव होना चाहिए, इस कथन में मुसङ्गति है। तथापि व्यक्ति के हल्ला-गुल्ला मचाने तथा एक समूह के हल्ला-गुल्लाने मचाने में जो भन्तर है, वह बाफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के काम पर न जाने तथा हजारों व्यक्तियों के काम पर न जाने में भन्तर है। समूह द्वारा किये गए कृत्य का असर सामाजिक होता है, यह मुलाया नहीं जा सकता। अतः सङ्घित एवं सामुदायिक आचरण का विचार समाज की दृष्टि से किया जाना चाहिए। समाज की स्थिरता तथा संरक्षण की दृष्टि से उस आचरण को भी देखना चाहिए, यह स्पष्ट है। इस दृष्टि से विचार करने पर, जब मजदूर संघ या सरकारी कर्मचारियों का संघ सङ्घित होकर प्रयत्न करते हैं, हड्डताल का विचार करते हैं, हड्डताल करते हैं, तब उनका यह आचरण कुछ-एक व्यक्तियों के आचरण के समान नहीं हो सकता। यदि सार्वजनिक हड्डताल की जाये, या सार्वजनिक महत्व की सेवाओं में हड्डताल हो जाये, तो मोदूदा सरकार को समाज के हित की दृष्टि से उस पर अपना ध्यान अवश्य केन्द्रित करना चाहिए। सार्वजनिक हड्डताल करके समाज के जीवन में अड़ा ढानने की यदि सामान्य एवं महत्वहीन बात मान ली जाये, तो वह गलती होगी। हड्डताल का ग्रथ है सङ्घित रूप से की जाने वाली जबर्दस्ती, यह स्पष्ट है। ऐसे में काम करने वाले कर्मचारियों के हड्डताल करने का ग्रथ समाज की व्यवस्था के विश्व विशेष करने जैसा है। हम जो कुछ मार्गिते हैं, वह दीजिये, नहीं तो एक भी इंगन सीटी नहीं देगा, इसका ग्रथ यह हुआ कि अपनी मीठों के शोबित्य के विषय में सरकार को अवगत कराने के बदले जबर्दस्ती तथा धमकियों द्वारा अपनी मीठ को मनवाया जाये। तथा यह निश्चित ही सर्वसमान्य जनता के हित में नहीं है। जो बस्तु न्यायबुद्धि को न जैसे, उसे धमकी द्वारा मंजूर करना पड़ता है, ऐसा उसका ग्रथ हुआ। ऐसों की हड्डताल से देवा भर का यातामात रुक जाएगा। डाक, तार-विभाग की हड्डताल से सुधारस्थित व्यवहार बंद हो जाएगा एवं समाज में गडबड मच जायेगा। इससे ग्रामजनता उत्पन्न हो जाने की सम्भावना थढ़ जाती है, ऐसा इतिहास का अनुभव हमें बताता है। सरकारी कर्मचारियों के हड्डताल करने से भरकारी कामकाज बंद पड़ जाएगा। सामान्यतया यातामात, विजलो एवं अनाज भादि की सप्लाई भादि ऐसे मामले हैं कि उनके बारे में उचित व्यवस्था के न हो तो समाज चरमराकर हो जाएगा भीर सब कहाँ पटानकड़ा मच जायेगी। अतः जो बातें सामाजिक जीवन के लिए स्वतंत्र लगती हैं,

उनमें भीते थाए हुए तरों दर्शन कर्त्तव्यों दे रिट विदि गानार युग रामाई
करे तो उसे उपित याने में बोई पापाणि मरी होनी चाहिए ।

दिग् गान में मालात्र में पापी या युग मरी पापाणि या और पापुनिक गान
की उद्योग अपेक्षा काम नहीं करनी भी, उग गान में मन्त्रद्वारा सोग संष्ठित होकर
पापाणीक नहीं करते थे । मन्त्रद्वारा तथा निर्मिति प्राप्त एक ही दृष्टा करते थे । पाप
यानराम उद्योग गंगों को जो सारान वरेशन दिये रखते हैं, वे गान उन दिनों पूर्वा
ही नहीं होते थे । दिग्गंग घनात्र पैदा करता तथा शाश्वार में में जाहर उगी दिनों
करता था । युग्मार मिट्टी के बर्तन बनाता तथा उनकी दिनी करता था । युग्मार
बपता युनगा तथा युद्ध ही यावार में जाहर थेष पापा या या योर आपारी को बेष
देना था । पापुनिक उद्योग-अपवाहन में धम बहते थे वेदम धमने धम ही के निये
नियमेश्वर होते हैं । उन्हें पर्याप्त मन्त्रद्वारों को बड़ा मान नहीं करता तथा
पापा मान देना नहीं पड़ता । उनका गम्भय निर्माण करनी मन्त्रद्वारी से रहता है ।
ऐवार यान की बीमत की पट यह गे उनका बोई गम्भय नहीं पाता । बड़ा मान
मेंदूता सेना पट जाये हो उन्होंनी उनका बोई याना नहीं । उनका गम्भय देवत
माननी मन्त्रद्वारी से रहता है । उल्लासन के गानन उनके धमने नहीं होते; उल्लासन की
दिनी से उनका गम्भय नहीं रहता । बर्तने गान से उनका युद्ध सेना-देना नहीं होता ।
सधीय में, एक निश्चिन दर में मानना धम मानिक को देनी है और उनकी
जिदगो पूरी तरह से उनके मानिक के हाथ में होती है । पापुनिक उद्योग-यथों में
मालिकी भी सामित हो गई है । उद्योग-यथों का इस्तम्भ भी सामित हो गया है ।
जैसे मन्त्रद्वारों का साम्बन्ध उग धये के साथ उद्योग तक ही सीमित रहता है, उगी प्रारार
उद्योग-यथों को दूंजी देने याते मालिक धर्यारू-हिस्तेश्वर सोरों का साम्बन्ध भी उसे
तक ही सीमित रहता है । धये को राढ़ा करना, उने युद्धवस्तित परना तथा उसे
फायदेमन्द बनाना मालिक यातो की गारी जिम्मेश्वरी अवस्थापा-यथों की होती है ।
ध्यवस्थापा-यथों यटुत महत्व का होता है । मंचालक मण्डन गामान्य देव-रेत से
उद्यादा और युद्ध नहीं करता । सारे धधिरार ध्यवस्थापा-यथों के हाथ में होते हैं ।
सामाध्यतथा माज के पुग में धोटे-वडे उद्योगों की मौग ध्यवित दी नहीं होती, वरन्
कम्पनी के बाबून के भाईन रजिस्टर्ड सीमित दूंजी यासी निजी या सार्वविनिक इम्प-
नियो की होती है । पापुनिक उद्योग धेन में ध्यवस्थापक यथों, संचालक मण्डल संघा
उन्हें युनने याते हिस्तेश्वर सोग मालिक होते हैं । वे सब समित होते हैं तथा उसके
बाराण के मन्त्रद्वारों पर, जोकि असंगठित होते हैं, भपनी हृदूगत चला सहते हैं । और
यदि मन्त्रद्वार यानित भी हो जायें, तो भी उनकी शक्ति सीमित रहती है । मन्त्रद्वार सोग
संगठित हो तो मालिक सोग धोड़ा दवकर काम करते हैं । इसके प्रतिरिक्त देन की
राज्यसत्ता भनेक बाबून बनाकर मालिक एवं मन्त्रद्वारों के सम्बन्धों को नियमित दिया
करती है । मालिक मन्त्रद्वारों के सम्बन्धों के धोन में सरकार को बीच से नहीं पड़ना
चाहिये तथा आपम के सारे भागडे उन्हें धपने याप ही तय कर देने चाहिये ऐसी भी
एक बिनारथारा है । मालिक और मन्त्रद्वारों के बीच युद्ध समझौते-हुए हैं; दोनों को
उनके भनुसार ही आचरण करना चाहिये तथा उस समझौते की पवित्रता को धनाये

रखना चाहिये, इत्यादि बातें क्षपर से सही नदर आती हैं। पर वास्तव में जिनके बीच यह समझौता होता है, उन दोनों दलों को समान भूमिका पर होना चाहिये। कल चूल्हा घन्द पड़ जायेगा, इस दर से मजदूर को जो भी मजदूरी मिल जाये, वह उसी पर काम करने को तैयार हो जाता है। चूंकि वह राजी-बुद्धी से तैयार हो जाता है, परतः उसने जो समझौता किया है, वह वैध भले ही हो; पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह न्यायपूर्वक भी है। परतः जहाँ समान स्तर पर दो दलों में समझौता न हुआ हो, वहाँ जो भी समझौता हुआ हो, उसके वैध होने पर भी उसे न्यायोचित मानने की कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार बहुत दफा संगठित मजदूर लोग अपने संगठन के जोर पर अपनी माँगें मंजूर करने के लिये मालिकों को विवश करते हैं तथा मालिक भी लाचार होकर उनकी माँगें मंजूर कर लेते हैं। सो यहाँ भी जो समझौता हुआ है, वह भले ही राजी-बुद्धी का समझौता प्रतीत हो, पर वह वास्तव में शक्ति के जोर पर हुआ है, परतः वह देखने को वैध होते हुए भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस अवस्था में, न्यायपूर्ण तथा योग्य क्या है, इसे देखने का अधिकार पुनः सरकार ही का होना चाहिये। परतः एक हृष्टि से समाज में जहाँ कहीं भी संघर्ष निराणि हो, वहाँ समाज की हृष्टि से, समाज की रक्षा की हृष्टि से अपनी सत्ता का उपयोग करना यह सरकार ही का अधिकार होगा। यह भी मान लिया जाना चाहिये कि संगठन की स्वतंत्रता दोनों को होनी चाहिये—मालिकों की भी तथा मजदूरों की भी। जब दो व्यक्तियों के बीच के भगड़े का फँगला सरकारी अदालत के माध्यम से किया जाता है, तब दो समूहों एवं संगठनों के बीच के भगड़े का फँसला भी सरकार ही को करना चाहिये। यह सरकार का कर्तव्य-कर्म हो जाता है। जिस प्रकार स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार दो व्यक्तियों के बीच के सम्बन्धों में राज्य की अदालत फँसला किया करती है, उसी प्रकार आद्योगिक दोनों भें भी सरकार को आद्योगिक न्याय देना चाहिये। आद्योगिक दोनों की स्वतंत्रता पर जब सरकार अंकुश लगाती है, तब समाज के हित की हृष्टि से उसकी अनिवार्यता को तथा आचित्य को प्रकट करना सरकार के लिए सम्भव होना चाहिये। प्रत्येक राज्य में सत्तारूढ़ राज्यसत्ता के हाय में निराणिक स्वरूप की शक्ति एवं अधिकार होते हैं तथा उन अधिकारों का प्रयोग तब किया जाता है, जब समाज की स्थिरता एवं रक्षा स्थिरते में हो। इसका अर्थ यह नहीं सगाना चाहिये कि समाज के लिए स्थिरता तभी पैदा होता है, जब कि मालिक वर्ग के लिये स्थिरता पैदा हो। साध ही यह मानना भी ठीक न होगा कि समाज के लिये स्थिरता तभी पैदा होता है, जब मजदूर वर्ग के लिये स्थिरता पैदा हो। जो भी स्थिरता हो वह सारे राज्य के लिये होना चाहिये। किसी एक वर्ग या हिस्से के लिये स्थिरता पैदा हो गया हो तो वह खतरा सारे समाज के लिये है, ऐसा मानना ठीक नहीं। अनुभव यह बताता है कि सरकार वी निराणिक शक्ति मालिकों के पश्च में आती है तथा मालिकों के फायदे के लिये उसका उपयोग दिया जाता है।

समाज के किसी व्यक्ति या समूह का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रीति से सरकार के ऊपर जोर या दबाव डालना उचित नहीं है। व्यक्ति अपना समूहों को जो कुछ प्रभीष्ट हो, वह उन्हें वैध एवं धारिपूर्ण उपायों द्वारा हासिल करना चाहिये।

और इन उपायों में से सबसे अधिक शाविनशाली उपाय है चुनाव के समय अपना भत्ता देना। अपने संगठन के जोर पर हड्डताल करने जैसी सीधी कार्रवाई (डापरेटर एवं राजनीति) ठीक नहीं, ऐसा कहना सामान्यतया ठीक ही है। हड्डताल शुरू करके सरकार के ऊपर एक प्रकार वा अप्रत्यक्ष दबाव ढाला जाता है। और तब सरकार के लिये उन उपायों का अवलम्बन करना कर्तव्य-कर्म हो जाता है, जो समाज के हित को हटाने से जहरी हों। सार्वजनिक हड्डताल का ग्रंथ केवल यही नहीं होता कि किन्हीं वालों एवं मौजों की पूति के लिये वह की जा रही है। सामान्यतया सार्वजनिक हड्डताल अथवा सहानुभूति फ्रेक्ट करने के लिये की जाने वाली हड्डताल कान्ति का एक हथियार बन जाती है। संविधान में सामाजिक अपयोग आधिक दौवे को बदलने के लिये जो विविवताई गई है, उसका अवलम्बन न करके असंवैधानिक विधि से उस दौवे को बदलने के लिये हड्डताल एक किस्म के हथियार का काम देती है। और जो असंवैधानिक है निश्चय ही वह एक अद्वैत एवं अनुचित वस्तु है। अतः उसे कुछ उन्नाता तथा उसके विशद उपाय करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। तथापि हड्डताल एवं सार्वजनिक हड्डताल के सम्बन्ध में उल्लिखित विचारधारा को सामान्य रूप से मंजूर करके भी, सरकार द्वारा की गई जहरी कार्रवाई की निम्ना करने वाले लोग भी मिल ही जाते हैं। मुख्य प्रश्न यह है कि हड्डताल के लिये जो कारण बताये जाते हैं क्या वे सही हैं? तथा क्या उन कारणों के लिये हड्डताल करना उचित है? हड्डताल कोई सीधा-सादा राधन नहीं है। शोटी-मोटी वालों के लिये उसका उपयोग नहीं करना चाहिये, इसे हर कोई मंजूर करेगा। तथा हड्डताल एक ऐसी किसा है कि जिसके मंत्र-तत्त्व में यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाय तो उसका दुष्परिणाम हड्डताल करने वाले के ऊपर तथा समाज पर उलटा भी हो सकता है। और यदि वह हड्डताल सार्वजनिक हो, तो उसका अन्त्याधिकार व्यक्त करने के लिये जो विविवता एवं उत्तरदायिता से काम लेना चाहिये। हड्डताल करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, ऐसा साना भी जाय, तो भी वह ऐसा अधिकार नहीं है, जिसका इस्तेमाल रोजमर्फा किया जा सके। साय ही, यदि हड्डताल न की जाय तो मञ्जूर लोग या सम्बन्धित समूह गुलाम ही बना रह जायेगा, ऐसा मानने की बोई वजह नहीं। हड्डताल का विचार करते समय इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि वह निजी उत्पादन क्षेत्र में है या सरकारी क्षेत्र में। निजी दोनों में उत्पादन का उद्देश्य अधिक-मे-प्रधिक मुनाफा कमाना होता है। सरकारी उत्पादन में मुख्य उद्देश्य होता है समाज को सेवा। निजी उत्पादन क्षेत्र में अधिक-मे-अधिक मुनाफा कमाने, कम-मे-कम रख्च में उत्पादन करने तथा अधिक-मे-अधिक दामों में उसे बेचने की प्रवृत्ति चाम करती है। अतः यहीं यदि मञ्जूर लोग हड्डताल कर दें तो वह सही है कि परोक्ष रूप में उसका समाज पर असर होता है तथापि उसका अब उद्यादा असर होता है उद्योग-धंधों के निजी मालिकों के नफे पर। अतः निजी दोनों में हड्डताल हो जाय तो तत्पात्र उगे गैर-कानूनी छहराना। तथा परन्ती सारी शक्ति साचे करके उसे नेरनोनावूद करना सरकार के लिए उचित नहीं। सामान्यतया निजी

देशों में हड़ताल का उद्देश्य एवं कारण मजदूरों से सम्बन्धित परिस्थिति होती है। वेतन, काम के घंटे, तबादला, काम की पालियाँ, बढ़ती, अधिकारियों का हृदयहीन वर्ताव इत्यादि मामलों को लेकर हड़ताल होती है। और सहानुभूति प्रकट करने के लिये की जाने वाली हड़तालें भी इन्हीं किन्हीं कारणों को लेकर अन्य स्थान के मजदूरों द्वारा भी जाती हैं। अतः उन्हे सहानुभूति प्रदर्शक हड़ताल कहा जाता है। यदि कोई हड़ताल मजदूरों के मामलों को लेकर हुई हो, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए किसी और जगह हड़ताल हुई हो, या इन्हीं मामलों को लेकर सार्वजनिक हड़ताल हुई हो, और वह सचमुच बैसी ही हो, तो सदैव सरकार को अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। यदि बेकारी भत्ता, काम के घंटे आदि बातों को लेकर सार्वजनिक हड़ताल हुई हो, तो उसमें थोड़ा-सा दोष सरकार का भी होता है। मजदूर-विषयक कानून सरकार को बनाने चाहिये तथा उन पर अपना भी करना चाहिये। मालिङ्गों के मुनाफे पर अंकुश होना चाहिये। मालिङ्ग तथा मजदूरों के बीच झाड़े उठ रहे हों तो उनका फैसला करने के लिए योग्य मरीनरों होनी चाहिये। ये सब बार्ते सरकार के कर्तव्य क्षेत्र में भाती हैं। अतः निजी धंधों की परिस्थिति को लेकर की गई सार्वजनिक हड़ताल को केवल यह कहकर कि वह सार्वजनिक स्वरूप की हड़ताल है तथा उससे सार्वजनिक जीवन में रुकावटें पड़ने की सम्भावना है, अर्थपूर्ण एवं यनुवित्त नहीं कहा जा सकता। और यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि सार्वजनिक हड़ताल करने के लिये जब संगठित मजदूरलोग तैयार होते हैं, तब वे अपने सर्वज्ञ की बाजी साझा देते हैं और उनके मारे खतरों का मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी समय किसी भी कारण को लेकर साधारण या सार्वजनिक हड़ताल कर बैठना प्रासान नहीं है। अतः यदि कोई सार्वजनिक हड़ताल हो जाय तथा उसका उद्देश्य मजदूरों की परिस्थिति को मुघारना हो, तो जब तक उसके चालू रहने से समाज के जीवन अथवा समाज की रक्षा के लिये साक्षात् सतरा न पैदा हो जाय, तब तक सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये। सार्वजनिक हड़ताल की घोषणा हो जाने तथा उसके सार्वजनिक जीवन के लिये सतरा पैदा होने की संभावना से ही सरकारी हस्तक्षेप की जल्दत नहीं पड़ती। और यदि आवश्यकता न होने पर भी सरकार हस्तक्षेप करने लगे तो इनके मानी हींगे कि सरकार मजदूर विरोधी पूजीबाद के हाथ मजदूर करना चाहती है तथा मजदूरों को न्याय प्राप्त करने से इनकार करती है। पर इनके ये भी मानी नहीं कि सरकार को कभी हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिये। भगड़ा भले ही निजी क्षेत्र में ही, पर सरकार का टट्ट्य होकर शाति भंग न होने की हितति तक निकिंग बना रहना भी उचित नहीं। कुट्टी ग्रामांडे में बाहर नहीं आती है, दोनों पहलवान ग्रामांडे में लड़ रहे हैं, इस बात को देखने तक ही सरकार की हप्टि सीमित नहीं रहनी चाहिये। मजदूर भले ही संगठित हों पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि बहुत समय तक हड़ताल जारी रख सकें। इसी प्रकार सालिङ्ग-गण भी अनन्त काल तक कारबानों की बग्द रखकर, होने वाले नुकसान को स्थितप्रता की भाँति देखते चेठे नहीं रह सकते। इस प्रकार की परिस्थिति में प्रवातवी सरकार का कुछ कर्तव्य होता है। केवल यत स्वतंत्रता एवं समझौते की

स्वतंत्रता की हुदाई देहर यदि गरकार चुप बैठो रहे तो वह ठीक नहीं होगा। उग हालत में भलाड़े को निटाने के लिये तथा मुनह-गमभौता करवाने के लिये यदि गरकार बीच-न्याय बरे तो वह उपित ही होगा। मबड़रों को हडताल भी पोंगला नहीं करनी चाहिए, यह बहता उदित है, परन्तु यदि हर प्रकार की कोशिश करने पर भी मानिक सोग बोई उपित करना चाही तो राजी न हो, तो मबड़रों वा हडताल करना उन्नित ही कहा जायेगा। यदि इनी को इन्हिये न्याय न मिले कि वह गरीब तथा शांत है तथा गरीबी एवं शांति गे काम में है तो इन उपित को प्रजातंत्र नहीं बहा जा गरेगा तथा वहना होगा कि राज्य-नाता मामलार्हे एवं पूंजीवादियों की गुमाम है। किस समय गरकार हस्तक्षेप करे, मुनह-गमभौता कराए, यदका किंग परि-स्थिति में निर्णायिक सत्ता थोकी बाप में साकार हडताल को दशा दे, यह हर हडताल भी अपनी परिस्थिति पर निर्भर करता है। हडताल के उचित होने पर भी उपे मावंजनिक एवं सहानुभूतिक हडताल का नाम देहर घोष टहरा देना या दशा देना एक प्रकार से सगठन स्वतंत्रता पर जबदेस्त हमस्ता ही समझा जायेगा। तथा न्यायप्राप्ति का जो एक वैध इस्तम है, वह गरकार के अपोग्य हस्तक्षेप के कारण सर्वथा निष्कर्ष सिद्ध हो जायेगा। समाज में तथा विदेशतथा भ्रीदीगिक दोनों में शांति यनी रहनी चाहिए इस बात का हठ पकड़कर कोई सरकार घाना काम-काज ठीक से नहीं चला सकती। अन्याय होता हो, तो अविकृ नीकरी स्थान देता है, स्वाभिमान की रक्ता के लिये त्याग-पत्र दे देता है। अविकृ के इन कृत्य के पीछे जो एक खेल भूमिका रहती है, वही भूमिका भड़दरों की सावंजनिक हडताल के पीछे भी रहती है। अतः सत्तासत्य का विवार न करके केवल हडताल की घोषणा को मुनकर ही उमे दबाने की कोशिश करना या गैर-कानूनी ठहराना एक प्रकार से समाज की खेल प्रवृत्तियों को पनाने न देने जैसी बात हो जायेगी।

कोई भी वह दावा नहीं करेगा कि हडताल से या सावंजनिक हडताल से समाज का नुकसान नहीं होता। अपत्तिगत जीवन में भी यदि कुछ बमी-वेशी हो जाय, रोजसर्वी की बातों से कुछ घलहदा बात हो जाय, तो यादमी तंश में आ जाता है। ऐसी हालत में जब सारे समाज को या समाज के अधिकार्य अपत्तियों को किन्हीं व्यतियों के संगठित प्रदत्तनों के कारण परेशानी हो तो उनका तंश में घाना स्वाभाविक है। पर जिन लोगों के कारण परेशानी हुई है, उनका कहना क्या है तथा उस बहने से कहीं तक श्रीचित्य है, इस बात को ठंडे दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति समाज में बहुत घम होते हैं। जब घनेक शान्तिपूण उपायों से समाज की न्याय-न्युदि जाग-रित नहीं हो पाती, लेख निटाने से या सीधेन-सादे निष्पद्वी प्रस्तावों के पास करने से अन्याय के पीछे तके कुचले जाने वाले लोगों की पुकार नहीं सुनी जाती, तब गोर्खों के लोग प्रदर्शन करके लग जाते हैं; मोर्ख निकालने के लग जाते हैं। और तब उसे देख कर लोग उसके पीछे छिपे कारणों को जानने लिये उत्सुक हो उठते हैं। एक हट्ट से लोकमत को जानाने के लिये ऐसा कुछ काम करना पड़ता है, जिससे लोग चौंक जायें। तभी लोकमत जागता है, ऐसा अनुभव है। शहर में जब हडताल घोषित होती है, ट्रामगाड़ी बद हो जाती है, ट्रंकी वाले यात्रियों को लेने से इन्कार कर देते हैं,

तब समाज के मन को एक प्रकार का भाषात पहुँचता है तथा भव तक वे जिस मामले में एकन्दम भज्ञानी घण्टा उदासीन हैं, उस मामले को लेकर उनके मन में विचार उठने शुरू हो जाते हैं। इसके मानो हुए कि जब तक समाज को योड़ी बहुत मात्रा में मुसोबत में न ढाना जाय, तब तक समाज को अन्याय की जानकारी नहीं हो पाती तथा समाज उस पर विचार करने को घप्सर नहीं होता। पुरुष को प्रसिद्धि चाहिये, तो उम्मेद किये उसे कोई न कोई ऐसा काम करना चाहिये, जिससे सोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो। उदाहरणार्थे, घड़ा फोड़ना, कपड़े काड़ना या कोई घजीव भावाज गले से निकालना इत्यादि। इसी किस्म की कुछ बातें योहे हेर-फेर से आजकल के जमाने में भी अन्याय के पैरों तले दबे हुए लोग किया करते हैं तथा उसमें कोई अनुचित्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सब कुछ शास्त्रोक्त एवं वेदोक्त कर चुकने के बाद यदि फल प्राप्ति न होती हो, तो कुछ पुराणोक्त भी करना ही पड़ता है। उसके बर्दार फल प्राप्ति नहीं होती। ऐसा ही कुछ आजकल की राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, अधिकारों के लिये भगड़ते समय करना पड़ता है। चाहे जिता भी अन्याय हो, उसे सह लेना चाहिये, किसी भी हालत में हड़ताल का रास्ता नहीं घपनाना चाहिये, ऐसा कहना देखने में बहुत अच्छा लगता है, यह सही है; तथापि जिन्हें न्याय नहीं मिलता, पेट की भावा जिन्हें चैन नहीं लेने देती, जिनके जीवन में, योही भावा में भी मुख नसीब नहीं होता, उन्हे यह वेदांत प्रिय नहीं लगेगा, यह साफ है। भतः जब मादमी देखता है कि सिर झुकाने से कुछ काम नहीं बनता, तब वह घपना सिर उठा लेता है। जब वह देखता है कि हाय जोड़ने से कुछ नहीं बनता तब वह मुट्ठी तान लेता है। ऐसी भवस्था में हड़ताल के अधिकार से इनकार करना अथवा उस पर अन्यायपूर्ण प्रतिबन्ध लगाना एक तरह से धोयोगिक क्षेत्र में मज़दूरों को गुलामी के शिक्कजे में जकड़ देना होगा। यह कह कर कि सामान्य जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा समाज का जीवन तितर-वितर हो जाता है, हड़ताल का अधिकार धीत लेना हर परिस्थिति में उचित एवं न्याय नहीं होगा। किन्हीं परिस्थितियों में हड़ताल का अधिकार न छीनकर भी उस पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाना जिससे कि वह कार्यक्रम न रहे, समाज की हटिंग से तथा समाज के आत्मनिक हित की हटिंग से सरकार का कर्तव्य हो जाता है। सार्वजनिक हड़ताल या साधारण हड़ताल या सहानुभूतिक हड़ताल जब किसी राजकीय कामकाज के बारे में धोयित न होकर राजकीय उद्देश्यों के बारे में हो अथवा हड़ताल धोयित हो चुकने के बाद उसका स्वरूप या उसका उपयोग राजनीति के लिये किया जाते लगे; तो सरकार को उसके लिलाफ कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है और हीना चाहिये। तथापि जो हड़ताल है, वह निश्चित रूप से राजकीय कारणों के लिये है है या उस हटिंग से उसका उपयोग किया जा रहा है, यह कहना आसान काम नहीं है। किन्हीं भवस्थों पर हड़ताल खुल्लम-खुल्ला राजनीतिक उद्देश्य से की जाती है। राजनीतिक उद्देश्यों से किया जाने वाला सत्याग्रह या की जाने वाला सीधी कार्यवाही इस लेखक की राय में अवैय एवं अनुचित है। राजनीतिक उद्देश्यों से की जाने वाली राजनीतिक हड़ताल को यदि उचित मान लिया जाय, तब तो कोई भी सरकार टिक कर

काम नहीं कर पायेगी। प्रजातन्त्री राज्य-व्यवस्था में सार्वजनिक चुनावों में बहुमत द्वारा चुना गया दल सत्ताधारी होता है। वह सभवतः ५५ प्रतिशत हो और विरोधी दल ४५ प्रतिशत हो। तथाति ४६ प्रतिशत वालों को मोदूदा हालत में ५१ प्रतिशत वालों का कहा मानना चाहिये। और सार्वजनिक चुनाव होने तक उन्हें उन वातों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिये, जो सचमुच अनर्थ करने वाली हो। पर उन वातों को दूर करने का रास्ता देश में सत्याग्रह या सीधी कार्यवाही करना नहीं है। लोगों के भन को अपनी वातों की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये तथा चुनावों में बहुमत द्वारा चुने जाकर सत्ताधारी होना चाहिये तथा कानून द्वारा अनर्थकारी वातों को दूर करना चाहिये। यही रास्ता प्रजातन्त्र में सर्वधेष्ठ होता है। किंबहुना, इस रास्ते को अपनाने से ही प्रजातन्त्री व्यवस्था स्थिर होती है। अल्पमत में आने के बाद तत्काल देश में क्षीभ निर्माण करना, हड्डताल, मोर्च, जुलूस आदि वातों से अराज-कता उत्पन्न करके निर्वाचित सत्ताधारी दल को नीचे खसीटना अनुनित, अवैध तथा अन्त में यारनाक है। यदि एक दल इस रास्ते को अपनाकर सफलता प्राप्त कर ले तो वही रास्ता असफल दल के लिये भी तो गुला है। और यदि वह दल भी उसी रास्ते को अपनाने लगे तो देश में लगातार असाति बनी रहेगी एवं वातावरण अनिश्चित हो जायेगा। प्रगति के कदम वही के वही पढ़े रह जायेगे। अतः इन सब वातों वा विचार करके चुनाव होने तक उन वातों को मदूर कर लेना चाहिए जो कानून द्वारा निर्दिष्ट की गई है। आगे चुनावों तक हका रहना पड़ता है, यह सही है, तो भी अन्तिम सफलता की हृष्टि से यह समय बहुत जल्दी है। किंबहुना, यह समय प्रजातन्त्र का एक महान् तत्त्व है। अतएव राजनीतिक कारणों को लेकर हड्डताल का रास्ता असनाना अनुचित है। मिल मजदूरों के सब का संयुक्त महाराष्ट्र के लिये हड्डताल करना अनुचित है। इसी प्रवार घोटी-मोटी राजनीतिक वातों को लेकर हड्डताल करना भी अनुचित है। राजनीतिक दोष में तबदीली लाने के लिये गविधान के मनुसार चुनाव ही एकमात्र उपाय है और होना भी चाहिये। लोकमत को तैयार करना, उसे उसी प्रवार बनाये रखना, किंबहुना, मोदूदा सत्ताधारी सरकार के प्रत्येक मन्त्रालयूर्ध्वं कृत्य को चीराहे पर लाफ़र लड़ा करना, उगे के विरद्ध लियना, बोलना, एवं हृष्टि से चुनाव के लिये प्रपत्ने पक्ष में प्रबङ्ग सोशमत निर्माण करना—यही वायं की दिशा होनी चाहिये। राजनीतिक विषयों पर मजदूरों का, समर्थित समूहों का या और किसी समूह का हड्डताल कर बेटना एक प्रवार से गविधान एवं परम्परा द्वारा सर्वसामान्य जनता को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। बुध तोग बहुत है कि सामाजिक हावे वो बदलने के लिये, गविधान को बदलने के लिये राजनीतिक हड्डतालें नहीं होनी चाहिये, यह यदि मान लिया जाय, तो कभी-कभी ऐसे मोक्ष या जाने हैं, जब वि गविधित मजदूरों का हड्डताल करना राष्ट्र की स्थिरता के लिये जरूरी हो जाता है। उत्तराखण्ड, योद्धा सरकार राष्ट्र को युद्ध की साई में घोटने के लिये उत्तराखण्ड है तथा उत्तरा बुध कल नहीं हो रहा, ऐसे समय समाजन मंगठित मंत्रालयों को, मजदूरों को एवं अन्य मण्डलों को हड्डताल करनी चाहिये का नहीं? उस

भवस्था में हड़ताल करना अनुचित नहीं है, ऐसा प्रो० लास्टी का मत है। तथापि देश में यदि युद्ध के बिष्ट इत्ता जबर्दस्त विरोधी बाहावरण हो, तो सामान्यतया सरकार उसकी उपेक्षा नहीं किया करती। पर यदि मौजूदा सरकार युद्ध की घोषणा कर बैठे, तो उसके बाद देश में उसके बिष्ट हड़ताल करना युद्ध में अपनी परायन को भामग्नित करने जैसा हो जायेगा; सारे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा हो जायेगा; इच्छा न होते हुए भी शत्रु को नैतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने जैसा हो जायेगा, शत्रु के हाथ मजबूत करने जैसा हो जायेगा तथा उस हड़ताल का प्रसर निश्चित ही गृहयुद्ध के निर्भाण होने पर पड़ेगा, जो कि युद्ध में हार होने की प्रथम मूलना है। तात्पर्य यह कि राजनीतिक बाराहों को लेकर—भले ही कारण युद्ध सरीखी महत्व की बस्तु क्यों न हो—हड़ताल करना अनुचित तथा अवैध है। अतः इस प्रकार की हड़ताल हो जाय तो सरकार को उसे दबा देना चाहिये और उसे गैर-कानूनी घोषित कर देना चाहिये। सरकार का ऐसा करना उचित ही होगा। किंवद्दना, वैसा यदि सरकार न करे तो वह उसकी कर्तव्यपराह्यता होगी। सरकार का यह कृत्य किसी भी भवस्था में जनता की मत स्वतंत्रता एवं सगठन स्वतंत्रता पर हमला नहीं कहलायेगा। राज्य रहे तभी स्वतंत्रता रह सकेगी। अतः हर कोई यह स्वीकार करेगा कि सरकार को वह सब कुछ करना चाहिये, जो राज्य को बनाये रखने के लिये जरूरी है।

राजनीतिक भाग्यों को लेकर हड़ताल हो जाय तो उसके बिष्ट केवल अदालती कार्यवाही करने से काम नहीं चलेगा। जब राजनीतिक उद्देश्यों से हड़ताल की जाती है, उस समय मामला अदालत की दीवार से भी आगे पहुँचा होता है। अदालत कुछ क्यों न करे, हड़ताल करने वाले तथा उन्हे उक्साने वाले लोग उसकी भी पर्वाह नहीं करते। उनकी हटिं में कानून की कोई कीमत नहीं होती। यदि कानून वो स्वीकार कर लिया जाय तो हड़ताल का समूचा नैतिक भावार ही नष्ट हो जाता है। अतः कानून की उपेक्षा करके ही उन्हे सफलता की मजिल तक पहुँचना पड़ता है। कानून चाहे कुछ भी हो, उनकी हटिं में वही सही है, जो बे करते हैं। वे लोग कहा करते हैं कि मौजूदा कानून से आगे भी एक नैतिक तत्त्व एवं नैतिक दरांन है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा है। वे लोग मौजूदा कानून को तुच्छ समझते हैं। कानून की अवक्षा अवक्षा सत्याप्त हुनका धर्म होता है। कानून केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाता है और मौजूदा परिस्थिति से उसका सम्बन्ध नहीं रह जाता। सचावारी लोग बाह-बाह उसका उल्लेख करते हैं। परंतु जिन्हें उसका पालन करना हीता है, उनके मत पर कानून की नैतिकता या उसकी दण्ड-विषयक भावना का कुछ भी असर नहीं होता। सार्वजनिक हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित करने भर से वह खत्म नहीं हो जाती। उलटे वैसा करने से बातावरण अधिक बिगड़ जाता है। सार्वजनिक हड़ताल को न होने देने का सबसे बढ़िया उपाय है, उस हालत को ही पेंदा न होने दिया जाय, जो इन हड़तालों की बजह बनती है। पर जब सार्वजनिक हड़ताल घोषित हो चुकी हो तब केवल अदालती कार्रवाई के भरोसे पर बैठे रहने से काम नहीं चलते। अतः राज्य के लिए अपनी निष्ठायिक शक्ति से काम लेना भवस्थक हो जाता है। सेवन-

हड्डताल को गैर-कानूनी घोषित करने से ही समाज के हित की रक्षा नहीं की जा सकती। हड्डताल के गैर-कानूनी साधित होने पर हड्डताल करने वाले कारकून लोग तुरंत कच्छरी में चले जाते हो ऐसी बात नहीं होती। एक बार हड्डताल को गैर-कानूनी घोषित कर चुकने के बाद उत्पन्न हुई परिस्थिति का सरकार को पूरी ताकत से मुक्त-बला करना चाहिए। जो हड्डताल हुई है, उसके बारे में जैसे-जैसे लोगों की यह घारणा होती जाती है कि वह अनुचित उद्देश्यों को लेकर हो रही है, वैसे-वैसे वह अपने खात्मे की ओर तेजी से बढ़ने लग जाती है। हड्डताल के नेताओं को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि जनता की सहानुभूति के बर्दं वह चल नहीं सकती। हड्डताल का उद्देश्य ही जनता की सहानुभूति हासिल करके सरकार को हड्डताल की माँगें पूरी करने के लिए विवश करना होता है। सरकार यदि जनता को यह विश्वास दिला सके कि हड्डताल के उद्देश्य अच्छे नहीं हैं या उसका फल समाज के जीवन के लिए सतरनाक होगा, तो सरकार बड़ी तेजी से हड्डताल को खत्म करवा सकती है। पहली सहानुभूति सर्व हड्डताल करने वालों के साथ होती है। क्योंकि हड्डताल करना कोई आसान बात नहीं होती; उसके लिए बहुत बड़े त्याग की ज़रूरत होती है; कभी-कभी तो अपने प्राणों से भी हाथ धोने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अतः अन्त में जनता जिसके पक्ष में होगा, जीत उसी की होगी, यह साफ़ जाहिर है। जनता भले ही भावुक हो, पर किर भी उसमें कुछ न कुछ तो सही और गलत को जीचने की बुद्धि होती ही है। विवेक से वह एक-दम अद्यूती नहीं होती। देर बयो न हो, सच्चाई तथा प्रोप्रेगेड के बीच वा अन्तर वह समझ ही लेती है। अवित्तिगत अन्याय, समूह पर किया जाने वाला अन्याय तथा समाज का आत्मतिक हित इन सबके बीच वा फर्क वह जानती है। अतः जब सरकार के सिर पर हड्डताल की बला या जाती है, तब पहला काम सरकार का यह ही जाता है कि वह जनता को हड्डताल के उद्देश्य से परिचित कराये वैवल प्रदालत पर भरोसा रखने से, या हड्डताल को गैर-कानूनी घोषित कर देने से हड्डताल का प्रतिकार नहीं हो सकता। यह ठीक है कि जहरत पड़ने पर पुलिस की ताठियों एवं बन्दूक की गोलियों से भी काम लेना चाहिए तथापि उससे भी ज्यादा ज़खरी यह है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाय कि सरकार जो कुछ कर रही है, वह ठोक ही कर रही है। हड्डताल करने वालों के लिए यह वहना आसान है कि हमारे सामने इसके सिवा कोई और चारा ही नहीं था तथा सामान्यता पहले-पहल सोगों का हाप्टिकोण उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण ही रहता है। हड्डताल का उन्हें अधिकार है, मह बात उनकी भाँति जनता वो भी भली प्रवार विदित होती है। पर सोगों को इस बात को तुरन्त जानशारी नहीं होती कि हड्डताल का फल क्या हो रहा है या होने वाला है। जब आग की लपटें भाँतों को दियाई नहीं देती तब सोगों को यही प्रतीत होगा कि आग बुझाने वा दमकल सोगों को बेकार में परेशान कर रहा है। अतः सोगों के मन वा भ्रजान अवधित रूप से दूर किया जाना जाहिए। तथा मुद्रों भर सोगों की बजह से समूचे समाज का जीवन लतरे में पड़ जाय, यह ठोक नहीं, ऐमा सोचकर जनता को भी हड्डताल करने वालों की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। जनता वा इस चुनौती को स्वीकार करना एवं सरकार से सहयोग करना

मच्छ्रा ही होता है। व्यक्ति की मौति समाज को भी अपने अधिकारों की रक्षा करने का पूरा हक्क हासिल है। यह चलता चोर यदि पिस्तौल तान कर खड़ा हो जाय, तो देने पर घन और न देने पर घन और प्राण दोनों ही गंदा बैठने को हालत जैसे व्यक्ति के जीवन में असहज एवं अनर्थकारी होती है, वैसे ही सगठित मजदूर या अन्य वर्ग के लोग समाज की अपने संगठन के धत पर परेशान करें, डरावे और न्याय-न्यायवाद का विचार न करके समाज को मजबूर करने के लिए विवश करें, यह अनर्थकारी है तथा यदि ऐसा होने लगे तो समाज में प्राजनकता एवं अव्यवस्था मचे बिना नहीं रह सकती। और यदि समाज संगठन होकर हड्डताल का मुकाबला करे तो यह कहना भी ठीक नहीं कि इससे संगठन की स्वतंत्रता पर हमला होता है। जिस प्रकार स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है, यह कहकर उससे इनकार करना अनुचित है, उसी प्रकार उसके दुरुपयोग होने के बाद समाज या राज्यसत्ता का चुप बैठे रहना भी अनुचित है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग व्यक्ति तथा समूह किया करते हैं। पर उसका दुरुपयोग देश की विधान सभा या पालियामेट भी कर सकती है और बहुत दफा संकट से सभ्र-मित होने के कारण स्वतंत्रता के मूलमूल तत्वों को तिलाजिल देने वाले कानून भी बना दिये जाते हैं। तथापि ऐसे भी उपायों का संविधान में निर्देश होता है, जिनसे विधानसभा तथा पालियामेट द्वारा किये गये कानूनों को बदला जा सके। और उस भाग से ही त्रुटिपूर्ण कानूनों को ठीक किया जा सकता है तथा जो कुछ कमी-वैदीर्घ्य रह गई हो उसे पूरा किया जा सकता है। तात्पर्य यह कि हाथ में सत्ता होने के कारण सरकार या पालियामेट जो जी में आए करे, यह ठीक नहीं। इसी प्रकार संगठन के बल पर समाज के जीवन के मूल पर कुठाराघात करना, समाज के जीवन को अवशत कर डालना तथा प्राजनकता को न्योता देना भी ठीक नहीं है। सरकार तथा संगठन दोनों की स्वतंत्रता पर एक-दूसरे को हमला नहीं करना चाहिए। और यदि वैसा हो जाय, तो उसके लिए आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए। तथा ऐसे जो उपाय किये जाएं, उन्हें समाज को सहन भी करना चाहिए।

अब तक हमने जिन हड्डतालों का विचार किया है, वे समाज के निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली हड्डतालें हैं। प्राधुनिक राज्य में सरकारी कर्मचारियों की संख्या तगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे प्राधुनिक राज्यों का स्वरूप लोककल्याणात्मक (वेलकेपर स्टेट) होता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य का कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। नागारिकों से सम्बन्धित उत्तरदायित्व भव अधिकाधिक मात्रा में सरकार के सिर पर आने लग गया है। जन्म के लिए भानू-गृह, शिक्षा के लिए पाठ्यालाएँ, रोजगार दिलाने के लिये तंत्रशिक्षण देने वाले केन्द्र, त्रुट सरकारी काम-काज में हासिल होने वाला रोजगार, दीमारी या वेकारी की हालत में सरकार की मदद, बुडापे में सेवानिवृत्त होने के बाद की पेन्शन तथा अन्य प्रकार की सहायता, किंवद्दना, मृत्यु के बाद दहन अथवा दफन की व्यवस्था आदि सारी बातें भव सरकार के कार्यक्षेत्र में आनी हैं। व्यक्ति का जन्म एवं मृत्यु पद्धति वैदिकितक मापदण्ड हैं तथापि उनके सम्बन्ध में जो उत्तरदायित्व है, वह सरकार तथा समाज का है, यह सिद्धान्त भव स्वीकार किया जा चुका है। माता-पिता का उत्तर-

दायित्व एवं स्थान यव सरकार लेने लग गई है अत लुट सरकारी नौकरी में काम करने वाले नागरिकों की संख्या सप्ताहार बढ़ती जा रही है। वाहन विभाग, ट्राफ़-तार विभाग, शिक्षा-विभाग इत्यादि अनेक क्षेत्रों में होने वाला कार्य सरकार के नियंत्रण में आने लगा है और इस कारण सरकारी नौकरों की संख्या बढ़ रही है। जहाँ साम्यवादी व्यवस्था है, वहाँ जिजो क्षेत्र का अस्तित्व नगमन नहीं के बराबर है। व्यापार, उद्योग, उत्पादन, विभाजन आदि सभी क्षेत्रों में, साम्यवादी राज्य-व्यवस्था में काम करने वाले सब-के-सब सरकारी नौकर ही होते हैं। वहाँ हड़ताल का सवाल ही नहीं उठता। सरकार एवं कर्मकर्ता प्रजा के बीच पूरा हितेक्षण होता है। बर्ग-कलह वहाँ नहीं होता। अत वहाँ हड़तालों की गुंजायश रह नहीं जाती। और यदि कही उसकी आहट पहुँच जाये, तो मुँह से शब्द निकलने से पहले ही मुँह का इन्तजाम कर दिया जाता है। हड़ताल के जिते भी प्रकार हैं, वे तानाशाही रहित राज्य में ही हटिगत होते हैं। प्रजातन्त्री राज्य में सरकार तथा गैर-सरकारी संस्थाएँ सामान्यतया काम किया करती हैं। और यदि प्रजातन्त्र को सफल होना है तो चर्चा-तथा विचार स्वतंत्रता के लिए अवश्य अवसर होना चाहिए। तानाशाही में चर्चा-तथा विचार स्वतंत्रता मन को सीमा को लाख नहीं सहती तथा जो कुछ विचार-स्वतंत्रता के नाम पर होता है, वह मिट्टी के बनाये कल की भौति होता है। उसके अस्तित्व की प्रतीति तो होती है, पर अनुभव नहीं होता। तात्पर्य यह कि सरकारी नौकरों की हड़ताल का अर्थ यह है कि समाज की सारी रक्ता अभी साम्यवादी स्वरूप की नहीं हुई है। और इसी कारण विचार स्वतंत्रता की गुंजाइश है। अपने दुसो को बाणी प्रदान की जा सहती है। इस परिस्थिति में सरकारी नौकरों के सम्बन्ध में नियमन एवं नियंत्रण करने की हटिसे से अधिक अधिकार होते चाहिए, यह हर कोई क्यूल करेगा। और अधिकार के द्वारा सरकारी नौकरों की अनेक स्वतंत्रताओं पर एक विशेष प्रकार के अनुश रक्ष दिये जाएं, तो उन्हें भी क्यूल करना चाहिए। सेना के किसी विभाग में या पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों पर अधिक अनुश रहना चाहिए, इस बात की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि इन सरकारी कर्मचारियों को सर्वसामान्य नागरिकों की भौति स्वतंत्रता दे दी जाय और उसके मनुसार समितियाँ तथा संगठन बनाने की दूड़ दे दी जाय एवं उनको हड़ताल आदि करने की स्वतंत्रता दे दी जायें तो उसका अर्थ होगा कि राज्य की निरायक शक्ति बोही ही उसमें दीन तिया गया है। पुलिस का हाथ उठने ही मोड़ एक जाती है, इसके मानी में होते हैं कि पुलिस की भाजा राज्य को भाजा है तथा उसे न मानने पर राज्य की सारी तात्त्व उसे न मानने वाले के गिलाक उठ सड़ी होती। अतः पुलिस को दो गई भाजा का विस प्रकार पुलिस को बगेर तिनो ननुनच के पालन करना चाहिए, उसी प्रकार उसकी भाजा का भी सामान्य नागरिक को बगेर विसी ननुनच के पालन करना चाहिए। पुलिस यदि भाजाधारक न हो, तो उसकी भाजी भाजाओं का पालन भी टीक तराह से नहीं होगा। समूने राज्य-प्रबन्ध का अन्तिम भायार है दण्ड विधान। माना कि, प्रजा को भौति एवं अनुभवि भा होना चाही है, पर कुछ लोग ऐसे उद्घट एवं सारांश होते हैं कि वे किसी का कुछ

नहीं मानते। विवेक से उनका घोर दातुर्य होता है। गुणागर्दी उनका सहज धर्म होता है। ऐसे व्यक्तियों को सीधी राह पर लाने का एकमात्र साधन है राज्य की निषण्यित-शक्ति, जिसका कि आविष्कार होता है पुलिस तथा लेना आदि के द्वारा। सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी मशीनरी राज्य के साधन हैं अतः उन्हें पूरी तरह से निविकल्प होना चाहिए। तलबार ढारा हत्या करना है अतः उस तलबार को स्वयं-प्रज्ञा नहीं होनी चाहिए। शक्ति अथवा सत्ता को तटस्थ रहना चाहिए। उसका उपयोग उपयोगकर्ता को इच्छा के अनुसार होना चाहिए। मैनिक तथा पुलिस के सोन भनुप्य ही होते हैं, इसमें सरदैह नहीं। पर यदि उन्हें स्वयं-प्रज्ञा का अधिकार दे दिया जाय तो राज्य का वह हथियार निरूपयोगी हो जायेगा। सरकारी कर्मचारी मुलकी तथा लक्ष्यकरी सभी सरकारी नौकर हैं। माना कि नागरिकता के अधिकार उन्हें भी हासिल हैं, तथा उनके कर्तव्यकर्त्त्व प्रत्य नागरिकों में कुछ भिन्न है। वे हर काम अपनी भर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते। यदि उन्हें संगठन स्वतंत्रता के नाम पर संगठन बनाने तथा हड्डताल करने की छूट दे दी जाय, तो सरकार का काम नहीं हो सकेगा, किंबुना, सरकार नाम की कोई चीज ही बच नहीं रहेगी। सरकार का कार्य उदूँ कवि के शब्दों में कहें तो वहना होगा कि

'न कसीदे से चलती है,
न दोहे से चलती है,
कारे सलतनत लोहे से चलती है'

भावगीतों के गाने या प्रेम का राग अनापने से राज्यकार्य नहीं हुआ करता। राज्य का कार्य तलबार के जोर पर होता है। राज्य का धर्म है संगठित-शक्ति। सरकारी नौकरों को नियन्त्रण में रखना उसका आधा कर्तव्य होता है। यह ठीक है कि नियम बनाते बबत सम्बित कर्मचारियों से भी विचार-विनियम कर देना इच्छा होता है; पर इन नियमों को अन्तिम रूप तो सरकार ही को देना होगा। इन मामलों में अदालत को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए, यह भी ठीक है। जो लोग मुलकी नौकर हैं, उन्हें संगठन बनाने का अधिकार देना ठीक है। पर वह अधिकार केवल अपनी शिक्षायतों को पेश करने तक ही सीमित रहना चाहिए। मजदूर संगठनों की भाँति किसी भी बाहर के द्वादशी को सरकारी नौकरों के संगठन में स्थान नहीं होना चाहिए तथा राजनीति में चोब मिडाने वाले केन्द्रीय मजदूर संघ में उन्हें नहीं जाना चाहिए। यह भी भौंच्छा रहेगा कि वे अपनी संस्थाओं को उनके साथ रजिस्टर न कराएं। सरकार को चाहिए कि वह सरकारी कर्मचारियों के देतन, नियुक्ति, निवृत्ति, बढ़ती, बहानी आदि मामलों में समजस वृत्ति से तथा अत्यधिक उदारता से व्यवहार करे। हड्डताल को स्वतंत्रता न भी दी जाये, तो भी इस बात का खयाल जरूर रखा जाना चाहिए कि वे सोन सतुष्ट रहें। सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों के दीच खड़े होने वाले झगड़ों को विचार-विनियम तथा शान्तिपूर्वक उपायों से निपटाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

उल्लिखित विवेचन में हमने सरकारी नौकरों को दो विभागों में बांटा है। एक मुलको (सिविल एम्प्लाईज) तथा दूसरे सरकार कर्मचारीगण। इस दूसरे वर्ग

में इयल-सीनिक, जल-सीनिक, यायु-गनिक तथा पुतिला का नमांगन होता है। जो मुलकी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें सङ्गठन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पर उन्हें हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये, यह प्रश्नुग सेवा का भूत है। सरकार तथा उनके धीर उठ रहे होने याते थे हों वा स्वतंत्र केवल उनके भवने सवालों से ही सम्बन्ध रखने वाला होना चाहिये। राजनीतिक पारंपरियों को सेहर यदि ये हड़ताल करें या अन्य किसी भी हड़ताल के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वाली हड़ताल करें, तो सरकार को तुरन्त उसके विराफ कारंपाई करना चाहिये। नरमार्झ में काम सेवा एक तरह से समाज के प्रति विद्यमान भवने कर्त्तव्यों से मुँह घोड़ा होगा। मुख्यी कर्मचारियों की सतुर्धि का सदाचल जहर रखा जाना चाहिए, यह माना, तथां इसके मानी ये नहीं कि भवने वेतन भावि के बारे में जो कुछ वे करें, वह मज़बूर कर तिया जाना चाहिए। समाज में उत्त-उत्त किसी का काम करने वाले जो सोग हैं, उनके रिस्मों के भनुतार सरकारी नौकरी में वेतन की बदलस्था की जानी चाहिए। यदि तिजो नौकरी में टाइपिस्ट को १०० रु. भिलते हों, तो सरकारी नौकरी में टाइपिस्ट को उससे छाड़ा मिलना तो ठीक है पर उसका यद्य पह नहीं कि वह दुरुनी हो। सरकारी नौकरी में स्थिरता, अधिक सुट्टियों तथा यद्य गुविधाएं अधिक होती हैं, यत् इन बातों को इयान में रखते हुए वेतन का दरजा निश्चित किता जाना चाहिये। सरकारी नौकरी करने वालों का एक ऐसा बगं नहीं होना चाहिए, जिसे भीरो से बहुत अधिक गुविधाएं प्राप्य होती हैं। भारत में राजा महाराजा भव नामदेव हो गये हैं। जगीरदार भीर इनाम-दार नष्टप्राप्य हो गये हैं। पर सरकारी नौकरों का एक अधिक सुविधाप्राप्त बगं (प्रिलिएज्ड बलास) बनाता जा रहा है। यह प्रबन्धन तथा सामाजिक समता की हाप्ति से उचित नहीं है। सरकारी नौकरी की आमदनी तथा गैर-सरकारी नौकरी की आमदनी में समेक्षता होनी चाहिए। सामान्य नागरिक को प्राप्त होने वाली सारी स्वतंत्रताओं की सरकारी नौकरों को उभीद नहीं करनी चाहिये, यह विचारधारा सरकार के मुलकी नौकरों के मामले में अस्वीकृत नहीं की जानी चाहिये। पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों पर नियंत्रण कुछ अधिक ही होने चाहिये। पुलिस वालों की हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिये। सङ्गठन होकर घरनी करियाद सरकार तक पहुँचाने का अधिकार भी सीमित मात्रा में होना चाहिये। सरकार को एक निर्धारित समय में इन पुलिसवालों की करियादें सुननी चाहिये। उनके यदि कुछ सङ्गठन हों, तो उनमें पुलिस विभाग से भिन्न भन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिये। उनकी सत्याभावों को केवल उन्हीं मामलों पर करियाद करनी चाहिये, जिनका सम्बन्ध उनकी नौकरी के मामलों से हो। उचित मार्गे ढुकरा दी जाएं तो क्या करें? हड़ताल कर नहीं सकते। यिकायतें सुनी नहीं जाती। ऐसी हालत में वे लोग क्या करें, यह प्रश्न पूछा जाता है। इसका उत्तर यही है कि बाट-बार प्रार्थना करते चले जाइये। कोई भी प्रजातंत्री सरकार उनकी उचित मार्गों की अवहेलना बहुत देर तक नहीं कर सकती। किसी भी परिस्थिति में पुलिस के लोगों का हड़ताल करना या किसी प्रकार की कोई सीधी कारंधाई करना क्षम्य नहीं होना चाहिये भीर यदि ऐसा होता हो, तो सरकार को उसकी उपेक्षा

नहीं करनी चाहिये। उपेक्षा करने का भर्तु होणा अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ना। रक्षा सेवाओं में धार्यात् स्वल-सेना, जल-सेना तथा वायु-सेना में काम करने वाले कर्मचारियों को सज्जन करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये। फ्रौड़ा, भजोरंजन आदि दातों के सम्बन्ध में कुछ सहृदयित्व देने में कोई आपत्ति नहीं। रक्षा-सेवाओं में जो लोग ऐसे हों, जिनका लड़ाई से सम्बन्ध न आता हो, उन्हें सरकार के मुलकी कर्मचारियों के समान भविकार देने में कोई आपत्ति नहीं। तो भी इस मामले में भी सावधानी जहर बरती जानी चाहिये। धार्युनिक युद्धों में जिता महत्व उन लोगों का है, जो प्रश्यक्ष रणांगण में जाकर लड़ते हैं, उत्ता ही महत्व उन लोगों का भी होता है, जो गोला-बाह्य तैयार करने वाले सरकारी कारखानों में काम करते हैं। किंवद्दना, सेनाओं को गोला-बाह्य या घन्य वस्तुएँ मुहूर्या करने वाले जिन्हें भी विभाग हैं, उन सदकों उत्ता ही महत्व है, जिता कि रणांगण में लड़ने वाले सेनिकों का होता है। अर्थः वहाँ भी जो सज्जन की स्वतंत्रता दी जाये, वह सीमित होनी चाहिए तथा उसके बारे में सरकार की सावधानी से काम सेना चाहिये। सरकारी नौकरी चाहे मुलकी हो, चाहे लकड़ी हो, वहूत उत्तरदायित्ववूल्ण है। और इसीलिए इस क्षेत्र में सज्जन तथा भाषण की उत्ती स्वतंत्रता नहीं होती, जिती कि सामान्य जनता को हुआ करती है। सरकार के मुलकी कर्मचारियों को धर्यिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह सिद्धांश्वः ठीक है। उपापि मुलकी नौकरी में भी किन्हीं विभागों में इस मामले में धर्यिक नियंत्रण की उत्ती सावधानी की ज़हरत होती है। डाक-नार, रेतवे, हवाई यात्रा आदि ऐसी सेवायें हैं, जिनका सम्बन्ध देश की शांति एवं रक्षा से होता है तथा इन सेवाओं एवं इसी प्रकार की घन्य सेवाओं में काम करने वाले लोगों को यदि सामान्य नागरिकों जिती स्वतंत्रता दी जाए, तो उसका दुष्पर्योग हो सकता है। १६४६ में डाक-नार विभाग में हड़ताल हुई थी। उन दिनों घमी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। इस कारण राजनीतिक नेताओं ने उसका समर्थन किया था। १६५७ में उसी प्रकार की हड़ताल की नौवट थाई थी। पर उसके बारे में जो परिस्थिति सामने आई, उससे भी प्रतीत हुआ कि उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुष्पर्योग ही हुआ है। १६६० में स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी वह प्रकारण थी और यह स्पष्ट हृष्टिगोचर होता था कि स्वतंत्रता का दुष्पर्योग ही किया गया है और आज भी केन्द्रीय सरकार के मुलकी कर्मचारियों ने हड़ताल करने की टानी है और यह सज्जन-स्वतंत्रता का दुष्पर्योग है। मुद्रों भर सरकारी कर्मचारियों के कारण करोड़ों नागरिकों के जीवन में उपद्रव मच जाए, राष्ट्र युद्धीकरों में पढ़ जाए तथा भराजकता को-सी स्थिति उत्पन्न हो जाए, यह राष्ट्रविरोधी वस्तु हो कही जाएगी। जो बेतन उन्हें आज मिल रहा है, वह निजी दोनों में निलम्बने वाले वेतनों की तुलना में धरिक है। हड़ताल करने वालों का यह इत्य घन्यात्मक एवं घन्यावहारिक बातों को द्यातों पर पिस्तौल तानकर मन लाने जैसा है। सरकारी सेवा के मुलकी कर्मचारी स्वतंत्रता का दुष्पर्योग नहीं करेंगे, ऐसा बार-बार कहा जाता है। पर कम-से-कम भारत में जो मनुमत भा रहा है, वह एकदम भिन्न है। सरकारी काम जन-सेवा की हृष्टि से किया जाता है, किसी व्यक्ति के नके के लिए नहीं होता। अर्थः जिस प्रकार निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों से ढट कर

मेरे स्थल-सेनिक, जल-सेनिक, वायु-सेनिक तथा पुलिस का समविश होता है। जो मुलकी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हे सज्जठन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पर उन्हे हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये, यह प्रस्तुत लेखक का मत है। सरकार तथा उनके बीच उठ खड़े होने वाले व्यक्तियों का स्वरूप केवल उनके अपने सदातों से ही सम्बन्ध रखने वाला होना चाहिये। राजनीतिक कारणों को लेकर यदि वे हड़ताल करें या भव्य किसी भी हड़ताल के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वाली हड़ताल करें, तो सरकार को तुरन्त उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिये। नरमाई से काम लेना एक तरह से समाज के प्रति विद्यमान अपने कर्तव्यों से मुँह मोड़ना होगा। मुलकी कर्मचारियों की संतुष्टि का खयाल बहर रखा जाना चाहिए, यह माना, तथापि इसके मानी ये नहीं कि अपने बेतन आदि के बारे में जो कुछ वे कहे, वह मज़बूर कर लिया जाना चाहिए। समाज मे उस-उस किस्म का काम करने वाले जो लोग हैं, उनके किसीों के अनुसार सरकारी नौकरी में बेतन की वशवस्था की जानी चाहिए। यदि निजी नौकरी में टाइपिस्ट को १०० रु. मिलते हों, तो सरकारी नौकरी में टाइपिस्ट को उससे ज्यादा मिलना तो ठीक है पर उसका अर्थ यह नहीं कि वह दुगुनी हो। सरकारी नौकरी में व्यिहता, अधिक युट्रियॉ तथा भव्य सुविधाएं अधिक होती हैं, मत; इन बातों को ध्यान मे रखते हुए बेतन का दरजा निश्चित किया जाना चाहिये। सरकारी नौकरी करने वालों का एक ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए, जिसे औरों से बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्य होती है। भारत मे राजा महाराजा भद्र नामशेष हो गये हैं। जागीरदार और इनामदार नष्टप्राप्य हो गये हैं। पर सरकारी नौकरों का एक अधिक सुविधाप्राप्त वर्ग (प्रिविलेज़ ब्लास) बनता जा रहा है। यह प्रजातंत्र तथा सामाजिक समता को हट्टि से उचित नहीं है। सरकारी नौकरी की आमदनी तथा गैर-सरकारी नौकरी की आमदनी मे सापेक्षता होनी चाहिए। सामान्य नागरिक को प्राप्त होने वाली सारी स्वतंत्रताओं की सरकारी नौकरों को उम्मीद नहीं करनी चाहिये, यह विचारधारा सरकार के मुलकी नौकरों के मामले मे मस्तीकृत नहीं की जानी चाहिये। पुलिस विभाग मे काम करने वाले लोगों पर नियंत्रण कुछ अधिक ही होने चाहिये। पुलिस वालों को हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिये। सज्जठन होकर अपनी फरियाद सरकार तक पहुँचाने का अधिकार भी सीमित मात्रा मे होना चाहिये। सरकार को एक निर्धारित समय में इन पुलिसवालों की फरियादें सुननी चाहिये। उनके यदि कुछ सज्जठन हों, तो उनमे पुलिस विभाग से भिन्न भव्य किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिये। उनकी संस्थाओं को केवल उम्ही मामलों पर फरियाद करनी चाहिये, जिनका सम्बन्ध उनकी नौकरी के मामलों से हो। उचित मार्ग दुकरा दी जाए तो क्या करें? हड़ताल कर नहीं सकते। शिकायतें सुनी नहीं जाती। ऐसी हालत मे ये लोग क्या करें, पह प्रस्त घूँदा जाता है। इसका उनकर मही है कि बार-बार प्रायंना करते चले जाइये। कोई भी प्रजात्री सरकार उनकी उचित मार्गों की भवहेलना बहुत देर तक नहीं कर सकती। जिसी भी परिस्थिति मे पुलिस के लोगों का हड़ताल करना या निमी प्रकार की कोई सीधी कार्रवाई करना आम नहीं होना चाहिये और यदि ऐसा होता हो, तो सरकार को उसकी उपेक्षा

नहीं करनी चाहिये। उपेक्षा करने का अर्थ होगा आपने कर्त्तव्य से मूँह मोड़ना। रक्षा सेवाओं में प्रधान स्थल-सेना, जल-सेना तथा वायु-सेना में काम करने वाले कर्मचारियों को सज्जूठन बनाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये। क्रीड़ा, मनोरंजन आदि वातों के सम्बन्ध में कुछ सदृशियतें देने में कोई आपत्ति नहीं। रक्षा-सेवाओं में जो लोग ऐसे हों, जिनका लड़ाई से सम्बन्ध न आता हो, उन्हें सरकार के मुलकी कर्मचारियों के समान अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं। तो भी इस मामले में भी सावधानी जरूर बरती जानी चाहिये। आधुनिक युद्धों में जिता महत्व उन लोगों का है, जो प्रत्यक्ष रणांगण में जाकर लड़ते हैं, उत्ता ही महत्व उन लोगों का भी होता है, जो गोला-बाहुद तंयार करने वाले सरकारी कारखानों में काम करते हैं। किंवदना, सेनाओं को गोला-बाहुद या अन्य वस्तुएं मुहूर्या करने वाले जिते भी विभाग हैं, उन सबका उत्ता ही महत्व है, जिता कि रणांगण में लड़ने वाले सैनिकों का होता है। भरत: वही भी जो सज्जूठन की स्वतंत्रता दी जाए, वह सीमित होनी चाहिए तथा उसके बारे में सरकार को सावधानी से बाप सेना चाहिये। सरकारी नौकरी चाहे मुलकी हो, चाहे लकड़री हो, वहुत उत्तरदायित्वपूर्ण है। और इसीलिए इस क्षेत्र में सज्जूठन तथा आपण की उत्ती स्वतंत्रता नहीं होती, जिती कि सामान्य जनता को हुआ करती है। सरकार के मुलकी कर्मचारियों को अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यह सिद्धांतिक ठीक है। तथापि मुलकी नौकरी में भी किन्हीं विभागों में इस भामले में अधिक नियंत्रण की तथा अधिक सावधानी की जरूरत होती है। डाक-तार, रेलवे, हवाई यात्रा आदि ऐसी सेवाएँ हैं, जिनका सम्बन्ध देश की शांति एवं रक्षा से होता है तथा इन सेवाओं एवं इसी प्रकार की अन्य सेवाओं में काम करने वाले लोगों को यदि सामान्य नागरिकों जिती स्वतंत्रता दी जाए, तो उसका दुष्प्रयोग ही चक्रता है। १९५६ में डाक-तार विभाग में हड्डाल हुई थी। उन दिनों भभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। इस कारण राजनीतिक नेताओं ने उसका समर्थन किया था। १९५७ में उसी प्रकार की हड्डाल की नौकर थाई थी। पर उसके बारे में जो परिस्थिति सामने आई, उससे भी प्रतीत हुआ कि उन्हें दो गई स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग ही हुआ है। १९६० में स्टेट वेक के कर्मचारियों ने जो हड्डाल की थी वह भकारण थी और यह स्पष्ट हृष्टिगोचर होता था कि स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग ही किया गया है और आज भी केन्द्रीय सरकार के मुलकी कर्मचारियों ने हड्डाल करने को ठानी है और यह सज्जूठन-स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग है। मुट्ठी भर सरकारी कर्मचारियों के कारण करोड़ों नागरिकों के जीवन में उपद्रव मच जाए, राष्ट्र मुसोबतों में पड़ जाए तथा भराजकता की-सो स्थिति उत्पन्न हो जाए, यह राष्ट्रविरोधी वस्तु ही कही जाएगी। जो वेतन उन्हें आज मिल रहा है, वह निजी क्षेत्रों में मिलने वाले वेतनों की तुलना में अधिक है। हड्डाल करने वालों का यह कृत्य अन्याय एवं अव्यावहारिक वातों को छाती पर विस्तौल तानकर मनवाने जैसा है। सरकारी सेवा के मुलकी कर्मचारों स्वतंत्रता का दुष्प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा भार-वार कहा जाता है। पर कम-से-कम भारत में जो अनुभव आ रहा है, वह एकदम भिन्न है। सरकारी काम जन-सेवा की हृष्टि से किया जाता है, किंतु अर्थ के नके के लिए नहीं होता। भरत: जिस प्रकार निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों के

काम लिया जाता है तथा उनके थम का दुरुपयोग किया जाता है, वैसा सरकारी नौकरी में नहीं होता। इसके अतिरिक्त आजकल के आधुनिक राज्यों में यदि सरकार एवं सरकारी नौकरों के बीच भगड़ा उपस्थित हो जाये तो उसका फैलाव करने के लिए मशीनरी होती है। केवल कर्मचारी ही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हो, और सरकार कभी न करता हो, यह दावा नहीं किया जा सकता। सरकार गलती पर हो सकती है। पर उसे मुधारने का मार्ग भिन्न है। हृष्टाल या काम में टालमटोल करना वह मार्ग नहीं है।

सरकारी नौकरी में प्रवेश करने के कारण किसी नागरिक के नागरिकता के अधिकार नष्ट नहीं हो जाते। सामान्यतया निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को जो अधिकार प्राप्त है, वही अधिकार सरकारी कर्मचारियों को भी होने चाहियें, यह कहना अनुचित नहीं है। ताकंसंगत ही है। तथापि सरकारी नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं है। उसमें सम्मान तथा पैसे अवश्य मिलते हैं, तो भी उसमें सेवा एवं त्याग की भावना काम करती है। अतः सरकारी नौकरी में श्रविष्ट होते समय स्वतंत्रता का कुछ त्याग करना पड़ता है। सरकारी नौकरी में रहते हुए कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, यह व्यवस्था बहुतेरे राज्यों के सविधान में है। किन्हीं राज्यों में, चुनाव में खड़े होने की अनुमति है तथा असफल हो जाने पर उसे फिर नौकरी में ले लिया जाता है। स्वभावतः बहुतेरे सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें चुनाव में खड़ा होने दिया जाये। पर इस बात की अनुमति देना अनीष्ट नहीं है। इस अनुमति के न देने से सरसरी तौर पर, स्वतंत्रता पर आक्रमण किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है तथापि सरकारी कर्मचारियों को यदि राजनीति में प्रत्यक्ष भाग लेने तथा चुनाव में खड़ा होने की घूट दें दी जाये, तो अनेक बहुड़े पैदा हो जायेंगे। मंत्री निर्वाचित हो, उसका सचिव निर्वाचित हो तथा ये दोनों सभा-गृह में एक-दूसरे के विरुद्ध हिट्कोण अपना लें तो उसका वया फल होगा, इस बात पर धारित से विचार किया जाना चाहिये। एक शासनाविकारी होने के नाते, उस पर अनुगामित के बधन रहेंगे। यदि वह उनका पालन करेगा तो वह जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा और यदि पालन न करेगा, तो वह निष्ठावंत शासक नहीं रह पायेगा। गुप्तता की शपथ का यदि वह पालन करेगा, तो वह सच नहीं बोल पायेगा। यदि पालन नहीं करेगा, तो सरकार का शासन सुरक्षा एवं सुचारतापूर्वक नहीं चल सकेगा। निवाचित में पराजित होने पर वह अपनी जगह वापिस आयेगा तथा जो बातें विधान मण्डलों द्वारा की जानी थी उन्हें कार्य-पालन द्वारा करने की ओर वह अप्रसर होगा। तात्पर्य यह कि सरकारी नौकरी में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी राजनीतिक महसूबाजारीओं का त्याग कर देना चाहिये। जिस जगह शासन गम्भीरी अधिकाधिक कार्यशमता की भावशक्ति है, वही काम करने वाले कर्मचारी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। उन्हें राजनीति में पूरी तरह अनग रहना चाहिये। राजनीतिक जीवन तथा तत्त्वज्ञानी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रक्षनी चाहिये और यदि किसी रामक प्रयत्न सरकारी कर्मचारी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना हो या कीति हासिल करना हो तो उसे सरकारी नौकरी छोड़ देनी चाहिये और यदि

चुनाव में वह हार जाये तो उसे फिर सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाना चाहिये। अतः सरकारी कर्मचारी को स्थाग की भावना से बाहर लेना चाहिये तथा सरकारी नौकरी भी प्रतिष्ठा तथा तत्सम्बन्धी सेवा भाव के सातिर राजनीतिक महत्वाकांश की तिलांजिति देनो चाहिये। यदि ऐसा नहीं होगा तो शासक वर्ग पर तथा उनकी निपट-शता पर सोरों का विद्वाम नहीं रह जायेगा। राजनीति में पड़ने वाले सोरों समाज की हृष्टि में अधिक विद्वास हैं नहीं रह जाते। शासकों पर जनता का घोड़ा-बहुत विश्वाम रहता है। पर यदि वे सोरों भी राजनीति में भाग लेने लायें तो यह विद्वास एकदम उठ जायेगा। सरकारी नौकरों को राजनीति में भाग लेने देना स्वतंत्रता की वत्तना के विरुद्ध होते हुए भी देश की राजनीतिक स्थिरता की हृष्टि से तथा सोरों को उचित न्याय प्राप्त कराने की हृष्टि से आवश्यक है। मुलकों नौकरों के बारे में मह मंकुश होना चाहिये। पर यदि रक्षा सेवामें काम करने वाले मुलकों कर्मचारियों की स्वतंत्रता पर यह मंकुश न रखा जाये तो उनको निपटा नानाविध पक्षों के प्रति हो जायेगी, राज्य के प्रति नहीं। जो सोरों शासन-कार्य से लगे हैं, उन्हें तटस्थ रहना चाहिये। यदि यह तटस्थता न रहे और सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग लेने लगे हों तो राज्य में स्थिरता एवं मुव्यवस्था नहीं रह जायेगी। इससे मूराज्य नहीं रहने पायेगा।

सरकारी कर्मचारियों की पूर्ण तटस्थता का यथ यह है कि वे स्वयं चुनाव में न पड़े हों तथा राजनीति में किसी प्रकार का कोई सक्रिय भाग न लें। यदि शासन में काम करने वाले सोरों पक्षनिष्ठ हों जायें तो राज्यकर्त्ताओं के लिये उन पर विद्वास करके काम करना समझ नहीं होगा तथा इसका फल यह होगा कि जो पक्ष अधिकारालूढ़ होगा वह पक्ष प्राप्तने पक्ष के सोरों को अधिकार पद पर नियुक्त करेगा। ऐसा होने से वेवल मन्त्रिमंडल ही नहीं बदला करेगा, चुनावों के परिणामों की घोषणा के अनुमार सरकारी कर्मचारियों में भी तबदीली हुआ करेगी। अतएव सरकारी कर्मचारियों के राजनीति में भाग लेने पर योक लगाना; कार्यकाल, प्रामाणिक कानून-कानून की हृष्टि से अभीष्ट है तथा इस मंकुश इन कर्मचारियों की स्वतंत्रता पर रखना देश की स्वतंत्रता की हृष्टि से अभीष्ट है। सरकारी नौकरी में भर्ती होते समय इस प्रकार का प्रतिवर्ष एक आवश्यक घर्ते होना चाहिये। विशेषतः पुलिस तथा सब प्रकार की रक्षा-सेवामें भर्ती होने वाले सिपाहियों एवं सेनिकों के लिये ये प्रतिवर्ष और भी अधिक कड़े होने चाहिये। मुलकी नौकरी में भी वर्धन होने चाहिये। पर वर्द्धी लनिक दिलाई से काम किया जा सकता है। किन्तु सेनिकों-सिपाहियों के बारे में की गई दिलाई अनर्थित हो सकती है। सेनिकों एवं सिपाहियों में दलगत राजनीति का प्रवेश उन की तटस्थता एवं राज्यविषयक निपटा को कल्पित कर देता है। सेनिकों तथा सिपाहियों के राजनीतिक हृष्टि से तटस्थ न रहने से राज्य का टिकना असम्भव हो जाता है। सेनिकों की चित्त-वृत्ति उचाट हो जाये या सेना में भी राजनीति के दौद-पेच शुल्क हो जायें तो सेनिक भी राजनीति चलाने लग जाते हैं तथा ऐसा होने पर प्रभातन का सोप हो जाता है। नक्कारदाही के बल पर तानाजाही चिर उठाती है। बहुत घड़े पैमाने पर राज्य में अनास्था उत्पन्न हो जाती है। सेनिकों एवं सिपाहियों के तटस्थ न रहने की अवस्था में हर दल उनको अपनी और भिलाने का प्रयत्न करता

भाषुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता

है। इत्ता ही नहीं, पूँजीपति लोग भी उन्हे अपने जाल में कोमाने की कोशिश करते हैं। सेना में राजनीति के प्रवेश से क्या होता है, इस बात को देखने के लिये हम पाकिस्तान के उदाहरण को अपनी गाँधीों के सामने रख सकते हैं। अभी हाल में जो बातें तुकीं में ही हैं, उनसे भी यही जाहिर होता है। बनेंल नातिर का उदय भी इसी बात को साझी उपस्थित करता है। सेना के राजनीति में चुप्पात करने से हास करते हैं कि सेना तथा पुलिस को राजनीति में भाग लेने वाले ग्रनुभवों को जानते हुए भी चुप नहीं बढ़ते। एक बार फौज ने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया तो समझ लीजिये कि राज्यकर्ताओं को फौज के इशारों पर नाचना पड़ेगा और उस अवस्था में फौजी शासन को बहुत देर तक टाला नहीं जा सकेगा। और फौजी शासन एक बार जोर पकड़ने लगा तो समझ लीजियेगा कि फिर राजनीतिक स्वतंत्रता की खँब नहीं।

सेनिकों एवं सिपाहियों का राजनीति में तटस्थ रहना एवं उसमें उनका भाग न लेना समाज एवं स्वतंत्रता की दृष्टि से क्यों आवश्यक है, इस बात का विवेचन हम कपर बर आए हैं। फौज तथा पुलिस के समान ही महत्व राष्ट्र के उद्योग-घन्यों का भी होता है। देश की रक्षा एवं सुव्यवस्था के लिये ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भान्न पैदा करने आधुनिक युग में युद्ध का तंत्र पूरी तरह बदल गया है। युद्ध-शेष में एक तिपाही को कार्यकार्थ बनाना हो तो राष्ट्र में ४०० व्यक्तियों को खटना पड़ता है। भान्न पैदा करने वाले बाला देतिहर, युनिफार्म तंयार करने वाली मिलें तथा दर्जी, गोला बालूद बनाने वाले बारतानों के मालिक, उसकी तनुस्ती का ध्यान रखने वाली डाक्टरी व्यवस्था, उसे पड़ाव से युद्ध-शेष पर पहुँचाने वाली वाहन व्यवस्था इत्यादि सब स्थानों पर भरपूर आदमी बास करते हों तथा वे सारे उद्योग एवं व्यापार व्यवस्थित रूप से चलते हों; युद्ध-शेष में वह सेनिक कार्यकार्थ साबित हो सकता है। अतः युद्ध की दृष्टि से ये सारे उद्योग-घन्ये प्रत्यन्त महत्व के हो जाते हैं और यदि इन उद्योगों में बास करने वाले लोगों को नियन्त्रण द्वारा चाहिए, ऐसी विचारधारा को गशत नहीं तो राष्ट्र के हित की दृष्टि से वह उचित नहीं होगा, ऐसी विचारधारा को गशत नहीं भी हो, तो भी कम-से-कम युद्धात्मा में, इन देशों में बास करने वाले लोगों को नियन्त्रण द्वारा चाहिए, यह साफ़ है। युद्ध वी दृष्टि से इन सब उद्योगों को 'आवश्यक उद्योग' (प्रस्तरेत्तरदस्तीर) घोषित किया जाता है और वह उचित है। पर इसके उद्योगों को 'आवश्यक उद्योग' घोषित करने का अधिकार एवं उद्योग-घन्ये प्रत्यन्त महत्व का यह है कि साति-बाल में, युद्ध-स्थिति न रहने के बाल में समाज का नियन्त्रण द्वारा चाहिए, यह साफ़ है। युद्ध वी दृष्टि से इन सब उद्योगों को 'आवश्यक उद्योग' (प्रस्तरेत्तरदस्तीर) घोषित किया जाता है कि उन देशों में बास करने वाले जीवन के लिये आवश्यक उद्योगों को 'आवश्यक उद्योग' घोषित करने का अधिकार प्रस्तर अधिक महत्व का यह है कि साति-बाल में, युद्ध-स्थिति न रहने के बाल में समाज का नियन्त्रण द्वारा चाहिए, यह साफ़ है कि उन देशों में बास करने वाले गरवार को ही या नहीं। 'आवश्यक उद्योग' घोषित करने में होता यह है कि उन देशों में बास करने वाले दृष्टिलिंगी बन्धन (प्रतिविवरण) घोषित करने में होता यह है कि उनके हड्डातान बरनं के अधिकार पर सोगों को स्वतन्त्रता पर भूत्ता या जाता है, उनके हड्डातान बरनं के बाइउमान पंकुग या जाता है तथा एक्वार हड्डातान के गंग-जात्री घोषित हो जाने के बाइउमान बायन रखना आराव हो जाता है। विजली का समरण, यात्रापात्र की व्यवस्था,

स्थानिक स्वराज्य गते स्वास्थ्य इत्यादि सब शेषों में अव्यवस्था मचने या हड्डताल हो जाने से भासांजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। गेंधी तथा बिजली को समरण एक देंतिक आवश्यकता है, उसमें पदि रक्षावट पढ़े तो समाज में हङ्कार मच जाता है। रेलों का आना जाना बन्द हो जाय तो उसमें ऐश-पाराम की चीजों की सप्लाई बन्द हो जाती हो, सो बात नहीं; रोग की जलरियात की चीजों की सप्लाई भी बन्द हो जाती है। ढाक याँई पर काम करने वाले नज़दीर यदि हड्डताल कर बैठेंगे, तो समाज के येलों का उनारा जाना रुक जाएगा; बन्दरगाह में जहाजों की भीड़ ही जायेगी, अन्य यातायात के काम में रक्षावट पढ़ेगी। तात्पर्य यह कि जो उद्योग या जो सार्वजनिक सेवाएँ (पब्लिक सर्विस) रोजमरा की जिमी के लिए ज़हरी हैं, उनके रास्ते में रक्षावट पैदा करने का मतलब है अवित तथा समाज दोनों के जीवनों को परास्त कर देना; जीवन की मौतिक अवश्या पर हमला करना। इन शेषों में काम करने वालों को अधिक-से-अधिक सुविधाएँ मिलें यह बात मानी जा सकती है तथापि उते से यदि उन्हें अन्तोप न हो और यदि उन्हें हड्डताल करने तथा समाज की नाड़ियों को ज़हर ढालने का अधिकार दे दिया जाय, तो किर समाज समाज नहीं रह जायेगा। यदि ये उद्योग या ये सार्वजनिक सेवाएँ निजी मालिकी की हों तो उन पर भी नियन्त्रण होना चाहिये। निजी शेषों में कोई बदेडा उठ छड़ा हो तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये। और मालिक एवं मद्दूरों के बीच के विवाद को दूर करने के लिए पंच की नियुक्ति करनी चाहिये। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मालिक और मद्दूरों को खुद अपने विवाद का कोई उभयपक्षमत तिरंगे कर लेना चाहिए। अपनी भजों से समझौता करना चाहिए यह कहना ठीक है तथापि यदि दोनों न हो तो, हमें निजी दोष में हस्त-क्षेप करने का का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कहकर सरकार को लिफे शाति एवं अवश्या के काम से ही अपना सरोकार रखना चाहिये, यह विचारधारा आधुनिक युग में तथा पांचविंश शताब्दी में नहीं चल सकेगी। अतः जब भी उचित घवसर दीखे सरकार को जबदंस्ती एक पव की नियुक्ति कर देनी चाहिए तथा उसके प्रत्युत्तर सरकार को कार्यपालन करवाना चाहिए। जो उद्योग या जो सार्वजनिक सेवा समाज के जीवन के लिए आवश्यक है, उसके बारे में सरकार का ढिलाई में काम लेना अन्य नहीं कहा जा सकता। बहुत बार माधारण-साधारण उद्योग-घन्थे भी परिस्थितिवश समाज के जीवन के लिए आवश्यक हो जाते हैं। उम्म परिस्थिति में या प्रासाधारण परिस्थिति में माधारण तथा कम महत्व के उद्योगों को आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं को 'आवश्यक' घोषित करने का अधिकार सरकार को होना चाहिये। इन सब परिस्थितियों में अर्थात् सहटरातीन परिस्थिति में समाज के हित की दृष्टि में सरकार द्वारा उठाये गए कदम सम्पूर्ण होते हैं। सरकार के उन सब दृष्टियों को जनना की स्वतन्त्रता पर कुठारापात बतलाना गलत होगा। जो उद्योग 'आवश्यक' स्वरूप के होने हैं तथा सरकारी शेष में होते हैं तो उन पर भी उत्ता ही सरकारी प्रकृत होना चाहिए, जिता कि निजी शेषों के उद्योगों पर होता है। यदि आवश्यक स्वरूप के उद्योग निजी शेषगत मालिकों के हाथ में हों, तो वहाँ भी आपसी विवादों को दूर करने का मीका दिया जाना चाहिए।

प्रोटोसुदि उग्रा उयोग न हो तो वंच की घराइयाँ नियुक्ति सरकार की कर्ती चाहिए। मालिक सोग दिवाद को नियटाने के निए तैयार न हों; या ये शोग तंयार हों तिन्हु मजदूर सोग संयार न हों, या दोनों के दोनों हड़ पर उतार हों, तो उम परिस्थिति में जनता की जो हानि होनी उमे सरकार बरा एह नियिक दर्जे की भीति ही देती रहे? वग को घराइयाँ नियुक्ति बा विरोप होना नहीं चाहिए। प्रोट यदि विरोप हो भी तो भी उग्रा योग्य परिस्थिति में घबलंवन करना जनता का रक्षक प्रहरी होने के नाते सरकार का पर्तंव्य हो जाता है। हृष्टान को पूरी सरह बन्द कर देना चाहिए ऐसा फोई नहीं कहता। जो हृष्टान होनी नहीं चाहिए पर यह होनी हो तो उमे बन्द करयाने का प्रयत्न करना उचित है। परन्हु उमों हो जाने के बाद सरकार बा यात यना रहना भी उचित नहीं। गरकार को बोन में पड़ना ही चाहिए तथा जनता पर याने वाली विपत्ति को दूर करना ही चाहिए। हृष्टान अन्तिम उपाय है, प्रारम्भिक नहीं, यह मान कर यदि अन्तिम उपाय के रूप म भी इगका घबलंवन किया गया हो, तो भी उमाज के द्वितीय दृष्टि से उमका बन्दोबस्तु करना सरकार का पहला कर्तंव्य है।

हृष्टान होने पर सरकार के अपने सारे साधनों को बाम में जाने की घोषणा पहले ही सरकार को बदम उठाना चाहिये यह कहना युक्तियुक्त है। यह प्रदन व्यापक स्वरूप बा है तथा उसका विचार करते समय समाज की घायिक व्यवस्था एवं राजनीतिक संगठन दोनों का विचार करना चाहिये। देश में राजनीतिक संगठन की हृष्टि के लोकतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था हो तो सरकार को प्रत्येक काम लोकतन्त्रात्मक उपायों से ही करना पड़ता है। नीति निर्धारित करते से पहले जनमत को समझ लेना पड़ता है। जानकार सोमो की समितियाँ बनानी पड़ती हैं। उसके बाद विल बनाना पड़ता है तथा ससदीय काम-काज की प्रणाली के अनुकूल विधान-मण्डलों द्वारा उसे पास करवाना पड़ता है। संसद् में अनेक हितसम्बन्धों वाले गुट होते हैं। उनके प्रतिनिधि लोग अपने-अपने पथ का प्रतिपादन करते हैं। विधान-मण्डलों से बाहर भी सम्बन्धित हितसम्बन्धों वाले दल आन्दोलन करते हैं तथा लोकमत को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इत्ते प्रयत्नों के बाद विल पास होता है। पास होने के बाद उसे कार्यान्वयित करते समय अनेक बाधाये अप्रत्याशित रूप से उठ खड़ी होती हैं। बैंकल-इत्ते से काम चल जाय ऐसी बात नहीं। बहुत दफा मामला अदालत में भी जाता है तथा पास हुआ कानून संविधान की हृष्टि से उचित है या नहीं, इसकी चर्चा अदालत में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतन्त्रात्मक रीति से काम में देर काफी लग जाती है। किसी हिटलर सरीखे व्यक्ति ने हुक्म जारी किया और एकदम उस पर अमल हो गया, यह बात प्रजातन्त्री शासन प्रणाली में नहीं होती। कानून बना, उस पर अमल होना शुष्क हुआ तो भी चुनावों के आ जाने तथा उसमें सत्ताधारी दल के प्राजित हो जाने से फिर उसी सारी प्रक्रिया को दुहराना पड़ जाता है। फिर स्लेट को धोकर नये सिरे से उस पर लिखना पड़ता है। गत १५ बरसों में इगलेंड का इतिहास बताता है कि यजदूर दल ने शासन की बागडोर हाथ में आते ही राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजेशन) की नीति शुरू कर दी थी तथा सन् १९५२ में जब उसकी हार

हुई तब सारे पहिये उलटे घूम गये। जो उद्योग राष्ट्र के धरीन हो गये थे, वे पुनः निजी क्षेत्र के मालिकों के हाथ में आ गये। भारत में भी एक समय राष्ट्रीयकरण की नीति को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तथापि कुल जगत् भारत की आर्थिक नीति लचकीली है तथा होनी चाहिए ऐसा यहीं के सत्ताधारी नेतागण कहते आये हैं। इस बारण मह सचकीनापन सम्बन्धित हितसम्बन्धों में सीचातानी करने को प्रेरित करता है। भारत में प्रजातन्त्र होने के कारण हर कोई आलोचना कर सकता है। इसका फल यह होता है कि निश्चित नीति तथा निश्चित करन्यवस्था बया है, यह पता नहीं चलता। गत १२ वर्षों में प्रत्यक्ष-कर कम होते गये हैं तथा अप्रत्यक्ष-कर बढ़ते गये हैं। मुनाफे पर कर, आमदानी पर कर या प्रत्यक्ष-कर के स्थान पर अब अप्रत्यक्ष-कर लगाने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हो रही है। इसका फल यह है कि सर्व-साधारण जनता पर करों का बोझ बहुत पड़ रहा है। अतः उद्योग शेयरों में अधिकृत निजी क्षेत्रों में मजदूरों को व्याय दिलाने की बुख व्यवस्था की जानी चाहिये। पर इन प्रथनों के सफल होने के मार्ग में देश का राजनीतिक संगठन इतनी वाधायें उत्पन्न करता है, गत १० वर्षों का भारत का इतिहास इस बात का गवाह है। मजदूरों को ज्यादा देकर संतुष्ट रखने का धर्ष है पूर्जीपतियों को कम देना या उपभोक्ताओं से अधिक पैसा लीचना। मजदूर संगठित है। मालिक संगठित है। यदि कोई संगठित नहीं है, तो वह है उपभोक्ताओं का बगँ। उनका कोई वासी नहीं है। उनका कोई संगठन हो भी नहीं सकता। अतः उनके हितों की रक्षा मरकार को करनी होती है। यह तो कहा ही जाता है कि मुनाफे पर अंकुश रखना चाहिये। मजदूरों के ज्यादा मार्ग करने पर जनता अपनी सहानुभूति उन्हें प्रदान करती है। पर उपभोक्ता की जैव पर जो कैची चलती है, उसकी ओर सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसी स्थिति में सरकारी तथा निजी क्षेयरों के उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को मंतुष्ट रखने की व्यवस्था करना मूलिक है। तथापि उद्योगपतियों को भिलने वाले मुनाफे पर अंकुश रखा जाना चाहिये। उनके दिना मजदूरों को उचित वेतन एवं उपभोक्ताओं को उचित कीमत दिलाने का इंतजाम नहीं किया जा सकता। मुनाफे पर नियंत्रण करने अव्याप्ति मजदूरों के हड्डाल करने के अधिकार पर नियंत्रण करने से लोगों को प्रतीत होता है कि सरकार न्यायदुक्त आचरण कर रही है। मुनाफे पर नियंत्रण करने से या मजदूरों के हड्डाल पर अतिव्यव्यवहार लगाने से किसी की स्वतन्त्रता या संगठन की स्वतन्त्रता पर आर्थ आती है, ऐसा मानने की कोई बजह नहीं है। विवादों को निपटाने का उपाय होना चाहिये तथा उसमें परस्पर विचारों के आदान-प्रदान पर अधिक और दिया जाना चाहिये। एक प्रकार की आचार महिता (कोड ऑफ कॉडकट) होनी चाहिये। और यदि विचार समझौते द्वारा न निपटाये जा सकें तो सारा मामला अदालत के मुपुर्दे करने का अधिकार सरकार-को होना चाहिये। योग्य परिस्थिति में दंच की अपरिहार्य नियुक्ति करना वास्तव में वरदान सिद्ध होता है। इन दब बातों पर भी यदि मजदूरों को संतोष न हो तो उन्हें हड्डाल करने वा अधिकार होना चाहिये। तो भी इसके मानी ये नहीं कि उन्हें हड्डाल करना ही चाहिये। उस परिस्थिति में समाज के हित भी हटि से जो उचित हो वह सरकार को करना चाहिये। धाज भी मजदूर विषयक

टटों के बारे में विविध कानून बने हुए हैं, विविध यत्तरणाएँ बनी हुई हैं। वहुतेरे टटे सतोपजनक रूप से इन यंत्रणाओं के माध्यम से दूर किये जाते हैं। तथापि हड्डताल का बातावरण गत १२ बरसों से इस देश में कायम है और उसका मुख्य कारण यह है कि बड़े पैमाने पर उद्योग-धर्म निजी-क्षेत्रों में है और वहाँ के हितसम्बन्धों को प्रजातन्त्री व्यवस्था अपने संकुचित एवं स्वार्थी हितसम्बन्धों की रक्खा करने का एक साधन प्रतीत होता है तथा उस प्रकार विधानमंडलों का तथा अन्य साधनों का वे उपयोग किया करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि श्रीदीगिक क्षेत्रों में टटे न हों तो उसके लिए या तो हमें श्रीदीगिक क्षेत्रों को सरकार के स्वामित्व में लाना होगा या उन्हें सरकारी नियन्त्रण में ले लेना होगा। सरकारी स्वामित्व प्रथवा नियन्त्रण एक प्रकार की गुलाम-गीरी है, ऐसा भारत में बड़े जोर-शोर से प्रतिपादित किया जाता है। समाज में स्वतंत्रता के हीने का अर्थ पूँजीपतियों तथा धनियों पर प्रतिबन्ध का न रहना माना जाता है। समाज में कही भी उत्पादन, विभाजन या उपभोग आदि पर प्रतिबन्धों का न रहना सही मानो में स्वतंत्रता है। इस व्यवस्था में गरीबों एवं पददलितों को शीघ्र मरने की स्वतंत्रता मिलती है। परन्तु इन स्वतंत्रतामों की मृष्टि में गरीबों को कोई नहीं प्रुद्धता। हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिये, इसके मानी होते हैं मुद्दों भर लोगों का बहुमंत्यक लोगों पर अधिकार चलाना तथा यदि कुछ लोगों को गरीबी एवं मुक्तिसी में दिन बिताने पड़ें तो उसमें समाज का कोई दोष नहीं है, ऐसा दंवाद घतलाना। सच्ची स्वतंत्रता के ये मानो नहीं है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, इसके लिये स्वतंत्रता पर किन्हीं प्रतिबन्धों वा होना जरूरी हो जाता है। और इसीलिये समाज के धनिकवर्ग पर, पूँजीपतियों पर, पूँजीवादी उत्पादन पर नियन्त्रण का होना जरूरी है। और यदि हम चाहते हैं कि यह नियन्त्रण प्रभावी हो तो समूचे श्रीदीगिक-क्षेत्र पर हमें इस नियन्त्रण को लागू करना होगा। इसके मानो ये हुए कि यदि हम चाहते हैं कि श्रीदीगिक भगड़े न हो तो हमें पूँजी-वादी अर्थव्यवस्था को छढ़मूल से बदलना होगा।

सरकार का प्रयोजन समाज का हित साधन है। और समाज के मानी मुद्दों भर धनिक या वरिष्ठ श्रेणी के लोग नहीं हैं। इस बात को मान लेने के बाद समाज में सम्पत्ति वीं निर्मिति पर पूर्ण नियन्त्रण का रहना अपरिहार्य हो जाता है। समाज को जिन वस्तुओं की जरूरत होती है, उनका उत्पादन होना चाहिये तथा उनका उचित विभाजन होना चाहिये। यह व्यवस्था केवल माँग और पूर्ति के सिद्धान्त से नहीं हो पाती। जिनके भाव ज्यादा होगे उनकी माँग होगी और उन्हीं की पूर्ति वीं जायेगी मह पुराने अर्थशास्त्र का सिद्धान्त नई परिस्थिति में लागू नहीं पड़ता। करार को स्वतंत्रता के नाम पर जो वगार मालिक दे, उसे लिया जाय और उसमें सरकार किसी विस्म वीं दबलंदाजी न करे, यह बात अब नहीं चल सकती। राज्य ने अब दूर एक को शिक्षा तथा रोजगार दिनाने वा बचन दे रखा है। इस सनदर्भ में किसी वो भी नौकरी में ले लेने या किसी को भी नौकरी से हटा देने वो स्वतंत्रता यदि मालिकों वो दी जाय तो सरकार के लिए अपने वर्तम्यों वा पालन समव नहीं हो सकेगा। नौकरी से हटा दिये जाने पर प्रत्येक को नौकरी मिलना समव नहीं होता। किंवद्दन,

विचार स्वतन्त्रता के विविध स्वरूप

हर विची को हर काम करना नहीं पाता है। इंजीनियर एक दाए में बकील नहीं बन सकता। इसी प्रकार बकील उत्काल कथा-लेखक नहीं हो सकता। सिनेमा नटी की नौकरी पनुसार ही उसे रोजगार के देश में स्थान दिया जाना चाहिये। नौकरी की गरण्डी है, पर नौकरी न मिले, ऐसी सच्ची स्वतन्त्रता है। अतः जिसकी जैसी पोशाक हो उसके हूट ही, पर नौकरी से उसका प्रयमान करना हुआ। अतः प्रत्येक व्यक्ति से यह कहना कि तू स्वतन्त्र है, एक प्रकार से उसका प्रयमान करना हुआ। अतः प्रत्येक व्यक्ति को गुणसंबद्ध करना नहीं होने देने के लिये राज्य-सत्ता के समूचे प्रार्थक जीवन का नियोजन करना चाहिये जिसमें किसी को वेतार न रहना पड़े, गायक को ड्रिलमास्टर का, मास्टर को ट्रॉम कडवटर का काम करने की सी-नोबत न पाये। उस नियोजन में उचित स्थान पर नियंत्रण से काम लेना पड़ेगा। ये नियश्रुत राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की सार्थकता के लिये बहुत जहरी है। समाज का हित प्रयम बस्तु है तथा व्यक्ति की जहरत या व्यक्ति की स्वतन्त्रता दूषरे नम्बर पर है, यह विचार प्रभावी होना चाहिये। नियोजनपूर्ण धर्य-व्यवस्था से स्वतन्त्रता होता है, ऐसा मानना ठीक नहीं। स्वतन्त्रता को सार्थक करने के लिये नियोजनपूर्ण धर्य-व्यवस्था का धर्यहरण होता है, ऐसा मानना ठीक नहीं। नियोजनपूर्ण धर्य-व्यवस्था में निजी-देशों के लिए भी यु-जायश है। इसी प्रकार नियोजन की तरफ प्रणाली का पनुसरण करने वाले मजदूरों एवं अन्य व्यवसायिकों के संघों के लिये भी यु-जायश है। उन्हें जो स्वतन्त्रता मिली हुई है, उसको नियोजन-व्यवस्था से आंख नहीं पाती। इसके विपरीत नियोजन-व्यवस्था में समाज के समस्त हितसम्बन्धों को ध्यान में रखा जाता है। नियोजन की नीति एवं क्रियान्विति में सारे हितसम्बन्धों का स्थान रहता है। मजदूरों के संगठनों तथा धन्य सभी संगठित संघों को धर्यों परसंद के बारे में कहने सुनने का भ्रष्टिकार रहता है। इसी ही नहीं नियोजित धर्य-व्यवस्था में उनके कहने-सुनने को भ्रष्टिक सम्मान दिया जाता है। सामान्यतया मजदूर मध्य यदि मजदूरों के बारे में विचार-विनियम करेया ग्रापने कार्यों को मर्यादित करें तो भ्रष्टिक मजदूरों की उद्दोगों को भ्रष्टियों को भ्रष्टी प्रकार जानते भी हैं। और दूसरे वे ग्रापने-ग्रापने के देशों की कठिनाइयों को भ्रष्टी प्रकार जानते भी हैं। अतः उनके कहने को नियोजन-व्यवस्था में भ्रष्टिक मान दिया जाता है। सामान्यतया मजदूर संगठनों को ग्रापने उद्दोगों के तथा धन्य व्यवसाय संगठनों को ग्रापने-ग्रापने के बारे में बोलना, प्रस्ताव पाल करना तथा कार्य बरना चाहिये। संगठन स्वतन्त्रता के नाम पर किसी भी मंगठन को किसी भी विषय पर प्रस्ताव नहीं पास करना चाहिये। संगठन हास्यास्पद कोई अज्ञात मंगठन उठे और प्रत्यरूप्तीय नीति पर प्रस्ताव करने लगे तो वह हास्यास्पद सिद्ध होगा। साहित्यिकों वा कोई सभ उठे और किसी फौजी मामले पर प्रस्ताव करने लगे तो वह भी पारातपन की बात होगी। इसी प्रकार मजदूरों का संगठन, चालू राजनीतिक मामलों पर, जिनका सम्बन्ध मजदूरों के साथ नहीं होता है, प्रस्ताव करे यह भी ठीक नहीं। जिस समय सचमुच ही राष्ट्र के सामने बहुत ही महत्व का विषय भी हूँद हो, उस समय राष्ट्र के विविध देशों के मंगठित संघों द्वारा किया गया गत प्रदर्शन दम्य हो सकता है, परन्तु यो ही ग्रापने उद्देश्यों से ग्रापने-ग्रापने का विविध स्वरूप

पर प्रस्ताव पारा भरना, मत प्रदर्शन करना या कुछ सक्रिय बाने परना उचित नहीं होगा तथा उस हृष्टि से राज्य यदि उन पर कुछ भ्रुता रगे तो उने अनुचित नहीं कहा जा सकता। तथा ऐसे भ्रुताओं से उनकी स्वतन्त्रता पर आवाही है, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है।

कौनसा कायं संघ के उद्देश्यों के भ्रुता है, मौनसा नहीं, यह छहराना भासान नहीं है। कोई सप्त संगठित हो गया है, कानून के भ्रुतार उसकी रजिस्ट्री हो गई है, उसका हिसाब-विताव मुव्यवस्थित है, इत्यादि यात्रों से उमे हर क्रिम का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं मिल जाता। यो दूरान्वय द्वारा विसी मामले में कुछ कर देना शम्य माना जा सकता है। मजदूर संगठनों का उद्देश्य मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिये कायं करना है। उद्योगों की स्थिति अच्छी रहेगी तो मजदूरों की भी स्थिति अच्छी रहेगी। उद्योगों की स्थिति देश की आर्थिक नीति से जुड़ी रहती है। और प्राज्ञकल के युग में देश की आर्थिक नीति देश की परराष्ट्रीय-नीति से निपटित रहती है। इस हृष्टि से यदि कभी देश की परराष्ट्रीय-नीति पर मजदूर संघ कोई प्रस्ताव पास करे तो उसे एकदम अनुचित नहीं कहा जा सकता। तथादि यदि कोई नाटक पार्टी परराष्ट्रीय नीति के बारे में कोई प्रस्ताव पास करने लगे तो उने अनुचित ही कहा जायेगा। यदि कभी मजदूर सघ उठकर कहने लगे कि प्रतिमापूजन बुरी चीज़ है, अतः सारे देवालयों को सरकार अपने बदले में ले ले, तो वह मजदूर सघ के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खायेगा तथा वह पागलपन सावित होगा। देश में नाना प्रकार के बलब रहते हैं, उनका उद्देश्य होता है मनोरजन। अनेक विरोधी राजनीतिक मतों वाले सोग भी मनोरजन एवं क्रीड़ा के लिये इकट्ठा होते हैं। उन स्थानों पर चालू राजनीतिक समस्याओं पर प्रस्ताव लाना अनुचित है। किंवद्दना, बलब की हृष्टि से भी हानिकारक होता है। तात्पर्य यह है कि सघ वा जो उद्देश्य हो, उसका व्यतिक्रम करके अथवा उससे असंगत कोई काम करना, संविधान द्वारा दी गई स्वतन्त्रता का दुरुपयोग है। अतः वैसा न हो, इसके लिये सरकार को सजग रहना चाहिये। सरकार जो भ्रुता रखती है वे सार्वकालिक नहीं हो सकते। परिस्थिति के भ्रुतार उनमें परिवर्तन करना होता है। साज जिसे हम स्वेच्छाचारिता कहते हैं, कल वही सदाचार बन जाता है। समाज एक लगातार बहने वाला प्रवाह है। समाज का जीवन निर्जीव नहीं होता, यह प्रतिक्षण अनुभव में आता है। तथा अनुभवों के अनुरूप नयी प्रथाएं निर्मित होती हैं। नये आचरणों के नियम बनते भीर प्रस्थापित होते हैं। अतः सगठन की स्वतन्त्रता पर अंकुश रखते समय सरकार को व्यापक हृष्टि से काम लेना चाहिए, यह जाहिर है। समाज के आत्यतिक हित के लिए अंकुश रखे जाने चाहिये तथा समाज के आत्यतिक हित के लिए उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिये। संविधान द्वारा दी गई स्वतन्त्रता में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये एवं अनुचित ढोका भी नहीं दी जानी चाहिये।

उल्लिखित विवेचन में इस बात पर विचार किया गया कि सामान्यतया संगठन की स्वतन्त्रता की सीमाएँ क्या हों तथा किन-किन परिस्थितियों में सरकार हस्तक्षेप करे। तो भी प्रश्न यही उठता है कि सगठनों के भीतरी मामलों में सरकारी हस्तक्षेप उचित

है या नहीं और यदि हस्तक्षेप आवश्यक हो जाय तो किस परिस्थिति में किया जाय। आमान्यतया हर संगठन को अपने भीतरी मामलों में गूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। दोकराचार्य का मठ एक संगठित सत्य है। उसकी व्यवस्था में सरकारी हमतक्षेप उचित होगा? इसी प्रकार अन्य धार्मिक संस्थाओं एवं देवालयों के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप उचित होगा? देवालयों की व्यवस्था परम्परागत कल्पना के अनुसार चलनी है। देवता का दर्शन किसे हो, किस जगह से हो, वह हरिजनों के लिये खुला हो या नहीं, देवता की पूजा कौन करे, देवालय की माद का इन्वेजाम कौन करे इत्यादि अनेक सवाल पैदा होते हैं। एक जननामा या जब सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी और जो परम्परागत व्यवस्था वाला संगठन होता था वही प्रभावी माना जाता था। पर अन्यत्रों के शामन के पदचानू एक नई जाग्रति प्राइं तथा अनेक देवालयों की व्यवस्था में सरकार ने हमतक्षेप किया। किन्तु यह हस्तक्षेप जनता की इच्छा से प्रेरित होकर सरकार ने किया है। अनेक स्थानों पर देवालय सम्बन्धी कानून बने हैं। प्रबन्धक कमेटियों नियुक्त बीमार्ड हैं। उस मामले में नियुक्ति एवं निर्वाचन की व्यवस्था कानून के अनुसार होती है। सामाजिक मुद्रार के युग के उद्यगकाल के पश्चात् जाति विषयक व्यवस्था में पहले जितो क्वार्ड नहीं रह गई है। सामाजिक समता के घोष ने सदमदिवेक बुद्धि को बुनोती दी तथा आज सावंजनिक मन्दिर सबके लिये खुल गये हैं। मन्दिर यदि सावंजनिक न हों तो सरकार उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह जाहिर है। तथापि निजी स्वभित्व के मामलों में जो कानून सरकार बनायेगी, वे निजी देवालयों के लिए भी लागू होंगे यह भी उत्ता ही जाहिर है। सावंजनिक देवालयों पर सरकारी नियंत्रण का धर्य यह नहीं कि सम्बन्धित संगठनों एवं संघों की स्वतंत्रता में बुख कमी आ गई। इसी प्रकार सावंजनिक संस्थाओं—उन सावंजनिक संस्थाओं, में, जिन्हें सरकारी मदद मिलनी है, हर किसी को अवाधित प्रवेश मिलना चाहिये। इसी प्रकार जिन संस्थाओं में पड़ाइ-लिखाइ का प्रबन्ध किया जाता है उनमें भी सबकी प्रवेश होना चाहिये। किसी विशेष धर्म एवं सम्बद्धात्म की विद्धा वही नहीं दी जानी चाहिये। सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रतिवध लगाने से धार्मिक स्वतंत्रता, या संगठन-स्वतंत्रता पर कोई हमला नहीं होता। उत्तिनित मामलों का, जिनमें सरकार हस्तक्षेप करती है, सम्बन्ध नूँकि सावंजनिक जीवन से होता है, अतः इस प्रगति का हस्तक्षेप धर्य सिद्ध होता है। परन्तु जो यदि ने सावंजनिक स्वरूप के नहीं है, स्थाया धर्य के धर्यने भीतरी मामले हैं, उनमें सरकार का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। टेनिस बल्ड में बिमे नेतृत्व के लिये बुनाया जाय यह बल्ड का अपना निजी मामला है, सरकार को उनमें नहीं पड़ना चाहिये। यदि कोई ममासद भीतरी मामले के बारे में कोई विशेषत करता है, तो धर्यात उसका केवला करेगी। पर इसे सरकारी, हस्त-क्षेप नहीं कहा जा सकेगा। गाड़ी में बैठने के बाइ टिकट सेना पड़ता है; परन्तु ऐसा भी बुख कम नहीं होता, जब गाड़ी में बैठे बैरे भी टिकट सेना पड़े। भगवर फरियाद धर्यात में या सरकार के पास न जाय तो सरकार भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न करे, यह मुख्य नूत्र होना चाहिये। सामान्यतया आधुनिक गतियों में काम करने वाली मैंगी-मंतपाएँ कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड होती हैं। उनके कामकाज के नियम संस्थान के

संविधान में दिये जाते हैं। जहाँ वे नहीं दिये जाते, यहाँ कामकाज के गवर्नमेंट नियम लागू होते हैं। रजिस्टर्ड होने के कारण उनके नियम युल्लम-युल्ला गरमार विरोधी नहीं होते। राज्य का तद्दा उलटने अथवा समाज रचना को उलट-पलट करने के उद्देश्य से कोई मस्था उत्पन्न नहीं होती, ऐसी बात नहीं। पर ये संस्थाएँ इम उद्देश्य से उत्पन्न हुई हैं, ऐसा बताया नहीं जाता अथवा उन उद्देश्यों को सेवा उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। ऐसी मस्थाएँ सामान्यतया अपनी रजिस्ट्री नहीं कराती तथा गुप्त रूप से काम किया करती हैं। जोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपना संगठन तैयार किया, संस्था का उद्देश्य समाज विरोधी है, राज्य विरोधी है इन बातों का पता चलने के बाद केवल सगठन स्वतंत्रता की दुहाई देकर सरकार का चुपचाप बैठा रहना वैसे उचित कहा जा सकता है ? पौंछ ढाकू एक होटल में जमा हैं। पुनिस उन्हें पकड़ने जाती है। उस समय यदि वे ढाकू कहने लगें कि यह हमारी मगठन स्वतंत्रता पर आक्रमण है, तो उसे आप कैसे उचित कह सकते हैं ? उद्देश्य अर्थात् हो या उद्देश्यों के बैध होने पर भी उन्हें प्राप्त करने का मार्ग बुल्लम खुल्ला अवैध हो, तो इन दोनों अवस्थाओं में समाज की रक्षा के लिये हस्तक्षेप करने का सरकार को पूरा अधिकार है। मान लीजिये सभा हो रही है; बीच में किसी ने 'सौप-सौप' बहकर चिल्लाना शुरू कर दिया; फलस्वरूप सभा में गड़बड़ मच गई, और हाथापाई तक की नीबत आ पहुँची; उस समय यदि किसी ने उस चिल्लाने वाले से पूछा कि 'भेंया' तुम काहे को चिल्ला रहे थे ? वह जबाब दे कि हमे भाषण की पूरी स्वतंत्रता है, मैं अपने उस अधिकार को काम में ला रहा था, तो यह कोई उसे माफ कर देगा ? अतः अनेक स्थानों पर गैर-कानूनी काम होने से पहले ही, उस पर प्रतिवधक अकुश लगाना उचित सिद्ध हीता है। ढाका ढालने से पहले होटल में जमा हुए डाकुओं को पकड़ना न्याय एवं योग्य होता है तथा उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सगठन स्वतंत्रता पर किसी किस्म का हमला नहीं होता। यही बात प्रतिवधक नजरबदी के बारे में भी वही जा सकती है। यह कहना कि व्यक्ति को तब पकड़ना चाहिये, जब वह प्रस्तुता कोई कृति करे, ऊपर-ऊपर देखने से सही जान पड़ता है। तथापि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो, जबकि यदि व्यक्ति को पकड़ा न गया तो उसकी तैयार की हुई घोजना निर्दिष्ट स्पष्ट से सफल हो जायगी, तो व्यक्ति को नजरबद करना ही चाहिये। हाथ में पलीता लिये कोई व्यक्ति बैग से बाहर के कोठार की ओर दौड़ा जा रहा है। यदि उसे आग लगाने के बाद पकड़ा जाय तो यह पागलपना होगा। पलीते के आग लगते ही या लगाना आरम्भ करते ही उसे पकड़ना चाहिये। सभा में दोगे की पूरी सभावना हो, तो जिन लोगों के भाषण ज्यादा भड़कीले होते ही, उन्हें जहले बोलने दिया जाए तथा भाषण होने के बाद पकड़ा जाय, इसके मानी होगे घोड़े के तबेले से बाहर आग जाने के बाद तबेले के दरवाजे को बद करना। उचित परिस्थिति में प्रतिवधक कार्रवाई सरकार को करनी चाहिये। सरकार का ऐसा करना उचित ही कहा जायेगा। अतः उन संस्थाओं या व्यक्तियों को जो सरकार का तख्ता उलट देना चाहते हैं, समाज में हिंसात्मक उपायों से परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने पैर जमाने का मौका देना एक प्रकार से अराज-कर्ता को घोता देना हो जायेगा। व्यक्ति की भौति राज्य को भी आत्मरक्षा का

धर्मिकार है तथा रक्षा की हृष्टि में प्रहार करने के बाद ढाल धागे करने के धर्मिकार के समान ही मावद्यकृता पड़ने पर स्वयं पहले से प्रहार करने का भी धर्मिकार है। माधवण एवं संगठन की स्वतंत्रता के नाम पर राजपत्र को विनष्ट करने माधवा समाज का विघ्नकरण करने की स्वतंत्रता भी मिल सहती है। अतः ऐसे प्रमत्नों को समय रहते बुबल देना उचित होता है। विधिषु शान्ति तथा विधिषु रोग की उपेक्षा करने वाले नाम को प्राप्त होते हैं, यह धनुभव सर्वत्र प्रसिद्ध है।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राज्य के धर्मित्व के विष्ट भाष्यवा उसके वतंमान स्वरूप के विष्ट उठ खड़े होने वाले व्यक्तियों भाष्यवा संस्थापों का प्रतिकार करना बहुत जल्दी है। भाज संसार के अनेक देशों में विशेष वृत्तियुक्त ध्येय की संस्थापों एवं दलों पर रोक लगी हुई है। दल यदि खुल्लमखुल्ला काम करता हो, भोजूदा कानून के धनुभव उसकी रजिस्ट्री हुई हो, तो उसके बारे में बारं-वाई करने में कठिनाई नहीं होती। जब सरकार देशेनी कि वह संस्था आक्षेपाहूं काम करती है, तो वह उसके धर्मित्व को कानूनी तरीके से खत्म कर देगी। तथापि बहुत से देशों में लुढ़ादिप कर काम करने वाली तथा हिसात्मक उपायों से समाज में क्रन्ति लाने वाली संस्थाएँ काम करती हैं। उनके कामों तथा मान्दोलनों पर रोक लगाना आसान नहीं है। जब तक संस्था के उद्देश्य देखने में सीधे साडे एवं बंध हैं तब तक उन पर सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिये वह कहना ठीक है। उद्देश्य लिखित है में कुछ और है तथा आचरण में कुछ और, एवं इस बात की पुष्टि करने वाले प्रमाण पास में भोजूद हों तो सरकार का उनके लिलाक कारंवाई करना उचित होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण तो न हों, पर कुछ संदेह हो, तथा उसे मानने के लिये कुछ आधार भी हो, तो भी उसे ही से उनके लिलाक कारंवाई करना या मुकद्दमे लेना ठीक नहीं। मुकद्दमे या लिलाक की जाने वाली कारंवाई के बाल इसी आधार पर नहीं होनी चाहिये कि भमुक एक मत प्रतिपादित हो रहा है। विचार एवं मत की स्वतन्त्रता के यानी ये है कि किसी भी विचाराधारा पर भाष्यवा मत पर प्रतिबन्ध नहीं है। उम मत एवं ध्येय की प्राप्ति के लिये किस मार्ग का प्रचार किया जाता है, यह महत्व की बात है। यदि ध्येय तथा हिसात्मक मार्ग का प्रचार किया जा रहा हो तो सरकार का उसके बारे में कारंवाई करना उचित होगा। यदि कोई कहे कि देश में कही भी सेना, पुलिस तथा अदालतें नहीं होनी चाहिये, सब कही एक-दूसरे के सौजन्य एवं सद्गृहना पर आधित होकर समाज को काम करना चाहिये, तो उस पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। इस कहने में समाज में भराजस्ता फैलने की संभावना भले ही रहती हो, पर इस प्रतिपादन का उद्देश्य सर्वोदय समाज स्थापित करना है, ऐसा प्रतीत होने पर भी यदि सरकार इसके विष्ट कोई कारंवाई करती है तो उसका अर्थ होगा कि सरकार मानवीय मन ही को बन्धन में ढालना चाहती है। पर यदि कोई यह प्रचार करना शुल्क कर दे कि इस प्रकार की समाज रचना के लिये हिसात्मक उपायों से काम लेना चाहिये तो उस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। यदि कोई यह सिद्धान्त प्रतिपादित करे कि, जिनसे पाम भविक है, उन्हें अपने में से कुछ दान कर देना चाहिये, इससे समाज विभाजन एवं मनोपञ्चक विभाजन हो जाएगा, तो ऐसा

कहना गुनाह नहीं होगा । प्रस्थापित अर्थव्यवस्था का विरोधी मानकर इस विचार को नष्ट करने का प्रयत्न करना उचित नहीं होगा । सम्पत्ति का बेंटवारा समान एवं न्यायोचित हो तथा इस काम के लिये जिसके पास आवश्यकता से अधिक है, उससे उतना छीन लेना चाहिये, यह तत्त्वज्ञान कहना कुछ अनुचित नहीं होगा । यदि दान से काम न चलता हो तो कर लगाकर अधिक पैसा हासिल करने की बात कहने में भी कोई बुराई नहीं है । परन्तु दान के बदले डरा-धमका कर पैसा निकाल लेने की तथा कर एवं कानून की जगह लाठी से काम लेने की बात करना नि सदैह अनुचित है । कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक लोगों के मत को परिवर्तित करने के इरादे से कोई बात कही जाती है, कोई नया सिद्धान्त पेश किया जाता है, तब तक सरकार को कुछ नहीं करना चाहिये । पर जब वह विचार अथवा वह तत्त्व-प्रणाली विचारों की अवस्था से उठकर उच्चारण की अवस्था में भा जाती है, एवं जब प्रत्यक्ष क्रिया को जन्म देने लगती है, तब उस क्रिया द्वारा मौजूदा हित सम्बन्धों पर प्रहार होता है । और यदि उस क्रिया में प्रवलित व्यवस्था को नष्ट कर देने तथा उखाड़ कर फेंडने का निश्चय नजर आने लगे तो सरकार का उम क्रिया के खिलाफ हथियार उठाना ठीक रहता है । बहुत दफा हम देखते हैं कि अनेक सस्थाएँ दुरगी राजनीति से काम नेती हैं । ऊपर से कानून की चौखट में रहते हुए आनंदोलन के ताने बाने ठीक करके सगठन का जाल व्यापक करती रहती हैं और गुप्त रूप से अथवा भूमिगत पद्धति से एक नया समगठन तैयार किया करती है तथा उचित अवसर की प्रतीक्षा किया करती हैं । दिखाने को समाज की सेवा के लिये स्वयंसेवक तैयार किया करती हैं; उन्हे फौजी शिक्षा देती हैं । तथावि भले ही वे दिखायें कि यह सब समाज सेवा के लिए किया जा रहा है, वास्तव में वे लोग उस क्षण की प्रतीक्षा में रहते हैं, जब वे सारे राज्यनन्त्र को बदल कर उसे अपने कब्जे में ले सकें । ऐसी अवस्था में सरकार का क्या कर्तव्य है? यह सब होता हुआ देखकर वह चुप-चाप बैठे या इसका कोई अगाऊ बदोवस्त करे । अगाऊ बदोवस्त करना हो तो उसके लिये भरपूर प्रमाण होने चाहिये । बहुत दफा ऐसा होता है कि प्रमाण तो होते हैं पर वे अदालत में अपराध को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं माने जाते । ऐसी हालत में सरकार क्या करे? यदि हर बात में कानूनी प्रमाणों के लिए आप्रह किया जाने लगे तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा । इसी दल के उद्देश्यों में हिसा की गन्ध न भाती हो, पर उम्मी नीति एवं कायंपद्धति में हिसा का नियेथ न दिखाई देता हो, किबहुना, मुँह से भाहिमा एवं चैघ उपायों की घोषणा करता हो पर उसके हृदय में हिसा का हलाहल भरा हो, तो सरकार को, इस बात का पक्षा यकीन होने पर, प्रतिवधक उपायों के अवसर काम लेना चाहिये । एक बात अवश्य स्पष्ट होनी चाहिये कि सम्बन्धित दल का उद्देश्य, उम्मे समूचे इतिहास को देखने पर, राज्य का तल्लग उलटना है, समाज में आनंद साना है । इस बात के स्पष्ट हो जाने पर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना राजनीतिज्ञता के त्रिरुद्ध है । यदि बोई दल के बाय यही कहना हो कि विसी विद्येय कानून को मत मानो, बोई विद्येय बर मन दो, मोर्चों एवं जुम्लों पर रोक लगी हो तो उग्रा भग नहीं, तो इस प्रश्न के बहुते भर में उस दल के विशद कारंवाई करना उचित नहीं ।

तथापि यदि यह दिक्षार्दे कि कोई दल कानून की अवधा, अथवा लगान न देने की बात एक विशिष्ट हृष्टि से कह रहा है, उसके एक विशिष्ट गार्यक्रम का वह एक हिस्सा है, तो सरकार का चुपचाप बैठे रहना चाहित नहीं। कोई दल सरकार के विशद है, मरकारी नीति की आलोचना करता है, संगठित होकर बैसा प्रचार करता है, यह देखकर उस दल के विशद कारंबाई करना गलत होगा। तथा बैसा कुछ कर बैठना कानून तया सत्ता का दुष्प्रयोग करना होगा। प्रजातन्त्र में विरोधी दल को आलोचना करने तथा सरकार के विशद प्रचार करने का पूरा अधिकार है और होना भी चाहिये। सरकार नालायक है, मंत्री भ्रष्ट हैं, मन्त्रियों की नीति राष्ट्रविरोधी है, इत्यादि स्वरूप की आलोचना राज्यद्वारा नहीं ही सकता। किंवा इस प्रकार की आलोचना करने वाला दल राष्ट्रविरोधी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो बात अपने को अप्रिय लगती है, वह बुरी एवं अनिष्टकारक है, ऐसा गणित जिस प्रकार अप्रियता के जीवन में गलत सावित होना है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में भी गलत सावित होता है। कभी गलती न करने वाला व्यक्ति नहीं दिक्षार्दे देता। इसी प्रकार कभी गलती न करने वाला दल अपनी तक तो उत्पन्न हुआ नहीं है। अप्तः केवल अप्रिय बोलने तथा लिखने की वजह को लेकर ही किसी दल की अथवा व्यक्ति की स्वतन्त्रता को दबाने की चेष्टा करना। अनुचित एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण है। सत्ताधारियों को लगता है कि जो कोई उनकी विचारधारा के विशद बोलता है, वह राष्ट्रविरोधी है। जो उनसे निलकर काम नहीं करते, वे राष्ट्रविरोधी हैं। सत्ताधारियों को लगता है कि उनकी बात सबसे मंजूर करनी चाहिये। और यदि कोई उनकी बात का विरोध करे तो उन्हें उसमें अपनी अप्रतिष्ठा नड़ा आती है। प्रजातन्त्र में सत्ताधारियों को उत्तरदायी होना चाहिये। बार-बार उनकी जीव को जानी चाहिये। उन्हें अपनी बात विरोधियों को भी ग्राह्य प्रतीत करानी चाहिये। तात्पर्य यह कि प्रजातन्त्र में विचार-प्रदर्शन अथवा सांगठित होकर काम करने वाले संगठनों की स्वतंत्रता को हृष्टि से सरकार को बहुत कम हस्तदेश करना चाहिये। और जो भी हस्तदेश किया जाय, वह समाज के आत्मनिक हित को सामने रखकर किया है, इस बात का विश्वास जनता को दिलाया जा सकना चाहिये। भौजूदा कानून के विशद आलोचकों अथवा दलों ने कुछ किया हो, तो उसके आवार पर व्यक्ति एवं मंगठनों की स्वतन्त्रता को कुचलने की कोशिश उचित नहीं कही जा सकती। सम्बन्धित आलोचना एवं कृत्य तभी कुचलने योग्य समझे जाने चाहिये, जब उसमें राष्ट्र के लिये खतरा पैदा होता हो, या उसमें अपारकता निर्माण होती हो।

लोगों का इकट्ठा होने तथा अपनी मर्जी से संगठित होने का अधिकार मौतिक है। “लोगों को इकट्ठा होकर अपने विचारों को प्रकट करना चाहिये। अगरने पर मैं आई हूँ वलपतामों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करना चाहिये। अपनी विचारधारा को लोगों का समर्थन प्राप्त हो इस उद्देश्य से उन्हें अपना प्रचार करना चाहिये। अपने दुखों को और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रावश्यक आवाज बुलाव करनी चाहिये। आवश्यक किया करनों चाहिये। ऐसी सामान्य स्थिति राष्ट्र में होनी चाहिये। पर लोगों को राज्य में अध्यवस्था उत्पन्न करने, शर्ति मंग करने तथा

राज्य और अपने बीच सबसे उत्पन्न करने का कोई मौलिक अधिकार व्यक्तिशः या संघशः नहीं है। समाज की हृषि से यह निश्चित होना भी आवश्यक है कि लोगों को वया करना चाहिये तथा किस सीमा तक व्यवहार करना चाहिये। सरकार से जबर्दस्ती कुछ कराने के उद्देश्य से जुलूस या मोर्चा निकालने अथवा हड्डताल करके समाज की रसद को रोक देना नागरिक स्वतंत्रता की कक्षा में नहीं बैठता। ऐसा करने से हिंसात्मक बातावरण उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की सभावना होती है। प्रथः जिम्मेदार नागरिकों एवं सत्याग्रों को ऐसा नहीं करना चाहिये। जिन कारणों को लेकर ऐसा किया गया हो, वे कारण महत्वपूर्ण हों या महत्वहीन हों, पर यदि उससे अशांति उत्पन्न होना निश्चित हो तो उसे बद कर देना चाहिये। इस बात की गारटी देना कि समाज के नागरिक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आयेगी, सरकार का पहला कर्तव्य है। यदि किसी नागरिक को लगे कि घर से बाहर निकलने पर उसकी खैर नहीं तथा घर में भी दगाइयों से बचने की कोई उम्मीद नहीं तो कहना होगा कि सरकार ने अपना कर्तव्य नहीं किया। यदि शान्ति भंग होने का कोई खतरा न हो तो सभा, भाषण तथा जुलूस आदि पर रोक लगाना उचित नहीं। केवल मत प्रदर्शन या विरोधी मत प्रदर्शन की वजह से उस पर रोक लगा देना एक प्रकार से उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसका महत्व बढ़ाना है। रोक समाना समस्या का समाधान नहीं है। उसमें जहाँ लोगों के विचार दबाये नहीं जाते वहाँ समाज के अन्य लोगों में उनके प्रति कौनूहल आरम्भ हो जाता है तथा सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। समाज में कुछ लोग प्रचलित एवं प्रस्थापित वस्तुओं के पहरेदार बने फिरते हैं। उन वस्तुओं के विरुद्ध यदि कोई बोले तो उनके गुम्फे की सीमा नहीं रहती। प्रचलित वस्तुओं के विरुद्ध मतभेद इन लोगों द्वारा अपराध प्रतीत होता है। और केवल मत को लेकर मुकदमे करने का फल यह होता है कि वे विचार दबते तो नहीं हैं, उलटे उनका समाज में और ज्यादा प्रचार हो जाता है। सन् १९२१ में असीबधुओं पर यह कहकर मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने एक विशिष्ट प्रस्ताव पेश किया तथा उग पर भाषण दिया। इसका फल यह हुआ कि वह आधोपाहुं प्रस्ताव टिन्डुस्तान में हजारों सभाओं द्वारा पास किया गया। स्वराज्य शब्द का उच्चारण करने भर से अदालत में मुकदमा चलाया जाना था, सजा होती थी। पर फल यह हुआ कि 'स्वराज्य हमारा जन्म मिठ अधिकार है' यह घोषणा लासों मुखों से बाहर निकलने लगी। शान्ति का पोषक द्रव्य शान्तिकारकों के प्रयत्नों की अपेक्षा क्रान्तिकारियों की छटपटाहट अधिक है। जिस ओर सोगों का ध्यान नहीं जाता उसी बात पर गरजारी प्रविष्ट्यों के बारण लोगों वा ध्यान केन्द्रित हो जाता है। जब तक कोई विषय अदालत में नहीं पहुँचता, तब तक वह मार्वनिक चर्चा का विषय नहीं हो पाता। और एक बार वह विषय अदालत में पहुँच गया कि लोग अधिक प्रयत्न में उस विषय में दिनचरी लेने लगते हैं। मजा देकर जो बात गिर जाना थी, वह तो होती नहीं, उलटा ही फल सरकार को भुगतना पड़ता है। और यदि मामान्य अदालत के स्थान पर विशेष प्रदाता द्वारा केन्द्र लाया जाए तो क्रान्तिकारकों का प्रचार और अधिक होगा। अत जहाँ वेदन मत

हो प्रदेशित किया गया है, वहाँ सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिये तथा अदालत में मामले को ले जाकर अपनी दुर्गति नहीं करवानी चाहिये। समाज में जब किसी एक आदमी के मन में अन्याय को भावना उत्पन्न हो जाती है, तब वह अपने मन की बात कहने में हिचकिचाता नहीं। पर जब वैसे ही विचार औरों के मन में भी आने लग जाते हैं, तब मनुष्य बड़ी तीव्रता के साथ बदलने लगता है। उसका रोप, अन्याय के विरोध की तीव्र भावना, धर्मः-दर्शनः समाज के मन में बैठने लगती है। वह किरणपत्रिक न रहकर सामाजिक हो जाती है। अतः उस व्यक्तित्व की भावना के विरुद्ध किसी प्रकार को कार्रवाई करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि समाज पर उसका परिणाम वया होगा? राज्य द्वारा की जाने वाली जोर-जबर्दस्ती से समाज में राजकीय शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती।

जब पूरी ईमानदारी से परन्तु भाववेशपूर्वक मत प्रदेशित किया जाता है, उस समय सरकार को उसके पोछे की भावना को ठीक से समझ लेना चाहिए तभी उसकी अभिव्यक्ति का मार्ग मुक्त करके अपने आचरण की दिशा निश्चित करनी चाहिए। यदि भावनाओं का सम्मान न किया गया तथा विचारों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई, तो समाज में उत्पन्न असन्तोष और अधिक भयानक स्वरूप घारणा करता है। समाज में व्यक्तियों को इकट्ठा होकर संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, सरकार बिलकुल एकपक्षीय संस्था हो जाएगी। और एकपक्षीय संस्था का आगे चलकर तानाशाही में हृषान्तर हो जाएगा। समाज में जो संस्थाएँ होती हैं, वे 'इस्तिए जन्म नहीं लेतीं कि सब काम सरकार की मर्जी के अनुसार ही किया करें। उनका अस्तित्व सरकार की कृपा पर अवलम्बित होता है, यह बात सही नहीं है। राज्य की कल्पना के उदय से पहले व्यक्ति भौजूद थे। समाज भी राज्य का अप्रत्यक्ष अर्थात् राज्य से पहले का जन्म हुआ है। राज्य आयेंगे और जायेंगे पर व्यक्तित्व कायम रहेगा। सरकार आयेंगी और जायेंगी पर राज्य कायम रहेगा। अतः सरकार को सदा समझ रखना चाहिए कि व्यक्तित्व का जीवन उसकी मर्जी गर अवलम्बित नहीं है। अतः राज्य या सरकार अमर्योद रूप से कोई भी बात व्यक्तित्व अपेक्षा संगठन पर नहीं लाद सकता। समाज में व्यक्तित्व व्यक्तित्व के बीच समावान-कारक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ है। राज्य व्यक्तित्व के लिए है पर व्यक्तित्व पूरी तरह से राज्य के लिए हो ऐसी बात नहीं। राज्य के रहने से व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व के बीच सहयोग एवं व्यक्तित्व के कायों के संकलन के हेतु राज्य मुख्यतया कार्य किया करता है। बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन्हें धरण-धरण होकर व्यक्तित्व नहीं कर सकते। अतः उन व्यक्तियों की ओर से संगठित हृप में उन्हें करने का काम राज्य किया करता है। तथापि जो काम राज्य व्यापक लेने में विद्या करता है, उसे सीमित देशों में व्यक्तित्व एवं व्यक्तियों के समुदाय किया जाता है। ये समुदाय किन देशों में काम करें, इसका नियमन राज्य का कार्य है, यह सही है; पर उसका यह अर्थ नहीं कि राज्य का चतुर्मुखी नियन्त्रण व्यक्तित्व पर स्थापित हो जाय। जब तक संगठनों का उद्देश्य राज्य के विरुद्ध नहीं होता तब तक संगठनों के कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार यह कहे

तात्पर्य यह कि यदि हम चाहते हैं कि राज्य में स्वतंत्रता का सही बातावरण बना रहे तो हमें इस सायुज्यता को लाना होगा।

अपर हमने संगठन स्वतंत्रता तथा तत्सम्बन्धी मतस्वतंत्रता का अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया है। मत-स्वतंत्रता के माय-साय थोड़ा-सा आचार-स्वतंत्रता का भी विचार किया है। सामान्यरीत्या व्यक्ति को जो योग्य प्रतीत होता है, उसके करने का अधिकार अथवा स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह क्या खाये, क्या पहरे, कैसी पोशाक रखे, इन बातों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनेक लोगों को अनेक किस्म के शौक होते हैं। उनके पूरा करने की भी छूट होनी चाहिए। कइयों को कई किस्म के व्यसन होते हैं। उनके बारे में कित्तो छूट रहे यह सवाल पैदा होता है। खाने-पीने, पहरने-झोड़ने आदि के बारे में जो मर्दादाएं होती हैं, वे समाज के मीजूदा आदर्शों एवं परम्पराओं के भनुसार होती हैं। एक समय या जब लहसन और प्याज निपिद्ध माना जाता था। वही हालत टमाटरों के बारे में भी थी। अब लहसन, प्याज तथा टमाटर के बिना खाने में भग्ना नहीं भाता। एक समय या जब बुद्ध एक बांग-पूरी तरह से शाकाहारी थे। आज उन बांगों में भी विशुद्ध शाकाहारी लोग अपवाद की भाँति नज़र आते हैं। और यह सारी प्रवति या परिवर्तन समाज के विचारों में हूए परिवर्तनों के साय-साय होते चले गये। पोशाक की अवस्था यह है कि पहले लोग अंगरेज पहनते थे अब उनकी जगह शैट आ गये हैं। शैट से लोग बुश्ट पर आगये हैं। धोती कभी की प्रवलन से उठ चुकी है। अब उसकी जगह पायजामा और पेट आ गये हैं। पहले सिर पर पगड़ी, टोपी आदि कुछ-न-कुछ बहर पहना जाता था। इन्हे पहने बिना बाहर जाना असम्भवा मानी जाती थी। अब सिर पर टोपी पहनने वाला हजारों में एक नज़र आता है। पुराने ढग की पगड़ी तो अब सग्रहालयों में ही दिखाई देती है। स्त्रियों के वेश-विन्यास में भी ऐसे ही परिवर्तन हुए हैं। नौगजी साड़ी चली गई और उसकी जगह गोल साड़ी आ गई। चोली के आकार भी आकुचित हो गये। केश-भूपा, जो पहले सम्य स्त्रियों में दृष्टिगोचर नहीं होती थी, अब सम्भवता का मुख्य लक्षण बन गया है। खाने-पीने व पहरने, झोड़ने से सम्बन्धित सदाचार कहाँ खत्म होता है और स्वेच्छाचार कहाँ शुरू होता है, यह कहना कठिन हो गया है। पहले हम जिसे चालचनन कहा करते थे, वह अब नहीं रह गया है। सम्भवता ने नये-नये रूप धारण कर लिये हैं। किंवदुना, क्षण-क्षण जो नव स्वरूप धारण करती है वही सम्भवता है, ऐसा कहने की नौवट आ गई है। कवि की प्रतिभा की भाँति नावीन्य अब उसका मुख्य लक्षण माना जाता है। ५०-६० वर्ष पूर्व बड़े बड़े शास्त्री पडित शाभवी पीकर विद्वत्प्रचुर प्रवचन किया करते थे तथा शाभवी के व्यसन को व्यसन नहीं माना जाता था। उत्तर भारत में अफोम तथा शाभवी के व्यसन को लत नहीं माना जाता था। गाजा पीने वाले लोग ५० वर्ष पूर्व पड़े-लिखो के समाज में कुछ कम नहीं थे। तमाखा तथा पीने वाले भी बहुत बड़े पैमाने में मीजूद थे। पर आज सिगरेट का व्यसन समाज का तथा सम्य समाज का भूपण हो गया है। शराब, गांजा तथा शरने रोक लगा दी है। काफी बड़े पैमाने पर उम पर अबुश लगा रखा है पैदा होता है कि सामाजिक आचरण में तथा वैयक्तिक आचरण में

समाज पो वित्त सीमा तक इस्तेप करना चाहिए। कुटुंबीजे नियन्त्रित वुरी हैं उनमें परीर एवं मन दोनों की तन्तुरसी विगड़ती है। ऐसी चीजों पर व्यक्ति के हित के लिये रोक लगाइ जाय या नहीं। घरज घरीम और गाड़े पर सार्वाई गई रोक वा विसी ने विदेष विरोध नहीं किया। पर यदि धूप्रपान पर रोक लगा दी जाय तो इन्हें के विदायियों ने लेकर हिमालय के स्वामियों तक गढ़ के सब विरोध करने को उठ खड़े हो जायेंगे, इसमें मन्देह नहीं। समाज की पारणा हो जाती है कि धूप्रपान व्यवन तभी है। और इसी बारण सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता वा वह एक भर्त है। लोग भानते हैं कि शान-शान, पोशाक तथा कुछ एक छोटी छोटी पादतों पर गोक सगाना व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्राकृतण करना है, मदिरापान पार है—पर महापापों में से एक है, यह सूनियों तथा इस्ताम धर्म की हिदायतें बनाती हैं। यद्यपि जिन्हीं पर्मों की हृष्टि से मुरारान भवायिक वृत्त्य नहीं है, तथापि इस बात में सदका मर्त्यवध है कि मनुष्य के जीवन के लिए वह हानिकारक है। तथापि जो सोग कहने हैं कि सद्गुण मध्यम मार्ग है एवं दुर्गुण किमी बात वी पति करना है, उनकी हृष्टि में योटी मात्रा में मदिरा गेवन वुरा नहीं है तथा ऐसे मदिरापान पर रोक सगाना स्वतंत्रता के मौलिक प्रधिकार पर प्राकृतण करना है। कुछ सोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं कि समाज की स्वस्यता एवं समाज के नेतिक जीवन की हृष्टि में इस विस्म के मामलों में हस्तक्षेप करना सरकार वा एक वर्त्य है। व्यक्तिह एवं सामाजिक प्राचरण के बारे में योई भी प्राप्तवृत्तंक यह नहीं वह सहता कि यह सही है प्रोर यह गलत है उत्तरिनिदिष्ट सदाचार एवं स्वैराचार में भेद करना आसान नहीं है। अच्छा प्राचरण कही यथम होता है तथा व्यसन कही से शुद्ध होता है, यह बताना कठिन है। हृष्टि में जितो दक्षा तिनेमा देखना ज्ञान एवं मनोरंजन का साधन होता है तथा जितो दका देखना व्यसन हो जाता है, यह बताना आसान नहीं है। तथापि कभी कभी प्राचरण में प्रतिरेक न होने पर भी वह समाज को प्रश्निय होता है। तो यथा सिर्फ इस विना पर कि वह समाज की ग्रिय नहीं है सरकार उस पर रोक लगा दे ? जहाँ कोई वृत्त्य प्रतिरेक वृत्तंक करने से व्यसन हो जाना है, तथा समाज को उसमें उत्तद छोड़ा है परं व्यक्ति की हृष्टि से भी वह प्रातक सावित होता है वही प्रतिरेक न होने देने के लिये उस पर रोक लगाना समाज हित की हृष्टि से अभीष्ट ही रहता है तथा उससे किसी भी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होता। स्वतंत्रता वा अर्थ जो जी में आये सो करने की छूट कोई भी मदूर नहीं करेगा। इस हृष्टि से संपूर्ण शाराबवदों लोकमत को पसंद हो तो करना चाहिये परं पदि सोक-पत को पर्मद न हो तो उस पर नियंत्रण करना चाहिए। हर कोई कहने लगेगा कि अमर्याद शाराब पीने से दुराई होती है, पर जब तक मुझे देना अनुमत नहीं प्राएगा तब तक मुझे शाराब पीने की पूरी छूट होनी चाहिए, तो राज्य को यह बात मंदूर नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अनुमत हासिल करे प्रोर उसकी कीमत अदा करे, परं यह अदोग्य नहीं है तथापि जिन्हीं क्षेत्रों में पहने के तथा अन्यों के अनुभवों को ध्यान में रखकर राज्य जिन्हीं प्रमेयों को मिल सावित करता है तथा उस हृष्टि से अंतुरा रखे जाते हैं। हर कोई अनुमत हासिल करते करते अपने सर्वस्व को गंवा देंगे

तो उसका मुद्द दोष मामात्रिक व्यवस्था एवं राग्य-गता पर भी आता है। प्राप्त होके की उन बारे में मनुष्य हालिन करने का शीला न दिया जाए तो उगमे कुछ विगड़ता नहीं। जिन मामात्रों में गमाज वी प्रतिवाप गुम्भमतुङ्गा सामात्रिक जीवन में नज़र आती है, उसके बारे में गरणार को पूरा विचार करने रोक लगानी भाहिए। मामात्र्यतया जुट को एह घमन माना गया है। इन्हिनोंने पूरा को एह महायात्र किया है पर यह भी बहा है कि तब्दी लालिय लूट तथा गुड़ के बुद्दों की कभी व्यवस्थार नहीं करता। शीला जुपात्रियों के घट्टे में जात्र पालिं लगाना घग्या बन्ध तरह गे जुप्रा भेतना सृहृण्य नहीं है तथापि पोहो वी रेव को घनुमति देस्तर जुए को इग देवा को सरकार ने मनोरजन वी प्रतिष्ठा प्रदान भी है। वहाँ में ताश भेतना जाता है तथा उसमें पैंगे भी लगाए जाने हैं। पृथा वही रोह लगाना थीह होगा? या यदि वही रोह लगा दी गई तो पर-पर में वही होना गुरु हो जायेगा, यह शोकर उनकी लगेशा की जाये? तात्पर्य यह कि मामात्रिक घाचरण के बारे में निश्चय के माध्य यह कहना कि घमुक यस्तु दोपाहूँ है कठिन है। अत जो याते सम्भाया ही गुरी है, उनके किये जाने पर राजा का फ़िया जाना उचित ही होगा। इसी प्रश्न जो बाम घनिरेह-पूर्वं रिया जाता है वह भी राजा का पाप होता है, यह गही है तथापि घमुक लगाते समय सारामार विचार, मनुष्य स्वभाव, मामात्रिक इतिहास तथा परमारा आदि बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये। किन्हीं धर्मों में विवाह के घब्बर पर मदिरापान करना आवश्यक समझा जाता है। किन्हीं गम्भदायों में मदिरापान करना पूजा का भग लगा जाता है। अत सब बातों का विचार करके घंकुश लगाना चाहिये। और जो घंकुश लगाया जाय उस पर दीक से घमल किया जाना चाहिये।

लाल हमने बताया कि योग्य सेवन तथा घतिरेकी सेवन वी शीमाप्रो को निश्चित करना कठिन है। सामात्यतया किता योग्य तथा किता घतिरेकी इसके सम्बन्ध में मानदण्ड निश्चित करना भ्रमक्य होते हुए भी आवश्यक होता है। उदा-हरणार्थ, किता मदिरापान करने से आदमी बेहोश नहीं होता या उसकी तनुरस्ती पर चुरा असर नहीं होता इस बारे में कोई-न-कोई मानदण्ड निश्चित किया जा सकता है पर उसके साथ यह भी सही है कि मनुष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस मिश्चार को कम घधिक करना भी न्याशेवित रहता है। आज भारत के घनेह धोपो में मदिरा पर पूर्ण प्रतिवर्त लगा दूपा है। पर घपवाइ रुप में डाक्टर की सिपाहिया पर परमिट दिये जाते हैं और वे पीने वालों की प्रकृति को देखकर दिए जाने हैं। पर किसके लिए सेवन उचित मिकदार में है, किसके लिये नहीं, यह छहाना सम्बन्धित व्यक्ति का ही बाम होना चाहिए। कम देने पर व्यक्ति छटपटाता है तथा कभी-कभी पागल भी हो जाता है। घधिक देने से बेहोश हो जाता है तथा समाज के लिए एक सिरदर्द बन जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनेह धोपो में योग्य एवं घधीर्य का निर्णय करने की दूड़ रहती है। किता याया जाय, किते क्षप चाय वी जाय, इन बातों पर सरकार निपचण नहीं लगा सकती। ढेर सारी आइस्कीम साकर कुछ व्यक्ति मर गए, पर इस बात को लेकर सरकार का आइस्कीम खाने पर प्रतिवर्त लगा देना उचित नहीं होगा। खाने, कपड़े-सत्ते, तथा मनोरजन के सम्बन्ध में व्यवित ही अपने लिए

निर्णय ले सकते हैं। सर्वसामान्य समाज में जो योग्य माना जाता है, सम्यतायुक्त माना जाता है, वही तक नियंत्रण सीमित रहना चाहिए। एक समय था, जब हर घर में तथा विद्यालियों के कमरों में देवी-देवताओं के चित्र लगे रहा चलते थे। उसके बाद ऐसा समय आया जब उनको जगह देश-भक्तों के चित्र नज़र आने लगे। पर आज कल यह अवस्था है कि सबै-सबै चित्रपट की किसी नामिक अथवा नामक का चित्र हप में दर्शन न मिले तो अनेकों को दिनभर कुछ सूझ नहीं पड़ता। देश-भक्तों या नेताओं की लोकप्रियता में कभी आ गई हो सो बात नहीं है, चित्रपट की नामिकाओं एवं नादों की लोकप्रियता बहुत बड़े गई है, यह जल्द सत्य है। किसी समाचार-चार-पत्र का ग्रंथ उनके फोटो के बगैर नहीं बिल्ता। हप्ते में यदि एक बार भी उनके बारे में रोचक समाचार पढ़ने को न मिले तो उस पत्र के पाठकों की संख्या घट जाती है, यह समाचार-पत्रों का अनुभव है। ये सब कुछ बहुत अच्छे लक्षण नहीं हैं, यह भले ही सत्य हो, तो भी सरकार द्वारा इन बातों पर नियंत्रण लगाया जाना अनीष्ट नहीं तथा उसका कहा उलटा ही होगा, यह भी उत्ता ही सत्य है। और सरकार को भी जब सामाजिक द्वारणे के बारे में नियंत्रण लगाना हो, तब पूरा विचार करना चाहिए। और जो उद्देश्य इन नियंत्रणों के लगाने से सोचे गए हों, वे सबमुझ पूरे हो पायेगे या नहीं, इसका पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। नियंत्रण लगाने से अधिकत की अपनी उत्तरदायिता में कभी आ जाती है। उसे तब अधिक विचार करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। जो प्रतिबन्धित नहीं है, वही खाना, पीना, देखना तथा काम में लाना उसका काम रह जायेगा। पर साय ही मनुष्य को बुद्धि भी चोकनी हो जाती है। उसने अपने मन में जो छिपाया हुआ हो, उसको देखने को कामना उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। जो बाड़-पथ धार्थ पाह हो उसे पढ़ने की उसकी उत्पुक्ता तीव्र हो जाती है। उसके जीवन-पथ में जो वस्तु नहीं प्राई थी, वही अब प्रतिबन्ध लगाने के बाद आने लग जानी है और उधर उसके मन का विचार उत्पन्न होने लगता है। बहुत दफा जो बाते प्रतिबन्धित होती हैं, उन्हीं को करने की भावना उसके मन में उत्पन्न होती है तथा वैमा करना स्वाभाविक हो जाता है। यदि मनुष्य को प्रलोभनों से दूर रखा जाये, अनेक बातों के अनुभव पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो, मनुष्य का अपना भूल-चरित्र विकसित नहीं हो पाता। विकास तब होता है, जब प्रलोभनों के विद्यमान होने पर भी उसने दूर रहने की बुद्धि उसमें उत्पन्न की जाती है। चोरी का कभी मौका ही नहीं मिल पाया, इसलिए चोरी नहीं की, इन प्रकार की मुजलता अभावात्मक है। किसी ने प्रेम ही नहीं किया इसलिए मैं ब्रह्मचारी ही रह गया हूँ, इस बहने में जो नैतिकता है, वह अभावात्मक है। इसके विपरीत, प्रलोभनों के रहने हुए भी जिसने निवृत्ति से काम लिया हो सथा प्रदृशि के लिये तीव्र प्रेरणा के रहने हुए भी जिसने निवृत्ति से काम लिया हो, उसी अवित्त वा शील युच्चा है, कभीटो पर खरा उत्तरा है, यह कहा जा सकता है। अन. समाज को अपनित्त पर कुछ उत्तरदायित अवश्य डालना चाहिए। थेल नैतिक आदर्शों की जानकारी अवित्त के मन को करानी चाहिए तथा प्रतिबन्ध की अवस्था की रचना करते समय साराजार का विवेक करना चाहिए। अवित्त को उचित मात्रा में अनुभव प्राप्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अपने

चलेगा, वह कही गिरेगा भी। इन सब बातों का मौका उसे मिलना चाहिए। कौन के घर में रहने वाने पौधे की भाँति उसके जीवन की अवस्था नहीं होनी चाहिए। मनुष्य केवल साधीकर ही जीवन नहीं रहता। उसकी सजीवता उसके जीवित रहने पर ही अवलंभित नहीं रहती। जिस रहना है तो उसे सजीव रहना होगा, उसका मन उत्तम-मिन होना चाहिए, उसके विवारों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहना चाहिए, और जो भी नियन्त्रण उसके विवारों पर हो वह उसके अपने अनुभव द्वारा खोज कर निकाला गया होना चाहिए। दूसरों के अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को बद्दीत करना अपने जीवन के विकास को कृषित करना सिद्ध होगा। अपने युद के भर्जित अनुभव के बल पर जब वह व्यवहार करता है तब वह उत्तरदायितायुक्त काम करता तथा उसके व्यवहार में गोरव प्रतिष्ठित होता है। अन्यों की भाँति व्यवहार एवं विचार करने का उपदेश देना उस व्यक्ति को गुलाम बनाना है। मनुष्य किसी भी देवता वा भजन कर सकता है, पर उस पर इस बात की सहीती की जाये कि हर एकादशी को उसे देवालय में जाना ही चाहिए, तो वह वहाँ जायेगा, उसका शरीर वहाँ रहेगा पर उसके मन में किसी अन्य ही देवता का प्रवेश हुआ होगा। यदि वाह्य नियमों द्वारा उसके मन पर जबर्दस्ती की जाय तो मन की विचारशीलता बिनुप्त हो जायेगी। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विवार करने की आवश्यकता होनी चाहिए। और वह आवश्यकता हर क्षण तथा हर कही नियम एवं प्रतिवर्धों के नियंत्रण से उत्पन्न नहीं होती। व्यक्ति अपने युद के अनुभवों के आधार पर जो सभी स्वीकार करेगा, वही वास्तव में उपयोगी सिद्ध होगा। जो चोरी करना पाप है, ऐसा मन से मानसा है, वह चोरी नहीं करेगा। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति इसके विरहीत हीगी वह, जब तक सामने पुतिस सड़ी है या अन्य कोई व्यक्ति उसे देख रहा है, तब तक चोरी नहीं करेगा; पर ज्यो ही ये लोग हट जायेंगे वह चोरी किये बगैर नहीं रहेगा। अतः व्यक्ति को स्वयं अनुभव प्राप्त करने वा अवश्य दिया जाना चाहिए। उसमें उसके भोतर की दिवेश वृत्ति जागती है, उसमें उत्तरदायिता की भावना उत्पन्न होती है। यदि व्यक्ति को अपने जीवन का हृष्टिकोण निश्चित करने का मौका दिया जाए तो उसमें व्यक्ति एवं समाज दोनों ही का अधिकृतम लाभ है।

ध्याक को उसके वंशकालिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के जीवनों में अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, इसमें वह भविक उत्तरदायितायुक्त नागरिक यन्त्रता है, ऐसा हम अपर कह सकते हैं। कानून से सामाजिक आचरण के बारे में मुद्दा नियमन करना हो तथा उसे पूर्ण सफल करना हो तो यह काम बहुत ही विचारपूर्वक किया जाना चाहिए। पहली बात यह होनी चाहिये कि यह नियमन सामाजिकतया सब लोगों को प्रिय होना चाहिये। जिन-जिन लोगों के जीवन इन नियमों एवं निर्देशों से प्रभावित होने वाले हैं, वर्ष-सं-वर्ष उन्हें तो अवश्य इन नियमों एवं निर्देशों के धोचित्य का अनुभव होना चाहिये। जिस कानून को लोगों का समर्थन—स्वयं प्रेरित समर्थन—नहीं मिलता तथा जिसके तत्त्वों के बारे में जनता उशाशीन रहती है या जिसका विरोध करती है, उस कानून का पालन वेवल दण्ड के भय से दिया जायेगा ऐसा पहले ही से मान कर चलना सतरे से लाती नहीं है। उससे कुछ

सोग उरा कानून को मान से सो मान में; पर यह कानून एकदम नहीं है, महाशीक्षण करना ही होगा। जहाँ गारामार का विचार नहीं आया था, ऐसे कानून के भंग करने की ओर दार्शनीः दार्शनीः सोनों की प्रशुति होने लगती है। कानून के वाचन की प्राप्तिशक्ति ही जाती है तथा कानून के भंग करने की प्रवक्ष्या करने वाले का अधिकार गम्भीर होने लगते हों तो निरन्तर ही कानून पा समाज में होने वाला धार्मिक गम्भीर हो जाता तथा गम्भीर का पाराम वरने वाले अनेक प्रबन्धों में भी कुछ दृष्ट जावेगे। कानून की प्रवक्ष्या करने वाली जो समाजे महान है कि वे लोग बोई उत्तम काम, बोई धूरखोरता का काम कर रहे हैं। गम्भीर की उत्तमति, स्थिति तथा प्रवक्ष्या प्रवक्ष्या का धाराम कानून है। कानून इन गद वालों का मरणान् एवं प्रेरक होता है। कानून पर होने वाला कुठारापाणि गम्भीर के मूल पर ही होता है। गम्भीर जट-मूल से परवर्ता उठता है। गम्भीर का जीवन कानून के पासपर के बन पर टिका रहता है तथा गम्भीर होता है। कानून का प्रतिनिधि ही यह हुनिम यामा। उम्मेद के बारे में जो गम्भीर एवं भय होता पाइये, यही कुछ ही जाता है तथा सोनों के मन में यह धारणा पर कर रही है कि पुनिम यामा मात्रिकों का दाता है, उनकी स्वतन्त्रता में विज्ञ उत्तम परने वाला दुःखन है। यह पारणा निरन्तर ही हितापद नहीं है। आज उन सोनों वा घटी-गटी गम्भीर होता है, जो शराब दंडी के कानून की प्रवक्ष्या करते हैं। हाथ-भट्टी समाज एक वला समझी जाने सकती है तथा हाथ-भट्टी की शराब चुपाने एवं उसकी विक्री करने के काम में घटा-में सोग प्रवना क्षेत्र सर्वं करने सक गये हैं। इस एक पराक्रम का देव माना जाने लगा है। और जो लोप ऐसा करते हैं, उनकी यह वक्तव्य प्रशंसा की जाती है कि वे लोग कानून की यह प्रवक्ष्या समाज की सेया के लिये एवं व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये कर रहे हैं। जो प्रशंसा देशभरत आतिशारियों, स्वातन्त्र्य धार्तने वाले सत्याग्रहियों को मिलनी चाहिये, वह प्रशंसा एवं स्वातन्त्र्य निम्न थेणु के ये गम्भीर-पत्र इन शराबदन्दी का कानून भग करने वालों को दे रहे हैं। हाथ-भट्टी के समाचार तथा पुलिस वालों की इस काम में होने वाली फजीदूत वा भड़कदार यर्जन जब लोग शराबारों में पढ़ते हैं, तो समाज का एक वर्ग शराबव्यन्दी के कानून के विद्ध होने वाले आचरण को अच्छा समझते लगता है। चोरी-दिये शराब पीना सूखबीखता का काम समझा जाने लगा है। तथापि यह भी विचार करने योग्य है कि इस कानून को बनाते समय इस वात का विचार नहीं किया गया कि समाज को यह कानून कही तक मान्य द्वों सकेगा। शराब-बन्दी के इस काम को यदि थोड़े से विवेक से विचार जाता तो इस काम में पर्याप्त सफलता प्राप्त हो जाती, आज गौव-गौव में विधिपूर्वक शराब चुपाने की जो भट्टिया हो गई हैं, वे न होती। इस गैर-कानूनी खेद में पड़कर सीधे-सादे व्यक्ति भी गुण्डे हो गये हैं। भीधे तरीके से शराब पीना सम्भव न होने के कारण अनेक व्यक्ति लोग वाममार्गी हो गये हैं। यदि शराबी को हम निवृत्तसनी बनाना चाहे और उसकी ओर में सहयोग न मिले तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे। अतः हमें उम्मेद के महयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि शराब को एकदम बद करने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके शराब को मात्रा कम करते तो कदाचित् हमें उसका

सहयोग प्राप्त हो जाता और उसे हम इस व्यवसन से मुक्त करने में समर्थ हो पाते । कुछ दिन हम बैवल हफ्ते में एक दिन के लिये शाराव-वंदी करते । उसके बाद दिन में बैवल एक निश्चित समय में तथा एक निश्चित स्थान पर ही मिलेगी ऐसी व्यवस्था करते । इससे हम उसे इस दुर्घटन से बचाने में सक्षम हो पाते । पर एकदम अविवेक से, अध्यावाहारिकतापूर्वक शाराव-वंदी करने से कुछ माना में अच्छे फन अवश्य मिले होंगे तो भी कुछ बुरे फन भी निश्चित ही हुए हैं । अनेक सामान्य लोग अपराधजीवी हो गये हैं । प्राजन वस्त्रई में एक ऐसा जग नस्तम हो गया है, जिसे 'भण्डर वल्ड' (भूमिगत जगन्) कहा जाता है । संघटित अपराधों की संहिता बड़ गई है । इन मध्य वारों को टाना जा सकता था । शाराव-वंदी में मदगुणों को वृद्धि हो, जीवन अधिक सुखी एवं सुखमयुक्त हो, यह उद्देश्य बहुत ही कम मात्रा में पूरा हो पाया है । समाज में किसी भी व्यवसन की ओर देखने की जो एक नीतिक हृषिक आवश्यक होती है, वह कम हो गई है तथा मर्वंमासान्य वानावरण असंवित जीवन की ओर ले जाने वाला हो गया है । समाज की नीतिकता को रीढ़ दब गई है तथा समाज का नीतिक रा से सम्बन्धित सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो गया है ।

समाज में उत्तम हुई उत्तरार्थितिहित स्थिति समाज के नेताओं के लिये विवार करने पोर लिया है । मरकार को वैशिक जीवन में हस्तिया नहीं करना चाहिये, उसके ऐसा करने के कारण ही सब हुआ है, ऐसा कहता यत्कांत में मत्य नहीं है । पहले महायुद्ध के बाद नवीन विवारों को लहर सारे समार में फैन गई तथा नई पीढ़ी पर नवीन विवारों की एक छात बैठ गई है । पुराने नेता तथा पुराने लोग राष्ट्र का उपयोग वर्गविजेष के स्वार्थ की पूति के लिये किया करते हैं । देश के तद्दणों की प्रेरणा को मुद्रोभर लोगों के स्वार्थ के निए काम में लाया जाता है । समाज के बहुसंघक तोग वस्तुतः पूजोवादी अथेववस्था में गुलाम हो जाते हैं और उन्हें गुलामी में ही बनाये रखने के लिये मंस्तुकि, तत्त्वज्ञान एवं साहित्य का उपयोग किया जाता है । समाज का अधिक एवं साईक्तिक विरोध स्वून रुप नेता बना जाता है । सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र इस आदित्य विवस्था में मालदार लोग और ज्यादा मालदार होते जाते हैं । गरोद लोग और ज्यादा गरीब होते जाते हैं । समाज में ऐसा कोई विवार अवशिष्ट नहीं रह जाता, जो उनमें समन्वय की स्थापना कर सके । ऐसी परिस्थिति बना दी जाती है, जिसमें मेहनत करने वाले ज्यादा मेहनत करे तथा पूजीपतियों के हाथ में असीम सम्पत्ति पहुँच मिले । सम्पत्ति एक ऐसी सनद है, जो शामनसत्ता पर भी अपना प्रभुत्व जमा सके । इसका फन यह होता है कि समाज में अन्याय बढ़ जाता है, संघर्ष की वृद्धि होती है तथा जो कुछ भी है, उस भद्र को बड़मूल से उल्लाङ्घन करने की वृत्ति बढ़ जाती है । और तब यह वृत्ति पुराने भासाजिक वयम एवं अनुशासन को बबूल नहीं करती । पुराने के प्रति ज्यादार धट जाता है । पुरानी दुनिया मार्ग दरोहर नहीं रह जाती । यह समझ कर कि जो कुछ भी है, उसकी तरफदारी करने से अन्याय की अद्युत्ता रखने जैसा हो जाता है, जोगों के मन उसे दूर करने के लिये अधिक निर्भीक ही जाने हैं । ये बुलनमबुलना प्रभुत्वराधिता से काम लेने लग जाते हैं । ऐसी अवस्था में सराहन द्वारा लोगों के जीवन में लोकमत के विषद्द हिस्से

गये हम्मतदोष का फता यह होता है कि समाज के सारे नेतिर वन्दनों का एक सामाजिक घनुआगमन या पूर्णतया उच्चेद हो जाता है। अब: मकरण के काल में, जबकि नवीन विचारों की जनधारा बहुत बेग रो बहा करती है, यदि कानून का परिपालन करना है तो कानून को अधिकाधिक मात्रा में जनमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। यदि सरकार अपराध के स्वरूप की प्रीर ध्यान न देते हुए गता की मात्रा निश्चित करने लगे, परिस्थिति भीर अधिक विगड़ जाती है। स्वाय के सम्बन्ध में लोगों के मन में आदर नहीं रह जाता तथा जो सजा दी जाती है, उसके प्रतीक्षित को निश्चर भीर अधिक चिढ़ पैदा होती है। समाज में ऐसी अवस्था का रहना अभीष्ट नहीं है। यदि अप्रिय कानून की लादा गया तथा सख्ती में उसका परिपालन कराया गया तो उसके विरुद्ध जो भावना पहले ही मोड़ूद थी यह प्रीर अधिक होने लगती है। भीर उस समय बलिदान देने की एवं हृतात्मा होने की वृत्ति बहुत बड़े पैमाने पर समाज में उत्पन्न होती है। या कहिये उत्तम की जाती है। भीर उस समय कानून का परिपालन एक टेढ़ी खीर हो जाती है। इस प्रत्यार के सारे प्रतुभय को ध्यान में रखकर, कानून बनाते समय सरकार को जनता की भावनाओं का अधिक सम्मान करना चाहिये। कानून न बनाने से स्वतन्त्रता का किसी मात्रा में दुरुप्रयोग किया जाएगा तथा कानून बनाने से जो दुष्परिणाम होगे, वे विस प्रकार के होंगे, इसका हिंसा लगाकर सरकार को कदम उठाने चाहिये। बहुत दफा कानून का उपहास होता है। साफ-साफ विरोध न भी हो तो भी उसे इतना तुच्छ गिना जाता है कि खुल्नमबुल्ला कानून का भग करने से समाज में जो परिणाम हृष्टिगत हुया करते हैं, वही परिणाम कानून का उपहास करने तथा उसे तुच्छ समझने से भी होने लगते हैं। इसी प्रकार सरकार को भी चाहिए कि व्यक्ति के बिन्ही कृतयों को तात्त्विक हृष्टि से दोषाहं समझ कर तत्काल सजा का हृदोढ़ा अपराधी के सिर पर न चलाये। बहुत दफा उपेक्षा करने तथा तुच्छता प्रदर्शित करने से जो परिणाम होते हैं वे सजा से भी ज्यादा अच्छे होते हैं। सत्याग्रहियों के विरुद्ध की जाने वाली सरकारी कार्रवाई से बढ़ने वाली प्रतिष्ठा को देखकर कुछ एक महानुभावों ने सिर्फ़ प्रतीक्षा के लिये सत्याग्रह के सिद्धान्त में विश्वास न होते हुए भी सत्याग्रही बनने का नाड़ीय साहस किया प्रीर हूँठ सरकार ने भी उन्हें १ ह० जुर्माना करके या आगे से ऐसा मत करना यह उपदेश देकर छोड़ दिया। फल यह हुया कि उन लोगों के प्रति लोगों का धौनाभर भी विश्वास नहीं रह गया। कहने का अभिप्राय मह है कि कानून का परिपालन कब किया जाय, किसी चतुराई से किया जाय इन बातों का विचार विवेकपूर्वक किया जाना चाहिये। व्यक्ति की स्वतन्त्रता अधिक महत्व की बनतु है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा राज्य की प्रतिष्ठा का एक अंश है। आजकल बड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर आमरण उपवास की घोषणा की जाती है। ऐसी घोषणाओं का जवाब उपेक्षा से देना ठीक रहता है। परन्तु उसका उद्देश्य यदि महत्वपूर्ण हो तो उस मामते में बड़ी चतुराई से काम लेना चाहिए। अब-सत्याग्रह द्वारा विसी अप्रिय बन्तु को करने के लिये वाधित करना एक प्रकार से हिंसा का ही आधय लेना है और बहुत दफा अन्न सत्याग्रह की बात मान लेने से कानून की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। वैसा

विचार स्वतंत्रता के विविध स्वरूप

होने का मनलब यह हुआ कि कुछ-एक वर्तिगों के हठ या पागलपन के लिए बहुमंड़क क्षेत्रों की स्वतंत्रता की प्रवणता करना। यदि सामान्यतया बहुमत द्वारा कोई कानून पास हुआ है, तो भ्रम-सत्याघर की उनीतो को स्वीकार करना चाहिये। बार-बार सत्याघर होने लगे भी उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं तथा उस सत्यता हर की प्रतिष्ठा एवं पवित्रता भी नष्ट हो जाती है। प्रभ्र-सत्याघर की स्वतंत्रता हर किसी को है। तथापि यदि उस स्वतंत्रता का भ्रमर सारे समाज पर पड़ता हो, तो होगी, तथा वैधानिक हृष्टया एक अनुचित बात होगी। और यदि उन्हें बंसे ही मरले दिया जाय तो भ्रजानी तथा भ्रातुर्क वृत्ति बाला लोरमत कुढ़ हो उड़ेगा और कुछ ऐसी बात हो जानी है, जिससी उम्मीद तक नहीं की गई थी तथा उम्मा फल होता है सामाजिक असन्तोष। तात्पर्य यह कि कानून इस प्रकार के होने चाहिये, जो अधिक-से-अधिक लोकमत के अनुरूप हों। लोगों बी मावना बो बहुत प्रधिक ठेष न पहुँचाने वाली सरकारी नीति तथा उसका परिपालन होना चाहिए।

सामाजिक शेष में जिन बातों पर सरकार ने रोक लगा रखी है या अनुरा लगा रखा है, उनके बारे में यदि लोकमत बहुत प्रधिक विछद हो तो जनता को उन बहुमयों को प्राप्त कराने के लिये बाम-मार्ग का आश्रय लिया जाता है। शराव सीधे रास्ते से सरकार नहीं देती तो हाथ-भट्टियाँ पुल हो जाती हैं तथा बाम मार्ग से नियिद्ध वस्तु ग सम्भरण एक फायदेमन्द धन्वा हो हो जाता है। और इस धन्वे में पढ़नेवाले सीधे-साइ लोग भी उपरिनिहिट शीतला साहगी बन जाते हैं। भ्रष्टे कार्य के लिए होने वाले कानून के उल्लंघन को समय-प्रसमय लोगों द्वारा प्रभ्रय मिलते रहने से उस मार्ग का अवलम्बन करने की ओर लोगों बी प्रयुक्ति हो जाती है। वह शस्त्र लोकप्रिय हो जाता है। उम्मे लोगों की व्यापति भी बढ़नी है। उसके पीछे की उत्तम भावना तो सरकार के विछद करने लग जाता है। कानून का उल्लंघन सगठित रूप से होने लगता है। शराव-बन्दी के बाद शराव की गुणागद्दी करने वाला तन्व उसका उपयोग के नाम पर शराव की विक्री को जानी है। अनेक मनोरनन मस्तिष्ठ, बाहर से मनो-रंजन एवं भीतर से मदिरा-पान करती है। शराव-बन्दी न होती तो शराव की बोतल के जो दाम होने शराव उससे कई गुना दाम उसके मिलने हैं। प्रधिक मुनाफे की वजह नहीं कि उन्हें सजा नहीं मिलती। पर जेल जाने में उन्हें कोई लास तकनीक नहीं होती। किंवद्दन, उस उद्योग की वह एक सामान्य अवस्था मानी जाती है। रजिस्टर्ड न होई पर उन्होंने ही कार्यक्षम एवं सगठित ये धर्वेव व्यापार करने वाली संस्थाएँ होती हैं तथा बारी-बारी से जेल में जाने को उनकी तंयारी होती है। पुलिस भी यह सब जानती है तथा राज्य के बड़े-बड़े प्रधिकारी भी इस चोर-वाजारी से निपिद्ध वस्तुओं की विक्री करने वाले व्यापारी लखपति हो गये हैं। यह बात रिका में नियिद्ध वस्तुओं की विक्री करने वाले व्यापारी लखपति हो गये हैं। रजिस्टर्ड नहीं कि उन्हें सजा नहीं मिलती। पर जेल जाने में उन्हें कोई लास तकनीक नहीं होती। किंवद्दन, उस उद्योग की वह एक सामान्य अवस्था मानी जाती है। उनकी तंयारी होती है तथा बारी-बारी से जेल में जाने को उनकी तंयारी होती है। पुलिस भी यह रहते हैं। उनके बीच एक किस्म का समझौता हुआ रहता है। इन सब उद्योग-धन्वां-

सारी गेली निश्चयनीयोंमें भाली' (प्रथमतः पुराने रीति-रिवाज सब छले गये थोर उनकी जगह नये-नये स्वांग घाने लगे) यह ५० वर्ष पूर्व का रवाना गया पद मुझे लगता है सनातन हो गया है। माज भी उसका उत्पयोग किया जाता है और अनन्त काल तक किया जाता रहेगा। लोकतन्त्र के मुग में लोगों को इरड़ा होने को छूट है। लोगों के मंगठिन होहर किये गये प्रयत्नों को यों सफलता न भी पिछे तो भी प्रसिद्धि तो उन्हें कुछ मिल ही जाती है। समाज में चर्चा होती है। समाजात-द्वारा भनभोष्ट ठहराई गई बातें सर्वाधारण जनता की धौतियों के सामने या जाती हैं। जान के सेव में किए गए नए-नए आविष्कार उनकी हृष्टि में उत्तात मचाने वाने सिद्ध होते हैं तथा पारिष्ठामालों में युक्तिवाद को घोड़ा-सा भी स्थान दिया गया तो इनके माध्ये उनका उठते हैं। देवता के सम्बन्ध में किए विनोद को गे लोग समझ नहीं पाते हैं कि सरकार को इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिये। कम्यूनिस्ट लोगों का तत्त्वज्ञान इन्हें मुहावरा नहीं। पुरानी हिन्दू धर्म की कलनाम के घनुमार समाज के सब लोगों को सीढ़ी की भाँति काम व्यवहार करना चाहिए, ऐसा वे लोग कहते हैं। हरिजनों का मन्दिरों में जाना वे लोग वद्दित नहीं। और जब कोई बात उनके मन के मुनाविक नहीं होती तो कहते हैं कि बालनक ही उलट गया है। भैंपा, कलियुग है विद्या जाय। ऐसा कहकर मुदिकल से प्रचलित बातों के साथ ग्रन्थहालता स्थापित करते वा प्रयत्न करते हैं। यह सनातनी प्रचलितवादी, और ममी बालों में वह रहती है। उसका मुख्य लक्षण है, नये विचारों एवं नये प्रयोगों से दूरत्व। और इयोलिए इन लोगों की जिद के भागे सिर मुक्त कर राजद-सत्ता का कुँडका-कुँध कर बैठना मनुवित एवं प्रगतिशील स्वतंत्रता की हृष्टि से प्रदृशकर है।

समाज में हर व्यक्ति को मत की तया विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यदि यह स्वतंत्रता न हो, तो मनुष्य एवं मानव यह पद्धति यथायं नहीं हो सकती। दोनों शब्दों में मनु धारु है। उसका मर्यं है विचार करना। जो विचार करता है, वही मनुष्य या मानव हो सकता है। यत् मानव के मुख्य लक्षण विचार करने से प्रयत्न बातवरण, समाज में नहीं रहना चाहिये। मनुष्य के मन में जो विचार पाते हैं, उसका सम्बन्ध उसके चारों ओर की परिस्थिति के साथ होता है। समाज विसी सोसाज में मनुष्य विचार नहीं बाली परिस्थिति में से होता है। समाज उसके चारों ओर उत्तरदाय होने वाली परिस्थिति में से होता है। समाज की परिस्थिति विविध प्राचार की होती है। कोई बृहत् मुस्ली होता है तथा कोई दु-धी होता है। कहीं पाने और पहरने की सीमा नहीं होती तो कहीं दर दर भट्टने एवं पुटने में सिर दियाकर सर्दी बिताने की जोवत रहती है। भृदार के अथनामुदार विरोध से भरा हुआ यह जग मुस्तमय है या दुसमय है, यह कोई नहीं।

वह सकता। और जिसे जिस किस्म का अनुभव आया होगा, तबा जिस हालत में वह जीवन विता रहा होगा, उस हालत के अनुसार ही वह व्यक्ति विचार करेगा। अतः सब लोगों को एक ही नर्पते से नापना ठीक नहीं। कोई बात ऊपर के दर्जे के लोगों को प्रिय लगती है, तो वह नीचे के सभी दर्जों को प्रिय लगनी चाहिए ऐसी एकलृप्ता से जीवन में काम नहीं चलता। किसी को स्वयंवर नाटक में रुकियाणी के शालीन एवं लालित्याद्युण्डं हाव-माव अधिक भाएंगे तो किसी को तमाशों में नाचते बाती किसी कौशल्या का ऊबड़-खाबड़ अभिनय ही अच्छा लगेगा। जहाँ अभिरुचि की यह अवस्था हो, वहाँ यह कहना कि फली बात ऐसी होती तो अच्छा होता या बुरा होता, वेबल खड़े मिजाज बालों का दिलावा भर होगा। अत ऐसे मिजाज बालों का दबदबा रहे तो समाज की कसात्मक प्रगति उत्कृष्ट कोटि की नहीं हो सकती। मानसिक स्वतंत्रता के चातावरण में कना का उत्तम विकास होता है। साहित्य प्रतिक्रियारमणीयता एवं रसोत्तरपं दिलखलाता है। बहुत अधिक सोज्जबलता प्रगतिकारक समाज के राह में रोड़ा अटकाने वाली है। निरर्थक लम्बी नाक बाले आलोचक साहित्य-धेव में उछल-कूद मचाने लग जाएं तो रसिकता मनुचित हो जाती है और कभी-कभी लुप्त तक हो जाती है। थ्रेष्ठ साहित्यिक व्यक्तियों के जीवनों के लिए तथा थ्रेष्ठ कलाकारों की कला के लिए इस प्रवृत्ति के व्यक्ति राहु एवं केतु वा काम करते हैं। अतः समाज भी सर्वाङ्गीण प्रगति के लिए समाज में मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। विचारों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही उपरिनिर्दिष्ट स्वरूप की विचारधारा के भूतों को समाज एवं सरकार की ओर से उपेक्षा एवं दुर्लक्ष द्वारा शान्त कर दिया जाना चाहिये। सामान्यतया व्यक्ति प्रपने व्यवसाय से बाहर अधिक नहीं भौकता। नवीन विचारों का वह स्वागत किया करते हैं जो भी सब वो इस बात का अहमास नहीं होता कि उनके लिए कुछ त्वाग करना चाहिए अथवा अधिक जापहक रहना चाहिए। अपना घर फूँक कर औरों के घर भी आग बुझाने वा धन्धा सिफे धेकार की उखाड़-पछाड़ करने वाले लोग ही किया करते हैं, ऐसा माना जाता है। अतएव सरकार भी ही सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों के मनों पर जो परपराण भंस्कारों वा धोक लदा हूमा है, उन्हे हल्का करने के सारे प्रयत्नों को सरकार को स्वागताहुं मानना चाहिये तथा प्रतिक्रियावादी दोर-दारावे के सामने तिर झुकाकर मत-स्वतंत्रता एवं विचार-स्वतंत्रता पर अंकुर नहीं लगाना चाहिए। स्वतंत्रता जूँकि एक मौलिक प्रवृत्ति एवं अवस्था है, अत यही मान कर चलना चाहिए कि उमड़ा मदुरायोग ही होता है। स्वतंत्रता के मानी स्थंराचार नहीं है यह मिद करना उन लोगों वा काम है जो इसका विरोध करते हैं। जो लोग बहते हैं कि स्वतंत्रता भी अंकुर लगाया जाना चाहिए, उनका यह उत्तरदायित्व होता चाहिए कि वे मिद करे कि स्वतंत्रता वा जो उपयोग किया जा रहा है, वह दुर्योग है। और जब तर यह सामान्य जनता की बुद्धि में नहीं उत्तरता कि यास्तव में स्वतंत्रता वा दुर्योग किया जा रहा है तब तर सुरक्षा वो विचलित होने वो आवश्यकता नहीं। अष्ट दशों में स्वतंत्रता के विरोधी मोग इनी नहीं बढ़ेंगे कि वे मत-स्वतंत्रता किंवा विचार-स्वतंत्रता के विरोधी हैं।

यदोंकि वह स्वतन्त्रता उन्हें भी अभीष्ट होती है। तथापि वे कहेंगे कि समाज के हित के लिये हम चाहते हैं कि स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाये जायें। मानो समाज के हित का सारा टेका उन्होंने लिया हो। चूंकि वे लोग अधिक जोर से चिल्लाते हैं, अतः उनकी बात मानी जाय, या उनका कथन समूचे समाज का व्यथन है, ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। चूंकि देश के सारे समाचार-उत्तर एकमत होकर किमी विचार-पारा श्रयवा माचारण पर हट पड़े तो उसे उसी रूप में ठीक समझनेर तत्काल उसके विरुद्ध सरकारी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। सम्बन्धित बात की असामाजिकता एवं ग्रनीचित्य का पता सरकार बो स्वतन्त्र रूप से चला लेना चाहिये। और तभी उसके विरुद्ध कोई उपाय किया जाना चाहिए, जब पक्षका विद्वास हो जाय तिव्वति वह बन्तुन्, समाजाजिक एवं प्रगतिशील है। सारी दुनिया का अनुभव यह बनाना है कि विचार-स्वतन्त्रता से ही ज्ञान की उन्नति होती है। राजकीय एवं राष्ट्रीय स्वतन्त्रता इसी स्वतन्त्रता को कोत से पैदा होती है। यदि यह स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोकतांत्रिक सकारात्मक उज्ज्वल नहीं हो सकेगा, मत-प्रशंसन तथा सगठन का अधिकार ये दोनों स्वतंत्रता की इवासनतिका (लग्ज़ भ्रौंक फोड़म) है, यह महात्मा गांधी-कथन सत्य है।

स्वतन्त्रता तथा सामाजिक अंकुश

पहले प्रकरण में हम स्वतन्त्रता के अर्थ के सम्बन्ध में सामान्य रूप से निष्पत्ति कर आये हैं तथा यह भी विशद कर चुके हैं कि व्यक्ति की उन्नति तथा उसके मानसिक विकास के लिये स्वतन्त्रता की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही समाज की धारणा के लिये भी उसकी आवश्यकता है। दूसरे प्रकरण में हमने बताया कि स्वतन्त्रता की व्यापक कल्पना में विविध क्षेत्रों की स्वतन्त्रताओं का अन्तर्भुवं होता है। उनमें से विचार स्वतन्त्रता तथा उसका आविष्कार जिसके द्वारा है, उस व्यक्तिगत मत-स्वतन्त्रता एवं सङ्घठन स्वातन्त्र्य का विवेचन किया। अब हम पहले स्वतन्त्रता का विचार सामाजिक व्यवस्था की हृष्टि से करने जा रहे हैं। स्वतन्त्रता व्यक्ति को अपने सुख एवं जीवन की परिपूर्णता की अनुभूति के लिए अभीष्ट एवं आवश्यक है। अतः स्वतन्त्रता का अर्थ बतलाते हुए हमने यह बताया कि मनुष्य के सुख के मार्ग में जो प्रतिबन्ध या सीमाएँ रकावट बनकर आती हैं, उनके अभाव को स्वतन्त्रता बहा जाता है। व्यक्ति के सुख का अर्थ सोग करते हैं कि व्यक्ति को होने वाली इस बात की अनुभूति कि जो कुछ उसके पास है, वह उसी के लिए है। पर यह कसीटी ठीक नहीं। व्यक्ति के सुख के सम्बन्ध में विचार करते हुए समाज के सम्बद्ध को एवं परिस्थिति को आँखों के सामने अवश्य रखना चाहिए। यदि मनुष्य का प्रत्येक विचार कार्यान्वित हो जाए, या उसकी प्रत्येक इच्छा परिपूर्ण हो जाए, तो समाज में उपद्रव खड़ा हो जायेगा। वयोंकि अनेकों की इच्छाएँ अन्य अनेक व्यक्तियों की इच्छाओं के साथ टक्कर खाती हैं, अतः विविध जनों की इच्छाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है तथा उसके लिए किन्हीं मानकों एवं प्रेमानों की ज़रूरत होती है। भाषण स्वातन्त्र्य न हो तो स्वतन्त्रता नहीं रह सकती, यह सिद्धान्त आधुनिक विश्व में सर्वमान्य हो चुका है। इसी प्रकार समाज के किन्हीं इनें-गिने या खास-खास लोगों की ही खास-खास अधिकार देकर अन्यों को उनसे बचात रखना भी स्वतन्त्रता की कल्पना से मेल नहीं खाता। इसी प्रकार योई-से लोगों ने जिन बातों को मज़ूर किया हो, उन्हें सब पर लादना, या किसी विशिष्ट विचारधारा को सब पर लादना अथवा किसी परम्परागत विचारधारा को ही समाज की दैनंदिनिक सृष्टि में सर्वाधिक शक्ति-शाली बना दालना—आदि बातें भी स्वतन्त्रता के अस्तित्व के अभाव को ही सूचित करती हैं। तानाव में पानी ढेर-सारा हो, पर उसका अस्तित्व तभी सार्थक है, जब वह प्यासों की ग्रजनि में पहुँच जाये और उसमें प्यासा अपनी प्यास कुमा सके। यही बात सामाजिक जीवन के बारे में भी सही है। मनुष्य के अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव आयेंगे उन्हीं को वह अपनी आँखों के सामने रखेंगा तथा उन्हीं के आधार पर वह अपनी धारणाएँ बनायेगा। इस प्रकार के अनुभव प्राप्त करने तथा उनके अनुसार अपने मत या धारणाओं के बनाने की एवं उन्हें अभिव्यक्त करने की उमे

पुरो स्वतन्त्रता होनी चाहिये। यदि इस देश में किन्तु सास मतों एवं पारणाधों को ही सवित्रणाली बनाने दिया गया तो उनके विरुद्ध प्रावाज उठाने प्रयत्ने मत को प्रगट करने का अवसर बाहर से मिलने पर भी यदि समाज में प्रचलित प्रधाया परम्परा के सारण मुदिकल हो जाये तो इससा प्रयं पही होगा कि वही स्वतन्त्रता नहीं है। भले ही किसी ने नाक बन्द न की हो, मुँह बन्द न किया हो, तो भी किसी न-किसी ने दम छटर घोट रखा है, ऐसा कहना होगा। इनका प्रभिप्राय यह है कि राजसत्ता की भाँति समाज की सत्ता भी निहासन पर बैठकर लोगों पर दृश्यत चलने का मन को साहस नहीं होता, ऐसा कहना होगा। इनका विस्म की रकावट नहीं ढालती तो भी करती है। राजसत्ता कुछ नहीं करती, किसी विस्म की रकावट नहीं ढालती तो भी हो जाता है। लोगों को न सही मन की लाज तो भी हो, तो भी लोग उसमें डोजदार सोकमत का फौजदार लोगों को ढराना-प्रमकाता ही रहता है और लोग उसमें डरते रहते हैं। 'लोगों को न सही मन निर्देश न भी हो, तो भी लोग उसके सामने प्राकर लड़ा हो जाता है। समाज के वातावरण से चलने वाले व्युत्कार्म का सोकमत का फौजदार लोगों के गढ़बढ़ा जाने हैं। 'सामाजिक पूँ' लोग उसमें डरते रहते हैं। 'लोगों को न सही मन निर्देश न भी हो, तो भी लोग उसके सामने डर जाते हैं, गढ़बढ़ा जाने हैं। 'सामाजिक पूँ' लोग उसकी चाहिए। यह कहा जाता है: पर लोकमत का ही प्राकर उसके सामने डर जाते हैं, गढ़बढ़ा जाने हैं। यदि हम कहें कि उसका निरवयी बन जाता है; पर लोकमत का ही प्राकर उसके सामने डर जाते हैं, गढ़बढ़ा जाने हैं। यदि हम कहें कि उसका भव्यविधिक शवित्रणाली तिपाही की ओर से। यह पर उसके वक्त यातायात का होने के सारण मनुष्य का सब कुछ समाज से वेष्य जाता है। समाज के घनुमार खुलकर बोल नहीं सकता, व्यवहार नहीं कर सकता। इस यापत्ति में राज्य की ओर से उस पर भोई पावनी नहीं रहती, पर वह पावनी की ओर से। यह पर उसके वक्त यातायात का नियन्त्रण करने वाला पुनिष्वाना न भी हो तो भी जमा है। यदि हम कहें कि उसका जा-प्रा नहीं सकता। समा के लिए भोई प्रतिवन्ध नहीं, तो भी जमा है। यह कितना समाज के लिए वह भावनी इच्छा के घनुमार कुछ बोत नहीं होगी। इसका सारण यह है कि उसने घाने जीवन को दूसरों के जीवन के साथ एक कर दिया है तथा अन्यों के मन सामाजिक नियमों से दररा है, तो कोई प्रत्युत्तित नहीं होगी। जब वाप प्रादमी एक-दूसरे के जीवन उसके जीवन के साथ एक हो गए हैं। जब वाप प्रादमी एक-दूसरे के नजदीक थाने हो दोनों मन-ही-मन एक-दूसरे से डरते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति यही भी है। समाज में शान्ति बनी रहे, उसमें उत्पात न हो, तथा उस उत्पात से समाज वो बचाने के काम में हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। यह भावना ही है, जो भावना भनजाने हर व्यक्ति की स्वतन्त्रता मनुष्य की स्वतन्त्रता को प्रतिवन्धित करती है और इस कारण व्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिवन्धित करती है और इस कारण समाज को प्राप्त है। घनुमतों के निरपेक्ष नहीं हो पाती। यह भावना समाज में समाज को ही एक धंग है; भले उसके भाषार पर उत्पन्न होती है और जूँकि व्यक्ति समाज का ही एक धंग है; भले उसके भीतर भी इस भावना का धंग होता भनिवार्य हो जाता है। धंग से भरे कटोरे में चोनी मिला दी जाये तो धंग को हर कटोरे में चोनी की मिटास गा जायेगी। यदि पानी से भरे गिलास में नींद निचोड़ दिया जाये, तो पानी के हर कटरे में नींद की बुरा, लाभवायक हो या हानिकारक, उसका प्रभाव समाज के ग्रन्थालय हर व्यक्ति पर

पहेंगा तथा इस प्रकार समाज में जो परम्पराएँ बन्ने भी हैं, जो आशंका मामले आसे जाते हैं, ये सहज ही प्रत्येह ध्यान के लिए नहिं हृष्टि से बन्नवारक हीं जाते हैं। समाज द्वारा स्त्रीहृत ऐसे बहुत से बन्नन थाएं बन्नवार का चाला से सेतो हैं तथा उनका स्वस्त्र 'हृष्ट' गान्मा हो जाता है। इसका यह भलतब नहीं कि सरकार धर्मया राजसत्ता जिस परम्पराओं धर्मया धारणी पर मान से, गे पूरी तरह से उचित धर्मया थेण्ठ है। 'हृष्टम् हृष्टा है' यह उचित है। ऐसा धर्मदिवार चाल से मान तोना ठीक नहीं करा जा सकता। पर स्वतंत्रता वी स्परेता उम पर सगे प्रतिबन्धों की स्परेता के जानने से घट्ट होती है, यह मानना पड़ता। गूरु के धर्म को स्पष्ट रूप से ही जानने के लिए उनकी दीवा को देताना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला यहीं भी समझना चाहिए।

यो स्वतंत्रता तथा उम पर सगे प्रतिबन्ध परम्पर विशेषी दाव ग्राहोग होते हैं। तथापि, जैसा कि हम पहुँचे कह खावे हैं, हमें यह मानना ही होगा कि स्वतंत्रता उभी सही है, जब उस पर कुछ प्रतिबन्ध हो। पर्याप्त बन्नत भी में मुक्ति निहित है, ऐसा बहना होगा। भाषा की स्परेता तथा दावों के धर्मों को ठीक ठीक जानने के लिये जिस प्रकार व्याकरण की भाषायश्वरता होती है, उनी प्रकार स्वतंत्रता वी रूप-रेता को ठीक ठीक जानने के लिये बन्ननों की भी भाषायश्वरता है। जो बन्नन एव प्रतिबन्ध ममाज स्वयं निर्माण करता है, उनके पीछे अनुभव का एक बहुत बड़ा मन्त्र बाम करता है। समाज के दीर्घानीन अनुभवों के आधार पर जो बन्नन परम्परा प्रतिबन्ध जन्म लेते हैं, उन्हें स्वीकार करने में नैनिकता एव स्वाभिमान वी कोई हानि नहीं है। जिस प्रकार विज्ञान के द्वेष में परीक्षा करने के बाद जो सिद्धान्त स्थिर हो जाते हैं, उनके बारे में किर से सुदेह प्रकट करना उचित साधित नहीं होता। तथा उन मिदान्तों को स्वयंसिद्ध मान कर आगे विचार किया जाता है, अगले परीक्षणों की योजना बनाई जाती है। इसी प्रकार समाज के अनुभवों, किन्ही धारणों को स्वयंसिद्ध मान लिया जाता है, जोकि समाज के जीवन में वे पूरी तरह स्थापित हो जाने हैं। एक हृष्टि से उन्हें मानातन रूप प्राप्त हो जाता है, तथा उन्हें सर्वसम्मत तथा विरोधहीन मान कर नागरिक लोग अपने जीवन की मजिल की ओर बढ़ने हैं। रास्ते में, जहाँ रास्ते कई दिशाओं में जा रहे हों, वहाँ यदि कोन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, पह बहाने वाली पट्टियाँ लगी हों, तो यात्री को बहुत सुविधा हो जानी है। उसे यह जानने के लिये परेशान या शाक्तुल होने की जहरत नहीं रह जाती कि कौन-सा रास्ता वहीं जा रहा है। तथा उसके बाद उसका ध्यान रास्ते की मुसीबतों को दूर करने, अपनी चाल को तेज या धीमी करने के मामलों में कैफल करने ओर यह निश्चय करने में लग जाता है कि उसे उस रास्ते पर पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, रेल में जाना है या भोटर से जाना है। पर उसे इस बारे में शंका नहीं रह जाती कि रास्ता उसे कहाँ ले जायेगा। वह रास्ता कहाँ जायेगा, यह प्रत्येक अनुभव के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। इसी प्रकार समाज के धर्मया जीवन के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की अवस्था भी समझनी चाहिये। जीवन में प्राप्त अनुभव तथा उन पर आधारित धारणां तथा परम्पराएँ उसे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जीवन

का यह रास्ता बही जा रहा है। इतना ही वे आदर्श उसे पहुँच भी थताते हैं कि उसे किस मार्ग पर जाना चाहिए। यह व्यक्ति की अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह उन आदर्शों की बात को स्वीकार करे या नहीं। उसे यह भी प्रेरणा हो सकती है कि वह अपने लिए बोई नया ही रास्ता खोज निकाले। उसे इस बात का भी ज्ञान हो जाता है, वह जो कुछ करने जा रहा है, उसका घन्त यथा होगा तथा उसने अपने लिए जो रास्ता चुना है वह अन्त में उसे बही ले जायेगा। जो अनुभव औरों को आया है, सामाजिक यथा वह अनुभव उसे भी आयेगा। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसके अनुभव में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रहेगी। जिस रास्ते की कानून ने मनाही की है, उससे अनुमरण करने से समाज के लोगों द्वारा पुरस्कार मिलने के स्थान पर उसे कानून के पुलिम के ढडे मिलेंगे। लोगों के अनुभव की वह मानेगा नहीं तो उसे अपने द्वारा उभाजित अनुभव की कीमत चुकानी होगी। उसे समाज की उपेक्षा, विरोध तथा बदनामी का पात्र बनना होगा। कानून को न मानने के कारण जो प्रायश्चित उसे भीगना पड़ेगा, उत्ते में काम चल जाय, ऐसी बात नहीं है। अतः कानून का उल्लंघन न करके सीधे रास्ते पर चलने में ही उसका कायदा प्रविक है। यदि वह मन में यह पवका निश्चय कर ले कि मुझे समाज के विरोध की पर्वी नहीं करना है, समाज एवं लोकमत की सीमाओं को नहीं मानना है तथा अब भीलिक भविकारों की प्रेरणा से उसे स्वतंत्रता का उपभोग करना है, तो वह कुछ समय के लिए, बैठा कर सकता है। पर ज्यों ही उससे स्वतंत्रता एवं कानून में विरोध उत्पन्न हो जायेगा त्यों ही कानून के बन्धन उसे निप्पिक बना डालें, इसमें सदैह नहीं। तब स्वतंत्रता का धर्य एक दृष्टि से यह हो जायेगा कि कानून के अनुमार चलते हुए तथा कानून का विरोध न करते हुए, जो उपलब्ध हो, तिर्क वही स्वतंत्रता है।

मच्ची स्वतंत्रता वही है, जो भीजूदा कानून के खिलाफ न जाय। इता ही नहीं, कानून तथा स्वतंत्रता में जितनी अधिक मुमंगति रहे, स्वतंत्रता के उपभोग में उत्ता ही अधिक स्वारस्य रहेगा। पर यही कानून का धर्य, उसे किसी अधिकृत संस्था ग्राहक व्यक्ति ने बनाया है, ऐसा समूचित नहीं है। यही कानून का धर्य—कानून का महाविद्वत् व्यक्ति एवं समाज के अनुभव ही ताने-बाने से बुना है, ऐसा—व्यापक है। कानून का धर्य, उसकी धोपणा कीन करता है, इस पर आधारित नहीं है, वरन् बया धोपित किया जाता है, इस पर आंधारित है। जनता की सहमति उसे प्राप्त होनी चाहिए यह मुश्य मूल है। यदि उस कानून के दीदे जनता की सहमति की मंगल-मायना नहीं रहेगी तो उसमें लोगों की स्वतंत्रता की मुमंगति नहीं रहेगी, यह स्पष्ट है। समाज के नाना-विष पूर्वदृह, विविध अनुभव, एवं अभिप्राय तथा एक-दूसरे से मिल न साने बाले हित सम्बन्ध आदि बातों की प्रतिक्रिया में से उस धस्तु का निर्माण होता है, जिसे लोकमत की मजा दी जाती है। और ऐसे सावंतविक लोकमत का स्वतंत्रता से सम्बन्ध आता है। ऐसे लोकमत में तथा स्वतंत्रता की मोलिक बल्यना में जितने मुमंगत एवं मेल खाने बाले सम्बन्ध रहें, उतना ही उसम होगा। नागरिक—विदेशी करके प्रजातंत्र का नागरिक—का इथान राज्यव्यवस्था में स्थान समाजवश्वस्या में यहस्वपुणे होता है। उसका इता ही कर्तव्य कमें नहीं कि वह राज्य की आका-

एवं समाज की परम्परा को चुपचाप मान ले। उसे समाज में निर्माण होने वाले नाना प्रकार के सावंतविक महत्व के प्रतीतों वी और भी ध्यान देना होता है, उनके बारे में विचार करना होता है तथा अपने विचारपूर्ण अभिप्राय से समाज के कल्पणा की हृषि से मार्गदर्शन करना चाहिए। और यदि वह यह यह नहीं करेगा तो अपने नागरिक होने का कर्तव्य पूरी तरह से पातन नहीं कर पायेगा; और तब अपनी हृषि में उसे जो योग्य प्रतीत होता है, वह करना उम्मीदप्राप्त वस्तु वस्तु हो जाता है। अतः उसे ऐसी परिस्थिति अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें विचार करना तथा योग्य अभिप्राय व्यक्त करना उसके लिए सम्भव हो सके। वह विचारपूर्वक जो अभिशय व्यक्त करता है, उसना यह तात्पर्य नहीं कि वह केवल तत्कालीन परिस्थिति के आधार पर हो, अपवा किन्हीं भावनाओं के अधीन होकर ही अपना अभिप्राय व्यक्त करता है वरन् उसका तात्पर्य है दीर्घ हृषि से विचार करके व्यक्त किया गया अभिप्राय। इस अभिप्राय व्यक्त करने की किया में वह बहुत गहराई के साथ विचार करता है। उसकी विचारधारा उल्ली नहीं होती। वास्तविक सत्य एवं महत्वपूर्ण वस्तु का वह विचार करता है। किसी की वही अपवा लिखी दात के आधार पर दिया गया अभिप्राय विचारयुक्त अभिप्राय नहीं कहा जा सकता। मनन किये बगैर दिया गया मत सच्चा मत नहीं है। सत्य का पता लेने के लिए सूक्ष्म हृषि से जीव करनी होती है। उसकी माँलों के सामने अपवा मन में मौजूद धारणाओं की ठीक से छानबीन करना होती है। जो विहृत एवं आपही वृत्ति से प्रकट किया गया हो, उसमें से उसे सत्य एवं प्रमाण युक्त वस्तु को ढूँढ़ना होता है और तब किसी न्यायाधीश की भाँति सत्य का पता लेना कर अपना मत निर्धारित करना होता है। सब यह है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार विचार करके व्यवहार करने लगे तो समाज में दुःख के लिए कोई स्थान नहीं रह जायगा। तथा नागरिकों को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह आदर्श बार-बार लोगों के सामने उपस्थित किया जाय यह भी उतने ही महत्व की वस्तु है। केवल बाह्य शान्ति एवं मुक्तवस्था को देखकर ही समाज में शान्ति एवं मुक्तवस्था की कल्पना कर सेना ठीक नहीं होगा। वास्तविक शान्ति वह है, जो समाज के मानसिक दोष में हो। इसी प्रकार समाज का अपना एक बौद्धिक जीवन होता है। उसमें यदि सत्यलन एवं सामंजस्य हो, तो समझना चाहिए कि समाज में सुधारवस्था है। सर्वत्र परस्पर विचार प्रकट किये जाते हैं, वैचारिक उपदेश मचा हो, वया सम्भव है तदा वया असम्भव है इसका विचार न करके जो मन में आया सो कह दिया ऐसी स्थिति ही अर्थात् 'बचने का दरिद्रता' यह न्याय प्रवल हो तो पहले समाज में वैचारिक धराज-कता मच जाती है और उसके बाद 'माज करे सो काल कर' की-सी स्थिति उदयन हो जाती है। इस हृषि से विचार करते हुए कहना होगा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामने आने वाली पठनाधी तथा वस्तुस्थिति का सूक्ष्म दृष्टि से निरोक्त बनाना चाहिए।

सत्य तथा प्रचार (ग्रोपेन्डा) एक-दूसरे से बिले रहते हैं; अतः उन्हें ठीक से परस्पर कर प्रचार के भूमि को दूर कर सत्य के अनाज के कणों को इकट्ठा करना

चाहिए। किसी बड़ी जिम्मेदारी एक नागरिक पर आती है? स्वतंत्रता का दावा करना बहुत मासान है; पर उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना चाहिए।

ज्ञान की जिम्मेदारी को निभाना मुहिकल काम है। समाज में सत्य तथा अमर्य, प्रस्तुत तथा मप्रस्तुत, शाणिक तथा विरस्थायो—इनके स्वरूप वो ठोक से सुपर्ख कर इनमें से जो सत्य हो, प्रस्तुत हो, जो दोष-हृषि से वपयुक्त हो, उसे एक और निकाल कर उस पर अपनी बुद्धि को स्थिर करना तथा उसके आवार पर अपने धारणों को निश्चित करना तथा उनको मुरकित रखनेर उन्हें बड़ाना—ग्रामीण समाजों में नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्य को बनाने का प्रबलर मिलता है। बहुत सी बातों की—जैसा हम फौदें कह आये हैं—स्वर्यसिद्ध सिद्धान्त मानकर काम करना होता है। कभी-कभी पुराने गहरों को नया मुकुमा देना पड़ता है। इसी प्रकार पहने से मान लिए जाने वाले सिद्धान्तों तथा स्वयमिद्ध मिद्धान्तों को भी धार्षुनिकता को कमोटी पर परसना पड़ जाता है। पूर्वप्रह (पारणाएँ) के में बनते हैं, बताना मुहिकल है। तथापि कभी जाने तथा कभी अनजाने हर अधिक को इनका अनुभव प्राप्त होता है। और यदि कोई अधिक के इन पूर्वप्रहों के विरुद्ध कुछ कह दें तो उसे स्वभावतः बुरा लगता है। जितनी-जितनी हवा ज्यादा तेज बहने लगती है, उतना-उतना ही मनुष्य अपने भीड़ हुए दुगले को अविकाशिक अपने साथ विपद्धने लगता है, वैसे ही उसके मन को भी स्थिति होने नग जाती है। और यदि कोई उसके पूर्वप्रह के विरुद्ध सामान्य प्रमाण पेश करने लगे तो उसका उपहास करने की प्रवृत्ति होती है। जहाँ वस्तुस्थिति को 'करतलामनकर्तव्' सिद्ध नहीं किया जा सकता, वहाँ पूर्वप्रह विनीन नहीं हो पाते, बदलते नहीं। पूर्वप्रहों का सम्बन्ध उनके मतों एवं हृषिकेणों के साथ जितना अधिक हो उतना ही उन्हें दूर करना कठिन हो जाता है। यदि जिन्हीं पूर्वप्रहों में सत्य का अद्य कम तथा प्रचार का अद्य अधिक रहे तो उनके विरुद्ध निरन्तर एवं अधिक भाषा में प्रचार करने से वे नुस्खे हो जाते हैं। और तब वे सत्य एवं वस्तुस्थिति को भाषा में सीमित हो जाते हैं। परन्तु जहाँ पूर्वप्रहों वा निराण होता ही प्रचार से है, वहाँ सिफ़ विरोधी प्रचार से वे दूर नहीं होते। और तब मनुष्य, ये उस प्रचार का गिराव बन गया है, ऐसा कहने को तत्पर नहीं होता। सत्यनिष्ठा की अदेशा अभिमान अधिक शक्तिशाली सावित होता है। न्यायानुसार बाम करने की अपेक्षा अपने अज्ञान पर पद्धि डालने की और अधिक प्रवृत्ति होती है। योहा सा भी सत्य ऐसे अस्तम प्रचार के रहस्य पर से पद्धि उठा देता है। इन बातों का अनुभव तब होता है, जब समाज में किसी घटना के साथस्थ में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो जाता है या किसी बड़े राजनीतिक अद्यवा सामाजिक प्रश्न के सम्बन्ध में गहरा मत्तोंप उत्पन्न हो जाता है। संयुक्त महाराष्ट्र के भाग्दोलन के समय सीधी-सादी बातों को किस तरह तीङ-मरोड़ कर पेश किया गया तथा सरत मार्ग से बनने वालों को किस प्रकार विकृत बुद्धि का बनाया गया, यह अनुभव तो हास ही का है। आधुनिक जगत् में प्रकट हुए में भी प्रचार किया जाता है। समाचारपत्रों एवं समाजों के द्वारा तो प्रचार होना ही है, पर वह द्वाम में, लोकस द्वेष में, होटलों में, पान तथा चौड़ी को दुकानों में, कैशकर्तनालयों में,

वाचनातर्थों में भी दिया जाता है। तथा वह अधिक जहरीला होता है। यदि कही भूड़े प्रचार को कोई भूग्र बताने का प्रयत्न करे तो वह युद्ध ही भूग्र साधित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से रचाई का तथा वस्तुस्थिति का विचार नहीं करता। सर्वसामान्य जनता तो यही समझती है कि सामाचारपत्रों में जो कुछ दृष्टवा है, वह सच ही होता है। भूड़ी चोर छप ही नहीं सतती। यह ठीक है कि अधिकारित जनता को सचाई को टोड-परोड कर पेश करना या उसे दवा देना या भूड़ को बढ़ा-चढ़ाकर कहना अनुचित तथा अनेतिक प्रतीत होता है। परन्तु उस पर आय मूँदकार विचार करने वालों की सहया माज भी कम नहीं है। यद्यपि हर व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु की ध्यानबीत करके अपनी सम्मति बनाना उचित है तथापि हम देखते हैं, ऐसा होता नहीं है। कर्नाटकमाचार कर्नाटकमाचार में ध्या है, कर्नाटकम्मति कर्नाटक ने प्रस्तु दी है इत्यादि वासी को ठोस सत्य मानकर ही लाखों लोग समाज में व्यवहार करते हैं। तथा स्वर्ण विचार करने वा कष्ट करने को तीव्रात नहीं होते। साथ ही यह भी सच है कि, यदि उनके सामने कोई वास्तविकता को बार-बार पेश करता रहे, तो उनकी सम्मति तददील हो जाती है। इसी कारण समाज में अधिक भाषण एवं गेलन की स्वतंत्रता वा होना जरूरी है। और जब विरोधी सम्मतियों के पीछे दी सचाई जाहिर हो जाती है, तब अत्यधिक हुठी एवं दुराप्रही व्यक्ति भी अपनी सम्मति को दाने-दाने बदलने की ओर प्रवृत्त होने लगता है। जब विसी बही घटनी की दीमह संग जाती है, तो वह भीतर ही भीतर खोयनो हो जाती है, और अत में बोई जोर वा धक्का लगता है, तब वह दूटरर लिर पड़ती है। यही अनुभव विचार गुट्टि में भी थाहा है। इस जिम बात को पूर्णतया सच मानकर उसके साथ चिपके रहने हैं, उसके बारे में यदि घोड़ा-सा भी सोह उत्तम हो जाय, तो मन उम संदेह वा विश्वास बन जाता है। मन की हड्डा धीरे-धीरे बम हाती जाती है, तथा जैसे जैसे विचारों की ताहरी उसके मन में उत्तम होती है, वैसे वैसे उग्रा हड्डि विश्वास बम होता चला जाता है तथा जब अंत में गमाज में विडोम उत्तम होता है, तीव्र बाद-विवाद धुम हो जाता है। तब दाक्ति की प्रवस्था प्रवस्था की प्रस्था के उम द्वायल दो-सो हो जाती है, जिसे इस बात का विद्वान्

स्वरूपता तथा समाजिक मंडुरा

तथा विस्तोटकता यलानातीव होती है, यह उनाया नहीं गा गच्छ। शीघ्रों को उचित संयोग में रखते हुए, उनके सदर्भ को ध्यान् में रखते हुए समाज में सत्य का प्रवेश करना होता है और यदि उन काम के लिए समाज वैतावरण द्वेष के कारण विपक्ष हो गया हो, तूष्णीप्रहो द्वारा प्रस्त हो, तो सत्य का पता चलाना एक मुश्टित काम हो जाता है। तथापि समाज को भलाई के लिए सत्य का पता चलाना ही पड़ता है। समाज को शक्ति इस कोविता में रखती है, जो जो तंयार है, या जिसे जान-खुक्खार तंयार किया गया है, उसे सब के गले के नीमे उत्तरवा दिया जाय। गुणराती खोग पदके व्यापारी होते हैं, पर तथा जाता है। महाराष्ट्रीयों को झाड़ातू, कर उनके प्रस्तेह इत्य एवं विचारों को परव्या जाता है। महाराष्ट्रीयों को न उपभक्ति से नाया जाता है। पर उनकी प्रस्तेक किया को इयो तूष्णीप्रह के मारदण्ड से नाया जाता है। तथा ऐसा करने से समाज की घारणा के लिए मायदक समुलन बिगड़ जाता है। पर विचारभीत एवं अनुनन्दीत नागरिक जो हर तिकड़े को ठोक बना कर ही बदूस करने वाले होते हैं, जिस समाज में जितने अधिक होंगे, वह समाज उठना हो अधिक सुस्थिर, समुलनयुक्त एवं प्रगतिसील होगा।

समाज में हम देखते हैं कि दोनों प्रारंभ के लोग होते हैं, जो समाचारपत्रों में सबरों तथा बत्तियों को गही मानते हैं तथा जो गही नहीं मानते। भीर ऐसा होना समाज में समुलन कायम रखने के लिए आवश्यक भी है। सामाजिक सत्य से वस्तु-स्थिति समाज के सामने उपस्थित होती है भीर उसके सम्बन्ध में मानों के सामने रहता है; पर उसकी व्याख्या में मतभेद होता है। इसमें सत्य तो समाज की मानों के सामने रहता है; पर उसकी व्याख्या में ही निश्चय नहीं होता तथा सब मामला गड़वड़ में पट जाता है, वही मतस्वरं वता है, यह फहना बठिन हो जाता है। जहाँ गमाचारपत्र शोधी-दादी बातों को भी तोड़ मरोड़ कर पेंग बरते हो, तथा वभी अतिशयोक्ति से वाम लिया जाता तथा कभी उसे घटा कर पेंग दिया जाता है, वही सत्य का मान्दल ठीक में नहीं हो सकता। जानवृक्ष कर ही नहीं दिया जाता। तब ऐसी परिस्थिति में मतदान की स्वतंत्रता एवं धोयी बात हो जाती है। पर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे मतस्वरं वता है, यह फहना बठिन हो जाता है। दलगत राजनीति में यह होता है कि, 'इस समय जो कुछ हो रहा है, वही सत्य है'; ऐसा लोगों के सामने पेंग देता है, उसी प्रकार के कुलाल भरे पड़े हैं तथा समाज उनको धार प्रदान करता है। सत्य इस प्रकार के कुलाल भरे पड़े हैं तथा समाज उनको जो हुमा ही नहीं, शब्द देता है, उसी प्रकार के कुलाल भरे पड़े हैं तथा समाज उनको जो हुमा ही नहीं, उसके कल्पित समाचार धार दिये जायेंगे। महाराष्ट्रीय जनता का तो भी हाल का अनुभव बताता है कि जिस प्रकार के कल्पित समाचार उन्हें पढ़ने को मिलते थे। यमा हुई भी नहीं, पर धूर गया निसभा हुई, पर समिति वालों के टर से वह उत्काल विसर्जित हो गई। जिस शहर की जनसंख्या एक लाख के भीतर-भीतर है,

और जिस सभास्थान में १० हजार से अधिक लोग समा नहीं सकते वहाँ एक साथ से अधिक थोताओं की उपस्थिति बता कर कलकत्ता की अधेंरी बोठरी का प्रयोग करने का जादू मराठी समाचार पत्रों ने करके दिखलाया है। भूठी एवं दाप कर लोगों के मन पर भावुकता जन्य प्रक्षोभ का इतना प्रभाव ढाला जाय कि जनसामान्य को सोचने तक की फुर्त न मिल सके, यह भी अनुमत जनता को आ चुका है। १६२४ में इंगलैंड में जो निर्वाचन हुए उनमें होनोवाव के पश्च ने सारे निर्वाचिन पर इसी प्रकार का प्रभाव ढाला था। वास्तव में, वह एक जाली कागज था। तथापि उसका किसना प्रभाव पड़ा यह प्रसिद्ध है। अतः समाज में समाचार नाम की जो वस्तु प्रसारित होती है या की जाती है, उसका तथा विचारस्वतंत्रता एवं मत-स्वतंत्रता का घनिष्ठ सबध है। जब लोगों के सामने इस प्रकार के वल-निर्मित सत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर कहे जाने वाले सत्य पेश होते हैं, तब सामान्य जनता हतदुष्टि हो जाती है। महाभारत में कहा है—‘सत्य न तद् यच्छतमभ्युपैति’ प्रथात् सत्य वह नहीं है, जिसमें कपट का अद्य रहता है। सो जो सत्य कपट से युक्त है, उसे समाज में प्रसृत नहीं होने दिया जाना चाहिए। ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे सत्यों के फैलने पर रोक लगाई जा सके। इसी प्रकार समाचारपत्रों में विशेष ‘प्रमाण’ नाम से जो बात कही जाती है, वह वास्तव ‘प्रमाण’ न होकर किसी के मस्तिष्क की मौलिक उपज होती है, जिसे मिर्च-मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। मनुष्य किसने विकृत रूप में लिख सकता है, इसका उदाहरण मेयो की किताब है। तथा इस प्रकार का साहित्य मणित हित संबन्धों वाले लोग प्रसारित किया करते हैं। उसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। छोटे-मोटे कारखाने के मालिकों को पूँजीपति बहकर उनके विशद्व वातावरण निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार सीधी सादी वेतन की माँग को क्रांति की धोपणा वा रंग दिया जाता है। ऐसी अवस्था मनुष्य को जिन सत्यों के आधार पर अपनी सम्मति बनानी होती है, उन्हीं के सत्य से दूर चले जाने पर उनकी सम्मति विचार स्वतंत्रता से प्रेरित सम्मति नहीं कही जा सकती। आजकल की दुनिया में पत्रकारिता एक व्रत न होकर एक व्यापार हो गया है। जिस प्रकार लोग पदार्थों में मिलावट (एड्लटरेशन) करते हैं, उसी प्रकार पत्रकार भी वैचारिक सूचित में मिलावट करने वाले व्यापारी बन गये हैं। जो सत्य है, वही कहूँगा, जो न्याय है, उसी का समर्थन कहूँगा, सत्य ही को प्रतिष्ठा को स्त्रीकार कहूँगा, लोगों के प्रोपेगण्डा का दास नहीं बनूँगा—इस श्रेष्ठ भूमिका को लेकर काम करने वाले पत्रकार आज की दुनिया में ‘मनुष्याणा महत्वे पु’ कोई एक दो ही हृषिकेचर होते हैं। ‘वस्तुस्थिति पवित्र है तथा दीक्षा उन्मुक्त है’ (फैन्ड्रम प्रार सेक्रेट कामेण्ट्स आर की) ये जो बर्तमान सूचित के उत्तरियों के महावाक्य हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। समाचारपत्रों के एक व्यापार बन जाने के कारण अनेक पूँजीपति लोग इस उद्योग में अपना पैसा लगाते हैं तथा उस पर नके की उम्मीद बरतते हैं। और तब जिसकी माँग अधिक हो, उसी को लिखने की ओर पत्रकारों की वृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार जो मालिक कहे, वह तिक्षा जाय, ऐसा उन पर दबाव भी रहता है। जिस प्रकार आजकल सिने सिलाये

स्वतंत्रता तथा सामाजिक अनुष्ठान

कपड़े सरीदाने की लोगों की रीति ही गई है, वैसा ही कुछ मत के सम्बन्ध में हो गया है। बने-बनाये मर पाठ्यों को समाचारपत्रों के द्वारा दिये जाते हैं। और प्रचार द्वारा जनता के ऊपर इन पूँजीपतियों के समाचारपत्रों का बढ़ता पुलिसवालों से भी ज्यादा हो जाता है। जो कुछ लोगों के सामने आता या पेश किया जाता है वह इत्था आवधंक या इत्था भयानक दिखाया जाता है कि सामान्य मनुष्य सम्प्रभित हो जाता है तथा अधिक विचार न करके जो कुछ समाचार पत्र में लिखा है, उसे सही मान लेता है। जादू टोना करके लोगों के मन को बहा में करने की जो विद्या है। यही उसी का आधुनिक रूप सगाठित एवं पद्धतियुक्त प्रोग्राम है, ऐसा कहा जा सकता है। यही प्रत्यनी घोर से मनुष्य कुछ भी नहीं कह सकता। जिस प्रकार गोल गुम्बद में एक जगह कोई सावाज़ की जाय तो वह सब कहीं फैन जाती है तथा सबके कानों में वही आवाज़ पहुँचती है, उसी प्रकार एक ही मालिक के अधिकार में यदि बहुत से समाचारपत्र हों तो उन सब में एक ही प्रकार की विचारधारा आपको पढ़ने घोर मुनने को मिले ही न। अनेक विकल्प लोगों के सामने नहीं आते। तुनाव करने के क्षेत्र सीमित होते जाते हैं। इच्छुना, तुनाव के बास्ते कुछ रह ही नहीं जाता। जो कुछ सामने आता है, उसे लोग धनपे आप स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि नागरिकों को विचारों तथा मत की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक नहीं। उनके मन विचार विमुख हो जाते हैं। केंद्रियों की यह अवस्था होती है कि जो कुछ उनकी याती में परोसा जाता है, वही उनको याना पड़ता है, अन्यथा भूखे ही रहना पड़ता है। सो समाज की भी यही अवस्था होती है। जान के साधन में धनबाने टेकेदारी गुरु होने लगती है। अतः लोगों के सामने वस्तुस्थिति को प्रस्तुत करने की अवस्था चले जायें या उनके नियंत्रण में चले जायें, तो यही कुछ होता है। अतः समाचार-एञ्चन न तो पूँजीपतियों के हाथ में होने चाहिए, न सरकार के। जो कुछ कोई कहना चाहता है, उसके कहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। अतः समाचारपत्रों को न तो व्यापार का रूप धारण करना चाहिये न सरकारी विभाग का। इन दोनों में से कोई भी हालत हो जाय, तो समाज में घटित होने वाली घटनाओं तथा उनके मानते हों, पर उनकी वह स्वतंत्रता अर्थमें हो जाती है।

समाज में जान प्रचार के साधन व्यवितरण होते हुए भी यदि पूँजीपतियों द्वारा नियंत्रित हों, तो लोकमत एक ही सचिवे में ढल जाता है तथा सारे समाचार-पत्रों में उसी रूप में थर जाता है। फलतः सत्य का स्वरूप एक ही नम्बर के माल की तरह हो जाता है। उसके जीवन की मौलिक अठायों में सिक्कोड़ धाने लगता है। स्वतंत्रतापूर्वक विचार करते समय मनुष्य का मन विकसित होता है, उसकी अदाएँ अधिक गहरी होने लगती हैं तथा समूचे व्यक्ति-विवास को चालना मिलती है। पर जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से व्यक्ति के सामने ऐसी चीज़ आती हो, जो सब न होते हुए बहुत सजाकर पेश की जा रही हो, वहाँ सामान्य रूप से व्यक्ति उसे स्वी-

और जिस समाज्यान मे १० हजार से अधिक सोग ममा नहीं माने यही एक साम से अधिक थोड़ाप्रो की उपस्थिति यता कर सलाता की थेपेरी थोठरी का प्रयोग करने वा जादू मराठी गमाचार पत्रोंने परके दिगलाया है। भूटी गधरे दाम वर सोगो के मन पर भावुकता जन्य प्रशोभ का इतना प्रभाव दाता जाय कि जनमामान्य को सोचने तक वी पुर्यंत न मिल सके, यह भी मनुष्य जनाना थो पा चुका है। १६२४ में इंगलैंड में जो निर्वाचन हुए उनमें होनोवाय के पा ने सारे निर्वाचन पर इसी प्रबार वा प्रभाव दाता था। वास्तव में, यह एक शाली कागज था। तथापि उसना नितना प्रभाव पड़ा यह प्रगिढ़ है। अत. समाज मे गमाचार नाम की जो वस्तु प्रसारित होती है या की जाती है, उसना तथा दिवारम्बनप्रता एवं मठ-स्वतंत्रता वा घनिष्ठ नवयन है। जब सोगों के सामने इस प्रारंभ के दून-निमित्त सत्य अथवा बढ़ा-बढ़ा कर कहे जाने वाने सत्य पेश होते हैं, तब गमान्य जनता हतुरुद्धि हो जाती है। महाभारत मे पटा है—‘सत्य न तद् यच्छ्रामम्युर्वति’ पर्यान् सत्य वह नहीं है, जिसमें पषट का प्रश्न रहता है। सो जो सत्य पषट से युक्त है, उसे समाज मे प्रसृत नहीं होने दिया जाना चाहिए। ऐसा इन्तजाम दिया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे सत्यों के फैलने पर रोक लगाई जा सके। इसी प्रवार समाचारपत्रों मे विदेष ‘प्रमाण’ नाम से जो बात वही जाती है, यह वास्तव ‘प्रमाण’ न होनर निसी के मस्तिष्क की मालिक उपज होती है, जिसे मिचं-मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। मनुष्य कितने विकृत स्पष्ट मे लिख सकता है, इसका उदाहरण मेयो की किताब है। तथा इस प्रकार का साहित्य मनुष्यित्वा हिन सबन्धों वाले सोग प्रसारित विद्या वरते हैं। उसका बहुत बड़े पेमाने पर प्रचार विद्या जाता है। छोटे-मोटे बारखाने के मालिकों वो पूँजीपति कहकर उनके विद्व यातावरण निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार सीधी सादी वेतन की मांग को क्राति थी घोपणा का रग दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था मनुष्य को जिन संघों के आधार पर अपनी सम्मति बनानी होती है, उन्हीं के सत्य से दूर चले जाने पर उनकी सम्मति विचार स्वतंत्रता से प्रेरित सम्मति नहीं कही जा सकती। आजकल की दुनिया मे पत्रकारिता एक व्रत न होकर एक व्यापार हो गया है। जिस प्रकार सोग पदार्थों मे मिलावट (एड्टरेशन) करते हैं, उसी प्रकार पत्रकार भी वैचारिक सूचित मे मिलावट करने वाले व्यापारी बन गये हैं। जो सत्य है, वही बहु-गा, जो न्याय है, उसी का समर्थन करूँगा, सत्य ही की प्रतिष्ठा को स्वीकार करूँगा, लोगों के प्रोपेगण्डा का दास नहीं बनूँगा—इस थ्रेष्ठ भूमिका को लेकर काम करने वाले पत्रकार आज की दुनिया मे ‘मनुष्योणा सहस्रे पु’ कोई एक दो ही हप्टिगोचर होते हैं। ‘वस्तुस्थिति पवित्र है तथा टीका उन्मुक्त है’ (फैन्ट्स आर सेक्रेट कामेण्ट्स आर फो) ये जो वर्तमान सूचित के उननिषदों के महावाय हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। रामाचारपत्रों के एक व्यापार बन जाने के कारण अनेक पूँजीपति लोग इस उद्योग मे अपना पैसा लगाते हैं तथा उस पर नके की उम्मीद करते हैं। और तब जिसकी मांग अधिक हो, उसी की निखने की ओर पत्रकारों की वृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार जो मालिक कहे, वह लिखा जाय, ऐसा उन पर दबाव भी रहता है। जिस प्रकार आजकल सिले सिलाये

कपड़े सरोदने की लोगों की रीति ही गई है, वैता ही कुछ मत के सम्बन्ध में हो गया है। बने-बनाये मर पाठकों को समाचारपत्रों के द्वारा दिये जाते हैं। और प्रचार द्वारा जनता के कार इन पूँजीपत्रियों के समाचारपत्रों का कव्वा पुलिसकालों से भी ज्यादा हो जाता है। जो कुछ लोगों के सामने आता या पेश किया जाता है वह इत्था प्राक्षर्पक या इत्था भयानक दिखाया जाता है कि सामान्य मनुष्य सम्भ्रमित हो जाता है तथा अधिक विचार न करके जो कुछ समाचार पत्र में लिखा है, उसे इत्था मानक विचार करके लोगों के मन को बस में करने की जो किया सही मान लेता है। जादू टोना करके लोगों के मन को बस में करने की जो किया है। अपनी भौत से मनुष्य कुछ भी नहीं कह सकता। जिस प्रकार गोल गुम्बद में एक जगह कोई भावाज की जाय तो वह सब कहीं फैन जाती है तथा सबके कानों में वही भावाज पहुँचती है, उसी प्रकार एक ही मालिक के मधिकार में यदि बहुत से समाचारपत्र हों तो उन सब में एक ही प्रकार की विचारधारा भाष्पको पढ़ने भौत मनुष्ये को मिले ही न। उनके मन विचार एसो कोशिश की जाती है कि लोगों को उससे भिन्न कुछ मनुष्ये को मिले ही न। अनेक विकल्प लोगों के सामने नहीं आते। उनाव करने के क्षेत्र में कीमित होते जाते हैं। जिबहुना, उनाव के बास्ते कुछ रह ही नहीं जाता। जो कुछ जगह नागरिकों को विचारों तथा मत की स्वतंत्रता प्राप्त है, योक नहीं। उनके मन विचार विमुच हो जाते हैं। केंद्रियों की यह अवस्था होती है कि जो कुछ उनकी याती में परोसा जाता है, वही उनको याना पड़ता है, अन्यथा भूखे ही रहना पड़ता है। सो समाज की भी यही अवस्था होती है। जान के साधन में अनगमन टेकेशारों किसी एक के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। समाचारपत्र यदि सरकार के हाथ में चले जायें या उनके नियंत्रण में चले जायें, तो यही कुछ होता है। अतः समाचार-चाहत है, उसके कहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। अतः समाचारपत्रों को न हो ब्यापार का हृष्ण धारण करना चाहिये न सरकारी विभाग का। इन दोनों में से कोई भी हालत हो जाय, तो समाज में घटित होने वाली घटनाओं कथा उनके समाचारों पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है तथा लोग अपने को मले ही स्वतंत्र मानते हैं, पर उनकी वह स्वतंत्रता अर्थशून्य हो जाती है।

समाज में जान प्रचार के साधन व्यक्तिगत होते हुए भी यदि पूँजीपत्रियों द्वारा नियंत्रित हों, तो लोकमत एक ही मानवे में ढल जाता है तथा सारे समाचार-पत्रों में उगी हृष्ण में धर जाता है। अनन्य: सत्य का स्वरूप एक ही नम्बर के माल की ओर हो जाता है। उनमें जो वन की मौतिक अदायां में मिलोड़ धाने लगता है, उसकी स्वतंत्रतापूर्वक विचार करते समय मनुष्य का मन विक्षित होता है, उसकी अदाएँ प्रविष्ट गहरी होने लगती हैं तथा मनुष्ये व्यक्ति-विकास को चालना मिलती है। पर जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से व्यक्ति के सामने ऐसी जोड़ आती हो, जो सच न होते हुए बहुत सजाकर पेश की जा रही हो, वहाँ सामान्य हर से व्यक्ति उसे स्वो-

और जिस नभास्यान में १० हजार से अधिक लोग मरा नहीं गया वहाँ एक साम से अधिक श्रोताओं की उपस्थिति बता कर बलाचा वो घोषणी बोटरी का प्रयोग करने का जादू मराठी समाचार पत्रों ने करके दिग्गजाया है। भूटी गवर्नर द्वारा वर नोगों के मन पर भावुकता जन्य प्रश्नोंमध्ये इतना प्रभाव दाना जाय कि जनसामान्य को सोचने तक वो पुर्णत न मिल सके, यह भी भनुमत जनना वो आँख चुड़ा है। १८२४ में दंगलेंद में जो निर्वाचन हुए उनमें होनीवाले के पांच ने सारे निर्वाचित पर इसी प्रकार वा प्रभाव दाला था। बास्तव में, यह एक जाती वाग़न था। तपारि उमका किंतना प्रभाव पड़ा यह प्रसिद्ध है। अत नमाज में समाचार नाम की जो वस्तु प्रसारित होती है या की जाती है, उससा तथा विचारस्थनशब्दों एवं मत-स्थितयों का घनिष्ठ सवाय है। यद्य लोगों के सामने इग प्रसार के दून-निर्मित मात्र अथवा बढ़ा-चढ़ा कर कहं जाने वाले सत्य ऐसा होते हैं, तब सामान्य जनना हृत्कुदि हो जाती है। महाभारत में कहा है—‘सत्य न तद् पन्द्रष्टामम्भूतैति’ यथांत् सत्य वह नहीं है, जिसमें वपट का अदा रहता है। सो जो सत्य वपट से युक्त है, उसे समाज में प्रसूत नहीं होने दिया जाना चाहिए। ऐसा इन्तजाम दिया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे सत्यों के फैलने पर रोक लगाई जा सके। इसी प्रवार समाचारपत्रों में विदेष ‘प्रसारण’ नाम से जो बात कही जाती है, वह बास्तव ‘प्रसारण’ न होनेर इसी के महिताएँ की मालिक उपज होती है, जिसे मिर्च-मगाला लगाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। मनुष्य किंतने विकृत स्प में लिस सकता है, इसका उदाहरण मेंयो की किंतवाद है। तथा इस प्रवार का साहित्य मनुष्य को जिन सम्बन्धों वाले सांग प्रसारित किया वरते हैं। उसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रवार दिया जाता है। छोटे-मोटे बारवाने के मालिकों द्वारा पूँजीपति बहकर उनके विद्वद बातावरण निर्माण किया जाता है। इसी प्रवार सीधी सादी देतन की माँग को क्रानि की घोपणा का रग दिया जाता है। ऐसी सवस्या मनुष्य को जिन सम्बन्धों के आधार पर अपनी सम्मति बनानी होती है, उन्हीं के सत्य से दूर चले जाने पर उनकी सम्मति विचार स्थितयों से प्रेरित सम्मति नहीं कही जा सकती। भाजकल की दुनिया में पवकारिता एक वर्त न होकर एक व्यापार हो गया है। जिस प्रवार लोग पदार्थों में मिलावट (एहलटरेयान) करते हैं, उसी प्रवार पवकार भी वैचारिक सूटि में मिलावट करने वाले व्यापारी बन गये हैं। जो सत्य है, वहो कहेगा, जो न्याय है, उसी का समर्थन कहेगा, सत्य ही की प्रतिष्ठा को स्वीकार करेगा, लोगों के प्रोपेगण्डा का दास नहीं कहेगा—इस श्रेष्ठ भूमिका को लेकर काम करने वाले पवकार भाज की दुनिया में ‘मनुष्याणा सहयोगुः’ कोई एक दो ही दृष्टिगोचर होते हैं। ‘वस्तुस्थिति पवित्र है तथा टीका उम्मुक्त है’ (फैर्स्टम भार सेक्रेड वामेष्ट्रस भार फो) ये जो वर्तमान सूटि के उपनिषदों के महावाच्य हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। समाचारपत्रों के एक व्यापार बन जाने के कारण अनेक पूँजीपति लोग इस उद्योग में अपना पैसा लगाते हैं तथा उस पर नक्की की उम्मीद करते हैं। और तब जिसकी माँग अधिक हो, उसी को लिखने की ओर पवकारों की दृज्जि हो जाती है। इसी प्रवार जो मालिक कहे, वह लिखा जाय, ऐसा बन पर दबाव भी रहता है। जिस प्रवार भाजकल सिले सिलाये

बागवरण मरम्य होना चाहिए। प्रचार, घोरेवानी, पूर्वशह यथा भगम्भव घोपलाओं के बाजार मे सत्य को बेचा नहीं जाना चाहिए। और यदि ऐसा कोई गाटक टकराय, तो उसे मूल्य समझा जाना चाहिए।

हमने ऊपर जो उशहरण दिये हैं, उनसे यह माफ जाहिर होता है कि आज की दुनिया मे प्रचार मे बितनी शक्ति है। सत्य को दबा देने के लिए इसमे भी कहीं अधिक प्रयत्न आज की दुनिया मे बिये जाते हैं। बैन मर्स्टी न कर सके, इसके लिये जैसे वचन मे ही उसे बधिया कर देते हैं, उसी प्रकार आदर्श के नाम पर सोगो के मर्नों को बधिया बना डालने के कुछ प्रयत्न बचान ही से बिये जाते हैं। माधुनिक राज्यों को तिथा का महत्व अच्छी प्रकार जात है। इस कारण वचन मे बालकों के मन पर ऐसे गंसकार डालने वीं कोशिश बीं जाती है कि आगे चन कर उनके मन एक निर्धारित लीक को पीटने वाले बन सकें तथा उनके विचार एक निर्धारित विद्याधियों के हो सके। तिथा-पढ़ति मे ऐसे हृषिक्षण ने काम लिया जाना है कि विद्याधियों के बह निपात नहीं होता। उसमे सच को दियाया जाता है। भूटी बातें कहीं जाती हैं। व्यापक तिथा द्वारा बच्चों मे ज्ञान की लालसा उत्पन्न करके उनके चतुरस बनाने के स्थान पर उसे मोड़ दिया जाता है कि उन्हे जो कुछ बहा जायगा, उसे वे सच मान लें तथा उसके बारे मे इतने बठमुलापन से काम करेंगे कि उनके मन मे इस बात की दशा तक नहीं आयेगी कि जो कुछ उन्होंने सीखा या पढ़ा है, उसके आगे भी कुछ और सत्य ही सकता है। ज्ञान इम रीत से नहीं दिया जा जाता जिससे कि उनके मन मे विस्तीर्ण प्रशार की चतुरखत हो सकता है। व्यापक तिथा उत्पन्न ही और जो उनके सामने देना चाहिए। ऐसी तिथा दी जानी चाहिए, जिससे लोग स्वतन्त्रता के प्रति अपने उपको ठोक से परख सकें। 'वायावाद्य प्रमाणम्' यह एक थेष्ठ आदर्श प्रतीत होने लगता है। वयस्क होने के उपरान्त स्वतन्त्रता का पूरा उपयोग करने के लिए, जिस वृत्ति की आवश्यकता है, वह उत्पन्न नहीं हो पातो। मत-स्वतन्त्रता तथा विचार-स्वतन्त्रता दोनों ही समझ ही सहज है, यह वचन मे ही बच्चों को थोड़ा बहुत बता देना चाहिए। ऐसी तिथा दी जानी चाहिए, जिससे हृषिक्षण से बहुत अनुभव कर सके, स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने की उन्हे आदत पड़ जाय, मन मे प्रयोगशीलता उत्पन्न हो, तथा वे ऐसी हृषिक्षण से काम लें, जो उनको अरनी हो। इस हृषिक्षण से देखने पर प्रतीत होगा कि बच्चों को दी जाने वाली तिथा का स्वरूप क्या हो, यह नागरिक स्वतन्त्रता की हृषिक्षण से बहुत महत्वपूर्ण है। बिलकुल वचन से बच्चे के मन पर यह प्रभाव डाला जाय कि अपने देश मे जो कुछ हुआ या या जो कुछ हो रहा है, वह नव थेष्ठ ही है, अपने देश का इतिहास थेष्ठ कर्तव्यों का इतिहास है, अपने पूर्वजों ने जो कुछ किया है, वह सब बहुत ही समझदारी का हा काम था, तो इस प्रकार की तिथा प्राप्त करके निकला हृषिक्षण एक प्रकार का यांत्रिक नागरिक हो जाता है। वह निष्ठावाय रहेगा, इसमे सम्मेह नहीं। परन्तु समाज की वैचारिक सम्पत्ति मे वह अपने विचारों से कोई नयी वृद्धि नहीं कर सकेगा। वह निःसंय आजाकारक बनेगा, पर उसके पास कोई स्वयंप्रत्ता नहीं रहेगी। जिसे उपकरणशीलता (इनिशियट) कहते हैं, वह उसमे ज्यादा

कार कर लेता है तथा स्वतन्त्रतया गत्य का अन्यथा मद्दिपदक विचार करने का थम वह नहीं करता। जैसे तोता रटाई हुई बात बोलता है, उगी प्रश्न व्यक्ति के मन का तोता भी वही बोलने लगता है, जो समाज में उने घारबार मुनामें जाते हैं। तथा व्यापारी हृष्टि से चलाये गए समाचारपत्र या दस्तीय समाचार पत्र उग के मन के चारों तरफ घपने प्रचार का ऐरा मज़बूत करने रहे हैं। उगके बाद समाज में जो भी शब्दों के तिकड़े चल पड़ते हैं, उन्हें वह बर्गेर सरे-गोडे श्री परग किये, बर्गेर अनुभव पर घजाये, स्वीकार कर लेता है। बार-बार यही सन्द, यही यात्रा प्रयोग, वही नारे कान में आने जाते हैं, जिनका कल यह होता है कि उम्मी घपनी भाषा भी वही हो जाती है। उग समय प्रत्येक कांपेसी उसे मुंदा प्रतीत होने लगता है। सरकार के हर काम मालिदारों के हह में मालूम होते हैं। शान्ति के निए जारी किया गया हर हुस्म उसे तमाशाई प्रतीत होती है। इत्ता ही नहीं, उग घपनी पारणा सर्वव्या निभ्रान्ति, घपनी घोषणा एहमात्र सत्य तथा घपना मत ही उने जन-मत प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार यदि सरकार का या सरकार के माध्यम से किया गया प्रचार उसके मन पर द्या गया हो, तो सरकार की आदा रो वह येदाज्ञा समझता है। सरकार के किसी भी कृत्य को वह अनुचित नहीं मानता। यदि कोई मत स्वतन्त्रतापूर्वक सरकार की आलोचना कर दें, तो उने लगता है यमाज की दानि को भग करने वाली तथा सरकार का तहत उलटे वाली कोई क्रान्तिकारी बात की जा रही है। उस अवस्था में उसे लगता है कि ऐसे आलोचकों को मीठी राह पर जाना समाज की हृष्टि से बाल्यनीय है। कोई सच्ची बात कहने लगे तो उसे उसमें राज-द्रोह प्रतीत होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी एक पथ एवं उस पथ के तत्त्व ज्ञान के कारण उसकी स्वतन्त्र विचारशक्ति लुप्त हो जाती है तथा वह हठी बन जाता है। अपना स्वतन्त्र अनुभव प्राप्त करने की शमता उसमें नहीं रह जाती। अरनो मतस्वतन्त्रता एवं विचार-स्वतन्त्रता के अधिकार की वह सो धैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विचार करने की उम्मी आदत ही छूट जाती है। अतः समाज में किसी निर्धारित सचिं में ढले मत को मानना सच्ची विचार स्वतन्त्रता का विरोधी है। आप घपने दल की हृष्टि से जो कहना चाहते हैं, वह; पर आपके उस कहने में सत्य का अश अवश्य रहना चाहिए। भड़नीले या सचाई के बारे में भ्रम उत्पन्न करने वाले प्रचार से साधारण व्यक्ति चक्कर में पड़ जाते हैं। असाधारण व्यक्ति नाराज हो जाते हैं। सभी लोग तो विचारक नहीं होते, और न ही सब लोग सत्यान्वेषी होते हैं। अतः इन कोटि के प्राय सब लोग चुप रहने में तथा बहेड़े में न पड़ने में ही घपना भला समझते हैं। अभी-अभी शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों में जो प्रचार किया गया तथा जिस प्रकार वह किया गया, उसमें सोच-समझ कर मतदान करने का बातावरण ही नहीं रह गया था। सरकार गुरुद्वारों को घपने कठज़े में कर रही है, नानक तथा अन्य गुरुओं के चित्रों के स्थान पर नेहरू आदि के चित्र लगायेंगी, इत्यादि बातें इत्ते बड़े पैमाने पर कही गईं कि सामाज्य मनुष्य यह सोचने तक को तथ्यार नहीं हुआ कि इसमें भूठ-सच बया है। इस किस्म की बातों को देखते हुए हमें लगता है कि समाज में शातभाव में विचार करने का-

से जीव अपनी कल्पना के मनुसार सुखी होते हैं, परन्तु समाधान में सन्तुष्ट होने की अपेक्षा मंगयग्रस्त मनुष्य का होना अधिक मुख्य है, ऐसा जो प्रसिद्ध श्रीक तत्त्वज्ञानी का मत है, वह सर्वथा गलत नहीं है। खोकस मनोवृत्ति व हर समय सत्राल-जवाब करने की आदत वहाँको बुरी लगती है परन्तु समाज की वैवाहिक तथा अन्य प्रगति इस प्रकार के जिज्ञासु लोगों पर ही निर्भर है। जिनके मन में कभी विचारों में ही हलचल न हो और जिनके मन में कभी कोटूहल का प्रवेश न हो, वे मन एक तरह से सुख मौर निस्तेज होते हैं और बचपन से अपनाये, स्वीकृत जीवन मूल्यों पर ही उनकी जीवन-यात्रा चलती रहती है। जहाँ तक उनके निश्चित हृष्टिकोण से मिले-जुने अनुभव होते हैं, वहाँ तक वे स्थीरते रहते हैं, परन्तु जहाँ उससे विपरीत अनुभवों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पूर्व संचित उनकी पूँजी बेकार सावित होती है। नये तरीकों से वे सोच नहीं सकते हैं, वे नभी परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों के साथ अपने आपको ढाल नहीं सकते। जिससे उनका मन दुखी होता है प्रोर परों तले की जमीन खिसक जाय इस प्रकार बोहिक हृष्टि से उस व्यक्ति का जीवन समाप्त-प्राय सा हो जाता है ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। इसलिए स्वतंत्र रूप से विचार करने वाले, सत्य की खोज करने वाले व्यक्तियों की समाज को आवश्यकता है। जिनके मन पहले ही बन चुके हैं या जिन्होंने अपने मन की दिडिकियाँ बन्द कर रखी हैं तथा जिनके मानस में नये जगतों की रोमानी जाने की कोई गुजाइश नहीं है तथा नये युग की गर्वता, कान होते हुए भी जिनके अन्त करण तक नहीं पहुँच पाती है, उनके जीवन का तो शोकान्त ही है। इस हृष्टि से हम विचार करें तो हम यह अनुभव करेंगे कि नागरिकों के अन्दर जिनकी अधिक मात्रा में नये-नये विचारों को ग्रहण करने की तथा ग्राह-ग्राह्य के चुनने की पावता बढ़ेगी और जिनके अधिक परिमाण में ऐसे नागरिकों की सत्या बड़ेगी, उनकी ही सविक नात्रा में समाज में समतोत—विचार तथा व्यवहार का साकाशकार होगा। कई तरह के प्रश्न समाज में खड़े होते हैं, उन पर याज की लोकशाही समाज-व्यवस्या में प्रत्येक नागरिक को अपनी राय देनी पड़ती है और स्वभाव-प्राय यताना पड़ता है। इसलिये यह जहरी है कि उसस्थित प्रश्न में जिन-जिन बातों का समावेश है उनका पृथकरण कर उसमें सम्मिलित विचारों के हर पहलू पर तथा उनमें निहित तत्त्व समाज की हृष्टि से उचित हैं अथवा नहीं इसका बारीकी से अध्ययन करना उसके लिए जहरी है। अपशाह के माने सबर नहीं होती। गपशप के भड़े भी एक तरह के रेहियो होते हैं, वहाँ सुनी हुई हर बात को सही मानने की वृत्ति थगर समाज में जोर पकड़ती गई तो किसी भी चीज को गम्भीरतापूर्वक व विवेक के साथ करना कठिन हो जाएगा। जहाँ पर समाचारपत्र, सबरे और गचाई इनमें एकरूपता न या सके वहाँ किसी भी प्रश्न पर अपना सही मधिश्राय देना विचारवान व्यक्तियों के लिए भी कठिन हो जाता है। सत्य के लिए समाचार पत्र ही सर्वथा निर्भर करना उचित नहीं है, परन्तु हर चीज की प्रथम जाँच करना तथा सत्य की खोज करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए समाचारपत्रों में समाचारों की सचाई के लिए सावधानी, स्वयं समाचारपत्रों को ही देखहितावं सेनी चाहिए। यथापि वृत्त पत्र व्यवसाय याज एक व्यापार

नहीं आ सकेगी। परिवर्तनशील जगत् के घटनाचक्र को समझने वाली बुद्धि राष्ट्र के नागरिकों में नहीं रहेगी और नये ढाँचे के अनुसार अपने आपको ढालने की व्यवहार कुशलता अगर उनमें न होगी तो उस राष्ट्र का या तो उत्थान होगा अथवा पतन होगा। उस राष्ट्र में चिमटे रहने व विपत्तियों से सदा सघर्ष करते रहने की बुद्धि बहुत कम मात्रा में दियाई देगी। इस दृष्टि से देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे बुद्धिमान, गुदिचारी तथा समझी नागरिक तंयार हो और इसके लिए बचपन से ही स्वावलम्बन की ओर उत्तेजित करने वाली घोड़ी बहुत शिक्षा उन्हें देना अत्यावश्यक है। आज एक विसापिसाया पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाया जाता है और जिस प्रकार एक गडरिया भेड़ हौंता है व उन्हें एक निश्चित सीमा से बाहर नहीं जाने देता, उसी प्रकार अध्यापक बच्चों के मन को सिमटे रहता है और उन्हें स्वयं स्वतन्त्रतापूर्वक सौखने वा अवसर नहीं देता। राज्य के नियम भी कुछ ऐसे बने होते हैं कि वे विद्यायियों के बास्ते कुछ नवीनता लाने, प्रयोगशील बनने तथा उनकी बुद्धि को त्रिलाङ्गुला देने वाले प्रयोग की इच्छा उनमें जाग्रत नहीं होने देते। देवयोग से यदि कोई ऐसा अध्यापक इस ओर अप्रसर हुमा, तो उसे तुरन्त अपने पद से बचित होना पड़ता है। बालकों के मन पूर्वग्रहों से जबड़े न रहे, निश्चय नवीन अवण करने के लिए उनकी उत्सुकता बने व जो नयोंनयों बातें उनके सामने उपस्थित होती हैं, उनको वे जिज्ञासापूर्वक प्रहण करे, ऐसा बातावरण उन्हें बचपन से ही मिलना चाहिए। अगर उन्हें उनके अनुकूल ऐसा बायुमण्डल बचपन से न मिले तो भागे चलकर वे देश के जागरूक नागरिक कदाचिं बन नहीं सकेंगे। जो कुछ भी उन्हें अधिकारपूर्वक अधिकृत रूप से कहा जायेगा, उसे विना सोचे सभीकरण करने की वृत्ति उनमें बढ़ेगी। यह वृत्ति न केवल राजकीय, बल्कि धार्मिक, सास्कृतिक, हर क्षेत्र में सक्रिय होगी। यह उकित सार्थक है कि शारीर व्यायाम से सुदृढ़ होता है, परन्तु मन की प्रदलता विचारों से बनती है। विचारों की कसरत का अभ्यास भी बचपन में ही शिक्षा द्वारा करने का मोका बच्चों को मिलना चाहिए। यह सर्वमान्य है कि बालक के मन पर प्रथम १५ वर्ष की आयु में जो संक्षार पड़ते हैं, वे ही सम्पूर्ण आयुष्य तक प्रभावशाली बने रहते हैं। यह भी सत्य है कि मनुष्य एकरस जीवन जीना नहीं चाहता, परन्तु किर भी आम प्रचलित मार्ग छोड़कर अज्ञात और अनिश्चित रास्ता अपनाने की भी उसे मर्जी नहीं होती। जिन्दगी में कुछ साहसपूर्ण कार्य करने की व कुछ अद्भुत कर दिखाने की तथा आम लोगों से कम-मे-कम कुछ विशेष करने की प्रवृत्ति बहुतों में होती है। उसमें खतरे की संभावना की भी वे कल्पना करते हैं। जो जीवन में किसी भी तरह का सघर्ष न करते हुए सीधे रास्ते जाना चाहता है, उसे सामाजिक मान्यताओं का ही आधय लेना पड़ता है। आम तौर पर उसी तरह की मनोवृत्ति बचपन से दी हुई शिक्षा ते सबल होती है, और परम्परागत विसापिसाया मार्ग अपनाने की वृत्ति भी समाज में बढ़ती जाती है। जब कोई भी प्रचलित जीवनक्रम से विसर्गत जाने का साहस करता है, वह सामाजिक टीका का विषय बनता है। इसी सामाजिक टीका के ढर से सीधे रास्ते चलकर अपना प्रपञ्च मुख्य करने की ही प्रवृत्ति प्रवल होती जाती है। इस प्रकार

से जीव अपनी कल्पना के अनुसार सुखी होते हैं, परन्तु समाधान में सन्तुष्ट होने की अपेक्षा संशयप्रस्त मनुष्य का होना अधिक सुखद है, ऐसा जो प्रसिद्ध ग्रीक नस्वज्ञानी का मत है, वह सर्वथा गलत नहीं है। खोबस मनोवृत्ति व हर समझ सवाल-जवाब करने की भादत वहतों को बुरी लगती है परन्तु समाज की वेचारिक तथा अन्य प्रगति इस प्रकार के जिजामु लोगों पर ही निर्भर है। जिनके मन में कभी विचारों में ही हलचल न हो और जिनके मन में कभी कौतूहल का प्रवेश न हो, वे मन एक तरह से सुन्न और निस्तेज होते हैं और बचपन से अपनाये, स्वीकृत जीवन मूल्यों पर ही उनकी जीवन-यात्रा चलती रहती है। जहाँ तक उनके निश्चित हृष्टिकोण से मिनेजुने अनुभव होते हैं, वहाँ तक वे खीचते रहते हैं, परन्तु जहाँ उमसे विपरीत अनुभवों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पूर्व संचित उनकी पूँजी बेकार सामित होती है। नये तरीकों से वे सोब नहीं सकते हैं, व नयी परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों के साथ अपने आपको ढाल नहीं सकते। जिससे उनका मन दुखी होता है और पर्णों तले की जमीन लिप्तक जाय इस प्रकार बोद्धिक हृष्टि से उस व्यक्ति का जीवन समाप्त-प्राय सा हो जाता है ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। इसलिए स्वतन्त्र रूप से विचार करने वाले, सत्य की खोज करने वाले व्यक्तियों की समाज को आवश्यकता है। जिनके मन पहने ही बन चुके हैं या जिन्होंने अपने मन की खिड़कियां बन्द कर रखी हैं तथा जिनके मानस में नये जमाने की रोशनी जाने की कोई गुजाइश नहीं है तथा नये युग की गर्वना, कान होते हुए भी जिनके अन्तर्करण तक नहीं पहुँच पाती है, उनके जीवन का तो दोकान्त ही है। इस हृष्टि से हम विचार करें तो हम यह अनुभव करेंगे कि नागरिकों के अन्दर जितनी अधिक मात्रा में नये-नये विचारों को अद्दण करने की तथा आहू-अप्राहू के चुनने की पात्रता बढ़ी और जितने अधिक परिमाण में ऐसे नागरिकों की मूल्या बढ़ेगी, उतनी ही अधिक नात्रा में समाज में समतोल—विचार तथा अवहार का साकारकार होगा। कई तरह के प्रश्न समाज में सड़े होते हैं, उन पर आज की सोकशाही समाज-व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को अपनी राय देनी पड़ती है और स्वप्रभिप्राय बताना पड़ता है। इसलिये यह जहरी है कि उत्तरित प्रश्न में बिन-जित बातों का समावेश है उनका पृथक्करण कर उसमें सम्मिलित विचारों के हर पहलू पर तथा उनमें निहित तत्त्व समाज की हृष्टि से उचित हैं अथवा नहीं इसका बारीकी से प्रध्ययन करना उसके लिए जरूरी है। अफवाह के माने खबर नहीं होती। गपशप के अद्दे भी एक तरह के रेडियो होते हैं, वहाँ सुनी हुई हर बात को सही मानने की दृति अगर समाज में जोर पकड़ती गई तो किसी भी चीज़ को गम्भीरतापूर्वक व विवेक के साथ करना कठिन हो जाएगा। जहाँ पर समाचारपत्र, खबरें और सचाई इनमें एकलृप्तान प्रा सके वहाँ किसी भी प्रश्न पर अपना सही अभिप्राय देना विचारवान व्यक्तियों के लिए भी कठिन हो जाता है। सत्य के लिए समाचार पत्र ही सर्वथा निर्भर करना उचित नहीं है, परन्तु हर चीज़ की प्रत्यक्ष जांच करना तथा सत्य की खोज करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए समाचारपत्रों में समाचारों की सचाई के लिए सावधानी, स्वर्ण समाचारपत्रों को ही देखहितायं लेनी चाहिए। यद्यपि वृत्त पत्र अवधारणा एक अपार

यत गया है, किर भी उगड़ी भी कुछ गर्दाशं तथा गूच्छोंन निवि बस्ती है। हर समय उत्तेजित हो पटपटेदार निगमन भी गमव नहीं। एक निरिपन गमानाराम पर एदा निर्भर रहने पाने अतिरि दो तक विषयों प्रमुख पाना है तब उगड़ा परिणाम इस समाचारपत्र की प्रतिष्ठा पर पड़ता है। गमापत्रपत्रों का भी देश में नियम जितना हो महत्वपूर्ण स्थान है। इगनिह इन पर भी कुछ गमानिक गर्दाशं का होना जल्दी है। बाबून जो प्रतिक्रिय तथा विषयों पहुँचाने तथा आवेदनों पे गमानिक अभियनि, वानित तथा गमानिक गमुन घासि इन लृष्टि से ही होता। नियम के जरिये विदिष्ट व्यापकी वृत्ति निर्माण करना तथा गमानारामनों द्वारा दूरित दूर्योग दूरन्त करना ये दोनों बातें गमानिक व्यवस्था की हृष्टि तदा विषार-व्यवस्था की हृष्टि से भयोग्य हैं।

गमाज में पच्छी के बुरी बातें, दोनों की पात होती हैं। पालान्तर में पुराई तथा दी जाती है के पच्छाइयों को न्योजार किया जाता है, परन्तु प्राय यह किस बड़ी धीम-धीमे बनती है। प्रवार द्वारा, भटकीती बातों को प्रधिक प्राप्ति बनाया जाता है और किर ये कुन्ते की जहर की तरह कंकरती है। मानवी स्वभाव ऐसा है कि किसी के विषय में बोई भी बुरी प्राप्ति हो तो उसे लोग एक-दम गर्व मान सेते हैं। अफवाह हाथों के पेर से बनती है ये गत्य बीटी की चाचे गे गाता है। इगनिए कोई अवित एक बार टीका या कुचेप्टा का विषय बन जाने के बाद प्रवार पहुँचाव में हो जाय तो उगड़ी वह टीका भ्रतत्य ये घन्वायपूर्ण है, पर्याप्त इसमें बाप्ती समय लगता है किर भी उस अवित का टीकाकार द्वारा तिना दृष्टि उसके नाम के साथ चिपका हो रहता है। चेम्बरलेन का द्वाता, अवित का बुराड़ानी स्वरूप जो एक बार टीकाकारों ने बनाया वह उसके साथ बाकी धर्में तक साथ-साथ बना रहा। भारतीय राजनीतिज्ञों के साथ भी इसी प्रवार का अन्याय हुआ है। महाराष्ट्र में राजनीति जीवन में बोई भी प्रमुख अवित इस प्रवार के विहृत प्रवार तथा देपमुख टीका से बचा नहीं। निलक वी आधी आयु परन्ते सोना से टकार लेने मे गई। यी गोतने को टीकाकारों ने भाविती दम तक नहीं दीजा। बर्नमान नेताओं म से किसी के विचारों के बदले उसके लिवास पर अधिक टीका की जानी है। किसी ने राजनीति मे आगे क्या होगा, दम विषय पर प्रवार अपने विचार प्रकृष्ट किए तो उसे गप्पे कहा जाता है, और किसी ने काम की हृष्टि से कुछ विचारपूर्वक बर्णन किया तो उसे शब्दी दिमाग की उपाधि दी जाती है। साराज, महाराष्ट्र की राजनीति मे सेवाजी के बारिस बहुत हैं, व उनकी परम्परा भभी तक चल रही है। किसी के पराक्रम की भ मानना, सफलता के मिलने पर उसका थर्य उस अवित को न देता व असफल होने पर परिस्थिति को नहीं, प्रवितु उस अवित के मर्त्ये दोप सढना यह वृत्ति महाराष्ट्र की राजनीति की स्थापी भाव बनती जा रही है। परन्तु हर बुराई के साथ कुछ अच्छाई भी होती है। इस हृष्टि से जहाँ गमाज में कुचेप्टा वृत्ति पायी जाती है, वहाँ सूखमदर्यों, विशाल मन से सड़ावना के साथ गुणप्राहकता का परिचय देने वालों वृत्ति भी पायी जाती है। पहली व दूसरी वृत्ति मे प्रवार संतुलन

रहा तो समाज का नैतिक जीवन स्वस्थ रहता है व आत्म सम्मान की भावना भी। समाज के अन्दर जो गुणप्राप्ति, विवेती तथा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वे जिम प्रकार से सोचते तथा आचरण करते हैं उनका परिणाम सामाजिक व्यवहार पर होता रहता है। उनके उदाहरण से "यद् यद् आचरति थेष्ठः" इस न्याय से विचार स्वातंत्र्य को उत्तेजना मिलती है। उन्हें हिंदू समाज में जिनके थेष्ठ व्यक्ति होने उनका प्रभाव, जहाँ वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, समाज के कारण पड़ेगा। परन्तु वे वास्तविक हिंदू से सर्वश्रेष्ठ अथवा उच्चकोटि के होने जरूरी हैं, साधारण होने पर वह प्रभाव नहीं पड़ेगा। थेष्ठ होने पर ही वे जनसत को आकृष्टित कर सकते और अपना प्रभाव जनता पर ढानेंगे। 'एरण्डोऽपि द्रुमायते' यह उचित यहाँ साझा नहीं होती! इसलिए वे व्यक्तित्व में उच्चकोटि के होने चाहिए। यद्गर वे विकिष्ट भी हों, फिर भी उनको विद्वता के कारण तथा थेष्ठ चार्टिंग होने के बारण उनका प्रभाव प्रवर्द्धय पड़ता है। संगोष्ठन क्षेत्र में राजनीति में जो काम किया और जो नि स्पृहता दिखाई उसका परिणाम समाज पर हुआ था; केशव मुन ने जो तुनारी बजाई थी उसकी आवाज उनके मरने के बाद भी लोगों के कानों में गूँज रही है। सन्त अण्णसाहैब पटवर्धन के चरित्र का असर उनमें सम्बन्धित हजारों लोगों के जीवन पर हुआ! कम्बोर बाबूराव पाटिल के घलाड सेवाकार्य से अनेकों को प्रेरणाएँ मिलीं। प्रसिद्ध समाज-सेवक अण्णसाहैब कवे का जीवन समाज-सेवकों के लिए अखण्ड 'सन्देश बाहक' है। तात्पर्य मह है कि समाज के अन्दर जहाँ भन के अन्दर दूपित पूर्वप्रह निर्माण कर निष्प्रभ व अविवेकी जीवन बनाने वाले लोग होते हैं, वहाँ सत्य के लिए, मत स्वातंत्र्य के लिए, आत्मनितक त्याग की प्रेरणा देने वाले लोग भी होते हैं। आपनकर को समाज ने बहुत परेशान किया, और अनेकों कट्ट पहुँचाएँ परन्तु फिर भी उनका काम रुका नहीं, चालू ही रहा। अन्त में उनकी विजय ही हुई। इस प्रकार की बायं-निष्ठा दिखाने वाले दीपक समाज के अधिकारमय जीवन में प्रकाश देते रहते हैं। सत्य के लिए स्वयं वलिशान कर सत्य को प्रमर करने वाले कुट व्यक्ति हर समाज के अन्दर होते ही हैं। कलान्सीत, तथा साहित्य दोष में घेय का ध्वज ऊँचा उठाकर, विरोध सम्बिरोध की धारों-तूकान में निटर होकर चलने वाले व्यक्ति समाज के लिए भूपण होते हैं। सामाजिक चरित्र के वे प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के उदाहरण का समाज पर असर होता है, य उनके पद-चिह्नों पर चलते बाले कई लोग तैयार होते हैं। ऐसे थेष्ठ व्यक्ति ही सही अर्थ में विचार-स्वातन्त्र्य तथा मानसिक आजादी के संरक्षक होते हैं।

शिक्षा-व्यवस्था, सामाजिक-पत्र तथा थेष्ठ जनों का आचरण—ये तीनों वाले समाज के आध्यात्मिक जीवन की हिंदू से महत्व रखती हैं। स्वतंत्रता के उद्देश्य का तदा ऊँचा स्तर रहे इस हिंदू से ही शिक्षा-व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु इस क्षेत्र में किसी भी मुधार का परिणाम तदावाल नहीं दिखाई देता है। आज भारत को आजाद हुए १४ बर्ष पूरे हो गए हैं और इन १४ बर्षों में छोटी-मोटी कम में कम १४४ समितियों या आयोगों दी नियुक्ति हुई है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पेश की किर भी शिक्षा योजना में जो अनिवार्यता तथा प्रत्येक चल रही है, उसे देखते हुए बहुत दुःख होता

है। भारतीय संविधान में भावी समाज के ध्येय के विषय में उल्लेख किया गया है। भावी अधिक व्यवस्था कौसी होगी, उसकी भी कल्पना स्थूल रूप से संविधान में दी गई है, राज्य किसलिए है, उसका उद्देश्य क्या है, इसकी भी मोटी स्परेला संविधान में निहित है। यह स्परेला निश्चित होने के बाद उसको प्रात्यक्षिक रूप देने की हप्टि से समाज के हर क्षेत्र में योजनाएँ बननी चाहिए व वैसा कार्य होना चाहिए। जो कुछ भी कार्य हो या बदम उठाए जाएं वे उन कार्यों, आदर्शों से व उद्देश्यों से विसर्गत नहीं होने चाहिए। बारह वर्ष बाद अब संविधान की कुछ मौलिक बातों के विषय में चर्चा शुरू हुई है। विचार-स्वातंत्र्य की हप्टि से व मत स्वातंत्र्य की हप्टि से तथा औपचारिक हप्टि से यह ठीक है परन्तु एक ईंट पर दूसरी ईंट इस प्रकार ईंटें रखते हुए दोबार खड़ी करने के बाद उसे गलत कहकर गिराने से कभी दोबार खड़ी नहीं हो सकती। ईंट व चूना अवश्य नष्ट हो जाएगा। मनुष्य के थम तथा समय फिरूल जाएंगे, केवल स्वयक्तृत्व का भूता अभिमान बाकी रहेगा। इसलिए दीर्घ सोच-विचार व मुल्य-मुख्य सिद्धान्तों की सब पहलुओं से चर्चा करने के बाद जो संविधान बना, उसकी मौलिक बातों के विषय में बादबिवाद करना याने समाज की प्रगति को कुण्ठित करना या असंमान्य कर देना ही है। एक बार जो ध्येय निश्चित हो गया, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। नक्शा तैयार होने के बाद व उसके अनुसार काम चालू होने के बाद यह खिड़की यहाँ नहीं चाहिए, वह दरवाजा वहाँ ठीक नहीं है। इस प्रकार की नुन्नाचीनी अगर चलती रही तो जो निर्माण कार्य होगा वह किसी हद तक भी फायदेमन्द नहीं होगा। वह मनपमन्द हो सकता है परन्तु मुखदायक नहीं होगा। वयोंकि वह अस्थिर मन से किया गया है इसलिए उसमें स्वैर्यं नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ मौलिक सिद्धान्त निश्चित करने के बाद जो कुछ भी किया जाए वह उन सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिए। देश में नियोजनपूर्ण अर्थव्यवस्था होगी यह निश्चित होने के बाद उस व्यवस्था को नियानेवाले नागरिक बनने चाहिये। इस हप्टि से ही शिक्षा-व्यवस्था अगर कायम हुई तो २० वर्ष बाद इस शिक्षा-व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जनमत का हप्टिकोण बढ़ना हुआ दिखाई देगा। शिक्षा-व्यवस्था के महत्व को समझने हुए, उसमें समयानुसार परिवर्तन करने के बाद भी उसका परिणाम तत्काल नहीं दिखाई देता। थ्रेट पुरुष भी समाज में बने बनाए तैयार नहीं मिलते। यहाँ भी झंगबाद का ही आश्रय लेना पड़ता है। चारित्र्य-सम्पन्न व्यक्ति को भी सामाजिक मान्यता एवं दम नहीं प्राप्त होती। इस मान्यता व बड़प्पन का वह धीमेधोमे अधिकारी बनता है। थ्रेट व्यक्ति को भी सधर्ष में से गुजर कर रास्ता निकालना पड़ता है। विरोध के बीच शान्ति अद्दण कर आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से वह आग जनता से ऊर उठाना है। सासारिक दुनिया से उच्च बातावरण में वह प्रवेश करता है। उसके चारित्र्य का प्रभाव जनता पर पड़ता है, परन्तु इस प्रकार के चरित्र-बान पुरुषों को बोई खोजा नहीं करता है, पर एकबार जनता की निगाह में आने के बार उनके लिए जनता से द्विना असम्भव हो जाता है। मजहूरों की तरह ये बाजार में खरीदे नहीं जा सकते। समाज के अन्दर जबकि जहरीना प्रचार चल रहा हो ऐसत्य वा बाजार गरम हो, इस परिस्थिति के बीच समाज-कल्पाण की हप्टि से

किये जाने वाले प्रयत्नों की रचना बहुत मंधर गति से की जाती है। समाचारपत्रों को राज्य की सम्पत्ति का चौथा स्तम्भ माना जाता है। राज्य-व्यवस्था के मंडप के आवारभूत जिन चार स्तम्भों का बर्णन किया जाता है वे हैं, संसद् के दो गृह-राज्य-सभा व सोक्रमभा तथा राज्य की कायंकारिणी सत्ता। माने मंत्रिमंडल व चौथा स्तम्भ है समाचारपत्र ! आज के सोक्रमाही के युग में समाचारपत्र किस प्रकार में प्रतिक्रिया कर चलते हैं इसका अनुमद सर्वविदित ही है ! जहाँ हृकृष्णशाही चलती है वही के समाचारपत्र राज्यकर्त्ता के विचार प्रकट करने वाली जिह्वा ही यन जाते हैं और कुछ छोल ही नहीं सकते हैं। बल्कि जहाँ पर पक्षीय हृकृष्णशाही शासन होता है वहाँ सरकारी मिलिक्ष्यत के सिवाय अन्य कोई समाचारपत्र हो ही नहीं सकते ! इसलिए जहाँ सोक्रमाही राज्य है वही पर निजी मिलिक्ष्यत के समाचारपत्र पत्र सकते हैं। परन्तु जहाँ मत-स्वातंत्र्य तथा मुद्रण-स्वातंत्र्य पूरा-पूरा होता है, वही के समाचारपत्र प्रपनी स्वतंत्रता का दुष्टपोम कर सकते हैं व किर झूँडे समाचार देना, सत्य को विकृत रूप देना या उसको गुप्त रखना, तथा भूठ बताना आदि चलता है। समाचारपत्रों की नीति के नूत्र वही विविष्ट हितों के पुरस्कार कर्त्ताओं के हाथ में चले जाते हैं। जिनका अन्न वे खाते हैं, उनकी प्रशंसा प्रवारो को करनी पड़ती है। सिनेमाओं के विज्ञापन मिलते हैं इसलिए सिनेमा चाहे जैसा हो, किर भी उसको नुकताचीनी न करने की वे स्वतंत्रदारी लेते हैं। सत्य व व्याप की हासी भरने वाले समाचारपत्र कर्ता प्रत्यक्ष में उसके विपरीत चलते हुए नजर आते हैं। इसलिए शिक्षा-स्तर को ऊँचा उठाकर थेपु पुरुषों के सान्निध्य में आकर सत्य बया है यह जानने का मौका मिलने से पूर्व ही समाज में असत्य का इतना अधिक प्रचार होता रहता है कि सत्य की पहचान समाज में किसी की नहीं हो पाती। प्रपनी हस्तन्त्र दुद्धि से सोचने लगें, सत्य व असत्य को छान-बीन कर परख कर उसे ग्रहण करने लगें तो वहाँयों के हितसम्बन्धों को चोट पहुँचती है। इसलिए वे यह परखने की वृत्ति चाहते नहीं। सब लोग अगर सुनिखित हो गये, समझदार बन गये तो वे उनकी सम्पत्ति की जाँच-नड़तान करने तो उनकी भूठी प्रतिष्ठा का पर्दाकाश बरेंग यह डर समाज के इन पूँजीपतियों को सदा बना रहता है। इसलिए अधिक-से-अधिक प्रचार कर वे मनुष्यों के मनों को धीर करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इन प्रयत्नों में वे झूँडे सिक्कों का सम्बंग करते हैं, झूँडे देवताओं के सामने धूपवस्ती जलाकर जनता वो घोड़े मैं डालकर समाज के अन्दर प्रपना स्पन आयम व मजबूत करते हैं।

समाज की उप्रति के लिए सामाजिक आदर्शों की रक्षा करना अत्यावश्यक है। उन्हें निष्पट्टा या नीचता को लाने वाली हर बात का नियंत्र करना चाहिए। सामाजिक आदर्शों में नागरिक स्वतन्त्रता एह प्रमुख आदर्श है, इसलिए नागरिक स्वतन्त्रता पर सखार की ओर से कभी हमला न हो, इसकी दीक्षा हरेक को लेनी चाहिए, परन्तु समाज के पन्द्रह के लानगो हित स्वतन्त्रों का सञ्ज्ञान होने के बारण व समृद्ध होने के बारण वे वृत्त-पत्रों से फायदा उठाते हैं। योकि वे जानते ही हैं कि तुरन्त फल देने वाले यही साधन हैं। जिस प्रकार कुछ देवता वहुत थोड़ा भनोती से प्रसन्न हो जाते हैं, वे वह एकाध मुर्गी मा बकरे का चढ़ावा ही इसके लिए काफी होता

है। इसी प्रकार से आधुनिक युग में समाचार-पत्र, यह देवता भी शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। थोड़े से विज्ञापन, कभी-कभी चाप पार्टी या कभी-कभी धीने का या रहने का इत्याम ही पाप तो उस पर भी काम चल जाता है और अगर इससे भी कुछ परिक की आवश्यकता पड़ी तो कम्पनों के हिसाब से से पुरस्कार इस याते से ही उसे पूरा वर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रचार किया जाता है, वह इतना प्रधिक होता है कि उसमें समाज में जो अब तक के प्रस्थापित अभिरचि के सौजन्यपूर्ण संकेत होते हैं, वे एक तरफ रह जाते हैं। इस अमर्त्य की लहर को समय पर प्रतिबन्ध न लगाये जाने पर और उसकी रोक-धार न होने पर समृद्धि गामिक भूमि उसमें व्याप्त हो जाती है व बहुत विश्व परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे प्रबल पर कई बार जो कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, वे यह जाती हैं और नोति सत्ता का दिनारा इस अकलित बाढ़ से कट जाता है। अन्तिम ध्येय तो दूर रहा, परन्तु जो कुछ अल्प प्रगति की हुई होती है वह भी नष्ट हो जाती है। यह माना कि समाज में स्वातन्त्र्य होना चाहिए, परन्तु आज जिस स्वतन्त्रता का हम अनुभव ले रहे हैं, वह वास्तविक स्वातन्त्र्य को खाने दोष रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इस स्वातन्त्र्य भरी स्वतन्त्रता पर ठीक समय पर प्रतिबन्ध लगाने में विलम्ब हुआ या जिस वास्तविक आजादी का लोप हो रहा है, उसे रोबने के लिए दोस कार्रवाई नहीं की गई, तो स्वातन्त्र्य विरोधी योर्ड पवका हो जाता है। लहर के साथ आया हुआ मैल फिर किनारे की भूमि पर जम जाता है व उसका अद्य बन जाता है। इतिहास इस बात का साधी है कि जहाँ पर समाज के स्वातन्त्र्य विषयक निश्चय हुएता से इस हमले का विरोध नहीं करते; जहाँ स्वतन्त्रता में सम्पूर्ण धड़ा रखने वाले व्यक्ति गलित-धर्य हो जाते हैं; वहाँ अमर्त्य सत्य बन जाता है, गलत निरोप साधित हो जाता है और जो इस लहर के निर्माता होते हैं वे या तो स्वयं सत्ताधीश बन जाते हैं या सत्ताधीश लोगों को वे अपनी मुट्ठी में रखते हैं। जो सत्ताधीश होते हैं उनकी किर लोकपत की परवाह करने की इच्छा नहीं होती। जो वास्तव में गलत है, ऐसा उसका विश्वास होता है, उसे भी प्रचारी लोकमत का जोर मिलने के कारण वे सही मानते लग जाते हैं। नैनिक हॉटिं से जो बात हीन है, ऐसा उनका मन बोलता है, उसकी अनंतिक्षता भी तूफानों सोकमत के प्रवाह में धून गई, ऐसा वे मानते हैं। इस प्रकार की घटनाओं के उदाहरण आज वी दुनिया में प्रायः दियाई देते हैं। लोक सभा या विधान सभा में दिये जाने वाले जबाब के बल लोकमत उनके पक्ष में है इस धर्मद में दिये जाने हैं। बम्बु स्थिति का विषमसि उन्हे विषमसि नहीं दिखाई देता। इस प्रवाह सत्ताधीश लोग अपने इये हुए पाप या कृत्य को दियाने का अधिकाधिक प्रयत्न करते हैं और इस विषय में नागरिक को विचार-स्वतन्त्र्य देने से इन्हाँ करने हैं। सरकार के आस-पास चलकर काटने वाले हित-सम्बन्धी चाटुवारों के समाचार-पत्र सरकार के इस बायं का पक्ष लेते हैं। तात्पर्य यह है कि समाचार-पत्र अधोग्य तरीकों से जनता की स्वतन्त्रता को चोट पहुँचाते हैं। इतना ही नहीं, अपिनु सरकारी छुट का समर्थन वर भूट को सत्य की प्रतिष्ठा दे देने हैं। जिस राज्य में स्वतन्त्र्य की सालसा व्यभिचारी होगी, वही कभी भी सच्चे स्वतन्त्र्य का आविष्कार नहीं होगा। सच्ची स्वतन्त्रता मानसिक प्रेरणाएँ होती हैं। लोकमत से इसका समर्थन होना अपरिहार्य नहीं है।

आन्ध्राय का विरोध करने का अभ्यास मन की हुए बिना लोगों के कहने से प्रतिरोध करना, वकील की सहायता से मुझमा लड़ने के समान है। आजादी के लिए व्याकुलना होनी चाहिए और वह मन का धर्म बन जाना चाहिए। अगर राज्य-कर्त्तव्यों का भी वही धर्म नहीं हुआ तो उनका स्वातन्त्र्य विषयक हिंटकोण बाजार भाव की तरह बढ़ता-घटता रहता है।

समाज के अन्दर ऊपर कहे हुए अनुसार हित सम्बन्धों का संघटन होता है। समाजार पत्र जैसा प्रचार-साधन वज्रे में कर लोकमत को विशिष्ट विचारों की अकीम देने में ऐसे ही सफल होते हैं। परन्तु वह सब करने में उनका उद्देश्य वेवल स्वार्थ साधने का होता है व यह सब हित-संरक्षण का कार्य वे राज्य-सत्ता के माफ़त करते हैं। राज्य-सत्ता लोकमत का समर्थन चाहती है, वह उसे समाजारपत्रों के प्रचाररूपी मायाजाल से मिलता है। इसका नतीजा यह होता है कि समाज के अन्दर जो गरीब व साधन विहीन परन्तु, शीखबान व श्रद्धावान होते हैं उन्हें बास्तविक स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं होती। सच्ची स्वतन्त्रता में समता का समावेश होता है, अतः सच्ची स्वतन्त्रता का इस प्रथे में संरक्षण करने के लिए उसकी लगत व व्याकुलता हरएक के अन्दर समान हृष से होनी चाहिए। अगर स्वतन्त्रता का परिणाम विभिन्न प्रकार से होने वाला हो तो वह स्वातन्त्र्य धर्यन्त्रय है। समाज में सर्वत्र स्थिति प्रथे-व्यवस्था (ला फि अफेर) है। जिसका प्रथे है कि हर किसी भी व्यक्ति दो तिसी भी वस्तु के उत्पादन करने की, वितरण करने की तथा उपभोग करने की स्वतन्त्रता है। इसके परिणामस्वरूप समाज में कुछ लोग धनी, कुछ सामान्य व बहुगंत्यक लोग दरिद्री बन जाते हैं। यह परिस्थिति, क्योंकि स्वतन्त्र प्रथे-व्यवस्था के फलस्वरूप वनी है इसलिए उनमें से जो अधिक-से-प्रथिक धनाद्य बने होते हैं वे उसे कायम रखने की हिंट से उस प्रकार की स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं। समता स्वरूपी स्वतन्त्रता का वे विरोध करते हैं। अन्य लोगों को सच्ची स्वतन्त्रता मिले, ऐसी उन्हें कभी इच्छा नहीं होती। क्योंकि बास्तविक स्वतन्त्रता मिलने का प्रथे है, सामाजिक विषयमताओं वा काम होना। समाज के अन्दर जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे दो विषय वर्गों का निर्माण, यही इस स्वतन्त्रता को समाज दो देने दै। बास्तव में समाज के अन्दर समता होनी चाहिए परन्तु समाज में यह विषयमता पैदा होने पर एक यार जो सम्पन्न हो जाते हैं, वे सदा वैसे ही थे रहने की क्षीक्र इच्छा रखते हैं। वे समाज की सामाजिक सत्ता व राज्य को राज-सत्ता इन दोनों की सहायता से विद्यमान विषयमता को हमेशा के लिए कायम रखने का प्रयास करते हैं। केवल इनना ही नहीं, किंवद्वाना विद्यमान विषयमता ही सामाजिक स्थिति है, इस प्रकार का वेदान्त वे कहने लगते हैं। जो दरिद्री है, वे उसी के घोग्य भी हैं, अगर उनमें घोग्यता होती तो वे कभी वैसे बनते ही नहीं तथा जो वर्तमान विषयमता है, वह भी मनुष्य निमित नहीं है, इसलिए उसका दोष समाज-व्यवस्था को नहीं है। इस प्रकार के तत्त्वज्ञान वा पृष्ठ प्रमाण दिया जाता है। जिनके पास कुछ है, जो धनिक व पूँजीपति हैं, वे इस प्रकार का कुछ वेदान्त बताकर अपने मन वा सन्तोष कर लेते हैं। वे अपनी मद-प्रसद् विवेक कुदि की हैं और

है। इसी प्रकार से धार्मनिक गुग में गमानार पा, कह देता ही भी शीघ्र प्रगति होने याता है। योड़े से विजापन, कभी-कभी जाय पार्टी या कभी-कभी वीने का दा रहने का इत्यजाम हो जाय तो उन पर भी जाम पर जाता है, और पर इसपे भी कुछ धरिह की भावदयकता पटी तो कम्पनी में दिलाय में मे पुरानार इम गाँवे हैं। उने पूरा पर दिया जाता है। उमके बाद जो प्रत्यार चिया जाता है, वह इतना अपिक होता है कि उसमें समाज में जो सब तरह में प्रम्याविग अभिराग में गौतम्यानं सरेग होते हैं, वे एक सरफ़ रह जाते हैं। इग स्वातन्त्र्य की सदूर पा समय पर प्रतिक्रिया न सामाने जाने पर और उसीरी रोप-पाप न होने पर गमस्त सामाजिक भूमि उगमे आत हो जाती है व यहूत पिट वरित्यति उत्तरन ही जाती है। ऐसे घबगर पर कई बार जो कुछ अच्छाइयो होती है, वे वह जानी हैं और नीति गता का रिनारा इग अस्तित्व बाढ़ से बढ़ जाता है। अन्तिम घेय तो दूर रहा, परन्तु जो कुछ घन्य प्रगति की हुई होती है वह भी नष्ट हो जाती है। वह माना कि गमाज में स्वातन्त्र्य होना चाहिये, परन्तु साज जिस इतन्त्रता पा हम अनुमति से रहे, वह बास्तिरिक स्वातन्त्र्य को खाने दीट रही है, ऐसा प्रवीत होता है। इग स्वातन्त्र्य मरी स्वतन्त्रता पर थीक समय पर प्रतिक्रिया लगाने में विलम्ब हूपा या चिम वैश्वानिक आवादी पा सीो हो रहा है, उसे रोडने के लिए ठोग कारंवाई नहीं की गई, तो स्वातन्त्र्य विरोधी मोर्चा परहा हो जाता है। लहर के साथ आया हूपा मेंस किर रिनारे की भूमि पर जम जाता है व उसका अस बन जाता है। इतिहाग इग बात पा ताथी है कि जहाँ पर समाज के स्वातन्त्र्य विषयक निश्चय हृता में इस हमने पा विरोग नहीं करते, जहाँ स्वतन्त्रता में सम्पूर्ण अद्वा रखने वांग व्यवित गलित-पैमं हो जाते हैं; वही पसरय सत्य बन जाता है, गलत निरोप सावित हो जाता है और जो इग सहर के निर्माता होते हैं वे या तो स्वय सत्ताधीश बन जाते हैं या सत्ताधीश लोगों को वे अपनी मुद्री मे रसते हैं। जो सत्ताधीश होते हैं उनकी फिर लोकमत की परवाह करने की इच्छा नहीं होती। जो बास्तव में गलत है, ऐसा उनका विश्वास होना है, उसे भी प्रचारी सोकमत का जोर मिलने के बारण वे सही मानने लग जाते हैं। नेतिरा दृष्टि गे जो बात हीन है, ऐसा उनका मन बोलता है, उसकी अनेतिनता भी तूफानी लोकमत के प्रवाह मे घुन गई, ऐसा वे मानते हैं। इस प्रकार की घटनाओं के उदाहरण साज की दुनिया मे प्रायः दियाई देते हैं। सोक सभा या विधान सभा मे दिये जाने वाले जबाब केवल लोकमत उनके पथ मे है इस पर्में मे दिये जाते हैं। बन्तु स्थिति का विषयसि उन्हे विषयसि नहीं दियाई देता। इस प्रकार सत्ताधीश लोग अपने किये हुए पाप या कृत्य को द्विपाने का अधिकाधिक प्रत्यक्ष उरते हैं और इस विषय मे नामरिक को विचार-स्वातन्त्र्य देने से इनकार करते हैं। सरकार के आस-पास चक्कर काटने वाले हित-सम्बन्धी चाटुकारी के समाचार-पत्र सरकार के इस कार्य का पथ लेते हैं। तात्पर्य यह है कि समाचार-पत्र अयोग्य तांडो से जनता की स्वतन्त्रता को चोट पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, अपितु सरकारी भूठ का समर्थन कर भूठ को सत्य की प्रतिष्ठा दे देते हैं। जिस राज्य मे स्वातन्त्र्य की सालसा व्यभिचारी होगी, वहाँ कभी भी सच्चे स्वातन्त्र्य का आविष्कार नहीं होगा। सच्ची स्वतन्त्रता मानसिक प्रेरणालय होती है। सोकमत से इसका सम्बन्ध होन (अपरिहायं नहीं है)।

पर्याय का विरोध करने का आम्यान मन को हुए बिना लोपो के कहने से प्रतिरोध करना, यकील की सहायता से मुख्दमा लड़ने के समान है। आजादी के लिए व्याकुलना होनी चाहिए और वह मन का धर्म बन जाना चाहिए। परगर राज्य-कर्त्तव्यों का भी वही धर्म नहीं हुआ तो उनका स्वतन्त्र विषयक इष्टिकोण बाजार भाव की तरह बढ़ना चाहता रहता है।

समाज के अन्दर ऊपर कहे हुए अनुसार हित सम्बन्धों का संघटन होता है। समाचार-पत्र जैसा प्रचार-साधन बजे में कर लोकमत को विशिष्ट विचारों की अफीम देने में ऐसे ही सफल होते हैं। परन्तु यह सब करने में उनका उद्देश्य बेबल स्वार्थ साधने का होता है वह यह सब हित-संरक्षण का कार्य वे राज्य-सत्ता के मानक करते हैं। राज्य-सत्ता लोकमत का समर्थन चाहती है, वह उसे समाचार-पत्रों के प्रचाररूपी मायाजाल से मिलता है। इसका नतीजा यह होता है कि समाज के अन्दर जो मरीच व साधन विहीन परन्तु, शीलवान व धर्दावान होते हैं उन्हें वास्तविक स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं होती। सच्ची स्वतन्त्रता में समता का ममावेदा होता है, अतः सच्ची स्वतन्त्रता का इस धर्म में संरक्षण करने के लिए उसकी लगत व व्याकुलता हरएक के अन्दर समान रूप से होनी चाहिए। परगर स्वतन्त्रता वा परिणाम विभिन्न प्रकार से होने वाला हो तो वह स्वतन्त्र धर्मशूल्य है। समाज में सबंत्र स्वतन्त्र धर्म-व्यवस्था (ला भि अकेपर) है। जिसका धर्म है कि हर किसी भी व्यक्ति वो विसी भी वस्तु के उत्पादन करने की, वितरण करने की तथा उपभोग करने की स्वतन्त्रता है। इसके परिणामस्वरूप समाज में कुंख सोग घनी, कुछ सामान्य व बहुगुण्यक सोग दरिद्री बन जाते हैं। यह परिस्थिति, क्योंकि स्वतन्त्र धर्मशूल्यव्यवस्था के फलस्वरूप घनी है इसलिए उनमें से जो अधिक-से-धर्मिक धनाद्य बने होते हैं वे उमे वायम रखने की इष्टि से उस प्रकार की स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं। समता रखनी स्वतन्त्रता का वे विरोध करते हैं। अन्य लोगों को सच्ची स्वतन्त्रता मिले, ऐसी उन्हें बही इच्छा नहीं होती। यद्योंकि वास्तविक स्वतन्त्रता मिलने का धर्म है, सामाजिक विषयमतों का कम होना। समाज के अन्दर जिनके पास कुछ ही और जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे दो विषय वालों का निर्माण, यही इस स्वतन्त्रता की समाज को देते हैं। वास्तव में समाज के अन्दर समता होनी चाहिए परन्तु समाज में यह विषयमता पैदा होने पर एक बार जो सम्भव हो जाते हैं, वे सदा वैसे ही थने रहने की तीव्र इच्छा रखते हैं। ये समाज की सामाजिक सत्ता व राज्य की राजनीता इन दोनों की सहायता से विद्यमान विषयमता को हमेगा के लिए कायम रखने का प्रयास करते हैं। वेदन इनना ही नहीं, वि-यूनान विद्यमान विषयमता ही वाभाविक हित है, इस प्रकार का वेदान्त वे कहने क्षमते हैं। जो दरिद्री है, वे उसी वे योग्य भी हैं, अगर उनमें योग्यता होनी तो वे वही वैसे बनते ही नहीं क्षमा जो वर्तमान विषयमता है, वह भी मनुष्य निर्मित नहीं है, इसलिए उसका दोष समाज-व्यवस्था को नहीं है। इस प्रकार के तरवाना का पुष्ट प्रमाण दिया जाता है। जिनके पास कुछ है, जो धनिक व पूर्जीपति है, वे १८ प्रकार का कुछ वेदान्त बताकर प्रपने मन का मनोग कर नेते हैं। वे प्रपनी मह-पसद विवेक बुद्धि को घोका देते रहते हैं और

अपनी ऐसी कोरी सहानुभूति का वे पद-दलितों के सामने इतनी सकाई के साथ प्रदर्शन करते हैं कि उनके ये नक्काशु कई बार कहाँयों को वास्तविक मालूम देते हैं। समाज के अन्दर जो उपेक्षित, वंचित और दबे हुए लोग होते हैं वे कुछ घस्ते तक इन ढोँगी लोगों वी सकरायुक्त सहानुभूति को यच मानकर चलते हैं। इस सम्बन्ध वर्ण के प्रतिनिधि व उनकी प्राव-भगत पर पले उनके भाट, पद-दलितों के लिए सब-कुछ करने के लिए तैयार हैं, ऐसा फिरोरा उनकी तरफ से पीटते रहते हैं।

प्रत्यक्ष ग्रन्थाय के खिलाफ मोर्दा लेने की या उसका प्रतिरोध करने की मापा अगर उस गरीब श्रेणी के लोगों ने शुहू को तो ये समाज को उखाड़ फेरना चाहते हैं या ये राज्य-कान्ति करना चाहते हैं, इस प्रकार विदेशे आरोप उनके कार लगा कर सरकार को उनके विरुद्ध कारबाई करने के लिए बाबित किया जाता है। कई बार सिद्धान्त को मानकर उसके विवरण आदि के सम्बन्ध में विरोध प्रकट कर इस श्रेणी के नेता लोगों को भी चक्कर में डाल दिया जाता है। प्रकट रूप में “आप और हममें कोई भेद नहीं” यही कहते रहते हैं, परन्तु अन्दरूनी तौर से उस भेद को बायम रखने की ही नहीं परन्तु बढ़ाने की भी कोशियों की जाती है। कोई भी मालिक दर्ग हड़ताल की नीचत आने तक मजदूरों की माँगों को स्वीकार नहीं करता। हड़ताल में भी अगर पूर्ट छसवाने में सफताता नहीं मिली तो अपने जी-हजूरियों के मार्फत हिसातक कारबाइयाँ करवा कर राज-सत्ता को हड़ताल दबाने के लिए मोका दिया जाता है। कई बार थोड़ा सा कुछ देकर अधिकतर माँगों को टाल दिया जाता है। अनेकों बार “माँगें योग्य है, परन्तु उन्हे प्राप्त करने का तरीका गलत है”, इस तरह के पैतरे के बल पर भूमिका बांधकर मजदूरों के निश्चय में ढीलापन पैदा करने का प्रयास किया जाता है। साधारणतया सधित मालिकशाही या संचितवृत्तिशाही (ब्लैंड इन्टरेस्ट) के विरुद्ध जोरदार व प्रभावशाली संघटन खड़ा करना एक मुश्किल कार्य होता है। प्राय मनुष्यों के अन्दर साहसी वृत्ति की कमी पायी जाती है। हड़ताल में शामिल होने के बया-बया परिणाम हो सकते हैं इस सोच-विचार से कई उसमें शामिल नहीं होते। परन्तु अपने साधियों का साथ छोड़ना भी उन्हे असरता है। अपने साधियों के साथ की दोस्ती उनके जीवन के आनन्द का प्रेरणाक्रोत होती है। कई एक लोग सम्मान के प्रतीक्षन से स्वार्थत्याग करने के लिए आगे भाते हैं, तो कई एक भविष्य में हार होने की स्थिति में अपने भ्रमान की कल्पना कर पीछे हट जाते हैं। तात्पर्य यह है कि त्याग करने के लिए कोन तैयार होता है या उससे कौन विमुख होता है, यह विशिष्ट व्यक्तित्व पर निर्भर रहता है। जिस प्रकार से व्यक्ति का मन सोचता, उन विचारानुसार ही वह व्यक्ति भविष्य में उसे बया करना चाहिए, इस सम्बन्ध में निर्णय करती है और अपने जीवन में सुख प्राप्ति की अवधा दुःख की टानने की योजना निश्चित करती है।

मन परिविष्ट्यनुरूप चलता है, इसका मतलब समाज के अन्दर जो विचारधाराएँ प्रचलित हैं, या जिन मूल्यों का मान किया जाता है उन सबका परिणाम जाने-धनजाने मन पर पड़ता है। जिस विचार वा सामाजिक परिस्थिति से जरा भी सम्बन्ध न हो, ऐसा कोई भी विचार व्यक्ति के मन में आना सम्भव नहीं है। जो विचार

स्वातंत्र्य व्यक्ति को होता है, उसकी यही मर्यादा है। इस हृष्टि में अगर देखा जाए तो समाज के अन्दर की विचारधारायें जितनी विविध व व्यापक होंगी व सामाजिक मूल्यों का माफ-दण्ड जितना अधिक-गणिक सुविचारपूर्ण तथा सद्भावनाओं को प्रेरित करने याता होगा, व्यक्ति का विचार उतना ही अधिक सार्थक होगा। सामाजिक नियमन व प्रचार से अगर, सामाजिक विचार-प्रवाह और मूल्यों का गला घट दिया गया तो विचार स्वातन्त्र्य की मात्रा न घटने पर भी उसका दर्जा घट जाता है। मनुष्य समाज का घटक होता है। संघ या संस्था का सदस्य होता है, किर भी जिन अनुभवों में से वह गुजरता है, वे उसके अपने होते हैं। राजक सार्वजनिक है इसलिए वह इस रास्ते को नहीं धेर सकता। जहाँ कहीं भी वह चले उसके अपने कदमों के अनुसार उसकी स्थान मर्यादा व गति सीमित रहेगी। जहाँ वह बदम रखता है, उसके लिए तो उतना ही रास्ता है, इसलिए समाज में कितना भी अनुभव भरा हो उसमें से जितना वह स्वयं ग्रहण करेगा व उसके लिए हिस्से में आएगा, उसी के अनुसार वह सोचेगा व उसी में से वह अपने व्यवहार को स्परेखा तथा सकेत निश्चित करेगा। उसके साथ हुए अन्याय, उसके अनुभव में आई हूँई कड़वाहट व उसके साथ की गई वैईमानी आदि वह सब उसका अनुभव याना होगा और इस कारण उसके मन पर इनका जो परिणाम हुमा होगा, उसे वह अपने व्यवहार से ही मिटा सकता है। इस देश में किसी भी प्रवार का संगठन या संघ कुछ नहीं कर सकता। साधी धोखा दें, घड़वे सापरवाही दियाने लग जाएं, पौरत लड़ाकू बन जाय तो इसके लिये समाज वया कर सकता है व राज्य भी बया कर सकता है किर भी जीवन के कुछ क्षेत्र के अनुभव अनेक व्यक्तियों के एक से ही होते हैं। एक ही चाल में रहने वाले कई किरायेदार होते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में व्यक्तिगत अनुभव भिन्न-भिन्न होते हैं। परन्तु उस चाल या भकान के अन्दर की गन्दगी, नल के पानी की कमी, संडामों की कमी, आदि के बारे में उन सबका अनुभव एक समान ही होगा। इसलिए इन अमुदियाओं और दुःख को दूर करने के लिये जो कुछ भी करना होता है, उसके लिए जो कारंवाइ करनी होती है उसका व्यावहारिक व क्रिया का स्वरूप सामाजिक होता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिसमें सबका हित-सम्बन्ध एक है या जो सबको अवरता है, उसके बारे में कुछ भी करना चाहिये। अथवा कुछ होना चाहिए ऐसा तब अनुभव करते हैं। एक हृष्टि से उसमें सबका हितेय होता है। जब हितेय न हो व एक की प्रावश्यकता भी दूसरे जैसी तीव्र न हो, तब सब को मिलकर कुछ करने को इच्छा नहीं होती। यही सामाजिक प्रतिक्रिया सम्भव नहीं होती। यही सामाजिक फ़िल्म अस्भव नहीं होती। व्यक्ति, व्यक्ति की प्रावश्यकताएं य हित सम्बन्ध विभिन्न होने पर उनका अनुभव भी भिन्न होता है। इसलिये एक-दूसरे के विषय में सीधने की या एक-दूसरे के दुष्कर्ता के समझने की इच्छां उनमें से दियी की नहीं होती। एक डिवे में कई यात्री बेठे हों व डिवे में शुब भीड़ हो तब सब मिलकर नये यात्री को अन्दर आने से रोकते हैं। परन्तु वे ही यात्री अगर भलग-भलग डिवे में हों तो एक डिवे के यात्री दूसरे डिवे में जाएँ हैं, अस्भव

नहीं, इसकी पूछताछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ न हितेश्वर है, न अनुभव की समानता है।

एक गली में अलग-अलग मकानों में लोग रहते हैं और अलग-अलग दफतरों में वे काम करते हैं। वे लोग एक साथ मिलकर कभी नौकरी या काम-काज के विषय में नहीं सोचेंगे। न ही वे वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सामुदायिक कार्यक्रम बनायेंगे। परन्तु गली की सड़के सराब हो, गन्दी हों तो उनकी मरम्मत या साफ-सफाई या नगरपालिका ने टैक्स बढ़ाये होंगे तो उसे कम कराना आदि में उनका हितेश्वर होने के कारण वे एक होकर कुछ सामूहिक कदम उठायेंगे। विभिन्न इलाकों में रहने वाले श्रमिक हितेश्वर के कारण एक होकर सामूहिक रूप से समान दुख के कारण व समान कार्य के कारण कुछ-न-कुछ करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। जहाँ हितेश्वर है वहाँ सामुदायिक क्रिया व सामाजिक धर्ती (Social action) स्वाभाविक है। एक मिल-मजदूरों की वेतन-वृद्धि की माँग दूसरे मिल-मजदूरों को जब पता लगती है तब उन्हें उनके विषय में सहानुभूति महत्व स होती है। हड्डताल होने पर वे उनकी सहानुभूति में स्वयं भी हड्डताल करते हैं। क्योंकि वहाँ हितेश्वर है, समान अनुभव है, इसलिये सामुदायिक सहानुभूति भी है। इसी तरह अगर एक मिल-मालिक वेतन-वृद्धि की माँग को ठुकराता है तो उसके इस कार्य के प्रति अन्य मिल-मालिक सहानुभूति दिखाते हैं। क्योंकि वहाँ भी हितेश्वर है। हड्डताल की खबर अलदार में आते ही उसको जो प्रतिक्रिया धनिक थेणी के लोगों पर होती, वह गरीब थेणी के लोगों से भिन्न होती। कहीं भी हड्डताल हुई या वेतन-वृद्धि की माँग की गई तो धनिक मालिक लोगों को वह हड्डताल तथा माँग समाज-विरोधी प्रतीत होती है। बड़े पैमाने पर हड्डताल होने पर धनेक कारणों पर विचार किये बिना ही, वह हड्डताल राष्ट्र-विद्रोही है ऐसा अभिप्राय ये लोग बताते हैं। जहाँ पर कुछ खुने रुर में या परिमित मात्रा में हितेश्वर हैं, वहाँ पर सम्बन्धित व्यापारियों के बर्ग में एक तरह वा भ्रातृभाव दिखाई देता है। इसलिये उनके हित में जो भी प्रयत्न किये जाते हैं उन प्रयत्नों के विषय में वे सहानुभूति दर्शाते हैं क्योंकि उन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो परिणाम निकलेंगे वे सबके लिए समान होंगे। एकता व मरम्मत की भावना वहाँ निर्माण होती है। जितनी अधिक मात्रा में हित-सम्बन्धों में समानता होती उतने ही अधिक परिमाण में सामूहिक प्रयत्नों को भवसर मिलेगा। स्वतंत्र वायुमण्डल में समान-हित सम्बन्धों का अधिकाधिक निकट आना क्रम-प्राप्त ही है। विचार-विनिमय होता रहता है और उसी में से सामुदायिक भावना वा सहज निर्माण होता है। परस्पर हितावलम्बी होने के कारण भ्रातृभाव निर्माण होता है व उसी में से रामाज के धन्दर समानता होनी चाहिये। सबके लिए समानता जहरी है इस प्रकार का भाव भी उभी निर्मित होता है। स्वभावतः फिर किसी ओं अधिक या किसी को विशेषाधिकार होने चाहिए इसके विरुद्ध मन की भावना बनती जाती है। जिन्होंने समाज में विशेष अधिकार या खास सहृदयित्व मिली होती हैं, उन्हें द्योइने वीं मर्जी नहीं होती, किवहुना वे जिन विशेषाधिकारों का या सहृदयित्वों वा उपमोग कर रहे हैं, वह समाज की हृषि से तथा सामाजिक उन्नति के लिए इन्हे है इस प्रवार वा दावा पेश किया जाता है। उनके उस दावे के विरुद्ध नोक्ति तीव्र न

होने पाए इसलिए वस्तु-स्थिति लोगों के सामने न आने पाए इस प्रकार की विशिष्ट में वे लगे रहते हैं। सत्य या असत्यता का जनता के सम्मुख भाना व उस पर खुले भास बहस होना याने राष्ट्र के विनाश को न्योता ही देना है ऐसा उनका विचार होता है। उनके पास जो धन है वह समाज के कल्पाणा के लिए है ऐसा प्रामाणिक स्थाल होता है। इसलिए वे उसकी रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यह स्थिति केवल भाविक मामलों में दिखाई देनी हो ऐसी बात नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी यही दिखाई देता है। वेद-विद्या केवल वरिष्ठ धर्मों के स्रोग ही महण करें, वह ग्रन्थिकार केवल उन्हीं का है, यह विचारधारा समाज के अन्दर विषयता को बढ़ावा देने वाली है। "न स्त्री स्वातंत्र्यमहंति" यह बात भी समाज के कल्पाणा के लिए ही प्रतिपादित की जाती थी, एक समय ऐसा भी या जब स्त्रियों को माजादों देने पर धर्म नप्रभाव होगा यह ढर वास्तविक हृष में कइसी में सुपापा हुआ रहता था। इसमें भी किसी व्यक्ति या वर्ग को, जो कुछ विशेष हरा से प्रविहार प्राप्त है उसके संरक्षण करने की भावना ही दिखाई देती है। विषयता के परिणामस्वरूप जिनको जो भी कुछ अधिक प्राप्त है, धन या प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा करने की वृत्ति या उसे जिद भी कह सकते हैं, हर एक में होती है। इस विशेषाधिकार के विरुद्ध या इस विषयता के लिलाक घावाज उठाने की प्रेरणा समाज के अन्दर सच्चा स्वातंत्र्य होगा, तभी ही सकेगी। जिस स्वातंत्र्य में से समता के भाव वा विकास होता है उसके मुकाबले में सामाजिक परम्पराएं तथा सामाजिक शक्तियाँ डट कर लड़ी हो जाती है। नया सत्य जो समाज के अन्दर सब व्यक्तियों वो समान न्याय देने की इच्छा रखता है उसका सामाजिक शक्तियाँ विरोध करती हैं। इस विरोध के कई रूप हो सकते हैं। सौंकेटिस को जहर पिलाया जायेगा, कोररनीस को देश-निर्वासन किया जाएगा; एकनाय को व्याकृत का कोर सहना पड़ेगा, जातेश्वरादि वंशुओं को धार्मिक संस्कारों से बदित रखा जाएगा। परन्तु विषयता अधिक काल तक समाज में नहीं रह सकती। नांगरिक स्वातंत्र्य का प्रयोग जितना अधिक वेष्टके किया जाएगा उतनी मात्रा में समाज के अन्दर भी विषयता कम होगी स्वतंत्रता का परिणाम समता की स्थापना में होता है ऐसा संसार वा इतिहास है।

समान्यतः: राष्ट्र की सत्याग्रहीय कैसा भी स्वरूप क्यों न हो या समाज-विषयक तियन्वण कैसा भी हो, जहाँ लोगों में अधिक-से-अधिक यात्रा में हितेन्य है वही स्वातंत्र्य अधिक परिमाण में होगा वयोंकि स्वतंत्रता के फलस्वरूप वही समानता तथा समता वी सीमायें वही ही होगी। हितेन्य होने से वही समानता की भावनायें होती है और उन समानताएं वा स्वतंत्र वातावरण में पोषण होता है। इसलिए इसकी व उसके साथ स्वतंत्रता भी से भाल होती है। इसके विपरीत जहाँ पर वहे परिमाण में हितेन्य नहीं होता और उसके भ्रमाव में विषयता अधिक होती है वही स्वातंत्र्य में भ्रवरोध होता है, वयोंकि जिसके पास जो कुछ है वह उससे द्विन जायेगा इस ढर से वे स्वतंत्रता पर मर्यादाएं लगाते रहते हैं। वेदान्त कहता है कि समर्पित गव दुखों की जड़ है व सम्पत्ति के कारण इनिहास में वया अवराय हुए और जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, उन्हें विशाद कर यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है।

नहीं, इसकी पूछनाथ भी नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ न हितेक्षय है, न अनुभव की समानता है।

एक गली में अलग-अलग मकानों में लोग रहते हैं और अलग-अलग दफ्तरों में वे बात करते हैं। वे लोग एक साथ मिलकर कभी नोकरी या काम-काज के विषय में नहीं सोचते। न ही वे वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सामुदायिक कार्यक्रम बनायेंगे। परन्तु गली की सड़कें सराव हों, गन्दी हों तो उनकी भरभूत या साफ-सफाई या नगरपालिका ने टैक्स बढ़ाये होंगे तो उसे कम कराना आदि में उनका हितेक्षय होने के बारण वे एक होकर कुछ सामूहिक कदम उठायेंगे। विभिन्न इलाकों में रहने वाले श्रमिक हितेक्षय के कारण एक होकर सामूहिक रूप से समान दुख के बारण व समान वार्य के बारण कुछ-न-कुछ करने के लिये प्रबृत्त होते हैं। जहाँ हितेक्षय है वहाँ सामुदायिक क्रिया व सामाजिक वर्तवि (Social action) स्वाभाविक है। एक मिल-मजदूरी की वेतन-वृद्धि की माँग दूसरे मिल-मजदूरों को जब पता लगती है तब उन्हें उनके विषय में सहानुभूति महसूस होती है। हड्डताल होने पर वे उनकी सहानुभूति में स्वयं भी हड्डताल करते हैं। क्योंकि वहाँ हितेक्षय है, समान अनुभव है, इसलिये सामुदायिक सहानुभूति भी है। इसी तरह अगर एक मिल-मालिक वेतन-वृद्धि की माँग को दुश्चाता है तो उसके इस कार्य के प्रति अन्य मिल-मालिक सहानुभूति दिखाते हैं। क्योंकि वहाँ भी हितेक्षय है। हड्डताल की सबर अवधार में आने ही उसकी जो प्रतिक्रिया धनिक श्रेणी के लोगों पर होती, वह गरीब श्रेणी के लोगों से भिन्न होती। वही भी हड्डताल हूई या वेतन-वृद्धि की माँग की गई तो धनिक मालिक लोगों को वह हड्डताल तथा माँग समाज-विरोधी प्रतीत होती है। वडे पैमाने पर हड्डताल होने पर घनेक बारणों पर विचार किये बिना ही, वह हड्डताल राष्ट्र-विद्रोही है ऐसा अभिप्राय ये लोग बताते हैं। जहाँ पर कुछ युवते दूर से या परिमित मात्रा में हितेक्षय हैं, वहाँ पर सम्बन्धित व्यायामियों के बगे में एक तरह या भावूभाव दिखाई देता है। इसलिये उन्हें हित में जो भी प्रयत्न किये जाते हैं उन प्रयत्नों के विषय में वे सहानुभूति दर्शाते हैं क्योंकि उन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो परिणाम निकलने में वे सबके लिए समान होंगे। एकता व ममता की भावना वहाँ निर्माण होती है। जिनकी अधिक मात्रा में हित-सम्बन्धों में समानता होती उतने ही अधिक परिमाण में सामूहिक प्रयत्नों की अवधार मिलता। स्वतंत्र बायुमण्डन में समान-हित सम्बन्धों का अधिकाधिक निष्ठ भावना क्षम-श्राप्त ही है। दिवार-विनियम होता रहता है और उसी में से सामुदायिक भावना या गट्ज निर्माण होता है। परस्त इन भावनाओं के बारण भावूभाव निर्माण होता है व उसी में मग्नात्र के अन्दर समानता होती चाहिये। सबके लिए समानता जट्ठी है इन प्रकार का मात्र भी उभयं निर्माण होता है। स्वभावत् किर दिसी भी अधिक या दिसी को दिसायाधिकार होने चाहिए इनके विष्ट मन की भावना उनकी जट्ठी है। दिनहो समाज में दिवेत् परिवार या शाम यृत्यित्वे निर्वो होती है, उन्हें देखने की जर्जी नहीं होती, दिवार वे जिन दिसायाधिकारों का या गूप्तिष्ठों या उद्दमों कर रहे हैं, वह समाज की हृष्टि ने तथा गामात्रिक उनकि के लिए इष्ट है, इस प्रकार या दाता पेत दिया जाता है। उनके उग दाने के विष्ट गोरमत तीव्र न

होने पाए इसलिए यस्तु-हिति लोगों के सामने न आने पाए इस प्रकार की प्रोप्रिएशन में बै लगे रहते हैं। सत्य या ग्रासियत का जनता के सम्भूत प्राचा य उस पर धुने भास बहस होना याने राष्ट्र के विनाश को न्यौता ही देना है ऐसा उनका विचार होता है। उनके पास जो धन है वह समाज के कल्याण के लिए है ऐसा प्रामाणिक खण्डल होता है। इसलिए वे उसी रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यह स्थिति केवल धार्दिक मामलों में दिखाई देती ही ऐसी बात नहीं, सामाजिक दोष में भी यही दिलाई देता है। वेद-विद्या केवल वरिष्ठ श्रेणी के लोग ही पढ़ते करें, वह धर्मिकार केवल उन्हीं का है, वह विचारणारा समाज के धन्देश्वर विषयता को बढ़ावा देने वाली है। "न स्त्री स्वातंत्र्यमहंति" यह बात भी समाज के कल्याण के लिए ही प्रतिपादित की जाती थी, एक समय ऐसा भी प्राच विश्वयों को धारादी देने पर धर्म नष्टप्राप्त होगा यह डर वास्तविक रूप में कइयों में सुमाया हुआ रहता था। इसमें भी किसी व्यक्ति या वर्ग को, जो कुछ विशेष रूप से धर्मिक प्राप्त है उसके संरक्षण करने की भावना ही दिलाई देती है। विषयता के परिणामस्वरूप जिनको जो भी कुछ धर्मिक प्राप्त है, उन या प्रतिष्ठान, उसकी रक्षा करने की वृत्ति या उसे जिद्द भी कह सकते हैं, हर एक में होती है। इस विदेशीधिकार के विषद् या इस विषयता के लिलाक आवाज उठाने की प्रेरणा समाज के धन्देश्वर सच्चारा स्वतंत्र्य होगा, तभी हो सकेगी। जिस स्वतंत्र्य में मे समता के भाव का विकास होता है उसके मुकाबले में सामाजिक परम्पराएँ तथा सामाजिक दशितयों डट कर राढ़ी ही जाती हैं। नदा सत्य जो समाज के धन्देश्वर सब व्यक्तियों को समान न्याय देने की इच्छा रखता है उसका सामाजिक दशितयों विरोध करती है। इस विरोध के कई रूप हो सकते हैं। सॉक्रेटिस को जहर घिलाया जायेगा, कोरन्सीस को देश-निर्वासन किया जाएगा; एकान रो द्वारा द्वृष्टि का कोर महना पड़ेगा, जानेश्वरादि वन्दुओं को धारित संस्कारों से बदित रखा जाएगा। परन्तु विषयता धर्मिक काल तक समाज में नहीं रह सकती। नागरिक स्वतंत्र्य का प्रयोग जितना धर्मिक वेलटके किया जाएगा उतनी मात्रा में समाज के धन्देश्वर वी विषयता कम होगी स्वतंत्रता का परिणाम समता की स्थापना में होता है ऐसा संसार का इतिहास है।

सामान्यत: राष्ट्र की स्थापना का कैसा भी स्वरूप क्यों न हो या समाज-विषयक नियन्त्रण कंसा भी हो, जहाँ लोगों में धर्मिक-सें-धर्मिक मात्रा में हितंवय है वहाँ स्वतंत्र्य धर्मिक परिमाण में होगा वयोंकि स्वतंत्रता के फलहरू वहाँ समानता तथा समता वी सीमावें बढ़ी हुई होंगी। हितंवय होने से वहाँ समानता की भावनाएं होती हैं और उन समानता की भावनाओं का स्वतंत्र बातावरण में पोषण होता है। इसलिए इसकी व उसके साथ स्वतंत्रता की भी संभाल होती है। इसके विषयीत जहाँ पर बड़े परिमाण में हितंवय नहीं होता और उसके भभाव में विषयता धर्मिक होती है वहाँ स्वतंत्र्य में अवरोध होता है, वयोंकि जिसके पास जो कुछ है वह उससे छिन जायेगा इस डर से के स्वतंत्रता पर मर्दान्त लगते रहते हैं। वेदान्त कहता है कि सम्पत्ति सब दुखों की जड़ है व सम्पत्ति के कारण इतिहास में वया परमाणु हुए भीर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, उन्हें विशाद कर यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है।

नहीं, इसकी पूछताछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ न हितेक्षय है, न अनुभव की समानता है।

एक गली में अलग-अलग मकानों में लोग रहते हैं और अलग-अलग दफतरों में वे काम करते हैं। वे लोग एक साथ मिलकर कभी नौकरी या काम-काज के विषय में नहीं सोचेंगे। न ही वे वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सामूदायिक कार्यक्रम बनायेंगे। परन्तु गली की सड़कें खराब हों, गन्दी हों तो उनकी भरमत या साफ-सफाई या नगरपालिका ने टैक्स बढ़ाये होंगे तो उसे कम कराना आदि भे उनका हितेक्षय होने के कारण वे एक होकर कुछ सामूहिक कदम उठायेंगे। विभिन्न इलाकों में रहने वाले श्रमिक हितेक्षय के कारण एक होकर सामूहिक रूप से समान दुःख के कारण व समान वार्ष के कारण कुछ-न-कुछ करने के लिये प्रबृत्त होते हैं। जहाँ हितेक्षय है वहाँ सामूदायिक क्रिया व सामाजिक वर्तवि (Social action) स्वाभाविक है। एक मिल-मजदूरी की वेतन-वृद्धि की माँग दूसरे मिल-मजदूरों को जब पता लगती है तब उन्हें उनके विषय में सहानुभूति महसूस होती है। हड्डताल होने पर वे उनकी सहानुभूति में स्वयं भी हड्डताल करते हैं। क्योंकि वहाँ हितेक्षय है, समान अनुभव है, इसलिये सामूदायिक सहानुभूति भी है। इसी तरह आगे एक मिल-मालिक वेतन-वृद्धि की माँग को ठुकराता है तो उसके इस कार्य के प्रति अन्य मिल-मालिक सहानुभूति दिखाते हैं। क्योंकि वहाँ भी हितेक्षय है। हड्डताल की खबर अखबार में आते ही उसकी जो प्रतिक्रिया धनिक थेणी के लोगों पर होगी, वह गरीब थेणी के लोगों से भिन्न होगी। क्योंकि हड्डताल हुई या वेतन वृद्धि की माँग की गई तो धनिक मालिक लोगों को वह हड्डताल तथा माँग समाज-विरोधी प्रतीत होनी है। वडे पैमाने पर हड्डताल होने पर धनेक बारहों पर विचार किये बिना ही, वह हड्डताल राष्ट्र-विद्रोही है ऐसा अभिप्राय ये लोग बताते हैं। जहाँ पर कुछ छुने रहा मे या परिमित मात्रा मे हितेक्षय हैं, वहाँ पर सम्बन्धित व्यापारियों के बर्ग मे एक तरह का भ्रातृभाव दिखाई देता है। इसलिये उनके हित मे जो भी प्रयत्न किये जाते हैं उन प्रयत्नों के विषय में वे सहानुभूति दर्शाते हैं क्योंकि उन प्रयत्नों के फलस्वरूप जो परिणाम निकलते हैं वे सबके लिए समान होंगे। एकता व ममत्व की भावना वहाँ निर्माण होती है। जिननी अधिक मात्रा मे हित-सम्बन्धों मे समानता होगी उतने ही अधिक परिमाण मे सामूहिक प्रयत्नों को अवसर मिलेगा। स्वतंत्र वायुमण्डल मे समान-हित सम्बन्धों का अधिकाधिक निर्वाचनाक्रम-प्राप्त ही है। विचार-विनिमय होना रहता है और उसी मे से सामूदायिक भावना वा सहज निर्माण होता है। परम्पर हितावनम्बी होने के कारण भ्रातृभाव निर्माण होता है व उसी मे समाज के अन्दर समानता होनी चाहिये। सबके लिए यमानता जरूरी है इस प्रकार का भाव भी तभी निर्मित होता है। स्वभावतः किर किसी भी अधिक या इसी को विशेषाधिकार होने चाहिए इसके विरुद्ध मन की भावना बनती जाती है। जिनसे समाज मे विशेष अधिकार या गाम सूचनियों पिली होती हैं, उन्हें द्योहने की मजब्ती नहीं होती, इवहना वे जिन विशेषाधिकारों का या सूचनियों का उपयोग कर रहे हैं, वह ममाज की हृषि मे तथा गामात्रिक उन्नति के लिए इन्हे है इस प्रकार वा दावा देता रिया जाता है। उनके उम दावे के विरुद्ध सोहमत ही न

होने पाए इसलिए पस्तु-स्थिति लोगों के सामने न आने पाए इस प्रकार की कौशित में वे लगे रहते हैं। सत्य या असत्यता का जनता के सम्प्रदाय माना व उस पर सुने माम वहस होना याने राष्ट्र के विनाश को न्योता ही देना है ऐसा उनका विचार होता है। उनके पास जो धन है वह समाज के कल्याण के लिए है ऐसा प्रामाणिक व्याल होता है। इसलिए वे उसको रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। यह स्थिति केवल भाविक मामलों में दिखाई देती हो ऐसी बात नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी यही दिखाई देता है। वैद्यविद्या केवल वरिठ थेणी के लोग ही प्रहण करें, वह अधिकार केवल उन्होंना का है, यह विचारधारा समाज के अन्दर विषयता को बढ़ावा देने वाली है। “न स्त्री स्वातंत्र्यमहृति” यह बात भी समाज के कल्याण के लिए ही प्रतिपादित की जाती थी, एक समय ऐसा भी या जब स्त्रियों को प्राजादी देने पर घर्म नष्टप्राप्त होगा यह डर वास्तविक हर में कइयों में सूपाया हुआ रहता था। इसमें भी किसी व्यक्ति या दर्ग को, जो कुछ विदेश हर से अधिकार प्राप्त है उसके संरक्षण करने की भावना ही दिखाई देती है। विषयता के परिणामस्वरूप जिनकी जो भी कुछ अधिक प्राप्त है, उन या प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा करने की वृत्ति या उसे जिद् भी कह सकते हैं, हर एक में होती है। इस विदेशाधिकार के विवर या इस विषयता के विलाप आवाज उठाने की प्रेरणा समाज के अन्दर सच्चा स्वातंत्र्य होगा, तभी ही सकेगी। जिस स्वातंत्र्य में से समता के भाव वा विकास होता है उसके मुकाबले में साथादिक परस्पराएं तथा सामाजिक शक्तियों छट कर खड़ी हो जाती है। नदा सत्य जो समाज के अन्दर सब व्यक्तियों वो समान न्याय देने की इच्छा रखता है उसका सामाजिक शक्तियों विरोध करती है। इस विरोध के बई हर हो सकते हैं। सॉक्रेटिस को जहर पिलाया जायेगा, कोरकोस को देश-निर्वासन किया जाएगा, एकनाय को याहूइन्द का कोड महना पढ़ेगा, जानेश्वरादि वन्युर्गों की पार्मिक संस्कारों से बचित रखा जाएगा। परन्तु विषयता अधिक काल तक समाज में नहीं रह सकती। नांगारिक स्वातंत्र्य का प्रयोग जितना अधिक बेकटके किया जाएगा उतनी भावना में समाज के अन्दर वो विषयता कम होगी स्वतंत्रता का परिणाम विषयता की स्थापना में होता है ऐसा संसार का शितहास है।

सामान्यता: राष्ट्र वी स्थापना का कैसा भी स्वरूप क्यों न हो या समाज-विषयता नियन्त्रण के सा भी हो, जहाँ लोगों में अधिक-से-अधिक भावा में हितव्य है वही स्वातंत्र्य अधिक परिमाण में होगा व्योकि स्वतंत्रता के फलस्वरूप वही समानता तथा समता की सीमाएं वही ही होंगी। हितव्य होने से वही समानता की भावनाएं होती है और उन समानता की भावनाओं वा स्वतंत्र भावावरण में पोषण होता है। इसलिए इसकी वे उसके साथ स्वतंत्रता की भी संभाल होती है। इसके विपरीत जहाँ पर वहे परिमाण में हितव्य नहीं होता और उसके भाव में विषयता अधिक होती है वही स्वातंत्र्य में अवरोध होता है, व्योकि जिसके पास जो कुछ है वह उससे छिन जायेगा इस डर से वे स्वतंत्रता पर मर्यादाएं लगाते रहते हैं। वैदान्त कहता है कि समाज सब दुर्लभों की जड़ है व समाजित के कारण इतिहास में वश धराप हुए और जितनी लड़ाइयों लड़ी गई, उन्हें विभाद कर यही बदाने की प्रावश्यकता नहीं है।

जिस समाज में मुद्दों-भर लोगों के हाथ में अधिकतर सम्पत्ति होती है व यदुमंद्यक सोग दरिद्रों होते हैं, वहाँ शोपक व शोषित, इन दो गर्मों में समाज का बैठ जाना अनिवार्य है। जहाँ पर ऐसी परिस्थिति होगी वहाँ शोपक वर्ग शोषित वर्ग की स्वतन्त्रता के विषय में बेकिकर होता है क्योंकि वह सत्ताधारी-वर्ग होता है। स्वतन्त्रता के विषय में उनका दक्षता दिखाना याने अपने हाथों से अपने स्वार्थ पर आग रखने के समान ही है। पुनः भाज की दुनिया में सम्पत्ति का त्याग कर बनवास जाने वाले बूढ़े बिलकुल भी दिखाई नहीं देते। वह जमाना अब बदल गया है, इसके विपरीत जहाँ-तहाँ सम्पत्ति के द्वास व उसके लिए जान देने वाले और जान लेने वाले ही दिखाई देते हैं। समाज में समता होनी चाहिए, स्वातन्त्र्य होना चाहिए और भ्रातृ-भाव होना चाहिए आदि विचार-विषय समाज में प्रभावयुक्त नहीं होते। इसका अर्थ मह नहीं कि इनका दिखावा भी यहाँ नहीं किया जाता। मतदान का अधिकार सब को प्रदान कर सब को राज्य-कीय समता है यह बड़े जोरदार तरीके से दिखाया जाता है। परन्तु जब सम्पत्ति के समाज बैठवारे की माँग की जाती है तब एकदम उसके समाज को उसाइ फेंकने वाली माँग बताने का ढोग किया जाता है। जिस बात में धन का कोई सम्बन्ध नहीं होता उस बात में दो गई स्वतन्त्रता का उल्लेख राज्य-सत्ता बड़ी शान से करती है। परन्तु आधिक विषयमता समाज अधिक लम्बे मर्म तक सहन नहीं कर सकता। समाज में अनेक अम करते हैं व घोड़े-से आराम करते हैं, कुछ खाते हैं व कुछ-एक चैन से बैठ कर खाते हैं। यह स्थिति, यह हृश्य जो अम करने वाले हैं, खपने वाले हैं, वे अधिक समय तक चुपचाप बरदाशत नहीं कर सकते। समाज की रचना एक पिरामिड की तरह होती है। निम्न स्तर के लोगों की ऊपर स्तर के लोगों के साथ मिलने की स्वाभाविक इच्छा होती है। अन्य समाज के परिमाण में जितना धनिकवर्ग छोटा होगा, उतने ही परिमाण में वहाँ आधिक विषयमता अधिक होगी। विरोधी भावना की शुरूआत या अन्याय का प्रतिकार करने की क्रिया सदा ही इस निम्न श्रेणी में शुरू होती है। जिस वर्ग के हाथ में सम्पत्ति होती है, उसी के हाथ में सत्ता होती है यह इतिहास का अनुभव है। जिसके पास पैसा है उसके लिए इस साथ में कोई भी वस्तु असम्भव नहीं। जिसके पास पैसा न हो उसको इस विषय समाज में मजबूर की तरह खपने के सिवाय अन्य कोई भूमिका नहीं। सम्पत्ति भजानी की व मूर्ख को चाहे जो सामाजिक पदवी प्रदान कर सकती है। सम्पत्ति की सहायता से बिछुता को गुलाम बनाया जा सकता है। जो गुण न ही वे सम्पत्ति के सहारे विकाये जा सकते हैं, यह परिस्थिति इस विषय समाज में दिखाई देती है। उसी स्थिति को कायम रखने के लिए जिनके धन होता है वे खटपट करते रहते हैं। इसके लिए वे राज्ययन्त्र का भी उपयोग करते हैं। सम्पत्ति व गुण इनका विषय समाज में परस्पर सम्बन्ध होना भी जहरी नहीं। इसलिए अपमानित विद्वत्ता, धूणित दारिद्र्य तथा निफल जीवन ये सब इरड़े होकर सामाजिक विषयमताओं को हटाने के प्रदनों की शुरूआत कर देते हैं। उनकी बास्तव में अन्य जनों से अधिक पाने की या उनके पास मधिक होने ऐसी इच्छा नहीं होती। उनकी माँग केवल दूसरों के बराबर मिलने व उनसे कम न पाने की होती है। जो माँगने वाले होते हैं उन पर यह ईर्ष्य-प्रस्त भारोप समाया जाता है। जिनके पास माँग की जाती है, उन पर सत्तामद व

पदान्वता का ही इलजाम मढ़ा जाता है। इस समानता वो माँग को दुश्शरणा जाता है, योकि माँग स्वोकार करने से ही तत्काल समता मर्यादित हो जाती है, व प्रधिकार के बल पर प्राप्त होने वाले सुखों से व्यंचित होना पड़ता है। समता स्वोकार करना याने सत्ता को राया देना व सत्ता को छोड़ना या कम करना, इससा अर्थ है उनकी जो आवश्यकताएँ पहले थीं वे अब उस स्थ में प्रभावशाली नहीं रह सकती। उत्पादन का उद्देश्य ही बदल जाता है। उत्पादन फिर केवल फायदे के लिए या कुछ इन्हें-गिने लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं होता परन्तु उसका हेतु अब सारे समाज की आवश्यकताओं की पूरा करना यही होता है। सत्ता के विषय होते ही समाज के मन्दर को नसी शक्तियाँ प्रभावशाली होनी चाहिएं तथा उनका नियन्त्रण करने का प्रधिकार भी उस सत्ता के साथ खट्ट हो जाता है या कम ही जाता है। जीवन विषयक जिसकी जो वल्पनाएँ होती हैं या जिन भूलों को वे थेष्ट मानते हैं वे सब चबनाचूर हो जाते हैं। फिर सोके पर आराम से बैठकर प्रेम-कथा पढ़ने के बदले हाथ में भाई सेकर काम करना पड़ता है। गर्मी में भायेरान प्रीर सर्दी में भग्न रमणीय स्थल, कल की कोई फिकर नहीं, हाथ से भी काम करने की कोई जहरत नहीं, इस इतिहास से दो कमरों के पन्ने में रहना व समाज के भग्न नागरिकों की भाँति काम करना भाग्य में घाता है। जहाँ तक हो सके ऐसा न हो इसलिए उसको टालने की भरसक कोशिश भी जाती है। आज भी भारत में यह घनुभव था रहा है। दुनिया के दृष्ट वडे भाग से पूँजी-पति प्रणीत लोकशालों का घन्त हो गया है। बुद्ध राष्ट्रों में वह अभी चल रही है तथा भारत में भी आज लोकशालों और लोकशालों के बनावटी चैहरे तो कम-से-कम जहर हैं, परन्तु पूँजीपति का बड़प्पन तथा विलासिता ही का मरोन्माद अभी भी भारतीय समाज में प्रीर राजकीय दोष में कायम है।

जिस समाज में विचार-स्वातन्त्र्य तथा भाषण स्वातन्त्र्य होता है, उस समाज का ध्येय समाज के भन्दर घुसों हूई विषयता को हटाने का होता है और जहाँ पर ऊपर कहे घनुसार मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब सम्पत्ति तथा सम्पत्ति-निर्माण के साधनों का केन्द्रीयकरण होता है वे समता की माँग का हर तरह से सर्वथा विरोध करते हैं। क्योंकि वह माँग उनके मूलभूत स्वार्थ पर कुल्हाड़ी होती है। इसलिए वे न केवल समता की माँग को अस्वीकार बतते हैं अपिनु समता माँगे के अधिकार को भी अस्वीकार करते हैं। स्वातन्त्र्य हो व समता न हो इस दरिस्तिमें स्वातन्त्र्य व समता इनमें संघर्ष निर्माण होता है। स्वतंत्रता के नाम पर उसको मर्यादित करने के विरोध में आवाज उठाई जाती है।

समाज में समता उत्तरण करने वाली व्यवस्था होती, तो वह अनिवार्य उत्पादन, विभाजन तथा उपभोग करने के अधिकार या स्वतंत्रता को अस्वीकार करती है। इसके विपरीत समाज में अपर समता न हो तो वह स्वातन्त्र्य अर्थमूल्य है, इसकी कल्पना व घनुभव होने के कारण समता के लिए लड़ने वाले चुन नहीं बैठते, फिर समाज में जिनके पास हैं वे जिनके पास नहीं, धनी व निर्पत्ति, खननेवाले व उनके श्रम पर चेन से सारेवाले इन सब वगों में आपस में संघर्ष हुए हो जाता है। इसमें कुछ इन्हें-गिने अनिवार्य हो सकते हैं जो स्वत्तुशी से सम्पत्ति को स्थाग देवे परम् श्रीवामर्त्त

सत्ताधीश वर्ग ने स्वयुक्ती से अपनी सम्पत्ति या गता वा स्थाप लिया हो। ऐसे उदाहरण इतिहास में कभी नहीं हुए। अपने विशेष अधिकार कोई घोड़ना नहीं चाहता है। जिस प्रकार चीटा भगर गुड़ की भेली को चिपक गया कि वह उसे घोड़ना नहीं, उगरा भिर चाहे टूट जाय मगर वह भेली को नहीं घोड़ता। यैसी ही स्थिति समाज में दिखाई देती है। अधिकार गत सम्पत्ति हो या सामाजिक सम्पत्ति हो दीर्घाल तक पीड़ी-दर-पीड़ी उसका उपभोग करने के बाद भी उसे घोड़ने के लिए कोई तंत्यार नहीं होता। प्राप्ते आपको उस सम्पत्ति का विश्वस्त दियाने वा मारिभाँड़ लिया जाता है। स्वयं को बैबल सेवक मात्र बहकर निरे स्वार्थ को प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। पीड़ी-दर-पीड़ी वर्गमेष्ठत्व होने के नाते शील घेष्ठन्व भी भनायास प्राप्त है ऐसा दाया पेश किया जाता है। “आहाण चाहे जितना भी भ्रष्ट बयो न हो किर भी वह घेष्ठ ही ही” ऐसा कहने में मन को सक्रीय नहीं होता। अपितु स्वयं जो बरते हैं या बहते हैं वह न्यायसंगत है, समाजहित में है ऐसा ही प्रतिरादन लिया जाता है। न्याय की बलना व समाज-हित की बलना माने उस सम्बन्धित वर्ग की बलना बन जाती है। अपने अधिकार व सम्पत्ति को कायम रखने के लिए साधनों की तुचिना बरतने की उनको आवश्यकता नहीं अनुभव होती। स्वार्थ सारथलार्थ जहाँ भले-बुरे वा विवार किये बिना दुराप्रह लिया जाता है व विवेक को निरन्तरा की मंझा दी जाती है वहाँ यह सघर्ष के बल विचार-विनियम अथवा अहिंसा की सीमा में न रहकर सीधा हिमा को स्वीकार कर लेता है। जिस समाज में आयिह व्यवस्था के परिणामस्वरूप सम्पत्ति का केन्द्रीय करण होता है व बहुमत्यक लोगों के हिस्से में गरीबी तथा दरिद्रता आती है वहाँ उन बहुमत्यात लोगों को स्वतन्त्रता व समता देना अस्वीकार किये बिना पूँजीवादी तथा सधन समाज जीवित नहीं रह सकता। और जिस समाज में स्वातंत्र्य व समता इन दोनों में समन्वय होने के बदले अगर सघर्ष व विरोध उत्पन्न हो तो उस सघर्ष का परिणाम जो निकलता है उसे इतिहास ने दिखा ही दिया है। भाविक व्यवस्था किर क्लान्तिकारक तरीकों से बदनती है। विशेष अधिकारी, उनके अधिकारों से बचित हो जाते हैं व रसातल को पहुँचते हैं। अगर वे थोड़े-थोड़े अधिकार देते तो बाकी बचे हुए अधिक समय तक टिकते परन्तु अब वे सब-के-सब एकदम छोन लिये जाते हैं। समय के साथ थोड़ा विवेक व विचार के साथ काम लिया जाय तो परिस्थिति कुछ भी ही होती ऐसा महसूस किया जाता है, परन्तु इस पश्चात्ताप की भावना से समाज का परिवर्तन अवश्य होगा यह पहचानकर सुदीर्घ हृष्ट से विचार करने वाले योजना बनाकर शान्तिपूर्ण तरीकों से उस परिवर्तन को प्रत्यक्ष अमल में लाते हैं। पूरे समाज के अन्दर परिवर्तन लाना कोई साधारण बात नहीं होती। क्लान्ति के समय में इस्लैम में जो हुआ व कौच राज्य क्लान्ति के समय जो हुआ उसका अन्तर सहज रूप से दिखाई देता है। सन् १६१७ में रुस में जो क्लान्ति हुई उससे दुनिया के सब धनिकों को बास्तविक मार्गदर्शन होना चाहिये था परन्तु वह नहीं हुआ अपितु उसके साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता है कि स्वातंत्र्य व समता को स्विर करने के लिए हुई इन घटनाओं से स्वातंत्र्य और समता प्रस्थापित हुई। जो विश्वमान है उसको रखने के लिए प्रयत्न हुए। हर कीमत को तुकाकर उसको स्थायी रखने की

कोशिश हुई। परन्तु उम्मेदी अधिक कीमत देकर भी वह टिक नहीं पाया। क्रान्ति की सुरक्षात करने वाले मूलधारों की बलना नाटक के प्रयोग में दिखाई नहीं दी। नान्दी तथा नाटक का मन्त्र उसमें बहुत ही विसंगत नज़र आया। इतिहास के इस मामान्य भ्रन्तभव के लिए भारत एक घपवाद है। भारत में पूर्णतया अहिंसात्मक क्रान्ति नहीं यह सच है परन्तु सम्पूर्ण हिंसात्मक क्रान्ति हुई यह भी सच नहीं है। भारत की ग्राजादी का विरोध करने वालों ने समय को पहिचाना और सत्ता हस्तान्तरित कर दी तथा भारतीय नेताओं ने भी सब पारवंभूमि को ध्यान में रखकर भिली हुई ग्राजादी को बहुसंघर्षक प्रजा की हृष्टि से अर्थपूर्ण करने के प्रयत्न जारी किये। उनकी वही हृष्टि भाज भी स्थायी है।

विषम समाज में भी आमूलाप्र समाज रखना बदलने के लिए विरोध होता है, किर वही प्रवलित राज्यसत्ता का रूप कैमा भी वयों न हो। इंग्लैण्ड के लिए यह वहाँ जाता है कि धानून की शरण लेकर वैष्ठ तरीकों से पाने पालियामेट के मार्फत वही सब कुछ कर सकते हैं। पालियामेट की सत्ता इतनी प्रभुत्वपूर्ण है कि वही केवल पुरुष को स्त्री बनाना पालियामेट के बस की बात नहीं मन्यवा वह ही वही की कर्तुं म अवर्तुं म अन्यथा कर्तुं म समर्थ संस्था है। कल भगर पालियामेट चाहे तो राजपद भी नप्ट कर सकती है, लाट सभा भी नप्ट कर सकती है परन्तु यह नहीं होता। उसका कारण अप्रेडी समाज के कुछ प्रादर्शों की रेक्षा करना मात्र ही है। यही के सत्ताधीन वही की समाज-रखना या अर्थ-व्यवस्था के मूलभूत तत्त्वों के विषय में हड़तिहड़ी होकर भी वही की अर्थ-व्यवस्था या समाज-व्यवस्था में मूलग्राही करक नहीं होगा यह निश्चित ही है। वर्तोंकि जिन नीति मूल्यों पर या राजनीतिक सिद्धान्तों पर पूरा संविधान रखा गया है या संकेत कायम किये गये हैं, वे भव एक तरफ रखने पड़े तथा वर्तमान सामाजिक और राजनीती जीवन का स्वर्यं व संतुलितता नष्टप्राप्त होगी। हित मध्यवन्ध केवल आविष्ट हो होते हैं ऐसी बात नहीं। उनका विभिन्न स्वरूप होता है जो कहीं स्पष्ट व कहीं अस्पष्ट रूप से विद्यमान होते हैं। निश्चित रूप से उंगली उठाकर उनका अस्तित्व यही पर है यह कहा नहीं जा सकता परन्तु वे ही ही नहीं ऐसा भी कोई कह नहीं सकता। तात्पर्य में सत्ताधीन भगर मौलिक वार्तों में परिवर्तन लाना चाहें तो लोकशाही राज्य के होते हुए भी वे नहीं ता सकेंगे। इसका कारण स्पष्ट ही है, मन्त्रवता के नाम पर भगर बुलियादी व मूलभूत वार्तों के अन्दर परिवर्तन लाकर प्रस्थापित हितों के सम्बन्ध में कमी आती हो तो प्रयत्नों को दबाया जायेगा। समाज में धन की रखा के लिए कोट की तरह सविधान का उपयोग किया जाता है। वास्तव में मनि गन की बदलतानुमार मध्युर्ण मविधान पूर्णतया बदलना सभव होता है, परन्तु समाज के मन्दर पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर विडेप फैलाकर वह असंव्यवह कर दिया जाता है। समाज में धन की हुई आविष्क विषमताओं को दूर करने के लिए जब वैष्ठ तरीकों को अनाकर योजना का मुझाव पेश किया जाता है, तब समाज पर उन्हारात हो रहा है, ऐसा माकोश किया जाता है। यारिस या मृत्यु-कर मनुष्य को परन्तु हृषात्म में नहीं देने पड़ते किर भी जोते जो उसका विरोध किया जाता है। शिव उमाज में रात्मति व पोराता इनमें किसी प्रकार का कार्यकारण मनुष्य नहीं

होता। गुरा मेरि दुपा पीर बिना योग्यता के बारा भन रेखे के लिए कोई तंदार नहीं होता तथा जो प्राप्त है उनसे यह उम भन वो बचाने के लिए हर कोई तंदार रहता है। उनके दबाव के लिए भी मुक्तिगुरा मार्ग इंडिया ट्रिम जाता है। यादव मेरि समाज का उत्तर गमनाम में होता है। गमन ही उनसे इतना बहुता है। नित्री समाज का निर्माण भी समाज में होता है पीर गान्धिहर रामकृष्णराम उनसी स्था करती है। बिने हुए अविद्या निर्माण कर्ता देव भी समाज की समझता पर ही प्राप्तिरित है यसना गान्धिहर विद्यमन को दूर कर गमना हइ बरते के पर्य है। जिनके पास है उनमे ऐसा दिनके पास नहीं है उन्हें उत्ते देना घरी ऊपे उठे हुए लोगों को नीचे लाना पीर जो गये गुडरे हैं उनसी ऊर उत्तर गमना तथा इस प्रभार गमन की पार्दिया भूमि को गमनन करता। इस ताँडे मेरि गमन गान्धिहर भूमि हुई तो उममे जिनके पास जम्मत मे उत्तर होता है उत्तर मध्यम यह ही जाता है। पीर इस प्रभार गमन मे पाठ्युनियादिवर्तन साने पांगो शुद्ध योजनामे प्राप्तिरित तरीकों मे गमन मे साने वा प्रदान किया गया हो उनमे घनक वापाएँ तरीकों जी जाती है। घनने तिथाक पर घटवन होतो उने पाठ्यित्यहृत्यमननाहो कहना व प्राप्त व्यय वट्यमत राष्ट्र हो, उने दावत्रोक सोरक्षाही कहना इस प्राप्त के हय तिर्यक देते हैं। स्वतन्त्रता के नाम पर विद्यमन विद्यमन को बादम रखता ही हइ है ऐना प्रतिग्राहन किया जाता है। यत्तमान विद्यमन से पीटित तथा उत्तेजित सोन गमना के नाम पर परिवर्तन साने मे प्रदत्ततीन होते हैं परन्तु कभी तात्त्विकतागुरा निगद्द से उनको प्रस्त्रीहृत किया जाना है या कभी प्रावद्यारित हटिकोण से उनका दिलेप किया जाता है। इन दोनों हटिकोण से सान्धिहर गमना तथा दाकिरा उत्तरोग किया जाता है। कहने पा ताएय यह है कि सोरक्षाही समाज मे भी यंत्रिक रास्तों से गान्धिहर रचना मे आमूल्य परिवर्तन लाना गहन बाम नहीं होता। भारत मे मार्ग विषयक नीति निर्धारित होने के बावहूद भी पिछने दम वर्षों मे पीढ़ी रास्ता प्रगति नहीं हुई। कई राज्यों मे भूमि-रामदण्डी कानून वी तरकी चीटी वी चास की तरह भीम हो रही है। कई स्थानों पर जो कानून पास किये गये हैं उन्हें विधान बाह्य बनाकर खोदे की शरण ली जाती है। बुद्ध स्थानों पर इवते को तिनके बा सहारा इम नाने राष्ट्रपति के हस्तधेय की पुरजोर मीण वी जाती है। विधिने दम वर्षों की भारत की भाषित्तु नीति के ऊपर अगर गोर किया जाय तो वह घनिक वर्ग को युश रखते हुए निर्धारित की गई है, ऐसी उनकी आलोचना की जाती है, यह सर्वेया घयोग्य है ऐसा नहीं कह सकते।

संविधान की व्यवस्था के बाबत ग्रामिक रचना मे परिवर्तन लाना कठिन है। गमन के लिए ग्रस्तहुत्राय विषयमन को अगर रातम न किया गया हो भविष्य मे समाज की वया स्थिति होगी उसकी बहुता दुनिया की पूजीव्रधान लोकसाही की जनता को भली प्रकार से है। हिन्दुस्तान मे लोकसाही समाज रात्तावाद बनाये रखने का व्येष भी संविधान मे दिया गया है। देश के बहुमध्यक वाप्रेसियो ने उसे स्वीकार कर लिया है। समाजवादी तथा प्रजासोशितिस्ट पार्टी को भी वह मान्य है, हिन्दू सभा ने भी उसे घपनाया पर उसे हिन्दू-समाज सत्तावाद यह सज्जा दी है। पीर इस भिन्न भिन्न नाम मे भिन्न भिन्न माल चुनाव के बाबार मे विक्री के लिए रखा जाता है, यह सत्य

है। माज या कल में कभी-न-कभी जनता समझदार होगी, जीवन-इताल कर य परत कर माल खरीदे करेगी यह भी सब है परन्तु इस लोकशाही समाजवाद में सोकशाही समाजवाद के लिए उच्चयुक्त साधित हो रही है या समाजवादी रूपी घोड़े के पैरों में सोकशाही रूपी बैड़ी पड़ी हुई है यह कहना मुदिहल है। लोकशाही के नाम पर हरेक बात पर सोकशभा में या विधान सभा में विधिवत् सब कुछ होना चाहिए, मत्तिज्जिवन भूल आगर हो जाती है तो कोटि का सहारा लेने की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। आधिक दौचा बदलने के हेतु से पिछने बारह बदों में जो प्रयत्न नोकशाही तरीकों से किये गये उसमें तरफ़ धर्मिक मंत्र कम ऐसा अनुभव हुआ। व्याकरण सही पर कई बार मन में यह आशंका उठती है कि लोकशाही की इस तात्त्विक कविता में वास्तविक काव्य का निर्माण होगा या नहीं। आगर लोकशाही को एक तरफ़ रख देते हैं तो हिंसा को स्वीकार करना पड़ेगा और किंतु लोकशाही व हिंसा दोनों परस्पर विरोधी हैं। लोकसत्तात्मक शासन की माला पहनने के बाद मूर्गेफनी के दाने जैसी विधिष्ट लुटाक ही खानी चाहिए अब कुछ साना पाप होता है। लोकशाही के तरीकों से सकनता शीघ्र भी नहीं प्राप्त होती और सम्पूर्णतया मिलती भी नहीं है इसलिए आगर हिंसा को स्वीकार किया तो सकनता भी हासिल होगी तथा आधिक रखना भी समतापूर्ण बन सकेगा। लेकिन स्वतंत्रता की बलिदानी पुर बलि चढ़ानी पड़ेगी तभी यह रूप हो सकेगा। इस जटिल प्रक्षण में व्याक्या चाहिये इसका निर्णय सच्चे स्वतंत्रतावादी लोगों को लेना है। जो आज समता का विरोध करते हुए एक तरह से स्वतंत्रता की ही जड़ काट रहे हैं, उनके खिलाफ़ लोकशाही का एकान्त्र हवियार है। मुकित्वाद और युकित्वाद से ही उनके मन में परिवर्तन साना है। सब जनता के मन में समता की भावना तीव्र करनी है, संघटित करनी है और उसी में से एक अर्हिमाय परन्तु प्रतीकात्मक शक्ति का निर्माण करना है। जो विजय हमे प्राप्त करनी है, वह हम बहुमूलक है इस नाते नहीं परन्तु न्याय, सत्य और युक्ति हमारी तरफ़ है इसलिए। जो स्वार्थ से अन्ये हो गये हैं उन्हें रोकनी दियानी है, और सच्चाई का साक्षात्कार कर दिखाना है। वह अपरिहार्य है इसलिए भी नहीं भवितु न मानने में अन्याय है, इस भावना के साथ उनमें मान्यता प्राप्त करनी है। लोकशाही में सत्य और युकित्वाद की जय हो इसके लिए समाज में काफ़ी प्रचार करना पड़ता है। गोनियों के बल पर प्रचार करना अनिष्टकारी है, भीठे शब्दों के युकित्वाद से ही करना होना है। लाठी से मारपिटाई कर रास्ता निकालना नहीं बल्कि युकित्वाद से लोगों को समझा-नुभाकर 'लोक यमुना' युद्धी-युद्धी से बहे, इसके लिए बाट निरन्ते ऐसी परिस्थिति को निर्माण करना पड़ता है। प्रचार का कार्य आधुन नहीं तथा वह मुप्र॑ में भी नहीं किया जा सकता। जो सत्ताधीन होते हैं उनके पीछे लक्ष्मी आधीर्वादात्मक बाहु फौनाकर थाई होती है। इसलिए उन्हें पैसों की जमी नहीं होती। फिराये के कार्यकर्ता भी मिलते हैं परन्तु समता का इन संबंधों का व्याप्ति हुए समाज में न्याय वी स्थापना हो इसलिए हाय में प्रयत्नों का कंगन धीरने वाले हड्डारों द्यागमूलि होते हैं। अन्त में उनकी बोलियों से कुछ न कुछ भूमध्य अवश्य प्राप्त होता है। बाद-विवाद में कई बार दिमाग चक राने वाली बातें बही जाती हैं, परन्तु

दिमाग मान्त्र व सही रखकर जो काम करते हैं, वे ही सफल होते हैं। प्रचार-इर्य में उद्देश्यों का विषयानि किया जाता है, व्यक्ति के चरित्र पर धीटे को जाते हैं। पुरानी के बवहार से देवता बदलाया होता है ! कई बार समाज में ऐसी स्थिति पैदा होती है कि लोग यह अनुभव करने सकते हैं कि इस प्राचीर्यां और सबर्य से इसी हृदूपतशाही को मंडूर कर सेना अधिक थ्रेपस्कर है। परन्तु पीरे-पीरे इन सब मनोवृत्तियों का प्रबल सवाया कम होता जाता है। दो मतिरेखी प्रचार के बीच का एक मध्यम मार्ग स्टेट दिलाई देने लगता है। और उग मार्ग को मान्यता भी प्राप्त होती है। अर्थात् यह रुठ यातायक नहीं होता, परन्तु होकर रहता है, यह सब सत्य है।

लोकशाही यातायरण इस प्रकार गरम हो जाता है और किस प्रकार छढ़ दौता है यह ऊपर कहा गया है। स्वतंत्रता वा अधिकार इम यातायरण में ही जीवित रहता है और कार्यक्षम बना देता है। जिन घानों पा प्रायिक महत्व नहीं है, उनकी चर्चा तो लोकशाही समाज में हर समय चलती ही रहती है। परन्तु जब प्रायिक चर्चा का विषय बन जाते हैं, जब सत्ति, उसका स्वामित्व, उसकी नैतिकता या उपयुक्तता के विषय में चर्चा दिल जाती है, उम समय याद-विवाद को रम चढ़ता है। वर्ग हित की हृष्टि से हिर पक्ष स्टेट होने जाते हैं, इतना ही नहीं बहिर वे प्राप्त हो बनते हैं, जिन्हीं बनते हैं व किर समझतारी, विचार व पुकिनवाद इसको लो देते हैं। वही स्थिति पुढ़काल में दिलाई देती है। पुढ़कालीन परिस्थिति में प्रगत कोई व्यक्ति शान्तिरूप, पुकिनवाद से कुछ समझने लगे तो उसे देशद्वीपी बहा जाता है। मंजुरत महाराष्ट्र आनंदालन में किसी ने विवेकपूर्ण बात नहीं, उसे महाराष्ट्रद्वीपी कहा गया। जबकि जिन्होंने मारी उमर सत्य को छुपा तक नहीं, सांवेदनिक शीलवृत्ति से सदा दूर रहे, वे सब उस समय महाराष्ट्र के ग्रन्थ्य भक्त बने हुए दिलाई दे रहे थे। लातर्य यह कि जहाँ चर्चनिष्ठ स्वार्थ का सम्बन्ध होता है वही याद-विवाद विद्वेष का विषय बन जाता है। विचार-वित्तिपय से वहाँ मत-परिवर्तन होने के लिए कोई गुजाइश नहीं होती। फिर वही बाने परदर को ल्लोर बन जाती है। उस स्थिति में सत्य या स्थाय का विचार नहीं किया जाता। जो हम कहते हैं वही सही है ऐसा प्राप्त ह किया जाता है और विवेक के लिए वही कोई स्थान नहीं होता। यही स्थिति पुढ़काल में भी होती है। परन्तु पुढ़काल में देश की मुरदा की हृष्टि से विवेक को देने में सत्ताधीय लोभों की धोखा दिलाई देता है। सत्य व सत्ता इनका परस्पर विरोध हुआ तो व्यक्ति या वर्ग के मद्देन्द्र में सत्य की शरण लेनी पड़ती है। परन्तु व्यक्ति या वर्ग सत्य को एक तरफ रखकर स्वार्थ की शरण लेते हैं। जब कभी प्रचलित हित-सम्बन्धों का विरोध करते वाले विचार या विवेकपूर्ण विचार समाज की मान्यता को प्राप्त होते हैं तब प्रचलित हित-सम्बन्धों के संरक्षक याने सत्ताधीय तत्काल सम्पूर्ण राज्य वश की सहायता लेकर इस प्रभावित होने जा रही विचार-धारा को कुपित कर देते हैं। मिथ केम का इतिहास यही दर्शाता है। साम्यवादी विचारों को प्रहट करना यही मिथ के प्रपराधियों के विद्व सबसे बड़ा आरोप था। एक विशिष्ट बात करनी चाहिये और कुछ विशिष्ट कार्यक्रम

होना चाहिए, इस प्रकार के कृति विरहित विचार भी आवेपासुं माने जाते हैं। विशिष्ट तत्त्वज्ञान पर भी आरोप लग सकता है यह बात विश्व वैश्व में भारत ने अनुभव की। आज हिन्दुस्तान में विचार स्वातंत्र्य है, इसनिए केवल विशिष्ट विचारों को मानना या विशिष्ट तत्त्वज्ञान का प्रदर्शन अयत्वा बर्बा करना चाहे वह समाज विरोधी बयों न हो, अपराध नहीं माना जाता फिर भी कोई भी कार्यक्रम जो विद्यमान हित-सम्बन्धों से सम्बन्धित हो, उस विषय में खुली दूष्ट है, ऐसा नहीं कह सकते। वास्तविक हिति ऐसी है कि विभिन्न घरों के कौत-कौत से तत्त्व हैं और उनमें यदा अब्रीद, नासमझूर्ण ख्यात है उन पर विचार करना शुरू करते ही सरकारों कार्रवाई शुरू हो जाती है। नास्तिक विचार प्रतिगादन करने के लिए भारत में खुली दूष्ट है। परन्तु हिन्दू-देवी-देवता या अन्य धर्मार्थ लोगों के पवित्र स्थानों के विषय में खुली भी आलोचना की गई तो कानून उसे नज़र अन्दाज कर देगा, परन्तु तत्त्वविद्यत सामाजिक भावनाएँ साठियाँ चलाकर अपना प्रभाव दिखायेंगी। मारांश राज्य सत्ता तथा सामाजिक शक्ति सदा ही प्रचलित हित सम्बन्धों की रक्षा के लिए तत्परता दिखाती है। धर्म या संस्कृति की अवेक्षा जहाँ सम्पत्ति का प्रधन हो, वही यह तात्परता तत्कालिक हमदर्दी का इस प्रदृश कर लेती है। समाज के अन्दर समता प्रस्तावित करनी बर्योंकि उसके बिना स्वातंत्र्य अधूरा है और प्रार्थिक समता कायम करने में सबसे प्रधिक विरोध सहना पड़ता है। आधिक विषयसत्ता तथा समाज के लिए आवश्यक हितेवय इनका अधिक काल तक एक साय रहना असम्भव है। जहाँ प्रार्थिक हितेवय न हो वही अन्य क्षेत्र में भी सच्चा हितेवय निर्माण करना नहीं हो सकता। मालावार हिल पर रहने वालों में तथा परत की बिल्डिंग में रहने वालों में सिनाय झार के प्रासादान के ओर कोई समानता नहीं होती। मनुष्य के विचार आधिक परिस्थिति के अनुमार ही बनते हैं। समाज के ऊपर के दम व नीचे के नड्डे इनमें जो एक तरह की मानसिक शान्ति होनी चाहिये, उसे मज़बूत करने के लिये समान दृष्टिकोण नहीं होता इसलिए वह सामाजिक शान्ति स्थापित नहीं हो पाती। विषयसत्ता के कारण सामाजिक विचारों में व अवव्हार में विकृति उत्पन्न होती है। विद्वेष उत्पन्न होना है। युद्ध सहृदयित्वे बाद में दी जाती हैं। जो चाहिए नहीं होता उसे दान में दिया जाता है। प्रवर्हायं लाचारी स्थिति में जो छोड़ना भी पड़ता है, वह भी सन्तोष के साय नहीं छोड़ा जाता है और जो दान सद्बुद्धि से नहीं होता और जिसमें चुद हेतु नहीं होता सद्भावना का आविष्कार नहीं होता है। उस दान से सन्तोष के एवज में शृणा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार सम्पत्तिगाली वर्ग से जो निया जाता है उसमें न सन्तोष का भाव होता है न कृतज्ञता के लिये कोई स्वान ही। समता समाज में लाती है तो स्वतंत्रता की सम्मान जहरी होनी चाहिए और स्वतंत्रता और समता इन दोनों को ही निश्चिन करना है तो तत्त्वविद्यत राज्य-व्यवस्था का लोकसाही स्वरूप होना आवश्यक है। लोकराज्य नहीं होगा तो समता निर्माण नहीं होगी और समता नहीं होगी तो लोकसाही भी हितकर नहीं होगी।

लोकसाही का प्रमुख लक्षण यह है कि उसमें हर व्यक्ति को सुन भोगने का, प्रच्छा जीवन अपनीत करने का अधिकार है। इस प्रधिकार में समानता साने का कार्य-

राजकीय कानून के अनिरिक्त सामाजिक मंस्ता तथा मंदेत द्वारा भी होना चाहिए। समाज के अन्दर अगर आधिक विषयता होती तो सामाजिक मन्त्या और गवेत सी उस विषयता के भाव को बदला देने याते होते हैं। साधिक विषयता के कारण महज ही जिनके पास धन की कमी होती है उन्हें गुरु प्राप्ति के साधन यम गुलब होते हैं प्रीत जिनके पास धन सम्पत्ति तथा पैसे की कमी नहीं होती उन्हें गुरु भोगे के साधन उत्तम होते हैं। विषय समाज में व्यविष की मौगिं को न्याय की फ़रीदी पर नहीं परता जाता। समाज में जो उत्पादन होता है वह बास्तविक सामाजिक साक्षरताओं को पूरा करने के लिये नहीं बल्कि मौगिं के अनुसार समरण यह अर्थशास्त्र वा नियम यही सामूहिक होता है। सही अर्थ में मौगिं वही होती है, जिनके पीछे कर्मजाति हो, वही मौगिं प्रभावमय होती है। दरिद्री लोगों के मन में लालों इच्छाएँ होती हैं किर भी उनकी इच्छानुसार वस्तुओं का उत्पादन समाज में नहीं किया जाता। जो चाहिए उनको सहीदने के लिए अगर आपके पास चाहे जितना हो सो समाज की अर्थव्यवस्था आपकी उस मौगिं को पूरा करेगी अन्यथा नहीं। मौगिं व उनका मंभरण इनका इस प्रकार सम्बन्ध होते के कारण उनमें सामाजिक न्याय का विचार नहीं किया जाता। इसी प्रकार सामाजिक हैनु प्रीत प्रवेश इस पर भी व्याप्त नहीं दिया जाता। जहाँ प्रीत जिस मात्रा में आधिक-क्षक्ति या कष्ट-क्षक्ति होती उसी मात्रा में उत्पादन होगा। इसका सीधा अर्थ यही नित्यता है कि जिनके पास पैसा है, उन है वही व्यक्ति उत्पादन के चौरायी बन जाते हैं, घोटायिक थोक में अपना चौरायी बन दियाने हैं। तभी समाज में विषयता के विविध दृष्टि देते हैं। राजशाही अशोक होटल के साथ ही गदों भोंपडियां उसी मूर्य प्रवाश के नीचे वसी हुई दिखाई देती हैं। सज्जी हुई इमारतों के बाजू में ही गदे टीन की कतरन तथा लकड़ी के फर्टी के साथ बनाई हुई झुणियाँ नजर आती हैं। हर सामाजिक क्षेत्र में जिनके पास धन है उनके लिये ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग खुने हुए होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठान के मड़प में उनका प्रवेश महज होता है। न किये हुए कर्तृत्व का श्रेय भी उन्हें बहुल किया जाता है। प्रीतों द्वारा रखित काव्य कृतियाँ या कन्या कृतियाँ उनके नाम पर प्रकाशित की जाती हैं या उन्हें पुरस्कृत कर उनके लिए सरस्वती के मन्दिर में वर्जित प्रवेश को मुक्त कर दिया जाता है। इस स्थिति में जो निर्धन हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके मन आधिक समय तक हितप्रज्ञवस्था में नहीं रह सकते। समाज में प्रचलित अन्याय से उनके मन में चिड़ पैदा होती है। उस चिड़ से क्रोध और क्रोध के कारण उनके विचार तीव्र गति से क्रान्ति की ओर झुकने जाते हैं। समाज में प्रचलित यह अन्याय अनेकित है, सो तो स्पष्ट दिखाई देता है। प्रयत्न और सफलता इनमें पारस्परिक कार्यकारण भाव न होने के कारण परमात्मा या सुर्देव इनसे भी मुकाबला करने के लिए चुने हुए मन तैयार हो जाते हैं। जिन तत्त्वों पर समाज आधारित है यह कहा जाता है कि उन्हीं तत्त्वों को किर खुगे आग अमान्य किया जाता है। आज तक जिन देवताओं को पूजा होती या की जाती थी, वे सब झूठे हैं, इसका साधात्कार जनता को होने लगता है। प्रतिष्ठान के सिक्के जब बजाये जाते हैं तब वे खरे नहीं हैं, इसका अनुभव भाता है। केवल मात्र सिक्कों से किर मूल्याकान नहीं किया जाता। तात्पर्य से प्रचलित समाज व्यवस्था की नीव किर डॉवाडोल ही जाती व्योकि

उसकी जड हिलाई जाती है। तब स्वतंत्रता की लाल मां से प्रेरित जनता को समला के बिना सच्चा स्वातंत्र्य नहीं यह तथ्य प्रकट हो जाता है और समता प्रस्थापनार्थ किये जाने वाले प्रधानों में वह प्रधिकारिक योग देती है। लोकशाही का आनंदोलन वस्तुतः समता स्थापन करने का आनंदोलन होता है, यही हृष्टिकोण १६वीं शताब्दी के अनेक राज्य-गान्ध विश्वारदों ने रखा है। उनकी विश्वारवारा से आम तौर पर यह जाहिर होता है कि जिस समाज में कुछ लोग धनशाली व सत्ताधीश व कुछ निर्वन तथा दुर्बल होते हैं, वही वही निर्वल और निर्वन जनता बिफलता और विमनस्कता की शिकार बन जाती है। बहुसंख्यक जनता की इस उदासीनता तथा विफलता की भावना से बहुत-सी सामाजिक शक्ति और कर्तव्य वा ह्रास होता है, क्योंकि उनकी योग्यता और कर्तृत्य शक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता, न मोका दिया जाता है, इसलिए उनकी योग्यता और कर्तृत्य भूचिद्यतावस्था में ही पड़ा रहता है। जिनके हाथ में सत्ता है, ऐसे इनेगिने अवित अपना प्रभाव समाज के हर क्षेत्र पर डालते हैं और उनकी इच्छाएँ प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। उनकी राय सामाजिक राय समझी जाती है और बहुसंख्यक जनता की उपेक्षा की जाती है। जो अल्पसंख्यक सत्ताधीश होते हैं वे स्वयं मान्यताशील होते ही हैं परन्तु उस सीमित गुट में अन्य लोगों को न आने देने का, उनका प्रयत्न रहता है किर उनका यह गुट जन्म पर, सम्पत्ति पर, संस्कृति पर अथवा सम्प्रदाय पर आधारित हो, उन सब में यह सक्षण समान रूप से दिलाई देता है। जो अपने गुट की पैदाइश न हो उसको वे स्वीकार नहीं करते। उनकी माज मनूषिण में अन्य विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता और न ही अन्य आदर्श वहाँ जा सकते हैं। कोई नये आदर्शों का पाया नये विचारों का तीव्रता से प्रतिपादन करने लग तो उसे समाज के लिये भयानक और विद्रोही माना जाता है। अगर वही बातें वह मुकिनवाद से पेश करे तो उनको महंत्व नहीं दिया जाता, इसका बारण उनकी वर्गनिष्ठ हृष्टि और वर्गव्येष्ठत्व का अभिमान ही है। जनमानवारण में जो वचित हैं, दगिन्द्री और असुहाय हैं, उनकी और वे न्याय देने की वृद्धि से नहीं दिखते और जो कुछ थोड़े बहुत उदारता दिखाते हैं, उसमें वर्गनिष्ठ अभिमान की बूँ होती है। दिया हुआ दान के रूप में स्पष्ट दिखावे के लिए होता है। यह दिखावा सस्था को दान का नाम देनेर दिया जाता है या दिलाऊस के पत्थर पर अपना नाम खुदवा कर दिया गया हो, वर्गव्येष्ठत्व की भावना इतनी तेज होती है कि समाज के राज-मार्ग पर वह मोटे-मोटे हरफों में लिखकर प्रकट की जाती है। बहुजन समाज जब उपसा विरोध करता है, उस समय उनके वर्गीय अहंकार वो लें पहुँचनी है और उस समय प्रत्येक विदेशीय मार्ग हूँडना मुश्किल हो जाता है।

विषम समाज में जो सम्पत्तिशाली होने हैं, वे अपने हित-सम्बन्धों के क्षेत्र में ही अपने विचारों के घोड़े दौड़ाते हैं। बहुसंख्यक दरिद्री समाज को दबाने में भीर तुच्छ समझते से जो प्रतिक्रिया होती है, वही अन्त में जाकर इस व्येष्ठ विचारों के लिए बहुत पातक सिद्ध होती है। अपने ही मनमूदों में मरत हो जाने के कारण यदनने हुए समाज का परिणाम पहले उनके ध्यान में नहीं आता और आने के बाद दीर्घ हृष्टि से सोच-विचार कर कदम लठाने की शक्ति जी उनमें नहीं होती। इसके विवरीत जो दरिद्री है, उसमें धीरे-धीरे वर्ग-भावना,

है। युर्क में भजानवश सथा गंगटन के भभाष में उन्हें बया जाहिए, यह ये स्थर्म बता नहीं सकते। दीर्घ काल ताक एक वित्तिष्ठ मगोवृति में जीवन व्यतीत करने के कारण इस भगवन्ति यर्ग में हिम्मत नहीं दियाई देनी, आत्मविद्यारा वा सोप हुआ होता है, किर धीरे-धीरे जन सगटन वी भुम्भान होती है। उग समय उनमें जो श्रोथ या ढेप उत्तम होता है, उसे क्य, क्ये और किम के विद्वद् प्रदिवित करें, यह उनकी समझ में नहीं आता। एक श्रव्य में गमाज वा प्रभावशाली श्रेष्ठ यर्ग इस बहु-मस्यक बहुजन समाज के चरित्र तथा धील को कुण्ठित भी कर देता है। उनके अन्दर समायी हुई जिम्मेवारी की भावनाओं को कुचल देता है। सम्भाति रो तो उन्हें दूर रखा ही जाता है। परन्तु श्रेष्ठ मानसिक धन से भी उन्हें विमुग्ध दिया जाता है। इसका परिणाम यह दियाई देता है कि बहुजन समाज, जो उसे मन्त्रिय हैं उन्हें तोड़-फोड़कर-उखाड़कर फेंक देता है और अपने आपको व्यवत कर देता है। उनमें रचनात्मक या विधायक प्रवृत्ति दियाई नहीं देती। बहुजन समाज के सामाजिक, आधिकारिक तथा राजकीय क्षेत्र में गषटित तरीके से अपना वर्त्तन दियाने का और विधायक कार्य करने का अवसर न मिलने के कारण अब जो वे प्रयत्न करते हैं, उनका स्वरूप अधिकतर विध्वंसक अधवा विधटनात्मक ही होता है। छोटे-छोटे सामाजिक कार्य करने का अवगमर मिलते रहते रो समाज के अन्दर की विधायक प्रवृत्तियों को चालना मिलती है। आधिकारिक क्षेत्र में या स्थानीय स्वराज्य क्षेत्र में वाम करने का मौका मिला तो डिस्री की मोहर लगा हुआ जान न होते हुए भी कई व्यक्ति प्रभावशाली कार्य दियाते हैं, परन्तु ऐसे अवसर समता न होने पर कम ही मिलते हैं। व्यक्ति को अपना कर्तृत्व, अपने अन्दर छिपी हुई योग्यता और भव्यता दियाने की गुजाइश नहीं होती। केवल धन से ही अपनी थेष्टता दियाकर सम्पत्तिशाली व्यक्तियों को बढ़ावा देकर औरो वो अवसर देने से इनकार किया जाता है। हर स्थान में कार्य में बढ़ावा मिलते के कारण सहज ही ऊँची थेष्टी के लोगों की बुद्धिगत्ता चमक जाती है और कार्य भी उज्ज्वल दिखाई देता है। देश का वास्तविक और सच्चा धन उसके बुद्धिमान् तथा कर्तृत्ववान नागरिक है। राष्ट्र की वास्तविक रक्षा, तेज हथियार अथवा एक क्षण में भस्म कर देने वाले वम नहीं कर सकते। वल्कि नागरिकों के अन्दर का धैर्य और उनके अन्दर विद्यमान वेधड़क साहस से ही राष्ट्र का सही रक्षण होता है देश की सच्ची परमति दोन्चार शास्त्रज्ञ अथवा दस पाँच उद्योगपतियों के कर्तृत्व पर निर्भर नहीं करती परन्तु आम जनता के ज्ञान का सार तथा सामाज्य नागरिकों की उपकमशीलता और प्रयत्नपरायणता इनपर निर्भर है। इसलिए बहुमस्यक जनता जितना ज्ञान प्राप्त करेगी और अपना कर्तृत्व दिखायेगी उतना ही राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है। जिस देश को कर्तृत्व की आवश्यकता होती है, दृढ़निश्चयी नागरिकों की भी जहरत होती है। उस समय वह गरज पूरी हो जाती है। हिन्दू समाज को चतुर्बुर्ण व्यवस्था के अनुसार बांट कर उसके एक चौथाई अग को दुबल वपो बना दिया गया था, इसका रहस्य समझना चाहिए। जब थोड़े से लोगों के हाथ में सम्पत्ति और तदनुसार सत्ता होगी तो ये ही कुछ लोग आम जनता के महत्वपूर्ण काम करेंगे। तब इन्हें गिने लोगों की इच्छा ही जनता की इच्छा मानी जाती है। समाज में विद्यमान सम्पत्ति के निर्माण के साथन इस तरीके से बरते जाते

है कि उससे जो सम्पत्तिशाली वर्ग है, उनके मुख्य और देवद भूमि में अधिक बृद्धि होती है और अग्र जनता बृद्धि, साधन, धन और हिम्मत से हीन बन जाती है। इससे राष्ट्र की शक्ति धीण हो जाती है। प्रभावशाली राष्ट्र अर्थात् जिसमें आम जनता प्रवल और प्रभावित हो ऐसा नहीं हो पाता।

अर्थ वर्त सम्पत्ति के कारण सत्ताधीश बन जाता है और सत्ताधीश होने के नाते उसको प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस राष्ट्र में यह वर्ग थोड़ा बहुत भी प्रगतिशील रहा अथवा उसको दृष्टि जरा भी जनताभिमुख रही तो वहाँ वह अधिक काल तक प्रभावशाली रहा ऐसा प्रायः देखने में आया है। परन्तु जहाँ इस वर्ग ने प्रहंकारी और स्वार्थलोकुप बन सब सुग-साधनों की पूँजी घपनी ही जेव में रसी कि वहाँ उसका पतन जब कभी हुआ वह कल्पनातीत हुआ है। जिस प्रकार ममाज की आयु बढ़ाने के लिए सब की समयानुमार भरमत बरनी चाहिए या हथिपार काम देते रहे, इसलिए उन्हे भ्रदल-नदिन करने पड़ते हैं अथवा फल अच्छी आवे इसके लिए थीज चुनकर लेने पड़ते हैं, उसी प्रकार का कार्य ममाज में भी रहना हो तो जिन कारणों से वह वर्चस्व कायम हुआ उन कारणों का हमेशा बने रहना जहरी है तथा समयानुमार उनमें कुछ परिवर्तन भी होते रहना चाहिए। व्यक्तिगत गुण दोष वदा-परम्परा पर निर्भर रहते हैं। व्यक्ति के आदर्श तथा जीवन मूल्य में कुनू-परम्परा का भी अद्भुत बड़ा हिस्सा होता है। वही नियम वित्तिष्ठ वर्ग को भी लायू होता है। वित्तिष्ठ वर्ग के जीवन विषयक कुछ मूल्य होते हैं। परम्पराएँ भी होती हैं और कुछ भावनाएँ भी। इन सब की सार-सम्भाल या पर्सिवर्धन नहीं हुआ तो उम ध्रेणों का पतन होने लगता है। व्यक्ति को जिस प्रकार धरना स्वयं का कुछ मौलिक वैदिक्षण ढालकर पुराते मानविक धार्मों को चमकाना पड़ता है, इसी प्रकार वर्ग का भी होता है। व्यक्ति को विद्या परम्परानुक्रम से आयेगी ही यह जहरी नहीं है, वही यात वर्ग के लिए भी लायू होता है। कभी किसी ममय दिलाए हुए पराक्रम लगातार पीड़ी दर पीटी दियाये जाएंगे यह जहरी नहीं है। इसलिए उनका महत्व घटता जाता है। विद्या, विक्रम तथा चारित्र्य यह किसी एक वर्ग की अनन्ति मिलिक नहीं होती। वदा-परम्परागत वह चतुरी ही रहेगी यह भी नह नहीं है। आहार कुल में पैदा हुआ इमनिये वह शीघ्रना से ही दशप्रथी बन जाता है या कभी दशप्रथी अवश्य बनेगा ही ऐसा अनुभव नहीं है। समराणग में तलबार चलाकर अपना रण-कीरण दियाने वाले सोगों के दब्बों में साधारण धैर्य की भी कमी दिखाई देती है। धैर्यिय कुल में पैदा होने से हर कोई भीम या अर्जुन बन जाय यह जहरी नहीं। पीड़ी दर पीड़ी चलने वाली वर्ण व्यवस्था में भी परमरागत जान और पराक्रम का बारसा कायम रहे, यह जहरी नहीं। चारित्र्य तथा शील का ज्ञान, जाति मध्यवा जन्म इनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता। जिस प्रकार संत विसो भी कुल में पैदा हो सकते हैं उसी प्रकार चरित्र-वल् और शीलवाल का भी है। ज्ञान और पराक्रम के बारे में भी यही है। ममाज में शब्दमर मिलने से कई प्यादों से फर्जी बन जाने हैं। नेंद्र बकरी चराने वाले राज्य-कर्त्ता बन गये हैं और जिनको अपनी सही तक करनी नहीं आती है, वे करोड़ों रुपयों का लेनदेन करने वाले कारखानेशर बन गये हैं। उसी प्रकार कुछ व्यक्तियों में ऐसी

दिखाई देने लगे कि वहाँ भी पराम्रम के क्षेत्र निर्माण हो जाते हैं। नये विचारों के, नये आदशों के वित्तिन समाज के सामने दिखाई देने लगते हैं।

जैसे-जैसे सत्ताहीन तथा उपेक्षित जनता में अन्याय की भावना तीव्र होती जानी है वैसे-वैसे उम भावना का आविष्कार स्फोटक रूप धारण करने लगता है। धीरे-धीरे जनता की माँगों का स्वल्पन केवल निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने तक या निश्चित अन्याय को दूर करवाने तक ही सीमित नहीं रह पाता। जिन कारणों से यह अन्याय या विषमता उत्पन्न हुई ऐसा वे अनुभव करते हैं, उन्हीं कारणों को अर्थात् सामाजिक रचना को ही बदलना जरूरी है यह प्रतिपादन किया जाता है। अब उनकी माँगों की ओर उपेक्षा वृत्ति से देखा जाना या उनका हीन दृष्टि से निरेशन करना आदि परिस्थिति बदल जाती है। सत्ताधीश तथा प्रभावशाली वर्ग अब छग-मगा जाता है। पुरानी घोषणाएँ अर्थनुस्य सी वे अनुभव करते हैं। उसी वर्ग द्वारा किये गये अच्छे कार्यों को भी जनता भूल जाती है तथा उनके वे कार्य ईम नदारी पूर्ण ये यह भी मानते को तैयार नहीं होती। ऊपर से इस वर्ग के सम्बन्ध में जो परम्परागत आदर की भावना होती है वह भी नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में बोलिक चतुराई दिक्षाकर पुराने माल को नये का स्व देकर उसे बाजार में खपाने का कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, जनता उस धोखे में नहीं आ पाती। जो अविश्वास पैदा होता है, वह सम्पूर्ण वर्गत होने के कारण उसके लिए अपवादकर्ता व्यक्ति को भी सबके साथ ही लपेट लिया जाता है। पराभूत हुआ सत्ताधीश व सम्पत्तिशाली वर्ग अपनी हार से अनुभव लेकर समझ से आगे का रास्ता पार करते हैं। यह सब अचानक होता है। परिस्थिति के अनुसार चलकर निमाने की वृत्ति उच्च थेनी में आम तौर पर नहीं दिखाई देती। जिस देश के उच्चवर्ग में परिस्थिति के अनुसार अपने आपको मोड़ने का स्वभाव हो वहाँ उस वर्ग की राजसिहासन से हटने पर भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा तथा मृद्दृश बना रहता है। व्यक्ति हो चाहे वर्ग हो अगर वह समाज में साथ निमाकर नहीं बलता है तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती। किंवद्दुना, बाल प्रवाह के साथ उसके पैरों तले की रेत खिसक जाती है व थोड़े समय के लिए वह न तैर सकता है न ही डब सकता है। इयर से उधर लुढ़कने वाली विश्वसु उसकी स्थिति बन जाती है। संमय को पहचानकर किस समय वर्षा व कैदे समझ है इसको ध्यान में रखकर उसके अनुगार व्यवहार शामन को ही राजनीति कहते हैं। अभिमान के कारण कुछ व्यक्ति परिस्थिति के साथ बनाकर काम नहीं लेते और कुछ व्यक्ति अज्ञानवश उसे समझ नहीं सकते इसलिए कई बार गाड़ी छूटने के बाद प्लेटफार्म पर प्रवेश किया जाय वैसों ही हिति इस वर्ग के लोगों की बन जाती है। हिन्दुस्तान के सनातनधर्मीय लोगों की ऐसी ही स्थिति है। हिन्दू पक्ष की भी आज के भारतीय सत्य महाराष्ट्रीय राजकारण में वही स्थिति बनी हुई है। उनका पुराना सिवका राजनीति के क्षेत्र में कोई स्वीकार नहीं करता है। उनका जन्मसिद्ध अधिकार पर आधारित तत्त्वज्ञान आज के युग में किसी को ज़ंचता नहीं है। तात्कालिक भावनाओं का कायदा उठाकर कभी बीच-बचाव कर भी लिया तो भी अपेक्षाकृत प्रतिष्ठा मिली हुई नजर नहीं आती। दुनिया की परिस्थिति का परिवर्तन, नयी आर्थिक रचना सम्बन्धी प्रभाव से हुआ उिद्द तत्त्व-

प्रापुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता

जान, दुनिया में हीरे आन्ति इन गव का महत्व जिन पदों ने पहचाना नहीं के पश्च
समाज में टिक नहीं सकते। समाज गतावादी तत्त्वज्ञान भाज की दुनिया में छालू
सिवका है। उरामी गृज भाज रंगार के बन-जगतों में गुनाई देने लगी है, इसलिए
हिन्दू समाज गतावाद नाम का एक नया बाद भारतीय जनता के गम्भुण आया।
पिछले पचास क्षेत्रों में उसे प्रगतिमय पथ पहने थे। यह पद भी बहुनन समाज के
भन्त करण को नहीं पहचान पाया। भाज प्रगतिमय पद बहुनन समाज प्राणिंष्ट रो जाप्रत
कारण में दोप नहीं रहा। तात्पर्य, नई दुनिया में बहुनन समाज अब 'गाम्मा॒
वस्यात् लवणेन भव्यात्' इत प्रकार की रापारण सूतियतों से युग नहीं गही। मजदूर
उत्पादन क्षेत्र में भव केवल भाषिक रो भधिक वेतन इतनी ही मांग नहीं गही। मजदूर
भव मिलियत चाहते हैं। बहुनन समाज की माँग व्यवित के लिए योग्य न्याय प्राप्त
करने तक ही सीमित नहीं रही, उसे भव गता में उपेदा नहीं की जा
सकती। यह जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि भवित्य में उनकी मनोती
की जायेगी, उनकी आरती उतारी जायेगी। बहुनन समाज ने याने थमी समाज ने भव
चैतन्य निर्माण हो गया है। भौयोगिक आन्ति के कारण व्यवित को उत्पादन पत्र का
एक हिस्मा मानने लगे थे। वह परिस्थिति भव नहीं रही। उत्पादन सूटिं में भव
उसका महत्व बढ़ गया है। हितेक्य के कारण हजारो व्यवित भाज एक साथ आते हैं व
अपने हितों के सम्बन्ध में सघटन ढारा रक्षा करते थाये हैं। जिस व्यवसाय में जो
व्यवित आज काम कर रहे हैं, उस व्यवसाय का भाज के एक महत्वपूर्ण भग बने
हुए हैं। रेलवे मजदूर, पोस्ट वाले इस प्रकार की व्यावसायिक भावना भाज के समाज
में सर्वक दियाई देती है। इसलिए भाजकल की इस नई दुनिया में इस बदली हुई
परिस्थिति का विचार करना चाहिए। राजकीय क्षेत्र में प्राप्त स्वातन्त्र्य को अर्थपूर्ण
करने के लिए उत्पादन क्षेत्र में भी उसका होना ज़हरी है और वहाँ उसको सार्थक
होने के लिए समता का लाना आवश्यक है। भत लोकसाही, भगर एक क्षेत्र में प्रा
गई तो उसका अन्य क्षेत्र में प्राना अपरिहार्य हो जाता है। जब मत देने का समान
भवित्वा सारे सासार को दिया जाता है, तब सामाजिक सत्य की दृष्टि से भी सब
समाज होना ही चाहिए। इस विचार का निर्माण होता है कि उस विचार में से ही

राजकीय क्षेत्र में स्वातन्त्र्य समता की दृष्टि से महत्व का है। और इसीलिए
भौयोगिक क्षेत्र में भी स्वातन्त्र्य उसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को जो पद नहीं
पहचानेगा वह पद आधुनिक युग में प्रभावसाली नहीं हो सकेगा। कुछ ऐतिहासिक
कारणों से कई देशों में धनी वर्ग ने बक्ष-परम्परागत सत्ता को मर्यादित करने के लिए
बहुनन समाज को सहायता ली। परन्तु उनकी सहायता से स्वातन्त्र्य प्राप्ति हुई
इसका भान होते ही उन्होंने अपनी मदद की कीमत माँगी शुरू कर दी। फल तोड़ने
के लिए कम्पे पर चढ़ाया हुआ बूदा; फल तोड़ने के बाद किर नीचे उतरने के लिए राजी

ही न ही कुछ ऐसी ही परिस्थिति कई पाश्चात्य राष्ट्रों में हो गई। राजकीय स्वतंत्रता तथा समता के लिए बढ़वन समाज को साथ देकर सत्ताधीश वर्ग और उत्पादक वर्ग के विश्वदर्शक अध्यम श्रेणी ने लड़ाई की। उस लड़ाई के परिणाम तथा उस लड़ाई पर यह राजकीय धोत्र तक ही सीमित करने का प्रयत्न किया गया। परन्तु जब एक बार आजादी का बायु-भण्डल निर्माण हो जाता है तब वह जीवन के हर धोत्र में फैल जाता है, यहाँ अनुभव इन्वेण्ट तथा अन्य राष्ट्रों में प्राप्त है। समता भी मांग सब आधिक धोत्रों में होने लगी व पिछले पचास वर्षों में लोकशाही द्वारा राजकीय धोत्र में चालू किया हुआ आनंदोत्तन आधिक धोत्र तक चला गया। साम्यवादी देशों में अब प्राप्त आधिक धोत्र के अन्दर भी समता प्रस्थापित हो गई है। यत्किंव सब उत्पादन पर जनता को अधिकार हो यह तत्त्वज्ञान वहाँ कार्यप्रबण हो गया है। जहाँ साम्यवाद नहीं है परन्तु लोकशाही है वहाँ भी भजदूरों के हित कल्याणार्थ मजदूरों के लिए पिछले ५० वर्षों में जो कायदे-कानून बने हैं, उन सबका उद्देश्य आधिक विप्रमता को मिटाने का है। येतन गम्भीर कई कायदे-कानून बनाने के बाबन्द भी उन देशों में मनोप्रभाव आधिक समता कार्यम न हो सकी, इसलिए मजदूर वर्ग अभी भी सन्तुष्ट नहीं है। वे प्रथ निश्चित रूप से मालिक यनता चाहते हैं व जो उद्योग-पर्यावरणों के मालिक हैं वे प्रपत्रे स्वायित्व के हर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सब सपष्टित मजदूर सम्पाद्यों ने अब सब उद्योग-रूपों का राष्ट्रीयकरण हो गया ध्येय निश्चित कर दिया है। उस ध्येय को माध्य करने के लिए लोकशाही का ही एकमात्र मार्ग है। इस तथ्य को भी उन्होंने स्वीकार कर दिया है। अर्थात् आज जो व्यक्तिगत पूँजीवादी हैं व जिनके पास अपनी मिलिंदन है ऐसा वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति में जो सोग समता तथा स्वतन्त्रता की जयवत्त्याकरण करने थे वही उद्योगपति, वही पूँजीवादी आज भारत में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए विरोध कर रहे हैं। जब तक उनके स्वार्थ को धौंध नहीं पहुँचती तब तक राजनीतिः स्वतन्त्र्य का आदर्श उन्हें स्वागतार्थ मालूम होना है। आविह धोत्र में विप्रमता बनी रहे इसी दार्तं पर राजकीय धोत्र में समता तथा स्वातन्त्र्य का पुरस्कार उन्होंने किया था ऐसा संगता है। स्वातन्त्र्य का सही अर्थ इस वर्ग वी समझ में नहीं आया ऐसा लगता है। उन्हे यह भली-भीति समझ लेना चाहिए कि मजदूरों को उत्पादन पद्धति तथा उत्पादन व्यवस्था में योग्य स्थान न देने में भ्रोद्योगिक धोत्र में शान्ति प्रस्थापित नहीं हो सकती। सम्पत्ति निर्माण अर्थात् उत्पादन व्यवस्था में मजदूरों का न्याय इतना महत्वपूर्ण है कि इनका महमोग न मिलने पर या उन्हें असंतुष्ट रखकर उत्पादन नहीं हो सकेगा। कम-से-कम वह उत्पादन कायदेमन्द नहीं होगा यह बात अब स्पष्ट है। इसलिए मालिक वर्ग को नये जमाने के माय निभा लेना चाहिए। अब केवल राजकीय समता सूचक गांधी टोपी पहनकर काम नहीं बनेगा। जो कुछ वे प्राप्त करेंगे, मजदूरों के अम के बद पर तथा उनकी सहायता से ही। इसलिए मजदूरों को उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। केवल इसलिए कि मालिक वर्ग वर्तमान भरकारी पक्ष का है व मजदूर संघटन भी उसी पक्ष का है इसलिए उनमें हितैव्य हो यह जहरी नहीं है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वतंत्रता की प्रतिषिद्धि विभिन्न बगैर पर किए प्रशार हुई यह देगना अत्यन्त गतोरतक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन्होंने प्रयत्न किए उन्हें पगर हम यर्द की दृष्टि में देखें, उनमें उच्च यर्द के सोगों का प्राप्तान्य दिनार्द देगा। स्वातंत्र्य प्राप्ति के प्रयत्नों का नेतृत्व निरिमित रूप से मध्यम यर्दीय था। अनिह यर्द तथा गवर्नरशाड़ी यर्द को मध्यम यर्द गदा घाने निर्णय मालूम देता है। राष्ट्रीय समा यदिति देश के लिए सड़नी थी किर भी उमरा अन्तर्गत स्वरूप पूर्ण तथा बहुतन हिताप यहुतन गुणाप था, ऐसा बहना मुश्किल ही है। राष्ट्रीय समा की सात्त्विक पासंभूमि समाजसत्तावाद के प्रतिज्ञन नहीं थी परन्तु समाज सत्तावाद या स्पष्ट पुर्णार उगमें नहीं था इसलिए स्वातंत्र्य प्राप्ति के पहले पहर में मध्यम यर्द तथा यर्दी द्वारा गता गहरा करने के बाद समाजसत्तावाद या अन्त हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के आनंदोनन में आम जनता ने हिस्मा लिया था, मंथटित मन्दूर-गप की महानुभूति थी, य गमयानुगार मन्दूर-गप भी उसमें सामिल होते रहे थे। परन्तु आजादी की लालगा सम्पूर्ण समाज में थी य सम्पूर्ण समाज वह चाहता था। लड़ाई का नेतृत्व बाप्रेस ने दिया था इसलिए गम्ता "जानवृत्त" ने काप्रेस को गता हस्तान्तरित की। राष्ट्रीय सभा के नेतृत्व में स्वातंत्र्यप्राप्ति एक गामान्यत विचारों की एकता थी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता के यर्द सम्बन्ध में तथा उम के यदायर्द करने के विषय में आमता में तात्त्विक मतभेद उत्पन्न हुए यह सर्वविदित ही है। बाप्रेस के नेतृत्व में कुछ भान-युक्त थदा के साथ समाज सत्तावादी विचार रपने वाले व्यक्ति थे तो कुछ ऐसे भी थे जो पुरानी शर्यव्यवस्था के विषय में अधिक चिकित्सा दिना किए उत्पादन बढ़ाकर देश को समृद्ध करना चाहते, वेंट्वारे का प्रश्न उतना महत्व का नहीं, ऐसा मानने वाले थे। जहाँ कुछ व्यक्तियों का कहना था कि समाज सत्तावाद की स्थापना करने की दृष्टि से सत्ता का उपयोग किया जाता चाहिए, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहेए, वहाँ 'धीरे गाड़ी हाँक रे मेरे जवाहर लाल रे', ऐसी मलाह देने वाले भी कुछ मौजूद थे। राजनीय विचारों की एक गुदडी बाप्रेस ने निर्माण की थी व ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि निश्चिन कार्य करना प्रसम्भव ही गया। प्रचलित समाज का स्वरूप बदलता है और उस विषय में कुछ नियोजन करना जरूरी है यह विचार भी कइयों के भस्तिएक में नहीं आता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि अन्नादि दारिद्र्य जारी रहे तो वह आजादी मिलकर भी बेकार साक्षित होगी ऐसी आशका कइयों के मन में आती थी और उनकी वह शका सही भी थी। धामिकवर्ग ने राज्यसत्ता को छोड़कर समाजसत्तावादी विचारों का विरोध करना शुल्क-गुरु में पसरद नहीं किया। काप्रेस में रहकर ही समाजसत्तावाद की ओर जोर से अप्रसर होते वाले रथ की गतिविधि कम करने में या सम्भव हुप्रा तो उसे रोक रखने के इरादे से भारत के पूर्जीवादियों ने कुछ वर्ष प्रयत्न किए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भाषण स्वातंत्र्य होने के कारण अतिरेकी विचारधारा समाज के सम्मुख आने लगी। परिणामस्वरूप समाज सत्तावादी विचार-प्रवाह समाज में जोरों के साथ वहने लगा। एक तरफ पूर्जीवाद अपने तरीके से राज्यसत्ता पर अपना

प्रभाव ढालता था तो दूसरी तरफ बहुजन समाज का दार्दिय तथा भजान राज्य-सत्ता को चुप नहीं बैठने देते थे। सत्ता स्वीकार करते हुए पीढ़ी सी लोकशाही राज्य संस्था में थी ही परन्तु जब भ्रमत ने ग्रन्थना संविधान बनाया व उसे स्वीकार किया उसके बाद तथा युग घुश्ह हुया। विचारों का मार्गदर्शन करने वाला तत्वज्ञान प्राप्त हुआ तथा लोकशाही साधनों के जो आदर्श संविधान ने स्वीकार किए हैं, उन आदर्शों को अमल में लाना चाहिए, यह स्पष्ट हो गया। सार्वजनिक मतदान का अधिकार सबको प्राप्त हुआ और इसलिए चुनाव का महत्व बत्त्वनातीत बढ़ गया। जो पार्टी चुनकर आएगो उसके तत्वज्ञान वा मिक्का समाज में प्रभावशाली होगा और 'इसका मंथ ही सब जगह पड़ा जाएगा यह मी स्पष्ट हो गया। समाज का जो स्वास्थ्य हम चाहते हैं उसे जनमत द्वारा अमल में लाना जरूरी हो गया। तत्वार के बल पर सत्ता ग्रहण करना हराम हो गया। मतदान की पेटी सत्ता देनेवाली बस्तु बन गई। कम से कम सत्ता प्राप्त करने के मार्ग के सम्बन्ध में तथा साधनों के विषय में सब पार्टियों की तत्वज्ञान की दृष्टि से दृष्टिवाचकता थी। बहुमत मान्यता यह लोकशाही उपनियद का महावाचक था। बहुमत प्राप्त न होने पर राज्य के कानून को अमान्य करना या बहुमत पर आधारित भरकार का घर्वंघ तरीकों से विरोध करना आदि इस प्रकार की बातें लोकशाही धर्म विरोधी मानी जाने लगी। राज्य जिस भौतिक तत्व पर आधारित होता है, इस विषय में सब एक राय होते हैं। उम आदर्शों को कैसे कार्यान्वित किया जाए, कल इस सम्बन्ध में विभिन्न पार्टियों में फरक होता है। अगर यह प्रवृत्ति राष्ट्र में नहीं होती तो वही लोकशाही कामयाव नहीं हो सकेगी यह स्पष्ट है। कई पार्टियाँ बहुमत प्राप्त नहीं कर पानी और फिर वे लोकशाही की मर्यादाप्रो को मानने के लिए तैयार नहीं होतीं। लोकशाही का समय किर उन्हें शृंखला सी प्रतीत होता है। समाज का हित विरोध होता है और इस हित विरोध का शान्तिपूर्ण तरोकों से परिहार करना इसी का नाम लोकशाही है। अधिक से अधिक जनता का अधिक से अधिक परिमाण में हित साधने वाली अगर कोई राज्य व्यवस्था है तो वह लोकशाही ही है, यही इतिहास का अनुभव है। परन्तु इस लोकशाही को अगर सफल बनाना है तो उसकी मर्यादाप्रो तथा उसके संयमो का पालन करना अत्यावश्यक है। अगर सत्तास्त्र आर्टी अपने हाथ आई हुई सत्ता का उपयोग जनता को दबाने के लिए करेगी तो वही लोकशाही चल नहीं सकेगी। जो व्यवित जोर, जबदेस्ती पर विश्वास करते हैं या कानून का दुरुपयोग कर अपनी मत्ता कायम रखना चाहते हैं वे निश्चित रूप से अद्वृत्तिवाले व्यक्ति हैं। लोकशाही मत्ता सब के लिए है इसलिए उसे बरतने वाले के मन व चुदि भी व्यापक व विशाल होनी चाहिए। सब समाज के हित का कार्य पूर्णहृष से अगर यशस्वी करना हो तो समाज के सब लोगों को अपनाना सत्तास्त्र पार्टी के लिए मावश्यक है। जनता को माथ लेकर चलना चाहिए। केवल प्राप्त सत्ता को कायम रखने के लिए सत्ता का उपयोग करना लोकशाही की विद्मना मात्र है तथा स्वतंत्रता में लोगों की आजादी जैसे छिनना ही है।

लोकशाही राज्य व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधा जा सकता है। परन्तु लोकशाही व्यवस्था में प्रचलित अर्थव्यवस्था पर यह स्थिति निर्भर करती है। आर्थिक व्यवस्था जितनी मात्रा में समता स्वरूप होगी, न्याय वितरण, आधारित होगा, उतनी ही मात्रा में सुखद तथा समृद्ध बातावरण लोगों को प्राप्त होगा और जीवन के लिए जो आवश्यक है, समाज में जो अधिकाधिक निर्माण होगा उसमें उन्हें न्याय हिस्सा मिलता रहेगा यह विश्वास उनमें पैदा होगा। इसके विपरीत जहाँ इस तरह का विश्वास निर्माण नहीं होता वहाँ जनता मतदान करे फिर भी वह मही मतदान नहीं होता। जहाँ जनता का मन सत्तारूढ़ सरकार की नीति से समरस अपितु प्रत्यक्ष सक्रिय सम्मति से राज्यकार्य चलता है वहाँ प्रगति की गति तीव्र होती है। उसका क्षेत्र व्यापक होता है। धन के वितरण में अधिकाधिक समानता है, न्याय मिल रहा है इस विश्वास में से जनता की सम्मति प्राप्त होती है। परन्तु जहाँ तीव्र आर्थिक विप्रमता हो वहाँ यह सम्मति जो कि प्रगति का चैतन्य समझी जाती है; राज्यसत्ता को प्राप्त नहीं होती। विषम व्यवस्था के खिलाफ विरोध किया जाता है और अगर राज्य के कारोबार में आम जनता की सम्मति न हो तो सामाजिक सघर्ष और अशांति पैदा होती है। विद्यमान अन्याय का सदा ही विरोध हो, यह जरूरी नहीं है। कभी होता है और कभी समाज स्तरध्य बना रहता है। कभी हलचल तो कभी शान्त चुप्पी इस प्रकार यह निषेध का आन्दोलन चलता रहता है। छोटी-मोटी शिकायतों से, छोटे-मोटे दुख से दुखी लोग अनुभव से आदी बन जाते हैं और कई बार उन्हें अनिवार्य मानकर अपना जीवन व्यतीत करते होते हैं। परन्तु यह दिल का जयम हूँसा के लिए ठीक हो जाए ऐसा नहीं होता। आर्थिक अन्याय से फिर सामाजिक अन्याय वा निर्माण होता है और उसी से सामाजिक आत्मा को बलेश पहुँचता है। विद्यमान पीढ़ी अगर निषेध करना छोड़ भी दे तो नये उत्साह के नये प्रयत्नवादी मंदान में आते हैं। जनता के साथ किये गये अन्याय तथा राजसत्ता द्वारा दिखाई गई उपेक्षा ऊपर से लोग भूल गये हो ऐसा प्रतीत होता है परन्तु उससे जनमत के अन्दर एक गहरा धाव हो जाता है, यह बात निश्चित है। एक धरण ऐसा भी आता है कि उस उपेक्षा और अन्याय का प्रदर्शन किसी वरिष्ठ घटना से इतना स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष बहुमा भी चिढ़ जाए ऐसा भी प्रसग आता है। कुछ लोग अगर कुछ देर तक विदिष्ट अन्याय को सहते रहे तो वाकी लोगों को वह अन्याय, अन्याय नहीं, महसूस होता है, ऐसी समाधीशों की धारणा होती है। लोग कुछ समय के लिए हस्तक्षेत्र मचाएँगे फिर अन्त में मान जाएँगे ऐसा उन्हें विश्वास होता है। ढण्डे के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। ऐसा माननेवाले ढण्डेशाही महात्मा राजकीय मृष्टि में भी होते हैं। जिस द्विभाषी को जनता नहीं चाहती थी उसे पुलिस के जोर से जनता पर लादा जा सकता था ऐसा भी युक्तिवाद अभी तक किया जाता है। कुछ लोगों ने अन्याय सहा इसलिए वह न्याय नहीं बन सकता है। ढर के कारण कोई बोलता न हो या बोलने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मौन धारण किया है। इस परिस्थिति में जो हो रहा है वह मर्वमान्य है ऐसा निकलना यह राजनीति में बड़ी भारी

गलती है परन्तु फिर भी अनुभव से भी समझदार न बनने वालों को सत्ताधीश वर्ग में कमी नहीं है। अपना निजी अनुभव अर्थात् सब का अनुभव ऐसा समझने वाले लोग भी सत्ताधीश वर्ग में होते हैं। इसलिए जनता की जहरतें उन्हें अनावश्यक दिखाई देती हैं और उन्होंने स्वयं जो योजना बनाई ही वही जनताहितार्थ है ऐसी धारणा उनकी होती है। इसलिए छोटी-छोटी वालों में भी सधर्य करना पड़ता है। काम के घटे कम करने का प्रश्न हो या बेतन कम और बाजार भाव अधिक यह सवाल हो या मंधटन को भव्यता देने का प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न के बारे में जनता के अनुभव को ध्यान में लेकर उस प्रश्न का हल निकालना उन्हें योग्य नहीं लगता। जनता की सम्मति ही देश की स्वतंत्रता तथा सशक्ति को पहचान है, इन तथ्य को धगर भूल गये तो समाज का भविष्य अनिश्चित हो गया, यही इसका मतलब हीता है। सरकार या सन्तुष्ट सत्तास्थल पार्टी को चाहिए कि अपनी नीति जनता को भली भांति समझा दे तथा जनता को यह विद्वास हो जाये कि वह नीति उसके अनुभव से मेल राने वाली है। सत्ताधीश वर्ग का अनुभव कुछ भी रहा हो परन्तु जनता का अनुभव प्रस्तुत होने के बारें प्रभावशाली होना चाहिए। जो हृदूमतशाही तथियत के होते हैं या मनमानी चलाने वाले होने हैं उन्हें जो कुछ उसका अनुभव होता है, वही ठीक है, ऐसा सागता है। उसपे कुछ गलत है ऐसा वे नहीं सोचते और कुछ दोष हो तो भी उसे उनकी अधिकार की कलम ठीक कर मक्ती है ऐसा उन्हें आत्मविश्वास होता है। परन्तु जब तक जनता को उनकी वात पटती नहीं है, जनता के अनुभव को जेचती नहीं है तब तक केवल इष्टे के बल पर उसे जनता पर लादना याने राज्यसभा के विश्व बगावत तथा सधर्य को आह्वान देना ही है। इस प्रकार से चलाया गया शामन धर्मिक यमस्वी होता है परन्तु उसके अन्तिम परिणाम अत्यन्त भयावह होते हैं। जिम सरकार के पीछे जनता की सम्मति हो, जिस सरकार के कारोबार में जनता का हादिक सहकार्य हो वही सरकार सफल होती है। और उम्मी यह सफलता स्थायी भी रहती है। जनता की सहपति होने के बारें नीति वो कार्यान्वयन करने में सहायता होती है व यहि फिर भी कुछ दिक्षने पैदा हो गई तो उन्हें शीघ्रता से दूर किया जा मक्ता है। अगर जनता ने यह अनुभव किया कि उम्मी आवश्यकताएँ पूरी की जा रही हैं तो वास्तव में जनता कामयेनु बत जानी है। सरकार जो जो भागि वश देने के लिए संयार हो जाती है। जनता किर यह अनुभव करती है कि उसकी इच्छानुसार उसके विचारों की बदर करते हुए तथा उसके अनुभव का लायल कर कार्य किया जा रहा है। इसके विपरीत यही सरकार अपनी ही विचारधारा, अपना ही तत्वज्ञान व अपने ही निर्णय हमेशा आगे ढोकती रहे तो आज या कल उसका विरोध अवश्य होगा और उस विरोध से कठिन प्रसंग निर्भग हो जाता है। फिर जो कुछ होता है वह सोगों को अवहन मा प्रतीत होता है। वे भी नागरिक हैं और उनके नागरिक अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, यह मावता तीव्रता के साथ उनमें उभरती है। जो होना नहीं चाहिए वह ही रहा है, कुछ तो भी मन को क्लेश पहुँचाने

बाली घटनाएँ हो रही हैं, ऐसा वे अनुभव करते हैं और दिन-प्रतिदिन उसे सहना उन्हें असह्य हो जाता है। दिल-तया मन मारकर रहने की परिस्थिति फिर अधिक समय तक नहीं सही जाती। चुनाव द्वारा, सत्याग्रह द्वारा अथवा खुल्लम-खुल्ला विद्रोह द्वारा उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए रास्ता निकाला जाता है। विद्यमान सरकार अच्छी है या बुरी यह जानने के लिए किसी वेदाभ्यासजड़ पन्दित से पूछने की आवश्यकता नहीं। किसी शास्त्रज्ञ की बुद्धिमत्ता पर या केवल ताकिक दृष्टि से किए हुए विचारों पर भी उसे निर्भर नहीं करना। अपितु जनता का उस सरकार के राज्य के कारोबार के विषय में जो अनुभव होता है उस पर निर्भर करना है। यह अन्तिम कसीटी होने के कारण जनता को नाराज करना या उसकी सहमति की परवाह किये विना राज चलाना लोकशाही स्वतंत्रता के खिलाफ है।

जनता की सम्मति गृहीत मानकर कोई भी राजसत्ता साधारण परिस्थिति में राज्य कर सकती है, परन्तु असाधारण परिस्थिति के उत्पन्न होते ही गृहीत सम्मति दृश्यमान न होने के कारण व जनता के सहकार्य के अभाव में सरकार सम्भ्रमित हो जाती है। जनता की भावनाओं को छोट पहुँची हुई होने के कारण वह भी सरकार की सहायता नहीं करती इसलिए राज्य सत्ताहृद लोगों को चाहिए कि वे लोकमत जानते रहने का हमेशा प्रयत्न करते रहे। लोकमत जानना जितना आवश्यक है उतना ही वह कार्य कठिन है। लोकमत यह रसायन कई बातों और विचारों से तथा सामाजिक भावनाओं से बनता है। कई बार वह वस्तुस्थिति को पूर्णतया बिना आकलन किए हुए बनता है, इसलिए वस्तुतः वह भिन्न होते हुए भी असत दिखाई देता है। समाज की मिथ्या-मिथ्या मर्यादाएँ प्रचारार्थ कार्य में चतुर होती हैं, इसलिए वास्तविक स्थिति या सत्य सदा प्रकाश में आयेगा यह जरूरी नहीं है। आज की दुनिया में सस्थानों का और पाठियों का सघटन होने के कारण प्रचार के साधन उनके हाथ में होते हैं और वे सत्य का विपरीत व विहृत स्वरूप लोकमत के बाजार में ला सकते हैं। हजारों तारे राज्य सत्ता को भेजी जाती है। संकड़ों सभाओं में सत्य का विपरीत स्वरूप लोगों के सामने पेश किया जाता है। बहुत से प्रतिनिधि मण्डल अधिकारियों को आकर मिलते हैं तथा अखबारों में निर्दिचत तरीकों से प्रचार किया जाता है। इस प्रकार की चालें केवल एक ही पक्ष से नहीं की जाती परन्तु अन्य सभी पाठियों वीं और से भी अपने-अपने तरीकों से सर्वथा विरोधी लोकमत है यह दिखाने वा प्रयत्न किया जाता है। फिर ऐसी परिस्थिति में सच्चा लोकमत क्या है, यह जानना सर्वथा मुश्किल हो जाता है। चुनाव द्वारा आम तौर पर लोकमत का अन्दाज हो जाता है, यह सच है, परन्तु फिर भी चुनाव के बातावरण में ममूरं सत्य तथा मम्बन्धित परिस्थिति वा लोगों के सामने आना जरूरी नहीं है। कई बार विवेक की भवेश्वा भावना अधिक प्रबन्ध होती है और उसी वीं विजय हो जाती है। और इस किया में वास्तविक लोकमत चुनाव में भी प्रवट नहीं हो पाता। परन्तु आम तौर पर चुनाव में लोकमत का प्रदर्शन होता है, इसी मिदान्तानुमार सोक-शाही प्राप्तारित है और लोकशाही में लोकमत के बदलते ही वह फरक समाज की

नजर में आता है और राज्यकर्ता लोग अगर मदान्ध न हों तो उन्हें भी वह दिखाई देता है। परन्तु लोहमत में दिखाई देने वाले प्रत्येक परिवर्तन को सत्ताधीश पार्टी स्पायी नहीं मानती इसीलिए कई बार वही सरकार जो देश में अधिय समझी जाती है, उसका विधान सभा में बहुमत होता है। इसलिए वह अपनी सत्ता का दावा तथा नियन्त्रण नहीं छोड़ती। स्वेच्छा नहर की पटना के बाद इंसेण्ड में मन् १९५६ में यही दिखाई दिया। इस समय अगर चुनाव किया जाता तो सत्ताधीश कंब्रिटिव पक्ष हार जाता परन्तु बदले हुए लोकमत को परवाह किये बिना कंब्रिटिव पक्ष अमीटता गया और आगे आने वाले चुनावों में फिर उसने अपना बहुमत कायम रखा। जनता की सम्मति गृहीत भान कर कहाँ तक कोई पक्ष राज्य नियन्त्रण की गाड़ी चिंच सकता है इसका सही अन्दाज लगाना राजकीय कौशल का काम होता है। सत्ताधीश पक्ष को सम्पूर्ण सरप जनता के समक्ष रखना चाहिए, इस नैतिक बन्धन का वह हमेशा बालन करे, यह ज़रूरी नहीं है। इसलिए सत्ताहृष्ट पक्ष स्वयं जो नीति निर्धारित करता है, उसे लोगों को पठाने के लिए जो-जान से प्रयत्न किया जाता है। वही सत्य तथा वस्तुस्थिति जनता के सम्मुख रखी जाने की स्वतन्त्रता दी जाती है जिससे उनकी सत्ता को किसी प्रकार से स्वतरा न पहुँचता हो व फिर सत्ता तथा लोकशाही के मूल्यों को सत्ता व सरकार भान करते हैं, यह दावा बेज कर दिया जाता है परन्तु जनता के मन में उनके साथ किया गया अन्याय और सामाजिक आधिक विषयमता काफी गहरा घर किए हुए होते हैं इसलिए उसके यह सत्ताधीश वर्ग विरोधी पूर्वगृह क्षय फूट पड़े इसका कोई भरोगा नहीं होता। अन्याय की भावना और यह पूर्वगृह स्वतन्त्रता के बातावरण से विसर्ग होते हैं। सत्ताधीश अपनी राय तथा विचारधारा को ही सामाजिक हितार्थ मही मानते हैं, केवल अपने ही अनुभव को सब मानते होने के कारण उसमें विपरीत कुछ हो महता है या उसमें कुछ सत्य की माशा हो सकती है, यह वह अनुभव नहीं कर सकते। जब मक्टकालीन परिस्थिति में देश के सामने दुष्पर प्रसाग खड़ा हो जाता है, उस समय राज्य हितार्थ तथा सरकारार्थ नागरिकों की मौलिक स्वतन्त्रता को या तो स्थगित कर दिया जाता है या मकुचित कर दिया जाता है। योड़ी बहुत मुँजाइश रखी भी जाती तो कुछ लोग देशप्रेम के कारण अथवा कुछ ढर के कारण या उदामीनतावश अपने विचारों को प्रकट नहीं करते। जो लोग विद्यमान सत्ताधीश पक्ष के होते हैं, उन्हे दुमुना जोश आता है और उनकी बाचाल अर्थविहीन बकवास को ही समाज की राय समझा जाता है। विरोध के अभाव में जो सत्ताधीश पक्ष भे बोला जाता है वही लोकमत निविवाद सरकार की तरफ का बन जाता है। युद्ध प्रसंग में जनता की मन स्थिति आम तौर पर अस्थिर होती है। हार विषयक जो कुछ व्यर्थ चुरा-भला कहा जाता है, उसे मानते की ओर उसकी मनोवृत्ति होती है। शान्तिकाल की अपेक्षा संकटकाल में सत्य का जनता के सम्मुख आना अधिक ज़रूरी तथा समाज-हित की दुष्टि से इष्ट होता है, परन्तु प्रत्यक्ष अनुभव इसके विपरीत होता है। लोग चुप हैं, इसलिए वे सन्तुष्ट हैं; वे बोलते नहीं इसलिए उनको सरकारी नीति जंच गई है, ऐसा मान लिया जाता है और यह वृत्ति केवल हृकूमतशाही सरकारों की ही होती है ऐसा नहीं है, लोकशाही

सरकारों का भी यही हाल होता है। विदेषतः जिस लोकशाही राखार की अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप पूँजीवादी होता है और जिस समाज में आधिक विप्रमता होती है, वही यह स्थिति दियाई देती है। पूँजी प्रधान सोकमत का प्रतिनिधि माना जाता है। अपनी विचारधारा के खिलाफ जो विचार रखने हैं उन्हें द्रावितिकारी तथा समाजद्रोही या अगर कोई भी अपने विचार जाहिर न करते हुए चुपचाप रहे तो उनकी मौन सम्मति मानकर अपना राजकाज चलाते हैं। विरोधी मतों वो दबा देना या उनके दिर्घ सामाजिक शक्ति का प्रयोग करना समाज के हित में ठीक नहीं होता। मत्य न कह कर चुप बैठे रहने का फल भी समाज के हित में बुरा होता है। दो-चार उपद्रव्यापी व्यक्ति एवं दो-एक सटपट फरने वाली सम्पत्ति उठें और कुछ-का-कुछ बहते किरे, और उसी को लोगों की इच्छा मान लिया जाए तो वह मच्चे सोकतन्त्र तथा मच्ची स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। ग्रिटिंग लोगों के राज्यालय वा अनुभव हमें बताता है कि लोकमत को अपने अनुसून मानित करने के लिए किन्हीं विदेष अखबारों के लेखों को प्रमाण स्वरूप में पेश किया जाता था। जिन्हे समाज में काई पूछता-ताछता नहीं था, उन्हे अनेक लिताव देकर उनकी सम्मति को ही लोगों की सम्मति घोषित कर दिया जाता था। लोकतन्त्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतन्त्री सरकार की स्थिरता एवं कार्यकामता लोगों की मच्ची निष्ठा एवं मच्चे सहयोग पर निर्भर करती है। लोकमत वा सच्चा सोना कोन सा है तथा पीतल कोन-सा है वह सधर्द के समय तत्काल पता चल पाता है। अतः सरकार वो समाज में शान्ति एवं सन्तुलन बनाए रखने के लिए मच्चे लोकमत का बड़ी रावधानी से पता चलाना चाहिए तथा उसके अनुसार अपने कार्य की दिशा निर्दिष्ट करनी चाहिए।

साधारणतया जहाँ विचार-स्वतन्त्रता, मत-स्वतन्त्रता रहती है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति एवं प्रत्येक दल अपने मत एवं विचारधारा ही को सही बतलाता है तथा दूसरे दल की विचारधारा को गलत एवं समाजद्रोही मानता है। यह भी कहता है कि उसके दल को ढोड़ अन्य कोई दल सत्य की रक्षा के लिए चिन्तित नहीं रहता। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्ण सत्य के अभाव में व्यक्ति को स्थिति का सही-सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न अन्ये लोग हाथी के भिन्न-भिन्न अवयवों को हाथ से छूकर उसके रूप के बारे में भिन्न-भिन्न मत कायम करते हैं, उसी प्रकार समाज के व्यक्ति भी अपना-अपना मत कायम किया करते हैं। और इस सारे घपले में समाज की सगठित मस्थाएँ एवं सगठित दल स्वतन्त्र विचार के व्यक्तियों को अपने प्रोपेण्डे की भरमार से निष्प्रभ कर डालते हैं। भूठमूठ की भड़कीली व्यवरै छाप कर, अनगंत लेख लिखकर प्रचार वा ज्वालामूली धधकाकर मत कायम करने की रवतन्त्रता को अर्थहीन बना डालते हैं। तब व्यक्ति कहने लगते हैं 'मेरा मत अमुक समाचारपत्र का सा, अमुक दल का सा तथा अमुक नेता का सा है।' तैयार कपड़े खरीदने की भाँति ही तैयार मत स्वीकार करना व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। किंवद्दना, दल द्वारा, नियशित राजनीति में व्यक्ति का व्यक्तित्व कम होता जाता है तथा सामाजिक एवं सगठनात्मक भाव उसके जीवन में अधिक होता जाता

है। यदि योई स्वतन्त्र रूप में अपने कथन को प्रस्तुत करना चाहे तो उसके मार्ग में गाहेन्वगाहे रकावटें उत्पन्न की जाती हैं और यदि इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जोर पकड़ने लग जाए तो वह समाज में समता की स्थापना करने की दृष्टि से बहुत हो शक्तिशाली हो जाती है। और निके उसी एक बजह से समाज में प्रस्थापित हित-सम्बन्ध तथा उनका शसनाद करने वाले समाचार-पत्र ऐसे व्यक्तियों एवं उन व्यक्तियों के प्रयत्नों पर चारों पोर से टूट पड़ते हैं। इत्ता ही वायों, विषम समाज में शिक्षा का प्रबन्ध कुछ ऐसा किया जाता है, जिससे जहाँ तक बन पड़े नवीन विचारों का प्रभार न होने पाये। पाठ्यक्रम की पुस्तकों से लेकर विश्वविद्यालय के थ्रेष्ठ शिक्षाक्रम तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है। 'मगन तराजू आण' (मगन तराजू से आप्तो), 'महादू वैल सोड' (महादेव, वैलों को खोल दे), 'मोहं पोथी वाच,' (मधूर पण्डित, पुस्तक पढ़ो) इत्यादि वाच्य सिर्फ भाषिक महत्व के ही नहीं हैं। इन वाक्यों में से मोजूदा सामाजिक व्यवस्था भौकलती है। अतः विचारों के दौत मनुष्य को आने से पहले इस बात की खबरदारी रखो जाती है कि कहीं वे शूलदन्त न हो जाएं। इस स्थिति में यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि हर व्यक्ति जो वयस्क हो गया है, स्वतन्त्र बुद्धि का निकलेगा ही। विषम समाज में व्यवसाय की व्यवस्था भी स्वतन्त्र विचारों के लिए कुछ ज्यादा भनुकूल नहीं होती। न्याय व बानून के दोनों में समाज की आवश्यकता की अपेक्षा पिछले उदाहरण (प्रिसिडेंट) पर अधिक जोर दिया जाता है। नई परिस्थिति के लिए पुराना कानून भयूरा सावित होता है, यह जानते हुए भी कानून के उद्देश्यों को छोड़कर कानून के दब्दों को अधिक महत्व दिया जाता है। समाज की सस्याएं, समाज एवं राज्य की सत्ताएं समाज के परम्परागत एवं प्रचलित आदर्शों को ही सनातन मानने की वृत्ति को प्रथम देती हैं। सत्य का प्रबार करने की प्रतिज्ञा के साथ जन्म लेने वाले समाचार-पत्र भी सत्य ही का कथन करेंगे ऐसा कहते-कहने सिर्फ सत्य को ही भुला बैठते हैं। जो न्याय होगा उसी का समर्थन करेंगे ऐसी घोषणा करते करने सिर्फ न्याय बन्तु का ही परित्याग कर बैठते हैं। राजनीति में धार्म जनता के मुख के लिए अपने प्रिय व्यक्तियों से भी सम्बन्ध-विच्छेद करना पड़े तो हम वैसा करेंगे, ऐसा कहने वाले धार्मन की बागड़ोर हाय में लेते ही अपने प्रिय व्यक्तियों का हित सम्पादन करने में जुट जाते हैं। उन्हीं की निवृत्तियाँ करते हैं। हम सारे देश एवं सारी जनता के हैं, कहते-कहने अपने ही तालुके एवं गांव को देश मानने लग जाते हैं तथा अपने ही नाते-रिने के लोगों तथा गांव भाइयों एवं जातभाइयों को धार्म जनता मानने लग जाते हैं। इस बातावरण में यदि कोई विरोध करे तो समाज का बातावरण ऐसा बना दिया जाता है, जिससे ये विरोध करने वाले लोग समाज में रहते हुए भी अकेले हो जाते हैं। देश में रहते हुए भी निर्वासित हो जाते हैं। जनता में धार्मण करने की स्वतन्त्रता के होते हुए भी वे अपनी उस स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकते। सत्ताधीश सदा इस बात का ध्यान करते हैं कि उन लोगों के किसी भी विचार का प्रभाव प्रस्थापित हित के विश्व न पड़ सके। तथापि इन राव कीशियों का फल तात्कालिक ही होता है। अन्त में जो बात होना होती है, वह होके ही रहती है।

आधिक विप्रमता के कारण साहस्र में निहित शक्ति परम हो जाती है। जनता बहुसंख्यक होकर भी सामर्थ्यमुद्भव नहीं होती। अल्पसंख्यक सोग अपनी सम्भाति तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के बल पर सामर्थ्यशाली होकर सत्ताधीश बन जाते हैं। साथात् सत्ताधीश न भी हो तो भी सत्ताधारी लोग उनके इशारे पर नाचने सक जाते हैं। किंवद्दना, सम्भाति, मान, वर्ग आदि वाते राजसत्ता को अपनी दासी बना सेती हैं। जिवा मात्रमें के शब्दों में कहना हो तो राजकीय सत्ता उपरिलिपित वर्गों की कार्यवारियों समिति बन जाती है। इस परिस्थिति में बहुसंख्यक लोगों का सुग का मार्ग कटाक्षीण हो जाता है। उनको आत्मोन्नति से दूर रखने के बार-बार प्रयत्न किये जाते हैं। वास्तविक शक्ति तो जनता की होती है, पर वह मुझी भर लोगों के लिये उपयोग में लाई जाती है। जो बहुसंख्यक जनता एवं बहुजन समाज को न्यायानुमार देना चाहिए, उसके विपर्य में विकृत दृष्टिकोण से काम लिया जाता है और राज्यसत्ता की सारी बुद्धि-शक्ति बहुजन समाज को उनके न्याय अधिकारों से उचित रखने के उपाय हृदैने में सर्वं की जाती है। पुरानी दिक्षायतों को नई शब्द में पेश किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के बैतन बढ़ाग जाते हैं तथा कनिष्ठ कर्मचारियों वा बैतन बढ़ाने का सबाल उठ खड़ा होने पर वह सोन्जबल कारण सामने किया जाता है कि उनके बैतन में बृद्धि करने से आर्थिक संतुलन बिगड़ जायगा। समाज में जो सामग्री होती है, उसका उपयोग उचित रीति से होना चाहिये, अतः उसका उपयोग गरीबों के लिए नहीं किया जाता। आज या बल करेंगे वह टेक सर्वथा क्षुद्र बातों में भी गायी जाती है। तात्पर्य वह कि बहुसंख्यक होने पर भी बहुजन समाज समठन के अभाव में अपनी शक्ति को प्रभावी नहीं बना सकता। सीधी-सादी बातों में भी उसे निराशा का मुँह देखना पड़ता है। उन्हें जिस बात की जहरत होती है उसकी जहरत अपने जीवन को सार्थक करने के लिए होती है। और सार्थक जीवन समाज को प्रगति-परायण बनाने के लिए जहरी होता है। कम से कम उसका परिणाम तो बैसा ही होता है। राजनीतिक स्वतन्त्रता ढोल पीटने के लिए नहीं होती। उसके द्वारा जीवन को थेठ उद्देश्यों एवं आदर्शों को हासिल करना होता है। महात्माजी ने गोलमेज परिषद् में कहा था कि मुझे स्वतन्त्रता माथे पर पट्टा बांध कर उसका प्रदर्शन करने के लिए नहीं चाहिए। वरत् मुझे अज्ञान, दरिद्रता एक अभावों की स्थिति में तथा निरुत्साही वृत्ति में पड़े हुए देश को सज्जान, सुखी, उत्साही बनाने तथा उन्नति की ओर अभिमुख करने के लिए उसकी आवश्यकता है। अतः यदि मिली हुई स्वतन्त्रता से हमारे उद्देश्य की सिद्धि न हो तो कहना होगा कि अब तक हमने जिस देवता का पूजन किया है, वह पापाण ही है। नितान्त भक्त निश्चर शत्रु बन जाता है। जनता को ऐसी स्वतन्त्रता अभीष्ट नहीं प्रतीत होती तथा राजकर्त्ताग भले ही अपने लोग हो अपने सम्बन्धी हो तो भी ऐसा लगता है कि वे अपने सहायक या अपने को मुख देने वाले नहीं हैं। युग-युग की दरिद्रता एवं विप्रमता को दूर करने के लिए बहुजन समाज को आर्थिक न्याय की आवश्यकता होती है। जनता की माँग आधिक समता की होती है। श्रम करने को वह तंयार होती है पर उनका वह श्रम सफल होगा या नहीं इस बात का सन्देह बना रहता है। और ऐसी स्थिति में उसको राज्य के

कारोबार में किसी किसम की दिलचस्पी नहीं रह जाती। वह उदासीन हो जाती है। कुछ काल पश्चात् उसमें विरोध की भावना जाग जाती है तथा आगे चल कर वह बदूर विरोधी बन जाती है। उसे अनुभव होने लगता है कि वहुसंस्था में होने पर भी वह अल्पसंख्यक सत्ताधारियों के हाथ का खिलौना बनी हुई है। जनता के कुछ लोग बोलते जरूर हैं, तो भी सामान्य जनता मीन रहती है। पूँजीवाद-प्रधान अन्तर्गत में हाँकने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि एक संगठित दल होता है। वहुजन समाज जिस सामिक्तिक एवं सामुदायिक जीवन को विताया करता है, उसमें उसे कोई प्रेरक-वस्तु दृष्टिगत नहीं होती। ऐसी कोई वस्तु नहीं नजर आती जिसके लिए दुनिया भर की मुमोदतें भेली जायें तथा भृत्यु तक का आलिंगन करने में हिचकिचाहट महसूस न हो। राज्य एवं राष्ट्र के प्रति सामान्यतया जनता की निष्ठा रहती है। पर पुजारी दुराचारी हो तो भवत के मन की जो अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था राज्यहृषी देवासय में पुजारी रूपी सरकार के आचरण को देखकर जनता के मन में भी उत्पन्न होती है। व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, उसके मन में किसी न किसी वस्तु के प्रति दृढ़ निष्ठा होती है। किंवद्दना, निष्ठाधून्य व्यक्ति का मिलना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। कुछ काल के लिए वह निष्ठाधून्य रह सकता है तथापि वह किसी न किसी निष्ठा की शरण में चला जाता है। और एक बार निष्ठा के जागरित हो जाने पर जिस वस्तु के प्रति निष्ठा है, उसकी कितनी भी विरोधी आलोचना व्यों न हो, उमड़ा विश्वास डगमगाता नहीं। राजनीति में भी ऐसी ही अवस्था है। विभूति-पूजा का विरोध करने वाले भी समय पाकर विभूतिपूजक बन जाते हैं। इसी प्रकार किसी नेता पर विश्वास हो जाने के बाद उसकी बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी राजनीतिक दाँड़-पैच मानी जाने लग जाती हैं। उनके मुँह से निकली सीधी-सादी बातें भी भविष्यवाणी समझी जाती हैं तथा पूरी अन्धशद्वा से उन पर विश्वास किया जाता है। जो निष्ठा एवं जो मनोभाव व्यक्ति के बारे में रहते हैं, वही निष्ठा एवं मनो-भाव लोकतन्त्र में दल के बारे में अथवा संगठन के बारे में लोगों के मन में दिखाई देते हैं। मजदूर संघ के बारे में निष्ठा उत्पन्न हो जाय तो उस संघ अथवा उसके नेता कुछ व्यों न करें उसे ठीक ही माना जायगा। जितना हितेवय अधिक स्तिंग्ध होगा, नेताओं एवं अनुयायियों के सम्बन्ध जितने धनिष्ठ होंगे उसी ही निष्ठा अधिक दृढ़ एवं शक्तिशाली होगी। तब सरकार की भी पर्वाह नहीं की जाती। जब व्यक्ति यह मानने लगते हैं कि मजदूर संघ उनका अपना है, रेलवे फेडरेशन उनका अपना है, कलास फोर यूनियन उनका अपना है तथा उनके हृत के लिए प्रयत्न किया करता है तथा सदा जागरूक रहता है, तो उनकी निष्ठा अपने संगठनों के प्रति अधिक मजबूत हो जाती है तथा यदि कभी सरकार और संगठन के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाय, तो वे अपने संगठन के प्रति अधिक बफादार हो जाते हैं। सरकार भले ही संघ के कार्य को देखवितातक करे या देशब्रोही करे, पर उनकी निष्ठा में अन्तर नहीं आता। लोग अपने संघ का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इस प्रवृत्ति का कारण यही होता है कि राज्य के कार्यकलापों में उनके अनुभवों की पर्वाह नहीं की जाती।

तथा संघ के सारे कार्य उनके अनुभवों के ही आधार पर हुआ करते हैं। किंबहुना, व्यक्तियों के अनुभव ही सध की कार्य प्रवण शक्ति होती है।

आर्थिक विषयमता के रहते समाज भले ही ऊपर से एकात्म दृष्टिगत हो, पर वास्तव में वह वैसा नहीं होता। एक गाड़ी में जिस प्रकार अलग-अलग दर्जे के डिव्हे होते हैं उसी प्रकार वर्ग व्यवस्था में समाज के व्यक्तियों के भी दर्जे हुआ करते हैं। समाज के दो स्पष्ट विभाग होते हैं। एक उन लोगों का वर्ग जिनके पास सम्पत्ति है, सत्ता है, प्रतिष्ठा है तथा जिन्हें, जो कुछ वे चाहते हैं, करने की सुविधा प्राप्त होती है। दूसरा उन लोगों का वर्ग, जो गरीब है, असमर्थ है, अज्ञानी है, उपेक्षित है एवं वचित है। योड़ी देर को हम यह मान सकते हैं कि राष्ट्र नामक एक औपचारिक ढंग के नीचे ये दो राष्ट्र हैं, जो युद्ध के पैतरे में आमने-सामने खड़े हैं। जो अभाव-ग्रस्त वर्ग होता है, जिसके पास सत्ता एवं सम्पत्ति कुछ भी नहीं, वह समर्थित हो जाता है, तथा जो सध एवं सगठन उसका उद्धार किया करता है, उसके प्रति वह निष्ठावान बन जाता है। बाहरी दुश्मन देश के साथ लड़ाई होते समय नागरिकों के मन में जो स्वामिभक्ति, तीव्र देश प्रेम एवं त्याग की भावना काम किया करती है, वैसी ही भावना इस अभावग्रस्त वर्ग के लोगों के मन में भी कार्य-प्रवण होती है। मालदार वर्ग उन्हें अपना मचमुच का शब्द वर्ग प्रतीत होने लगता है। उस समय वह वर्ग अपने नघ के लिए सब प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहता है। हड़ताल की नेतृत्व पृष्ठभूमि हमेशा स्थार्थत्याग पर आधारित होती है। सत्ताधारी वर्ग कुछ क्यों न करे, उस पर दुष्ट उद्देश्यों का आरोप किया जाने लगता है। अगर कहीं सत्ताधारी लोग न्यायानुसार आचरण करें भी, तो भी उम्मे से लोगों को वेईमानी की गध आने लगती है। सत्ताधारी मालदार वर्ग उन्हें मानव रूप में राक्षसवर्ग प्रतीत होता है। और इसी प्रकार मालदार वर्ग को भी सामाजिक न्याय मांगने वाले, आर्थिक समता मांगने वाले सगठन समाजद्रोही एवं देशद्रोही प्रतीत होते हैं। अभावग्रस्त वर्ग को जो वस्तु अभीष्ट प्रतीत होती है, उससे इनकार करना ही सम्पत्तिशाली वर्ग को अपनी भन्दाई की बात प्रतीत होनी है। अभावग्रस्त लोगों को जो अनुभव आता है, वह चूंकि सम्पत्तिशाली लोगों को नहीं आया होता, अतः उस अनुभव को सत्य गानने को उनका मन तंयार नहीं होता और वे लोग अपने ही अनुभव को सही समझते हैं। तथा उसी को ध्यान में रखकर वे अपनी सत्ता स्थापित किया करते हैं। तब अभावग्रस्त वर्ग को लगता है कि समाज के चिन्हपट में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, वे तिफ़ गाड़ी तीव्रने तथा बड़ों के चलने के रास्ते पर चाल्दरे बिछाने भर को हैं। इस प्रतीति का परिपाक आगे चलकर न टलने वाले मध्यम में होता है। ये विचारों की प्रगति के लिए ऐसो अवस्था में वितनी बठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं, इस बात को भारत के लोग भली-भाली जानते हैं। यों देखा जाय तो वेदोऽन वर्म करने से बहुजन समाज को बोर्ड बहुन यही सम्पत्ति मिलने वाली नहीं थी, हा, एक सामाजिक प्रतिष्ठा, एक सास्कृतिक प्रभिमान जहर प्राप्त होने वाला था। तथापि इस मोधी-मादी बात के लिए भी ऊपर के वर्ग वे लोगों ने जिनना विरोध किया, इस बात का इतिहास अभी ताजा है। राजनीति में प्रगतिशील एवं त्याग दृढ़ता वाले 'वेसरी' जैसे सामाजारपत्र भी साठ वर्ष पहले वेदोऽन

वायों का अधिकार बहुजन समाज को नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया करने थे और जहाँ स्थानों का सम्पत्तिमान् वर्ग का सम्बन्ध आया, वहाँ तो अपने को शान्तिकारक बहने वाले लोग भी जानिविषयक एवं वर्ण-विषयक भावना में प्रेरित होकर बहुजन समाज का विरोध करने नमें, ऐसी पटना महाराष्ट्र के इतिहास में घटित हुई है। सह्यानों को बिलोन हो जाना चाहिए तथा वहाँ की प्रजा को गुनामी से मुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन करने वाले लोग प्रतिगामी सोगों की आलोचना का विषय बने। यह भी वहाँ जाने लगा कि नस्थान तो पुराने वैभव की निमानी है, नवीन आशाम्रों का सतत बहने वाला भरना है। गस्थानिङ्गों के दुरुत्त्वों को, उनके अत्याचार एवं अनाचार को सार्वजनिक आलोचना की प्रवाग-ज्योति में जाने का प्रयत्न करने वाले की जान तह खतरे में पड़ जाती थी, इग बात को अभी तक महाराष्ट्र में भुलाया नहीं जा सकता। बहुत से सह्यानिकों ने अपेक्षा के रहने तक बहुजन समाज की स्वतन्त्रता का विरोध ही किया था। प्रवाग-परिषद् के सदस्यों के माय केमा दुर्घट्टार किया जाना था, इस इतिहास को लोग अभी तक भुला नहीं पाये हैं। अनेक मस्थानिक तो ऐसे भी थे जो अपनी रियासत में होने वाले दुरुत्त्वों पर भड़ाफोड़ न होने देने के विवार में रियासत में बाहर दूरने वाले नमाचारपत्रों की आधिक महायना भी किया करते थे। रियासत में बाहर के माहित्यकों पर पुरस्कार देकर रियासत में न मिल सकने वाली मामाजिक प्रतिष्ठा को रियासत के बाहर से प्राप्त किया करते थे। विरोध को नष्ट करने के दान तथा दण्ड दोनों उपाय काम में लाये जाने थे। गरदारों, इनामदारों तथा जागीरदारों का अब फोई सामाजिक प्रयोजन नहीं रह गया है। मामाजिक सेवा तथा उत्थोगिता ये दोनों बानें अब इस वर्ग से नहीं प्राप्त हो सकती, यह बात जानने हुए भी आज भी इन लोगों के भाट जमी कही मिल जाने हैं। 'सोत' की 'साटेसाती' में जनता को मुक्त करने के लिए जो प्रयत्न किये गये, उनका समर्थन करने वाले नमाचार-पत्र तथा नोग रत्नागिरी की गतियों से लेहर पूना के मदानिव पेठ के 'हीद' सक मौजूद थे। तात्पर्य यह है कि समाज की आधिक विषयता को दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न किये जाने हैं, उनका प्रायः विरोध ही होता है। प्रचलित नमाज व्यवस्था तथा विषम आधिक परिस्थिति को बनाये रखना चाहिए, ऐसा कहने वाला एक वर्ग सब कहीं मिल जाता है। कारण यह है कि विषम आधिक स्थिति में जिसको जो अनुभव आता है, उसके अनुसार ही उसकी युद्धि एवं भावना बना करती है। जिस व्यक्ति के पाम सम्पत्ति है, वह चाहता है कि उसकी वह सम्पत्ति तब तक उसके पाम बनी रहे, जब तक आममान में चांद घोर सूरज मौजूद हैं और जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी मनोभावना होनी है कि उसके पाम भी कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए।

जिस समाज में आधिक विषयता बनी रहती है, उस समाज में स्वभावतः प्रन्येक को, विदेषपतः मानदार लोगों को एक प्रकार की अनिदिच्छता एवं भीति प्रतीत होती रहती है। आज की बात बन रह मकेनी? आज इना अत्याचार हो गया है। कल धर्मिक हो जाएगा यथा? आज इनों को तो कुचल दिया, कल को क्या होगा? आज जबर्दस्ती नेनों में हम चलाया, कल वही हमारे परों पर तो हले

नहीं जन जाएगा ? आज मिन के बाहर लोगों ने नारे गगाए हैं। कर कहीं मिल के भीतर पुणकर तथोड़ा तो नहीं जना चैंडेंगे ? इस प्रापार भी भौति ममाज के मधी मत्तरों पर वाम करने वाले लोगों को बही रहती है। गन् १६१५-१६ में लगभग यह सुन्दर हुई और तब रो झार के बर्ग में ऐसे भिन्न स्वर्ण ता यातावरण उत्पन्न हो गया है तब आज भी यना हुआ है। गगभग गन् १६२०-२१ में विविध मस्थानों (रियामनों) में गम्यानियों के निनाक आमदोउन सुन्दर हुआ और तब गन् १६८८ तक कोई मस्थानियों खेन को नीद गो रासा हो, ऐसा नहीं हुआ। गन् १६०८ में गुरी राम योग ने पिस्तील नसाई दि। उमरी आयाज ता तरु अप्रेजों की शाती में घटधडाहट पैदा करनी रही जब तक ति वे लोग १६८३ में भारत छोड़तर चले नहीं गये। ताक्षयं यह कि जहाँ गमता नहीं है, वहाँ बाहर में भले ही शानि दिवाई दे पर मन में शानि नहीं रह पाती। आज या तरु क्या ही जाए, इसी निश्चिति नहीं रह जाती। अपना मग ही अपने को बाट पाने की दीड़ने लगता है और जिगभी कलाना तक नहीं थो, वही बात होने सम जाती है। समाज में गव कुछ ठीक चलता हुआ नजर आता है, पर राज्यकर्त्ताओं को इस बात की निश्चिति नहीं रह जाती कि वे और तब तक उमी प्रशार बने रहेंगे। एक बार ऐसे शान दिवाई देने वाले बानावरण में जरा-मा भी स्फोट हो गया ति बम हर व्यक्ति सोचने लगता है कि जो कुछ हाथ लगता है, उसे लो और भाग रहे हो। गन् १६४५ में अप्रेजों की भौति मस्थानियों को भी पक्का यनीग हो गया था कि अब भारत में अप्रेज नहीं रहेंगे। अत उनमें से वहूनेरे महानुभावों ने आने वाले २-३ दरसों में जिनी भी दीलत निजी बनायी जा सकती थी, उनी बना ली और जब अपनी मना को निलाजनि देन वा मौका आया, तब देना गया कि अनेकों का धन कोप एकदम गाली हो गया है। इतिहास या यह अनुभव है कि जब एक बार अमतोप एव अन्याय के प्रति रोप लोगों के मन में जड़े जमा लेता है, तब वह सिफं मौके की ताक में रहता है। मनाधारी तथा पूँजीपति लोग, किनी भी कोशिश क्यों न करे, वह मौका टल नहीं सकता। मामोपचार से काम लिया जाता है, भेदोपचार से काम लिया जाना है, इण्डोपचार से काम लिया जाना है, अटत भविष्य को टालने की भरमक कोशिश की जाती है, पर पहाड़ वी चोटी पर मे नीचे लुढ़ना हुआ पत्थर पहाड़ की तलहटी तक पहुँचे विना नहीं रह पाता। गारे के सारे सत्ताधारी, सारे के मारे मातदार लोग अपनी प्रतिष्ठा के शिखर ले ढरकते के बाद सीधा तलहटी पर ही आपार के दम लेते हैं। इतिहास वा यही मिदान्त है। कहीं-कहीं उन्हें कुछ सहृलियते दी जाती है। वही काउसिलें बनती है, कहीं द्विचक शासन-पद्धति रहती है, पर इन सहृलियतों के बावजूद भी उनका जो आयीर होना होता है, वह होके ही रहता है। सहृलियतों की राजनीति से अभीष्ट की मिद्दि कभी नहीं होती। उनटे इससे वहून भाज को यही अनुभूति होती है कि अब सत्ताधारियों के दिन फिर चुके हैं। वहूत दफा दूरदर्शी सत्ताधारी लोग बड़ी सुभ-बुझ से काम लेते हैं और उसके कारण उनका अन्त कुछ देर के लिए टल जाता है। नाटक के थीच जैसे कोई प्रह्लन होना है, वैसा ही कुछ यहाँ भी होना है। पर उससे नाटक का

आगे होना नहीं रहता। बहुत बार सत्ताधारी सोग नवीन विचारों का स्वागत करते हैं। पर उसके पीछे यही छिपा होता है कि उनके विचारों के ऊपर वे लोग जो हमला करना चाहते हैं, उसकी तैयारी के लिए ज्यादा समय उन्हें मिल जाए। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले के ६० वर्षों में सब किस्म के प्रयोग करके देख लिए थे। पर अन्यस्त राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्होंने जो उनसे छीना जा रहा था, उम को स्वेच्छा से छोड़ दिया तथा पुण्य का सम्पादन किया। भारत के अनेक संस्थानियों (देशी राजाओं) ने विरोध करने का प्रयत्न किया; पर अनेकों अंग्रेजों का उदाहरण अंग्रेजों के सामने रखकर आत्मसमर्पण कर दिया, यह भी सत्य है। इतिहास का अनुभव यह है कि सत्ताधारी सोग जहाँ तक वन पड़ता है, अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते। पर जब अनिवार्य हो जाता है तब छटांक-छटांक करके अपना सेर का भाष पूरा करते हैं। तथा जब देखते हैं कि अब अंत धा ही पहुँचा है, तब जो कुछ बचा-खुचा रह गया है, उसे स्वीकार करने में ही अपनी दैर है, ऐसा समझ जाते हैं और तब वे भयभ धाने हैं कि अपनी दुनियाँ का रात्मा कर देने में ही स्वतंत्रता की दुनियाँ का उदय है। स्वतंत्रता का युद्ध जब एक बार छिड़ जाता है, तब वह अनेक पीढ़ियों तक उत्तराधिकार की भाँति पहुँचता रहता है। तथा इनमें सदैह नहीं कि युद्ध का पर्यंवसान स्वतंत्रता की प्राप्ति में होता है।

स्वतंत्रता की सड़ई के सुरु होने पर उसका अन्त सदा स्वतंत्रता की प्राप्ति में होता है, यह इतिहास का मिद्दान्त ठीक है। तथापि स्वतंत्रता के युद्ध के आरम्भ होते ही सत्ताधारी एवं उनके साधियों अर्थात् मालदार लोगों के मन में डर पौदा हो जाना है। तथा जिस प्रकार कस को सब कहाँ थीकृष्ण ही दियाई देता था, वैसी ही अवस्था सत्ताधारियों की हो जाती है। तब उन्हें रामायण में भी राजद्रोह दिखाई देने लग जाता है। सौधे सादे भजनों में भी उन्हें लगता है कि राजद्रोह वा पाठ पढ़ाया जा रहा है। 'कीचक-व्यथ' नाटक का अभिनय उन्हें अपने ऊपर धीतने वाले प्रसारों का चित्र प्रतीत होता है। ममाज में जरा सी खुलकर चर्चा होने लगी कि उनकी दृष्टि में राजद्रोह का प्रचार युरु हो जाता है। कदम-नदम पर उनके भन रुपी धोड़े को संताजी धोरपड़े नजर आने लगते हैं। तब इन बड़े एवं मालदार लोगों को लगता है, ठाठे मारने वाले जनसमुद्र के इस असान्तोष को कोई दबा दे—कुचल दे। तब वे अपने सहायक सत्ताधारियों से आग्रह करते हैं कि वे इस आन्दोलन को दबा दें। भत्ता एवं सम्पत्ति की एक दृष्टि से मिलीभगत होती है। फलस्वरूप एक कानून के जोर पर, तो दूसरा सामाजिक ताकत के जोर पर लूट-खसोट करना आरम्भ कर देता है। मत्ताधारी लोग कानून के मुताबिक हिंसा किया करते हैं तथा सम्पत्ति-शाली लोग प्रोपेंगेंडा के साधन को काम में लाकर समाज की शक्ति का दुरपयोग करते हैं। पर दोनों ही सत्य एवं युक्ति से ढरा करते हैं। किसी भी समाज में जब कुछ लोग बुद्धमनुत्ता अत्याचार करने लगते हैं, तब उन्हें भी किन्हीं तत्त्वों एवं युक्तियों का प्राधार लेना पड़ता है। ईमपनीति की कथा में भेड़िये को भी मेमने को खाने से पहले उस पर पानी खाराव करने का आरोप लगाना पड़ा। और जब यह आरोप सावित न हो सका तो उसे भेमने के बाप पर गाली देने का आरोप

करना पड़ा और सभी यह भेजने को गा गए। यही कुछ मनुष्य के बारे में भी गही है। मनुष्य इतना भी दुष्ट पर्याप्त न हो, इतना भी तानाशाह कर्त्ता न हो, फिर भी वह यह प्रयत्न लिया करता है कि उसने जो कुछ ऐस्य लिया है, वह न्यायपत्र है। हिसी भी कृत्य को करने के बाद उसे फटार मुनाने याकी गदगदिरेह बुद्धि को मनवाने की आवश्यकता महगम होती है। अब जब हिसा के सामने अहिता गड़ी हो जाती है, तब हिसा परी राति पटजाती है तथा गमय प्राने पर हिसा शरणागति प्राप्त करती है। विरोधी पक्ष की युक्तियों को गाना जाय तो आपने जो सत्ता एवं गमनति पर उदाहरणीया पड़ जाएगा, ऐसा उनकी बुद्धि उन्हें पहचानी है। अब युक्ति अवयव विवेक को ये स्थान नहीं देने। उनके बान गुनने की लिया को भूल जाने हैं। विरोधियों के गुप्तियाद के आगे घुटने टेहार उन्हें कुछ महत्वियत देने की सोचें तो उन्हें सगता है कि उनका दावा गलत है, ऐसी स्त्रीकारोंपत्र देनी पड़ जाएगी। युक्ति का सम्मान करने से यह सिद्ध हो जाएगा कि ये स्वयं गमन्य वा साय देने वाले हैं। अब जब भी कोई उनके काम-काज अवयव वर्चस्व के गमन्यमें शास्त्र प्रकट करता है, तब उसे गमाज एवं राज्य का द्वारी पहार ये सत्ताधारी एवं मालदार लोग उसका निर्मलन करते में प्रवृत्त हो जाने हैं। तब होता यह है कि राज्य हमें मुख्य एवं मुख्या प्रश्न करने वाला है, यह श्रद्धा जनता के मन में से बड़ी तीव्र गति से उठ जाती है। जनता के वास्तविक मुख्यों एवं दुरुपों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और यदि कभी ध्यान दिया भी गया तो उसपर विचार नहीं किया जाता। भित ये प्राण लेखा बानावरण में द घटे काम करने के बाद मन्दूर जरीर से तो घकता ही है, पर वहाँ उसके सायं जो सलूक किया जाता है, उससे उसका मन भी थक जाता है एवं उदास हो जाता है। ऐसी हालत में वह किसी 'चाल' की गदी कोठरी में, १०-१५ की कोठरी में तीन जोड़ों के सायं अपना कुनखा चलाता है। मालिक लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और सरकार के प्रतिनिधि तो केवल १० वरस में एक बार केवल मदुमसुमारी के समय ही वहाँ जाते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को भी चुनाव के पहले वाले सप्ताह को छोड़ कुरसत ही नहीं मिलती। उनके नगे-भधनगे बच्चे रास्ते में धूमने-फिरते हैं। उनकी पढ़ाई-लियाई का कोई इन्तजाम नहीं रहता। कहने का अभिप्राय यह कि वहसूख्यक जनता के जीवन का अनुभव मालिक लोगों को तथा सत्ताधारियों को नहीं होता। पुराने इतिहास के तात्प्रवट पर मौजूदा वक्त में सत्ताहड़ बने रहने का अधिकार बताया जाता है। उसके विरुद्ध कुछ कहा सुना जाए तो कानून एवं मुख्यवस्था के नाम पर जनता की आवाज को कुछ लगने की कोशिश की जाती है। विपरीत समाज के इन दो राष्ट्रों—अर्थात् मालदार एवं गरीब वर्गों में रहने वाले लोग अलग-अलग दुनिया में रहते हैं और जब कभी वे एक जगह आते हैं तब ऊपर की दुनिया वाले लोग इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं कि उनकी इस्त्री वाले कपड़ों की प्रीज कही बिगड़ न जाए। दोनों की अभिरुचियों में भी बहुत अन्तर होता है। यदि एक वर्ग को बालगन्धर्व का नाटक पसन्द आता है तो दूसरे को पट्टे बापूराब का तमाशा पसन्द आता है। एक को ललित एवं मधुर बोलने वाले नायकों से युक्त उपन्यास

अधिक अच्छे लगते हैं तो दूसरे की अभद्र बातों से भरी कितावें अधिक अच्छी लगती हैं। आचार-विचार एवं मस्तुकि आदि सभी बातों में विरोध स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। मज़बूरों की सभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ वरिष्ठ वर्ग का समाज सत्तावादी कायंकर्ता भी भिन्न प्रतीत होने लगता है। उसके हाव-भाव, उसकी भाषा भिन्न प्रतीत होती है। उसकी सहानुभूति भले ही बहुजन-समाज के प्रति उसमें पहलों हो तो भी बहुत दफ़ा उसके आँसू नकाशु होते हैं। अधिक से अधिक न्याय प्रदान करने की भावना से कहें तो कहना होगा कि उसकी सहानुभूति बौद्धिक होती है पर उसमें आत्मीयता का पुष्ट नहीं रह पाता। तात्पर्य यह कि दोनों दुनियाओं के लोग जब एक जगह आते हैं, तो वहाँ निश्चय से एकता उत्पन्न हो जाती हो, ऐसी बात नहीं है। केवल इत्ते भर से कि वे एक ही गाड़ी में सवार हैं, यथार्थे हप में सहयोगी नहीं हो सकते। शरीर एक स्थान पर भले ही दीखें पर मनों के बीच का फासला दो ध्रुवों के बीच के फासले जिता होता है। बहुजन समाज किसी बात को जोर से कह कर पेश करे तो उसे धमकी भाना जाता है। कोई बात पूरी ताकत से पेश की जाए तो वहाँ हिंसा की दू आने लगती है। और समाज में आर्थिक विपरीता हो तो सामाजिक न्याय नहीं भिलता। सामाजिक न्याय के अभाव में समाज में अस्थिरता बनी रहती है। उसमें नशुलन नहीं रह जाता। और यदि कहीं सामाजिक न्याय प्रदान करने का दृश्य दिखाई भी दे तो भी जनता उसके मुलाकै में नहीं आती। उलटे उसे यही लगता है कि इसमें प्रोपोर्शन का कोई जहर भरा होगा। और इस सबका फल होता है बर्प-मन्त्रपर्य का नियमण और एक बार बर्प-संघर्ष छिड़ गया कि किर इस बात का भरोया नहीं किया जा सकता कि दोनों पहुंचवान अहिंसा एवं वंधता के अवाडे में रह कर ही कुरती लड़े। जिस समाज में होने वाली आमदनी न्या उसके लिए किये गये प्रयत्नों में कोई कार्य कारण भाव नहीं रहता वहाँ विकल्प हुए-हुए प्रयत्न, खण्डित हुए-हुए मनोरथ, पेरो तले रोदी गई महत्वाकाङ्क्षाएँ हिंसा का आधर लेती हैं। या तो न्याय बस्तु दी जाए या फिर हिंसा का सामना करने के लिए तैयार रहा जाय। इनके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं नजर आता। और जब न्याय से इनकार करने की क्रिया लगातार चलती चली जाती है तथा विनाश का तट सभीप चाने लग जाता है, तब सत्ताधारी एवं मालदार लोग बुझने के पहले जैसे दीया रेती से भभकता है, उस प्रकार जो कुठ पास रह गया है, उसे और अधिक मज़बूती से थामे रखने का आमिरी प्रयत्न किया जाता है। जिस-जैसे मचाई एवं युक्ति की जीत होती चली जाती है वैसे-वैसे पूँजीवादी हित-सम्बन्ध विवरने लग जाने हैं और अन्त में सत्य विजयी होता है। उसके विजयी होने का अर्थ है स्वतन्त्रता का विजयी होना। स्वतन्त्रता के विजयी होने का अर्थ है समना का विजयी होना। मालदार एवं गरीब बर्गों में छिड़े युद्ध का पर्यवसान मालदार लोगों की परायन में होता है। विनाश एवं सर्वनाश के बचने का एकमात्र उपाय यही है कि जिसका जो न्याय है, वह उसे दिया जाय। न्याय के साथ मुठमेड़ उसका उत्तर नहीं है। उसका उत्तर है आत्मसमर्पण। पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि अपनी मुट्ठी में

बन्द वस्तु को वह तब तक नहीं छोड़ता, जब तक उसका हाथ टूट नहीं जाता। न्याय के साथ भगड़ने में वितना नुकसान है, इसकी जानकारी नहीं होती और जब जानकारी होती है, तब उनका सब कुछ लुट चुका होता है। चोटी उद्दे या बड़ की पारवी टूटे, इस दृढ़ निश्चय के साथ भगड़ने को तैयार होने वाले सत्ताधारी एवं सम्पत्तिशाली लोग ही शिखानप्ट हो जाते हैं, यही अब तक का अनुभव हमें बताता है।

स्वतंत्रता एवं सत्ता के बीच यदि लड़ाई छिड़ जाए तो अन्त में सत्ता का पराभव हो जाता है, यह सही है, तो भी उस धरण के आने तक के बीच के काल में स्वतंत्रता पराभूत हुई नजर आती है, तानाशाही का भाव बड़ा हुआ नजर आता है। पहली लड़ाई के बाद का जर्मनी का इतिहास हमें बताता है कि वहाँ के लोगों ने लोक-राज्य की स्थापना की; परन्तु युद्ध के अनन्तर भी कुछ काल के लिए स्तब्ध एवं पराभूत हुआ-हुआ सत्ताधारी एवं सम्पत्तिमान् वर्ग सिर ऊर उठाने लगा, स्वतंत्रतावादी पक्ष एवं सगठित मजदूर दरा को जो कुछ करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया। अन्त में फल यह हुआ कैसरशाही की अपेक्षा भी अधिक स्वतंत्रता का हनन करने वाली हिटलरशाही आई और कुछ काल पश्चात् हिटलरशाही का सौप हो गया। कुछ स्वतंत्रता मिली; पर उसकी कीमत अभी तक जर्मन लोगों ने पूरी तरह चुकाई प्रतीत नहीं होती। तथापि १६वी-२०वी सदी के जगत् का इतिहास सामान्यतया यही प्रदर्शित करता है कि अन्त में स्वतंत्रतावादी जनता सफल होती है। १६वी सदी में तथा २०वी सदी में भी राष्ट्रवाद का विचार अधिक दक्षिणशाली था। और राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता की कल्पना को मिलाकर एक नई विचारधारा संसार भर में फैल गई, तथा सभी कहीं राष्ट्रराज्य (नेशन-स्टेट) की माँग ने जोर पकड़ा। सामान्यतया यह विचार उत्तरोत्तर स्पष्ट होना गया कि स्वतंत्रता की दृष्टि से राज्य एवं राष्ट्र की मर्यादाएँ समान होनी चाहिए। इसी का यह अर्थ हुआ कि एक राज्य में एक सरकार के नीचे दो राष्ट्रों का बना रहना नैतिक दृष्टि से अनुचित है तथा इसी को साम्राज्यवाद का नाम दिया गया। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर राज्य करना एक प्रकार से उस राष्ट्र को गुनामी में रखना है। १६वी तथा २०वी सदी में भी यह राष्ट्र राज्य का स्वयं निर्णय का आनंदोलन दक्षिणशाली रूप से चल रहा था एवं वह बहुत बड़ी मात्रा में सफल हो गया है, ऐसा नजर आता है। राष्ट्र एवं स्वतंत्रता की कल्पना में से राष्ट्रीय स्वतंत्रता नामक एक चैतन्य युक्त भावना का उदय हुआ है। राष्ट्र का अर्थ यदि एकत्र एवं पृथक्त्व का मिथ्यण किया जाए तो उचित होगा। हम आपस में एक हैं पर अन्यों से भिन्न हैं। इन दोनों भावनाओं का मिथ्यण राष्ट्रीय भावना में है। ऐसे एवं पार्थक्य के समग्र में से राष्ट्र का तीर्थोदक उत्पन्न होता है और इसी भावना का परिणाम आज अफीका महाद्वीप में भी दृष्टिगोचर हो रहा है। १६वी सदी में जर्मन नामक एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, इटली नामक राष्ट्र का निर्माण हुआ। ऐश्वाया के साम्राज्य में से उत्तर की ओर अनेक देश बाहर निकले तथा वे राष्ट्र बन गए। पहले महायुद्ध के पश्चात् स्वयं-निर्णय के तत्त्व के अनुसार अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र यूरोप में उत्पन्न हुए। २०वी सदी के आरम्भ में अंग्रेजी साम्राज्य के

कुछ विभाग श्रीपनिवेशिक स्वायत्तता के सिद्धान्त के अनुमार भिन्न-भिन्न राष्ट्र वने और गत १० वर्षों में अर्थात् दूसरे महायुद्ध के अनन्तर भारत, पाकिस्तान तथा सीलोन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित हुए अर्थात् राष्ट्र राज्य बने। अफ्रीका में भी उल्लिखित रीतया राष्ट्रवाद का वातावरण उत्पन्न हो चला है। साम्राज्यवाद अर्थात् पुराना साम्राज्यवाद वडे वेग से नष्ट हो रहा है। किंवद्दना, नष्ट किया जा रहा है। जिन प्रकार समुद्र-मध्यसे घमृत निकला था, उसी प्रकार पहले महायुद्ध ने स्वयनिर्णय का सिद्धान्त निकला। तथापि दूसरे महायुद्ध तक यह अमृत मिलायट गे माली नहीं है, ऐसा अनुभव हुआ। यदोकि स्वयनिर्णय से राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, यही मर्ही है, तो भी मंसार में अशान्ति अधिक बढ़ गई। दूसरे महायुद्ध का कारण, लोग वहते हैं कि स्वयनिर्णय की मांग तथा राष्ट्र राज्य की महन्त्वाकांक्षा ही थी। लोगों का यह कहना एकदम गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फैच साम्राज्य के विनाश से उत्पन्न राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना समूची १६वीं सदी में प्रभाव-शाली रही। पहले महायुद्ध में उस भावना को स्वयनिर्णय का सहारा मिला। और उसमें से, जैसा कि हम पीछे कह गये हैं, अनेक छोटे-छोटे राष्ट्र-राज्य उत्पन्न हुए तथा राजनीतिक चित्रपट पर उनका उपयोग पाय के समान किया गया। पहले महायुद्ध में स्वयनिर्णय का उदय हुआ तथा स्वयनिर्णय में से दूसरे महायुद्ध का जन्म हुआ। मंसार में राष्ट्रीय स्वतंत्रता अब एक प्रचण्ड शक्ति बन गई है। अन्तर्राष्ट्रीय रणमंड की घटनाओं का निर्माण करने वाली तथा उसका नियमन करने वाली दुहरी शक्ति बन गई है।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता की कल्पना में राष्ट्र तथा स्वतंत्रता ये दो कल्पनाएँ आती हैं। स्वतंत्रता के अर्थ एवं आशय का विवरण इस प्रव्य में पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है। व्यक्ति एवं स्वतंत्रता का राज्य में जो सम्बन्ध होता है, वैसा ही कुछ सम्बन्ध राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय जगत् के बीच में होता है। राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय एक भावना है। उस भावना का वर्णन किया जा सकेगा पर सर्वथा तक्षण्युद्ध व्याख्या करना कठिन है। राज्य का एवं राज्य विधयक कल्पना के विकास का ऊहापोह एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत लेखक के 'राज्य शास्त्र विचार' नामक प्रव्य में विया गया है। तथापि यहाँ उसका संक्षेप में वर्णन करना अभीष्ट होगा। राष्ट्र एक मानविक भावना है और उद्गम भी मानसिक परिस्थिति में ही ही हुआ है। मैं भारतीय हूँ, मैं महाराष्ट्रीय हूँ, इस भावना में जो-जो बानें अन्तर्भूत होती हैं, उनकी पूरी जानकारी मुझे होती है। मैं भारतीय हूँ तथा कृगवेद से लेकर कालिदास तक जो कुछ भी रचा गया है, गाया गया है, उन सबके बारे में विद्यमान आत्मीयता इस भावना में मौजूद रहती है। राष्ट्र की भावना के साथ ही प्रादेशिक भावना की कल्पना भी मन में आती है, यह सच है। तथापि प्राचीन काल में इस भावना के भीतर सब कही प्रादेशिकता का अन्तर्भाव नहीं होता था, यह ऐतिहासिक सत्य है। लोग उन दिनों हिंसर नहीं हुए थे और जीविका के लिए उन्हें निरन्तर दोलियाँ बना कर घूमना पड़ता था। प्रत्येक टोनी में एकता वीं भावना रहती थी। अर्थात् एक दृष्टि से राष्ट्र की भावना थी। यह टोनी किम प्रवार बनी यह देखना भी महत्वपूर्ण

राज्य के द्वेष में रहने वाले सभी लोगों पर उसका कानूनी अधिकार होता है। नागरिक के जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त, चालू सम्पत्ति से लेकर मृत्यु के बाद छोड़ी गई सम्पत्ति तक, सब बातों पर राज्य का अधिकार माना जाता है। राज्य यदि नागरिकों के जीवन एवं वित्त पर कुछ प्रतिवर्धन लगा दे तो उसे अनुमति रहनी है। अन्य किसी से उसके लिए अनुमति मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। अपने उद्देश्य तथा ध्येय क्या हो, उसको कार्यालय में परिणत करने के साधन क्या हो, राज्य का संरक्षण एवं संवर्धन किस प्रकार किया जाए, कार्यालय की व्यवस्था क्या हो, इत्यादि बातों को निश्चित करने का अधिकार उसी का है। अन्य किसी के प्रति वह उत्तरदायी नहीं है। राज्य में किसी आने दिया जाए, किस मात्र का आयात या निर्यात किया जाए, इस बारे में राज्य को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। न्याय, सजा, पढ़ाई-लिखाई, आदि की व्यवस्था करने—गद्देष में अपने प्रारेकिंग देश में जो भी से आये करने की पूरी छठ प्रभुत्व सम्पत्ति राज्य को प्राप्त है। प्रभुत्व-सम्पत्ति राज्य का कानून की दृष्टि में प्रबंध है—जब प्रकार की सत्ताओं में मुक्त होता। राज्य यदि जगत् के तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कुछ गलत काम कर बैठे, ऐसा कोई प्रयोग कर बैठे, जो दुनिया में कभी किया नहीं गया, तो भी कानून की दृष्टि से वह सब राज्य के अधिकारक्षेत्र में याता है। अधिकार में रहते हुए कोई काम किया गया तो उसका वह अर्थ नहीं कि न्याय या अभीष्ट कार्य ही किया गया है। यदि राज्य संस्था के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि राज्य ने भेजेक बार अन्याय के कानून एवं कृत्य किए हैं। नि.सन्देह इस बात का दावा किया जाता है कि राज्य हमेशा राज्य के कल्पाण का ही काम किया करता है। जो बात व्यक्ति के लिए अन्याय की सिद्ध होती है, वह राज्य के लिए अन्याय की बात नहीं हो सकती, यह स्पष्ट है। व्यक्ति के जीवन के लिए लालू होने वाले नैतिक आदर्श राज्य के जीवन के लिए लालू नहीं हो सकते। वे अप्रसन्न एवं अधोरे सावित होते हैं। राष्ट्र जब राज्य होता है, तब राष्ट्र के सारे व्यक्तिगत नागरिकों के जीवन की केवल शक्ति का वह योग मात्र नहीं होता। उसकी अपेक्षा अधिक शक्ति राज्य को प्राप्त होती है। जब चार व्यक्ति एकत्र आते हैं, तब वह सिर्फ योग [+] नहीं रह जाता, संगठन हो जाने के कारण वहाँ गुणा [X] होता है। व्यक्तिगत धैर्य का जोड़ और घटा तो वहाँ रहता ही है पर उसके साथ ही संगठन का भी धैर्य वहाँ रहता है। सामान्य जीवन में भी घबराने-वाले व्यक्ति यदि चार लोगों के मूल में बले जाएं तो उनमें धैर्य विराजने लगता है, इसका रहस्य एकदम साफ है। इसी के साथ व्यक्ति की अस्तिता, अहमता, अभिमान आदि सारी बातों का भी व्यक्ति जब समष्टि स्वरूप में आता है, तब गुणा [X] हो जाता है। एक व्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति के बीच जो पृथक् भाव होता है, वह राष्ट्र के होने में और अधिक स्पष्ट होता जाता है तथा राष्ट्र के राज्य बन जाने पर उस पृथक्भाव को एक कानूनी रूप प्राप्त ही जाता है तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। यह पृथक्भाव राष्ट्रीय भावना के मूल में होता है। अथवा जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, यह भाव ही उसका मुख्य लक्षण होता है और अन्तर्राष्ट्रीय भावन्धी में जो नैतिक आदर्श प्रभावशाली होते हैं, वे नि.सन्देह राष्ट्रीय

होगा। सम्भव है कि वे एक ही परिवार के लोग हो, या अन्य किसी कारण से वे एकत्र आये हो, या वे एक ही भापा बोने वाले हो। तथापि जात काल से इतना मालूम है कि ये टोनियाँ, ये जनसंघ अस्तित्व में थाए हुए हैं। वश, भापा, समान नेतृत्व आदि वाती के होने भर से राष्ट्र की भावना उत्पन्न हो जाती है ऐसा बहुत ठीक नहीं। यह तो होना ही चाहिए। पर इसके साथ-साथ कुछ और भी होना चाहिए। वह केवल आधिभौतिक नहीं होना चाहिए आध्यात्मिक भी होना चाहिए। एक भापा बोने वाले लोगों के अनेक राष्ट्र हैं। एक ही राजकीय अनुशासन में रहने वाले अनेक राज्य हैं। समान परम्परा, समान पराक्रम, तथा एक साथ मिल-जुलकर भोगे गये मुख-दुःख आदि सब वातां राष्ट्र की भावना की मदद करने वाली तथा समर्थन करने वाली होती है, यह सही है तथापि मानव का ऐतिहासिक उन्नति से सम्बन्धित अस्थिरता से निकर स्थिरता तक 'चरैवेति' वृत्ति से लेकर अचल स्थिति की घटना तक जो प्रवास हुआ है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। घुमन्तू टोलियाँ पहने पैदल धूमा करती थीं। बाद में बाहनों का युग शुरू हुआ। गधे, घोड़े, ऊंट आदि माधनों को काम में लाया जाने लगा। उसके बाद रथों एवं गाडियों का उपयोग होने लगा। इस उन्नति के साथ-साथ कहीं जमीन में पैदा हुए अन्न-धान्य का पता चला और कुछ टोनियाँ वहा रहने लग गईं। वस्ती होने के साथ-साथ वस्तु की भावना भी उत्पन्न हुई। तब वह क्षेत्र में भर कुछ खाम लोगों का हो गया। तथा सामुदायिक मिनकियत का भाव वहाँ काम करने लगा। अपनी टोली से बाहर के लोग अपने से अलग हैं, यह भाव उत्पन्न हुआ और तब भगड़े हुए, तडाइर्या हुईं, भूमि का कुछ भाग पराक्रम वा हिस्मा हो गया। जहाँ लोग लड़े और उन्होंने विजय प्राप्त की, वे स्वान, पूजा-स्वान एवं पवित्र-स्थान हो गए। जहाँ पूर्वज तोग धारातीर्थ में पड़े थे, वे स्थान तीयं बन गए, अद्वा-स्थान बन गए और तब टोली के राष्ट्र-विषयक अध्यात्म-भाव के लिए वह भूमि आधिभौतिक भाग बन गई। उसके देह और आत्मा ये दो रूप हो गए। तब राष्ट्र एक निश्चित प्रदेश हो गया, जिसमें वे लोग रहने लगे जो अपने को एक एवं अन्यों से भिन्न मानते थे। राष्ट्र की भावना में आनंदीयता के साथ ही पृथक्कन्व वा भाव भी रहता है। किवहना, पृथक्कन्व की भावना से ही राष्ट्र का लक्षण स्पष्ट हो जाता है। अपनी भूमि निश्चित हो जाने के बाद, उस पर जो कोई आक्रमण करता है, उसका डटकर मुकाबला किया जाता है। इसी कल्पना का विकास होता चला गया तथा आज सारे जनन् में राजनीति की रचना राष्ट्र राज्य के तत्त्व के अनुसार ही हुई है।

१६वीं सदी के धारम तक हर राष्ट्र स्वतन्त्र राज्य था, ऐसी बात नहीं। पर प्रत्येक राष्ट्र वो स्वतन्त्र राज्य होने का अन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा थोड़ा सा विचार १८वीं सदी के आखोर-आखीर में यूरोप के राजनीतिक तत्त्वज्ञान में गमाविष्ट हो चुका था। इसका प्रर्य है अपने आप में स्वतन्त्र एवं प्रभुत्व-मम्पन्न सगठन होना। प्रभुत्व-मम्पन्न राज्य का प्रर्य है अपने क्षेत्र में एकमात्र उमोका मत्ताधारी होना। इसकी आज्ञा का उल्लंघन दण्डनीय कृप्य मिल होता है। मजा का पात्र सिद्ध होता है।

राज्य के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर उसका कानूनी अधिकार होता है। नागरिक के जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त, चानून सम्मति से लेकर मृत्यु के बाद छोड़ी गई सम्मति तक, सब वातों पर राज्य का अधिकार माना जाता है। राज्य यदि नागरिकों के जीवन एवं वित्त पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दे तो उसे अनुमति रहती है। अन्य किसी ने उसके लिए अनुमति मांगने की जरूरत नहीं रहती। अपने उद्देश्य तथा ध्येय क्षण हाँ, उनको कार्यालय में परिणत करने के साथन क्षण हाँ, राज्य का सरदारण एवं सबधेन किस प्रकार किया जाए, कार्यपालन की व्यवस्था क्षण हाँ, इत्यादि वातों को निश्चित करने का अधिकार उसी का है। अन्य किसी के प्रति वह उत्तरदायी नहीं है। राज्य में किसे आने दिया जाए, किम माल का आयात या निर्यात किया जाए, इस बारे में राज्य को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। न्याय, सज्जा, पटाई-तिखाई, आदि भी व्यवस्था करने—मध्येष में अपने प्रादेशिक धोन में जो भी में आये करने की पूरी ढृष्ट प्रभुत्व सम्पन्न राज्य को प्राप्त है। प्रभुत्व-मम्पन्न राज्य का कानून भी दृष्टि में अर्थ है—सब प्रकार की सत्ताओं से मुक्त होना। राज्य यदि जगत् के तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कुछ गलत काम कर बैठे, ऐसा कोई प्रयोग कर बैठे, जो दुनिया में कभी किया नहीं गया, तो भी कानून की दृष्टि से वह मव राज्य के अधिकारक्षेत्र में आता है। अधिकार में रहते हुए कोई काम किया गया तो उसका वह अर्थ नहीं कि न्याय या अभीष्ट कार्य ही किया गया है। यदि राज्य संस्था के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि राज्य ने ग्रनेक बार अन्याय के बगून एवं कृत्य किए हैं। नि.सन्देह इम बात का दावा किया जाता है कि राज्य हमेशा राज्य के कल्याण का ही काम किया करता है। जो बात व्यक्ति के लिए अन्याय की सिद्ध होती है, वह राज्य के लिए अन्याय को बात नहीं हो सकती, यह स्पष्ट है। व्यक्ति के जीवन के लिए लालू होने वाले नैतिक आदर्श राज्य के जीवन के लिए लालू नहीं हो सकते। वे अप्रस्तुत एवं अवूरे साधित होते हैं। राष्ट्र जब राज्य होता है, तब राष्ट्र के सारे व्यक्तिगत नागरिकों के जीवन की केवल शक्ति का वह योग मात्र नहीं होता। उसकी अपेक्षा अधिक शक्ति राज्य को प्राप्त होती रहती है। जब चार व्यक्ति एकत्र आते हैं, तब वह तिर्यक् योग [+] नहीं रह जाता, संगठन हो जाने के कारण वहाँ गुणा [X] होता है। व्यक्तिगत धैर्य का जोड़ और घटा तो वहाँ रहता ही है पर उसके साथ ही संगठन का भी धैर्य वहाँ रहता है। सामान्य जीवन में भी घटराने वाले व्यक्ति यदि चार लोगों के ममूल में चले जाएं, तो उनमें धैर्य विराजने लगता है, इसका रहस्य एकदम माफ़ है। इसी के साथ व्यक्ति की अस्तित्वा, महामाव, अभिमान आदि सारी वातों का भी धैर्य वहाँ रहता है। तब गुणा [X] हो जाता है। एक व्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति के बीच जो पृथक् भाव होता है, वह राष्ट्र के होने में और अधिक स्पष्ट होता जाता है तथा राष्ट्र के राज्य बन जाने पर उस पृथग्भाव को एक कानूनी स्व प्राप्त हो जाता है तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हो जातो है। यह पृथग्भाव राष्ट्रीय भावता के मूल में होता है। अथवा जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, यह भाव ही उसका मुख्य लक्षण होता है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो नैतिक आदर्श प्रभावशाली होते हैं, वे नि.सन्देह राष्ट्रीय

जीवनगत नैतिक आदर्शों की तुलना में घटिया दर्जे के होते हैं। एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को मार डाले तो वह हृत्या का अपराध हो जाता है। पर यदि हजारों व्यक्तियों को मार डालें तो उसे युद्ध की सज्जा दी जाती है। जब दो राज्यों में आपस में लड़ाई छिड़ जाती है तो वैयक्तिक भगड़ों में उत्पन्न होने वाले रोप की अपेक्षा कई गुना अधिक रोप जनता प्रदर्शित किया करती है और युद्ध का फल पराजित राष्ट्रों की जनता की स्वतंत्रता के अपहरण के स्पष्ट में परिणत होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह आवश्यक हो जाता है कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी नियन्त्रण रखा जाए। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ कानून के अनुकूल रहने वाली स्वतंत्रता किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में जो स्वतंत्रता हर राज्य के उपभोग के लिए रहती है, उस पर भी कुछ नियन्त्रण जगत् की शान्ति की दृष्टि से अवश्य होना चाहिए और इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता रहती है। और इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सम्याचों का महत्व हुआ करता है, किंवद्दन, यह कहना अधिक उचित होगा कि जब जगत् के सारे राज्य एक दूसरे की स्वतंत्रता को मानने के लिए तैयार होंगे तभी उनकी अपनी स्वतंत्रता सार्थक एवं प्रभावशाली हो सकेगी।

राज्य की सत्ता अमर्यादि है। तथापि राज्य का स्वरूप एवं गौरव इस बात पर निर्भर करता है कि उस सत्ता का उपयोग विस तरह किया जाता है। वह यदि किन्हीं खास व्यक्तियों, गुटों या वर्गों के हित के लिए उसका उपयोग करेगा, तो देश में सामाजिक शांति नहीं रह जाएगी, यह हम पहले कह आए हैं। आज की दुनियाँ में मालदार वर्ग अपने काम का जाल केवल देश में ही नहीं, परदेश में भी फैलाया करता है। पहले व्यापार पहुँचता है, पीछे में सत्ता पहुँचती है। पहले तराजू पहुँचती है तब तलबार पहुँचती है। कम-से-कम भारत के लिए तो यह अनुभव जाना पहचाना है। देश की सरकार मालदार लोगों के इशारे पर काम किया करती है। तथा तब मालदार तोगों की प्रतिष्ठा राज्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। साहूकार या मालिक के अपमान को जिस प्रकार काश्तकार लोग अपना अपमान मान वैठते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत् में पूँजीपतियों का अपमान हो जाए या उनके साथ कुछ अन्याय हो जाए तो उसे राष्ट्र का अपमान मानकर राज्यसत्ता पूँजीपतियों की सहायता के लिए दौड़ी-दौड़ी जाती है। ईस्ट इंडिया कम्पनी की दौड़ियों को रक्षा के लिए अग्रेजी राज्य की पश्टनें यहाँ आईं। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों के मालिक मालदार अग्रेज लोग थे। इस कारण अग्रेजों की सेनाएँ उनकी रक्षा के लिए अफ्रीका में गईं। आज भी दक्षिण अमेरिकी राज्यों में यूनाइटेड स्टेट के पूँजीपतियों की सहायता के लिए यूनाइटेड स्टेट की सरकार दौड़ी-दौड़ी जाती है। पूँजी चाहे तेन के उद्योग में लगी हो, या फौलाद के उद्योग में या चाय के बागानों में, एक बात साफ़ है कि अपने देश की पूँजी जब दूसरे देश में जाती है, तब राज्य उसकी रक्षा का भार अपने सिर पर ले लेता है। कभी-कभी यह बात जाहिर नहीं रहती फिर भी पूँजीपतियों को इस बात का पूरा यकीन होता है कि उनके देश की

सरकार उनका साथ जरूर देनी और जब अनेक पराये देशों में अपनी आर्थिक पकड़ को मजबूत करने के लिए राजकीय सत्ता दीड़ कर पहुंचती है, तब वही साम्राज्यवाद स्थापित हो जाता है और तब विट्ठड़े हुए प्रदेश एवं विट्ठड़े राष्ट्र पूँजीवादी प्रभाव-शाली राष्ट्रों के गुणाम हो जाने हैं। अधिक उन्नत राष्ट्र के पूँजी लगाने के कारण विट्ठड़े देशों की कुछ उन्नति जहर होती है तथापि उसके राजनीतिक परिणाम अच्छे नहीं होते। कानून एवं ध्यवस्था के सुधरने पर भी, रहन-सहन का दर्जा बढ़ जाने पर भी चरित्र पतनोन्मुख हो जाता है, एवं उत्तरदायिता को प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है। दूसरी ओर पूँजी लगाने वाले देश की अमर्दाद आर्थिक उन्नति होती है। १८वीं सदी में भारत की सम्पत्ति इंग्लैण्ड में पहुंची और उसके बल पर इंग्लैण्ड की पूँजी एवं उद्योग बढ़े। किंवहुना, इंग्लैण्ड में १९वीं सदी में जो आर्थिक सम्पन्नता दृष्टिगत होती थी, वह भारतीय सम्पत्ति का ही फल था। फिलीपाईन एवं दक्षिण अमेरिकी मंस्यानां का अमरीका ने जो दोषण किया था वही अमरीका की समृद्धि का कारण बना। आर्थिक पैंडे में आने वाले राष्ट्रों की थोड़ी वहुत आर्थिक उन्नति होती है, यह उनका आदर्श क्षमतेन्मुख हो जाता है। राज्य कितना भी अच्छा राज्य वर्षों न हो जाए स्वराज्य की प्रतिष्ठा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। स्वराज्य का अर्थ है अत्यधिक विश्वास। उससे नागरिकों के रचनात्मक कर्तृत्व को एक प्रकार का उत्तेजन प्राप्त होता है। स्वराज्य का अर्थ जहाँ गलती करने का अधिकार है, वहाँ अपनी गलती को मुद्दारने की उत्तरदायिता भी है। कोई भी राज्य प्रजा के मंतोष की नोक पर ही दाढ़ा हुआ करता है और यदि प्रजा को यह अनुभव हो जाए कि राज्य के कार्यकलापों में उसकी अनुभूतियों का कोई स्थान नहीं है, तो वह अप्रसन्न हो जाती है। जिन कानूनों एवं ध्यवस्थाओं का अनुभव उन्हें प्राप्त करना पड़ता है, वे उनकी अनुभूतियों के लिए विसर्गत हो जाते हैं। किंवहुना, प्रकृति का विचार किए विना चिकित्सा करने के लिए जैसे कोई किसी ऐटेंट दवा का सेवन करता है, उसी प्रकार का ध्यवहार यहाँ भी नजर आता है। श्रीर जहाँ राज्यकर्ता एवं प्रजा एक ही समाज के घटक नहीं होते, एक संस्कृति के उत्तराधिकारी नहीं होते, वहाँ उत्पन्न होने वाला प्रारम्भिक स्वल्प का असंतोष अतिशीघ्र तीव्र हो उठता है। किंवदी सत्ताधारी लोग साम, दाम, दण्ड एवं भेद इन चारों उपायों को काम में लाते हैं। भीति के बातावरण में बने रहने के कारण अपनी रक्षा के लिए शस्त्रास्त्रों का अधिकाधिक प्रयोग करने की ओर उनकी प्रवृत्ति होती है। जनता का समर्थन प्राप्त न होते के कारण उस राज्य सत्ता के लिए दमनेवक के अनिवार्य कोई उपाय नहीं रह जाता। अतएव विश्वशाति की स्थापना की दृष्टि से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं विट्ठड़ों को उन्नन बनाने के हेतु तथाकथित उन्नतिवाद आदि सब निरपयोगी साक्षित होते हैं।

राष्ट्र राज्य हो जाने के कारण वहाँ का पूँजीवादी वर्ग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चला जाता है और तब वह अपने स्वार्थ के लिए अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा को दाँव पर लगाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि विश्वशाति बनी रहे तो राष्ट्रराज्य की शनित एवं अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कुछ अनुच्छेद अवश्य होना चाहिए।

समाज के लोगों को जिस शान्ति, भव्यता एवं सख्ती वी मामान्यतया कामना रहती है, उसको बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्रराज्य पर नियंत्रण होना चाहिए और जिस धोने में एकाधिक प्रभुत्वमप्पन राज्य हों, वहाँ किसी एक राज्य की ओर से फैला जारी नहीं होने देना चाहिए। वैसा यदि हो जाए तो वह राष्ट्र साम्राज्य न भी हो, तो भी उसकी वृत्ति माम्राज्यवादी अवश्य हो जाती है। आज की दुनियाँ में राज्यों की स्वतंत्रता को बनाये रखते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के सातिर आवश्यक ऐवं एवं हिन्दूकथ को सिद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति एवं समाज के हितों के बीच संघर्ष हो जाने पर समाज के हित को प्रभुत्व समझा जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रराज्य के हित में संघर्ष हो जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय हित को प्रभुत्व समझा जाना चाहिए। विश्व की आवश्यकता को राज्य वी आवश्यकता की तुलना में अधिक प्रभुत्व समझा जाना चाहिए। यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ विवाद उपस्थित करे तो अन्यों को उसका न्याय करने के लिए आगे आना चाहिए। विचार-विनियम एवं शान्तिमय उपायों से उन मवानों को हल किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से उचित है। राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद कई प्रकार के होते हैं। दो राज्यों के बीच की सीमा को निश्चित करना बहुत जरूरी है। अधिकार की सीमावाला प्रदेश राज्य वा एक मुख्य लक्षण है। इस प्रकार के राज्य की सीमा का इकतर्की निर्धारण काम नहीं आता। दूसरे सम्बन्धित राज्य में विचारविमर्श करके ही यह काम किया जाना चाहिए। आजकल की दुनियाँ में यातायात के माध्यमों के धोने में इती प्रगति हो गई है कि विभिन्न देशों एवं विभिन्न महाद्वीपों के बीच का दून्तर अर्थहीन हो गया है। अनेक स्वतन्त्र राज्यों के रहते हुए भी अवस्था यह है कि विश्व की मारी प्रजा में एक प्रकार की जागतिक एकत्व की भावना काम करने लग गई है। विनोबा जी की 'जय जगत्' की घोषणा विद्यमान परिस्थिति के सर्वथा अनुहृष्ट एवं विश्व के भविष्य की दृष्टि से सर्वथा अर्थपूर्ण है। आज दुनियाँ के किसी भी कोने में कोई 'नुटक' हो जाए, मारी दुनियाँ में उसकी प्रतिध्वनि शूँज उठती है। कोरिया में नडाई टुई और पूना में महेंगाई हो गई। इन दोनों घटनाओं में ऊपरी तौर से कोई कार्य-कारण भाव न भी नजर आए, तो भी वह है निश्चित। और जैसे मुहूले में गडबड हो जाने से हर एक घर-मालिक सावधान हो जाता है, उसी प्रकार आज के विश्व की स्थिति है। व्यविनाशक राष्ट्र के सारे व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे पर अवलम्बित रहते हैं। आज यदि कोई राष्ट्र अलिप्त रहता भी चाहे, तो भी नहीं रह सकता। उसकी इच्छा हो या न हो, अपने भगडों में उसे पड़ना ही पड़ता है। ८०० एवं ३०० की चावडी में बैठना ही पड़ता है। चौधरीगीरी करनी पड़ती है। एवं शाति बनाए रखने के लिए विवादों को निपटाने की कोशिश करनी ही पड़ती है। उसमें भाग लेना ही पड़ता है। कोई राष्ट्र सम्बन्ध-विच्छेद करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। विश्व की शाति में प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा निहित है। विश्व की राजनीति में सन्तुलन रहे, तो उसकी अपनी राजनीति में भी सन्तुलन बना रह सकेगा। आज

हर राष्ट्र जो भी कुछ करता है, उसका असर सूक्ष्मरीति से बयों न हो, विश्व के अभी राष्ट्रों पर पड़ता है। इमेण्ड में किस दल की जीत हुई, अमेरिका में किस दल का प्रेसिडेंट चुना गया, जीन के राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है, क्रृष्णेव का स्थान घटल है या नहीं, आदि ऐसे बातों का प्रभाव सिफं सम्बन्धित राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रहता। केरल में साम्बवादी पक्ष सत्ताधीय बना। इसका अर्थ कई लोगों ने यह किया कि चुनाव के मार्ग से साम्बवाद के विजय की आगा है। अर्द्ध मार्ग से तथा असंसदीय साधनों से उस सरकार को अपदस्थि किया गया। इस घटना का असर केवल हिन्दुस्तान की राजनीति पर ही हुआ हो, ऐसी बात नहीं, यरन् किसी-न-इसी अदा में अन्य राष्ट्रों की राजनीति पर भी उसका असर हुआ है। अफ्रीका में काले अफ्रीकियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इस बात का असर विश्व की राजनीति पर हुआ है। अमेरिका में नींगों लोगों को अभी तक ममान अधिकार नहीं दिए जाते। इसरा असर केवल अमेरिकी चुनावों तक ही सीमित नहीं रह गया है। हर राष्ट्र का घरेलू भगड़ा भी आज विश्व के चौराहे पर चचित होता है। यदि बोई किसी नए शहर या अस्थि का आविष्कार करे तो उसका असर अन्य राष्ट्रों पर होता है तथा अधिक विनाशकारी शहरों के निर्माण की होड़ लग जाती है और उससे सारे विश्व में खतरनाक हालत पैदा हो जाती है। सीधे-साइ लोगों की भी आज यही हालत है। अतः इन बातों से एक राष्ट्र का नहीं, कई राष्ट्रों का सम्बन्ध आता है। इन भाषणों में कुछ-न-कुछ नियन्त्रण एवं सामुदायिक मार्ग-दर्शन अवश्य होना चाहिए। यदि विवाद केवल दो राष्ट्रों के बीच हो तो उचित यह होगा कि वे दोनों आपस में भिन्नजुल कर शान्तिपूर्वक कोई सुलह-समझौता करें। पर यदि ऐसा न हो तो उम अवस्था में जो आग सुनगेगी, वह उन दो राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रह सकेगी। राह चलते हो आदिमों में बोई फ्रांस हो जाए तो कुछ लोग यही जमा हो जाते हैं। कुछ इस पद के तो कुछ उस पक्ष के और तब दगा शुरू हो जाता है। दुकानें बन्द हो जाती हैं। लोक-व्यवहार स्तब्ध हो जाता है। लगभग यही कुछ तब होता है, जब दो राष्ट्रों में भगड़ा शुरू हो जाता है। अतः जिन बातों में लोगों के अधिक हित सम्बन्ध निर्गढ़ित नहीं होते, उन बातों में सारे विश्व के निए एवं सूत्रता लाई जानी चाहिए। एक नीति होनी चाहिए। इस बात को कोई नामजूर नहीं करेगा। अफ्रीम, यरस आदि का नियमन, यातायात का नियमन, महामारी का नियमन, तथा मजदूरों से सम्बन्धित नीति आदि बातों में पर्याप्त सहृयोग आधुनिक विश्व के अनेक राष्ट्रों के बीच बना हुआ है। व्यापार-विषयक सेवा में भी कुछ प्रथाएँ एवं व्यवस्थाएँ अब सर्वसम्मत हो चुकी हैं। यही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ निर्माण हो चुकी हैं। तथा एक दृष्टि से इस सेवा के द्वारा ममूचे विश्व का नियमन किया जाता है। गैरे, चावल तथा दवाइयों की सप्ताही के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ निर्माण हो चुकी हैं। तथा विन्ही विदेष नियमों के अनुसार उनका काम चलता है। यही नहीं संसार में पूँजी के वितरण की दृष्टि से भी 'बल्ड बैंक ऑफ मॉनीटरी फंड' गरीबों संस्थाएँ भस्तिरप में आ चुकी हैं। विश्व में भव पहले जैसी आधिक एवं व्यापार-विषयक परिस्थिति नहीं रह गई है। इन दोनों क्षेत्रों में कुछ नियम काम में

लाए जाते हैं तथा 'बट्ट्योट कम्पीटीशन' अब पर्याप्त कम हो गए हैं। तात्पर्य यह कि अनेक क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच हितेभ्य निर्माण हो जाने के कारण शान्ति भग्न करने याती अनेक बातें तुष्ट हो गई हैं और यह सब इसलिए हुआ कि व्यक्तिगत राष्ट्रों या राज्यों ने स्वेच्छा में जागतिक नियमनों एवं नियन्त्रणों को स्वीकार किया है।

गत आधी सदी में जो दो महायुद्ध हुए तथा जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए—रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों प्रकार के—उनके कारण हर राष्ट्र वा विश्व-सम्बन्धी दृष्टिकोण बदल गया है। एक दृष्टि में गारा विश्व एक हो गया है। अतः किसी खाम देश की उन्नति में विश्व के लिए खतरा पैदा हो जाता है। विश्वगान्ति तथा विश्व-प्रतिष्ठा के लिए विश्व के मारे देशों की उन्नति होना जहरी है। सारे विश्व की उन्नति के लिए किमी एह शास्त्र, एक नियन्त्रण तथा एक नियमक की आवश्यकता होगी। कोई बान दुनियाँ के भत्ते के लिए है या दुरे के लिए, इसे निश्चित करने के लिए एक सर्वोच्च मत्ता का होना बहुत जहरी है और आधुनिक विश्व में स्वभावत ऐसी सत्ता का स्वरूप मन्या या रागठन ही हो सकता है। गतार का यह शास्त्र या नियन्त्रक धर्मोपदेशक की तरह का हो, तो उससे काम नहीं चल सकता। केवल ताम की कुछ बातें कहने वाले का गा उमड़ा है नहीं होना चाहिए। निरुण्य देने तथा उम पर ग्रमस्तकरवाने वाला यह सगठन हो सो उसके लिए राष्ट्रीय प्रभुत्व सम्बन्ध गाष्ट्रों को प्रपनी प्रभुता में कुछ बमी तो करवानी होगी ही। जिस प्रकार गमाज वा आग घनने के बाद व्यक्ति वी स्वतन्त्रता कुछ अनुशित हो जानी है, उसी प्रारंभ स्वतन्त्र राष्ट्रों का नियमन करने वाले जागतिक रागठन वा आग घनने के बाद राष्ट्रों को भी प्रपनी स्वतन्त्रता को कुछ अनुशित करवाना होगा। इस प्रारंभ के जागतिक रागठन तभी सावंभीम एवं कार्यशम हो गते हैं, जब उमड़ा आग घनने हुए सब स्वतन्त्र राज्य प्रपने प्रभुत्व का कुछ अश उमन रागठन को दे डाने। मध्य-युगीन राज्यस्वतन्त्रता वी बहाना कभी वी नामगेप हो चुकी है। उन्नीगवी गदी वी राज्यस्वतन्त्रता वी बहाना अपूरी एवं अप्रस्तुत है। आज के युग में आगर तिमी भी राज्य वो स्वतन्त्रता वो सार्थक होना है, तो उमं प्रपनी स्वतन्त्रता पर थोड़े बहुत भयुग तथा जागतिक शामन वो स्वीकार करना ही होगा। यदि कोई गाष्ट्र विश्व वी सर्वोच्च गता की बात वो मानने में दिक्षार करने लगे तो उमे बढ़ी विद्वन परिस्थितियों का शामना करना पड़ेगा। आज दिविण अफीसा के राज्य वी यही हातन है। आज यदि कोई स्वतन्त्र राज्य प्रतिष्ठाने के बाल वो सेवर हटवादिता में शाम लेने लगे, तो उमड़ा यह आजरन भद्ररक्षिता वा चोक होगा। जिस प्रकार व्यक्तियों वो न्याय देना राज्य वा वर्तन्य है, उसी प्रारंभ राज्यों वो न्याय देना अन्तर्राष्ट्रीय गगठन वा वर्तन्य है। गयुक्त राष्ट्र गण प्रयवा हें इत्यन् अन्तर्राष्ट्रीय शामन ये गम्याएं आज विश्व में प्रभुग मार्ना जानी है। तो य अयथा शक्ति के बद पर कोई प्राने हटपर घटा रहना चाहे तो वह मन्मत नहीं हो पाएगा। विदाओं को युक्त एवं विचार-विनिमय द्वारा निपटाना चाहिए। या तो उत्तरार्द्ध पर उत्तरा निपटान मिया जा सकता है या फिर दुष्ट

के जोर पर रिया जा सकता है। युक्ति वीं स्वीकार कर विवेक बुद्धि के निषंख के घनुसार सवालों को हल करना स्वतन्त्रता का लक्षण है। बादी प्रतिवादी दोनों पूरी तरह स्वतन्त्र हैं। अतएव शस्त्र को हाथ न रखते हुए शास्त्र की शरण में जाकर उन्हें युक्ति प्रतियुक्ति का आधय तेना चाहिए। यदि हर राज्य अपनी स्वतन्त्रता की पूर्णता के विषय में आग्रह करने लगे और कहने लगे कि वह जागतिक लोकमत को स्वीकार नहीं करेगा तो विश्व में शान्ति नहीं रह पायेगी तथा पूर्ण स्वतन्त्रतावादी राष्ट्र भी अपनी स्वतन्त्रता को बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। याजकन के युग में यदि कोई राष्ट्र अपने ही हठ पर अड़ा रहना चाहे तो अन्य राष्ट्र उसे बैसा नहीं करने देंगे। स्वेज नहर के सवाल से अमेरिका तथा रूस का सीधा सम्बन्ध नहीं था, तो भी उन्होंने इस सवाल पर अपना अभिप्राय प्रकट किया। अतः वह सवाल बातचीत एवं सुनह ममभौते में निपट गया, युद्ध से नहीं। अफ्रीका महाद्वीप में आज जो उपनिवेशवाद की अन्त्येष्टि होने जा रही है, उसका भी मूल कारण विश्व की राय ही है। इन्हें आज अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को स्वतन्त्रता दे रहा है; वेलिंगम कागो को स्वतन्त्रता दे रहा है। फैच राष्ट्र अपने उपनिवेशों को स्वतन्त्रता प्रदान कर रहे हैं। इन भव घटनाओं का यही अर्थ है कि ये राज्य एवं उनके अधीनस्थ प्रदेशों के भगड़े आज विश्व वीं चर्चा के विषय बन गए हैं। गाँव में भगड़ा होने पर उस गाँव का पटेल भगड़ने यातों को चावडी पर बुलाता है और उनके भगड़े को खत्म करता है। वही स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब दो राष्ट्रों में भगड़ा होने पर विश्व का लोकमत अध्यवा अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ वीचवचाव के लिए उपर्युक्त होता है। यदि कोई केवल भावना एवं शक्ति के जोर पर विश्व की समस्या को सुलभाना चाहे तो भ्याय दृष्टि से वह सुलभा नहीं पाएगा। जो विजयी होगा वह उन्मत्त हो जाएगा तथा जो पराजित हो जाएगा, वह बदला लेने की ठानेगा। अतः उचित यही होगा कि विश्व शान्ति को बनाए रखने के निए विवदमान राष्ट्रों को चाहिए कि वे विवेक, विचारविनिमय, एवं युक्ति वीं राह चुनें।

राज्यों के विवादों वीं भाँति अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा भी विवेक एवं युक्ति के मार्ग ही से होना चाहिए। यदि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों वा फैसला मुलह समझौते से न हुआ तो युद्ध का टालना असम्भव हो जाएगा और तब उस युद्ध को दिनहीं विषेष क्षेत्रों तक ही सीमित करना कठिन हो जाएगा। किसी भी क्षण दो राष्ट्रों के बीच का भगड़ा अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर सकता है। मूलह समझौते से जब सवाल है नहीं होते, युद्ध की सम्भावना पक्की हो जाती है, तब सम्बन्धित राष्ट्रों के मन भीतिप्रस्त हो जाते हैं। और तब गुटबन्दी (अलाएंस) शुरू हो जाती है। नाना प्रकार के रक्षा सम्बन्धी समझौते किए जाते हैं। दुनिया भर में दूर तथा अनिश्चितता का बातावरण द्या जाता है। और यदि प्रत्यक्ष हृप से युद्ध न छिड़े तो भी युद्ध की परिस्थिति निर्माण हो जाती है। अगर धर में रहने वालों को मातृम हो जाए कि धर में सांप धुमा हुमा है तो वे चेन की नीद नहीं सो सकते और वे नोग बुरी तरह चिन्ताप्रस्त हो जाते हैं। ठीक यही अवस्था जीत की हो जाती है। अपनी स्वतन्त्रता के दुरभिमान के कारण, अपनी राष्ट्रीय भावना के अमर याद अविष्कार

कारताने में मनीन चलाने वाला भजदूर, स्थूल में इतिहास भूगोल पढ़ाने वाला अध्यापक, आदि सबके सब सिपाही समझे जाते हैं तथा कोई भी नोप के गोलां से तथा बम्परी से मुरादित नहीं रह पाता। आधुनिक युद्धों में समूचे राष्ट्र को युद्ध के पैतरे में भड़ा होना होता है। समूचा राष्ट्र युद्धकाल में हर तरह ऐं मरणित होता है। अन्य गमय में भूपश्वत् प्रतीत होने वाली नागरिक स्वतन्त्रताएं युद्ध में विजय के मार्ग में रकाट प्रतीत होती है। इसलिए युद्ध की तोप का पहला गोला छृटते ही नागरिक स्वतन्त्रताएं जड़मूल से हिल उठती हैं। राज्य युद्ध में विजय हासिल करने के इरादे से इस स्वतन्त्रताओं को सत्तम बर देता है। युद्ध के शुरू होते ही इस प्रकार की स्वतन्त्रताएं खम्म हो जाती हैं। युद्ध काल में भर्ते ही समूचा राष्ट्र युद्धक्षेत्र बनता हो, राष्ट्र के सबके सब तोग सड़ाकू बनते हों, तो भी युद्ध शुरू होने से पूर्व, युद्ध की तैयारी के समय तथा युद्ध की घोषणा होने तक तीर्णों को अपनी राय जाहिर करने भी दूर रहती है। युद्ध शुरू होने से पूर्व के इस काल में यदि लोकमत जागरित न हो तो सत्ताधारी एवं उनके सहायक वर्ग तथा व्यक्ति अपने स्वार्थ की दृष्टि से युद्ध के प्रश्न पर विचार करते हैं। एक बार युद्ध छिड़ गया कि फिर विचार-विनियम, मुनह समझौता आदि बातें मुदित्व से हो जाती हैं। जब कुछ देर तक युद्ध चालू रहता है और शीर शीरों पश्चों को उमके कुछ परिणाम भोगने पड़ते हैं, तब कुछ-कुछ विवेक जागता है। तपापि जो महत्वपूर्ण गमय होता है, वह युद्ध शुरू होने से पूर्व का ही होता है और उन दिनों वहमट्टप क्लोयों ने यदि राज्यसत्ता को विवेक का रास्ता न मुझाया तो जो वर्ग सत्ताधारी होते हैं वे उस विकट परिस्थिति से फ़ायदा उठाते हैं तथा दलगत राजनीति का खेल खेलते हैं। उनका तो खेल होता है और तानाव के मेंटकों की तरह सामान्य जनता की जान जाती है। सत्ताधारियों के हाथों में सही माने में पूरी मत्ता आ जाती है। और यदि उमके विष्ट तत्काल आग्नि न हो तो दिमों भी बात भी कोई मर्यादा नहीं रह जाती। तथा ये वर्ग ही राष्ट्र का पर्यावाची बन जाने हैं जिसके फलस्वरूप राज्य की स्वतन्त्रता उनके स्वीराचरण का साधन बन जाती है। तथा देश एवं देश की सम्यता और स्थृति इनके हाथों चौपट हो जाती है। देश पर आने वाली आपत्ति एवं सकट के ये वर्ग शिल्पकार मादित होने हैं। इन सब बातों को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विश्व के व्यवहारों में राज्य की स्वतन्त्रताओं पर अमुश का होना बहुत ज़हरी हो जाता है। अन्याय होते समय व्यक्ति उदासीन रहे, अपने इल के डर से चुप-चाप रहे, विरोधी पक्ष त्याग करने से बतराएं तो इन बातों का फल यह होता है कि भौजूदा राज्य सत्ता युद्ध के पूर्व बेलगाम हो जाती है तथा विश्व की आन्ति खतरे में पड़ जाती है। कील के कारण धुड़मवार खत्म हो जाता है—इस किस्म की परिणाम की शृंखला निर्माण होती है।

चाहे गमाज हो या राष्ट्र हो, दोनों की वृत्ति एवं स्वरूप उमके घटक भूत नागरिकों की वृत्ति पर अवलवित रहते हैं। दो व्यक्तियों के तथा दो राष्ट्रों के बीच के व्यवहार में समानता होती है। जिस प्रकार किसी राज्य में अनेक हित-सम्बन्ध होते हैं, और उनके सन्दर्भ में व्यक्ति व्यक्ति के बीच, अग्नि एवं संघ के

बीच तथा व्यवित एव राज्य के बीच वार्ताएँ आकार धारण किया करती हैं। सुख-आनन्द एव मनोरमन के उद्देश्य से लोग एक जगह जमा हुआ करते हैं। मध्य बनते हैं। किंवहना, राज्य के सम्बन्ध में भी यह भाव स्पष्ट रहता है। अतः व्यविताओं के व्यवहार में समाज जिन नीतितत्त्वों को चाहता है, वही नीतितत्त्व राष्ट्रों के व्यवहार में भी अपेक्षित समझे जाते हैं। मजदूर सध का आचरण कैसा हो तथा उमड़ा सम्बन्ध राज्य के साथ किस प्रकार का रहे इस वारे में जो विचार गमाज में प्रकट किए जाते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में विभिन्न राष्ट्रों को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में प्रवक्त विए जाते वाले विचारों से मेत खाने वाला होना चाहिए। याम तौर पर व्यवित से बमेर पूछे, उमड़ी राय बगैर लिए यदि कोई फैसला उस पर लाद दिया जाए तो व्यवित उसका विरोध करता है, निन्दा करता है। राज्य के विभिन्न गम्भो एव सस्याम्भो से पूछे बगैर, उन्हं अपनी बात पेश करने का मीका दिए बगैर राज्य कोई निर्णय करे तो वे उसे चुपचाप मज़र नहीं करते। उसकी निन्दा एव विरोध करते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी किसी के विरुद्ध निर्णय लेते समय यदि कोई विचार-विनिमय न करे तो वहाँ भी विरोध होता है। तात्पर्य यह है कि जो भावना व्यवित वी होती है, वही जाति, समाज एव राष्ट्र वी होती है। अनेक दानो वाले मकई के भूटे की मिठास उसके हर दाने की मिठास पर अवलवित होती है। करनुरी के गोले तथा उसके कण के मुगन्ध में क्वालिटी का फरक नहीं होता, मिर्फ बवाणिटी का फरक होता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में कोई व्यवस्था करनी हो, तो जिन राष्ट्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उनका विचार अवश्य करना चाहिए। सन् १६२० में वसाय के राजमहल में बैठकर यूरोप एव अफ्रीका के देशों की जो बांट की गई, उससे सन्तोष एव समाधान के स्थान पर भावी अनर्थ का ही बीजारोपण किया गया। जिस बात को व्यवित नहीं मान सकते, उसे समष्टि या समाज भी नहीं मान सकता, यह स्पष्ट है। अत राज्य के कामकाज को व्यवित का समर्थन प्राप्त हो तो राज्य में सुख रहता है, शान्ति रहती है। इसी प्रवार अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में व्यवितगत राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त हो, तभी धार्षतिक शान्ति की व्यवस्था स्थिर रही रहेगी। आजकल राष्ट्रसध में बहस होती है, विचार-विनिमय होता है तथा किसी भी राष्ट्र को खत्म करन या नुकसान पहुँचाने जैसी बात नहीं की जानी। यह शुभ लक्षण है। व्यवित जब समाज में आता है, तब उसके विकास के लिए अनुकूल बातावरण उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार राष्ट्र राज्य जब अधिक व्यापक विश्व मंगठन में आता है, तब उसके विकास के लिए अधिक अनुकूलता हो जाती है। दिश्व मंगठन में अनेसे उसकी स्वतंत्रता थोड़ी सी अकृशित हो जाती है, यह निश्चित है। परन्तु उसी अकृद के कारण राष्ट्रराज्य की स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित होती है। गाँव में पुलिस की चौकी ही न हो, तो लडाई-कमाद हो जाने पर उसका अन्त सिर फुटीवल ही में होगा। पर यदि लोगों को मानूम हो कि गाँव में पुलिस चौकी भीज़द है, तो फसाद होते ही या होने की नीत आते ही कोई न कोई दोडा-दोडा पुनिस चौकी पर जाता है। चौकी हो तो इस बात का इत्मीनान हो जाता है कि अपने ऊपर कोई यो ही हमला

नहीं करेगा। यही इत्यनान विश्व मंगठन के रहने अनुभव होता है। राष्ट्रसंघ भी मौजूदगी की बढ़त से मौजूदा राष्ट्र राज्य सुरक्षित हैं। और जैसे-जैसे विश्व संगठन के माध्यम से राष्ट्रों पा पारस्परिक सहयोग घटेगा वैसे-वैसे उन्हीं मुश्ता मजबूत होती चली जाएगी। प्रगति को अधिक गति प्राप्त होगी। अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण से राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में अधिक नीतिकता आती है तथा व्यवहार में भी अधिक उपयुक्तता आती है। जो अनुभव व्यक्तिगत जीवन में आता है, वही अनुभव व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रुराज्यों को आता है। व्यक्ति के समाज में रहने के कारण जो जी में था वह करने का अधिकार उसे नहीं रहता। समाज की दृष्टि से कुछ अंकुश उस पर लगाने पड़ते हैं। उसी प्रकार विश्व में राष्ट्र राज्य के उदित होने भर से उसे अमर्याद मता नहीं प्राप्त होती। उसकी स्वतन्त्रता एवं सत्ता पर भी अंकुश रहता है और उसे मानना लाभदायक ही होता है। समाज में भले ही राज्य वा कर्तृत्व बड़ा-चड़ा हो, उसके आदेश माने जाते हो, पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी वह उसी तरह अपना सिक्का चलाना चाहे तो नहीं चल सकेगा। समाज में भी जो सत्ता प्राप्त हुई होती है, वह विना किसी शर्त के नहीं होती। कागज पर भले ही वह पूरी हो, सविधान में भले ही उस पर कोई शर्त न लगी हो, तो भी अच्छाहृत अंकुश उसमें अवश्य होते हैं। कोई सत्ताभारी उनका उल्लंघन सहसा नहीं किया करना। क्योंकि उस प्रवार का उल्लंघन करने से भत्ता का उनके हाथ से छिन जाना अनिवार्य हो जाएगा इम वात की जानकारी उन्हें रहती है और कोई भी सत्ता इन अकुशों की मौजूदगी के कारण अपने को अपमानित अनुभव नहीं करती। इसी प्रकार जब कोई भी राष्ट्रराज्य विश्व के राजमार्ग से जाता है, तब वह भी औरों के साथ-साथ किन्हीं अंकुशों को दीवार करता है तथा उसमें किसी प्रकार का अपमान सम्भाल की दीवार आवश्यकता नहीं रहती।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में थोड़े से नियमों का उद्देश्य ध्यान में रखकर अस्तित्व में प्राइंट हुई स्थिता है, 'लीग ऑफ नेशन्स'। मन् १९२० से लेकर १९३८ तक अर्थात् दो महायुद्धों के बीच के काल में लीग ऑफ नेशन्स कुछ नियमन किया करती थी। उसी का एक भाग है 'आई० एल० ओ०' अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय मजबूर संगठन। इस स्थिता ने मजबूरी से सम्बन्धित थेने में बहुत कुछ काम किया है। तथापि व्यक्तिगत राष्ट्र-राज्यों की स्वतन्त्रता पर प्रभावशाली रूप में अंकुश लगाने के काम में लीग ऑफ-नेशन्स को सफलता नहीं मिली। मंचुरिया पर किए गए जापान के आत्मभग को रोकना उसके लिए सम्भव नहीं हुआ। एविसीनिया पर होने वाले अत्याधारों को उसे आसें बदल करके देखना पड़ा। तो भी पह हम वह सकते हैं कि विश्व नियमन की दृष्टि से लीग एक प्रशंसनीय कदम था। अनेक भौतिकों पर लीग ने बहुत ऐ अच्छे नियंत्रण किये थे। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में उसने ऐसे फैसले किए जो दोनों पक्षों को मजूर हुए। तथापि जो कुछ प्रटिट हो रहा था, उसका, धीरेज के साथ सामना वह न कर सकी। कारण वह था कि उसके पास दण्ड-विषयक कोई धोजना नहीं थी। थोड़े राष्ट्रों के प्रश्न पर वह जोर से बोलती थी पर जब वह राष्ट्रों में कलह उत्पन्न होता था, तब लीग के प्रस्तावक एवं मानवर्धनक लोग कुछ नहीं करते थे। क्योंकि वे

लोग जानते थे कि उनका फैसला माना नहीं जाएगा। सन् १९४६-२० में किन्हीं स्थानों पर वह चुप रही, कहीं उसने आँखें बन्द कर लीं, कहीं उसने तत्त्वभृष्टता से काम लिया। उसके संगठन में बड़े राष्ट्रों का प्रभाव अधिक था और उसी के कारण हुआ यह कि मसार में शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित हुई वह लीग की मस्त्या दूसरे महायुद्ध के लिए आवश्यक बातावरण निर्माण करने में बारणीभूत हुई। दो युद्धों के बीच की शान्ति दूसरे महायुद्ध के पूर्व का उद्योग-पर्व सावित हुई। दस्त्रास्त्रों के प्राथमिक प्रयोग भिन्न-भिन्न राष्ट्रों ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विए। बड़े-बड़े राष्ट्रों ने इस काल में यह निश्चित किया कि उनके शम्भु कीन है तथा आने वाले युद्ध की कुण्डली तैयार की और विश्व-शान्ति को कठिन एवं युद्ध को अटल बना दिया। ३-४ सौ दरसों के प्रयत्न से सासार के स्वतन्त्र राष्ट्रों ने अपनी स्वतन्त्रता पर थोड़े से अकुल स्वीकार किए थे। तथापि लीग का जन्म शान्ति के मूल पर कुठारवत् सिद्ध हुआ यही कहना चाहिए। युद्ध बन्द हो चुका था; पर मन के भीतर का द्वेष एवं मन्ताप ठण्डा नहीं हुआ था। विजयी राष्ट्रों के मन में बदले की भावना काम कर रही थी। पराजित राष्ट्रों में भी वही भावना उत्पन्न हो चली थी। अतः इस परिस्थिति में लीग के नेतृत्व स्वरूप के अधिकार को भी लोगों ने कुछ अधिक महत्व नहीं दिया। विश्व के राष्ट्रों के बीच ऐसी अनेक मामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ थीं, जिन पर भर्तैक्य होना कुछ कठिन नहीं था। जिन क्षेत्रों में आम तौर पर हितैक्य नजर आता था, उनमें लीग आँख नेशन्स् ने कुछ काम किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह हुई कि वह एक ऐसी कचहरी बन गई, जहाँ बादी-प्रतिवादी लोग आकर बाद-विवाद किया बरते थे। अनेक बार लोकमत का दावा प्रभावशाली सावित हुआ। तो भी लीग को बड़े राष्ट्रों का मच्चा समर्थन प्राप्त नहीं था। उलटे लीग का उपयोग उन्होंने मौजूदा अन्याय को बदस्तूर कायम रखने के लिए किया। पराजित राष्ट्र का प्रदेश छीन लिया गया। उसके उपनिवेशों को विजयी राष्ट्रों के हाथ में वहाँ की जनता का पालन करने के लिए दे दिया गया। सद्ग्रावना का प्रदर्शन लीग की हर सभा में किया जाता था। पर उस सद्ग्रावना का आगे और कुछ नहीं बना। एक विचार अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की राजनीति में जड़े जमाने लगा था और वह यह था कि आदर्शों के विभेद के रहते हुए भी अनेक राष्ट्र चाहे तो किसी मद् उद्देश्य से एकत्र आ सकते हैं तथा सहयोग के बल पर कुछ एक क्षेत्रों में सो अवश्य ही अन्तर्राष्ट्रीय नियमन को लातूर करवा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सरकार जैसी कोई वस्तु उन दिनों निर्माण नहीं हुई थी। तो भी दूरदर्शी राजनीतिज्ञों का व्यान इस बात की ओर अवश्य गया कि अन्तर्राष्ट्रीय काम-काज के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मौजूद है।

लीग के सम्बन्ध में लोगों ने जो बड़ी-बड़ी उम्मीदें सगा रखी थीं, वे यद्यपि पूरी न हो पायी, तो भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में, विश्व-शान्ति की दृष्टि से एवं विश्वव्यवस्था की दृष्टि से आगे कदम ज़हर बढ़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुजनसमाज को सही मानो में स्वतंत्रता दिलानी है, तो पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने से बात नहीं बनेगी। वितरण की व्यवस्था व्यायो-

वित होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिभानपूर्वक जीवित रहने का अधिकार है, इस्यादि बातें भौलिक स्वरूप की समझी जाने लगी तथा पहले महायुद्ध के बाद यह गिरावट भी अधिक प्रबल रूप से लोगों के सामने आया कि देश के भीतर के पूँजीवाद का पोषण विश्व के पूँजीवाद द्वारा होता है। देश के भीतर के पूँजीवादी देश की सीमा में बाहर हाथ-भैर फैसाने लगते हैं तथा घपने उत्पादन को उचित मुनाफा दिलाने के लिए वे देश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को दौब पर लगाते हैं। कभी-कभी तो मुद्री भर लोगों के फायदे के लिए समूचे राष्ट्र को युद्ध में पड़ना पड़ जाता है। इस दृष्टि से विश्व में यदि कोई सावंभीम नियमन अभल में आए तो ठीक रहेगा, ऐसा लोगों को प्रतीत होने लगा था तथा इसी से लीग का निर्माण हुआ। लीग के जीवन-काल में अनेकों ने ये विचार प्रतिपादित किए थे कि विश्व में एक विश्व राज्य होना चाहिए। अमेरिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार बन कर खड़ा होने वाले थी विल्की ने तो 'एकविश्व' नामक एक प्रन्थ निखाया था। विश्व में एक राज्य वी बात केवल कल्पना न रहकर १० यर्पं पूर्वं वहू चर्चा का विषय बन चुकी थी। दूसरे महायुद्ध के आरम्भ से पूर्वं लीग यदि अपनी नीतिपर मजबूत रहती तो किसित् एक विश्व राज्य की कल्पना अधिक स्पष्ट रूप से साकार ही गई होती। दूसरे महायुद्ध के बाद यही कल्पना किसित् भिन्न स्थिर में लोगों के सामने आ रही है। विश्व की शान्ति एवं अध्यस्था बनाए रखने तथा उसकी अधिक एवं सांस्कृतिक उन्नति करने की दृष्टि से किसी नियमक अध्यस्था का होना अच्छा है, ऐसा लोगों की समझ में आ गया है। जिस प्रकार राष्ट्र के लिए अधिक विषयता का होना चाहिए एवं अन्याय-कारक है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में किन्हीं राष्ट्रों का अधिक दृष्ट्या सम्पन्न होना तथा किन्हीं का विषय होना, किन्हीं का मालदाता होना तथा किन्हीं का गरीब होना दानित का पोषक नहीं है। विश्व में अनिर्वच स्वतन्त्रता होनी चाहिए, इस मत का अमेरिकन अध्यक्ष सज्जवेल्ट ने बहुत जीरदार रूप में प्रतिपादन किया था। महायुद्ध में हिटलर के विश्व संगठित हुए राष्ट्रों की इस मामले में एक राय थी कि सभार में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए, उन्नति की यूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए, तथा नागरिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए और इसी मनैक्य में से राष्ट्रमध्य (यू० एन० ओ०) का जन्म हुआ। यू० एन० ओ० की मनद एक दृष्टि से विश्व का एक राज्य होने के तत्त्वज्ञान के अन्तर्गत प्रगतिशील विचारों का निरूपण है। यू० एन० ओ० के संविधान में विश्व की एक पालियापेण्ट की कल्पना के बीज मौजूद हैं। किन्हीं भी विवादों की सुनवाई राष्ट्रमध्य में होती है। उन पर बहस होती है, फैसने किए जाते हैं, बहुत जट्ठी के मामलों पर विचार करने के लिए जो सिवूरिटी काउंसिल काम करती है, उसका स्वरूप राज्य की कायंकारी सत्ता से कुछ मिलता-जुलता है। यू० एन० ओ० के संगठन ने गत १४ वर्षों में अनेक महायुद्धों के अथवा कहिए युद्धों के प्रमंगों को दासा है। मुद्र न होने देने के लिए युद्ध के वारणों को कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस संगठन के होने से किसी भी देश को इस बात का अनुभव नहीं होता कि उसकी स्वतन्त्रता घट गई है। यू० एन० ओ० में संलग्न आई० एल० ओ० नाम का मजदूरों का संगठन आज-भी मजदूरों के मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्ट्या

प्रभावशाली है। इस सगठन ने जो कुछ मजूर किया होगा उसे इस सगठन के सभासद राष्ट्रों का मजूर करना नैतिक कर्तव्य सिद्ध होता है और आम तौर पर उगे मजूर किया भी जाता है। थू० एन० ओ० या राष्ट्र मध के फैसलों को मानना अब केवल नैतिक बन्धन भर रह गया हो ऐसी बात नही है। दण्ड-व्यवस्था भी हो चुकी है और उचित समय पर राष्ट्रसंघ अपनी दण्ड-व्यवस्था पर अमल भी करने लग गया है। राष्ट्रसंघ में हुए फैसलों से तथा उनका पालन करने की परम्परा से किसी भी राष्ट्र को यह अनुभव नही होता कि उसकी स्वतंत्रता में कमी आ गई है। राष्ट्रसंघ व्यक्तिगत राष्ट्रों की रक्षा की दृष्टि से लीग की अपेक्षा अधिक समर्थ एवं शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। तँकि राष्ट्रसंघ में हर किसी की सुनवाई होती है, अतः राष्ट्रों की सीमाएँ पहले से अधिक सुरक्षित हैं। और यदि चीन राष्ट्रसंघ का सदस्य होता तो आज का सीमा विवाद उत्पन्न न हुआ होता। या बहुत ही शीघ्र खत्म हो गया होता। संघ के नियमन एवं नियन्त्रण के कारण किसी भी राज्य की पालियामेण्ट की सार्वभीमता पर आक्रमण हुआ है, ऐसा किसी को प्रतीत नही होता। इसके विपरीत संघ की स्थापना के बाद से करोड़ों लोग एवं लाखों मीलों के प्रदेश दूसरों की गुलामी से मुक्त हो गए हैं। मुक्त होकर जो देश स्वतंत्र हुए वे स्वतंत्र राज्य के हृष मे राष्ट्रसंघ के सदस्य बन गए हैं। सदस्य हो जाने के बाद उन्होंने मानो स्वतंत्रता के अपने-अपने विमान ही उतारे हैं, ऐसा दृष्टिगत होता है। राष्ट्रसंघ बन जाने के कारण किसी भी राष्ट्र के सास्कृतिक जीवन में बलपूर्वक कोई परिवर्तन नही लाया गया है। उलटे शिक्षा, व्यापार, सास्कृति इत्यादि क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं, उनसे सासार के ज्ञान में बढ़ती ही हो रही है। राष्ट्रसंघ की एक शाखा 'यूनेस्को' सास्कृतिक एवं कल्पाण के क्षेत्रों में जो काम कर रही है, वह प्रशसनीय है तथा इन कामों से किसी भी राष्ट्र के जीवन पर कोई अकृत आया है, ऐसा किसी को अनुभव नही होता। विश्व के धार्य का सम्मरण एवं वितरण, प्रपण बच्चों के सम्बन्ध में कुछ नियमन राष्ट्रसंघ के हाथो किया जाता है तथा उससे विभिन्न राष्ट्रों के जीवन में सहायता होती है, यह बात हर कोई मानेगा। न्यायदान के कार्य में अथवा नैतिकता से सम्बन्धित किसी भी मामले में राष्ट्रसंघ किसी प्रकार का नियमन नही करता। किंवद्दना, प्रत्येक राष्ट्र का जो व्यक्तिगत या खास जीवन होता है, उसमे राष्ट्रसंघ अडगा नही लगता। उलटे राष्ट्रसंघ के कामों से जीवन के उन क्षेत्रों में सहायता ही होती है। कहने का तात्पर्य यह कि सामुदायिक रीति के जीवन के किन्ही क्षेत्रों में सारे जगत् में समानता लाने से तथा उन क्षेत्रों में नियमन करने से राष्ट्र की प्रगति ही होती है तथा इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमन अभीष्ट है, ऐसा लोगों को अब अधिकाधिक समझ में आने लगा है। और जिन क्षेत्रों में समानता ही, उनमे किसी विश्वव्यवस्था द्वारा अधिकाधिक नियमन किया जाना अभीष्ट ही सिद्ध होगा। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण एवं उन्नति के लिए आवश्यक बातें एवं सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए, इसे स्वीकार कर लेने के बाद केवल एक-दो राष्ट्रों में नियोजन-व्यवस्था के होने से वे सब प्राप्त नही हो सकती। सारी दुनियां में नियोजन की व्यवस्था का होना जरूरी है। और यदि हम चाहते हैं कि सारी दुनियां में नियोजन किया जाए, तो उसे करने के लिए

किमी विश्व मंस्या एवं विश्वध्यवस्था का होगा आवश्यक है। तथा इम दृष्टि से यदि विश्व राज्य की स्थापना हो तो अच्छा ही होगा। एक विश्व राज्य की स्थापना में विश्व में सदस्यी भाषा और पर्म एक हो जाएंगे तथा ग्रन्थ कही एक जैसापन एवं एक ही मार्ग में ढला जीवन नजर आने सका जाएगा, ऐसा समझना ठीक न होगा। मानव यों एक ही है। यह मौलिक एकता एक विश्व राज्य की स्थापना में गणेह हो जाएगी। अपनी स्वायत्तता को मुरक्कित रखने हुए, एक व्यापक एवं विश्व जीवन में हिस्सा लेने तथा समरम होने का अवसर उसे इम ध्यवस्था में प्राप्त हो जाएगा। विश्व ध्यवस्था में सम्मिलित होने से स्वतंत्रता हाथ से चली जाती है, महृत्त्र कम हो जाता है, अनेक बन्धन निर्माण हो जाते हैं, इत्यादि जो बातें कही जाती हैं, वे सब नहीं हैं। चित्र को यदि केम भेंटा दिया जाए तो, जिस प्रकार वह चित्र अच्छा दियाई देता है, उसमें प्रभाषणददता भी जानी है, वैसा ही अनुभव यही भी होता है। जगन् में निष्पन्न हो जाने में व्यक्तिगत राष्ट्र की स्वतंत्रता अधिक अर्थपूर्ण हो जानी है। क्योंकि उस ध्यवस्था में अधिक विश्वसनीयता एवं अधिक मुरक्का होती है। और राष्ट्र की दृष्टि से अधिक विश्वसनीयता, अधिक मुरक्कितता एवं अधिक सान्ति का अर्थ है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी अधिक सार्वकाला एवं अधिक ममृद्धि। व्यक्ति इस प्रकार से विश्व ध्यवस्था के कार्यों में औचित्यपुर्वत सिद्ध होता है तथा उस ध्यवस्था से उसकी प्रगति होती है और इस प्रकार की ध्यवस्था निर्माण करना जहाँ उसके अन्ते हित में है वहाँ वह उसका कर्तव्य भी है।

स्वतन्त्रता, समता तथा कानून

स्वतन्त्रता पी कल्पना के बारे में विचार करने गमय हम वह भाए हैं कि इस अधीनी स्वतन्त्रता समता के बिना असंभव है। और यदि हम जाहो हैं कि नागरिकों को समता एवं स्वतन्त्रता दोनों वा अनुभव प्राप्त हो सो हमें राज्य के गणठन एवं गविधान वो प्रजातन्त्रात्मक ऐसा वा यनाना होगा। पाइनाथ देसो में जब राज्य-विषयक पत्तनामों वा विचार प्रजातन्त्र की दृष्टि से होने सका एवं व्यक्ति-स्वतन्त्रता तथा राज्य के अधिकारों के बीच वा विरोध स्पष्ट अनुभव होने सका, तब स्वतन्त्रता के गम्भीर में भी अनेकों को भय सगने सका तथा ये सो ही कुछ समता से सम्बन्धित कल्पनामों के मामले में भी हुआ। हम पहले यता भाए हैं कि जब हम स्वतन्त्रता तथा समता के बारे में विचार करने चैठते हैं, तब यह निरपेक्ष भाव से नहीं विद्या जा सकता। इस परिस्थिति में पत्तनामें एक प्राप्तार सेने सकती है; एक प्रनवरण धारण करने लगती है, अन स्वतन्त्रता एवं समता दोनों ही की कल्पना के बारे में विचार करते गमय हमें लगता कि दोनों ही कल्पनाएँ निरपेक्ष नहीं हैं और हमें यह याद रखना होगा कि इन पर हमें समाज के गन्दर्भ में ही विचार करना चाहिए। हमें स्वतन्त्रता एवं समता वी वृत्तियों को ध्यान में रख वर विचार करना होता है। स्वतन्त्रता का अर्थ है विद्यमान परिस्थिति में व्यक्ति वो अपने बारे में स्वय निरुद्घय सेने वा अधिकार। पर यह निरुद्घय उसे परिस्थिति पो ध्यान में रखते हुए, शक्यता, युक्ति तथा ओचित्य वा विचार करके लेना होता है। व्यक्ति सामान्यतया अपने सुख तथा व्यवितत्व की रक्षा की दृष्टि से विचार विद्या करता है। और स्वतन्त्रता उसके अभीष्ट को प्राप्त करने का एक साधन है। अपने ध्येय की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। उद्देश्य तथा आदर्श में हीन स्वतन्त्रता को कोई भागीकार नहीं करता। चमचा केवल चमचा होने से प्रिय नहीं होता। उसके द्वारा कटोरी में रसी हुई बासुन्दी (दूध की रबड़ी) निकालनी होती है अतः वह प्रिय होता है। ठीक यही बात स्वतन्त्रता की भी है। मुझे लिखने के लिए स्वतन्त्रता चाहिए। बोलने के लिए स्वतन्त्रता चाहिए। किन्हीं व्यवितयों को मैं देना चाहता हूँ, किन्हीं धोनों का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, अतः मुझे सचार की स्वतन्त्रता चाहिए। यह बात साफ है कि केवल प्राथमिक आवश्यकताओ—धन, वस्त्र एवं निवास—की पूर्ति से ही मनुष्य मुखी नहीं हो जाता। यह सब तो चाहिए ही, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ चाहिए। ये सब चीजें उसे बगेर मेहनत के हासिल हो जाएं तो भी उसका असन्तोष

दूर नहीं हो पाता। उसका जीवन केवल अनन्तमय नहीं होता। अतः वह कुछ और प्रधिक करना चाहता है। अतः उसे वह सब करने के लिए अवसर एवं स्वतन्त्रता की आवश्यकता रहती है। उसके बगैर उसका जीवन अधूरा रह जाता है। वह चलता है, पर उसमें गति नहीं आ पाती। वह गुनता है, पर उसमें अवणीय कुछ भी नहीं रहता। सधेष में वह जीवित तो रहता है, पर उसमें जान नहीं होती। स्वतन्त्रता की मौति समता को भी समाज के सामने में कार्यप्रवण होना चाहिए। समता का अर्थ एक जैसा होना नहीं है। या विधि शास्त्रगत समानता भी नहीं है। इसी प्रकार केवल न्यायभाव (इविटी) भी उसका अर्थ नहीं है।

मनुष्यमात्र में मानवता एवं अध्यात्म की दृष्टि से समानता मौजूद है। समता का वस यही अर्थ सिया जाना चाहिए। समता का अर्थ किसी टकसाल में से निकलने वाले सिक्कों की सी समता नहीं है। अर्थात् हरेक की यही शावल हो, वही बजन हो, वही कीमत हो—ऐसी समता न तो होती है न हो ही सकती है। बनावटी समता स्वतन्त्रता की कमी को पूरी नहीं कर सकती। इसी प्रकार तरन्तम भाव को उत्पन्न करने वाले अत्यापपूर्ण कानून भी स्वतन्त्रता के लिए मुमগत नहीं हैं। लोभ, गव्व, अहकार आदि से सामाजिक विषयता पैदा होती है, यह सही है। तथापि समता की माँग या प्रवृत्ति, मत्सर, भय, या डाह भादि बातों से पैदा होती है, यह कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं है। मृष्टि में न्याय तो मौजूद है; पर सब कहीं समता का भाव भी मौजूद है, यह कहना सब नहीं है। मृष्टि में किस्म-किस्म के पेड़ पौधे हैं, किस्म-किस्म के फल हैं; फूल हैं, किस्म-किस्म के ऊचेनीचे धरातल हैं; अतः मृष्टि को समता अभीष्ट नहीं, यह कहना उचित न होगा। समता का अभिप्राय यह है कि वह विषयता में से उत्पन्न होती है। उसे निर्माण करने वाली कोई दवित वही सूचित होती है; सकलित होती है; तथा जहाँ कही भी कुछ विषय एवं अन्याय-युक्त वस्तु दृष्टिगत हो, उसे समता एवं न्यायमुक्त बनाने के लिए कार्यशील होती है। स्वतन्त्रता एवं समता में समन्वय की स्थापना करनी होती है। मूलतः वे दोनों परस्पर विरोधी भाव हैं, ऐसा कुछ एक व्यक्तियों का कहना एकदम गलत नहीं कहा जा सकता।

स्वतन्त्रता को पाइचात्य राजनीतिज्ञ लोग प्रगति एवं विकास का साधन मानते हैं। स्वतन्त्रता प्रगति की जान होने के बारण उसका सम्बन्ध देश की राज्य-व्यवस्था के साथ आता है, यह स्पष्ट है। और यदि देश की राज्यव्यवस्था स्वतन्त्रता का पौष्ण करने वाली न हुई तो प्रगति एकदम रुक जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पर वह प्रगति जनसामान्य के अनुभव का विषय नहीं बन सकेगी तथा जिस रूप में वे उसे देखना चाहते हैं, वैसी वह नहीं ही सकेगी। अठारहवीं तथा उन्नीसवीं सदी में स्वतन्त्रता की कल्पना पाइचात्य राजकीय दोष में अधिकाधिक स्पष्ट होती चली गई। राज्य प्रजा के मुख के लिए है, यह कहने का मौका उन्हें मिले, इसका असली अर्थ हुआ राज्यकार्य में सोकमत को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तथा 'लोगों ने अनुभव किया कि सोकमत का महत्व बढ़ाने के लिए राज्य में प्रजातन्त्र की स्थापना करनी ही होगी। प्रजातन्त्र का अर्थ है राज्य के कामकाज में लोगों का ।

हाप होना। ऐसन गरीब यटुन गमाज के प्रति गहानुभूति होना भी उग्रा धर्य नहीं है। प्रजातन्त्र का ऐसा एक जीवन दृष्टि मानने में भी काम नहीं भनेगा। प्रजातन्त्र का धर्य ऐसा राजनीय शोर में लोगों का परिवामदारता आमाव गमभना भी ठीक न होगा, क्योंकि वह यटु भी गहुनिहा है। प्रजातन्त्र का यह भी धर्य नहीं कि राज्य का हार खिचा प्रायदृश रूप में राज्य के शासाज में भाग भंता है। विद्यमान प्रजातन्त्र का स्वरूप यह है कि सोन घग्ने प्रतिनिधियों के द्वारा राजनीय शासाज पर धनान्द्र धनने हैं तथा प्रतिनिधियों द्वारा धनने गा। अधिकार धर्य—धर्याएँ धर्यकों को होता है। यह अधिकार देने के मानने में गमानगा होती है। मौजूदा प्रजातन्त्र का एक धनाना हो गो कहा जा गाया है कि बाहुन भी दृष्टि में तथा राजनीति भी दृष्टि से गमाना का होना—धर्याएँ गव पर एक ही बानून साथ होगा तथा राजको मतदान का अधिकार रहेगा। गाय भी जो यहुगम्मणि होती उगके प्रनुगार हीं राज्य का काम-नाज धनाना भी इस एक्सा की बनना में यमाविट है। प्रजातन्त्री-शासन में भलागदर्हों की रहा, मौजिह अधिकारों की छदम्पा, यहुमत धानों पर प्रतिवन्ध प्रादि धाने भी होती हैं तथागि प्रजातन्त्र का धर्य सोगों का दारान व्यवस्था पर प्रभाव यह सामान्य रूप से स्वीकृत किया जाता है। प्रतिद अमेरिका दाम्पत्र जेफरसन प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में कहता है कि प्रजातन्त्र उग व्यवस्था को पहुते हैं, जिसमें गुजो से एवं योग्यताओं से धेष्ठ व्यक्तियों को राज्य का शासक चलाने के लिए चुना जाता है। उन्होंने धारे नलसर यह भी कहा कि जब तक अमेरिका गेतौ-प्रधान है, तभी तक यह सम्भव है। पर जब अमेरिका उद्योग-प्रधान हो जाएगा, वहें-वहें दाहर यही बरा जाएगे, तथा अमेरिका का प्रजातन्त्र भट्ट हो जाएगा। केवल गस्था की दृष्टि से विचार करें तो यहना होगा कि जिस राज्य-व्यवस्था में अधिकतम लोगों को मतदान का अधिकार है, वही प्रजातन्त्र अधिक है। पर प्रजातन्त्र का यह स्वरूप ग्रीष्मचारिक है। इसी प्रकार मदि कोई ऐसा राष्ट्र, जहाँ निरकुश शासन-पद्धति है, वहुत प्रगतियुक्त हो, तो यह नहीं बहा जा सकेगा कि वही प्रजातन्त्र है। इसके विपरीत यदि ५१ प्रतिशत लोग देश पर बलनातीत निरकुश शासन करें तो भी उसे प्रजातन्त्र ही भाना जाता है तथा इस प्रजातन्त्री शासन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिवन्ध नहीं रहता। इस प्रकार का दलगत अधिनायकतन्त्र व्यक्तिगत अधिनायकतन्त्र की अपेक्षा कही अधिक लोकद्वाही तथा अधिक दलीय स्वार्थ से युक्त सावित होता है। आज भी सोक्षियत रशिया तथा अन्य साम्यवादी राष्ट्र प्रजातन्त्री होने का ही दावा करते हैं। वस्तुत, व्यक्ति की दृष्टि से प्रजातन्त्र की स्वतन्त्रता के बहाँ दर्शन नहीं होते। तथा सबेथा प्रजातन्त्र का आधार लेकर ही हिटलर अधिनायक बना, यह इतिहास का विलकुल ताजा उदाहरण है। सामान्यतया व्यक्तिगत अधिनायक प्रजातन्त्री मार्ग से भले ही आया हो, अन्त में उसका नाश होता है तथा स्वतन्त्रता की विजय होती है, इसमें संदेह नहीं। परन्तु इस अन्तिम धारण के आने तक कितने ही व्यक्तियों का अन्त हो जाता है। कितने ही नैतिक एवं प्रजातन्त्री मूल्यों का नाश हो जाता है।

स्वेच्छाचारी शासन में से होते हुए प्रजातन्त्री राज्य के मार्ग ही में स्वेच्छाचारी शासन गुजरा करता है। यह कोई आज का ही अनुभव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्राचीन काल में भी लोगों को यह अनुभव प्राप्त हुआ है, इसका उल्लेख अरस्तू के ग्रन्थों में पाया जाता है। ऐसा ही कुछ अनुभव फैच राज्य प्रान्ति के बाद फ्रौस को भी प्राप्त हुआ। 'स्वतन्त्रता, समता, एवं आतृभाव' इस आवाज में ही स्वेच्छाचारी शासन की रणभेरी सुनाई दी तथा उम काल में भी ऐसे राजनीतिज्ञ थे, जो कहते थे कि धन्न में प्रजातन्त्र अर्थात् स्वतन्त्रता की ही जीत होगी। उन्नीसवीं सदी में फैच प्रान्ति के बाद जो परिणाम दिखाई देते थे, वे प्रजातन्त्र के लिए यनुकूल थे, यह ठीक है, तथापि यह कहना ठीक न होगा कि उस प्रजातन्त्र की ओर प्रवृत्त विचारों के भीतर अधिनायकतन्त्र का समर्थन करने वाली विचारधारा थी ही नहीं। एडमण्ड बर्क, लॉड एकटन, सीले, मेन औदि द्वारा लिखित ग्रन्थों में प्रजातन्त्र के गम्भ में ही अधिनायकतन्त्र के प्रादुर्भूत होने का भय प्रदर्शित किया गया या और सूदम दृष्टि से विचार करने से पता चलेगा कि इस भय का कारण यह है कि स्वतन्त्रता की कमी को पूरा करने के लिए समता की भावशक्ता प्रतीत होगी और फिर उमी के भीतर से अधिनायकतन्त्र जन्म लेगा। सब कहीं समानता होनी चाहिए, सामाजिक भूमि समतल होनी चाहिए, यह वृत्ति जब एक बार घर कर लेती है, तब वह चुप नहीं बैठती। तब यह विचार आता है कि ऊपर के बगों को नीचे घमीटा जाए तथा नीचे के बगों को ऊपर लाया जाए। तब यहाँ समावेशकता दृष्टिगोचर होती है। और ऐसी अवस्था में स्वतन्त्रता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। एक दफा सबको समान बनाने का विचार दिमाग में आ जाए कि वस उस दृष्टि से रखा जाने वाला हर कदम विचारों की गति को जोरदार कर देता है। आग में धी के पड़ने से आग और तेज हो जाती है। यही कुछ यहाँ भी होने लगता है। और यदि इस किया का विरोध न हो, तो सारे राष्ट्र में समानता पैर बनाने लग जाती है। और सबसे बुरी बात यह हो जाती है कि जो नमूना आए, उससे मेल कायम न कर सकने वाला हर व्यक्ति पापी एवं अनंतिक समझा जाने लगता है। वह कृत्रिम समझा जाने लगता है। सच तो यह है कि जो नमूना उस समय सामने आता है, वह स्वर्यं कृत्रिम होते हुए भी स्वाभाविक समझा जाता है। और आज भी जिस देश में एक जैसे सचि के नमूने में विश्वास किया जाता है, उस देश के लोगों की अन्य देशों की विविधता अस्वाभाविक प्रतीत होने लगती है। सब लोगों को समान बनाने की धून में जब लोग समानता की सीमायों को भूल जाते हैं, तब प्रगति के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों भी नष्ट हो जाती हैं, ऐसा कुछ लोगों का यात्रेय है। उन्नीसवीं सदी में कुछ लोगों ने यह तर्क भी उपस्थित किया कि समानता से ध्येयनिष्ठा समाप्त हो जाती है, निरी यान्त्रिकता एवं चेतन्यहोनता आ जाती है; उलटे विविधता के रहने से मगठन शक्ति बढ़ जाती है एवं विविधता में जीवन है तथा समानता में मृत्यु है। फैच प्रान्ति के बाद समता एवं सदृशता एक उन्मादक वृत्ति बन गई तथा फल यह हुआ कि द्यनेकों की स्वतन्त्रता खट गई। मनुष्य बा स्वभाव यह है कि जो नजदीक होती है, उम के बारे

मेरे उसे प्रायुनिक रामगति की अवृत्ति होती है। मेरी माँ, मेरा पापा, मेरी बेटक, मेरी जीवन-भ्यवहार सादि वालों में मेरागति विशेष होते के बारें उसे प्रायुनिक रामगति का स्वर निरापत्ते है। थीरा इसी प्रायुनिक रामगति के एक होते हुए भी उसमें विविधता के निए इत्यान होता चाहिए। पर ममता की भूमि में वेष्टन रामगति समता एवं सामाजिक समता यह ही सीमित न रहतर गब अधिकारों के समाजीक जीवन में भी समता साने का संदर्भिता प्राप्त होने सका तथा तथा सोगों के हाथ में सामान-शक्ति के पांच जाने के बारें विविधता पर हमसे होने सके। विविधता पर होने वाले हमलों की वजह से उसी जहाँ विशेष की भावना भी और परहठी भवी गई। सामाजिक समता एवं सदृशता के नाम से निरकुल सामन घुस हो दया। जर्नली में यही अनुभव देखने को मिला। अरण्य समता तथा निरकुल सामन के प्राप्ती सम्बन्धों को जानता था। उन्नीसवीं सदी में अनेक भाजनीतिज्ञों ने भारती के उक्त कथन की अपने ज्ञान के द्वारा पुष्टि की।

ग्रानीन शीक देश का इतिहास बताता है कि सोगों को गुगायद करते, उनके भीतर की हीन भावनाओं को उभारा गया तथा गमता गमत के भीतर जो कुछ अच्छी याते थी उन्हें नष्ट कर दिया गया तथा इग सामसे में सामाजिक एवं गुणों का भी विचार नहीं विद्या गया। समता एवं सदृशता के नाम पर कठी-कठी तो ऐसी अविभेदपूर्ण विवारधारा को चढ़ावा दिना कि प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक व्यक्ति का स्वामित्व है। वास्तव में समता एवं सदृशता की शीमाओं को पहचान देना चाहिए। साथ ही यह यात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि रामना यदि सम्भव है, तो वेष्टन प्रजातन्त्र में ही सम्भव है तथा यह वही समता हो सकती है जो स्वतन्त्रता की पूरक हो, गुलामी वाली समता नहीं। गब वे तिए कानून एक ही हो, यह ठीक है। पर एक ही कानून भसे ही वहाँ जाए, पर न्याय नहीं वहाँ जा सकता। एक ही कानून का दोर भी दूड़ दोनों पर लागू किया जाना कोई वसद नहीं करेगा। पर साथ ही एक ही कानून लागू करने की भावदशक्ता भी निविदाद है। प्रजातन्त्र में कानून बहुमत द्वारा बनाया जाता है और तब बहुमत का निर्णय प्रत्येक थोक पर लागू होता है। प्रजातन्त्र में सामाजिक स्पर्श से हर व्यक्ति समझता है कि वह किसी से कम नहीं है; भास. दूसरों को अपने से कम करने की प्रवृत्ति एवं प्रवन्ध होने लगते हैं। जहाँ दूसरों के बड़प्पन प्रथया श्रेष्ठत्व को—चाहे वह व्यक्ति विषयक हो, चाहे वर्ग विषयक—कम करने में सफलता नहीं मिलती, वहाँ व्यक्ति द्वेष एवं वर्ग द्वेष की भावना गमत में घर कर जाती है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि समता की प्रवृत्ति द्वेष भावना के साथ विद्युती उत्तरांश भावनाओं को भी जन्म दिया करती है। समता वेष्टन द्वेष पर आधारित भावना है, यह कहना ठीक नहीं है। अतः प्रजातन्त्र का कार्य एवं प्रतिया ऐसी होनी चाहिए कि द्वेष सीमित हो जाए तथा समता से उत्पन्न होने वाली थेष्ट भावना अधिक कार्यकारी सावित हो। बहुतों को स्वतन्त्रता एवं समता का यह सम्बन्ध प्रिय नहीं है। तो भी एक बार सब कहीं समता स्थापित करते की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो कुछ

अनुदार प्रवृत्ति उत्तरान हो जाती है, यह सच है; पर किर भी वह देर तक टिका नहीं करती। समाज में आदार्य का उदय, सुस्थिति प्राप्त हो जाने पर, वेग से होने लगता है। कुछ लोग स्वभावतः उदार होते हैं। विषमता की स्थिति में जैसे मन्सर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अभावशत् प्राणी को देखकर अभावहीन व्यक्ति के मन में उसकी महापता करने वी भावना भी उत्पन्न होती है। और जब विषमता काम होने लगती है, उस समय सुस्थिति एवं किञ्चित् समता की स्थिति होने के कारण आदार्य को प्रोत्साहन मिलता है। बहुतों की सम्मति में, प्रजातन्त्र सकुचित् भावनाओं को अधिक प्रथम देता है। पर यह सही नहीं है। लगभग १०० वर्ष पूर्व मेंकाँते ने यहा था कि प्रजातन्त्री संस्थाएं, विशुद्ध प्रजातन्त्री संस्थाएं, आज नहीं कल स्वतन्त्रता एवं सम्यता दोनों का नाम कर देंगी तथा जहाँ जनसत्त्वा अधिक होगी, वहाँ यह अधिक शीघ्रतापूर्वक होगा। तथापि गत १०० वर्षों का अनुभव यह है कि गुस्थिति मुक्त अमेरिका ने तथा समता-मुक्त रशिया ने राजनीतिक कारणों से वर्षों न हो, जितनी उदारता प्रदर्शित की है, वह सूखौरीय है। तथा यह उदारता निश्चित ही सम्यता वा एक लक्षण है। गत १०० वर्षों में प्रजातन्त्र के अस्तित्व के कारण राज्यों में स्वतन्त्रता एवं सम्यता का लोप हो गया हो, ऐसा देखने में नहीं आया। आधिक कारणों से प्रजातन्त्री संस्थाओं के रूप विविध हो गए तथा स्वतन्त्रता का अर्थ नया-नया रूप लेता चला गया। लॉई एकटन का कथन है कि मदि फैच राज्यकान्ति में समता का तत्व न होता, तो राज्यकान्ति सफल न हो पाती। वयोकि तब केवल स्वतन्त्रता अवशिष्ट रह गई होती। फैच आन्ति के समय मध्यम वर्ग को स्वतन्त्रता चाहिए थी तथा निम्न वर्ग को समता चाहिए थी। हमारे मत में आज भी वही अवस्था है। मध्यम वर्ग की आमदित समता की अनेका स्वतन्त्रता के प्रति अधिक होती है। इसका कारण उनकी बौद्धिक पार्द्वभूमि है। निम्न वर्ग वालों को समता अभीष्ट होती है। कारण उनके जीवन में शाये-क्षणे तथा पदे-पदे विषमता के बुरे अनुभव भाते रहते हैं।

सबाल यह पैदा होता है कि प्रजातन्त्र एवं स्वतन्त्रता—स्वतन्त्रता एवं समता के बीच क्या वास्तव में कोई विरोध है? इस ग्रन्थ में आरम्भ से लेकर यही विचार-धारा प्रतिपादित की गई है कि प्रजातन्त्र न हो तो स्वतन्त्रता नहीं, तथा समता न हो तो स्वतन्त्रता का अद्वूरापन दूर नहीं होता। वह सार्थक नहीं हो पाती। तथापि कुछ लोगों का मत है कि समता के बिना भी अर्थात् यथार्थ समता के बिना भी प्रजातन्त्र का काम चल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्थिक विषमता के रूप ही सच्चा प्रजातन्त्र पनप सकता है और सच्चा प्रजातन्त्र वही है, जहाँ आर्थिक सामग्रियों में अनिवार्य स्वतन्त्रता हो। आज भी भारत में हाल ही में स्मापित नये राजनीतिक दल 'स्वतन्त्र पार्टी' की मुख्य भूमिका यही है। उस दल को आर्थिक क्षेत्र में नियोजन नहीं चाहिए। वयोकि वह नियमन एवं नियन्त्रण नहीं चाहता। प्रजातन्त्र केवल इसी निये चाहिए कि यदि वह इस धरण प्रजातन्त्र का विरोध करने लगे तो राजनीति के क्षेत्र में उसके लिए वेर रपना भी असम्भव हो जाए। नए-नए राजनीतिक विचार एवं सिद्धान्त लोगों के सामने आ रहे हैं। अतः लोगों को बहुत ही मूल्यम दृष्टि से उन पर विचार करना चाहिए। आज विश्व वी स्थिति ऐसी है कि प्रजातन्त्र के सम्बन्ध

में लोग कुछ अच्छा या बुरा अनुभव पा चुके हैं। तथा सामान्य स्प से प्रजातन्त्री व्यवस्था में स्वतंत्रता का मन्मोपण होता है, सुय की आशा होती है, ऐसा अनुभव आया हुआ है। और जहाँ प्रजातन्त्र को तुच्छ दृष्टि से देखा गया अथवा उसका विपरीत अर्थ किया गया, वहाँ जो परिस्थिति पैदा हुई, वह विचार करने योग्य है। जमनी, इटली इन दो राष्ट्रों में महायुद्धों के बीच के काल में जो कुछ हुआ उससे कुछ लोगों का विश्वास प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में घट गया हो, तो भी दूसरे महायुद्ध के बाद यह भी मानित हो गया कि प्रजातन्त्र को छोड़ अन्य कोई उपाय भी नहीं रह गया है। सोवियत रशिया में गत ४० वर्षों में जो कुछ हुआ है, उसका अर्थ इतना ही है कि प्रजातन्त्र का जो अर्थ इग्नैण्ड और अमेरिका में लगाया जाता है, वह वहाँ नहीं लगाया गया। एक बात निश्चित है कि प्रजातन्त्र की कल्पना में कहीं-कहीं समता अवदय निहित है। और आज के युग में समता का आलाप अलापे बगैर काम नहीं चल सकता। अतः ग्रधिनायकतन्त्र को भी कहीं प्रजातन्त्र का नाम देने का अर्थहीन प्रयास किया जाता है। लोगों के मत से जब हिटलर का निवाचिन हुआ तब भी उसे प्रजातन्त्र का नाम दिया गया। पाकिस्तान में जब जनरल अयूब निर्वाचित हुए, तब भी उसे प्रजातन्त्र का ही लक्षण माना गया। लोगों के सामने जो विकल्प पेश किया जाता है, वह यह कि व्यक्ति के बीच चुनाव नहीं होता तथा जो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो गया है वह ऐसा कुछ काम करता है कि मन में कुछ क्यों न हो, हाथ से तथा मन से उस प्रतिष्ठित व्यक्ति वो जो कुछ इष्ट है, वही लिखा जाता है। हिटलर को ६८ प्रतिशत मत प्राप्त हुए तथा अयूब को ६६ प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इसे देखकर समता का भाव प्रजातन्त्र की आत्मा है, यह स्वीकार करके उसे बिछूत स्प दिया जाता है। यदि प्रजातन्त्र का स्वरूप सीधा-मादा रख दिया जाए, तो समता का भाव जीवन के सब क्षेत्रों में फैलेगा और तब समाज को उल्लू बनाने की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। आज भी जो नियमन एवं नियन्त्रण किया जाता है, वह भी प्रजातन्त्र का मन्त्र पढ़कर ही किया जाता है। प्रजातन्त्र केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं हक्क रहता, उसके कदम आर्थिक प्रजातन्त्र की ओर मुड़ जाते हैं। और आर्थिक प्रजातन्त्र का अर्थ हुआ राष्ट्र का स्वामित्व, नौकरशाही, योजना, नियमन एवं नियन्त्रण और इन सबका प्रभाव व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ता है। अतः स्वतंत्रता की दुहाई देकर समता का ही विरोध करने की प्रवृत्ति जैसे यूरोप एवं अमेरिका में है, वैसे ही भारत में भी जोर से शुरू हो गई है तथा उसी विचारधारा का एक अग मानकर प्रजातन्त्र का भी विरोध होने लगा है। प्रजातन्त्र का अर्थ प्रजा मात्र के सुख के लिए यत्नशील एवं सब को न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था मान लेने के बाद उसका कार्यक्षम अनन्त हो जाता है तथा उसे कार्यक्षम बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन पर उसे अर्थात् सत्ता देनी पड़ती है। मामान्य लोगों के लिए व्यक्तिशः करना सम्भव नहीं है, यह सोचकर राज्य सारी योजना को घपने हाथ में ले लेता है। और तब व्यक्ति इस समाज का घटक होने की दृष्टि से महत्वहीन हो जाता है तथा राज्य के आज्ञाधारक नायरिक का भाव उनमें बढ़ जाता है, ऐसा आक्षेप किया जाता है। समाज एवं राज्य के भीतर वा भेद तब खत्म हो जाता है और जो

जीवन निर्माण होता है, उसमें सामाजिक सुस्थिति भले ही संतोषजनक हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता सुन्तु हो जाती है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, पर व्यक्ति भाग्यात्मक जीवन से बंचित हो जाता है, ऐसा भी आशेष किया जाता है। व्यक्ति का निरकुण शासन स्थान हो जाता है तथा एक नये बगं का निरकुण शासन शुरू हो जाता है। शरीर की भाँति मन को भी यह कथाघद सिर्गाई जाती है। जनता के जीवन का स्तर अबश्य ऊँचा हो जाता है, पर उससे जीवन सुधी हो गया हो यह बात नहीं होती। नि सदैह राज्य प्रजा का है; शासन-व्यक्ति प्रजा के हाथ में है, पर वोई भी यह महसूस नहीं करता कि वह उसे अपने उपयोग में ला सकता है। न जाने कौन, न जाने कहाँ, क्या निर्धारित करता है और एक मशीन की भाँति सब काम हो जाते हैं, ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है। सब कुछ राज्य के द्वारा व्याप्त होता है, व्यक्ति को व्यक्ति के दृष्टिकोण से निरांय करने के योग्य कुछ रह ही नहीं जाता। जन्म से लेकर ही व्यक्ति की चिता की जाती है, उसकी पड़ाई-लिखाई की व्यवस्था राज्य करता है। उसे किम रोजगार में लगाता है, यह राज्य निरिवत करता है। कहाँ रहें, किसे रहें, यह राज्य निरिवत करता है। कोन-सा गाना गाया जाए, कोन-सी किताबें पढ़ी जाएं, इसका निरांय राज्य करता है। अपने कपड़ों को छोड़ कुछ और भी मेरे पास है, ऐसा व्यक्ति को महसूस नहीं होता। तथा कपड़े भी वह अपनी इच्छानुसार नहीं पहन सकता, ऐसी स्थिति, उनको की राय में, आज साम्यवादी राष्ट्रों में दिखाई देती है। और यह सब दूसरा है, प्रजातन्त्र के नाम पर, समता की परिपूर्णता के लिए तथा इसमें स्वतंत्रता पूरी तरह लुप्त हो गई है।

सबाल यह पैदा होता है कि यह सब होते समय लोग किस तरह गहन कर लिते हैं? समता की भावना का आधार, जैसा कि हम पहले कह भाए हैं, मत्सर एवं द्वेष है; अत व्यवहार में जिस प्रकार मनुष्य सोचता है कि, मेरा काम बने न बने, दूसरों का काम नहीं बनता चाहिए, यही कुछ हालत यहाँ भी है। सब कुछ हम कर रहे हैं, हम उम चित्र में हैं, इस विश्वास के कारण समता की भावना का आविष्कार अतिरेकीपने से राज्यव्यवस्था एवं राजकीय काम-काज में होता है। इतिहास में हम अनेक बार देखते हैं, कि पटना का बाहा रूप कुछ और होता है तथा उसका प्रत्यक्ष अनुभव कुछ और। आकार तथा आदाय सदैव एक दूसरे के अनुरूप रहे ऐसा देखने में नहीं आता। सामाजिकता लोग उदासीन होते हैं तथा उनके प्रतिनिधि उनके अज्ञान के बल पर व्यापार करते हैं तथा बहुत बार हम देखते हैं कि राज्य तो लोगों भा है परन्तु साम एक वर्ग-विशेष का हो रहा है। 'सल्क युदा बा, मुल्क बादसाह बा' तथा 'अमल कम्पनी सरकार का' यह व्यावत ऐवं मदी में ही सही थी, ऐसी बात नहीं—उसमें निहित अनुभव प्रत्येक काल में सही व्यावित होता है। निरकुण शासन में स्वतंत्रता नहीं रहती यह कथन अर्थहीन है। क्योंकि वही स्वतंत्रता कभी रह ही नहीं सकती। परन्तु प्रजातन्त्र में भी स्वतंत्रता न हो यह सत्य हूदप में शत्य की तरह चूझने वाला है। यह बात तो अप्सरा की कुश्य कहने अथवा पुण्य नगर के निवासी को राजनीति से अनभिज्ञ बतलाने जैसी हो-

वात हुई। पर मत १६वीं तथा २०वीं शती का भानुभव हमें बनाता है कि निरहुआ यागन की भीति प्रजातन्त्र में ही अधिक गहरी है। जब प्रश्नान् राजनीतिविज्ञान लोग ऐसी बात कहते हैं, तो उने किसने पारीनन्दनिता गहर कर, प्रथम उन्हें उपहासास्पद मानकर उनकी उपेक्षा पर देना ठीक नहीं होगा। प्राज्ञ भी राजाजी जैसे विनारक कहते हैं कि प्राज्ञ के प्रजातन्त्र में स्वतन्त्रता नहीं है; वेंवा भोटिग-शाही से काम लिया जाता है। उनकी इस बात को मुनक्कर तुछ सोग वह वेंठो है कि राजाजी नो रिकृत मनोभूति के व्यक्ति है, मतलबी है। पर यह तरफ़ नीतिर नहीं है। चुदिमत्ता भी इससे प्रदर्शित नहीं होती। भाग्य ना गविधान प्रस्ताव राजनीतिज्ञों ने बनाया है। प्राज्ञ तक के दुनिया भर के गविधानों को आने गामने रणकार, उन मनके पनुभरों को प्राने गामने रणकार, प्राप्तने देश के पनुभरों को अपने गामने रणकार तथा चुदि द्वारा इए गए भनुमान को प्राप्तने गामने रणकार इम गविधान को बनाया गया है। इस गविधान में स्वतन्त्रता, गमता तथा प्रजातन्त्र पर अधिक जोर है। किन्तु, वह इन्हीं पर आधारित है। पौरी की राज्यवान्ति का घोष स्वतन्त्रता, गमता तथा भानुभार में भी होता हूमा बोनापार्टिज़म वी भोटिगशाही में जाकर लुप्त हो जाता है। इस इतिहास को घमी कोई भूता नहीं है। समाज की धारणा अधिकार एवं आजायारखना इन दो तत्वों पर हुई है। किसी एक का कहा सब लोगों को मुनता होता है। वेंगा न हो, तो गमाज नाम की वस्तु रह ही नहीं सकती। अधिकार को काम में लाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, वर्ग हो मरुता है, या पूरे गमाज के द्वारा नुने गए प्रतिनिधि हो मरुते हैं। एक बार अधिकार को आच तत्व मान लिने के बाद गमाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से छोटे बड़े बजन और भाष तो बन ही जाते हैं। अधिकारों की एक घड़ोची तैयार हो जाती है, और उमके बाद उसमें से विषमता का भाव उत्पन्न होता है। अधिकार के सन्दर्भ में मौजूद विषमता जीवन के भव्य खेतों में भी दिवाई देने लग जाती है। और अतः बहुतों का कहना है कि गारा गमाज अधिकार एवं विषमता की नीब पर खड़ा होता है। इस मूलभूत तत्व से अविसर्गत समता ही राजनीतिक, सामाजिक एवं आधिक जीवन में बनी रह सकती है। समता के नाम पर मुण्डों को देश से निर्वासित करना तथा चारिश्य का नाश करना सदैव समाज के हित का घास करने वाला समझा जाना चाहिए। इराके ये मानी नहीं कि गमाज में स्वतन्त्रता के नाम पर, तथा निसर्ग एवं सामाजिक न्याय विषमता का परिपोषक है, ऐसा कहकर स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा दिया जाए। उस अवस्था में सम्पत्ति को केन्द्र बनाकर वास्तविक बाद-चिवाद उठ खड़ा होता है तथा अर्थ-व्यवस्था पर धर्म एवं धर्म पर राज्य आधारित है, यह चाणक्य का सूक्त लागू हो जाता है। सम्पत्ति की विषमता तोगो ने मानी नहीं, इसका अर्थ लोग गुण अथवा चुदिमत्ता का आदर नहीं करते, ऐसा करना ठीक नहीं। सम्पत्ति के मामले में मनुष्य का सही रूप अर्थों के सामने आ जाता है। जब तक मनुष्य अस्पति में हाथ नहीं ढालता, तब तक उपनिषदों में उपवर्णित धर्म का बोल-बाला रहता है। धन को मापा बताया जाता है। सच्चा धन विद्या है, ऐसी घोषणा की जाती है। पर ज्योंही

योजान्या धार्य कर वहा या मूल्युकर लगाया गया कि, मरने के बाद जिन लोगों का ममत्वन्थ नहीं थाना वे भी जीवें-जो शोर मचाने लग जाते हैं। समाज में जो लोग विचित रह गए हैं, उन्हें विचित ही रगना चाहते हैं। मन की दृष्टि से तथा सम्मान की दृष्टि से समानता के पश्च में होने हुए भी वे लोग आपहूँसकं यह प्रतिपादन करते हैं कि समानि वी दृष्टि ने विषमता घबराय होनी चाहिए।

मारी १६वीं सदी में यूरोप के राजनीतिक विचार समता के लिए जितने अनुरूप दिक्काई देने थे जितने ही वे समाज की स्थिरता एवं प्रगति के लिए आधिक विषमता का भी आपहूँसकं प्रतिपादन किया करते थे। इस विचार के नाथ कि प्रजातन्त्र में ही स्वतंत्रता ममत्व है, यह भी कहा जाता था कि प्रजातन्त्र एवं स्वतंत्रता दोनों एक-दूसरे से अनटडा चीजें हैं। प्रजातन्त्र का विकृत स्पष्ट ही निरकुश नाम है—ही होगा वह जनता के नाम पर ही किया जाने वाला—ऐसा वारम्बार प्रतिपादन किया जाता था। एक बड़े जम्मन विचारक ने ऐसा तिडान्त प्रस्तुत किया था कि प्रजातन्त्र जीभ का राज्य है और उमी में से तत्त्वजार का राज्य निर्माण होता है। यही नहीं; ऐसे भी तत्त्वजानी लोग थे जो कहते थे कि यदि स्वतंत्रता चाहते हों तो किंतु से राजतन्त्र की स्थापना करो और भी इस देश में ऐसे सदागिव पेंटी विद्यान् प्रबल्य मिन जाएंगे, जो कहने कि मौजूदा शासन से अप्रेजो वा शासन बहों अच्छा था। लोगों ने १६वीं सदी का जो अन्वयायं लगाया है, वह यो है कि स्वतंत्रता के लिए प्रजातन्त्र आता है और याने ही वह स्वतंत्रता की द्याती पर चढ़ चैठता है तथा जब वह समता की दिशा में प्रयत्नर होता है, तब वही स्वेच्छाचारी एवं निरकुश शासन के स्वर में परिवर्तित हो जाता है। प्रजातन्त्र का मतलब है समान गुणामयीरी। लोगों के राज्य का मतलब है, वह राज्य जहाँ सब काम सरकार ही करती है। प्रजातन्त्र का अर्थ है गता का पूर्ण केन्द्रीकरण तथा ऐसी परिस्थिति, किसमें लोग उपक्रमगूँह्य तथा उदासीन होते हैं। यूरोप के इतिहास में कही-कही ऐसा अनुभव घबराय आता था जो इस व्याप्तिा में मेल रपता था। २०वीं सदी में गत ६० वर्षों में प्रजातन्त्र की जो प्रगति हुई है, उसका यदि अन्वयायं लगाना हो तो परस्पर विरोधी वातें भी कहीं जा सकती हैं। आज सोवियत युनियन तथा जनवादी चीन में जो कुछ हो रहा है, वह प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। इसी प्रकार, जब वहीं लोगों की इच्छा के अनुरूप काम हो रहा है तथा वह लोगों के मतानुसार है, तब यह कहना कि वहीं प्रजातन्त्र या स्वतंत्रता नहीं है एक डुमाहम को बात है। जहाँ मियां-बीबी राजी हों, वहीं काजी बधा करेगा? जहाँ राजकर्ताओं और लोगों में सामूज्यता की स्थिति है, अद्वैत है, वहाँ कौन किस पर अरना अविकार चलाता है, यह कहना कठिन है। जहाँ वर्ग-मेंद समाज धारणा का स्थायी भाव बना हुआ है, वहाँ के लोग भले ही कहें कि योविष्यत एतिया एवं चीन में स्वतंत्रता नहीं है; पर इस कहने का फल सम्बन्धित लोगों की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार समता के तत्त्वज्ञान का मतिरेक वरने से राज्य अधिक बलवान् होता है और समता के लिए दी गई सत्ता को राज्य किंतु सभी कहीं काम में साने लगता है, इस कहने का भी कोई प्रधं नहीं है।' क्योंकि

जहाँ सत्ता का उपयोग सब लोगों की दृष्टि से अधिक से अधिक सम्बन्धित सोगो का परामर्श है, वहाँ यदि राज्य अधिक बलवान् हो जाए, तो उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। विचारों की स्वतंत्रता अथवा बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं है, गे हमेशा के प्रारंभ वहाँ सम्बन्धित सोगों की दृष्टि से अर्थहीन साबित होते हैं।

जैसा हम पीछे कह आए हैं, एक बार समता का विचार काम करने लगा कि उसे किरणेवत राजनीति या समाज के क्षंत्र तक ही सीमित रखने की कोशिश सफल नहीं हो पाती। कम से कम प्रजातंत्र के मार्ग से वे सफल नहीं हो पाते। स्वतंत्रता हासिल होने के ये मानी नहीं कि भूखों भरने की स्वतंत्रता हासिल हुई है। समता मिलने का अर्थ 'सब को मतदान की समानता' इतना करा देने से, जिन्हें यह अधिकार मिला है, उनसी तमन्त्री नहीं हो पाती। गरीबी तथा दुख उन्हें चैन से बैठने नहीं देते और तब पेट की समस्या एक काढ़िया बन जाती है। मेरे पान कुछ भी नहीं और केर पाम सब बुढ़ है, इस विषम अवस्था में भानूभाव का नारा बुलाव करने से काम नहीं चल सकता। बन्धुन्व की भावना के अभाव में भानूभाव एवं बेशार की चीज़ है। अप्रत्यक्ष ने नुच-नुच का मन-मिलाय नहीं, तो वहाँ सच्चा बन्धुमाव नहीं हो सकता तथा स्वतंत्रता, समता एवं बन्धुता का नारा निरर्थक हो जाता है। दुग एवं दरिद्रना

स्वतंत्रता एवं समता का पक्ष पोषण करने वालों व्यवस्था का रूप लेना है, तो राष्ट्र के स्वतंत्र प्रवृत्ति वाले लोगों द्वारा विचारों को युलम-युल्ला प्रकट करने की तथा उनका प्रचार करने की छृट दी जानी चाहिए। यदि सब लोगों के मन एवं मत एक ही सच्चे में ढले हुए हो, तो प्रगति नहीं हो पाएगी। किंवद्दना, जो नैतिक धैर्य समाज के आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है, वह भी नहीं रह जाएगा। इस दृष्टि में देखते पर बहुत दफा ऐसा अनुभव आता है कि कानून की अपेक्षा लोकमत का अन्याय एवं जबर्दस्ती ही अधिक उप्र होती है। आज यदि हम भारत का अनुभव अपने सामने रखें तो अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि सत्ताधारी पक्ष के लोग उन्मत्त व्यवहार करते हैं। और उसका फल यह होता है कि अनेकों को भुक्ता पड़ता है। ग्रनेकों को चुपचार बैठना अधिक अच्छा लगता है और यदि यह सब इसी तरह चलने दिया गया तो आप देखेंगे कि प्रजातन्त्र धीरे-घीरे तानाशाही की दिशा में जा रहा है और जो कुछ सरकार राज्य के काम-काज में करती है, सत्ताधारी दल के लोग वही कुछ समाज में करते हैं और यह सब होता है, प्रजातन्त्र के नाम पर। जिस प्रकार लोग भगवान् का नाम लेकर डाका डालते हैं, उसी प्रकार प्रजातन्त्र का नाम लेकर लोग समाज की स्वतंत्रता पर डाका डालने लग जाते हैं।

यदि प्रजातन्त्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थान न हो तो वह प्रजातन्त्र न रह कर, दलगत राज्य व्यवस्था का रूप लेकर तानाशाही में परिणत हो जाता है, ऐसा हम गत सौ सालों से देखते आ रहे हैं। जहाँ प्रजातन्त्र अर्यान् बहुमत नैतिक एवं वैध संघर्ष का पालन करता है, वहाँ वह अच्छे अर्थों में अनुभव का विषय बनता है। परन्तु जहाँ बहुमत राजकीय काम-काज को अपने हाथ में ले लेता है, समाज में अपने की सरकार भान बैठना है, सरकार का मत ही अपना मत समझना है, वहाँ शर्न-शर्न, व्यक्ति की स्वतंत्रता में किंकोड़ आने लगता है, तथा जिस प्रकार लोकमत व्यक्ति पर हावी हो जाता है, उसी प्रकार कानून भी हावी होने लग जाता है। सोवियत राज्या अववा जनवादी चीन में वहाँ का एक भी नागरिक यह नहीं कह सकता कि वहाँ प्रजातन्त्र नहीं है। समाज के बगीचे में सो फूल हैं और उनमें से किसी को भी मसला नहीं जाता ऐसी आवाज बुलन्द की जाती है। धार्थिक विषयता जिस राज्य में कम होती जाती है तथा सामाजिक व्यवस्था अधिक समानता के स्तर पर चली आती है, वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बात करना तथा अधिक शक्ति-शाली रीति से उसका प्रदर्शन करना चार्चाकृ लोगों के मत का प्रतिपादन करने जैसी बात हो जाती है। जो राज्यकर्ताओं अववा जास्कों का एक नया 'वर्ग' निर्माण होता है, वही सही मानों में सत्ताधारी होता है। उसके आदेशों को तथा आशाम्रों को उस राज्य में माना जाता है। जन्म तथा सम्पत्ति के आधार पर मोबूद बगंवाद लुप्त हो जाता है तथा एक नया बगंवाद पैदा होता है। समता का जो 'वर्ग' विरक्ति-समाज' ऐसा धर्म किया जाता है, वह व्यर्थ सावित होता है। विमूति-मूजा तथा व्यक्ति-निधा की निन्दा बरते-करते मूर्ति-पूजा से भी अधिक तीव्र स्वरूप की निष्ठा व्यक्ति के बारे में उत्पन्न होती है। आज भी इसका अनुभव हमें विश्व में दृष्टिगत होता है। इमरसन का कहना है कि समाज को चलाने के लिए किन्हीं अलीकिक

व्यक्तियों की जहरत होती है। थेंड एवं घसीरिक व्यक्तियों के अभाव में जन मम्बन्ध चीटियों और मवियायों के जमाव के से हो जाएंगे। इमरसन का यह कथन एकदम निरर्थक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वर्तं को उत्तम कर दिया, मामन्त्रशाही को समाप्त कर दिया, राजतन्त्र को परसों में पहुँचा दिया, इतने में सामान्य मनुष्य अपने बधों पर पड़े हुए राजकीय उत्तरदायित्व के बांझ वो नहीं संभाल सकता। यह समझ कर अब तो सब का गाम हो ही गया है, किनों का बाम बारी नहीं रहता यह अत प्रजातन्त्र में व्यक्ति की स्वतन्त्रता मुरदित रहेगी ही, ऐसा ग्राम्यासन नहीं दिया जा सकता। राजा की जुलमशाही उसकी जगह लेती है और बहुमत द्वारा नोडे गए जुलम व्यक्ति द्वारा सोडे गए जुलमों से ज्यादा तोमे होते हैं। व्यक्ति जुलम करता हो तो उसका सफाया करके उसका गामा किया जा सकता है। पर यदि बहुमत जुलम करता हो तो उसका निवारण बहुत कठिन हो जाता है। उम जुलम को बनाए रखने के माथ बहुमत के स्थार्थ निगदित रहते हैं और जो विरोधक होते हैं, वे कानून तथा लोकमत के घेरे में जा पड़ते हैं। राजकीय अन्याय के साथ सामाजिक अन्याय भी चलता रहता है। तथा चक्री में पिनने वाले गेहूँ के दानों वी सी हालत अल्पसुखपकों की हो जाती है। उन्हें देश से निर्वासित होना पड़ता है या किन्या जाता है। कोई साईवेरिया में जाता है, तो कोई फँसी पर भूलता है और यदि कोई रहना ही चाहता है तो उसकी अवस्था केंद्राना न होते हुए भी केंद्राने में पड़े कंदी भी सी हो जाती है।

बहुमत के जुलम का खतरा प्रजातन्त्र में रह सकता है या हो सकता है, इन दोनों मामलों में मतभेद की कोई जहरत नहीं है। अनेक जगहों पर वैसा अनुभव होता भी है। बहुमतशाही के शुरू हो जाने पर सरकार कानून की गत्ता हाथ में होने के कारण, उस थेव में भी कानून के द्वारा सरकार पहुँच जाती है, जिसे सामाजिक थेव कहा जाता है। उसके बाद खाता-पीना, मनोरजन, भ्रीड़ा तथा बोढ़िक थेव में कानून दखल देने लग जाता है। बहुजन सुलाय, बहुजन हिताय स्थापित हुआ प्रजातन्त्री राज्य अल्पजन के अहित तथा दुखों के निर्माण का बारण बन जाता है। व्यक्ति के सुख के लिए प्रयत्नशील राज्य रूपी सगठन या तो व्यक्ति को व्यक्तित्व मूल्य कर देता है या किर उसका नाश कर देता है। केवल राज्यकान्ति ने जो सिद्धान्त सासार को दिए उनके आज अनुभव में आते वाले राजनीतिक रसायन निर्माण हो जाएंगे, ऐसा किसी को प्रतीत नहीं हुआ था। राजतन्त्र अथवा सामन्तवादी शासन एक व्यक्ति-शाली सामाजिक एवं सामूहिक भाव था। प्रजातन्त्र की तत्त्वप्रणाली के आधार राष्ट्र वी कल्पना की अपेक्षा व्यक्ति की कल्पना पर, हम देखते हैं, सारी १६वीं सदी में, जोर दिया जाता रहा और जब किर से व्यक्तियों में सामाजिक भाव अथवा सामुदायिक भाव निर्माण करने का प्रयत्न किया गया, तब सगठित राष्ट्र उत्पन्न न होकर तितर-वितर व्यवहार करने वाले लोकमूह उत्पन्न हुए, यह प्रगिढ़ राजनीति-शास्त्रज्ञों का कहना है। अमेरिकन कवि ड्विट्मैन बहता है कि अकेला मैं गाता हूँ और अपने को स्वतन्त्र समझता हूँ। पर प्रजातन्त्र शब्द का सामाजिक शुल्क हो जाने के बाद मेरा व्यक्तिगत स्वतन्त्र शुल्क हो गया तथा अब मैं 'जनता' बन गया हूँ।

बहुतों को यह 'जनता-भाव' प्रिय नहीं है, यह निविवाद है। तथा आज भी जनता इस भावना का अवयवा बहुत न ममाज इस कल्पना का उल्लेख सदैव सद्भावनापूर्वक करता हो, ऐसी बात नहीं है। अप्रिय वक्ता पर पत्थर तथा चप्पल फेंकने वाले समाज को देखकर आज भी शिष्ट लोग 'यह देखिए आपकी जनता' कहकर चिढ़ाते हैं, यह असत्य नहीं है। अतएव प्रजातन्त्र वाला विरोध ओठों द्वारा सीधे न होकर व्यजना द्वारा होता है। भीतर ही भीतर वह विरोध काम करता रहता है, इसमें सन्देह की गुंजाइश नहीं और जब वेंदी की लुटिया जैसे लोग नेता बनकर शान बघारते हुए धमकी की भाषा बोलते लगते हैं, तब इतिहास के मुँह से वरवस निकल पड़ता है—“मेरी सारी साधना का क्या यहीं फता है?” सारी ११वीं सदी में स्वतंत्रता एवं समता के लिए, प्रजातन्त्र के लिए जो आन्तिर्यां हुई, उनका जो फल हुआ, वह आज मास्को तथा पैकिंग में हमें दिलाई दे रहा है, ऐसा कुछ लोग प्रतिपादन करते हैं। पूर्वग्रह तथा एकाग्री विचारों को यदि हम एक और रख दें, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि यदि प्रजातन्त्र में जनताशाही का बोलबाला हो जाय, तो व्यक्ति के विकास, स्वतंत्रता तथा अच्छी शासन के लिए थोड़ा खतरा आवश्यक पैदा हो जाता है। और जो 'समता' के नाम से घोषित की जाती है, उसी में अत्याचार-पूर्ण विषमता के बीज छिपे रहते हैं। कुछ लोग इस पर यह उपाय सुझाते हैं कि प्रजातन्त्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है अंगठ नेतृत्व की। अतः उसका संगोष्ठन एवं सबर्थन किया जाना चाहिए। प्रजातन्त्र किसी एक व्यक्ति को यथासम्भव बढ़ा नहीं सकते देता। नेता की व्याख्या करते हुए कहा जाता है कि “नेता वह है, जो अपने अनुयायियों की बात सुने।” पिछले अनुभवों को व्यान में रखते हुए, प्रजातन्त्र की बया समस्याएँ हो सकती हैं, इसका थोड़ा सा विवेचन हमने ऊपर किया है। स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए विषमता को बढ़ावा देना ठीक नहीं, क्योंकि उसमें समाज में विकल जीवन का क्षयरोग फैल जाता है। जनता के नाम से अधिकार दिया जाए तथा व्यक्ति के नाम से उसे अर्थशूल्य कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता हो; पर नए विचारों का कोई प्रतिपादन न कर सके, केवल इसलिए कि नए विचारों को राष्ट्रद्वोह का नाम दिया जाता है यह भी ठीक नहीं। इन सबसे कोई थोड़ा का रास्ता ज़हर ढँडा जाना चाहिए। और उस दृष्टि से विचार करने के लिए स्वतंत्रता तथा समता की कल्पनायों का अधिक पृथक्करण करना आवश्यक हो जाता है।

राज्य का एक मुख्य ध्येय है, राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व के विकास वा अवसर प्रदान करना तथा उनमें विद्यमान सर्वश्रेष्ठ गुणों एवं शक्तियों का उपयोग। राज्य के अन्तिम ध्येय की पूर्ति के लिए करना। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करता है, जिससे व्यक्तियों को ऊपर कहीं बातों का अधिकाधिक सुधरवसर मिल सके। ऐसा मानकर राज्य द्वारा किए गए आदेशों को योग्य एवं न्याय मानकर विरोधार्थी किया जाता है। जितने अधिक व्यक्तियों को ऐसा अनुभव आएगा, उतनी ही अधिक माना जाएगा राज्य के कामों का औचित्य लोगों को महसूस होता जाएगा। व्यक्ति के विकास की योजना का अभिप्राय है, उसके मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में,

योजना। और फैंच राज्यकान्ति के बाद से जो मौलिक अधिकार सम्मत हुए हैं, वे हैं—स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि फैंच कान्ति से पूर्व ये अधिकार मौजूद ही नहीं थे। यह कहना अधिक उचित होगा कि ये तीनों तत्त्व राज्य स्थाया की उत्पत्ति के साथ ही पैदा हुए हैं। फैंच सिंह इत्ता 'ही है कि वे उससे पूर्व ठीक से प्रकट नहीं हो पाए थे। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि इन मौलिक तत्त्वों को फैंच राज्य कान्ति ने साकार कर दिया तथा अर्थ को शब्द का शरीर प्रदान किया। मौलिक अधिकार अथवा स्वतन्त्रता का सम्बन्ध राज्य एवं समाज दोनों से रहता है तथा उसमें न्याय एवं अोचित्य का भाव अनिवार्य रूप से शामिल रहता है। स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता भले ही तीन ग्रन्थ-ग्रन्थ चीजें हो, परन्तु उनकी मुख्य कल्पना एक ही है और वह है न्याय। इन तीनों तत्त्वों के पीछे न्याय की भावना ही काम करती है और राज्य इन तत्त्वों का समोपन एवं सवर्धन किया करता है। समोपन एवं सवर्धन की यह क्रिया कानून के मध्यम से होती है। यदि मैं किसी भी राज्य का नागरिक न रहूँ तो, स्वतन्त्रता, समता आदि सारे अधिकार बेकार हो जाएँगे। क्योंकि उन पर आक्रमण होने की दशा में प्रतिरक्षा करने वाला रहौँ नहीं रह जाएगा। अन्. जो भी स्वतन्त्रताएँ हैं वे नागरिक को हैं। कानून उनकी रक्षा करता है। भले ही वह कानून लिखित रूप में हो या अलिखित रूप में। राज्य-सास्त्र विषयक ग्रन्थ में नैसर्गिक अधिकारों प्रादि की चर्चा हम कर चुके हैं। जन्मसिद्ध अधिकार तो मझी कही प्रसिद्ध हैं। यो देखा जाए तो, निसर्गसिद्ध अधिकारों को तब तक अधिकार की सज्जा दी ही नहीं जा सकती, जब तक ये समाज की कल्पना से सम्बद्ध न हो। यही बात जन्म-सिद्ध अधिकारों के मामले में भी कही जा सकती है। जन्म-सिद्ध अधिकारों का विवेचन भी समाज की पृष्ठभूमि में ही विया जाना चाहिए। अन्. स्वतन्त्रता के जिते भी अधिकार हैं, वे मव व्यक्ति को उस राज्य के कानून के घनुमार मिलते हैं, जिसका वह नागरिक होता है। उम राज्य में जन्म लेने के साथ ही ये अधिकार उमकी बपती बन जाने हैं। जिस प्रकार निसर्ग में मनुष्य के लिए इत्यामोऽनुश्राम की व्यवस्था कर दी है, उसी प्रकार राज्य भी उतनी ही स्वाभाविकता के माय इन अधिकारों के लिए भी कुष्ट-न-कुष्ट व्यवस्था लिए रखता है। ये स्वतन्त्रताएँ तथा तट्टियक अधिकार व्यक्तियों के विषाग के लिए राज्य को जहरी हो जाते हैं। तथा समाज की दृष्टि से भी मरके मधिराधिक विकास के लिए ये अधिकार जहरी हो जाते हैं। मनुष्य का जैसे एक पायिद देह होता है, उसी प्रकार इन स्वतन्त्रताओं एवं अधिकारों में निसिन उमड़ा एक नैतिक देह भी होता है। और जिस प्रकार शरीर में मेहनत करके वह अपने नागरिकता के कर्तव्यों को पूरा करता है, उसी प्रकार धरन नैतिक वर्तन्यों की पूर्ति के लिए वह इन स्वतन्त्रताओं एवं अधिकारों को उपयोग में लाता है।

उपरोक्त विवेचन में यो स्वतन्त्रताएँ अथवा अधिकार व्यक्ति को राज्य की ओर से मिलते रहते हैं, उनमें इसी प्रकार का कोई विवल्य नहीं होता। 'स्वतन्त्रता या नमता ?' ऐसा प्रश्न ही यहीं नहीं उठता। मव प्रकार की स्वतन्त्रताएँ उमके नैतिक जीवन में लिए तथा विश्वास के लिए सामुदायिक रूप से अपरिहार्य होती हैं।

साय ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि स्वतन्त्रता के उद्देश्य एवं प्रयोजनों का विपर्यास न होने पाए। मनुष्य में नीति नाम की कोई न कोई भावना अवश्य होती है और सूझन विचार करने पर, उसी भावना में से इन सब स्वतन्त्रताओं की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति पर, उसकी अपनी दृष्टि में, कोई न कोई नीतिक जिम्मेदारी अवश्य होती है। समाज से रात-दिन का सम्बन्ध आने के कारण उसका भी उसे अहसास होता है। और इस दृष्टि से विचार करने पर, एक दृष्टि से यह सत्य प्रतीत होता है कि स्वतन्त्रता आदि अधिकार स्वाभाविक हैं तथा नियम निर्मित हैं। योकि वे सब उसके स्वभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। पर इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये स्वतन्त्रताएं तथा अधिकार समाज की पृष्ठभूमि को छोड़कर नहीं रह सकते। और इसी कारण यह मानना पड़ता है कि उनका स्वरूप राजनीतिक तथा कानून से सम्बन्धित है। इन्हें कानून तथा समाज की पृष्ठभूमि में देखने की आवश्यकता इमलिए है जिससे ये स्वतन्त्रताएं एवं अधिकार दक्षिणाधी बन सकें और यह बात कोरी बल्का से या कागज पर लिख भर देने से नहीं बन सकती। आज भी अनेक राज्यों के संविधान के अनुसार सारे नागरिक समान हैं, सबको समान अवसर प्राप्त हैं, परन्तु अनुभव एकदम भिन्न है। इंका भले ही पीटा जाए पर किया में वैसा नहीं होता। अतः मेरे जो अधिकार या स्वतन्त्रताएं हैं, उनका नियमन अथवा नियन्त्रण, किवहुना, उनका जनकत्व भी मुझ से भिन्न व्यक्ति के हाथ में है। एक अर्थ में, मानवीय स्वभाव में से प्रमुख होने के कारण वे स्वाभाविक हैं तथा व्यक्ति से भिन्न साधनों की मौजूदगी के कारण तथा उनके द्वारा निर्मित होने के कारण उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक कहना भी आवश्यक हो जाता है। अन्य शब्दों में, व्यक्ति के अधिकार तथा स्वतन्त्रताओं का अन्म राज्य द्वारा होता है तथा यदि उनका अन्म राज्य से न हो, तो वे सब अर्थपूर्ण हो जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव हमें न्यूनाधिक मात्रा में यही बताता है। जिन स्वतन्त्रताओं एवं अधिकारों को कानून का समर्थन एवं संरक्षण नहीं मिलता वे व्यर्थ ही जाते हैं। अमेरिका में आज भी किन्हीं लोगों में नीत्रो लोगों को भव तरह के नागरिक अधिकार (सिविल राईट्स) प्राप्त हैं। पर वे लोग उनका उपयोग नहीं कर सकते। योकि कानून द्वारा मंरक्षण उन्हे प्राप्त नहीं है। इससे यही जाहिर होता है कि जो राज्य जितनी मात्रा में आदर्श होगा अर्थात् अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक एवं सामर्थ्यपूर्वत होगा, उसनी ही मात्रा में नागरिकों के अधिकार सार्थक होगे। केवल नियर्मादत्त एवं ईश्वरदत्त आदि आडम्बरसूरुं शब्दों के प्रयोग से उन्हें अर्थपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। कठोर अनुभव देने वाले जग में, वानून कठोर हो, निकुरु रूप से निष्पक्षपाती हो, तो व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रताओं का उपभोग कर पाता है। अन्यथा नहीं।

हम ऊपर कह गए हैं कि कोई भी राज्य मौ कीमदी आदर्शवादी नहीं हो सकता। उसका नियमण इतिहास की प्रतिया में भी होता है तथा निरन्तर वह इतिहास के प्रवाह में बहता जाता है। इम बारण उसके आदर्शवाद में कुछ कम-अधिक होता जाए, तो उसमें अचरज की कोई बात नहीं। राज्य का ध्येय प्रत्येक व्यक्ति को विकास का अवसर देना है और यदि इस अवसरदान में न्याय भाव न

प्रामुखिक राज्य नया स्वतन्त्रता

रहे, तो जो भवसर दिया गया है, वह कुछ लोगों द्वारा भावना को राज्य प्रोटोकॉल में लोगों को नुकसान। इस दृष्टि से न्याय नामक एक थ्रेट भावना को राज्य की बल्पना के साथ जोड़ दिया गया है। और तब न्यायदान के अनुरोध से यदि कभी-कभी कुछ 'सम-विषय' हो जाए तो उसे दोपास्पद मानना ठीक नहीं होगा। न्यायदान के निए किन्हीं व्यवस्थाओं एवं नियमों को अनियाय रूप में मनूर करना चाहिए। तथा ये नियम भी ऐसे होने चाहिए, जो न्यायदान के उद्देश्य को सकल बना सके। इसके मानी ये हुए कि जितनी मात्रा में व्यविनयों को इन नियमों के भ्रुनुगार विकास का भवसर मिलेगा, उतनी मात्रा में उनकी सकलता होगी। और तब यह प्रश्न पैदा होगा कि 'स्वतन्त्रता' को प्राप्तिकरण करना पड़ता है। तथा किर प्रश्न का स्वरूप 'स्वतन्त्रता या समता' न रहकर 'न्याय या व्यापक स्वतन्त्रता' है। एक बार राज्य का ध्येय निश्चित हो जाने के बाद, उसके माध्य की दृष्टि से, न्याय की थ्रेटना निविवाद हो जाती है। स्वतन्त्रता के मानी है कि राज्य का हर व्यक्ति अपने विकास के विषय में स्वतन्त्र है। उसके स्वतन्त्र होने के कारण, कानून के माध्यम से राज्य द्वारा दिए गए स्वतन्त्रता से सम्बद्ध सारे अधिकारों का वह पूरी तरह उपयोग कर सकता है तथा वैसा करने का अधिकार उसे प्राप्त है, यह मानना होगा। व्यक्ति जब विचार करने लायक उम्र का हो जाता है, तब वह अपनी बल्पना के मुताविक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम करेगा, ऐसी राज्य की धोर से उम्मीद की जाती है। जहाँ स्वतन्त्रता हो, वहाँ जिम्मेदारी भी है, ऐसा मानकर काम किया जाता है। जहाँ जिम्मेदारी का अहसास नहीं, वहाँ स्वतन्त्रता का मही आनन्द या उपभोग भी नहीं हो सकता। वयोंकि स्वतन्त्रता तो राज्य ने हर व्यक्ति को दी हुई है और हरेक को वह हासिल हो, इस न्याय से हरेक को जिम्मेवारी वा अहसास होना जरूरी है। तथा सब को इस बात की जानकारी राज्य द्वारा बनाया गया व्यापदा करा देता है। इसके मानी हुए कि नहीं मानो मे हरेक की स्वतन्त्रता वही है, जिसे राज्य का कानून स्वीकार करे तथा नियन्त्रित करे। तथा इसी स्वीकृति तथा नियन्त्रण से उसका स्वरूप निश्चित होता है।

स्वतन्त्रता की भाँति हमें समता के अर्थ को भी समझ न चाहिए। समता का कानून द्वारा निर्धारित अर्थ कर देने से काम नहीं चलता कानून की निगाह में सब ममान है, ऐसा मानने या कह देने भर से सब लोग समाज नहीं हो जाते। अत कानून के निगाह बाली समता तथा उससे भिन्न समता—दोनों का विचार किया जाना चाहिए। नैतिक दृष्टि से सब लोग समाज है यह हुई नैतिक समानता। सो वह राज्य के मौलिक कानून द्वारा स्थापित समता में परिवर्तन कर देती है। समाज में मालदार आदमी को मिलने वाले तथा गरीब आदमी को मिलने वाले न्याय में जो भिन्नता हम देखते हैं, उसका प्रसली अर्थ यह होता है कि मालदार तथा गरीब के सम्बन्ध में कानून की निगाह में जो समता है, उसके पर समाज रूप से अमल नहीं किया जाता। लोगों में वर्गों को मोज़दगी हो सकती है, पर कानून में वर्गीय न्याय

भयवा कानूनी समता का वर्गीय स्वरूप नहीं होना चाहिए। जहाँ कानून का सवाल आता है, वहाँ कानूनी समानता सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जहाँ राज्य के कानून का सम्बन्ध न आता हो, वरन् सामाजिक एवं आर्थिक सम्बन्ध आते हों, वहाँ की समता कानून की समता के क्षेत्र से बाहर हो जाती है। व्यक्ति की पात्रता, योग्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक सम्पन्नता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। यह भेद केवल पूँजीवादी समाज में ही नहीं, बरन् माम्यवादी राष्ट्रों में भी नजर आता है। तो भी कानून के क्षेत्र में समता अवश्य रहनी है। प्रत्येक को पूरी स्वतंत्रता देने से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसमें मिलता-जुलता प्रभाव सबकों समान मानने से भी पड़ता है। और आज तो दुनियाँ के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि या तो स्वतंत्रता को सीमित करके समता की स्थापना की जाए, या किर स्वतंत्रता को निःसीम करके समता को उत्थाप फेंका जाए। इस सवाल को हल करना हो, तो हमें स्वतंत्रता तथा समता दोनों की सीमाओं को ध्यान में रखकर क्राम करना होगा। तभी कोई बढ़िया हल ढूँढा जा सकेगा। एक बात साफ जाहिर है कि “आज के भारतीय कानून के मुताबिक सब व्यक्ति समान हैं” इसका अर्थ यही है कि अदालती कानून की निगाह में सब समान है, सामाजिक मामलों में यह समानता नहीं है। आर्थिक मामलों में तो यह समानता बताई नहीं है। यों गौर से देखा जाए तो हरेक को समता की दृष्टि में सामाजिक क्षेत्र में काम करने तक का पूरा अवसर नहीं मिलता। तो भी यदि कानूनी समता को यदि कुछ और व्यापक बना दिया जाए तो सामाजिक ममता का कुछ अंश वहाँ आ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति मतदाता है तथा हर बालिग व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार है। मालदार आदमी के तथा गरीब आदमी के भत्ता का महत्त्व समान है। विश्वविद्यालय के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, परन्तु दैसे के अभाव में गरीब होनहार विद्यार्थी वहाँ दाखिल नहीं हो पाता। उन्हें या तो मुक्तशी-गोरी करनी पड़ती है या मिलों में मजदूर बनना पड़ता है। सही मानों में सबके लिए पढ़ाई-लियाई का इन्तजाम करना हो तो पढ़-लिख मकाने को परिस्थिति सबको हासिल होनी चाहिए। समान योग्यता के रहते, पैसों या माध्यमों की विप्रमता के कारण समाज में विप्रमता बढ़ती है। अन. यदि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में समता को बढ़ाया जाए, तो नि.सन्देह कानूनी समता की मार्यकता भी बढ़ जाएगी। वैयक्तिक योग्यता, आर्थिक माध्यन तथा सामाजिक प्रतिष्ठा आदि को ममता के बातावरण में लाना राज्य का कर्तव्य है। वैसा होने पर ही कानून अपने व्यापक अर्थ में सबके घास्ते समान हो मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैयक्तिक विकास के लिए स्वतंत्रता एवं समता की ज़रूरत है। और चौंकि सबको इन बातों की ज़हरत है, अन: सबके हिन मम्बन्धों में एकदावयना होना चाहिए। इसी को कहते हैं ‘बन्धुता’।

‘बन्धुता’ तथा ‘समता’ दोनों विचार ‘स्वतंत्रता’ के विचार से ही जन्म लेते हैं तथा उनके न रहने से स्वतंत्रता अपने आप में शुण नहीं हो पाती, इस प्रमेय का प्रतिपादन हमने इस ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर किया है। व्यक्ति के विकास के

तिए गमाज का निराकरण एवं विवरण करने साथे आवश्यक का ही बने है 'राजा'। इस गमाज को घटना में अभ्यन्तर से उप देखें हैं तो वार्ते शुद्ध दृष्टि में भविता के गमाज में गहरी है, वही वार्ते ग्रुण एवं तातिरह दृष्टि में गमाज के गमाजों में भी गहरी है, प्लोर गहरी वार्ता 'राजा' नामक गमाज में भी व्यविवित होती है। तरंगे की विदा तथा तातिरही वार्ते गमाज का उपनिषद विदा एवं इति विदा एवं इति विरपंड है। इसी प्रकार इति विरपंड के गमाज में कही जाने वाली वार्ते गमाज गमाज राज्य-गमाज के उपरांत के विदा विरपंड हैं। गमाजाराज, मनुज की इतिहास एवं इस है, मह दृष्टि देखना होता। गमाजार लोर पर बहा जाता है तिने मनुज वृद्धियम् एवं तिरी प्राणी है। या तिरी भविता की गो दिव्यती व्यवहर बहा भी उपरे ओढ़न का एवं ऐसे ही गमाज है। मनुज का गमाज गमाज होता होता वार्ता, त्रिमंग त्रो रोद गम के विदा एवं है, उपर वार्ते का व्यवहर गद लोग कर गके। कोई भी व्यवहर तिरी प्राण भविता का उपरोग दृष्टि में न एवं त्रिमंग वह गमाज खेद में दूर गमा जाए। प्लोर इस प्रकार का गमाज राजा होने से ही राजाराज है। इति विरपंड के दृष्टि में गमाज गमाज की इतिहास भी है। इन इतामारित मध्यांशों (गोमापो) को गमग पानून के द्वारा इति विदा दरवाजा है। पर उत्तिरित विदान को स्वीकार करने में त्रो या गमाज होती है, वह यह है तिने गमग गमाज है, गमाजी गमों के मुनाविरा गमाज परंतु वी पूरी छृष्ट है उपरे। उनांच गम हो, तो उपर गम में गमग गमय में वानून वी गोमा में रहने वार्ते भविता के विदा कोई व्यवहर नहीं है। निःगमनेह, मैं व्यवहर कानूनी स्वतंत्रता के ही वार्ते राज्य में गमनिष्ठा है। तथागि राज्य के गमाज गमानता भी है तथा गमाज एवं राज्य के पारस्परिक गम्बन्धों को व्यापार में गमने हुए यह वहना होता है कि राज्य के व्यवहर गमाज के गमूने जीवनधने में नहीं उत्तर गमते। जहाँ राज्य तथा गमाज भविभाव्य हो जाएं, या उनमें गायुग्यता का भाव उत्थान हो जाए तो वार्ता परिस्थिति हो जाएगी, यह वहना मुद्रित है। सोविष्यत गमाज वी राज्य-व्यवस्था में घाज भी सामाजिक जीवन थोड़ा स्वतंत्र है। घर-स्वतंत्रता का विवेचन करने समय के बीच कानून द्वारा प्रतिष्ठित, मुख्याधिन, गोरवित तथा धारवागन-गमनिवन स्वतंत्रता ही उसका भव्य नहीं परना चाहिए बल्कि गमाज के जीवन वी स्वतंत्रता का भी उसमें गमावेग किया जाना चाहिए। समाज में भी व्यवित को दूसरे की स्वतंत्रता में वापर न बनने हुए घरनी स्वतंत्रता का उपभोग करने की छृष्ट होती चाहिए। कानूनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं कानून की प्रतिष्ठा के लिए गमाजिक थोड़ा वी स्वतंत्रता वो दवा दिया जाता है, उम पर हमसा विया जाता है तथा ऐसा करते समय कहा जाता है कि यह गद व्यवित वी स्वतंत्रता के लिए ही किया जाता है। यह वहना वैसा ही है, जैसे कोई डाकू यह कि हम तो यात्री के कथे पर पड़े थोड़ा को हलका कर रहे हैं, प्लोर उसका गारा रप्या-पैगा लूट कर ले जाए। सामाजिक जीवन में घामिक स्वतंत्रता वा महत्व है, और घामिक स्वतंत्रता का होना व्यवित के विकास वी दृष्टि में व्यवस्था है। मन्दिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारों को, यह कहकर कि उनका दुरुपयोग होता है, नष्ट कर देना ठीक नहीं। तथा यह वहकर कि धर्म एक अकीम की गोली है, उसका उच्चाटन करना भी

अनुचित है। भर्म के नाम पर उपयोग के मामले में अमर राज्य हस्तांक करके उस पर प्रतिबन्ध लगा दे, तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। राज्य व्यवित के विकास के लिए पत्नीयीन रहना है और यदि समाज की सम्पत्ति विप्रमता के कारण अपवा विष्ट उपयोग के कारण समाज में अन्याय तथा अभान्ति को जन्म देने लगे, तो राज्य के कानून द्वारा वीं जाने वाली मदावलत को घासिक स्वतन्त्रता के अपहरण का नाम देना तर्कमगत नहीं बहा जा सकता। और यह कहना भी मही नहीं कि मामाजिक जीवन में केवल राज्य की शक्ति ही प्रभावी होती है। जैसा हम पहले कह आए हैं, मामाजिक शक्ति भी अपना प्रभाव ढानती है। जाति में वटिष्ठत कर देना, पतित बहकर घोषणा करना, मामाजिक शक्ति की दोनक हैं। विधवा स्त्री या प्रसूत्य जानि का कोई व्यवित रास्ते में नजर आ जाए, तो उसे अपशब्दन समझने का अपेक्षित उपयोग किसी अपराध के मामाजिक सज्जा का भोगना। मामाजिक जीवन के अनेक व्यवसायों में उन व्यवसायों वीं जीति के अनुमार समाज-शक्ति प्राप्तिक्षेप कराया जाती है। फली के घर काम नहीं करना है, फली के घर सक्षिया नहीं तोड़ना है वर्गेरह-वर्गेरह बातें आज भी कही-बही नजर आ जाती हैं। यह मही है कि दुनिया में बटनी हुई आधुनिकता के माय-माय समाज की शक्ति अर्थात् उमकी दण्ड देने वीं शक्ति बुद्ध कम होती जा रही है और यही कारण है कि मामाजिक शक्ति अन्याय रीति से दण्ड देने लग जाए तो समाज वीं स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए कानून द्वारा किया जाने वाला हस्तांक उचित ही बहा जाएगा। उससे सामाजिक स्वतन्त्रता कम नहीं होती बल्कि उसके यथार्थ उपयोग की अनुकूलता में बढ़ि होती है।

यही तक हमने जो विवेचन किया, वह यह कि केवल कानूनी स्वतन्त्रता ही स्वतन्त्रता न होकर सामाजिक स्वतन्त्रता भी स्वतन्त्रता की मूल कल्पना में समाविष्ट है। और जिस प्रकार कानूनी स्वतन्त्रता के लिए कभी-कभी मामाजिक स्वतन्त्रता का अपहरण दिया जाता है, उसी प्रकार कभी-कभी कानूनी स्वतन्त्रता को सामाजिक स्वतन्त्रता के बनाए रखने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। वयोंकि राज्य सबका शरणस्थान होता है अर्थात् सबसे अन्तिम आधार राज्य ही होता है। स्वतन्त्रता का एक रूप नहीं है, कई हैं। इतना ही वयों, जिसे हम कानूनी स्वतन्त्रता कहते हैं, उसके भी हप एक में ज्यादा होते हैं। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानूनी स्वतन्त्रता थेप्ट एवं अन्तिम होते हुए भी निमीम अथवा निरपेक्ष नहीं है। जब हम कहते हैं कि हर व्यवित स्वतन्त्र है, तो उसके ये मानी नहीं होते कि वह सर्वथा निरपेक्ष एवं निरबुद्ध हप में स्वतन्त्र है। हर व्यवित वीं स्वतन्त्रता हर व्यवित की स्वतन्त्रता के लिए मर्यादित होनी है। स्वतन्त्रता का उपयोग सभी करना चाहते हैं। पर वह उपयोग बारी-बारी से नहीं किया जाता। सबको एक साय तथा एक ही भ्रम अवश्यन्तरा चाहिए। इमीलिए वह स्वतन्त्रता भवके लिए समान एवं एक जैसी होनी चाहिए। मुझे साइकिल पर बैठकर हर रास्ते पर से जाने का अधिकार प्राप्त है। इसका अपेक्षित उपयोग किसी साइकिल का उपयोग इस हप में करना है, जिससे दुसरों के तत्त्वम अधिकार में किसी तिस्म की दक्षावट न आने पाए। अन्यथा साइकिल सख

का कारण न होतर दुर्घटना का ही कारण यह जाएगी। गामाजिह जीवन में भूमि स्वतन्त्रता के अधिकार गवर्नर प्राप्त है, इन्हिए प्राप्तों को धारी मर्यादा को गमनने होए उनका उत्तोग करना चाहिए। किंगी उपोग में मैंने गूंजी समाई है, पर्वत कारणाना गड़ा रिया है, तो जो जारै मो माम पैदा पारै, तिगरों जारै, जोतर या कारकून रगया हूँ, जितना जारै उतना पेशन हूँ—इनमें माम प्राप्त नि सीम अधिकार या स्वतन्त्रताएँ प्राणुनिक गमान में गूंजीपतियों को मही दिए जा गए। मानिह या गूंजीपति को मिसने यासी स्वतन्त्रता गमान के अन्य महस्यों, विदेश करने काम करने वाले मन्त्रदूरों को मिसने पासी स्वतन्त्रता के माम में न गाने यासी नहीं होनी चाहिए। काम कींगी रिया जाए, यथा पेशन निया जाए, इन परिमिति में काम रिया जाए और मामतों में मन्त्रदूर को गूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उन भी काम की दातों तथा परिमितियों को निश्चित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इगरा यर्थ मह हुमा कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता मानें तथा गवर्नर की दृष्टिभूमि से भद्रतों नहीं रह सकती। यकं के दावों में स्वतन्त्रता की शक्तिमानी, नैतिक इन्तु नियन्त्रणयुक्त होना चाहिए, और इन मामसे में मतभेद की ओर यतन नहीं है। बेवत व्यक्ति की दृष्टि से स्वतन्त्रता वा नियमन होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि इगके पीछे कुछ नैतिक भावना भी है। गवर्नर स्वतन्त्रता मिने यह नैतिक आवश्यकता है। वह व्यक्ति की नैतिक आवश्यकता है, यह हम पहले बता थाए हैं और उस नैतिक आवश्यकता में से स्वतन्त्रता की कल्पना का उद्गम हुमा है, यह भान सेने के बाद स्वतन्त्रता की जो व्यवस्था होगी, उसे उस मौलिक नैतिक कल्पना से भेल याने वाली होना चाहिए। इसका ग्रर्थ यह हुआ कि उस दृष्टि से भी स्वतन्त्रता का नियमन होना चाहिए। यह नैतिक आवश्यकता व्यक्ति की है—किंगी करपना से परे के व्यक्ति की नहीं, बल्कि निश्चित, गामार एवं स्पष्ट व्यक्तित्व से युक्त तथा विन्ही धेयों से प्रेरित व्यक्ति की है। और ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता में से नैतिक आवश्यकता के स्पष्ट में स्वतन्त्रता की कल्पना का प्रसव हुमा है। दृष्टिकोण चाहे कुछ हो—व्यक्तियों के सम्बन्धों का दृष्टिकोण हो या मूल नैतिक आवश्यकताओं का दृष्टिकोण हो—स्वतन्त्रता का नियोजन व्रमप्राप्त एवं अपरिहार्य हो जाता है। राज्य में अप्रतिहत स्वतन्त्रता किसी को भी प्राप्त नहीं होती। जो भी स्वतन्त्रता है, वह सापेक्ष एवं नियमनयुक्त है। ऐसा होने के कारण ही वह सबको अधिकाधिक माना में उपलब्ध हो सकती है। तथा इस मात्रा वो निश्चित करते समय प्रत्येक व्यक्ति की सामान्य तथा विशेष आवश्यकताओं को आंखों के सामने रखा जाता है। परन्तु मात्रा निश्चित करते समय स्वतन्त्रता का अधिकार सभी का माना जाता है। स्वतन्त्रता भले ही नियमनयुक्त हो, उसकी मात्रा भले ही निश्चित हो तो भी वह स्वतन्त्रता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कस्तूरी चाहे कण हो,

या ढेर सारी हो, पर है तो वह कस्तूरी ही। अधिक गहराई से विचार करने पर प्रतीत होगा कि निरपेक्ष तथा नियमन रहित स्वतंत्रता हो तो वहनों के जीवन में स्वतंत्रता का अभाव हो जाएगा तथा जिनके जीवन में योड़ी बहुत स्वतंत्रता है भी उनकी वह स्वतंत्रता अनिश्चिनता की खाई में जापड़ेगी। इसके विपरीत यदि स्वतंत्रता सामेश एवं नियमनयुक्त हो तो वह अधिक सही ही जाती है तथा मात्रा एवं युग्म दोनों दृष्टियों से व्यक्तियों एवं समाजिक दोनों के लिए अधिक उपयोगी एवं उत्तम होती जाती है, ऐसा हमें इतिहास बताना है।

हम यहाँ 'कानूनी स्वतंत्रता' इस नए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कानून तथा स्वतंत्रता दोनों का आपसी सम्बन्ध दोतित होता है। राज्य में यदि हम न्याय चाहते हैं, तो उसके लिए स्वतंत्रता जरूरी है। इस कथन में स्वतंत्रता को साधन तथा न्याय को साध्य माना गया है। कई बार हम देखते हैं कि साध्य तथा माध्यन एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ वैसी ही अवस्था है। कानून तथा स्वतंत्रता के बीच भीजूद सम्बन्ध का अधिक विवरण हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ हम सिर्फ़ इत्ता कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता भी एक कानून ही है। या वहिये कि कानून का एक महस्त्र का हिस्सा है। कानून का अर्थ 'काजी हाऊम' या 'चेचक के टीके' का कानून न होकर 'कानून की भावना' है। जिस प्रकार विद्या कहने से किसी व्यास विद्या का ग्रहण न होकर उसके व्यापक अर्थ का ग्रहण होता है, उसी प्रकार यहाँ हमने भाववाचक कानून शब्द का प्रयोग किया है। अंग्रेजी में कहते हैं कि 'ममाज में कानून प्रचलित है' इसका अर्थ यह है कि कानून के सम्बन्ध में जो कल्पनाएँ हैं, वे प्रचलित होती हैं। कभी-कभी कहा जाता है कि 'फलाँ कानून कानून के मुताबिक नहीं है' इसका अर्थ यह होता है कि कानून के सम्बन्ध में जो मुख्य एवं मौलिक कल्पनाएँ (सिद्धान्त) हैं, उनके मुताबिक नहीं हैं और जब हम कहते हैं कि 'कानून के मुताबिक राज्य चल रहा है' तो उस समय प्रत्यक्ष स्वतंत्रता ही उस कानून के रूप में काम किया करती है। स्वतंत्रता तथा कानून का परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद कम-से-कम आधुनिक राज्य में तो हो ही नहीं सकता। तथापि हमेशा उसमें ऐकमत्य बना रहता है, यह भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार स्वतंत्रता के रूप भिन्न होते हैं, उसी प्रकार इस भाववाचक कानून के रूप भी भिन्न हो सकते हैं। स्वतंत्रता के रूप एवं खेत्र भिन्न होते हैं, इस बात का उल्लेख सामाजिक स्वतंत्रता पर विचार करते समय हम कर चुके हैं। स्वतंत्रता पर विचार करते समय उसके तीन रूप स्पष्ट रूप से आंखों के सामने आते हैं एक व्यक्ति की स्वतंत्रता या नागरिक स्वतंत्रता। दूसरे स्टौन नामक राजनीतिज्ञ ने नागरिक स्वतंत्रता के भी तीन प्रकार बताए हैं। जीवन, स्वास्थ्य तथा विरोध सम्बन्धी सुरक्षा की स्वतंत्रता। दूसरा है, व्यक्ति की विहार स्वतंत्रता। अर्थात् जहाँ भी जाना उसके लिए आवश्यक एवं ईप्सित हो, वहाँ जाने की स्वतंत्रता। तथा अपनी मालमत्ता के सम्बन्ध में स्वतंत्रता। अर्थात् अपनी मम्पत्ति के उपयोग, उपभोग तथा उसकी व्यवस्था सम्बन्धी स्वतंत्रता। आधुनिक मविधानों में सामान्यतया इन तीनों स्वतंत्रताओं की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाना है। भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार नामक परिच्छेद में यह व्यवस्था की

गई है। आधुनिक भाषा में इन्हीं स्वतन्त्रताओं का वर्गीकरण शरीर स्वातन्त्र्य, बोद्धिक स्वातन्त्र्य तथा व्यवहार स्वातन्त्र्य के रूप में किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की सुरक्षा की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उसी प्रकार धूमने-फिरने की अवधि जहाँ मर्जी हो वहाँ जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। बोद्धिक स्वतन्त्रता में विचारों की स्वतन्त्रता एवं धार्मिक स्वतन्त्रता का अन्तर्भाव होता है। व्यवहार सम्बन्धी स्वतन्त्रता में किसके साथ कैमा बतावि किया जाए, किसके साथ व्यवहार किया जाए, किसके साथ करार किया जाए आदि वातें आती हैं। इन सब स्वतन्त्रताओं का उल्लेख 'नागरिक स्वातन्त्र्य' इस समावेशक शब्द द्वारा किया जा सकता है। नागरिक स्वतन्त्रता के साथ व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के नाते अलग किसी की एक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। वह राज्य का नागरिक है। राज्य एक संगठन है और उसका सदस्य होने के नाते उसे वह स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। इसे राजकीय स्वातन्त्र्य वहा जा सकता है। एक समय था जब इस स्वतन्त्रता का रूप अभावात्मक था। और उसमें जोर इस बात पर नहीं था कि नागरिक क्या करे, बल्कि इस बात पर या कि राज्य सत्ता वया न करे। और इन्वेंट के इतिहास में स्वतन्त्रता की यह जो अभावात्मक व्याख्या की गई थी उसका कारण एक प्रकार से ऐतिहासिक परिस्थिति ही थी। जहाँ यह भावना काम करती हो कि राजकीय स्वतन्त्रता अपने से एक भिन्न वस्तु है तथा उसके हमले से अपने को बचाना है, वहाँ राजकीय स्वातन्त्र्य का रूप, उसके विरोधात्मक होने के कारण, अभावात्मक हो जाता है। मैं नागरिक हूँ, अत मुझे अपने दुखों का निवारण करने के लिए कहने का अधिकार है। न्यायप्राप्ति के लिए मुझे प्रदालत में जाने का अधिकार है। इन सब बातों के पीछे राज्य तथा व्यक्ति के बीच विभेद रूपी दृष्टिभाव मौजूद था। शाज राज्य अथवा राज्य सत्ता नागरिक से अलग नहीं है। सरकार या राज्य सत्ता कोई ऐसी अभूतपूर्व वस्तु नहीं, जो हाथी के कान में मैं उत्पन्न हुई हो या स्वर्ग लोक से भूलोक पर अवतीर्ण हुई हो; उसका निर्माण हमी नागरिकों ने किया है। हमी से वह उत्पन्न हुई है। अत, हममें और उसमें अद्वैत है। इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक स्वतन्त्रता एक भावात्मक वस्तु हो जाती है। यह हमी ने निश्चित किया है कि सत्ता रूपी पालकी में कौन बैठे। हमीं उस पालकी को ढोते भी हैं। और जब थक जाते हैं या एक निश्चित समय बीत जाता है तब पालकी में बैठने वाले पालकी उठाने वाले वन जाते हैं तथा जो अब तक पालकी को उठाना था वह पालकी में जा बैठता है। स्वतन्त्रता इस बात की नहीं कि किमी अज्ञात शक्ति द्वारा उत्पादित सरकार की गतिविधियों को सीमित करना है बल्कि इस बात की है कि सरकार को उत्पन्न करना है, उसे नियन्त्रण में लाना है; उसे किस तरह चलाना होगा, इस बात को निश्चित करना है। सरकार नामक सत्ता को किसी ने हम पर सादा नहीं बल्कि हमने न्यय उसे स्वीकार किया है। इस्ता ही क्यों, हमने स्वयं उमका चुनाव किया है। यह कार्यात्मक भाव आज राजकीय स्वतन्त्रता में हमे दृष्टिगोचर होता है। चुनाव द्वारा सरकार स्थापित होती है। लगातार विचार-विनिमय के बाद वह कार्यान्वित एवं नियन्त्रित होती है तथा इस किया में प्रत्येक नागरिक यथाशक्ति भाग लेता है।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा नागरिक होने के नामे उपलब्ध राजकीय स्वतन्त्रता के साथ-साथ राज्य में व्यक्ति को एक अन्य स्वतन्त्रता भी उपलब्ध होनी चाहिए। वह है आधिक स्वतन्त्रता। वहाँ उस व्यक्ति का रिस्ता श्रमिक या कारकून का होना चाहिए। यम का स्वरूप चाहे शारीरिक हो या मानसिक—पर राज्य में उसका होते रहना जरूरी है। वह थम चाहे मरकारी क्षेत्र में हो या गैर-मरकारी क्षेत्र में। श्रमिक व्यक्ति उक्त थम द्वारा अपनी जीविका चलाता है। समाज की दृष्टि से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का महत्व है तथा राजकीय दृष्टि में नागरिक स्वतन्त्रता का। परन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता का महत्व दोनों ही दृष्टियों से है। आर्थिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को गत १०० वर्षों में अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि राजकीय स्वतन्त्रता के रहने पर ही आर्थिक स्वतन्त्रता बनी रह सकती है। कुछ का स्थान है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में वह मौजूद है। तथा कुछ लोगों के स्थान में आर्थिक स्वतन्त्रता का सिद्धान्त वेकार की चीज़ है तथा उसके कारण विचारों में थोड़ी-भी विलम्बता या जाती है। साथ ही यह स्थान भी उठ खड़ा होता है कि यदि आर्थिक स्वतन्त्रता को जुदा माना जाए तो फिर धार्मिक स्वतन्त्रता को जुदा क्यों न माना जाए? धार्मिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में स्पष्ट रूप से आ जाती है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा नागरिक स्वतन्त्रता भी एक दृष्टि से एक ही है। नागरिक स्वतन्त्रता राजकीय स्वतन्त्रता पर अधिक जोर देती है, अतः उसे राजकीय स्वतन्त्रता का स्वतन्त्र नाम दिया जाता है, ऐसा कहने में कोई विनाई नहीं। आर्थिक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध भले ही नागरिक स्वतन्त्रता तथा व्यक्ति स्वतन्त्रता के साथ आता ही, तो भी उस स्वतन्त्रता के सिद्धान्त में समूचे समाज के आर्थिक सम्बन्धों का विचार समाविष्ट रहता है। और इस दृष्टि से आर्थिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को आधुनिक युग में अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। भले ही आधिक एवं सामाजिक मामलों से आर्थिक स्वतन्त्रता का सम्बन्ध आता है; राजकीय स्वतन्त्रता भी आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए अभिलिप्त होती है; अतः सभी स्वतन्त्रताओं में उसका अधिक मूल्य है। सारे तर्क एवं दाव-ज्ञान को एक ओर करके हम कह सकते हैं कि नागरिक स्वतन्त्रता में सभी स्वतन्त्रताओं का समावेश हो जाता है। स्वतन्त्रता के विस स्वरूप को अधिक महत्व देना है, यह ठीक से निश्चित हो जाए तो आगे की सारी बातें भुगम हो जाती हैं। और जिस प्रकार एक ही उद्गम से भिन्न-भिन्न जलधाराएँ वह निकलती हैं, उसी प्रकार ये तीनों प्रकार की स्वतन्त्रताएँ भी एक ही उद्गम से निकलती हैं तथा वास्तव में एक ही वस्तु है। यदि वास्तविक रूप इन तीनों का मुरादित रहे, तो ये बनी रहती हैं, अन्यथा जो स्वतन्त्रता हमें F.साई देगी वह दिखावटी होगी। नागरिक एवं मतदाता होने के नाते प्राप्त राज्य संचालन मन्वन्धी स्वतन्त्रता के साथ-साथ, उसके जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक अर्थ-व्यवस्था भी समाज में रहनी चाहिए। इस बात को कहने की स्वतन्त्रता तथा अधिकार होना चाहिए। आर्थिक व्यवस्था तथा समाजगत आधिक सम्बन्धों में उमका वया स्वान हो, यह बताने का उसका अधिकार एवं स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित नहीं है। समाज की दृष्टि से समूची आर्थिक व्यवस्था कैसी रहे, उनमें उद्योगों की रूपरेखा क्या रहे, व्यापार की स्थिति क्या हो इत्यादि बातों के सम्बन्ध में

है। जिस प्रकार 'विसमिलना' का नाम सेकर कोई बहरा काटता है, उसी प्रकार राजनीतिक देश में भी यह मुल्लापन किया जाता है। देश की रक्षा के नाम पर वर्गद्वेष तथा जातीय बलह आदि को प्रथम दिया जाता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम पर थमिकों की आधिक स्वतन्त्रता पर हमला किया जाता है, यह तो रोजर्डर्फा का किसान है। पूँजीपति सोग समझते हैं, जब पूँजी हमारी है, अबल हमारी है तब शामन मता भी हमारी ही होनी चाहिए। अधिक नफे के लिए वे थमिकों के हित की उपेक्षा करते हैं। मन्दूरों को ठीक लगाता हो तो काम करें, न लगें तो काम छोड़ दें। मालिक और मन्दूर का रिता करार के कानून के मुताबिक है, उसमें राज्य मता या सरकार यो दबल देने की जरूरत नहीं है, ऐसा दावा किया जाता है और करार स्वातन्त्र्य के नाम पर आधिक स्वातन्त्र्य को दबा दिया जाता है। तथा वेचारे मन्दूर और बारकून बस्तुतः गुलाम बन जाते हैं। अन्य घरों में 'धर्वंस्य पुर्णो दाम' का अनुभव आता है और जब यह हानित प्रजातन्त्र के युग में पराकारा को पहुँच जाती है, तब राजनीतिक स्वतन्त्रता वीच में पहुँचती है। परन्तु यदि वहुमत बाला दल पूँजीपतियों के चम्पुल में हो, तो राजनीतिक स्वतन्त्रता के नाम पर थमिकों की नए-नए कायदे कानून बना कर दबाने की कोशिश की जाती है। उनके सुगठनों को गैरकानूनी ठहराया जाता है। हड्डान करने का उनका अधिकार कटौटिंग जाता है। कभी-कभी तो वह यहुत ज्यादा गिरुड़ जाता है। इस विवेचन से एक बात स्पष्ट होती है कि स्वतन्त्रता बोर्ड सीधी-साधी तथा आसान कल्पना नहीं है। स्वतन्त्रता की भावना में प्रेरित होकर लोग एक और एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, चौपर दूमरी और स्वतन्त्रता के विविध रूपों के मामने आते ही वे विसरने लगते हैं, विषट्टि होते हैं, विसंगत दृष्टिकोण पेश करने लग जाते हैं और फिर उनका आचरण भी उसी प्रकार का होने लग जाता है। स्वतन्त्रता की पताका के नीचे एकत्रित हुए लोग पताका के रंग के बारे में भगाड़ने लगते हैं। लाल या तिरगी, मफेद या हरा? और तब स्वतन्त्रता के नाम के नीचे राष्ट्र में राज्य चलाने की अहमदमिका वाले अनेक लोग पैदा हो जाते हैं तथा हर व्यक्ति अपने ही दल को मच्चा स्वतन्त्रतावादी प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है। तात्त्विक दृष्टि से तो स्वतन्त्रता नामक तत्त्व न्याय की कल्पना के अन्तर्गत है। अतः देखना यही होता है कि राज्य का कानून इस तत्त्व के अनुसार है या नहीं। तथापि जब राज्य का कानून तथा उसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता कार्यान्वित होने लगती है, तब स्वतन्त्रता के विविध स्वरूपों में उमों प्रकार ममन्वय की स्थापना करनी होती है। जिस प्रकार व्यक्तिगत एवं मामूलिक स्वतन्त्रताओं के मध्य की जाती है और इसके निए इकहरी तथा एकाग्नी विचारसरणी से काम नहीं चलेगा। न्याय का अर्थ होता है सम्बन्धित हितसम्बन्धों तथा व्यक्तियों में अधिक-से-अधिक समन्वय की स्थापना। स्वतन्त्रता के साथ समता का भी रामन्वय करना चाहिए। स्वतन्त्रता एवं समता के साथ बर्धुता का भी समन्वय करना चाहिए। यह समन्वय का काम समाज की न्यायवृद्धि के द्वारा किया जाता है। जितने अंदर में यह सम्बुद्धन कायम

के कारण बहुत दफा समानता का अर्थ पूरी तरह से व्यान में नहीं प्राप्ता। सब लोग कानून की नियाह में समान हैं, इसका अर्थ यह है कि सबका कानूनी व्यवित्रित्व समान है। कानून की न्यूनाधिकता के साथ-साथ वैध व्यवित्रित्व भी न्यूनाधिक होता जाता है तथा उभी अनुपात में कानूनी समता का स्वरूप भी न्यूनाधिक होता जाता है। कुछ एक विचारक तो यहीं तक बहते हैं कि कानूनी समानता का विचार करते समय व्यवित्रित की योग्यता तथा उसकी सामाजिक स्थिति को भी व्यान में रखना चाहिए। रेसो की नियाह में भले ही सबके लिए टिकट की समानता हो, पर जीवन के हर क्षेत्र में समानता नहीं हो सकती। यदि कोई साने की कीमित करे तो वह अमम्बव बात होगी। इसका यह मतलब नहीं कि सब कहीं कृत्रिम विषमता वो वेरोन-टोक बढ़ने दिया जाए। केवल सम्पत्ति की विषमता के कारण वैध व्यवित्रित्व को भी विषम कर डालना उचित नहीं। तथा विशेष बुद्धिमत्ता के कारण वैध व्यवित्रित्व को भी विषम कर डालना उचित नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी प्रकार वैध अथवा कानूनी व्यवित्रित्व (लीगल परमनालिटी) की समानता के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता लाने की बात बहना भी ठीक नहीं होगा। कानूनी समानता की बात को नेकर सम्पत्तिक समानता तथा सामाजिक क्षेत्र में अतिष्ठा की समानता की उम्मीद करता तथा नैसर्गिक पावरों में भी समानता लाने का प्रपत्न करना या उसे मान कर चलना ठीक नहीं होगा। एक निश्चित सीमा तक वैध व्यवित्रित्व की समानता तथा सामाजिक समानता में मेल का होना उचित है। पर दोनों समानताओं के क्षेत्र के पूरी तरह से एक होने का दावा टिक नहीं सकेगा और आज तक कभी टिका भी नहीं।

आज के युग में सारी राजनीतिक विचार-धारा समता की दिशा में प्रवाहित हो रही है। आज की इस मनोवृत्ति एवं एतद्विषयक दृष्टिकोण को तब तक ठीक से नहीं समझा जा सकता जब तक पिछले युग की बातों का सम्यक् ज्ञान न हो जाए। पिछले युग में घनेक शाताविद्यों तक समाज के बहुतरूपक लोगों के साथ कानूनी तौर पर भी विषमता युक्त व्यवहार किया जाता था। तब लोगों को कानून की यह विषमता तथा अन्य क्षेत्रों की विषमता एवं विषमतायुक्त न्याय-व्यवस्था अनुचित नहीं समझी जाती थी। धनी आदमी अगर कोई गुनाह कर देटे तो न्यायाधीश लोग उसका न्याय एक भिन्न ही दृष्टि से किया करते थे। सामान्य व्यवित्रित का सामान्य गुनाह भी कभी-कभी बहुत भयकर गुनाह समझा जाता था। यदि कोई व्यवित्रित समाज में रहकर काम करने के लिए राजी हो; पर उसे रोजगार न मिले तो वास्तव में यह उसका अपराध नहीं कहा जा सकता; पर कानून ऐसे व्यवित्रियों को आवारा मानकर उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर डालता था एवं उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। पाश्चात्य देशों में ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं, जहाँ व्यवित्रित को किसी भी नए नगर में तब तक प्रवेश नहीं मिलता था, जब तक उसके हाथ में काफी पैसे न हों, या उसे कोई नीकरी न हो। राजनीतिक क्षेत्र में तो यह विषमता इती स्वाभाविक समझी जाती थी कि उसके विरुद्ध कुछ बोलना भी अधर्म माना जाता था। राजदौही तो वह था ही। इंग्लैण्ड में सन् १८३२ तक बहुत ही थोड़े व्यवित्रित मतदान

वा प्रधिकार रखते थे। १८१८ में प्रथेक वयस्ता शक्ति को समाज का प्रधिकार मिला। भारत में १८५० तक यह परिविवाही भी इसका राजनीतिक स्थान का प्रधिकार नहीं लोगों को था, जो पर मालिक हो, जिराएँदार हों, आपकर दो हों, जमीन दो हों ही तथा तगान दो हों, या जो जमीन में राज गुरु उग पर गोंगी करने हों। तो ऐसा गेन-गज्जर होता था, उसे गवान का प्रधिकार नहीं था। अब यही दैव में यह प्राचीरा समझा जाता था। निरधार व्यविता को मारप्रधिकार नहीं था। निवित मनुष्य वो भी तब तक मारप्रधिकार नहीं था, जब तक यह पाइसीपर पर का जिराएँदार मा मालिक न हो। यह भी इसी द्वारा प्रेटोर का प्राचीरा समझा जाता था तथा राजनीतिक दृष्टि में प्रतिष्ठानुग्रह था। घटने का मानव यह है इस विषयाने बन जाने के बाद सबन्न भारत में प्राचीर वयस्ता प्राचीर व्यविता ही था है। यही भारत है इस विषयाने के दूर ही जाने के बाद गमना गमनित हो गई है तथा यह यही गमना का मालिक यातायरण निर्माण हो था है। और यह यह बहुत जा सकता है कि सामाजिक धैर्य व्यविता गमन हो गया है। जाति, धर्म, निवास पर्याप्त—इसी भी दृष्टि में इन गमनों में भेदभाव में वास नहीं निया जाता। राज्य के कानून की नियाह में यह भारत के गमी व्यक्ति गमन है। गवाओं गमन प्रधिकार होने मात्र से प्रथेक को उनका इस्तेमाल करने का गमन धर्यार या शक्ति नहीं मिल जाती। यह गही है सबके गाय न्याय निया जाएगा। न्यायालय के दरबाजे सबके लिए गुले हैं। पर हरेक के पास कोई की फोग या बड़ी जी लोग देने को पैसे भोजूद हीं ऐसी धारा नहीं है। कानूनी समता में गामाजिक धर्यार गामतिक समता स्थापित नहीं हो पाती तथा प्रथेक के लिए उन्मुक्त दिलादि देने वाले न्याय तथा निया के प्रवेश द्वारा वस्तुतः उन्मुक्त नहीं हो पाते। गरीब का सदरा पहले दम में पास होकर भी गिफ़े पैसे की कमी के कारण धर्यारी पढ़ाई नहीं कर सकता तथा विश्वविद्यालय के दरबाजे गुले होने पर भी वह उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। इसी प्रकार यदि गरीब पर भन्याय हो जाए तो वह रघुवीर्जीसी की कमी के कारण न्याय वी तराजू के पलड़े को अपनी ओर नहीं झुका सकता। कोई की प्रतिया तथा नियम बहुत महें होते हैं। एक तरह से न्याय को भील लेना होता है तथा उसकी कीमत चुकाने की हैसियत हरेक में नहीं होती। इसके साथ ही हम आधुनिक युग में कुछ ऐसी सह्याएं भी देखते हैं, जो गरीब मविकनों की सहायता किया करती हैं। बहुत दफा राज्य भी इस क्षेत्र में सहायता करता है। तथागि भसली सवाल तो यह है कि जिसे हम सामाजिक समता कहते हैं, उसका सही मार्त्तों में लोग भनुभव कर सकें। जब तक यह नहीं होता, तब तक वैध समता का कोई धर्य नहीं रह जाता। यह सामाजिक समता लाने का प्रयत्न कौन करे? यदि भाष कहें कि राज्य करे, तो उसकी राह में जो कठिनाइयाँ तथा सीमाएं हैं, उन्हें भी आपनो ठीक से समझ लेना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में लाई जाने वाली समता स्वाभाविक गति से सासृतिक क्षेत्र में भी प्रवेश करती है और यदि वह आधिक क्षेत्र में भी पहुँचने लगे, तो उसे कोई मना नहीं कर सकता। राजनीतिक समता का यह पहला पड़ाव है। सामाजिक समता, समता की समूची धारा का दूसरा पड़ाव है। मतदान की दृष्टि से सब लोग समान,

है। तब सवाल उठता है कि सामाजिक एवं आर्थिक धोरणों में भी वे लोग समान बयों न हों? एक बार नागरिक होने के नाते किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाने के बाद उसे सार्वजनिक मण्डलों, शिक्षा-क्षेत्रों, मजोरेंजन के स्थानों तथा उपाहारगुहों आदि में प्रवेश करने से रोकना असम्भव हो जाता है और इसी कारण राज्य अपने क्षेत्र में सामाजिक विषयमता को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करता है। देवालय एवं मन्दिर खोले जाते हैं। मत्याग्रह तथा उपवास से लोकपत को जागरित किया जा सकता है; समाज की आत्मा को जगाया जा सकता है; समाज की सदस्यद्विवेक बुद्धि को उद्युग किया जा सकता है; तथापि इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए कानून की ही आवश्यकता पड़ती है। कानून शक्तिशाली लोक-पत का हथियार है। वह एक हुक्म है। अर्थात् यदि कोई उसका पालन न करे, तो उसे सजा दी जा सकती है। पर साथ ही वह एक प्रकार आह्वान भी है। तथा वह नागरिक के मन में ऐमा भाव उत्पन्न करता है, कि कानून जो कुछ कहता है, वह सामान्यतया और कुछ नहीं तो कम से कम योग्य एवं न्याययुक्त तो अवश्य है। तथा इस प्रकार सामाजिक, सास्कृतिक क्षेत्र में स्थापित होने के बाद समता अपने तीमरे पड़ाव की ओर चल पड़ती है। एक बार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिलने लगा तो सभी लीजिए कि आर्थिक समता की दिशा में आप ने अपना पहला कदम रखा। असली अवसर एवं समता तब है, जब शिक्षा के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति को राज्य की ओर से आवश्यक आर्थिक सहायता मिलने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में विषयमता का पर्यंत हुआ सास्कृतिक क्षेत्र में विषयमता। शिक्षा का अवसर न मिलने से मन की प्रगति विरोप नहीं हो पाती। जान एवं विज्ञान से वह व्यक्ति बचित रह जाता है और जो लोग पैसे के धनी होते हैं, वे शिक्षा एवं सकृति के क्षेत्र में भी धनी हों जाते हैं। गृहीत लोग इन दोनों वस्तुओं से हाश धो बैठते हैं। फलस्वरूप समाज में इन दोनों चर्चों के बीच की विषयमता की खाई बहुत चोड़ी हो जानी है। अच्छे संस्कार शिक्षा का फल है। अर्थात् यदि शिक्षा न मिले तो अच्छे संस्कार भी नहीं आ पाते। अच्छे स्वभाव के व्यक्ति कही भी, किसी भी परिस्थिति में भिलें, कभी उद्घट व्यवहार नहीं करेंगे। वे सम्यता का परित्याग नहीं करेंगे तथा उनके जीवन में अहंकार एवं दंभ की बदू नहीं आएगी। यदि शिक्षा का स्तर ऊँचा हो जाए, तो आप देखेंगे कि संस्कृति भी अधिक व्यापक हो जाएगी तथा वह अधिक मात्रा में दृष्टियोचर होने लगेगी। यह सही है कि एक चन्द्रमा के प्रकाश के कारण ही रात ज्योतिष्मती कहलाती है। पर अनन्त तारों के टिमटिमाने से भी आकाश के सौन्दर्य में वृद्धि होती है। परम्परागत तथा आनुवंशिक होने के कारण अनेक व्यवसाय अच्छे होते हैं, अतः वहाँ अधिक एवं आघुनिक स्वरूप का ज्ञान देना निर्बंध है, ऐसा कहना मूर्खता का द्योतक सिद्ध होगा। परम्परागत प्रणाली से बेती करने तथा बेती के दास्त को समझकर बेती करने में जो फर्क है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिन्हाँवट के देखने में बढ़िया होने के गाथ-साथ यदि शुद्ध सेपन के नियम का पालन भी किया गया हो, तो पाठक का मन प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में शिक्षा की प्राप्ति से सामान्य धार्चार-विचार भी उन्नत होते हैं तथा उनमें सम्यता का स्तर ऊँचा होता होता

है। याहे न्यूनतम् भाषणद्या गिराह वर शासि को धरम्य शान होने भाषिए और यदि रियो वो और अधिक पड़ा हो तो उग्री गुविया राग को बनाने चाहिए। जित्था एवं गरुदि के थोक में १०० ग्राहिया समता का श्यामि हिंसा सुदित्त है। योई कहे कि ऐसा ही गाना है, तो वह राग ही गुर्गंगा का दोहर निय होगा। गहनी शान तो यह है कि जित्थी भाषुर्णियों हैं, ताकी भ्रूगितों हैं। ग्राहिया 'मुण्ड' में 'मति' की 'भिन्नता' भी एह नियमित्ति नाय है। इन गायों को उत्तराया नहीं जा सकता। श्यामि की स्वाम्यता को दृष्टि में भी यदि इष्ट गोर्णे तो इस गार्णे के लिये बही-बही व्यक्ति पर गमना का साक्षा उग्रो ग्राहिया का धारण्य करना गिर्द होता है। यदि ऐसा नियम वर दिया जाए कि हर योई एह ही ग्राहियों की तुलने पड़े, एह ही किम्ब के नाटक तथा गिर्वाणी विवाट देंगे, तो इसमें गमना गी श्यामि हो जाएगी, पर श्यामि की स्वाम्यता का स्वाप्त ही धारण्य हो जाएगा। जो विचार गुरुरात के दिमाण में घाने हैं, वही हर व्यक्ति के दिमाण में घार्णे लेना होता तो घग्भव्य है ही, पर इसकी उम्मीद करना भी येवरुदी में बग नहीं है। विद्वानियाना वा तत्त्वज्ञ, मायतेदार वी व लहरी में बाय करने वाला वारहन, वपुं वी दुरान में गज संसर कण्ठे काढने वाला विर्णवा, चुपचार वाय में कूमो और वार्णी हाय में लिए राहा रहने वाला रथोज भाषि लोगों की मानविक भूमि गमान नहीं है। अत. उनमें गमान विचारों की व्यवज नहीं हो गती। युर एह हो पाठ अरने गब गिर्यों को पढ़ाता है, पर उग्रा का जुदा-जुदा देखने वो मिलता है। गमान में वरमने वाला गाफ पानी जहाँ-जहाँ गिरेगा, वहाँ-वहाँ जमीन के गुण-पर्मों के ग्रनुमार अलग-अलग स्वाद का हो जाएगा। इमी प्रवार दूसरी बात यह है कि गमान में व्यक्ति जिस काम को करता है, उसके मन को रखना भी उसके ग्रनुमार नया उसके लिए व्यक्ति ह्य धारण करती खली जाना है। दो-चार रेतें के पारहून एक जगह जमा हो जाएं, पा दो-चार मिल के मन्दूर एक जगह जमा हो जाएं पा दो-चार मासदार एक जगह जमा हो जाएं, तो आप देखेंगे कि श्रवणक मूरूह वी चर्चा का विषय एक-दूसरे से जुदा होया। इत्ता ही नहीं, आप देखेंगे कि गब लोग धामनीर से भ्रपने-भ्रपने व्यवसाय के बारे में ही बात-चीत करेंगे। इन दोनों बातों का विचार करने पर आप पाएंगे कि स्वाभाविक विविधता एवं व्यावसायिक विविध दृष्टिकोणों के बारण गब कही समता का होता ग्रसम्भव एवं ग्रनुचित है। तथापि इन दो बातों वी सीमाओं का संयान रखते हुए विषमता के प्रवारों को जित्ता काम किया जा सके, उसा अच्छा होगा। समाज में गब कही एक-सा पन रहे, तो वही, सम्भव है, ग्रनुमारन रह जाए, पर सीम्बंध की गारण्टी नहीं दी जा सकती। ग्रोचित्य का भी विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। गब तो यह है कि, मानवीय जीवन में जिती विविधता रहेगी, उसा ही सीम्बंध अधिक होगा, सम्भवता व्यापक बनेगी तथा ग्रनुति अधिक तीव्र गति से होगी और यह भी बहा जा सकता है कि विविधता या विषमता समता की मौलिक भावना के लिए विसर्गत नहीं है। समता का अर्थ एकजैसापन नहीं है। समता का अर्थ सिवकों जैसा एकजैसापन नहीं है। जो भी समता उत्पन्न हो, उसे व्यक्ति के विचास में से उत्पन्न होना चाहिए। व्यक्ति पर सीमाओं या प्रतिबन्धों की लादकर या उनमें

उसे जकड़कर समता नहीं लाई जा सकती। समता का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का विकास। वह जिसमें सिद्ध होता हो, वही बात समाज में की जानी चाहिए और यदि कोई समता को 'एकजैसापन' मानकर समाज में कुछ करने लग जाए, तो फल समता के मोलिक मूलयों को कम करने वाला ही होगा। समता के तत्वों को आर्थिक धोत्र में लागू करना अधिक मुश्किल है। तथा यहाँ भी राज्य ही को अप्रेसर होना चाहिए। इत्ता ही नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी उसे अपने ऊपर लेनी चाहिए। 'तिन त्यवतेन भृत्यौया' यह उपदेश उपनिषद् कात में चला आ रहा है। जो हाथ नहीं लगता, उसका त्याग किया जाता है। हाथ से मठलो निकल गई तो मढ़हारा समझ लेता है, चलो मैंने उत्ता धर्म-कर्म कर डाला। यही अनुभव युगों से चला आ रहा है। जो जहरत से ज्यादा हो, वह माल चोरी का माना जाए, वह सिद्धान्त बहुत पुराना है। मार्कम ने 'अतिरिक्त मूल्य' (सरप्तस वैल्य) के सिद्धान्त द्वारा उसको आधुनिक जामा 'पहना दिया है। तो भी आवश्यकताओं की इतनी वृद्धि की जा रही है कि, जो कुछ हाथ लगता है, या जो कुछ हाथ लगेगा, वह अधिक सिद्ध ही नहीं होता, उलटे कम प्रतीत होता है। महत्वाकांक्षा तथा लोभ की न तो पहले ही कोई सीमा निर्धारित थी न आज ही है। लोगों की सदूमादना पर, समाज में निर्भाण होने वाली सम्पत्ति का वितरण जब तक आधित रहेगा, तब तक आर्थिक दृष्ट्या विप्रमता ही समाज का 'एकमात्र स्थायी भाव बनी रहेगी। जो सम्पत्ति अपने पाम है, वह परोपकारार्थ है, यह कहने के लिए कोई नाराज नहीं होता : पर करने का ही सला किमी में नहीं। 'दानं सविभागः' यह सही है। दान का अर्थ है, सम्पत्ति का सम्यक् एवं समान विभाजन। पर इस किरम का दान तो कोई भी नहीं करता। जीवन-काल में तो कोई करना ही नहीं ; मरने के बाद भी मृत्यु-पत्र द्वारा वह यह लिख जाता है कि उसके घन का उपयोग उसकी इच्छा के अनुगार ही किया जाए और कानून भी ऐसा करने की स्वीकृत देता है। मृत व्यक्ति की इच्छा उसकी अंजित सम्पत्ति पर तकाक नाग की भौति पहरा देती रहती है। इन भव वार्तों को देखते हुए आर्थिक समता की अनायास स्थापना मुरारों अवश्य है और यदि स्थापना हुई भी तो उसका टिक्का मुश्किल है। अब तक का संकार का अनुभव हमें यही बताता है। तात्पर्य यह है कि आर्थिक समस्या का प्रयत्न राज्य का कर्तव्य मानकर १६वीं मदी से लेकर दुनिया के विभिन्न राज्यों ने इस दिशा में कोशिश की है। २०वीं मदी में तो इस दिशा में और भी बड़े प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से गत १०० वर्षों में वाप्ती बड़े पैमाने पर यह आर्थिक स्वतन्त्रता दृष्टिगोचर हो रही है। पर उसे पैमाने पर आर्थिक समता के दर्शन नहीं हो पा रहे। आर्थिक समता का विचार दो दृष्टियों से किया जाना चाहिए। एक दृष्टि यह कि आर्थिक समता एक प्रतिष्ठा है तथा इसी प्रकार आर्थिक समता के विचार में सम्पत्ति एवं प्राप्ति का भी विचार आता है। प्रतिष्ठा की दृष्टि से विचार करने यथा वी उत्पादन व्यवस्था तथा उसके संगठन एवं प्रक्रिया का विचार करना पड़ता है। कारगाने पर राष्ट्र का स्वामित्व होने पर भी यह देखना जरूरी है कि उसमें काम करने वाले मजदूरों एवं अवक्षेपक लोगों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। पूँजीयादो व्यवस्था में असतीत् आर्थिक

है। पराः गृहाणम् प्राचीनस्य विद्या हर वर्णिता को प्राचीन शास्त्रों में भास्ति, और यदि विद्या की ओर प्रधिक प्रकाश हो तो उग्री गृहिणा गृहण को प्राचीन भास्ति। विद्या एव गृहण के धोत्र में १०० प्रतिशत गमता का व्याप्ति हीं तो पर राष्ट्र ही मृणन्ता का दोष विद्य होगा। पहली बात तो यह है कि विद्यारी व्याहरिता है, उत्तरो व्याहरिता है। प्रत्येक 'मुण्ड' में 'मति' की 'भिन्नता' भी पर विमर्शित गया है। इस गमता को उदायासा नहीं जा सकता। व्यविधि की इकट्ठा में भी यदि इन गोप्यों ने हम आपेक्षित होती-कही व्यविधि पर गमता का साक्षा उग्री गृहण का प्राचीन बनता विद्य होगा है। यदि ऐसा विश्वास कर दिया जाए, कि इर वाँद वार ही विद्या की उम्मतें पड़े, एह ही विद्या के नाटक तथा विद्यारी विनाट देंगे, तो इनमें गमता तो स्थानित ही जाएगी, पर व्यविधि की स्थानिता का राष्ट्र ही प्राचीन हो जाएगा। जो विनार गुहारात के दिमाण में आने हैं, यही हर व्यविधि के विमाण में आने देंगा होना तो अमर्भव है ही, पर इगरी उम्मीद करना भी विवाही से कम नहीं है। विश्वविद्यालय का तत्त्वज्ञ, मामलेश्वार की एच्यूरी में वाम वरने वाला वारण, वप्पें की दुरान में गज सेफर करके फाटने वाला विरोगी, वृष्यवार वाग में कूँभी और वाल्टी हाय में लिए गठा रहने वाला रणरेज भादि लोगों की मानविक भूमि गमता नहीं है। घन-उनमें समान विचारों की उपज नहीं हो सकती। गुरु एवं हो पाठ प्राप्ति गव विष्यों को पढ़ाता है, पर उमरा फन जुश-जुदा देखने को मिलता है। आदान गे बग्गने वाला साफ पानी जही-जही विरेगा, वही-वही जमीन के गुण-प्रमों के अनुसार अलग-अलग स्वाद का हो जाएगा। इसी प्रवार दूसरी बात पह है कि समाज में व्यविधि जिम काम को करना है, उसके मन की रेखना भी उसके अनुसार नथा उसके लिए उचित स्पष्ट धारण करती चली जानी है। दो-चार रेतें के कारकून एक जगह जमा हो जाएं, या दो-चार मिन के मजदूर एक जगह जमा हो जाएं या दो-चार यातादार एक जगह जमा हो जाएं, तो आप देखेंगे कि इत्येक समूह की चर्चा पा विषय एक-दूसरे से जुदा होगा। इत्ता ही नहीं, आप देखेंगे कि सब लोग आमतौर से घपने-घपने व्यवसाय के बारे में ही बात-बीत करेंगे। इन दोनों बातों का विचार करने पर आप पाएंगे कि स्वाभाविक विविधता एवं व्यावसायिक विविध दृष्टिकोणों के बारण सब कहीं समता का होना असम्भव एवं अनुचित है। तथापि इन दो बातों की सीमाओं का अध्याल रखते हुए विषमता के प्रकारों को जिता कर किया जा सके, उत्ता अच्छा होगा। समाज में सब कहीं एक-सा पन रहे, तो वही, सम्भव है, अनुसारन रह जाए, पर सौन्दर्य की गारण्टी नहीं दी जा सकती। शोचित्य वा भी विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। सब तो यह है कि, मानवीय जीवन में जिती विषिधता रहेगी, उत्ता ही सौन्दर्य अधिक होगा, सम्यता व्यापक बनेगी तथा प्रगति अधिक तीव्र गति से होगी और यह भी कहा जा सकता है कि विषिधता वा विषमता समता की मौतिक भावना के लिए विसर्गत नहीं है। समता का अर्थ एकजैसापन नहीं है। समता का अर्थ सिवको जैसा एकजैसापन नहीं है। जो भी समता उत्पन्न हो, उसे व्यवित के विकास में से उत्पन्न होना चाहिए। व्यवित पर सीमाओं या प्रतिवर्गों को लादकर या उनसे

उसे जहाँकर समता नहीं लाई जा सकती। समता का मुहूर उद्देश्य है व्यक्ति का विकास। वह जिससे सिद्ध होता हो, वही बात समाज में की जानी चाहिए और यदि कोई समता को 'एकजैसापन' मानकर समाज में कुछ करने लग जाए, तो फल समता के मौलिक मूल्यों को कम करने वाला ही होगा। समता के तत्त्वों को आधिक दोष में लागू करना अधिक मुश्किल है। तथा यहाँ भी राज्य ही को अप्रेसर होना चाहिए। इत्ता ही नहीं, इसकी सारी जिम्मेवारी उसे अपने ऊपर लेनी चाहिए। 'तेन त्यज्वतेन भुञ्ज्वीया।' यह उपदेश उपनिषद् वाल में चला आ रहा है। जो हाथ नहीं लगता, उसका त्याग किया जाता है। हाथ से घटती निकल गई तो भवुहारा समझ लेता है, चलो मैंने उसा धर्म-कर्म कर डाला। यही अनुभव मुगो में चला आ रहा है। जो जहरत से ज्यादा हो, वह मान लोरी का माना जाए, यह सिद्धान्त बहुत पुराना है। मावन ने 'प्रतिरिक्षित मूल्य' (सरप्लस वैल्यू) के मिद्दान्त द्वारा उसकी आधुनिक जामा 'पहना दिया है। तो भी आवश्यकताओं की इतनी बृद्धि की जा रही है कि, जो कुछ हाथ लगता है, या जो कुछ हाथ लगेगा, वह अधिक सिद्ध ही नहीं होता, उसटे कम प्रतीत होता है। महत्वाकांक्षा तथा लोभ की न तो पहले ही कोई सीमा निर्धारित थी न आज ही है। लोगों की सदूमावना पर, समाज में निर्माण होने वाली सम्पत्ति का वितरण जब तक आधिक रहेगा, तब तक आधिक दृष्ट्या विप्रमता ही समाज का 'एकमात्र स्थायी भाव बनी रहेगी। जो सम्पत्ति अपने पास है, वह परोपकारार्थ है, यह कहने के लिए कोई नाराज़ नहीं होता : पर करने का ही सला किसी में नहीं। 'दानं सविभागः' यह सही है। दान का अर्थ है, सम्पत्ति का सम्यक् एवं समान विभाजन। पर इस किस्म का दान तो कोई भी नहीं करता। जीवन-काल में तो कोई करता ही नहीं ; मरने के बाद भी मृत्युभ्रम द्वारा वह यह लिख जाता है कि उसके पन का उपयोग उमरकी इच्छा के अनुगार ही किया जाए और कानून भी ऐसा करने की स्वीकृति देता है। मृत व्यक्ति की इच्छा उसकी अनित सम्पत्ति पर तक्षक नाग की भाँति पहरा देती रहनी है। इन सब बातों को देखते हुए आधिक समता की अनायाम स्थापना सुनरां अशावध है और यदि स्थापना हुई भी तो उसका टिकना मुश्किल है। अब तक का संसार का अनुभव हमें यही बताता है। तात्पर्य यह है कि आधिक समता का प्रयत्न राज्य का कर्तव्य मानकर १६वीं सदी से लेकर दुनिया के विभिन्न राज्यों ने इस दिशा में कोशिश की है। २०वीं सदी में तो इस दिशा में और भी बड़े प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से गत १०० वर्षों में काफी बड़े पैमाने पर यह आधिक स्वतन्त्रता दृष्टिमोचर हो रही है। पर उत्ते पैमाने पर आधिक समता के दर्शन नहीं हो पा रहे। आधिक समता का विचार दो दृष्टियों से किया जाना चाहिए। एक दृष्टि यह कि आधिक समता एक प्रतिष्ठा है तथा इसी प्रकार आधिक समता के विचार में सम्पत्ति एवं प्राप्ति का भी विचार आता है। प्रतिष्ठा की दृष्टि से विचार करने समय देश की उत्पादन व्यवस्था तथा उसके संगठन एवं प्रक्रिया का विचार करना पड़ता है। कारखाने पर राष्ट्र का स्वामित्व होने पर भी यह देखना जहरी है कि उसमें काम करने वाले मजहूरों एवं व्यवस्थापक लोगों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। प्रौद्योगिकी व्यवस्था में अर्थात् आधिक

विषमता वाली व्यवस्था में इन दोनों धर्मियों के लोगों के जीवन-स्तर में तथा आमदनी में अन्तर रहेगा। ऐसी स्थिति में समता की प्रतिष्ठा वहाँ नहीं हो सकेगी। उत्पादन समान रूप से हुआ हो, तथा मान लीजिए, आमदनी भी न्यूनाधिक मात्रा में सबकी समान रही हो, तो भी हम देराते हैं कि, इत्ते भर से समता का भाव उत्पन्न नहीं होता। जब तक उत्पादन एवं निर्माण के कार्य में ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी क्रिया में नगे हुए कार्यकर्ता लोग यह अनुभव नहीं करेंगे कि हम सब एक ही दर्जे के भागीदार हैं, तब तक समता भाव वहाँ पनप नहीं सकेगा। अतः प्रतिष्ठा की दृष्टि से समता भाव को पनपाना हो तो सारे औद्योगिक क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की संगठन की भावना काम करनी चाहिए, जिसमें मजदूर एवं मैनेजर, हयोडे से करम करने वाले एवं कलम से काम करने वाले सब लोग अपने को एक ही भूमिका पर अनुभव वरें। इस दृष्टि से विचार करने से यह साफ हो जाता है कि यह समता तभी सम्भव है, जब इन उद्योग-धन्यों का नियन्त्रण एवं नियमन सरकार के द्वारा किया जाए। अन्यथा नहीं। तब ये प्रश्न महत्व के हो जाते हैं कि सरकार यह सब क्व करे, किसी मात्रा में करे तथा किस प्रकार करे। तथापि यहाँ इन प्रश्नों का विचार करने की आवश्यकता नहीं। मुख्य मुद्दा यह है कि समता का बातावरण उत्पन्न करने के हेतु प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा के समान हो होनी चाहिए। प्रतिष्ठा एवं साख में, आमदनी एवं सम्पत्ति में विषमता का रहना भी ठीक नहीं। अतः राष्ट्र की सम्पत्ति के तथा चाल आमदनी के बीच की विषमता को दूर करने का काम भी राज्य ही को करना होगा और इस दृष्टि से सम्पत्ति के वितरण तथा उसके सम्बन्ध में गत ६० वर्षों में, आधुनिक राज्यों द्वारा, सर्वथा पूँजीवादी राज्यों द्वारा भी, प्रयत्न किए गए हैं। नाना प्रकार के बाल लादकर चालू आमदनी एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य लीच लेता है। इसी प्रकार मजदूरी बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी की रकम निश्चित करके, नाना प्रकार की सुलु सुविधाओं वा प्रबन्ध करके सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक सर्वं करके आमदनी की विषमताको कम करने के प्रयत्न सब कहीं हो रहे हैं। नि शुल्क शिक्षा, नि शुल्क डॉक्टरी, सहायता आदि वातों को अच्छीकार करके समाज के कम आमदनी वाले लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा किया जा रहा है। जिसके पास आवश्यकता से अधिक है, उसकी दान बुद्धि पर भरोसा न रखकर आजकल के राज्य कर के रूप में उसकी आमदनी में से अपना हिस्सा ले सेते हैं तथा जिनके पास कुछ भी नहीं या आवश्यकता से कम है, उनकी सुरक्षा-सुविधाओं वा प्रबन्ध इस प्रकार प्राप्त धनराशि से किया जाता है। रूपें पैसों की दृष्टि से जो लोग ऊँचे हैं उन्हें नीचे लाने तथा जो नीचे हैं उन्हें ऊपर लाने वी इन दो क्रियाओं द्वारा आर्द्धिक समता वा समनन निर्माण करने के प्रयत्न सब वही किए जा रहे हैं। तो भी यह कहना होगा कि केवल कर सेने तथा समाज कल्याण के बायंक्रम को हाथ में लेने ही से आर्द्धिक विषमता बहुत बड़े पैमाने पर दूर नहीं हो सकती। यह इन्हें तथा अमेरिका वा अनुभव हमें बनाता है। आवश्यकता से अधिक आमदनी होने पर लोग बचत करना आरम्भ कर देते हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं में प्राप्त अनुभव हमें बनाता है कि इष्ट प्रकार से बचत इसे बालों की

मंहिरा बढ़ती जा रही है। हाल ही में किन्हीं थोड़ों में इस मामले में जीव की गई थी; उसी से यह जानकारी प्राप्त हुई है। हम देखते हैं कि वही-वही मालिक और मजदूर दोनों ने मिलकर धन्ये वीं भागीदारी का तत्व स्वीकार किया है तथा उसके फलस्वरूप, प्रनेश स्थानों पर स्वामित्व के दो अधिकार जो इन-गिने आदिसिद्धों के हाथ में रहा करते थे अब अधिक लोगों के हाथ में चले गए हैं। तथापि यह नहीं वहा जा सकता कि इसमें आर्थिक समता स्थापित हो गई है। आज अमेरिका में पूँजी लगाने वालों की संस्था पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो गई है। वोमा करवाने वालों की संस्था भी अधिक हो गई है। तो भी ममाज के सभी व्यक्तियों को इस व्यापक स्वामित्व के अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। यह ठीक है कि लोग पहले के मुकाबले ज्यादा मालदार हो गए हैं; यह भी ठीक है कि देश में पहले के मुकाबले मध्यांद बढ़ गई है; तथापि देश की कंपाली तथा साम्यतिक विषयमता में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। कोई स्वेच्छा से भले ही भागीदारी में उत्पादन करे, या सारा उत्पादन राज्य के नियन्त्रण या स्वामित्व में दे डाले; पर इसका निश्चित उद्देश्य होता चाहिए—आर्थिक समता की स्थापना। इस मामले में अधकचरे प्रयत्नों से काम नहीं चलेगा। जब तक व्यक्तिगत थोड़ा देने तथा ढेर सारा पेट में कर लेने की कोशिका जारी है, तब तक नहीं मानों में आर्थिक समता वीं स्थापना नहीं हो सकती। अधिकांश लोगों द्वारा घोड़ा-न्या अधिक मिल जाने से ही काफी सुनी होती है। पर उसका असर उनसी नीतिक भावना एवं आचरण पर पड़ता है। इंग्लॅण्ड के पिछले साल के चुनावों में महीं दृष्टिगोचर हुआ। जिन लोगों के रहन-सहन का स्तर बढ़ गया वे लोग उन्हीं लोगों को भुला दैठे, जिनकी महानुभूति एवं सहयोग से उन्हें यह कल प्राप्त हुआ था। सुनी होते ही लोग आदानों को भूल जाते हैं। मजदूर-न्यल की पराजय का बहुनों ने यही कारण बताया है। सारा का भारा समाज मालदार हो जाए तो भी कोई दावे के साथ यह कह नहीं सकता कि वही आर्थिक समता स्थापित हो ही जाएगी। उलटे, लोग इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि समाज के सघन हो जाने से समाज नीतिक गिरावट का गिरावट बन जाता है।

सही मानों में वैध समता की स्थापना करनी हो तो आर्थिक समता सम्बन्धी प्रतिष्ठा तथा आमदनी की दृष्टि से बहुत मात्रा काम करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि वैध समता केवल मिट्टान्त न बनी रहे, वरन् एक व्यवहारसिद्ध वस्तु बन जाए तो आर्थिक समता के थोड़ा में हमें बहुत ही तीव्र गति से प्रगति करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति नामस्तिकरा की दृष्टि से असल है, ऐसा कह देने भर से समता सिद्ध नहीं हो जाती। जब तक आर्थिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक आमदनी में समता नहीं, तब तक वैध समता एक आदर्श वस्तु ही बनी रहेगी। केवल मनोरथ करने से ही विसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इभीष्ट वस्तु की याचना करने से ही यह थोड़े ही चिन्द होता है कि वह वस्तु मिल भी गई है? अदालत के मामले समानता बरती गई, मतदान के थोड़ा में समानता मिल गई, इससे यह थोड़े ही सिद्ध होता है कि नीकरी के मामले में भी वही व्यवहार होगा? मतदान का अधिकार मिलने का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक खासदार या आमदार हो सकेगा। उलटे, ऐसा अनुभव है कि

सामाजिक तथा पक्षनिष्ठ राजनीतिक कारणों से योग्यता की अपेक्षा उपयोगिता की और अधिक ध्यान दिया जाता है। सेवा की अपेक्षा राजनीतिक सुविधा ही अनिम कसौटी सावित होती है। सत्य की अपेक्षा प्रोप्रेमण्डा को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्येक को भाषण करने की स्वतन्त्रता है, पर आजकल के दिनों में सभा बुलाना तथा उसका इन्तजाम करना पैसे का मामला हो गया है। भले ही कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया भाषण करने वाला हो, पर पैसे एवं वसीले के अभाव में उसकी भाषण इस दरिद्र व्यक्ति के मनोरथ की भाँति उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि सही मानों में व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारी का तभी आमद उठा सकता है, जब उसके पास आधिक समता एवं आधिक प्रतिष्ठा हो। समान नागरिकता के लिए आर्थिक समता की आवश्यकता का यह ग्रथ नहीं कि आधिक समता बिलकुल निरपेक्ष या एक ही नाप की हो। आर्थिक समता वा सम्बन्ध जिस प्रकार हम वैध ग्रथात् कानूनी समता से जोड़ते हैं, उसी प्रकार हमें उस सम्बन्ध को स्वतन्त्रता एवं समता के मुहूर उद्देश्य व्यक्ति विकास के साथ भी जोड़ना चाहिए। व्यक्ति के विकास के लिए, उसकी नैतिक एवं मानसिक पात्रता को बढ़ाने के लिए, उसे बोहिक दृष्टि से सम्पन्न करने के लिए समाज तथा राज्य अस्तित्व में आए हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतन्त्रता तथा समता ये दो साधन हैं। अत. जिती मात्रा में व्यक्ति के विकास के लिए इन साधनों का उपयोग किया जाएगा, उत्ती मात्रा में व्यक्ति को ये साधन उपलब्ध होते जाने चाहिए। समता के नाम पर आधिक क्षेत्र में एक सिरे से सब के साथ एक ही नाप का बरताव करने से व्यक्ति का विकास न होकर हास ही होगा। तथा सामाजिक दृष्टि से सम्पत्ति का अनुचित उपयोग किए जाने की सम्भावना बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति के कन्धों पर एक त्रिता ही बोझ लाद देने से न्याय न होकर अन्याय ही होगा। अत उस्ता ही बोझ लादना चाहिए, जिता वह आसानी से उठा सके। ऐरावत पर अम्बारी रखना उचित होगा पर निझेटी को पीछ पर आनाज की बनी ही रखना उचित होगा। सामान्यतया यह विचारधारा स्वीकार करने योग्य है। उस अवस्था में हमें आधिक मामलों पर विचार करते समय आधिक आमदनी, नैतिक प्रगति तथा व्यक्ति विकास इन तीनों में परस्पर सम्बन्धित होने के उपाय पर विचार करना चाहिए। यह समता काफी कठिन है, इसमें सम्बद्ध नहीं। व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार समान हो, वैध व्यक्तित्व समान हो, यह सबको मन्जूर है। इसे देखते हुए कोई यह सिद्धान्त बना सकता है कि उपरोक्त समता की स्थापना के लिए सम्पत्ति का विभाजन तथा स्वामित्व शातप्रतिशत समान होना चाहिए। उसमें पूर्ण समत्व होना चाहिए। पर योड़ा सा विचार करने पर हम देखेंगे कि यह सिद्धान्त व्यावहारिक दृष्टि से तथा अपने उद्देश्य की दृष्टि से सफल नहीं हो सकता। अत. इस मामले में कुछ निश्चिन एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन करने वाले तत्त्वों को ढूँढ़ निश्चालना चाहिए। अब हमें देखना हूँगा कि यदि हम हाथ में आई सम्पत्ति अयत्रा साधनों के यथाप्रमाण तथा यथोचित उपयोग को कमीटी बनाएं तो

व्यक्ति विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए; समाजगत भाविक साधन सम्पत्ति को दुरुपयोग से बचाने के हेतु विन्ही निश्चित घमोटियों का होना बहुत आवश्यक है, यह हम ऊर कह आए हैं। यह स्पष्ट है कि जिस साधन सामग्री को व्यक्ति के हाथ में देना है, उभका उपयोग करने को धमना उपर्याम है या नहीं यह देख लिया जाए। समोत में रचि हो या न हो, गले में मिठास हो या न हो, समता के नाम पर सबको गारणियों बौठ देना, या संगीत के अन्य साधन बौठ देना स्पष्ट ही सामाजिक सम्पत्ति वा दुरुपयोग है। साथ ही यह मानना भी ठीक नहीं कि एक व्यक्ति जो उपयोग बरेगा, दूसरा व्यक्ति उससे अधिक अच्छा उपयोग करेगा। साधन सामग्री का वितरण करते समय व्यक्ति की विद्यमान पात्रता एवं भूम्भाव्य पात्रता दोनों का विचार किया जाना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य जहाँ विनी घस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वहाँ वह अपनी पात्रता को बढ़ाने की भी कोशिश करना रहता है। अशरो को लिखावट शुच-जुह में अच्छी नहीं होनी पर आगे चलकर वह मुघर जाती है। यह बहुना अनुचित नहीं होगा कि प्रयत्न करने पर जैसे किसी अभीष्ट की प्राप्ति होनी है, वैसे उसमें पात्रता भी आती जाती है। गन्ना जैमे-जैसे बड़ा होता जाना है, वैसे उसमें रस भी बढ़ता जाता है और मिठास भी बढ़ती जाती है। इस बात का रहस्य समझ लेना चाहिए। उम्र की बृद्धि के साथ-नाय समझदारी भी बढ़ती जाती है, यह बहायत सच्चे अनुभव पर आधारित है। मनुष्य के प्रयत्नों का फल उसकी वाहु सृष्टि में तो नजर आता ही है, उसकी मननिक सृष्टि में भी उसका भाषात्मार होता है। किसी शिल्प रचना से उसके रचयिता की कारीगरी का बोध तो होता ही है, पर माथ ही रचयिता में उसके कारण आत्म-विद्वास की भी उत्पत्ति होती है। यह पात्रता की जानकारी, कर्तृत्व विषयक आत्म-विद्वास अपने आप में कित्ता भी वर्णों न हो, केमा भी नव्यों न हो, होता जहर है। प्रत्यक्ष निमित्त वर्म हो सकती है। उसका सौन्दर्य तथा स्वरूप भी सापारण हो सकता है, पर वह कृति हम कर सकते हैं, इस बात की जानकारी उस हृति कितनी ही मरम है। इसका रहस्य यह है कि जो कुछ हम करते हैं, वह हमारा है, ऐसा वह सकने की परिस्थिति होनी चाहिए। वह परिस्थिति ही पात्रता एवं कर्तृत्व को प्रेरणा दिया करती है। एक दृष्टि से यह स्वामित्व एवं संग्रह की वृत्ति ही मनुष्य को प्रयत्न करने की प्रेरणा देती है तथा सुन्त योग्यता को प्रवर्ट होने का अवसर प्रदान करती है और यह किया व्यक्ति के विकास की दृष्टि से एक येल्ड वस्तु समझी जानी चाहिए। किंवद्दना, व्यक्ति विकास की युद्ध तभी अप्रेसर होती है, जब व्यक्ति को लगता है कि वह भी कुछ कर सकता है तथा कुछ हासिल कर सकता है। उस समय व्यक्ति विकास की प्रेरणा अति मूढ़म दृष्टि से तथा मंप्राहु बुद्धि से निर्माण होती है तथा व्यक्ति विकास का फल प्रत्यक्ष संग्रह रूप से ही दृष्टिगत होता है। उस प्रकार फल के दृष्टिगत होने से मनुष्य का व्यक्ति-भाव बढ़ता तथा उत्कर्ष को प्राप्त होता है। हर व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली विकास की प्रेरणा एक नमान नहीं होती और इसी कारण व्यक्ति विकास के फलस्वरूप होने वाली प्राप्ति भी स्वभावतः एक जैसी नहीं हो सकती। उम्रमें ममानता नहीं हो

सामाजिक तथा पक्षनिष्ठ राजनीतिक कारणों से योग्यता की अपेक्षा उपयोगिता की और अधिक ध्यान दिया जाता है। सेवा की अपेक्षा राजनीतिक सुविधा ही अन्तिम कसौटी सावित होती है। सत्य की अपेक्षा प्रोप्रेगेट्ड को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्येक को भाषण करने की स्वतंत्रता है, पर आजकल के दिनों में सभा बुलाना तथा उसका इन्तजाम करना ऐसे का मामला हो गया है। भले ही कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया भाषण करने वाला हो, पर ऐसे एवं वसीले के अभाव में उसकी भाषण कला दरिद्र व्यक्ति के मनोरथ की भाँति उत्पन्न होती है और बिलीन हो जाती है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि सही मानों में व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारों का तभी आनन्द उठा सकता है, जब उसके पास आधिक समता एवं आधिक प्रतिष्ठा हो। समान नागरिकता के लिए आधिक समता की आवश्यकता का यह अर्थ नहीं कि आधिक समता विलक्षण निरपेक्ष या एक ही नाप की हो। आधिक समता वा सम्बन्ध जिस प्रकार हम वैध अर्थात् कानूनी समता से जोड़ते हैं, उसी प्रकार हमें उस सम्बन्ध को स्वतंत्रता एवं समता के मुख्य उद्देश्य व्यक्ति विकास के साथ भी जोड़ना चाहिए। व्यक्ति के विकास के लिए, उसकी नीतिक एवं मानसिक पात्रता को बढ़ाने के लिए, उसे बोहिक दृष्टि से सम्पन्न करने के लिए समाज तथा राज्य अस्तित्व में आए हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता तथा समता ये दो साधन हैं। अत जित्ती मात्रा में व्यक्ति के विकास के लिए इन साधनों का उपयोग किया जाएगा, उत्ती मात्रा में व्यक्ति को ये साधन उपलब्ध होते जाने चाहिए। समता वे नाम पर आधिक क्षेत्र में एक सिरे से सब के साथ एक ही नाप का बरताव करने से व्यक्ति वा विकास न होकर हास ही होगा। तथा सामाजिक दृष्टि से भूमिका का अनुचित उपयोग किए जाने की सम्भावना बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति के कन्धों पर एक जित्ता ही बोझ लाद देने गे न्याय न होकर अन्याय ही होगा। अन. उसा ही बोझ लादना चाहिए, जित्ता वह मामानी से उठा सके। ऐरावत पर अम्बारी रथना उचित होगा पर चिङ्गी की पीठ पर अनाज भी बनी ही रथना उचित होगा। सामान्यतया यह विचारपारा स्थीतार करने योग्य है। उस अवस्था में हमें प्रायिक मामलों पर विचार करते समय आधिक आमदनी, नीतिक प्रणाली तथा व्यक्ति विकास इन नीनों में परस्पर सम्बन्ध बैठाने के उपाय पर विचार करना चाहिए। यह मामला काफी कठिन है, इसमें मन्देह नहीं। व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार गमन हो, वैध व्यक्तित्व गमन हो, यह सबको मन्दूर है। इसे देगते हुए कोई यह निदान देना गहना है कि उपरोक्त गमना भी स्थानना के लिए गमति वा विभाजन तथा स्वामिन्द्र इत्यतिशात् गमन होता चाहिए। उगमे पूर्ण गमन हीना चाहिए। पर योड़ा गा विचार करने पर हम देखते हैं कि यह निदान धारकात्मक दृष्टि से तथा अपने उद्देश्य की दृष्टि से गहन नहीं हो गहना। अन. इस मामले में कुछ निश्चित एवं व्यावहारिक मांदंशंसन करने वाले तरहों को दृढ़ निरानना चाहिए। यद्य हमें देनाना होगा कि यदि हम हाय में पाई गमति घटाना माध्यमों वे योग्यवित्त उपयोग को कंगीटी बनाएं तो क्या होगा।

व्यक्ति विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए; समाजगत भार्यिक साधन सम्पत्ति को दुरुपयोग से बचाने के हेतु किन्हीं निदिवित वर्गोंटों का होना बहुत आवश्यक है, यह हम कार वह भाए हैं। यह स्पष्ट है कि जिस साधन रामग्री को व्यक्ति के हाथ में देना है, उसका उपयोग करने की क्षमता उसमें है या नहीं यह देख लिया जाए। संगीत में रचना हो या न हो, गते में मिठाम हो या न हो, समता के नाम पर सबको मारगियी बौठ देना, या संगीत के अन्य साधन बौठ देना स्पष्ट ही सामाजिक सम्पत्ति का दुरुपयोग है। साथ ही यह मानना भी ठीक नहीं कि एक व्यक्तित जो उपयोग करेगा, दूसरा व्यक्ति उससे अधिक धन्दा उपयोग करेगा। साधन सामग्री का वितरण करते समय व्यक्तित की विद्यमान पात्रता एवं सम्भाव्य पात्रता दोनों का विचार किया जाना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मनुष्य जहाँ किनी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वही वह अपनी पात्रता को बढ़ाने की भी कोशिश करता रहता है। अशरों की लिसावट गुह-गुह में भड़ी नहीं होनी पर आगे चलकर वह सुधर जाती है। यह वहना अनुचित नहीं होगा कि प्रयत्न करने पर जैसे विसी अभीष्ट की प्राप्ति होनी है, वैसे उसमें पात्रता भी आती जाती है। गत्वा जैमे-जैमे बढ़ा होता जाता है वैसे-वैसे उसमें रम भी बढ़ता जाता है और मिठास भी बढ़नी जाती है। इस बात का रहस्य समझ लेना चाहिए। उम्र की वृद्धि के साथ-साथ सुमझदारी भी बढ़नी जाती है, यह वहावत सच्चे अनुभव पर आधारित है। मनुष्य के प्रयत्नों का फल उसकी बाह्य सृष्टि में तो नजर आता ही है, उसकी मानसिक सृष्टि में भी उसका साक्षात्कार होता है। किसी प्रियत्व रखना से उसके रखियाँ की कारीगरी का बोध तो होता ही है, पर साथ ही रखियाँ में उसके बारण आत्म-विद्वास की भी उत्पत्ति होती है। यह पात्रता की जानकारी, कर्तृत्व विषयक आत्म-विद्वास अपने धारप में किता भी क्यों न हो, कैसा भी क्यों न हो, होता जहर है। प्रत्यक्ष निमित्त कम हो सकती है। उसका सौन्दर्य तथा स्वरूप भी साधारण हो सकता है, पर वह कृति हम कर सकते हैं, इस बात की जानकारी उस कृति जितनी ही मत्य है। इसका रहस्य यह है कि जो कुछ हम करते हैं, वह हमारा है, ऐसा कह मकने की परिस्थिति होनी चाहिए। वह परिस्थिति ही पात्रता एवं कर्तृत्व को प्रेरणा दिया करती है। एक दृष्टि से यह स्वामित्व एवं संश्रह की वृद्धि ही मनुष्य को प्रयत्न करने की प्रेरणा देती है तथा मुक्त योग्यता को प्रकट होने का अवसर प्रदान करती है और यह किया व्यक्तित के विकास की दृष्टि से एक थोड़ा बहुत समझो जानी चाहिए। किवहना, व्यक्तित विकास की वृद्धि तभी अव्यैसर होती है, जब व्यक्तित को लगता है कि वह भी कुछ कर सकता है तथा कुछ हामिल कर सकता है। उस समय व्यक्तित विकास की प्रेरणा अति गूढ़म दृष्टि से तथा मग्नाह्य वृद्धि से निर्माण होती है तथा व्यक्तित विकास का फल प्रत्यक्ष संश्रह रूप में ही दृष्टिगत होता है। उस प्रकार फल के दृष्टिगत होने से मनुष्य का व्यक्तिभाव बढ़ता तथा उत्कर्ष को प्राप्त होता है। हर व्यक्तित में उत्पन्न होने वाली विकास की प्रेरणा एक समान नहीं होती और इसी कारण व्यक्तित विकास के फलस्वरूप होने वाली प्राप्ति भी स्वभावत एक जैमी नहीं हो सकती। उसमें समानता नहीं हो

सबती। इस प्रकार की आरम्भ तथा अन्त में दिलाई देने वाली विप्रता को दूर करना सम्भव नहीं और यदि वह समाप्त हो जाए तो शायद विसी भी व्यक्ति के मन में उपार्जन एवं प्राप्ति के लिए प्रयत्न यरने की इच्छा ही नहीं होगी। किंवद्बा, व्यक्ति विकास की प्रेरणा ही समाप्त हो जाएगी और तब यह सब समाज के भौतिक एवं आध्यात्मिक विनाश का कारण बन जाएगा। तब सबाल यह पैदा होता है कि प्राप्ति के माप से जो विप्रता दृष्टिगत होती है, उसे वैसे दूर किया जाए। प्रेरणा में जो विप्रता निवास करती है, उसको दूर करना सामाजिक प्रयत्नों के बहुत की बात नहीं है। प्रेरणा-नगत वृद्धि को रोकने के लिए प्राप्तिगत विप्रता को इस प्रकार दूर किया जाए? जो प्राप्ति प्रयत्न का फल नहीं है, उसे हर कोई अनुचित मानेगा। जिस प्राप्ति का सम्बन्ध प्रयत्न से नहीं है, जो सामाजिक परिस्थिति के कारण या दैवयोग से मिली है, उसे पूरी तरह से उसी के पास रहने देना, जिसे वह मिली है, अनुचित है, यह सिद्धान्त भी स्वीकार किया जा सकता है। उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति के लिए व्यक्ति वा प्रयत्न विशेष कारणीभूत नहीं होता। किसी की इच्छा को ध्यान में रखकर उसे जन्म नहीं दया जाता। व्यक्ति से कोई पूछता नहीं कि उसे वहाँ जन्म देना चाहिए। अपने बाल-बच्चों को सुस्थिति में देखने के लिए सोग प्रयत्न करते हैं। सम्पत्ति का उपार्जन वरते हैं। परन्तु वह प्राप्ति अथवा सम्पत्ति उसके प्रयत्न का फल है, बाल-बच्चों के प्रयत्न का नहीं। इस दृष्टि से उत्तराधिकार में मिलने वाला धन प्रयत्नों का फल नहीं है। यदृच्छा से अथवा दैवयोग से यह सब होता है। अतः राज्य को इस बात का नैतिक अधिकार है कि उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति के कारण उत्पन्न होने वाली विप्रता को कम करने का प्रयत्न करे। इसी प्रकार यदि प्रयत्न एवं प्राप्ति का अनुपात विप्रता हो, तो राज्य को प्राप्ति तथा सम्पत्ति को अपने हाथ में लेने का पूरा नैतिक अधिकार है। यहुत दफा राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थिति के कारण व्यापार में बहुत भारी नक्ष होता है। ससार में युद्ध शुरू हो गया, कुछ बस्तुएँ घलभ्य हो गईं, साथ ही चीजों के दाम बढ़ गए और आदमी को भारी नक्ष हुमा। यहाँ जो कुछ हुमा उसमें आदमी के अपने प्रयत्नों का कुछ भी हाथ नहीं है। अतः इस रीति से प्राप्त हुई सम्पत्ति यदि राज्य ले-ले तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। सामान्यतया यह वहा जा सकता है कि जहाँ प्रयत्न एवं प्राप्ति में ठीक अनुपात नहीं है, वहाँ राज्य को इस विप्रता को दूर करने का पूरा अधिकार है।

विवेकहीन दृष्टिकोण से आर्थिक समता स्थापित करने का प्रयत्न अनुचित है। उससे व्यक्ति के प्रति अन्याय हो होगा ही, समाज की प्रगति में भी झक्कावट पड़ेगी। उस समय कुछ करने-परने की साध ही नहीं रह जाएगी। ऊर चढ़ने तथा आगे चढ़ने की स्फूर्ति लुप्त हो जाएगी। जब तक समाज में थोड़ी-बहुत विविधता एवं विप्रता नहीं रहती, तब तक प्रयत्नों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। पहाड़ की चोटी नजर आती हो, तो उस पर चढ़ने की भावना जोर मारती है। समाज यदि सर्वथा विविधता शून्य हो—एकदम सपाट हो—समता-युक्त हो, तो उसकी प्रगतिशीलता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा

जा सकेगा। लोगों की प्रथनशक्ति को बढ़ावा देने वाला तथा प्रयत्न करने वाले को प्राप्ति विषयक विद्वास दिलाने वाला बातावरण रहे तो समाज में थोप्छ एवं उत्कृष्ट भावनाएँ काम करने लगती हैं। कर्तृत्व चौगुना हो जाता है; व्यक्ति विकास को बल मिलता है तथा वह समाज मन्दगति न रहकर प्रगतिशील हो जाता है। तब आदर्शों की दिशा में उसके कदम तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उस समय समाज की आर्थिक दशा एकदम ऊच्छृंखल हो जाती है तथा किसी प्रभार का कोई अकुम रह नहीं जाता। जैसे कि हम ऊर कह आए हैं, जहाँ प्रयत्न तथा प्राप्ति में कोई अनुपात नहीं है और यदि है तो अनुचित अनुपात है, वहाँ राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा जो आर्थिक विप्रमता उत्पन्न हो गई है, उसे दूर करना चाहिए। किंवद्दना, वैध समता को पूर्ति के लिए राज्य का ऐसा करना कर्तव्य हो जाता है। यह हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ आर्थिक विप्रमता होगी वहाँ सामाजिक समता का पनपना असम्भव है तथा राजनीतिक समता अर्थहीन हो जाती है और वैध समता के बल विताव में ही धरी रह जाती है। अतः जहाँ-जहाँ आर्थिक विप्रमता दृष्टिगोचर होती है, वहाँ-वहाँ मरकार को हस्तक्षेप करके, कानून बनाकर उसको दूर करना चाहिए। समता का विचार केवल समता की ही दृष्टि में करने से काम नहीं चलेगा। समता का तत्त्व निरपेक्ष नहीं है, यह हम पीछे बह आए है। समता तथा स्वतन्त्रता एक प्रभार से प्रजातन्त्री जीवन की दो श्वाम नलियाँ हैं। अतः इन दोनों का सामन्जस्य बहुत जरूरी है। तथा यह सामन्जस्य वहाँ सम्भव है, जहाँ बन्धुता होगी। अतः बन्धुता की कल्पना के माय भी इन दोनों कल्पनाओं का सामन्जस्य होना चाहिए। केवल स्वतन्त्रता पर ही बल देने से काम नहीं चलेगा। 'स्वतन्त्रता या समता' यह सवाल कुछ एक राजनीतिज्ञों ने भारत में उत्पन्न किया है। हमें स्वतन्त्रता और समता दोनों ही चाहिए। स्वतन्त्रता हमें मिल चुकी है तथा समता की दिशा में हमारा इतिहास बदम रख रहा है। बहुत दफा ऐसा होता है, कि जो तत्त्व नया-नया आता है, उसके प्रति अधिक अनुराग प्रदर्शित किया जाता है। पर ऐसा करना बाज औकात बहुत खतरनाक सावित होता है। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतन्त्रता की प्रेरणा भले ही प्रथम हो तो भी समता की कल्पना उसके प्रयत्नों का चैतन्य है। यह सच है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् उसी में से समता प्राप्त होती है, तो भी यह प्रसूति सुलभ नहीं होती। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अनेक हृदय समाज रूप से स्पन्दन करते हैं। अनेक जिह्वाएँ एक ही भाषा बोलती हैं। तथापि समता के प्रयत्नों में यह एकता, यह 'समानी आकृति' तथा 'समाना हृदयानि' दृष्टिगोचर नहीं होते। 'जितने व्यक्ति उतनी ही प्रकृतियाँ' इस न्याय से ईर्ष्या, गत्सर आदि भाव उत्पन्न हो जाते हैं। स्वतन्त्रता के कलस्वरूप कल तक दिलाई देने वाली एकता आज लुप्त होनी जा रही है, अतः समता के दिलार तक पहुँचने की कामना करने वालों तथा नवीन समाज की निर्मिति करने वालों को अधिक साधारणी से काम लेना चाहिए। पहले उन्हें चाहिए कि संविधान में लिखित समान अवसर वाली वात को मार्यंक करें। अबमर।

मिलने पर ही मनुष्य का कर्त्तव्य उभरता है। गाने का अवगर मिलने पर ही जाना जा सकता है कि गले में मिठाम है या नहीं। स्वतन्त्रता का अर्थ है गुनामी में सूटकारा तथा आर्थिक समता का अर्थ है गरीबी एवं दुर्ग को गुनामी से सूटकारा, ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं। आर्थिक समता का अर्थ है रामान् प्रतिष्ठा तथा गुणों से सम्बन्ध रखने वाली विषमता। स्वतन्त्रता की प्राप्ति अब भारत को ही चुकी है; अब आर्थिक विषमता को दूर भगाना है। तथा ऐसे नए समाज की स्थापना करनी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रतिष्ठा प्राप्त हो एवं खेली न्यायपूर्ण आर्थिक आय हो। चैकि राव समान होगे इसलिए राव गुणी भी होंगे और तभी स्वतन्त्रता का सच्चा अनुभव लोगों को प्राप्त होगा तथा राज्य ने कानून द्वारा जो समता प्रदान वी होगी वह सार्थक हो जाएगी।

स्वतन्त्रता तथा समता में कोई विश्लेषण नहीं है। सबल 'यह या वह' का नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं। तथा सारे समाज में इस भावना का मौजूद होना ही बन्धुता है, ऐसा हम वह सकते हैं। 'एक के विरद्ध एक' इस भाव के नष्ट होते ही 'एक और एक' ऐसा मगठन का भाव उत्पन्न होता है और विरोध के दूर होते ही सहयोग का बातावरण निर्धारण होता है। जहाँ समस्तिभाव आया—सबके सुख का भाव आया कि वहाँ बन्धुता अपने आप आ जाती है। यह हमारा है ऐसा कहते ही हम उसके हो जाते हैं तथा 'हम और वह' ऐसा भेदभाव लिलीन हो जाता है और तब भावनात्मक एकता स्थापित हो जाती है। अपने जीवन की न्यूनताओं की भरताई के लिए औरों के जीवनों में न्यूनता लाने का प्रयत्न जैसे अनुचित है, वैसे ही अपने को अधिक की आवश्यकता है अबवा अपने पास अधिक मौजूद है, इसलिए औरों के पास मौजूद चीजों को उनसे ले लेना या उनको न देना भी अनुचित है। तथा जहाँ इस प्रकार की वृत्ति वकीर होगी वहाँ भावनात्मक एकता नहीं रह सकती। सामुदायिक हित में व्यक्ति का हित है तथा 'सर्वेयामविरोधेन' इस वृत्ति से जहाँ व्यक्ति उपभोग करता है, वहाँ बन्धुता निवास करती है; भावनात्मक एकता निवास करती है। जहाँ लोगों से लेने या खसोटने की वृत्ति न होकर देने की तथा दान करने की वृत्ति है, वही बन्धुता निवास मरती है। समता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुता ये तीनों कल्पनाएँ विकल्पात्मक नहीं हैं। उनके बीच एक प्रकार की मौजिक एकता है। किंवद्दना, एक ही बीज में से फूटने वाली अनेक कौपलों की तरह उनकी अवस्था है। तथा यह जो मौजिक एकता है, उसी का नाम है न्याय। राज्य समाज को इसी न्याय के प्रदान करने की प्रतिश्वास करके जन्म लेता है। राज्य नामक सगठन का उद्देश्य अबवा प्रयोजन राज्य के हर व्यक्ति को तथा सामुदायिक दृष्टि से समाज को न्याय देना है। तथा इसी विचार से एवं इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समाज में स्वतन्त्रता, समता एवं बन्धुता का उपयोग किया जाता है। राज्य नामक सम्प्रयाप्त है, उनके बाप्त का निवारण किया जाना चाहिए। स्वतन्त्रता, समता आदि के मामले में अधिकारों की

निपिति करके राज्य उन अधिकारों की सार-सेभार करता है तथा उनका पुरस्कार करता है। ऐसा करते समय राज्य स्वतन्त्रता देकर भवना का, अथवा स्वतन्त्रता और समता देकर बन्धुता का उच्छेद नहीं करता। राज्य के नागरिकों के सम्बन्धों का कुछ ऐसा लाना-बाना वह करता है, जिससे मुख एवं मन्तोप का महावरथ बुना जा सके और उसका यह सब काम भीलिक न्याय भावना के अनुसार ही हुआ करता है। न्याय की कल्पना केवल तात्त्विक सिद्धान्त या निराकार कल्पना की अपेक्षा कुछ न कुछ साकार तथा साधात् स्वस्थप की होती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय की कल्पना भौजूद रहती है। न्याय का प्रत्येक स्वस्थप उसकी आँखों के सामने माधारणतया भौजूद रहता है। 'मिठास' कहने पर मनुष्य के मन के सामने कोई निराकार वस्तु नहीं आती वरन् उनका आकार चीनी की शबल में, गुड़ की शबल में, आमों की शबल में, शहूद की शबल में—किमी न किसी शबल में आकार के बढ़ा हो जाता है। न्याय-विधयक यह कल्पना अनेक युगों से मनुष्य के मन में है। अनेक संत्कारों द्वारा वह आकार घारण किए हुए है। तथा यह किया अनन्त वाल तक चलनी चली जाएगी। यद्यपि समाज में जब न्याय की मौत्री की जाती है तथा राज्य की ओर से वह दिया जाता है, तब उसके साकार होने का भाव अधिक रहता है तथा न्याय यह कोरी कल्पना न रहकर एक सामाजिक वस्तुस्थिति बन जाती है। प्रत्येक मन में तट्टियक आकृति उत्पन्न होती है और जब मन अधिक विचार करने लगता है और विचार करते समय प्रत्येक परिस्थिति विचारों के चिह्नों की चौकट आँख देनी है और तब उस चौकट में प्रत्यक्ष न्याय क्षया है इसका चित्र सम्बन्धित मन व्यक्ति करने तग जाता है। समाजनगत मानवी सम्बन्धों को एक दूसरे से जोड़ने का काम न्याय किया करता है। न्याय का अर्थ नीतिमत्ता नहीं। वह नीति का विरोधी भी नहीं। न्याय आचारस्मृति नहीं है। पर आचार-स्मृति से उसकी जान-पहचान अवश्य रहती है। मानसिक मृद्गि में निवास करने वाली कोई अध्यक्षता भी भावना न होकर वह प्रत्यक्ष जीवन में काम करने वाला एक व्यक्तिशाली संकल्प है। व्यक्तियों के मन में क्षया है, इसकी अपेक्षा व्यक्तियों को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात का वह विचार किया करता है। इसके भानी यह नहीं कि व्यक्ति के मन के विचारों को वह नहीं मानता। उसका काम समाज के जीवन को अधिक सुखी एवं शान्त बनाना तथा इस दृष्टि से रास्ते में जो खालियों आती हैं, उनको दूर करना है। तथा यह सब काम समाज एवं व्यक्ति को आवश्यकताओं तथा समाजनगत नीतिक आदर्शों एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का पूरी तरह विचार करके किया जाता है।

न्यायविधयक-भावना सब प्रकार की स्वतन्त्रता की पृष्ठभूमि है। अतः उसका विचार स्वतन्त्रता की दृष्टि से महरथ का सावित होता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि न्याय को भावना मानसिक मृद्गि में निवास करने वाली भावना नहीं है। तथापि प्रत्यक्ष सृष्टि में, सामाजिक मृद्गि में व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध प्रत्यक्ष आचार नियमों से जुड़े रहते हैं। व्याय भावना में निहित तात्त्विक विचारधारा बायं किया करती है। व्यक्ति न्याय मार्गिता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह ऐसी वस्तु जोशता

है, जो उसके लिए उमकी अपनी दृष्टि में योग्य है। पर इसके माय ही मामान्यतया उसकी यह भी इच्छा रहती है कि औरों का नुसार न न हो। तथा उमकी यह भी इच्छा होती है कि उसके तथा अन्यों के बीच जो मध्यन्ध हो, वे दोनों को मुग देने चाहे हों। पर इन तीनों आचार-क्षेत्रों में उसका आचरण यथार्थ रूप से न्याय भावना गे मुन नहीं हो सकेगा। व्यविनिमात्र को समाजगत व्यवहार में अर्थात् प्राप्ति एव प्रनिष्ठा में उचित हितसा मिल सके इस दृष्टि से जो न्याय-व्यवस्था होती है उसे विभाजनात्मक न्याय कहना उचित होगा। व्यविनियों के आपसी व्यवहार में जहाँ न्याय की दृष्टि से न्यूनता हो, अब वह जहाँ न्याय की दृष्टि से आवश्यक से अधिक पहुँचा हो, वहाँ जब न्याय भावना की दृष्टि से व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था का रूप गदोभनात्मक होता है। किसी को पूरा करने वाला तथा अधिक को कम करने वाला होता है। समाज में केवल एकाक्षीय देना या एकाक्षीय लेना नहीं होता। समाज का व्यवहार एक-मार्गी यातायात जैसा नहीं होता। कुछ लोग उत्पादन करते हैं तो कुछ लोग उपभोग करते हैं। कुछ लोग बेचते हैं तो कुछ लोग मोल लेते हैं। श्रम से मूल्य तथा मूल्य से श्रम ऐसा यह परस्परावलभ्वी सम्बन्ध होता है और इन सब व्यवहारों का साकल्यपूर्वक विचार करके जो न्याय-व्यवस्था बनती है, उसका स्वरूप नि सन्देह समष्ट्यात्मक होता है। वहाँ विचार 'अ व्यक्ति' या 'ब व्यक्ति', 'अ समूह' या 'ब समूह' ऐसा नहीं होता। व्यविन तथा वर्ग किंवद्दा समाज के समप्रहित का विचार उस व्यवस्था में किया जाता है। सक्षेप में कहे तो न्याय-व्यवस्था मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का हर क्षेत्र में तथा हर दृष्टि से विचार करती है। ऐसा करते समय न्याय-व्यवस्था स्वतन्त्रता तथा समता का भी विचार करती है। उपभोग की वस्तु स्वतन्त्रता, अपेक्षित वस्तु समता तथा आवश्यक वस्तु सहयोग आदि सभी का समन्वय करने को न्याय भावना अपना सर्वधेष्ठ कार्य समझती है। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, जो कहते हैं, स्वतन्त्रता चाहिए, समता नहीं। योकि यदि समता शक्तिशाली हो जाए और शत प्रतिशत शक्तिशाली हो जाए तो समाज वर्ग-विहीन हो जाएगा। उसमें विविधता नहीं रहेगी। यदि सबको हर चीज समान मात्रा में मिलने लग जाए और किसी को भी अधिक कमाने तथा अधिक सग्रह करने का अधिवार नहीं रह जाए, तो उसका अर्थ यही होगा कि व्यक्ति को कोई स्वतन्त्रता नहीं है। अत अनेक लोग स्वतन्त्रता के भाष्टे के नीचे खड़े होकर समता पर आक्रमण किया करते हैं। इसी प्रकार स्वतन्त्रता के नाम पर सहयोग तथा वन्धुता की भावना का भी विरोध किया करते हैं। योकि उन्हें डर रहता है कि सहयोग तथा वन्धुता के नाम से समाज की आय तथा सम्पत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व न रहकर समाज का स्वामित्व हो जाएगा और सबका स्वामित्व हो जाने पर तथा व्यक्ति का स्वामित्व न रहने पर व्यविन की स्वतन्त्रता घट जाएगी। इत्ता ही नहीं, व्यक्ति की नैतिक उपराति रुक जाएगी तथा जीवन में किसी प्रकार को प्रेरणा नहीं रह जाएगी। व्यक्ति का कर्तृत्व तभी विकसित होता है, जब उसे इस यात का विश्वास हो कि उसकी मेहनत का

फल उमे मिनेगा तथा उसार उमड़ा स्वामित्व रहेगा। इसमें उमके भीतर के भव्य एवं उत्कट सद्गुणों का उदय होता है। स्वामित्व के मानों हैं, उमभोग, दान, विनियम आदि करने का अधिकार। उत्पादन तो मैं कहूँ, पर थम के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं, सब अधिकार श्रीरों को अद्यवा समाज को चले जाएं तो स्वभावतः मुझे लगेगा कि मैं वेकार की भेहनत वयो कहूँ? सो, इस तरह स्वतन्त्रता एवं समता के बीच जो सघर्ष उत्पन्न हो जाता है, उमे कम करने का बाम न्याय भावना बर्ती है। इत्ता ही नहीं, स्वतन्त्रता के द्वेष में भी अनेक सघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। आर्थिक स्वतन्त्रता और नागरिक स्वतन्त्रता में विरोध उत्पन्न होता है। कभी राजनीतिक स्वतन्त्रता में और नागरिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक स्वतन्त्रता में विरोध उत्पन्न हो जाता है। अतः ऐसे एक तत्त्व यों बहुत आवश्यकता है, जो स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता में मामञ्जस्य एवं सन्तुलन कायम कर सके और वह तत्त्व है इन सीनों के मूल में विद्यमान न्याय भावना। न्याय भावना से यही सम्बोधक न्याय भावना अभिव्रेत है, विनाशक नहीं। जिस प्रकार सोने को कमोटी पर कमकर परखा जाता है तथा किसी वस्तु को तराजू पर तोल कर उसका वजन देखा जाता है, उसी प्रकार समाज की दृष्टि में स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता को योग्यता आदि की न्याय की कमोटी पर परखा जाता है। मनुष्यों में आपस में वया भम्बन्ध हों, उनके आचरण को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने वाले तत्त्वों, आदर्शों आदि का आपस में वया सम्बन्ध हो; मनुष्यों में आपस में तथा तत्त्वों एवं आदर्शों में आपस में वया सम्बन्ध हो यह निश्चित करना न्याय भावना का काम है। जो काम गुलदम्ने की सोदर्यं पूर्ण रचना करने वाले माली वा है, वही काम समाज में न्याय भावना का है।

राज्य का आध्यात्मिक भाव है न्याय और चौकि न्याय की कल्पना में समानता एवं सन्तुलितता है अतः 'न्याय की तराजू' यह दायर-रचना प्रबलित है। हम 'तराजू' को न्याय का प्रतीक मानते हैं। इस न्याय का बाम व्यक्ति-व्यक्ति के बीच, विविध विचारधाराओं के बीच, तथा व्यक्ति एवं विचारधाराओं के बीच एक प्रकार का मनुष्यन कायम करना है। सच्चे न्याय का संदर्भ यही है कि वह किसी एक का पलडा दूसरे के पलडे से ज्यादा भारी न होने दे। समाज की रचना समाज-वादी ढांग की होने के बाद न्याय-भावना में व्यक्ति का विचार करने की जरूरत नहीं, कोई व्यक्ति इस प्रकार का आधेष्ट कर सकता है। समाजवाद ने राज्य में सम्बन्धित व्यक्ति विकास की भौतिक कल्पना का परिस्थान नहीं दिया। उनटे समाजवाद का तो दावा यह है कि समाजवाद ही में व्यक्ति को अधिक न्याय मिलता है तथा व्यक्ति का विकास अधिक होता है। क्योंकि इन बातों का पौष्टक बातावरण समाज-वादी समाज में ही अधिक मिलता है। यह सत्य नहीं कि समाजवादी समाज में व्यक्ति की भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति की इच्छा शक्तिशाली नहीं रहनी यह भी सन्त नहीं। समाज की आवश्यकताएं वस्तुतः समाज के व्यक्तियों की ही आपश्यकताएं हैं। शाषुनिक जग में न तो व्यक्तियों से रहित समाज की करना की जा सकती है और नांहीं समाज से रहित व्यक्तियों की। अतः व्यक्ति के

संतोष के लिए पनाई गई द्वारा में तथा गमारे के पकोड़े में तिए बनाई गई
द्वारा में गोई पर्यवर्तन नहीं गमारना पाइए। जिस प्रारंभिक वर्षा की साथसाथातामों
के तथा द्वितीय वर्षे में दूसरे पकोड़े वर्षों में भी गोई पनाई जा दर्शी है। उसी प्रारंभ गमारिक
नहीं ति गवर्षों द्वारा गोई पनाई जा दर्शी है। गमारिक के मनोरंग में
प्रोटोइं, विविध जरूरतें, विविध दिवसांचय आदि वालों में, सधिरापिक गमारिक
प्रोटोइं विविध दृष्टि में, गमारिक गमारिक गरता गमारिक वा घेय है।
और तब सधिरापिक गमारिक लानि एवं मनोरंग ही गमारिक गमारिक गमारिक
वा नार-दृष्टि विविध हो जाता है। तथा इस नार-दृष्टि सनुगार ही गमारिक गमारिक
गमारिक वर्षों के तिए गमारिक गमारिक वर्षों एवं तद्वारा का विचार करता ही
पर्याप्त नहीं होता। तथापि इस वर्षों के विविध वर्षों एवं तद्वारा का विचार करता ही
कुछ वर्ष नहीं होता। गमारिक वर्षों के विविध वर्षों एवं तद्वारा का विचार करता ही
होनी है और यह सार्वत्र ही राज्य है। जब तब निवित वर्षों पर, उसकी स्वरेता के तेलार
समावेश वानून में नहीं होता, तब तक विविध वर्षों के विविध वर्षों पर, उसकी स्वरेता के
होता। विचारों वा अनुभव जिस प्रारंभ विसों एवं स्वभाविक गमारिक
है, उसी प्रारंभ गमारिक वर्षों के विविध वर्षों एवं स्वभाविक गमारिक वर्षों
है। वानून के माध्यम ही ने विविध वर्षों उसकी मिटाई ही के माध्यम में होता
हो, तो वानून भी नहीं होता और वानून न हो तो गमारिक वर्षों में हुआ वर्ता
हो वस्तु हो जाती है और उसका स्वरूप अनाग्रहित मिटाग वा रात हो जाता है।
राज्य वानून वर्ता वर्ष गमारिक के विविध वर्षों के विविध वर्षों के विविध वर्षों के
जीवन दैर्घ्य में उत्तराखण का प्रयत्न करता है। वानून वह है, जिसका वानून
अनुभव हो। अनेक लोग अनेक वार वानून की पृष्ठभूमि को भुला देते हैं। वानून वा
जो हृषि लोगों के मामने आता है, वह हृषि की दावत का होता है। उसका उल्लंघन
करने वालों को इकंकि सजा भोगनी पड़ती है, अत तागरिकों का ध्यान उसके
अभीट एवं निवित हृषि की ओर नहीं जाता वरन् उनके सामने कानून का भीतिप्रद
स्वर हो रहता है। वास्तव में जो कानून होता है, वह विसी अन्तरिया में उत्पन्न नहीं
होता या आसमान से जमीन पर नहीं आता। उसके पीछे एक निवित तद्वारा
एवं विचार-प्रणाली होती है। एक दीर्घकालिक सामाजिक एवं वैचारिक प्रतिया वा
वह परिणाम होता है। हृषि ग्रीटाया जाता है, तब उसका सोया बनता है और तब
ग्रीटा कर बत्तमान वाल के अनुभव का खोदा तैयार होता है तथा उसमें भवित्य
काल की ग्रासा की चीजों मिलाई जाती है। तब वही कानून का खेडा बनता है।
सामाजिक भन सामाजिक विचारों को जन्म देता है और यह प्रमूलि दीर्घकालिक
प्रयत्नों का कल होती है। इसी सामाजिक विचार का वैध स्वरूप कानून होता है। विसी
— ग्रन्ता सम्बन्ध भूत, वर्तमान तथा भवित्य तीनों वालों से रहता है। विसी

व्यक्ति के मन में कोई सा विचार पैदा हुआ और वह कानून बन गया—ऐसी बात नहीं। भले ही केनियर हमें वेतन देता हो, तथापि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें वेतन देने वाला अमली व्यक्ति कौन है। बनिए से हम अनाज खरीदते हैं, पर हम बनिए को अनाज का उत्पादक कभी नहीं कहते। इसी प्रकार भले ही अधिकार-पद द्वारा कानून की घोषणा हुई हो, पर वास्तव में कानून को बनाने वाला समाज है वह हमें नहीं भूलना चाहिए। कोई एक व्यक्ति या समूह कानून का जन्मदाता नहीं हुआ करता। समूचे समाज की इच्छाओं, अपेक्षाओं तथा अनुभवों पर वह आधारित होता है। ये सब बातें समझ लेने पर यह बात साफ हो जाती है कि कानून भले ही हुबम की शक्ति में हमारे सामने आता हो। पर वास्तव में उसका स्पष्ट आमन्त्रण का सा होता है। अतः जैसा हम पीछे कह आए हैं, कानून के पालन का अर्थ है, अपनी ही आज्ञा का अपने आप पालन करना। समाज की सदसद्विवेक बुद्धि का नाम कानून है, ऐसा जो वहा गया है, भी ठीक हो है। सदसद्विवेक बुद्धि की बातों को सुनना जितना बाढ़नीय एवं हितकर है, उतना ही बाढ़नीय एवं हितकर है कानून का पालन। हुमनुभा होने के कारण कानून पर अमल कराने का काम राज्य किया करता है। जब कानून द्वारा स्वतंत्रता, समता इत्यादि अधिकार घोषित किए जाते हैं, उनकी अवस्था को पेश किया जाता है, तब समाज के लिए उमड़ा पालन अनिवार्य हो जाता है। कानून की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर जब हम विचार करते हैं, तब स्वतंत्रता, तथा अन्य अवस्था, तथा भौतिक अधिकार आदि का उपयोग नामिकों को कानून के अनुसार ही करना चाहिए यह स्पष्ट हो जाता है। दस स्पष्ट के नोट जी कीमत एक दमड़ी की भी नहीं है, उसे जलाकर एक चमचा चाय भी नहीं तैयार की जा सकती, तो भी यदि बाजार में उसे दिया जाए तो दस स्पष्ट कीमत की चीजें मिल सकते का आश्वासन तथा गारण्टी होती है। क्योंकि वह गारण्टी राज्य द्वारा दी गई है। इसी प्रकार स्वतंत्रता की हृष्टि को राज्य के कानून द्वारा स्वीकृति मिली हुई है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास होता है कि हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में हमें स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होगी। जिस स्वतंत्रता को तथा जिन अधिकारों को कानूनी स्वीकृति नहीं प्राप्त होती, वह या वे या तो शैल-चित्ती का सपना साबित होती है या होने हैं, या वह या वे तभी तक आदमी को हासिल होती या होने हैं, जब तक आदमी के बाजुओं में जोर रहता है। जहाँ शक्ति है, वही भक्ति है, जहाँ यह सब कुछ नहीं, वही कुछ भी नहीं। अतः हमेशा कानून द्वारा स्वीकृत स्वतंत्रता होनी चाहिए, कानून द्वारा स्वीकृत समना होनी चाहिए। समाज परिवर्तित होता है, मनुष्य के विचार परिवर्तित होते हैं। ठीक इसी प्रकार कानून भी परिवर्तित होता रहता है। वह कोई नित्य या पत्थर की लकीर नहीं है। मनुष्य बढ़ेगा तो उसका भाग्य भी बढ़ जाएगा, मनुष्य रुदा होगा, तो उसका भाग्य भी रुदा हो जाएगा; मनुष्य चढ़ेगा, तो उसका भाग्य भी चढ़ पड़ेगा। इसी प्रकार यदि समाज अगतिक हो जाएगा, तो कानून भी अगतिक हो जाएगा; यदि समाज चलने लगेगा, तो कानून भी चलने लगेगा; यदि समाज दौड़ने लगेगा, तो कानून भी दौड़ने लगेगा। समाज की अवस्था के अनुरूप की कानून की भी अवस्था होनी चाही

जाएगी। यदि हम वहें फि कानून समाज जीवन का रक्षक, पोषण एवं प्रेरक है, तो हमारा यह वहना उचित ही होगा। एक राजनीतिज्ञ ने यहें ही मुन्द्र शब्दों में कहा है कि राज्य कानून वो सम्भाल भी है और कानून का बाप भी। न्याय-भावना ने राज्य वो जन्म दिया तथा राज्य ने न्याय-भावना को कानून पा रख प्रशान रिया, इस वस्तुस्थिति से कोई दृढ़कार नहीं कर सकता और इग्नोलिंग समाज के स्थापी एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के जीवनों में कानून पा महत्व है।

कानून का महत्व एवं प्रतिष्ठा दृगलिपि है, यदोहि कानून न्याय की तराजू हाथ में लेता है तथा व्यविन-व्यविन के बीच के तथा व्यविन-व्यविन के बीच के सम्बन्धों के पलड़ों को हमेशा वरावर रखता है। कानून का प्रतीक तराजू वो माना जाता है। पर कानून को तत्वधार की उपमा भी दी जाती है। दोनों उपमाप्रो का आशय यही है कि उसी काम को करना तथा अमल में लाना चाहिए, जो उचित है। और इमी कारण अमल कराने के मामले में कानून का शक्ति स्वरूप ध्यान में आता है। हिसां द्वारा समाज में अन्याय या अनर्य न होने देने के लिए कानून बनता है, अतः कानून के हाथ मजबूत करने के लिए हिसा भी अनिवार्य हो जाती है, इस कथन में विरोध है। पर उसके बिना काम भी नहीं चल सकता। यह हम पहले बता आए हैं कि कानून लोगों की स्वीकृति पर आधारित है, अतः उस स्वीकृति को शक्ति-शाली बनाने की दृष्टि से उत्ती ही हिसा काम में लाई जानी चाहिए, जित्ती कानून का पालन कराने के लिए अभीष्ट एवं आवश्यक हो। अत कानून का मुख्य रूप स्वीकृति—जन स्वीकृति है, तथा हिसात्मक रूप गौण है, यह रूपरूप हो जाता है। यह वहना ठीक होगा कि कानून का निर्माण शक्ति में में नहीं हुआ, किन्तु कानून का पालन न होने पर परिणामस्वरूप शक्ति वा उपयोग किया जाता है। सामान्यतया जो बात लोगों को उचित जान पड़ती है, उसे वे प्रसन्नतापूर्वक मान लेते हैं। कानून को मानने की भी इच्छा भनुप्य के मन में तभी उत्पन्न होती है, जब वह उसे उचित जान पड़ता है। अत लोगों की इच्छा प्रवत्त होगी, तो कानून के औचित्य के बारे में लोगों का विश्वास भी प्रवल होगा, यह विश्वास प्रवल होगा, तो कानून का पालन भी प्रवल होगा। उस समय पुलिस वाले का हाथ का इशारा अवश्य काम करता है, पर उसकी कमर से देखा हुआ हथियार नहीं। वह सजावट की दस्तु भर बनकर रह जाता है। सजा या दण्ड कानून की पृष्ठभूमि नहीं है, वरन् कानून की शक्तिशाली पृष्ठभूमि है नैतिकता, इस बात वो भुला देना खतरनाक होगा। कानून का भग करने में व्यवित का कायदा हो तो हो; पर समाज का कायदा तथा राज्य की सुरक्षा उसमें कठर्दि नहीं। शक्ति भवता हिसा कानून का एक गौण स्वरूप है। किबहुना, यदि कानून को भनुप्य की मदसद्विवेक वुद्धि का फल एवं उसका प्रतिनिधि माना जाए, तो उसके हिसात्मक रूप की सकट काल में काम आने वाला एक हथियार समझना चाहिए। कानून का पालन न करने वाले को दण्ड न दिया जाए या उसके लिए इसका प्रवन्ध न किया जाए, तो कानून 'अजागलस्तन' की भाँति एक निरर्थक दस्तु बन जाएगी। उससे समाज की न जोभा बढ़ेगी, न रक्षा ही होगी। कानून के साथ दण्ड एवं सजा सम्बन्धी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

उसका स्वरूप प्रतिबन्धक प्रतिहिसा का हो या सुधार का हो, इस गहराई में जाते की यही जमरन नहीं है, यदोःकि प्रस्तुत सेसफ़ ने अन्य प्रणय में इम विषय का विचार किया है। यहाँ सिर्फ़ इती दात या विचार करता है कि जो भी दण्डव्यवस्था हो वह सामाजिक भलाई के लिए होनी चाहिए। समाज की रक्षा एवं भलाई के लिए जो भी कुछ करना जरूरी हो, यह विया जाना चाहिए। समाज एवं राज्य की स्वतन्त्रता के लिए यदि किन्हीं व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को रद्द करना जरूरी साधित हो, तो वे या जहर करना चाहिए। इसमें किसी के प्रति अन्याय होना है, ऐसा समझने की अवश्यकता नहीं है। सज्जा व्यक्तिगत होनी है; पर वह समाज के सम्बद्ध में दी जाती है तथा उसका परिणाम व्यक्ति के रूप में नहीं; वरन् समाज की रक्षा एवं स्थिरता रूपी पूँजी के रूप में देखा जाना चाहिए।

हर व्यक्ति को प्रतीत होना चाहिए कि बानून या पालन उसका कर्तव्य है। उसका के हर से युरे काम न करना तथा स्वभावतः युरे काम न करना इसमें बहुत बड़ा अन्तर है। किसी भी कारण से क्यों न हो, नीतिक अथवा वैध कानून के पालन को जब कर्तव्य माना जाएगा, तभी समाज की धारणा हो सकेगी एवं राज्य में स्थिरता आ सकेगी। समाज के प्रति अतएव राज्य के प्रति जब तक व्यक्तिमात्र के कुछ कर्तव्य नहीं होंगे, तब तक व्यक्ति भी स्वतन्त्रता तथा गुरुत्वा से बचित ही रहेगा। व्यक्ति को समाज के प्रति विद्यमान अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में कारण अनेक हो सकते हैं, तथापि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, यह बात अवश्य निश्चिन्त होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, राजा विष्णु का अन होता है; अतः उसका वहा मानना चाहिए। यह भी एक विचारधारा रह चुकी है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राज्यसत्ता परम्परा से चली आ रही है तथा राज्यसत्ता का कहा इसलिए मुना जाना है, यदोःकि वैता करना एक प्रया हो गई है। राज्यसत्ता की स्वतंत्रता का विचार करते समय प्रया वाले दृष्टिकोण से विचार करना एकदम अप्रस्तुत सिद्ध होता है। लोग यहते हैं कि भूपियों का कुल नहीं पूटना चाहिए। इसी प्रकार राज्यसत्ता या मूल लोजने में कानूनी मन्तोप नायद महसूग हो, पर प्रस्तुत समय में उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। चुनाईव अथवा बारन हेस्टिङ्ग्स ने जासी काम करके तथा जासी दस्तावेज यन्त्र कर सज्जा हस्तगत की यह सत्य हो सकता है; पर जो सत्ता उनके हाथ आई वह पूरी तरह यरी साधित हुई, दक्षिणाली मावित हुई। चुनावों में भूठमूठ का प्रोपोर्टेंडा किया, लोगों की आंख में धूल भीकी, यह भले ही मत्य हो, पर चुनावों के फलस्वरूप राज्यसत्ता हाथ आई है इम प्रकट भवाई से इनकार करना तिरथंकर है। जब एक यार भत्ता का स्वामित्व हाथ में था गया कि किर वह कैसे हाथ में आया, यह सदात गोण बात ही जाती है। अतः जो भी सत्ता विद्यमान हो, उसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य हो जाते हैं। पर इसके ये मानी नहीं कि मीनूदा राज्यसत्ता को यत्म करने तथा उसमें परिवर्तन लाने का प्रजा को कोई अधिकार ही नहीं है। राज्यसत्ता चलाने वाला कोई योग न हो, पर राज्यसत्ता को समाज में मौजूद रहना चाहिए। अतः उसके प्रति व्यक्ति के कुछ कर्तव्य अवश्य होने चाहिए। किसी मुद्रा पर लगी हुई मुहर बदल सकती है; पर उसमें काम में आने-

याला सोना या रुपा नहीं। मुद्रा की कीमत में परिवर्तन हो सकता है, पर वह निर्मूर्ति नहीं किया जा सकता यह भी उत्ता ही सच है; अतः निर्धारित कर्तव्यों वा पालन व्यक्ति को करना ही पड़ता है। ताजे के रेल में अभीष्ट पत्ते नहीं आए तो उन्हें फिर से पीसा जा सकता है; पर अभीष्ट पत्तों के न आने पर कोई उन्हें पाठकर नहीं फेंकता और यदि कोई फाइकर फेंक देता है, तो फिर ताजे वा रेल ही सत्तम हो जाता है। इसी प्रकार यदि राज्य-विषयक भव्यान् कानून-विषयक निर्धारित सत्यों का पालन व्यक्ति न करे, तो गमाज एवं राज्य का ताजा के पत्तों वा खेत ही सत्तम हो जाएगा। कुछ रोग कहते हैं कि कर्तव्य-पालन व्यक्ति तथा राज्य के बीच हुआ एक स्थायी करार है। यद्यपि यहाँ हम करार सम्बन्धी राजनीतिक तत्त्वज्ञान का सम्पूर्ण विवरण तो नहीं करेंगे तो भी इत्ता जल्द कहेंगे कि इस प्रकार के तत्त्वज्ञान को मानने से व्यक्ति को ऐसी सरकार, जो उसे पसंद नहीं है, बदलने का पूरा नीतिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। करार की शर्तों को निश्चित करने वाला कोई नहीं है, यह सच है, तथापि राज्य के उद्देश्य आधुनिक युग में, राज्य के संविधान में स्पष्ट होते हैं तथा यदि भौजूदा सरकार उनके अनुसार आचरण न करे, तो व्यक्ति के राज्य एवं कानून विषयक स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और उस अवस्था में समय पड़ने पर कर्तव्य का पालन न करना, कानून का भग करना या उसकी अवज्ञा करना क्षम्य एवं नीतिक आचरण सिद्ध होता है।

हम पीछे बता आए हैं कि राज्य का उद्देश्य सब कही न्याय देना तथा न्याय की स्थापना करना है और इसका माध्यम है कानून। सब कही न्याय देने के लिए स्वतन्त्रता, समता एवं बन्धुता की आवश्यकता होती है। किंवदुना, उसके सिवा न्याय, न्याय ही नहीं हो सकता। अतः कानून के पालन का बास्तविक अर्थ है न्याय की कल्पना एवं उसके आदर्शों के अनुसार आचरण करना। कानून रक्षा-क्वच तथा सवर्धक चूतन्य दोनों हैं। दोनों भी हैं और अन्न भी। दोनों अवस्थाओं में पर्य का पालन आवश्यक है। अतः राज्य के प्रति व्यक्ति मात्र का निर्धारित न्यूनतम कर्तव्य है यथाविधि प्रचलित हुए कानून का पालन करना। ऐसा नहीं होगा, तो इससे केवल व्यक्ति एवं सरकार के बीच स्थापित सम्बन्धों में विगाड ही नहीं आएगा बरन् सामाजिक जीवन पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह स्वीकार करना चाहिए कि राज्य के कानून में नीतिकता का होना बहुत जल्दी है। उसमें वह सब होना चाहिए, जो समाज की दृष्टि से बाछनीय है और जब कानून इस दृष्टि से पूर्ण होगा, तब उसका पालन करना शतप्रतिशत कर्तव्य हो जाता है। कानून का यह पालन इसलिए नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक काल में तथा प्रत्येक पीढ़ी ने प्रत्येक काल में राज्यसत्ता के साथ कोई करार किया होता है या कोई श्रीपचारिक प्रतिज्ञा की होती है। यह कर्तव्य-पालन सामाजिक दृष्टि से स्वाभाविक होता है तथा व्यक्ति के जन्म के साथ वह उत्पन्न होता है। न्याय के बदलते ही कानून बदल जाना है और नब उत्ती मात्रा में कर्तव्य का भी रूप बदल जाता है, यह बात सही है, पर अनेक बार व्यक्ति के सामने यह सबाल पंदा होता है कि उसका यह कर्तव्य-पालन राज्य के प्रति है या राज्य जो कानून बनाता है, उसके प्रति है? यदि वह केवल राज्य के

अति हो, तो उस कर्तव्य का स्वरूप भिन्न होगा तथा वेवल न्याय के प्रति हो, तो उमस्से स्वरूप भिन्न होगा। मब कही इम सवाल को बहुत अधिक महत्व प्राप्त होता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति एवं समूह हैं, जो कहते हैं कि राज्य का मौजूदा गठन हमारे नैतिक आदर्शों एवं न्याय-विषयक कल्पनाओं में मेल नहीं खाता। ऐसी अवस्था में सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्तियों को इस मात्रा में कानून का पालन करना चाहिए। राज्य चूंकि सबको न्याय देने वाला सगठन है, अब उसका कहा मानने वी बात से सामान्यतया बोई इनकार नहीं करेगा। पर इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य के मन्त्राधारी अधिकारियों का हर आदेश तथा हर काम न्याय ही होगा। सामान्यतया राज्य का बहा मानने के सिद्धान्त की मीमांसा पर्याप्त स्पष्ट है। जब राज्य औपचारिक रीति से कानून बना कर व्यक्तियों के कर्तव्य का मार्ग निश्चित करना है, तो उस भवय उसका बहा सुनना और मानना व्यक्तियों वा कर्तव्य मावित होता है। ऐसा कहने में कोई अपर्ति की बात नहीं है। व्यक्ति ही सविधान की व्यवस्था के अनुमार अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करते हैं और वही से कानून की निमित्त होती है। समाज की भावनाओं एवं धारणाओं को मुख्यवस्थित रूप देकर कानून बनाया जाता है। उसका जनक जनता ही होती है और चूंकि कानून एवं न्यम हमें ने बनाया है, अब हमें उसका पालन करना ही चाहिए। यह व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है। केवल यह सोचकर कि कानून के कारण उस कर्तव्य को हृदय की भवल प्राप्त हो गई है या उसका पालन न करने से सजा मिलती है, उसको न मानना उचित नहीं। विद्वांश्री ऐतरे की भाँति—‘न मा न मम’ कहने से बाम नहीं चलेगा। इम कर्तव्य में राज्य की नीव जो न्यायविषयक कल्पना है, उसे अधिक महत्व प्राप्त है और सामान्य व्यप से वह बल्कि समाज को स्वीकृत होती है। किसी व्यक्ति अथवा किसी गुट को, किसी विशेष प्रसार में, राज्य की बोई आज्ञा या बोई आदेश पसन्द नहीं आया तो एक भिरे में सबको मब आज्ञाओं को भंग कर देना या कानून को नामजूर कर देना टीक नहीं। कोट में एकाध बटन ज्यादा है या कम है, ऐसा कह कर बोई कोट को फाड़कर फेंक नहीं देता। उसमें आवश्यक सुधार करके नोग उसे अपने काम में से आते हैं। यही बात यहाँ भी समझनी चाहिए।

राज्य-विषयक नत्व ज्ञान को यदि मंशेष में कहना हो, तो वह मानने हैं कि राज्य-नामक संगठन न्याय की स्थापना के लिए है और न्याय का व्यापक अर्थ है व्यक्ति, व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और समाज के बीच मौजूद सम्बन्धों में उचित सामग्रस्य, जिसमें अधिकाधिक लोगों को अपनी अधिकाधिक उन्नति करने का अधिकाधिक भौका मिल सके। जिस प्रकार गन्ने के हर हिस्से में मिठान रहती है, उसी प्रकार समाज एवं राज्य की हर स्थापा एवं भावना में न्याय वा निवाम होना चाहिए। न्याय की इम भावना के निर्माण में अनेक व्यक्तियों के मन भाग लेते हैं। समाज की दृष्टि से वही न्याय है, जो अनेकों वो अथवा सर्वसामान्य रूप से अधिकाधिक लोगों वो योग्य प्रतीत होता है। समाज की जो प्रतीत होता है, राज्य कानून के रूप में उसी की स्पष्ट एवं कार्यप्रयग किया करता है और चूंकि यह काम रोज्य वो करना होता है अब उसमें हृदय वा भाव काम करता है। एक दृष्टि से

प्रायुनिक राज्य तथा स्वतंत्रता

में विचार-विनिमय एवं विचार मन्यम करके जिन तत्त्वों को लोग सब राजाजिक इच्छा के लिये है। यह तिनी पाँच व्यक्ति का विचार गमाज का होता है। उसे राज्य का विभान स्वीकार करता है तभी उसे राज्यपत्रण देता है। परं जिन्होंने इसे लिया है और उसे राज्य को हमारी है, ताकि वह कानून व्याय को देता है। इस प्रतिवाद में उसे मानना व्यक्ति का तत्त्व हो जाता है। इस प्रतिवाद का अनुगार चलता है। यह जिस प्रारंभ नागरिकों के द्वारा देया जाता है, उसका विषेषतया प्रजातन्त्री राज्य-व्यवस्था में आज्ञा घयवा कानून का भग करना, उनकी भावना तथा उनके आदनों को देया जाता है, उग्रा, इच्छा को, उनकी भावना तथा उनके आदनों को देया जाता है। इस तुरे है। प्रजातन्त्र व्यवस्था में उसे मानना व्यक्ति का तत्त्व होता है। तत्त्वमन्धी नियम, व्यवाद हो सकता है, यह हम पहले बता है। वह धनीम होता है। जनयन अध्ययन, स्वामित्व या प्रभुत्व लोगों के हाथ में रहना है। तत्त्वमन्धी नियम, नियमों के प्रभुत्व लोगों के हाथ में रहना है। जनयन को काम करने का जाता है। अनेतिक भी माना जाता है। इसीलिए जनमन को प्रजातन्त्र के तत्त्व, प्रजातन्त्री राज्य के सविधान में रूपांट की जाती है। इसीलिए जनमन को अपना अनुभव तथा दृष्टिकोण प्रदर्शित करने के लिए दृष्टि के रूपांट की जाहिर करने से पाला जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना समूहों को अपवा समूहों को अधिकार में रखने की जाहिर करने के लिए सुनाने का अवगत मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने विचारों को जाहिर करने से पाला जाना चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए। तथापि प्रजातन्त्री पद्धति से पाला जाना चाहिए। स्वतंत्रता होने पर भी यदि कभी अपने विचारों को जाहिर करने के बारे में उसका न पालना चाहिए। कानून की पृष्ठभूमि राजनीतिक दृष्टि से निष्ठापुर्वक एक राजनीतिक कर्तव्य के रूप में उसका न पालना चाहिए। अपवाद माना जाना चाहिए। तथा उसमें व्याय होने के बारे में जनविचार एवं जनमन्त्रिति का मूल हेतु सिद्ध किया जाता है। उसके बारे में विसी प्रकार वीर शर्तें नहीं होती। क्योंकि राज्य के सम्बन्ध का मूल हेतु सिद्ध किया जाता है। यह इस हेतु को कार्यान्वित करना चाहिए। सगटन है, अत राज्य-सम्बन्धी निष्ठा एवं राज्य-सम्बन्धी राज्य की तात्कालिक सत्ता न रहे तो समाज का बना रहना असम्भव है। व्याय का मिलना तो और भी है। समाज-सम्बन्धी निष्ठा के लिए शर्तें के रहने से काम नहीं चल सकेगा। राज्य की तात्कालिक सत्ता के लिए शर्तें के रहने से काम नहीं चल सकता। तो, सरकार के हाथ में रहती है। अत यदि कोई कानून इसलिए मज़ूर न हो तो इसे अनेतिक नहीं कहा जा सकता। तो, मौज़दा सरकार ने बनाया है, तो इसे अनेतिक नहीं कहा जा सकता। तो, अवमान की एक सीमा है। कलम की निवारी काम न करे तो कलम को फेंक देना इसका इनाज नहीं हो सकता। या तो निवारी कलम डालिए या उसे लौंजिए। सरकार को बदलने की व्यवस्था प्रजातन्त्री सविधान में रहती है। एक रीति है। परन्तु केवल रीति न होकर रस भी है। व्याकरण अवश्य

वेवल व्याकरण नहीं है। उसमें अये भी हैं। प्रजातन्त्र का अर्थ है चुनाव। पर किसी भी ऐरेजरे नहूँ खिरे डारा किया गया चुनाव नहीं। अब जो प्रभाव न हो, उसे बदल डालना उचित है। परन्तु जो मौजिक भाव है और जिसका कायंगारी रूप राज्य है, उसके सम्बन्ध में निरपेक्ष निष्पा का होना बहुत जल्दी है। यह माना कि र अज के प्रभुन्व में सभी का माना है। पर उसका प्रत्यक्ष स्वरूप वर्तमान राज्यसत्ता या सरकार है, यह भी उत्ता ही सही है। माना कि हिमान्य प्रवण है, पर उहसे होना ही सभी का माना है। यही स्थिति यहाँ है। अतएव तब तक कानून का विरोध करना ठीक नहीं जब तक वैषा करना अपरिहार्य न हो जाए।

प्रमग-विदेष में अपवाद को मान्य करने के बाद इस स्थिति में अपवाद थम्य सादित होते हैं, इसका भी सदैष में विचार करना चाहिए। यदि किसी को कोई बस्तु ऐसी प्रतीत हो, जो कि उसकी मौजिक अद्वा के विस्तृ जाती हो, तो उसे आज्ञा का भग करना चाहिए, कानून का अवमान करना चाहिए, ऐसा हम पहले वह याए हैं। यह भी सही है कि व्यक्ति कितना भी व्यक्तिगत भावों से भरा हुआ कर्यों न हो, कुछ-न-कुछ सामाजिक भाव उसमें निवास करता ही है। किबड़ना, जो सामाजिक तर्तो से युक्त नहीं, उसमें व्यक्तिगत तन्त्र भी नहीं रह सकते, ऐसी एक दीखने में अवंगत पर बास्तव में पूर्ण सुमगत व्याख्या की जा सकती है। जंगल में रहकर भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। समाज में उसका सम्बन्ध दात-प्रतिशत छिन नहीं रहता। व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले विचार गंगा के प्रवाह में से निकाले हुए चुन्नू-भर पानी के समान होते हैं। उस चुन्नू-भर पानी के गुण-दोष धारा में वहने वाले पानी के गुण-दोषों के समान ही होते हैं। व्यक्ति का शारीरिक जीवन समाज से जुड़ा रहता है। अत व्यक्ति का आचरण एवं विचार बास्तव में सामाजिक होते हैं। अत व्यक्ति को कोई भी दास करते समय यह अवश्य सोचना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। वह अपनी इस जिम्मेदारी से अपना पिछ नहीं छुड़ा सकता। यदि उसने इस जिम्मेदारी का पालन नहीं किया तो इसका अर्थ यह होगा कि वह अपने नैतिक कर्तव्य से विमुच हो रहा है। केवल इसलिए कि हमें कानून का कोई प्रश्न पक्षन्द नहीं है, हम बानून के पालन की जिम्मेदारी में बचने की बात सोचें, तो उसमें बात नहीं बनेगी। उस कानून का पालन करना उसका राजनीतिक वर्तन्य है। नोगों की सम्पत्ति से बानून पाया होता है, इस वस्तुनियति में मौंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए अन्यों द्वारा अधिकारपूर्वक को गई किंगी वास को, नापमन्द बहकर उपेक्षा नहीं की जा सकती। वह यह वह सकता है कि राजनीतिक वर्तन्य में बड़कर भी एक और वर्तन्य है और उस कर्तव्य की पूकार उसे आज्ञा भग करने का आदेश दे रहा है। राजनीतिक वर्तन्य का पालन किया जाए या अपनी मद्दतिवेक बुद्धि या वहा माना जाए, यह दुविधा मनुष्य समाज में बहुतों के सामने बहुत दफा भावकर रही हो जाती है। वर्तन्य पालन से समाज का हित होगा या नहीं, पालन न करने से समाज का हित होगा या नहीं, यह हरेक व्यक्ति अपनी बुद्धि से विचार

वेबल व्याकरण नहीं है। उसमें अर्थ भी है। प्रजातन्त्र का अर्थ है चुनाव। पर किसी भी ऐरेनीरे नक्षे में द्वारा किया गया चुनाव नहीं। अत जो प्रसन्द न हो, उसे बदल लाना उचित है। परन्तु जो मौलिक भाव है और जिसका कायेकारी रूप राज्ञ है, उसके सम्बन्ध में यभी का सम्मान है। पर उसका प्रत्यक्ष स्वरूप वर्तमान राज्यसत्ता या सरकार है, यह भी उत्ता ही सही है। माना कि हिमान्य प्रबल है, पर उत्तरोत्तर होता है सो कैताना शिखर वा। यही व्यक्ति यहाँ है। अतएव तब तक कानून वा विरोध करना छोटा नहीं जब तक वैक्षण करना अपरिहार्य न हो जाए।

प्रमंग-विदेश में अपवाद की मान्य करने के बाद इस स्थिति में अपवाद कम्प साधित होते हैं, इसका भी संक्षेप में विचार करना चाहिए। यदि किसी को कोई वस्तु ऐसी प्रतीत हो, जो कि उसकी मौलिक शक्ति के विमद्द जानी हो, तो उसे आज्ञा का भंग करना चाहिए, कानून का अवमान करना चाहिए, ऐसा हम पढ़ने कह याए हैं। यह भी सही है कि व्यक्ति वितना भी व्यक्तिगत भावों से भरा हुआ वयों न हो, कुछ-न-कुछ सामाजिक भाव उसमें निवास करता ही है। किवहुना, जो सामाजिक तत्त्वों में युक्त नहीं, उसमें व्यक्तिगत तत्त्व भी नहीं रह सकते, ऐसी एक दीखने में अपगत पर वास्तव में पूर्ण भुगत व्याह्या की जा सकती है। जंगन में रहकर भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। समाज से उसका सम्बन्ध घन-प्रतिशत हिन्न नहीं रहता। व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले विचार गण के प्रवाह में से निमाले हुए चुल्लू-भर पानी के समान होते हैं। उस चुल्लू-भर पानी के गुण दोष धारा में बहने वाले पानी के गुण-दोषों के समान ही होते हैं। व्यक्ति का धारीरिक जीवन समाज से भले ही दूर चला जाए पर उसका भानसिक एवं वैचारिक जीवन समाज से जुड़ा रहता है। अत व्यक्ति का आचरण एवं विचार वास्तव में सामाजिक होते हैं। प्रतः व्यक्ति को कोई भी काम करते समय यह अवश्य मोतना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज पर यथा पहेला। वह अपनी इस जिम्मेदारी से अपना पिछ नहीं छुड़ा सकता। यदि उसने इस जिम्मेदारी का पालन नहीं किया तो इसका अर्थ यह होगा कि वह अपने नैतिक वर्तन्य में विमुग हो रहा है। बेवत इसलिए कि हमें कानून वा कोई यथा प्रसन्द नहीं है, हम कानून के पालन की जिम्मेदारी से बचने की बात सोचें, तो उसमें बात नहीं बनेगी। उस कानून का पालन करना उसका राजनीतिक वर्तन्य है। नोगों की सम्पत्ति से कानून पास होता है, इस वस्तुस्थिति में मुँह तहीं मोहा ज्ञायज्ञ होता; इसलिए अन्यों द्वारा अधिकारपूर्वक की गई किसी बात की, नामसन्द वहकर उपेक्षा नहीं बीं जा सकती। यह यह वह गवता है कि राजनीतिक वर्तन्य से बदल भी एक और वर्तन्य है और उस वर्तन्य की पुकार उसे पाजा भग करने वा आदेश दें रही है। राजनीतिक वर्तन्य का पालन किया जाए या अपनी मद्देन्द्रियों द्वारा वाका बाटा माना जाए, यह दुविधा मनुष्य समाज में बहुरी के मामने बहुत दक्ष आज्ञ रखड़ी हो जानी है। वर्तन्य पालन से समाज वा हित होगा या नहीं, पर होके व्यक्ति अपनी दुदी न विचार

एक दृष्टिक्षेप

प्रस्तुत पुस्तक में आधुनिक राज्य एवं स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जो विचार किया गया है, उसकी एक विशिष्ट भूमिका है। आधुनिक राज्य की कल्पना कैसे निर्माण हुई, उसका स्वरूप कहाँ व कैसे बदलता गया, किस पद्धति से बदला, इत्यादि वातों का बहुत विस्तार से विचार नहीं किया। तत्सम्बन्धी विचार प्रस्तुत लेखक के 'राज्यशास्त्र-विचार' नामक ग्रन्थ में किया गया है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता तथा उसके विविध स्वरूपों का भी सविस्तार विचार 'राज्यशास्त्र-विचार' एवं 'राज्य व्यवहार विचार' नामक ग्रन्थों में किया गया है। कानून सम्बन्धी विचार 'विधिशास्त्र विचार' नामक ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इन सब कल्पनाओं के पीछे जो नैतिक एवं तात्त्विक भूमिका है, उन्हीं को ध्यान में रखकर विचार किया गया है और अब मौजूदा सामाजिक राज्य का राज्य एक चालू राजकीय फैशन हो गया है, ऐसा कहे तो कोई आवश्यकता नहीं होगी। आधुनिक राज्य सामाजिक-तथा प्रजातन्त्रात्मक राज्य हैं। कम-से-कम कोई भी राज्य अपने को स्वेच्छाचारी एवं निरकुश राज्य कहने को तैयार नहीं है। परिस्थिति यह है कि जहाँ वस्तुत अधिनायकतन्त्र चल रहा है, वहाँ भी यही प्रदर्शित किया जाता है कि वह भी प्रजातन्त्रात्मक राज्य ही है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि किमी राज्य को अधिनायकतन्त्र कहना उसको गली देने जैसा है। दूनियाँ का तोकमत उसका समर्थन नहीं करता। शाश्वत बन्दी होने पर जैसे कुछ लोग चोरी-छिपे शराब पीते हैं, उसी प्रकार अधिनायकतन्त्र, पर तोकमत द्वारा बन्दी होते हुए भी कुछ लोग औरों की आँखों में धून भीक कर चोरी-छिपे अधिनायकतन्त्र का प्रयोग करते जहर हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों में दिखाई देनी है। अब अन्तर्राष्ट्रीय दोनों में अधिनायकतन्त्र की रक्षी भर भी प्रतिष्ठा नहीं रह गई, इस दबाई से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार व्यवित्रित को समाज अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, उसी प्रकार राष्ट्रों एवं राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की सम्पत्ति अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, यह बात अब अधिकाधिक अनुभव का विषय बनती जा रही है। एक दृष्टि से विभिन्न स्वतन्त्र राज्यों को आपस में विस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में कुछ मूल्य मत २०० वर्षों में निर्माण हो गए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को अपने सामने बौन से आदर्श रखने चाहिए, इस बारे में भी सर्वसम्मत मूल्य निर्माण हुए हैं। व्यवित्रित स्वतन्त्र्य, राजकीय स्वतन्त्र्य, सामाजिक समता, आर्थिक न्याय आदि वातों की अव-

विसी का प्रमाद या अनुप्रह नहीं समझा जाता। इसके विपरीत अब ये बातें इतनी नेसांगि क एवं आवश्यक प्रतीत होने लगी हैं कि, जहाँ मे बातें नहीं हैं, या अधूरे रूप में हैं, वहाँ कुछ न कुछ न्यूनता एवं दोष है, ऐसा जग मानने सका है।

यह जो स्थिति आज प्राप्त हुई है, वह फैच राज्यकान्ति मे आरम्भ हुई विचार-घारा का फल है। राजकीय स्वतन्त्रता एवं समता यदि संसार के विसी एक ही राष्ट्र मे रहे सो काम नहीं चलता। उसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् मे भी रहना चाहिए। तभी वह किसी राष्ट्र विशेष में रहेगी एवं वृद्धिगत होगी और तभी ममार मे स्वतन्त्रता, समता तथा शान्ति का बानावरण निर्माण हो सकेगा। स्वतन्त्रता, अधिनायकतन्त्र तथा समाज की कोई भी प्रवृत्ति सामर्गिक रोग की भाँति फैला करती है। जैसे एक दिये से दूसरा दिया जलता है, एक उदाहरण के बाद दूसरा उदाहरण सामने आता है, वैसा ही कुछ इत मामलों मे भी होता है। गत २०० वर्षों मे यही अनुभव लोगों को आया है। फैच राज्य कान्ति के पश्चात् अनेक अधिनायकतन्त्री राष्ट्रों मे स्वतन्त्रता एवं न्याय के लिए आन्दोलन हुए हैं। अनेक कृत्रिम तौर पर वने हुए राज्य एवं साम्राज्य दह गए। इसी प्रवृत्ति के साथ अनेक असमिति राज्य समिति हुए तथा मात्स्य न्याय से अनेक छोटे देशों को नियन्त कर शक्तिशाली देशों ने बड़े-बड़े साम्राज्य भी स्थापित किए। उपनिवेशवाद भी फैच कान्ति के अनन्तर स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीयता की भावना की लहर के साथ-साथ ही बढ़ता गया। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों मे अनेक राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का अपहरण किया गया। एक ही समय संसार के एक हिस्से मे तो स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीयता की भावना की लहर दौड़ रही थी, वहाँ दूसरे हिस्से मे उपनिवेशवादी साम्राज्यशाही जो-र-शोर से बढ़ती जा रही थी। पहले महायुद्ध का फल यह हुआ कि अधिक लोग तथा अधिक राष्ट्र स्वतन्त्र हुए तथा थोड़ी ही मात्रा मे वर्यों न हो, प्रजातन्त्र के बदम आगे की ओर बढ़े। पहले महायुद्ध के अनन्तर राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) विन्हीं उदात्त हेतुओं को लेकर स्थापित हुआ। राष्ट्रीयता एवं स्वतन्त्रता को बढ़ावा देने के लिए बना हुआ यह संगठन उन लोगों के कृत्यों का समर्वक संगठन बनकर रह गया, जिन्होंने दूसरों के देशों को हड्डप कर अपने कबड्डे मे ले लिया था। फनस्वहप राष्ट्रों के बीच मौजूद भगडों को दूर करने की उसकी योजना सफल नहीं हो सकी। शक्तिशाली राष्ट्रों ने इस संघ की पर्वाह नहीं की। फल यह हुआ कि दो महायुद्धों के बीच के काल मे औपचारिक प्रजातन्त्र तो कुछ जगहों पर दिखाई दिया पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा न हो सकी। समता तो थी ही नहीं; पर अब उस पर विचार करना भी राष्ट्रद्वारा ह समझा जाने लगा। कानून सिफे पूर्जीपतियों का हुक्म बनकर रह गया। कहीं-कहीं तो व्यक्तिगत अधिनायकतन्त्र स्थापित हो गया। पहले महायुद्ध के बाद प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सर्व-साधारण समता की जो उम्मीद वैदा हो गई थी, वह भवे ही भरी न हो, तो भी मूल्चित अवश्य हो गई थी। सब कही हिटलरशाही, मुसोलिनीशाही तथा स्टालिन-शाही नामक त्रिशाहियों ने संसार के जनसामान्य वे नाक मे दम कर रखा था। अनेक देशों की आधिक स्थिति में सुधार हुआ पर मामान्य जनता का दारिद्र्य दूर नहीं हो सका। आधिक दुखों के लिए स्वतन्त्रता हो एकमात्र औपधि है, यह भावना इड हो

गई। पर इस फोटो का उत्तरोत्तर नहीं हो गया। इसके बिचोरी घमेह युद्धान् तोला परिवारात्मी रामायण का सुनी थाड़ गरमे गते। घानिह न्यायवादी ही मही गानी में इतन्त्रता ही तथा गुरुता ही गया है, लेकि गिरावंती का तिरंगज इसे प्रतिकारन दिया जाने गया। गुरुता के गानी तथ्यों को दरबा दिया गया। नेतिन जीवन वारीरिण गरधार के गगड़ा छाप्रभ हो गया। गंगां एवं गुद ने रोने के लिए इए गए प्रपत्तों को पराजाया ही गुद को नजदीक गीत लाई। उसे उसने परपरिहाये यना दिया और तब दूगे मरायुद वी गोपनाएँ—पहले मरने-परने घगाढ़ी में तथा गोदे में गुद के गंदानों में—जानांगों की गवगनाटु के गाय घारम्ब हुई। दूगे महायुद का खोद गुदपगान राष्ट्रों ने गानी-पानी खोर से घोटा दिया। तथा दो गुदपगान गमूहों में इनी यात्रा की ओर गमाना नहीं थी। विवृता, इर्वंद, अमेरिका एवं रशिया के गमूह में फ़िटवर के विरोप के गिराय और ओर भी बन्धन-कारण रामान भारता नहीं थी। स्वजेन्ट गान्धी की भारत स्वतन्त्रताएँ घोखासाद थीं, इसमें सम्मेह नहीं। उसके पारण महायुद के बाद राष्ट्रवादी स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बढ़ गई थी। गुद गो सत्य हुए एक दादशाहिद (म० ता) बीत गई है। गुद के बाद फिर एक भारत प्रगतन्त्र एवं स्वतन्त्रता की कल्पना को बढ़ा मिला। इन १३ यों में गमुक्त राष्ट्र गष (य० एन० थ००) ने गुच्छ प्रथाओं एवं परम्पराओं को जन्म दिया है। यादों में गुतिस घोरी के भा जाने से टप्पे बमेहे कुछ कम हुए हैं या एक निदिचन गीणा से भागे नहीं बड़े हैं ऐसा कुछ-कुछ अनुभव जहर आया है। तथाति समार में गुटवन्दी कम नहीं हुई है। गुराने स्वाथों की कल्पनाएँ नया चौला पहनकर सामने आने लगी हैं। अमीरा के राष्ट्र भव दवादव स्वतन्त्र होते जा रहे हैं। पर इन दो गुटों ने सारे विश्व पो जो बीट डाता है, उसके बारण प्रत्येक गुट में शामिल हुए राष्ट्रों की स्वतन्त्रता पूरी तरह से छिनती चली जा रही है, यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अत यह भले ही सही हो कि आज के समुक्त राष्ट्र संघ ने पहले बाले राष्ट्र गष की अपेक्षा अधिक समर्थ सागठन निर्माण किया है तथा छोटे-छोटे स्वतन्त्र राष्ट्रों को पहले की अपेक्षा अधिक अभयदान मिल रहा है, तथापि राष्ट्र की स्वतन्त्रता अभी निविवाद नहीं है तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अर्थ केवल राजकीय स्वतन्त्रता नहीं रह गया है। स्वतन्त्रता का अर्थ सिर्फ़ यही रह गया है कि राष्ट्र स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रता का बास्तविक अर्थ होता है राष्ट्र की स्वतन्त्रता के साथ-साथ निर्धारित सीमा के भीतर व्यक्ति की भी स्वतन्त्रता। व्यक्ति की स्वतन्त्रता का केवल इतना ही अभिप्राय नहीं कि उसे प्रजातन्त्री राज्य में स्थान मिल गया है अथवा आर्थिक दृष्ट्या उसका जीवन सार्थक एवं समृद्ध हो गया है। जिस सामाजिक सदर्भ में वह व्यक्ति निवास करता है, वहाँ सामाजिक एवं आर्थिक समानता होनी चाहिए। केवल समाज के सधन हो जाने से, जीवन के स्तर के ऊँचा हो जाने से ही स्वतन्त्रता की पूर्णमासी उद्दित हो गई है, ऐसा नहीं कहु जा सकता। सिर्फ़ यही वहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता झूपी चन्द्रमा की कुछ एक कलाओं का उदय हो गया है। स्वतन्त्रता की प्रसादपूर्णमासी जय विप्रमता से भरे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन रूप कलक से एकदम मुक्त हो जाएगी, तभी उसे पूरी तरह पूर्ण-

मासी कहा जा सकता है। यह अवश्य सच है कि गत १३ वर्षों में ससार भर की जनता में थोड़ा-मा आशा एवं साहस का बातावरण उत्पन्न हुआ है। साथ ही लोगों में यह भावना भी काम करने लगी है कि व्यक्ति की उन्नति एवं विकास को राष्ट्र की उन्नति एवं विकास के साथ निगड़ित होना चाहिए और यही कारण है कि एतद्विषयक चर्चा सब कही युने रूप में होने लग गई है।

दो महायुद्धों के बाद संसार में समता एवं स्वतन्त्रता विषयक विचारधारा पर्याप्त ध्यापक हो गई है। उसे विशालता भी प्राप्त हुई है। पर इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता ही स्थायी भाव की अभी पूरी तरह से स्थापना नहीं हो पाई है। विश्व उत्पन्न भले ही न हो तो भी शीत मुद्द का बातावरण असदिग्य है। कुछ राज्यों को अपने विकास के लिए इस बातावरण की आवश्यकता महसूस होती है। क्षण भर को विषयाकार जीवित रहने वा यह प्रयत्न है। अल्प परिमाण में खाया गया विषय दवा का काम देता है, ऐसी मानवीय दृष्टि से विचार करने पर भी यह शीतमुद्द मानसिक सतोष का कारण नहीं बन पाता। ऐसा लगता है कि भवितव्य को सांडेसाती ने प्रस निया है। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा आर्थिक समता की ओर दृष्टिशील करने पर कही-कही परिस्थिति रातोपजनक अवश्य नजर आती है तो भी वहुसंख्यक प्रदेशों में वह अभी तक असतोपजनक चली जा रही है। सामाजिक समता एवं आर्थिक न्याय के बगैर स्वतन्त्रता परिपूर्ण नहीं होती। यदि हम चाहते हैं कि वैसी स्थिति उत्पन्न हो तो हमें ससार भर की आर्थिक परिस्थिति को बहुत बढ़े पैमाने पर सुधारना होगा तथा शौदोगिक उन्नति करनी होगी। इस बात के लिए जहाँ आशाजनक स्थिति है, वहाँ सामान्य रूप में सोग कानून को मानते हैं। जिस बातावरण में अर्थ-व्यवस्था प्रगमनशील हो, रोजगार बढ़ रहा हो, कलंध्यराजित के विकास के लिए अवसर मौजूद हो, वहाँ साहस, प्रगल्भशीलता, उत्कट गुण एवं भूजनशीलता कायंप्रवण रहते हैं तथा प्रजातन्त्र द्वारा प्रदत्त विचार-स्वातन्त्र्य के कारण उपर्युक्त बातावरण अधिकाधिक वृद्धिगत होता जाता है। इसके विपरीत जहाँ आर्थिक व्यवस्था दुर्बल, कामचलाऊ एवं विषमतापूर्ण होगी वहाँ केवल भविष्य के बारे में ही नहीं बर्तमान के बारे में भी सोग सन्देह करने लग जाएंगे और तब उन्हें नियन्त्रण में रखने के लिए राज्यसत्ता उनकी मौलिक स्वतन्त्रता में काट-छाट करना शुरू कर देती है। तब बहुतों को नए विचार भयानक लगने लगते हैं। और जो बातें प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था में स्तुत्य मानी गई हैं, वे ही निन्दा साक्षित होती है। लोगों की शिकायतों की उपेक्षा होने लगती है। उस समय अनेक धार ऐसा होता है कि या तो लोगों को कुचल दिया जाता है या किर अरनी सुविधा के लिए किसी के साथ दुश्मनी मोल लेकर देश में सकट एवं युद्धकालीन परिस्थिति घोषित कर दी जाती है तथा न्याय वस्तु को बहुत दूर धकेल दिया जाता है। मदद करने के लिए आम-पास 'अयूव' अथवा 'मउदजेकुग' जैसे लोग मिल ही जाते हैं। यह ठीक है कि लोगों की उम्मीदों को कुचल कर अथवा उनका ध्यान राष्ट्रीय सकट की ओर आकृष्ट करके कुछ समय खोना जा सकता है। राष्ट्र के सरकार के लिए प्रजा की भावनाओं को उभाइकर अवसरवादियों ने भी की रक्षा की जाती है। राज्य की सीमाओं की उभाइकर

बहाने स्वतन्त्रता पर आक्रमण करके स्वतन्त्रता की ही गीता को संकुचित करने का प्रयत्न किया जाता है। दो महायुद्धों के बाद भी अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न हो सकी, जिसमें कहा जा सके कि यदि स्वतन्त्रता तथा समता के लिए वहाँ कोई खतरा नहीं है। यह भी कहना सम्भव नहीं कि सारे विश्व में स्वतन्त्रता के लिए उत्साह एवं समता के लिए समता मौजूद है। स्वतन्त्रता एवं समता का अर्थ भी जिनमें व्यापक पैमाने में हम पीछे कर आये हैं, अभी वहनेरे स्थानों में, उतना भी नहीं रिया जाता है। अमेरिका में आज भी स्वतन्त्रता का अर्थ नियन्त्रण एवं नियोजन रहित अर्थव्यवस्था तथा गुले बाजार की व्यवस्था ही समानभांधि है, ऐसा माना जाता है। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों में स्वतन्त्रता का अर्थ सत्ताधारी वर्ग की राय ही दिखाई देता है। स्वतन्त्रता के मम्बन्ध में यदि कुछ विचार होता है, तो वह भी वर्ग के हित की दृष्टि से होता है। एशिया एवं अफ्रीका भाषावौंओं में प्रगतिंशु एवं अपलब्ध लोग आज भी दारिद्र्य के दलदल में फँसे हुए हैं। कुछ यूरोपियन राष्ट्रों में महायुद्धन्य पराजय के कारण आशामय जीवन नष्टप्राय हो गया है। तथा जहाँ स्वतन्त्र एवं सधन समाज एकत्र आए हैं, वहाँ तुच्छता की भावना तथा नीतिक हास दृष्टिगत होता है। सच्ची स्वतन्त्रता का अर्थ—अपनी भाँति अन्य देशों को तथा परदेशों की जनता को भी स्वतन्त्र एवं मुखी होना चाहिए ऐसी बुद्धि—है। पर वैसी बुद्धि कही दिखाई नहीं देती। गत १३ वर्षों में कुछ भी प्रगति नहीं हुई, ऐसी बात नहीं। स्वतन्त्रता का विचार लोग—हम जीवित हैं, ऐसा अनुभव होने पर—करने लगते हैं। घर, दार, बाजार तथा पड़ोस—सब कहीं दरिद्रता हो, जीना भी दुश्वार हो जाए, तो लोगों के मन—कल प्राने बाला दिन कैसा होगा तथा आज का दिन कैसे बीतेगा—इन्हीं बातों के विचार में इधे रहते हैं। व्यापक एवं तेजस्वी नीतिक भावना उनके मन का स्पर्श तक नहीं करती। और इसीलिए आवश्यकताओं से पिड मुक्ति (फीडम फॉम वाण्ट्स) महायुद्ध के दिनों में एक महत्त्वपूर्ण धोपणा सावित हुई। प्रत्येक ध्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार धोपित हुआ। तथा इसी अधिकार के अनुरोध से नियोजन व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में आकर्षक सिद्ध हुई। तथापि सामान्य जनों की उन्नति के लिए प्रावश्यक नियोजन व्यवस्था को स्वतन्त्रता पर हमला बताकर उसका विरोध करने वाले लोग केवल अमेरिका में ही हैं, ऐसी बात नहीं, भारत में भी सीलोन से लेकर श्रीनगर तक मौजूद हैं। और यदि एक राष्ट्र में स्वतन्त्रता का उपभोग करने वाले एवं गुलामी में रहने वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते अथवा एक ही राष्ट्र में सम्पन्न एवं विषय—ये वर्ग वहूत समय तक नहीं रह सकते, इस ऐनिहासिक अनुभव को मान्य करने के बाद प्रसंग समूचे विश्व में भी कुछ राष्ट्र स्वतन्त्र एवं सम्पन्न तथा कुछ राष्ट्र दास्य एवं दारिद्र्य से यस्त नहीं रह सकते। इसी प्रकार एक ध्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधूरेगत दूर करने के लिए उसके सम्बन्ध में आने वाले समाज के भीतर वाले तथा बाहर वाले लोगों को भी स्वतन्त्र होना होगा। इसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतन्त्रता के तिए अन्य राष्ट्रों को भी स्वतन्त्र होना चाहिए, यह नीतिक मिदान्त अब मर्वममत हो चुका है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापीष में उसका प्रचार चिया जा

रहा है। और इसी कारण गत १०-१२ वर्षों में विश्व की अव्यवस्था के सम्बन्ध में भी युद्ध नियन्त्रण मंजूर कर लिया गया है। मंपुस्त राष्ट्र संघ के मारफत, इस दृष्टि से प्रनेक वातें की गई हैं। यह सब ठीक तरह से ही, इसके लिए विश्व में नह्योग एवं शान्ति की जहरत है। तो भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के टप्टों को दूर करने का एकमात्र भार्या अभी तक युद्ध ही समझा जाता है। एक युद्ध के उपराहर के बाद का समय भगले युद्ध की प्रस्तावना का समय बन गया है। नामाजिक सुधार एवं प्रगति विस्त अंचित पर जा पहुँची है, उमे देने हुए कहना होगा कि यदि सारे विश्व में स्वतन्त्रता, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं स्वराज्य की स्थापना न हुई तो, यह आरी प्रगति नदाई में पड़ जाएगी। सारे विश्व की राजनीति—जन्म-से-जन्म आज की राजनीति—सामाजिकतया दो गुटों में विभक्त हो गई है। एक तीसरा ग्रसगठित किन्तु अच्छारत गुमा तटस्थ गुट है। तो भी इन राजनीति के कारण कहीं भी कोई खड़का वर्णों न हो, उमका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है। और यदि इस राजनीति में वशता आ जाए तथा मध्यूर्ण विश्व के अपवाहर में वशता के धारों की सम्भावना बढ़ जाए तो उससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की एकता को खतरा पैदा हो जाएगा। अनेक स्थानों पर यह खतरा हमें साफ-भाफ दिखाई भी देने लगा है। राजनीति में हठबादिना बढ़ जाए; तो देश में ज्ञानित की ज्ञालाप्रों के भड़क उठने की सम्भावना हो जाती है तथा यदि यही हठबादिना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रवेश कर जाए तो युद्ध के पूर्व के अद्युत शक्ति दिखाई देने लगते हैं। आज यदि कहीं युद्ध छिड़ जाए, तो उमका रणांगण कोई विशेष प्रदेश अथवा महाद्वीप न होकर सम्पूर्ण भूगोल एवं खगोल उम युद्ध की घटर्टों में चमा आएगा। दोप के मिर पर यही भूमि निःशेष हो जाएगी तथा योप भी योप रह सकेंगे या नहीं, कहना कठिन है। और यदि कहीं चैमा हो गया तो समूची स्वतन्त्रता एवं नीतिवाता क्षयादेश हो जाएगी। धन्य के ही भस्म हो जाने के बाद यह कहना आवश्यक हो जाता है कि उसके भीतर का प्रतिशासित साहित्य भी भस्म हो जाएगा। और यही कारण है कि आज अस्ति-अस्ति के लिए एवं राष्ट्र-राष्ट्र के लिए विश्वशान्ति, मद्भाव एवं सत्योग की सकृत जहरत है। और यह सद्ग्राव, मह्योग एवं शान्ति तब तक मंतर में स्थापित नहीं हो सकती, जब तक राष्ट्रों के बीच आधिक विपर्यय भीजूँद है। अतः आज के राष्ट्रों में जो सम्पन्न एवं अभावप्रस्तो का चित्तशोभक दृश्य दिखाई देता है, उसे दूर हो जाना चाहिए। उसे दूर बरना हो तो यह स्पष्ट भूमिका लेना चाहिए कि शविन का प्रयोग धनुचित एवं विष्पमोगी है। और इसी कारण उस धोन में भी विचार-विनिमय एवं चर्चा द्वारा अभीष्ट वातावरण की निमित्ति का प्रयत्न किया जाना चाहिए। त्रिस प्रकार एक राष्ट्र के विभिन्न धोनों में मौतिक विचारथारा के सम्बन्ध में, मौतिक गृहीत कृत्यों के सम्बन्ध में एकवाक्यता रहती है तथा उससे राष्ट्र की प्रगति होती है, ठीक उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस प्रकार के किन्हीं मौतिक गृहीत कृत्यों के सम्बन्ध में एकवाक्यता होनी चाहिए। और राष्ट्रों में जब तक यह मौतिक धर्मों न होनी कि यउ प्रश्नों एवं भूमिकाओं का हल हमें शान्ति, सुविचार एवं विचार-विनिमय द्वारा ही करना है, तब तक न तो कोई प्रगति होगी और न ही विश्व का भविष्य

सुनिश्चित हो सकेगा। आज यदि प्रस्फोट नहीं हुम्मा तो कल हो जाएगा, योकि विश्व की जनता स्वतन्त्रता के लिए तरस रही है, सुखी जीवन विताने की उसकी भूख उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्दण्ड होकर व्यवहार करने लगे तो उसकी सफलता क्षणजीवी ही सिद्ध होगी, पर उससे उसका तथा विश्व का जो अहित होगा, उसका प्रतिकार युग्मयुग्मान्तर तक नहीं किया जा सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि जबर्दस्त की बात मान लेने से उसका जबर्दस्तपन और बढ़ता ही चला जाता है। चुप बैठे ही रहे या तटस्थ बने रहें तो आज की यह चुप्पी या तटस्थता कल के विनाश की नान्दी साक्षित होगी। अतः जहाँ मौलिक श्रद्धा का सबाल उठता है, वहाँ तटस्थ रहने से काम नहीं चलता। गोल-मोल बातें बहुत देर तक कूटनीति पादित्य की सूचक नहीं रह सकती। राह चलते हर भगडे में शामिल होना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है, यह ठीक है तथापि जहाँ खुल्लम-खुल्ला गाय वध किया जा रहा हो, किसी स्त्री का शील भग किया जा रहा हो, निर्दयता एवं असह्य अन्याय हो रहा हो, वहाँ दौड़कर न पहुँचना भी कर्तव्य-च्युति का लक्षण हो जाता है। और यू० एन० ओ० की धर्मसभा में जिन लोगों ने इस प्रकार की तटस्थता से काम लिया उन्होंने अपनी आत्मा को तो अधमानित किया ही, साथ ही उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अभद्र मोड़ भी दिया है, ऐसा कहना होगा। सप्तार में शान्ति बनाए रखने के लिए अनथक प्रयत्न किए जाने चाहिए। क्योंकि शान्ति के अभाव में विश्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों की राष्ट्रीय एवं वैष्णवितक—दोनों प्रकार की स्वतन्त्रताओं का लोप हो जाएगा।

यो विश्व के इन दो गुटों में केवल आदर्श विषयक ही भेद हो, ऐसी बात नहीं। सामान्यतया यह भी कहा जा सकता है कि आदर्शों के मामले में बहुत दूर तक दोनों में समान क्षेत्र है। कर्कुत है साधनों के मामले में तथा विशेषतया सम्पत्ति विषयक दृष्टिकोण में। लक्ष्मी विश्व के समस्त दुखों का आदिकारण है, ऐसा यदि कोई वहे तो वह ठीक ही है। समुद्रमयन से निर्माण होने वाली यह लक्ष्मी सर्वत्र गडबड़ एवं मथन उत्पन्न बरने वाली देवता सिद्ध हुई है। निजी सम्पत्ति के बारे में पाश्चात्य प्रजातन्त्रों राज्यों का दृष्टिकोण साफ है। वहाँ हम देखते हैं कि सम्पत्ति विषयक इस दृष्टिकोण पर—इस अर्थव्यवस्था पर हमला होने पर उसका मुकाबला सम्पत्तिमान् वर्ग रखनपात एवं गृहयुद्ध की भी पर्वाह न करते हुए करता है। यही नहीं यदि प्रजातन्त्र समता की मौग करने लगे तो वे प्रजातन्त्र का भी गलाघोटने के लिए आगा-पीछा नहीं देखेंगे। दो महायुद्धों वा अनुभव हमें यही बताता है। साथ ही यह भी सत्य है कि अनेक देशों में सम्पत्ति का उत्पादन बढ़ जाने से समाज सधन हो गया है। ऊपर के लोगों को नीचे नहीं आना पड़ा। नीचे के लोग ऊपर चले आए हैं। अत वर्गों के रहने हुए भी वहाँ वर्ग युद्ध की तीव्रता बहुत बहुत हो गई है। तथापि विषमता रह रहकर उठने वाला येट का दर्द नहीं है, वह एक स्थायी सामाजिक रोग है। उस रोग वा इलाज येवल अको के जादू से नहीं किया जा सकता। गांव को कोई वस्तु मिले तो उसका यह अर्थ नहीं कि गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वह मिल जाती है। अतः समाज

के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यक वस्तु तो मिलनी ही चाहिए। पर ही उतने में बाम चलता नहीं है। आज के युग में जहरियात, सामाजिक औसत आदि की अपेक्षा भी जिस बात की महत आवश्यकता है, वह है यह दिखाने का प्रयत्न कि उनके पास औरंग की अपेक्षा जो चीजें ज्यादा हैं, वे बद यहूत मेहनत से तथा इमानदारी से कमाई हुई हैं। अधिनायकत्वन्त्र में दरिद्रता आरोपी के कठपरे में रहती है ! प्रजातन्त्र में वह माझीदार बनती है तथा उन्नति का प्रायमिक आरोप सम्पत्तिभान् वर्ग के ऊपर होता है तथा जब तक देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी न्यूनतम आवश्यकता की वस्तु नहीं मिल जाती, तब तक चैन नहीं मिलता और जब उन्नी वस्तु मिल जाती है, तब लोगों के चित्त तब तक थेवेन रहते हैं जब तक सब वो समाज मात्रा में आवश्यकता की वस्तु नहीं मिल जाती और तब तक स्वतन्त्रता भी उस समाज में मार्खक नहीं हो पाती। अतः सम्पत्ति की निर्मिति पर सामान्य रूप से समाज का स्वामित्व होना चाहिए। उसके निर्माण में जिन-जिन लोगों ने हाथ बटाया हो, उन्हें तो उमड़ा हिस्सा खलिहान ही में मिल जाना चाहिए और देश में यह व्यवस्था तभी मंभव होती है, जब अन्तर्राष्ट्रीय विद्व में इसके लिए अनुकूल यानावरण विद्यमान हो। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में धार्दों के सामर्थ्ययुक्त होने से राष्ट्रों में अनेक मानों में अभीष्ट परिस्थिति का निर्माण मंभव हो जाता है। विद्व में इतनी अनुकूलता अभी मौजूद नहीं है। यदि सारा जग एक हो जाए, 'जय हिंद' एवं 'जय सोधियत' के ह्यान पर 'जय जगत्' की घोषणा सर्वमान्य हो जाए, तो राष्ट्रीय सीमाएँ, राज्यों की सीमाएँ निरर्थक हो जायेंगी और एकदम मही मानों में समृद्धि एवं सम्पत्ति अविभाज्य साधित हो तो उसके उचित मात्रा में उपभोग का अवसर सबको प्राप्त होगा। आज की परिस्थिति में राष्ट्रवाद के प्रभावशाली होने के कारण जागतिक शान्ति एवं कल्याण के लिए राष्ट्र अधिका राज्य अपनी प्रभुसत्ता को घोड़ा-सा भी कम करने के लिए तैयार नहीं है। व्यक्ति अपने विकास के लिए समाज के नियमों एवं राज्य के कानूनों का पालन किया करता है। व्यक्ति उसका जीवन-चिन उस चौखट में सटीक बैठता है। ऐसो कोई चौखट अन्तर्राष्ट्रीय विद्व में अभी निर्माण नहीं हो पाई है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी के प्रति विनति करने की अपेक्षा अधिक कुछ नहीं करता। यात्रा देने की स्थिति अभी उसे प्राप्त नहीं हुई है। आज भी उसकी कीमत उतनी ही है, जितनी विसी गाँव के चार चौधरियों द्वारा दिए गए फैसले की हो मरकी है। कारण उसे मनवाने के लिए सुमर्ग दण्ड व्यवस्था मौजूद नहीं है। दिलकुल ताजा उदाहरण अफीका को राजनीति को देखने से मिल जाता है। यदि निकट भविष्य में मयुरउ राष्ट्र संघ एक आज्ञापक निर्णय देने वाला तथा उसे क्रियान्वित कराने वाला समठन हो जाए तो निरिचत ही विद्व में शान्ति एवं समृद्धि की मागल्यपूर्वक प्रनिष्ठा हो जाएगी।

हम इस ग्रन्थ में लिख चुके हैं कि आज की दुनिया में आधिक सुमाप्ननता के अभाव में स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं है। देश में यदि आधिक समता एवं सम्पन्नता को आना है, तो उसके लिए वैयक्तिक स्वामित्व को कम करना होगा तथा सम्पत्ति की निर्मिति एवं उसके स्वामित्व को अधिकाधिक लोगों के हाथ में

सुनिश्चित हो सकेगा। आज यदि प्रस्फोट नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, क्योंकि विश्व की जनता स्वतन्त्रता के लिए तरस रही है, सुखी जीवन विताने की उसकी भूत उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ऐसी हालत में यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय धोन्य में उद्दण्ड होकर व्यवहार करने लगे तो उसकी सफनता क्षणजीवी ही सिद्ध होगी, पर उससे उसका तथा विश्व का जो अहित होगा, उसका प्रतिकार युग्मयुग्मान्तर तक नहीं किया जा सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय धोन्य में भी हम देखते हैं कि जबर्दस्त की बात मान लेने से उसका जबर्दस्तपन और बढ़ता ही चला जाता है। चुप बैठे ही रहे या तटस्थ बने रहे तो आज की यह चूप्यी या तटस्यता कल के विनाश की नान्दी सावित होगी। अतः जहाँ मौलिक अद्वा का सवाल उठता है, वहाँ तटस्थ रहने से काम नहीं चलता। मोल-मोल बातें बहुत देर तक कूटनीति पाइदिय की मूचक नहीं रह सकती। राह चलते हीर भगडे में शामिल होना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है, यह ठीक है तथापि जहाँ सुल्तम-सुल्ता गाय वध किया जा रहा हो, किसी स्त्री का शील भंग किया जा रहा हो, निर्दयता एवं असह्य अन्धाय हो रहा हो, वहाँ दोडकर न पहुंचना भी कर्तव्य-च्युति का लक्षण हो जाता है। और यू० एन० ओ० की घमंसभा में जिन लोगों ने इस प्रकार की तटस्यता से काम लिया उन्होंने अपनी आत्मा को तो अवमानित किया ही, साथ ही उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अभद्र मोड़ भी दिया है, ऐमा कहना होगा। समार में शान्ति बनाए रखने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाने चाहिए। क्योंकि शान्ति के अभाव में विश्व के स्वतन्त्र राष्ट्रों की राष्ट्रीय एवं धैर्य-वित्तक—दोनों प्रकार की स्वतन्त्रताओं का लोप हो जाएगा।

यो विश्व के इन दो गुटों में केवल आदर्श विषयक ही भेद हो, ऐसी बात नहीं। सामान्यतया यह भी कहा जा सकता है कि आदर्शों के मामले में बहुत दूर तक दोनों में समान धोन्य है। कहं है साधनों के मामले में तथा विशेषतया सम्पत्ति विषयक दृष्टिकोण में। लक्ष्मी विश्व के समस्त दुर्यो का आदिनारण है, ऐसा यदि कोई वह तो वह ठीक ही है। समुद्रमयन से निर्माण होने वाली यह सक्षमी सर्वत्र घटवड एवं मथन उत्पन्न करने वाली देवता सिद्ध हुई है। निजी सम्पत्ति के बारे में पारचारण प्रजानन्दों राज्यों का दृष्टिकोण गाफ है। वर्ती हम देखते हैं कि सम्पत्ति विषयक इस दृष्टिकोण पर—इस अर्थव्यवस्था पर हमता हीने पर उमरा मुद्रावना ममतिमान् वर्ग रक्षणात् एव गृहयुद वी भी पर्याह न करते हुए करता है। यही नहीं यदि प्रजानन्द ममता की मौग करने लगे तो वे प्रजानन्द का भी गताधोड़ने के लिए आगा-गीदा नहीं देंगे। दो महायुद्धों पा भग्नुभग्न हमें यही बनाना है। गाय ही यह भी सत्य है कि अनेक देशों में सम्पत्ति का उन्नादन बड़ जाने से ममाज मधन हो गया है। ऊपर के लोगों वो नीचे नहीं आना पड़ा। नीचे के लोग ऊपर चले आए हैं। अन वगों के रहने हुए भी वहाँ वर्ग मुद वी लीदवा बटा कम हो गई है। तथापि विषयना रह रहार उड़ने वाला नेह का दरं नहीं है, वह एह स्त्रायी मादाविह गोंग है। उग रोग पा इताज वेका यसा ने जारू में नहीं दिया जा मराता। गोंर वो बोई वग्नु विने तो उगाता यह अपने नहीं कि गोंर में रहने वाले प्रदेह स्वस्ति पा वह मिन जानी है। अतः गमात्र

प्रथमा समृद्ध जीवन, यदि स्वतन्त्रता में से निर्माण न होता हो, तो वह स्वतन्त्रता टिक नहीं सकती और ऐसी स्वतन्त्रता अब असीट भी नहीं है। और यदि इस प्रवार का समृद्ध जीवन बनाना है, तो सारे विश्व के लिए एक ही आधिक व्यवस्था एवं एक स्थूल नियोजन व्यवस्था की आवश्यकता है। और उम दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों में अनुकूल प्रवृत्तियों का निर्माण होना चाहिए। जो निष्ठा राष्ट्र के प्रति है, वही निष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भी शक्ति-शक्ति। उत्पन्न की जानी चाहिए। और इसीलिए मसार के प्रदेशक व्यक्ति को सुविधित एवं सुविचारी होना चाहिए। यदि युद्धकाल में बेगुमार खचं करके राष्ट्र को समर्पित किया जा सकता है, तो यह बात बोई स्वीकार नहीं करेगा कि राष्ट्र को सुविधित करने के लिए सगठन नहीं किया जा सकता। और अनेक सम्पत्ति का विनियोग बड़े-बड़े जहाज बनाने, अन्तरिक्ष को भेद डालने वाले आयुध तंत्यार करने तथा समूचे विश्व को समाप्त करने की क्षमता वाले अण्डावम सरीखे साधनों का निर्माण करने में न करके मनुष्य के मन को उन्नत एवं विवेकी बनाने के काम में किया जाना चाहिए। आज यथ-साधन वह रहे हैं। तन्त्र-विषयक शोधकार्य बहुत बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं। तथापि इम क्षेत्र में हीने वाली प्रगति के साथ मनुष्य की मानसिक उन्नति के क्षेत्र में उत्तीर्ण प्रगति दृष्टिगोचर नहीं होती। और जब तक मनुष्य का मन विवेकी, निष्ठावान् तथा दृढ़तायुक्त नहीं होगा, तब तक उसके हाथ में आधुनिक हथियारों का पफ़ाना सतरे से साती नहीं। आज यदि सासार की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रहना है तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर मानसिक शक्ति का होना आवश्यक है। और जब तक वह शक्ति नहीं होगी तब तक समता एवं आधिक सम्बन्धता उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी तथा सामाजिक सम्बन्धों में जिस सन्तुलन की जरूरत होती है, वह नहीं रह सकेगा। मानसिक शक्ति के अभाव में सासार के अन्दर स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता की स्थापना कठिन हो जाएगी तथा शस्त्रास्त्रों की प्रतियोगिता में जीवित किस प्रकार रहा जाए, इस बात की चिन्ता ही प्रमुखता पा जाएगी।

आज के विश्व में तात्त्विक क्षेत्र में हुए शोध एवं वौध पर तथा जो विचार-प्रवाह आज हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दृष्टिगत होने हैं, उन पर विचार करने से एक बात साफ़ जाहिर होती है कि भले ही स्वतन्त्रता विषयक तत्त्वज्ञान एवं दृष्टिप्रकृति सिद्धान्त रखी बृहत् हो चुके हो, उन्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी हो, तो भी यह कहना कठिन है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगे या उन पर यिसी प्रकार का कोई यात्रमण होगा ही नहीं। अतः सुरक्षा की आवश्यकता एवं उसके स्पष्ट है तथा उसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सगठन निर्माण किया जाना चाहिए। और इस समय जो योड़ा-बृहत् मोजूद है, उसे तात्त्वकर बनाया जाना चाहिए। अन्याय जहाँ भी हो, वह वह राष्ट्रीय सम्बद्ध में हो, या अन्तर्राष्ट्रीय सम्बद्ध में, उसके विरोध में यदि आवाज न उठाई गई, उसके मुकाबले के लिए प्रबल सगठन नहीं किया गया, तो दानों ही थोड़ों में स्वतन्त्रता परास्त हो जाएगी—पराभूत हो जाएगी। यदि चुपचाप अन्याय को सहन कर लिया जाए, तो दिलाऊ एवं दोनों-चालने में घूर लोगों की

देना होगा। यह सब प्रजातन्त्र में ही अधिक सम्भव है ऐसा इतिहास का अनुभव है। उसी अनुभव को आधार बना कर हमने इस ग्रन्थ में आर्थिक व्यवस्था का विवेचन किया है। व्यक्तिगत स्वामित्व एवं प्रजातन्त्र व्यवस्था अब एक साथ नहीं बनी रह सकती और यदि व्यक्तिगत स्वामित्व अधिक हट ठानने लगे तो उसका खण्ड फल होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। प्रजातन्त्र का रूप चाहे कुछ बयो न हो, वह अनन्त काल तक व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त किया जाए या आन्ति द्वारा एकदम समाप्त किया जाए। आर्थिक विपन्नता एवं विप्रतीक्षा को केवल एक देश में से उखाड़ देने से काम नहीं चलेगा। पाल में यदि एक भी आम सड़ा हुआ हो, तो सारे के सारे आम सड़ जाते हैं। इसी प्रकार आज की दुनियाँ में अगर कहीं भी आर्थिक विपन्नता एवं विप्रतीक्षा भीजूद रहे, तो उससे सारे विश्व की आर्थिक अवस्था के विगड़ जाने का खतरा पैदा हो जाता है। अतः इस प्रदूषण पर विचार तथा उसके प्रतिकार की योजना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जानी चाहिए। यह करते समय, जाहिर है कि, आज के युग के अतिरेकी राष्ट्रवाद एवं अतिरेकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर रोक लगानी होगी। यह भी जाहिर है कि विश्व के हित के लिए जिस प्रकार थोड़े से मध्यम से काम लेना पड़ता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय हित के लिए भी प्रत्येक राष्ट्र को सध्यम से काम लेना होगा। आज भी हर राष्ट्र में ऐसे दल भीजूद हैं कि जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं की पर्याहं नहीं करते। 'दुनियाँ भर के काम करो, एक हो जाओ' यह गर्जना दुर्लक्षणीय नहीं है। विश्व का साम्यवादी दल राष्ट्रों की सीमाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। योकि उसे स्वीकार करने का अर्थ यह होता है कि वे सोग मौलिक तत्त्वज्ञान ही को स्वीकार नहीं करते। सीमाविषयक वाद-विवाद कम्यूनिस्ट तत्त्वज्ञान की दृष्टि में अर्थहीन है। और यही कारण है कि अनेक राष्ट्रों में राष्ट्रवादी दलों द्वारा कम्यूनिस्ट दल का विरोध होता है। राष्ट्रवाद अभी तक पर्याप्त शक्तिशाली है तथा अनेक बार कम्यूनिस्ट कहलाने वाले दलों में, कम्यूनिस्ट तत्त्वज्ञान को भी मात देता है। समाजसत्तावाद के बारे में भी कहा जा सकता है कि वहाँ भी ठीर-ठीर पर राष्ट्रवाद एवं धार्मिक साम्राज्यविकास की छाप पड़ी हुई है। त्रिशियन सोशलिज्म, हिंदू सोशलिज्म, चायनीज़ सोशलिज्म ये दावद मिन्न-मिन्न कल्पनाओं के ही दौतक हैं। उनमें कुछ सम्भव दृढ़ता रहता है। भारत तो वही है, पर एक आम्बेसोर चाकल का है तो दूसरा बासमनी चाकल का। ऐसी विविधता दृष्टिगोचर होती है। तथापि आज जो अभीष्ट है, वह वह साम्य है, जो भौगोलिक सीमाओं को नगण्य मानता है या उनकी उपेक्षा करता है। जो प्रादेशिक सम्युक्तता आज दिताई देनी है वह एक मजिल ही समझी जानी चाहिए। मधुन भारत सध्य एक सम्युक्तता का भाव है और उग भाव में प्रादेशिकता के साथ-साथ ध्येयविषयक साम्य भी है। यह सम्युक्तता की भावना अधिक व्यापक मात्रा में होनी चाहिए, तभी स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व का बदल आये बड़ेगा। लोगों को अब बागज पओं में लियो स्वतंत्रता नहीं चाहिए। सुर्यों

अथवा समृद्ध जीवन यदि स्वतन्त्रता में से निर्माण न होता हो, तो वह स्वतन्त्रता टिक नहीं सकती और ऐसी स्वतन्त्रता अब अभीष्ट भी नहीं है। और यदि इस प्रकार का समृद्ध जीवन बनाना है, तो सारे विश्व के लिए एक ही आधिक व्यवस्था एवं एक स्थल नियोजन व्यवस्था की आवश्यकता है। और उम दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों में अनुकूल प्रवृत्तियों का निर्माण होना चाहिए। जो निष्ठा राष्ट्र के प्रति है, वही निष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भी दर्शन-शर्ते। उत्पन्न की जानी चाहिए। और इसीलिए सप्ताह के प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित एवं सुविचारी होना चाहिए। यदि युद्धकाल में वेद्युमार खर्च करके राष्ट्र को संगठित किया जा सकता है, तो यह बात कोई स्तोकार नहीं करेगा कि राष्ट्र को सुनिश्चित करने के लिए समर्पण नहीं किया जा सकता। और अतएव सम्पत्ति का विनियोग बड़े-बड़े जहाज बनाने, अंतरिक्ष को भेद ढालने वाले आयुध तैयार करने तथा समूचे विश्व को समाप्त करने की धमता वाले अलुबम सरीखे साधनों का निर्माण करने में न करके मनुष्य के मन को उन्नत एवं विवेकी बनाने के काम में किया जाना चाहिए। आज यथ-साधन बड़े रहे हैं। तत्व-विषयक शोधकार्य बहुत बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं। तथापि इस धोन में होने वाली प्रगति के साथ मनुष्य की मानसिक उन्नति के लेन में उतनी प्रगति दृष्टिगोचर नहीं होती। और जब तक मनुष्य का मन विवेकी, निष्ठावान् तथा दृढ़तापूर्वक नहीं होया, तब तक उसके हाथ में आधुनिक हथियारों का पकड़ाना खतरे से साली नहीं। आज यदि सप्ताह की स्वतन्त्रता को मुरादित रहना है तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर मानसिक कान्ति का होना आवश्यक है। और जब तक वह आन्ति नहीं होगी तब तक समता एवं आधिक सम्पन्नता उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी तथा सामाजिक सम्बन्धों में जिस सम्नुलम की जहरत होती है, वह नहीं रह सकेगा। मानसिक कान्ति के अभाव में सप्ताह के अन्दर स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुता की स्थापना कठिन हो जाएगी तथा शक्तियों की प्रतियोगिता में जीवित किए प्रकार रहा जाए, इस बात को चिन्ता ही प्रमुखता पा जाएगा।

आज के विश्व में तान्त्रिक धोन में हुए घोष एवं वोष पर तथा जो विचार-प्रवाह आज हमें अन्तर्राष्ट्रीय धोन में दृष्टिगत होते हैं, उन पर विचार करने से एक बात साफ जाहिर होती है कि भले ही स्वतन्त्रता विषयक तत्वज्ञान एवं तटियक सिद्धान्त स्वीकृत हो चुके हो, उन्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी हो, तो भी यह कहना कठिन है कि वे पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगे या उन पर किसी प्रकार का कोई आकर्षण होगा ही नहीं। अतः सुरक्षा की आवश्यकता एकदम स्पष्ट है तथा उसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय धोन में समर्पण निर्माण किया जाना चाहिए। और इस ममता जो धोड़ा-बहुत मौजूद है, उसे ताकतवर बनाया जाना चाहिए। अन्याय जहाँ भी हो, चाहे वह राष्ट्रीय समर्द्ध में हो, या अन्तर्राष्ट्रीय समर्द्ध में, उसके विरोध में यदि आवाज न उठाई गई, उसके मुराबले के लिए प्रवल समर्पण नहीं किया गया, तो दानों ही धोनों में स्वतन्त्रता पराल हो जाएगी—परामूर्त हो जाएगी। यदि चूपचाप अन्याय को सहन कर दिया जाए, तो दियाऊ एवं दूसरे ज्ञानवेद्यालयों में धूर लोगों की

बन आती है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो राष्ट्र सत्य का परित्याग करके केवल सुविधा की पूजा करते हैं, तत्व का शोर मचा कर स्वार्थ का सम्राह करते हैं, ऐसों की बन आती है और तब किर कही तिब्बत का-ना शोकान्त नाटक देखने की मिलता है, कही काँगो जैसी अप्रिय घटनाएँ होती हैं। चुपचाप रहना तथा चुपचाप आज्ञा पालन करना जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए बाधक एवं भारक होता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खुलमखुला होने वाले अन्याय को निर्वंलता से देखते रहना तथा उसकी निन्दा भी न करना एवं उसे सह जाना अन्तर्राष्ट्रीय गुण्डागीरी को प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध होता है। केवल यह सोचकर कि आर्थिक क्षेत्र में सधर्ये छिड जाएगा, अथवा आर्थिक मामलों में मिलने वाली सहायता रुक जाएगी, चुपचाप बढ़े रहना उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शान्ति एवं सत्य की स्थापना की दृष्टि से स्पष्टवादिता से काम लिया जाना चाहिए। तथा जब आप देखें, सत्य, शान्ति एवं प्रजातन्त्र पर आंच आने वाली है, उस समय आपको 'नरो वा कुञ्जरो वा' की नीति से काम न लेकर पूरी तरह स्पष्ट-वादिता से काम लेना चाहिए। शान्ति एवं समृद्धि ये दो बातें सर्वतोषपर इष्ट हैं तथापि इन दोनों की अपेक्षा भी स्वतंत्रता को सबसे ध्रेष्ठ समझना चाहिए। राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार हम स्वामित्व को गौण एवं स्वतंत्रता को मुख्य मानते हैं, उसी प्रकार हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मानना चाहिए। यदि हम किसी जगह स्वतंत्रता को गौण एवं सत्ता, सम्पत्ति आदि को मुख्य मान लें तो उससे स्वतंत्रता कलाहीन हो जाएगी, नामशेष हो जाएगी। अतः विश्व में स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए हमें उसकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। इसका अर्थ यह होगा कि हम देखें कि आर्थिक क्षेत्र में निरन्तर न्यायपूर्ण व्यवस्था से काम लिया जा रहा है। जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में, सम्पत्ति वा स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में छोटे या बड़े किसी भी पैमाने में—रहने देना, स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सम्पत्ति वी निमित्ति के सम्बन्ध में एकाधिकार का बातावरण बनाए रखना रतरे से खाली नहीं है। वर्गविहीन समाज अब नवीन समाज का एक स्पष्ट लक्षण होता जा रहा है। उसी का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप यह होना चाहिए कि विश्व के सब राष्ट्रों को एक ही सतह पर लाने का प्रयत्न किया जाए तथा इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् का संगठन किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में आज भी गुटबन्दी करके हाथ में आए हुए अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों (स्फीयर आँफ इन्पतुएम) को हाथ से न आने देने का प्रयत्न जारी है। पुराना साम्राज्यवाद तथा पुराना उपनिवेशवाद अभी यथा नहीं है। काया बदलने पर भी आत्मा अभी वही चला आ रहा है। अतः समार की प्रगति एवं स्वतंत्रता के इच्छुक सोग यदि आज सगठित नहीं हुए तो प्रगति एवं स्वतंत्रता दोनों ही उण्डे पड़ जाएंगे। सम्पत्ति का स्वामित्व जब तक दोनों क्षेत्रों में—मुद्री भर लोगों के हाथ में रहेगा, तब तक स्वतंत्रता वी सुरक्षा अमम्बव है। और सम्पत्ति के स्वामित्व को थोड़े में लोगों के हाथ में बनाए रखने के लिए जितना अधिक प्रयत्न होना रहेगा, उतना ही अधिक सतरा स्वतंत्रता के लिए पैदा होता जाएगा,

यह स्पष्ट है। माज जहाँ ये प्रयत्न किए गए हैं कि सम्पत्ति किन्हीं मुड़ी भर लोगों के पदवा वर्ग विशेष के हाथ में न रहे, वहाँ एक नई सम्पत्ता का, एक नई समाज रचना का उदय हो रहा है। और यह ४० वर्षों में आपसी फूट में से निकल कर समार के धाय राष्ट्रों की विरोधी करामातों का मुकाबला करते हुए, दूसरे महायुद्ध के सर्वनामी जबड़े में से सोवियत रशिया ने एक नई सम्पत्ति, एक नई सम्पत्ता निर्माण की है, यह मानना होगा। उसमें स्वतन्त्रता की दृष्टि से जो कमी है, उसे प्यान में रखते हुए संसार में एक नई सम्पत्ति एवं सम्पत्ता का निर्माण होना आवश्यक है।

चिन्ताक्रान्त करने वाली वेकारी आज सोवियत वहाँ नहीं है। नियोजनपूरण अध्यवस्था द्वारा व्यक्तियों एवं कामों का, कार्यों एवं कार्यकर्ताओं का स्वयंजन इस प्रतार किया जाता है, जिससे समूचे उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो तथा सामान्य जनों का और मन्दी को एक स्वामानिक वात समझा जाता था, मार्ग और पूर्ति के अव सोवियत योग्यता का एक स्वामानिक वात समझा जाता था, इन सब वातों को अव सोवियत रशिया ने बदल डाला है। उपर्योग के लिए उत्पादन—इस एकमात्र हेतु को प्यान में रखकर अब मिक्के को आधिक राज्य में से निर्मित कर दिया है। इतना ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में एक नए आत्म-विद्वाय एवं आत्मप्रतिष्ठा का वातावरण निर्माण हो गया है। अम को तप माना जाता है तथा उससे होने वाली निर्मिति समाज के कल्याण एवं व्यक्ति के मुक्त के लिए ही दिखाई देती है। तेन त्यक्तने मूँजीया : ' यह स्वार्थ त्याग की भूमिका आज इस नए स्वतंत्र समाज की पार्श्व-भूमि बन गई है। इसके साथ तुलना करने पर प्रतीत होगा कि संसार के धाय राष्ट्रों में जहाँ पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था प्रभावी है, दारिद्र्य, विषमता, विफलता, वेकारी तथा आधिक प्रतियरता की समस्या अभी हल नहीं हुई है। और जब तक पुरानी हल नहीं होगी। अमेरिका में सम्पत्ति की मालवी अधिक लोगों के हाथ में है। वहु-सहकर सोवियत लोग बीमेश्वार हैं। वहै पैमाने पर राष्ट्रीय पूँजी से जिन लोगों ने अपने पैसे लगा रखे हैं, ऐसो की संख्या भी यूवड़ गई है। और अमेरिका में पूँजीवाद तो है पर वह प्रजातन्त्री पूँजीवाद है तथा सम्पत्ति की निर्मिति में जब तक अम करने वाले मजदूरों को भाग लेने वालों के समान अधिकार नहीं प्राप्त होगे तथा तक पूँजी-वादी उत्पादन के दोष बने रहेंगे। इस दृष्टि से विवार करने पर हम देखेंगे कि अमेरिका में सम्पन्नता अधिक है। जीवन का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है, तो भी एक सामाजिक मंतोप व निर्दिच्चति विषयक आत्मविश्वास अभी तक वहाँ नहीं है। अन: सोवियत पद्धति के किन्हीं मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रवार सोवियत सम्पत्ति को स्वतन्त्रता-विषयक कुछ मूल्य स्वीकार करना चाहिए। इसदे स्वतन्त्रता एवं सम्पन्नता के मध्य उचित संतुलन रखा जा सकेगा। जीवन को संरक्षण एवं स्वतन्त्रता दोनों की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता एवं संरक्षण

बन आती है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो राष्ट्र सत्य का परित्याग करके केवल सुविधा की पूजा करते हैं, तत्व का शोर मचा कर स्वार्थ का सग्रह करते हैं, ऐसो की बन आती है और तब फिर कही तिब्बत का-सा शोकान्त नाटक देखने को मिलता है; कही काँगो जैसी अप्रिय घटनाएँ होती हैं। चुपचाप रहना तथा चुपचाप आज्ञा पालन करना जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए बाधक एवं भारक होता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खुलमखुला होने वाले अन्याय को निर्वंलता से देखते रहना तथा उसकी निन्दा भी न करना एवं उसे सह जाना अन्तर्राष्ट्रीय गुणांगीरी को प्रोत्साहन देने वाला सिद्ध होता है। केवल यह सोचकर कि आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष छिड़ जाएगा, अथवा आर्थिक मामलों में मिलने वाली सहायता रुक जाएगी, चुपचाप बैठे रहना उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शान्ति एवं सत्य की स्थापना की दृष्टि से स्पष्टवादिता से काम लिया जाना चाहिए। तथा जब आप देखें, सत्य, शान्ति एवं प्रजातन्त्र पर आँच आने वाली है, उस समय आपको 'नरो वा कुञ्जरो वा' की नीति से काम न लेकर पूरी तरह स्पष्ट-वादिता से काम लेना चाहिए। शान्ति एवं समृद्धि ये दो बातें सर्वतोपरि इष्ट हैं तथापि इन दोनों की अपेक्षा भी स्वतंत्रता को सबसे धोष्ट समझना चाहिए। राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार हम स्वामित्व को गोण एवं स्वतंत्रता को मुख्य मानते हैं, उसी प्रकार हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मानना चाहिए। यदि हम किसी जगह स्वतंत्रता को गोण एवं सत्ता, सम्पत्ति आदि को मुख्य मान ले तो उसमें स्वतंत्रता कलाहीन हो जाएगी, नामदेप हो जाएगी। अतः विश्व में स्वतंत्रता की मुरक्का के लिए हमें उसकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। इसका अर्थ यह होगा कि हम देखें कि आर्थिक क्षेत्र में निरन्तर न्यायपूर्ण अवस्था से काम लिया जा रहा है। जिस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में, सम्पत्ति का स्वामित्व विसी एक व्यक्ति के हाथ में छोड़े या बढ़े किसी भी दैमाने में—रहने देना, स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाता है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सम्पत्ति की निमित्ति के सम्बन्ध में एकाधिकार का बातावरण बनाए रखना खतरे से खाली नहीं है। वर्गविहीन समाज अब नवीन समाज का एक ह्यष्ट लक्षण होता जा रहा है। उसी का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप यह होना चाहिए कि विश्व के सब राष्ट्रों को एक ही सतह पर जाने का प्रयत्न किया जाए तथा इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् वा सगठन किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में आज भी गुटबन्दी करके हाथ में आए हुए अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों (स्फीयर आँफ इफलुएम) को हाथ से न जाने, देने का प्रयत्न जारी है। पुराना साम्राज्यवाद तथा पुराना उपनिषेदवाद अभी गया नहीं है। काया वदतने पर भी आत्मा अभी बही घला आ रहा है। अतः गंगार की प्रगति एवं स्वतंत्रता के इच्छुक लोग यदि आज सगति नहीं हुए तो प्रगति एवं स्वतंत्रता दोनों ही उण्डे पड़ जाएंगे। सम्पत्ति वा स्वामित्व जब तक दोनों क्षेत्रों में—मुद्रा भर लोगों के हाथ में रहेगा, तब तक स्वतंत्रता वी सुरक्षा असम्भव है। और सम्पत्ति के स्वामित्व वो थोड़े में लोगों के हाथ में बनाए रखने के लिए जितना अधिक प्रयत्न होना रहेगा, उनना ही अधिक खतरा स्वतंत्रता के लिए पैदा होना जाएगा,

यह स्पष्ट है। आज जहाँ ये प्रयत्न किए गए हैं कि सम्पत्ति किन्ही मुट्ठी भर लोगों के अद्वा वर्ग विशेष के हाथ में न रहे, वहाँ एक नई सम्यता का, एक नई समाज रचना का उदय हो रहा है। और गत ४० वर्षों में आपसी फूट में से निकल कर सासार के अन्य राष्ट्रों की विरोधी करामातों का मुकाबला करते हुए, दूसरे भवायुद के सर्वनाशों जबड़े में से सोवियत रशिया ने एक नई संस्कृति, एक नई सम्यता निर्माण की है, यह मानना होगा। उसमें स्वतन्त्रता की दृष्टि से जो कमी है, उसे ध्यान में रखते हुए मंसार में एक नई संस्कृति एवं सम्यता का निर्माण होना आवश्यक है।

चिन्ताक्रान्त करने वाली वेकारी आज सोवियत रशिया में नहीं है। पढ़ाई-लिखाई खत्म हुई कि वेकारी शुरू हो गई, ऐसी बात वहाँ नहीं है। नियोजनपूर्ण धर्यव्यवस्था द्वारा व्यक्तियों एवं कामों का, कायों एवं कार्यकर्ताओं का संयोजन इस्त प्रबार किया जाता है, जिससे समूचे उत्पादन में बड़ोत्तरी हो तथा सामान्य जनों का जीवन-स्तर बढ़ता जाए। जिन आधिक संकटों को अपरिहार्य माना जाता था, तेजी और मन्दी को एक स्वामादिक बात समझा जाता था, माँग और पूर्ति के मिलान्त को परमेश्वरी आज्ञा का स्वरूप दिया जाता था, इन सब बातों को अब सोवियत रशिया ने बदल डाला है। उपभोग के लिए उत्पादन—इस एकमात्र हेतु को ध्यान में रखकर ग्रब सिवके को आधिक राज्य में से निर्वासित कर दिया है। इतना ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में एक नए आत्म-विद्वास एवं आत्मप्रतिष्ठा का बातावरण निर्माण हो गया है। थम को तप माना जाता है तथा उससे होने वाली निर्मिति समाज के कल्याण एवं व्यवित के मुख के लिए ही दिखाई देती है। 'तैन त्यक्तैन भूजीया :' यह स्वार्थ त्याग की भूमिका आज इस नए संस्कृत समाज की पाश्व-भूमि बन गई है। इसके साथ तुलना करने पर प्रतीत होगा कि संसार के अन्य राष्ट्रों में जहाँ पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था प्रभावी है, दारिद्र्य, विप्रमता, विफलता, वेकारी तथा आधिक अस्थिरता की समस्या अभी हल नहीं हुई है। और जब तक पुरानी दुनिया में, पुराने मन्त्रों का पाठ करने वाली संस्कृति कायम है, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। अमेरिका में सम्पत्ति की मालकी अधिक लोगों के हाथ में है। बहु-संस्कृत लोग दीमेदार हैं। वडे पैमाने पर राष्ट्रीय पूँजी में जिन लोगों ने अपने पैसे लगा रखे हैं, ऐसो की संख्या भी खूब बड़ गई है। पौर अमेरिका में पूँजीवाद तो है पर वह प्रजातन्त्री पूँजीवाद है तथा सम्पत्ति की निर्मिति में अनेकों का हिस्सा (पॉयलर कैपिटलिज्म) है। वैसा होने पर भी उत्पादनपद्धति में जब तक थम करने वाले मजदूरों को भाग सेने वालों के समान अधिकार नहीं प्राप्त होगे तब तक पूँजी-वादी उत्पादन के दोष बने रहेंगे। इस दृष्टि से विवार करने पर हम देखेंगे कि अमेरिका में सम्पन्नता अधिक है। जीवन का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है, तो भी एक सामाजिक सतोष व निश्चित विषयक आत्मविद्वास अभी तक वहाँ नहीं है। अनः मोवियत पद्धति के किन्ही मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार सोवियत मंस्कृति को स्वतन्त्रता-विषयक बुछ मूल्य स्वीकार करना चाहिए। इससे स्वतन्त्रता एवं सम्पन्नता के मध्य उचित सन्तुलन रखा जा सकेगा। जीवन को मरवान एवं स्वतन्त्रता दोनों की आवश्यकता है। स्वतन्त्रता एवं संरक्षण

थेंक वार कहन्द्य को जानते हुए भी लोग उदामीन हो जाते हैं। इम दृष्टि में विचार बरने से प्रतीत होता है कि कानून के विरुद्ध एक निश्चित सीमा में रहकर द्वव्याप्त करना अनीतिक नहीं समझा जाना चाहिए। किसी वस्तु को नया होने के द्वारा शान्तिकारक अथवा समाज-उच्छेदी मान लेना उचित नहीं। जो नया है, उसे परखना चाहिए। जो पुराना है, उसे भी परखना चाहिए। परम्परा की मुद्रा को देख कर विसी वस्तु को शातप्रतिशत उपयोगी मान लेना ठीक नहीं। सिवके भी कुछ गिरन पश्चात् घिस-पिट जाते हैं। इसी प्रकार आदर्श भी घिसते-पिटते रहते हैं तथा निमूँध्य हो जाते हैं। अतः स्वतन्त्रता एवं सामाजिक स्थाय की कल्पना मनातन स्वरूप की नहीं हो सकती। उसमें परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन समय के प्रभुमार काल की नाड़ी परीक्षा करके किया जाना चाहिए। इतिहास हमें चताता है कि स्वतन्त्रता का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। प्रतिक्षण अधिकार उस पर ग्राहण रहता रहता है। भौगोला कल्पना में जिन्हे उसके कारण सुख एवं समृद्धि प्राप्त होती है, वे लोग अपरिवर्तनवादी, हठी एवं आप्रही बन जाते हैं। तथापि जिस प्रकार वायु की राह पूछने की जहरत नहीं होती; मृत्यु को मुहूर्त की जहरत नहीं होती, उसी प्रकार स्वतन्त्रता की रक्षा एवं विकास के लिए इसी विदेश घ्येय अथवा माध्यन के प्राप्ति की जहरत नहीं होती। प्रथ न तो निरन्तर होते रहते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वे प्रथल ममभदारी के साथ किए जाएं। स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए समाज के प्रबलनों एवं सम्बद्धाओं को सजीव तथा कार्यप्रवण होना चाहिए। तथा भूमुखा चातावरण यूकितिवाद के अनुकूल होना चाहिए। जो यूकितिवाद को स्वीकार नहीं करते वे हिसा में काम लेना शुरू करते हैं तथा अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए द्रूमरों को स्वतन्त्रता पर आवणण करने में भी नहीं चूकते। अतः साज भते ही पहले की अपेक्षा स्वतन्त्रता का धोर अधिक विस्तृत हो गया हो, अधिक लोगों द्वारा उसका अनुभव प्राप्त होता हो, तो भी हमारा प्रथल यह होना चाहिए कि वह गुरार के सभी लोगों को प्राप्त हो तथा सही मानों में प्राप्त हो। और इसी दृष्टि में हमने राज्य एवं स्वतन्त्रता की कल्पना का सविस्तार विवेदन इम ग्रन्थ में किया है।

शुद्धि-पत्र

पंचित	प्रशूद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंचित	प्रशूद्ध	शुद्ध
६ १६	मना स्वन्नना का	मना म्बाम्बांडा	१२१	१४	क्रन्ति	क्रान्ति
७ १४	लेप	देप	१२४	३५	करना धी	करना थी
८ २५	विश्विद्यालयीन	विश्विद्यालयीय	१२६	३	मध्य	मध्य
१७ १६	महता	महता	१२७	१६	इनकार	इन्कार
२१ २२	बंश	बंश	१२८	२३	आंगुचिन	आंगुचित
२७ ८	कोई	कोई	१२९	२३	केरा भूपा	बेरा भूपा
२७ १५	मट्टल	मण्टल	१३०	५	चूत	चूत
३५ २७	जाप	जप	१३१	११	नरीना	नरीनी
३८ ३	मुदा	मुदा	१३२	१८	लिल मे	हित मे हे
४० १०	मार्वमामान्य	सर्वमामान्य	१३३	३६	भनूहरि	भनूहरि
४३ ३०	पहेली	पहिले	१४१	१४	मर्वित्य	मर्वित्य
६० १७	होगी	होगी	१४२	२१	लोगों का	लोगों को
६५ १९	लगाए जाने	लगाए जाने	१४३	२६	आगे हो	आगे हे
	चाहिए	चाहिए	१४४	२७	प्रयोग	प्रयोग
७० २६	न करने के	न करने मे	१४५	१	इनमा ही	इनमा ही नहीं
७४ १०	कुद	कुद	१५०	२३	अवस्था	अवस्था मे
८१ =	नागरिक	नागरिक	१५४	११	सिमटे	सिमटे
८४ ११	तो मे राज्य की	तो राज्य की	१५५	३४	समाचार पथ	समाचार पथ
८८ ३५	नाम वी संस्था	नाम की संस्था			ही	पर ही
९१ १५	राज्य कानून	राज्य द्वारा कानून	१५६	१	निधि	विधि
	बनाकर	बनाकर	१५६	१५	कुते का	कुते के
९५ २६	मर्वमामान्य	मर्वमामान्य	१६३	१७	(ला कि अकेयर) ला भी या केयर	
९५ २६	उचित अवस्था	उचित अवस्था	१६३	२१	तीव्र	तीव्र
	के न हो	न हो	१६३	२०	बहुमंस्यान	बहुमंस्यक
१०० १३	निकालने के	निकालने	१७३	२५	बन जानी हे	बन जानी हे
१०४ १४	जाहिए	चाहिए	१७२	३५	देस	देश
१०८ १६	किता जाना	किया जाना	१७५	८	कर्तृत्य	कर्तृत्य
११५ २२	लिजि	निजी	१७८	२३	किसी ने भी	किसी मे भी
११६ १५	सुड़ा	सुड़ी	१७९	१२	ईमनदारी	ईमानदारी
११६ ११	लागू नहीं पड़ता	लागू नहीं होता	१७९	२३	नियोकर	नियोकर
१२७ ३७	न प्रदर्शन,	मत प्रदर्शन	१८०	=	शायाम् वस्यान्	गाकाय वा स्यात्
१२८ १८	खमिल	म्बामिल			लवगेन भव्यान्	लवगाय वा स्यात्

